ा माला, खंड 19, अंक 23

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

गुरुवार, 23 अगस्त, 2001

1 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 352
Date 12/6/2002

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 23, गुरुवार, 23 अगस्त, 2001/1 भाद्रपद, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 443	4–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 444 से 460	28–65
अतारांकित प्रश्न संख्या 4526 से 4755	65–385
सभा पटल पर रखे गए पत्र	386–391
राज्य सभा से संदेश	391–392
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	393–394
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
तेईसवां प्रतिवेदन	394
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन	394–395
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
बासमती चावल की किस्मों तथा खाद्यान्नों का पेटेंट अमरीकी कम्पनी राइसटेक इंक को दिया जाना	395–397
डा. रमण	395
द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधि निरसन विधेयक—*पुर:स्थापित*	398
तहलका डॉट कॉम मामले के बारे में	398–414
नियम 377 के अधीन मामले	434–440
(एक) क्योंझरगढ़ में बलदेवजीऊ मंदिर के उचित रखरखाव के लिए उड़ीसा सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	434
(दो) पलामू कमिश्नरी में मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए झारखंड सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रजमोहन राम	434

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) राजस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बनायी गयी कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता	
श्रीमती जस कौर मीणा	435
(चार) गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	435
(पांच) राजस्थान के अजमेर और पुष्कर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाये जाने तथा अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू किये जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	435
(छह) केरल में बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए नेफ्था पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीना शुल्क में छूट दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेश चेन्नितला	436
(सात) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
राजकुमारी रत्ना सिंह	437
(आठ) देश में कॉयर उद्योग के हितों की सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	437
(नौ) समूचे आंध्र प्रदेश राज्य के विद्यालयों में जल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य की एकीकृत जल और स्वच्छता परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला	438
(दस) उत्तर प्रदेश में बरेली और लखनऊ के बीच रेल लाइन का शीघ्र आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवि प्रकाश वर्मा	438
(ग्यारह) बिहार में मशरख (सारन) में शीघ्रातिशीघ्र एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	439
(बारह) बिहार में सहरसा जिले के सुपौल रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चन्द्र यादव	439
(तेरह) देश में अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए वन कानून संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	439
भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक	442–476
विचार करने के लिए प्रस्ताव	442
श्री वरकला राधाकृष्णन	442, 473
श्री जगमोहन	448, 471

विषय	कॉलम
श्री आर.एल. भाटिया	454
प्रो. रासासिंह रावत	460
श्री रूपचन्द पाल	464
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	467
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	469
खंड 2 से 29 और 1	475
पारित करने के लिए प्रस्ताव	476
रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प ...	477
नियम 193 के अधीन चर्चा	
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	477–614
श्री बसुदेव आचार्य	478
श्री एम. वैंकय्या नायडू	491
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	513
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	532
श्री सोमनाथ चटर्जी	538
श्री किरीट सोमैया	545
श्री अखिलेश यादव	556
श्री प्रभात सामन्तराय	558
श्री अरुण शौरी	561, 594
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	564
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	571
श्री पवन कुमार बंसल	574
डा. नीतिश सेनगुप्ता	578
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	583
श्री अनादि साहू	586
श्री अजय चक्रवर्ती	590
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	591
श्री रवि प्रकाश वर्मा	592

लोक सभा

गुरुवार, 23 अगस्त, 2001/1 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 441

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्वश्चन ऑवर में नहीं, जीरो ऑवर में उठायें। यह क्वश्चन ऑवर है, क्वश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर में उठायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्वश्चन ऑवर में आप इसे कैसे उठाएंगे? जीरो ऑवर में आपको मौका देंगे। क्वश्चन ऑवर में इसको नहीं लेंगे, जीरो ऑवर में लेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं, यह क्वश्चन ऑवर है, आप जीरो ऑवर में उठायें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? क्वश्चन ऑवर के बाद उठायें, अभी नहीं। आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा? यह विषय क्वश्चन ऑवर में कैसे उठेगा? अभी नहीं उठायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए। आप बैठ जाइये न, यह क्या है? आप क्या कर रहे हैं? बूटा सिंह जी, आप भी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं बोल रहा हूँ।

...(व्यवधान)

सरदार बूटासिंह (जालौर): महोदय, मैं केवल अपने आप को इन लोगों के साथ सम्बद्ध कर रहा हूँ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप क्या कर रहे हैं? हमने बता दिया कि इसे जीरो ऑवर में लेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा, हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप रोज ऐसा ही कर रहे हैं। कल भी आपने हाउस को नहीं चलने दिया और आज भी हाउस न

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप बैठ जाइये। आप रोज क्या कर रहे हैं? क्या रोज हाउस को ऐसे ही चलना है? हम हाउस में आपका बिहेवियर बार-बार देख रहे हैं, आप सारे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप यह क्या कर रहे हैं। आपको हाउस में विषय को नियम के अंतर्गत उठाना है। हाउस में एक प्रोसीजर है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप रोज क्या कर रहे हैं, क्या हाउस को ऐसे ही चलना है।

...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): अध्यक्ष महोदय, हम सवाल कैसे करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, कल भी आपने हाउस को डिस्टर्ब किया। आप क्या कर रहे हैं। आपका कोई विषय है तो जीरो ऑवर में उठाना है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी बैठ जाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह हाउस को कैसे चलाएंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने कल भी प्रश्न काल में हाउस को डिस्टर्ब किया और आज भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई विषय है तो शून्य काल में उठाएं। अभी आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 441—श्रीमती कान्ति सिंह।

...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम सवाल कैसे करेंगे? *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मंत्रिपरिषद में गैर-निर्वाचित सदस्य

***441. श्रीमती कान्ति सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 75(5) और 164(4), जिसमें क्रमश: केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किसी गैर-निर्वाचित सदस्य को मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने की अनुमति दी गई है, के उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 164(4) के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों के अनुपालन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में तारीख 17 अगस्त, 2001 के अपने निर्णय में स्पष्टत: यह उपदर्शित किया है कि विधान मंडल के लिए निर्वाचित हुए बिना, किसी व्यक्ति की संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अधीन पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि संविधान निर्माताओं का यह आशय नहीं था

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि कोई व्यक्ति सम्यक रूप से निर्वाचित हुए बिना प्रत्येक बार छह मास की क्रमवर्ती अवधि के लिए बार-बार नियुक्तियों द्वारा मंत्री बना रहे। इसके अतिरिक्त ऐसी नियुक्ति सरकार की किसी भी संसदीय प्रणाली में अस्वीकार्य होगी। संविधान का अनुच्छेद 75(5), अनुच्छेद 164(4) से मिलता-जुलता है। अत: संविधान के अनुच्छेद 75(5) के मामले में भी वही स्थिति होगी।

(ग) गृह मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि अनुच्छेद 164(4) के उपयोग के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि संविधान बनाने वाले लोगों की मूल भावना का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझ कर संविधान बनाया था। लोकतंत्र का तकाजा है कि जब कोई राज्यपाल चुना जाता है तो वह अपना निर्धारित समय पूरा करे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप एक महिला सांसद को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: सरकार ने इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। इसी वर्ष इस सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त की गई महिला राज्यपाल को हटाने का कार्य किया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मंडल, कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: जबकि वह पूर्व में न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनको संविधान की भली-भांति जानकारी है। लेकिन जब उन्होंने इनके मन मुताबिक काम नहीं किया, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ...*(व्यवधान)* इसी महिला सशक्तिकरण वर्ष में एक राज्य के मुख्य मंत्री को भी हटाने की योजना सरकार ने बनानी शुरू कर दी है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम पहले ही दस मिनट व्यर्थ कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सत्तापक्ष के लोग भी सभा में गतिरोध पैदा रह रहे हैं। बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

हाउस चलाने की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सत्तापक्ष से अनुरोध करता हूं कि अपने सदस्यों को नियंत्रित करे। यह क्या है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का अपने घटक दलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती कान्ति सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कान्ति सिंह के अनुपूरक प्रश्न के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: सदन को चलाने में प्रतिदिन 8 लाख रुपये खर्च होते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कान्ति सिंह के अनुपूरक प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात में अगर संविधान में संशोधन करना होता है, *...(व्यवधान)* तो उसे संसद को करना होता है और सुप्रीम कोर्ट ने *...(व्यवधान)* अभी जो निर्णय दिया है और जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि संविधान निर्माताओं का यह आशय नहीं था कि कोई व्यक्ति समग्र रूप से निर्वाचित हुए बिना प्रत्येक बार 6 मास की अवधि के लिए बार-बार नियुक्ति द्वारा मंत्री बने। *...(व्यवधान)* 6 मास की अवधि, क्रमानुवर्ती यानि कंटीनुअस लगातार कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह लगातार 6 महीने तक ही वह मंत्री बना रह सकता है लेकिन जो संविधान की धारा 164(4) है, उसमें यह प्रावधान नहीं है कि उसे दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सके क्योंकि अगर कोई 6 महीने के पहले अगर वह इस्तीफा देकर दस दिन के बाद अगर फिर वह जनमत के द्वारा नेता चुना जाता है तो वह मंत्री बन सकता है। *...(व्यवधान)* और अगर सरकार के पास संविधान में इस तरह का कोई संशोधन लाने का प्रावधान है या कोई विचार है तो क्या सरकार वह सदन में ला रही है और यदि ला रही है तो कब तक ला रही है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: किसी सवाल से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइए। आपका कोई विषय है तो आप जीरो-ऑवर में उसे उठाना। क्वश्चन ऑवर को डिस्टर्ब मत करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मंडल जी, इस तरह से पेपर मत दिखाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रह्मानन्द मंडल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस प्रकार समाचार-पत्र मत दिखाइए। यह नियमों के विरुद्ध है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मंडल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, यह कितना गंभीर सवाल है। यह किसी प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि पहले इस पर चर्चा करिए। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आपको रूल्स मालूम है या नहीं मालूम है, आप पहले यह बताइए। यदि कोई महत्वपूर्ण विषय है तो आप उसे जीरो-ऑवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्वश्चन ऑवर का टाइम है। क्वश्चन ऑवर के बाद जीरो-ऑवर में इसे उठाना। प्रभुनाथ सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह परम्परा लोक सभा की बनी हुई है, *...(व्यवधान)* जो लोक सभा की प्रतिदिन की परम्परा है, *...(व्यवधान)* यह परम्परा लोक सभा में बनी हुई है, *...(व्यवधान)* इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि पहले इसे सदन में लेना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न था कि संविधान की धारा 75 और संविधान की धारा 164 के तहत *...(व्यवधान)* कोई भी व्यक्ति *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कृपया सभा से बाहर चल जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं आपको निदेश दे रहा हूं कि आप कृपया सभा से बाहर चले जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप हाउस को छोड़ दें। आप बाहर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस तरह का व्यवहार सहन नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, यदि आपकी दिलचस्पी प्रश्नकाल में नहीं है तो आप कृपया सभा से बाहर चले जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: पहले आप इस पर चर्चा करिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा आप सभा से बाहर जा सकते हैं। कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि आप वास्तव में इस मामले को उठाना चाहते हैं तो आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यह असली तस्वीर है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, यदि आप इस मामले को 'शून्य काल' में उठाना चाहें तो सदन में रुक सकते हैं। अन्यथा आप सभा से बाहर जा सकते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब मंत्री महोदय, कृपया आप बोलिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, हम आपसे कह रहे हैं, आप इम्पोर्टेंट इशू जीरो-आवर में रेज करिए, हम सुनेंगे। अगर आपको क्वश्चन आवर में इन्टरैस्ट नहीं है, तो

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कृपया आप सभा से बाहर जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है, इसलिए हम हाउस से जा रहे हैं। इस प्रोटैस्ट में कि आपने जो फार्मूला बनाया है, आप उनकी बात सुनते हैं और हमारे सवाल को नहीं सुनेंगे। इसलिए हम हाउस से जा रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

(तत्पश्चात् श्री प्रभुनाथ सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: महोदय, मैं भी इसी विरोध में सदन से बाहर जा रहा हूं।

पूर्वाह्न 11.18$^{1}/_{2}$ बजे

(तत्पश्चात् श्री ब्रह्मानन्द मंडल सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह था कि संविधान की धारा 75 और 164 के तहत कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकार में छः महीने तक सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री बन सकता है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि छः महीने की अवधि केवल छः महीने की अवधि है। बार-बार उसको जोड़कर छः महीने से अधिक नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सरकार के सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या सुझाव संविधान में संशोधन करने का नहीं है।

श्रीमती कान्ति सिंह: महोदय, अगर प्रस्ताव नहीं है, तो कोई आदमी किसी सदन का सदस्य न रहने पर छः महीने के पहले इस्तीफा दे दे और फिर जनमत के द्वारा या फिर उनकी पार्टी के द्वारा उन्हें सदन का नेता चुना जाता है, तो क्या वह मंत्री या मुख्य मंत्री नहीं बन सकता है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की जो इन्टरप्रिटेशन दी है, उसके तहत जनमत के मुताबिक उस व्यक्ति को छः महीने के भीतर चुनकर आना चाहिए, न कि बिना चुने हुए पुनः नेता बनना चाहिए।

श्रीमती कान्ति सिंह: महोदय, सरकार इस बात को जानती है कि बहुत सारे केसेज उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में पैंडिंग हैं। बहुत सारे केसेज पांच-दस सालों से पैंडिंग हैं और बाप-दादा और बेटे तक केस चलते आए हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। आपने कहा है, छः महीने के अन्दर किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूं कि अगर यह जयललिता जी के बारे में है, उन्होंने याचिका दायर की है, अपील की है कि हमें छः महीने के अंदर इसका डिसीजन दिया जाए। अगर छः महीने के अंदर उसका कोई डिसीजन नहीं होता है तो फिर उनके पास क्या चारा है? *...(व्यवधान)* क्या सरकार ने इसका निर्णय लेने का कोई प्लान बनाया है कि केस का समाधान हो सके?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, इस प्रकार के किसी भी मामले में संविधान की जो धारा है और उसकी जो भावना है कि अगर कोई व्यक्ति छः महीने के भीतर सदस्य बनता है तो वह अपने पद पर रह सकता है और अगर छः महीने के भीतर नहीं बनता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसे वहां से हटाना होता है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(5), 164(4) के अधीन सवाल आया है। प्रश्न यह पूछा गया कि सरकार ने एतत् संबंधी अनुच्छेद और इसके लिए किए जा रहे व्यवहार पर कोई अध्ययन किया है। सरकार का उत्तर है कि हाल में जो छः-सात दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसी का इन्होंने उत्तर दे दिया। इसका मतलब है कि इस पर इन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन व्यवहार में जब इस कानून के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल ने इसे लागू किया और इसका बहाना बना कर, चूंकि इस अनुच्छेद को प्रक्रिया को वहां के राज्यपाल ने लागू किया तो दूसरे कारणों से बहाना बना कर उन्हें हटाने का क्या औचित्य है? आपने इस पर कोई अध्ययन नहीं किया और इस अनुच्छेद पर कोई विचार नहीं किया। वहां के राज्यपाल को आपने हटाने का फैसला किया और हटा दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुद्धरण दे रहे हैं और उसके बाद इस कानून को लागू किया, उसे बहाना बना कर आपने राज्यपाल को क्यों हटा दिया?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, संविधान की दोनों धाराएं बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सरकार और हर व्यक्ति को इसका अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उसका अर्थ क्या है। केवल छः

महीने की अवधि तक कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि छः महीने की अवधि को किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ाया नहीं जा सकता। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने का संविधान के नियम के साथ कोई संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेगी या उसकी कोई और योजना है जैसे

[हिन्दी]

कि इसे पुनः अपील में जाने का या फुल बैंच के सामने जाने का कोई प्रस्ताव है। इसके कारण कहीं पर भी अगर इलैक्शन कमीशन और कहीं कंफ्लिक्ट पैदा होता है, यानी इलैक्शन कमीशन ने किसी को डिबार किया है।

[अनुवाद]

यदि ढाई महीने बाद वह व्यक्ति मंत्री बन जाता है तब क्या होगा?

श्री अरुण जेटली: श्री सोमैया ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो हिस्से हैं। भाग (क) : क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील करने का है। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करे। क्योंकि हमारा यह मानना है कि शायद यही संवैधानिक प्रावधानों की सही व्याख्या है।

दूसरा प्रश्न जो कि पहले से सम्बद्ध नहीं है वह यह है कि क्या एक अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति इस प्रावधान का लाभ ले सकता है या नहीं। यह उच्चतम न्यायालय के पास पहले से ही लम्बित मामले से संबंधित है और सरकार इस मामले में उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को स्वीकार करेगी।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है वह छः महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, लेकिन हमारे देश में हर प्रदेश की स्थितियां अलग-अलग हैं। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां विधान परिषद् है और विधानसभाएं हैं तथा बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां केवल विधानसभा है, विधान परिषद् का गठन नहीं हुआ।

क्या यह करने पर विचार कर रहे हैं जिससे समान अवसर सब को मिल सकें। जहां एमएलसी और एमएलए तथा विधान सभा, विधान परिषद दोनों हैं वहां किसी भी हाउस का वह सदस्य होगा तो उसे अवसर मिल जाएगा लेकिन जहां विधान परिषद नहीं है, केवल विधान सभा है, वहां पद ग्रहण करने का एक ही माध्यम है। जहां ये विषमताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आप सक्षम कानून लाने का विचार या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, ये जो संविधान की दोनों धाराएं केन्द्र और राज्यों के संबंध में हैं, इसका संवैधानिक और राजनैतिक एक अच्छा आधार है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री, प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री बनना हो तो वह सीमित काल के लिए ही पद ग्रहण कर सकता है। उसे छः महीने के भीतर जनमत प्राप्त करके सदस्य बनाना पड़ेगा। इस आधार से सरकार से सहमत है। जिन राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं, उनका इससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रॉवीजन को बदलने का अभी सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि कहीं केवल विधान सभाएं ही हैं। इस भिन्नता को दूर करने के लिए आप कोई कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं या दूर करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय: इसका जवाब मंत्री जी ने दिया है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: इसका जवाब नहीं आया है। यह एक अहम सवाल है। ऐसी कई प्रदेशों के सामने समस्याएं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर दे चुके हैं। मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस समय सरकार के सामने इस स्थिति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है चाहे वह विधान सभा का हो या विधान परिषद का हो।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, इस असमानता को पूरा देश देख रहा है और इसे दूर करने के संबंध में आपके पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मंत्री बनने के लिए सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना है। नागरिकता के संबंध में कोई अपवाद नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कुछ शर्तें लगाई गई हैं। निर्वाचन आयोग ने भी नई व्याख्या की है कि आरोपित को रोका जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने हाल में दोषसिद्धि और सजा में अन्तर स्पष्ट किया है। साधारणतया न्यायालय दोषसिद्धि में स्थगनादेश नहीं देगा। अब, पिछले चुनाव में दो मामले सामने आये। एक मामला तमिलनाडु का है जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री का नामांकन-पत्र इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वे नागरिकता से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करते थे, जबकि केरल राज्य में एक व्यक्ति का नामांकन-पत्र इस आधार पर स्वीकृत कर लिया गया कि चूंकि उनका विधानसभा सदस्य बनाना तय था। अत: एक विधायक और एक नागरिक होने में अन्तर किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया यह समझिए कि यह प्रश्न मंत्रिमंडल में एक गैर-सदस्य के होने से संबंधित न होकर विधानसभा का सदस्य होने से संबधित है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। एक नागरिक होने के अलावा विधानसभा का सदस्य होना एक मूलभूत योग्यता है। एक सदस्य होने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ शर्तें और परंपराएं हैं। इसकी व्याख्या करते समय दो नागरिकता अधिकार सामने आते हैं। एक विधानसभा सदस्य उस स्थिति में भी चुनाव लड़ सकता है जब उसकी दोषसिद्धि पर कोई स्थगनादेश भी न दिया गया हो जबकि एक सामान्य नागरिक दोषसिद्धि या सजा सुनाए जाने की स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकता।

स्थिति यह है। क्या इसकी अलग ढंग से व्याख्या की जा सकती है? यदि वह आम नागरिक है तो वह चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो जाता है, और यदि वह विधान मंडल का सदस्य है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। क्या सरकार इस विचित्र स्थिति पर गौर करेगी? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए आपका क्या प्रस्ताव है? निर्वाचन अधिकारी इसकी गलत ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, जैसाकि तमिलनाडु और केरल में हुआ है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय नागरिक की अर्हता क्या है? इस संबंध में सरकार का क्या रुख है? क्या सरकार इस संबंध में कोई विधेयक लाएगी या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेगी? कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अरुण जेटली: महोदय, इसका उत्तर उतना जटिल नहीं है जितना कि प्रश्न को देखने से प्रतीत होता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: प्रश्न जटिल नहीं है वरन् बहुत सीधा है। लेकिन नागरिकता का मामला भिन्न है। नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लेकिन विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। यह विचित्र स्थिति है।

श्री अरुण जेटली: हमारे यहाँ के कानून के अंतर्गत नागरिकता के साथ बहुत से अधिकार भी प्राप्त होते हैं। कुछ मामलों में संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों के अधीन चुनाव लड़ने का अधिकार वापस ले लिया जाता है। श्री राधाकृष्णन ने जो अंतर बताया है वह तमिलनाडु के मामले और केरल के मामले के बीच है। तमिलनाडु का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के उपबंधों के अंतर्गत आता है जिनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध पाया जाता है, तो वह दोषसिद्धि मात्र के कारण चुनाव लड़ने से विवर्जित हो जाता है। यह बात संभवत: उस प्रश्न पर आधारित है। मैं इस विषय पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

केरल के मामले में निर्वाचन अधिकारी ने अपना आदेश धारा 8(3) के आधार पर न दे कर धारा 8(4) के आधार पर दिया। यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) के अंतर्गत आता था क्योंकि धारा 8(4) ही वह उपबंध है जो वर्तमान सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, और धारा 8(3) वह उपबंध है जो उन लोगों पर लागू होता है जो सांसद और विधायक नहीं हैं। कानूनी स्थिति के अनुसार दोनों मामलों में यही अंतर है और इसीलिए दो अलग-अलग निर्वाचन अधिकारियों ने दो भिन्न स्थितियों में अलग-अलग निर्णय दिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाए जाने के समय से अब तक यही कानून है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या दोहरे नागरिकता अधिकार हो सकते हैं? मेरा प्रश्न यह है *...(व्यवधान)* दोहरे अधिकार हैं। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा-सा है। क्या चुनाव लड़ने के संबंध में विधान मंडलों के सदस्यों को दिये जाने वाले विशिष्ट अधिकारों से देश के आम नागरिकों को दिये जाने वाले अधिकार भारत में ही नागरिकों के लिए दोहरे हो सकते हैं? आप उत्तर देने से स्वयं को साफ बचा गए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उच्चतम न्यायालय के निर्णय की हाल में की गई व्याख्या यह है कि कोई भी गैर-सदस्य छह महीने की अवधि के बाद मंत्रिपरिषद में तब तक नहीं रह सकता है जब तक कि उसे निर्वाचित न किया गया हो। 'निर्वाचित' शब्द है। यदि किसी सदस्य को किसी सदन के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है

और वह सदस्य के रूप में विधानमंडल का अभिन्न अंग बन जाता है, तो क्या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में मंत्रिपरिषद में कोई पद ग्रहण कर सकता है? मेरा प्रासंगिक प्रश्न है। क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर भी विचार करेंगे?

माननीय प्रधान मंत्री जी ने राज्य और केन्द्र सरकार दोनों ही मामलों में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। क्या मंत्री महोदय राज्य और केन्द्र में सरकार की उत्कृष्ट छवि बनाए रखने के लिए कोई ऐसा उपयुक्त विधेयक लाए जाने पर विचार करेंगे कि ऐसा कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल न हो जिसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध का आरोप हो या अदालत में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला हो और जब तक कि विचारण समाप्त न हो वह राज्य या केन्द्र सरकार की मंत्रिपरिषद में न रहे। क्या आप इन सुझावों पर विचार करेंगे?

श्री अरुण जेटली: श्री दासमुंशी ने दो अलग-अलग मुद्दे उठाए हैं। एक नामनिर्दिपट सदस्यों से संबंधित है। यह स्वयं एक बहस का प्रश्न है। मैं इस संबंध में कोई राय नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि इस मुद्दे को नहीं उठाया गया है। उपयुक्त समय पर इस मुद्दे को उठाए जाने की स्थिति में इस पर विचार करना होगा।

उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो, मंत्रिपरिषद में सदस्य बने रहना चाहिए या पात्रता बरकरार रखी जानी चाहिए या इसे विवर्जित कर दिया जाना चाहिए। गत कई वर्ष से इस प्रश्न पर बार-बार बहस की गई है। विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं। एक मत के अनुसार जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाए उसे मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं रहना चाहिए। दूसरे मत के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अदालत में आरोप निर्धारित किए जाने के तुरंत बाद से मंत्रिपरिषद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। विधि आयोग ने एक सिफारिश की है। निर्वाचन आयोग ने कतिपय सिफारिशें की हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक पार्टियों की एक बैठक आयोजित की थी और उनके विचार मांगे थे कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया हो, या उसके खिलाफ आरोप तय किए गए हों तो क्या उसे चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने से विवर्जित किया जाये या नहीं। जब यह प्रश्न उठाया गया तो श्री प्रियरंजन दासमुंशी की पार्टी सहित अधिकांश राजनैतिक पार्टियों ने निर्वाचन आयोग के उस सुझाव का विरोध किया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने अपना प्रश्न सरकार से पूछा था, किसी पार्टी से नहीं। सरकार इस प्रश्न से बचने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में सरकार की कठिनाई को मैं समझ सकता हूँ।

श्री अरुण जेटली: कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बिना हम लोग संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम समर्थन करेंगे। आप प्रस्ताव लाइए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में मुकदमे लंबित होने पर उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। मामले को छह महीने में नहीं निपटाया जा सकता है। इसी कारण से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य में जनादेश का बहुमत प्राप्त हो मंत्रिपरिषद में शामिल होने या सरकार का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं है। क्या हम प्रक्रिया को तथ्य से अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं? इस प्रक्रिया को अपनाकर हम उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक कर उसे मंत्रिपरिषद में शामिल होने से रोक रहे हैं और तथ्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। क्या यह उचित है? यह संसद, जो इस समस्या को समझ सकती है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि यही कानून है और इसलिए इसको इस तरह सुना होगा। क्या हम इस समस्या के समाधान को तलाशें? क्या यह संसद, जो इस देश की सर्वोच्च संस्था है, मौन बनी रहे और केवल प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों के ही उत्तर देती रहें और तथ्यपरक प्रश्नों पर चर्चा न करे?

श्री अरुण जेटली: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न उठाने के लिए मैं श्री शिवराज पाटील का आभारी हूँ। यही वह प्रश्न है जिस पर इस सम्माननीय सभा को विचार करना है। इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें अपने दलगत दृष्टिकोण से ऊपर उठकर देखना होगा। हमारे सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और पाटीलजी मेरे साथ उन स्थितियों पर गौर फरमायेंगे—जहाँ हमें बताया गया कि किसी व्यक्ति को पद केवल इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ आरोप-पत्र लंबित हैं। इस प्रश्न पर सदन की कार्रवाई में सत्र दर सत्र व्यवधान उत्पन्न किया गया।

अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध पाया गया है तो सिर्फ इसलिए कि मामले का निपटान या अपील का निपटान नहीं किया जा सकता है, आप उस व्यक्ति को पद ग्रहण करने के अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें मौजूदा परिस्थितियों से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। व्यापक परिप्रेक्ष्य यह है कि हमें दो मुद्दों में से एक को चुनना होगा। एक मुद्दा जनादेश का है और जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से संबंधित है। जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कुछ गंभीर मुद्दों के लंबित रहने के कारण नैतिकता संबंधी कारणों से विश्वास न होने की वजह से, क्या ऐसे व्यक्तियों को अपने पदों पर बने रहना चाहिए, तो मेरा सुझाव है कि हम इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कर सकते हैं। यदि माननीय सभापति जी समय आबंटित करें तो हम इन दोनों मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं कि इनके बीच कोई स्पष्ट विरोधाभास है या नहीं, और यदि हम इस बारे में व्यापक आम सहमति बना सकें तो हम निश्चित तौर पर इस बारे में अपना विचार बना सकते हैं। हम हर सत्र के बाद अपने दृष्टिकोण इस प्रकार नहीं बदल सकते हैं कि किन व्यक्तियों के खिलाफ केवल आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो उनके प्रति एक प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाए और जिन्हें वस्तुत: स्पष्ट तौर पर दोषसिद्ध घोषित किया गया हो उनके प्रति दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाए।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें

*442. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने रेलवे से कोयले के परिवहन प्रभार को कम करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले के परिवहन प्रभाग को कम करने से संबंधित सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) व्यय सुधार समिति ने रेलवे से संबंधित कोई संदर्भ रेल मंत्रालय को नहीं दिया है।

(ग) इस समय कोयले के परिवहन प्रभार को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: मेरा सवाल है कि क्या व्यय सुधार आयोग ने रेलवे से कोयले के परिवहन शुल्क को कम करने का आग्रह किया है या नहीं। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इस संदर्भ में आयोग ने कोई जिक्र नहीं किया है। बल्कि, यह बात समाचार-पत्रों में आई है कि आयोग ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह इस मामले पर विचार करे और इस शुल्क को कम करने के उपायों का पता लगाए। आयोग की सिफारिशें न होने की स्थिति में भी क्या केन्द्र के पास कोयला परिवहन शुल्क को कम करने के लिए राज्य सरकारों, कोल इंडिया की श्रमशक्ति और अन्य एजेंसियों को साथ लेने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में यह कहा है कि एक्सपैंडीचर रिफोर्म्स कमीशन ने इस तरह का कोई रेफरेन्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को नहीं भेजा है। लेकिन जहां तक एक्सपैंडीचर रिफोर्म्स कमीशन का सवाल है, उन्होंने कोल मिनिस्ट्री को कहा है।

कोल मिनिस्ट्री को दो-तीन बातें उन्होंने कही हैं। उसमें एक बात का संबंध कोल के टैरिफ से है। उन्होंने कोल कंपनीज को कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को कहा है कि कोल कंपनीज के साथ टेकअप करें, इनके पास सरप्लस मैनपॉवर है, उसको समाप्त करें। उन्होंने यह भी कहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल को कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो उनकी रॉयल्टी का मसला है, उसको परस्यू करिये और उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से कोल के टैरिफ के बारे में परस्यू करिये। जहां तक सीधे कोई रेफरेन्स हमारे पास नहीं आया है लेकिन कोयला मंत्रालय की तरफ से रेलवे मंत्रालय को समय-समय पर यह बात कही जाती रही है कि कोयले की जो भाड़े की दर है, उसको घटाया जाए। लेकिन रेलवे के साथ भी लाचारी है और रेलवे इस स्थिति में नहीं है कि आज जो कोयले की ढुलाई की दर है, उसको रेलवे घटा सके और इसका क्या आधार है, उसके संबंध में बार-बार जब भी उस मंत्रालय के साथ पत्राचार हुआ उसमें इस बात को बता दिया गया। आज स्थिति यह है कि कुल मिलाकर जितना भी हमारा फ्रेट ट्रैफिक है, जो भी माल का यातायात है रेलवे का, उसका अकेले 47 प्रतिशत कोयला है और जो कुल आमदनी होती है फ्रेट ट्रैफिक से उसका कुल 44 प्रतिशत कोयले से होता है। अगर एक परसेंट भी भाड़ा दर घटाया जाएगा तो कोई 112 करोड़ के करीब उसका नुकसान रेलवे को होगा। इसलिए रेलवे इस स्थिति में नहीं है। जहां तक कोयले की दर बढ़ी है जिस रेट से कोयले की दर बढ़ी है उस रेट से उसका टैरिफ रेट नहीं बढ़ा है।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या सरकार को अहसास है कि जो कोल का टैरिफ है बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से थर्मल प्लांट्स में अलग-अलग स्टेट्स में जहां कोयले के टैरिफ के ज्यादा होने से स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा बर्डन हुआ है और इलैक्ट्रिसिटी

के चार्जेज ज्यादा हुए हैं और लोगों पर ज्यादा भार पड़ा है, उसको कम करने के लिए क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल है कि कोल के लिए टैरिफ कम किया जाए?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया। रेलवे के लिए कोयले का फ्रेट रेट घटाना मुमकिन नहीं है। जहां तक कोयले की जो दर है वह जिस गति से बढ़ी है, अगर ई.सी.एल. को लें तो उसका रेट बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में 160 से 165 प्रतिशत और जहां तक कोयले का फ्रेट रेट है, वह कुल 104 प्रतिशत बढ़ा है। ताल्चेर में उनकी दर बढ़ी है। 119 प्रतिशत और फ्रेट रेट बढ़ा है 104 प्रतिशत। इस प्रकार से अकेले रेलवे जो मूवमेंट में चार्ज करती है, उसके चलते कोयले की दर नहीं बढ़ी है। उसके साथ कोई तारतम्य नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: यह सच है कि भारतीय रेल से सबसे अधिक माल ढुलाई कोयले की होती है। गत वर्ष कोयले की ढुलाई से रेलवे को लगभग 11000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। यह कुल यात्री किराया से होने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा है। यह भी सच है कि भारतीय रेल की माल-ढुलाई की दर विश्व में सबसे अधिक है। माल ढुलाई दर अधिक होने के कारण ही हमारे देश में विद्युत उत्पादन की लागत भी अधिक है। झरिया कोयला खान से बदरपुर विद्युत केन्द्र तक एक टन कोयले की ढुलाई दर ...*(व्यवधान)* लगभग एक टन कोयले के मूल्य के बराबर है। जी हां, कोयले में पत्थर भी है।

व्यय सुधार समिति ने माल-भाड़े में कमी करने की सिफारिश नहीं की है, बल्कि उसने कोयला परिवहन शुल्क को तर्कसंगत बनाने की बात कही है। उसने कोयला मंत्रालय से कहा है कि वह कोयला उत्पादन की दिन-ब-दिन बढ़ती उत्पादन लागत के कारण शुल्क को तर्कसंगत बनाने के मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाए। उसके कारण कुछ कोयला कम्पनियाँ घाटा उठा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या रेल मंत्रालय कोयले की ढुलाई को तर्कसंगत बनाने और उसकी ढुलाई में वृद्धि लाने की दृष्टि से कोयला ढुलाई दर को कम करने पर विचार करेगा।

गत वर्ष आयातित कोयले पर दस प्रतिशत की रियायत दी गई थी। इस वर्ष इसे वापस ले लिया गया है। अब आयातित और स्वदेशी दोनों ही कोयलों का मालभाड़ा बराबर है। क्या आप कोयला कंपनियों के बोझ को कम करने और कोयले की माल ढुलाई बढ़ाने के लिए कोयले की ढुलाई दर को तर्कसंगत बनाने और इसकी कम होती ढुलाई में बदलाव लाने पर विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, बसुदेव आचार्य जी, एक्सपेंडीचर रिफार्म्स कमीशन की रिक्मेंडेशन की यहां वकालत कर रहे हैं, यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है।

श्री बसुदेव आचार्य: हम वकालत नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो फ्रेट रेट के रैशनलाइजेशन की बात कह रहे हैं। हम उसकी रिक्मेंडेशन का समर्थन नहीं करते हैं।

श्री नीतीश कुमार: फिर तो अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य एक्सपेंडीचर रिफार्म्स कमीशन की रिक्मेंडेशन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उनका पूरे का पूरा प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, एक्सपेंडीचर रिफार्म्स कमीशन ने तीन रिक्मेंडेशन की हैं। हालांकि उसका कोई रैफरेंस नहीं आया है। हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है, तो हमें यह मालूम हुआ है कि सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि कोल मिनिस्ट्री को अपनी कोल कंपनियों से बात करनी चाहिए और जो सरप्लस मैन पावर है उसको एलीमिनेट करना चाहिए। क्या आप उसको एक्सैप्ट करेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं। हमने फ्रेट रैशनलाइजेशन की बात कही है। उसके बारे में बताइए।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार: मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: प्रश्न मालभाड़े से संबंधित है न कि कामगारों की संख्या कम करने से।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: दूसरी रिक्मेंडेशन कमीशन ने यह की है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ कोल मिनिस्ट्री रायल्टी और लेवी के मसले को टेक-अप करे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं।

श्री नीतीश कुमार: जब आप दो चीजों के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर तीसरी चीज की बात क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो कही है वह रेलवे द्वारा फ्रेट रेट को रैशनलाइज करने की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वह मुझे उत्तर नहीं देने दे रहे हैं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी वरिष्ठ सदस्यों के साथ यही समस्या है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रैशनलाइजेशन की बात कही है। अगर पिछले 10 साल का हिसाब

देखें, तो कोयले का फ्रेट रेट एवरेज बढ़ा है वह 7.6 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है। जो रेलवे की अपनी आपरेशनल कास्ट है वह लगभग 13 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। यानी रेलवे की जो इनपुट कास्ट है वह 13 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है और कोयले की ढुलाई का रेट मात्र 7.6 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ा है। रेलवे बल्क में जिस सामान की ढुलाई करती है उसके प्रति टन रेट मैं बताना चाहता हूं, डीजल का 925.70 रुपए, आयरन स्टील का 682.90 रुपए, सीमेंट का 497.30 रुपए है और कोल का 454.40 रुपए है। इस प्रकार से देखें, तो ऐसा नहीं है कि कोयले की ढुलाई का रेट बहुत ज्यादा है। इसका जो इन्क्रीज फ्रेट रेट है वह भी ज्यादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीसरी बात पूछी थी कि रेलवे ने इम्पोर्टेड कोल को कंसैशन दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई कंसैशन रेलवे ने इम्पोर्टेड कोल को अब नहीं दिया है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी रेलवे समाज और इंडस्ट्रीज का अविभाज्य अंग है। ऐसा होते हुए पिछले तीन सालों में रेलवे को ढुलाई में जो धन प्राप्त हुआ क्या उसमें कमी आई है या वृद्धि हुई है। यानी सन् 1999 में जो धन प्राप्त हुआ वह सन् 2000 से ज्यादा हुआ या कम, अथवा सन् 2000 में जो धन प्राप्त हुआ वह 2001 में प्राप्त हुए धन से कम था या ज्यादा, यानी क्या रेलवे ने इस क्षेत्र में क्या प्रगति की है और इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रेलवे ने माल ढुलाई करने और नई रेलवे लाइन बिछाने की भी क्या कोई व्यवस्था की है या नहीं?

श्री नीतीश कुमार: हर साल रेलवे की जो कमाई होती है, वह बढ़ रही है। जैसा मैंने कहा कि जो पूरा फ्रेट ट्रैफिक है, उसका 47 परसेंट कोयले का है और फ्रेट ट्रैफिक की जो आमदनी है, उसका 44 परसेंट कोयले से आता है, इसलिए यह आमदनी बढ़ती जाती है, ढुलाई भी बढ़ती जाती है। नई लाइन डालना तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं अपने माननीय मंत्री से सहमत हूँ। लेकिन प्रश्न है कि उन्हें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि कोयला उद्योग में दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है। जैसाकि उन्होंने ठीक ही कहा है, आयात लागत बढ़ती जा रही है, किंतु बिक्री से उस अनुपात में पैसा नहीं आ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्हें कोयला मालभाडा पर फिर से विचार करना होगा।

देश में अधिकांश ताप विद्युत परियोजनाएं आजादी के तुरंत बाद राजनीतिक आधार पर शुरू की गई थी। ऐसी एक भी परियोजना नहीं है जो खानों के मुहाने पर शुरू की गई हो। सभी तीन सौ से पांच सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देश में जल विद्युत और ताप विद्युत में संतुलन नहीं है। विश्व में उसका अनुपात 60 : 40 का है—जल विद्युत 60 और ताप विद्युत 40। हमारे देश में यह ठीक विपरीत है: अर्थात् यह अनुपात 40 : 60 का है। यही कारण है कि सरकार के दोनों मंत्रालयों—रेल और कोयला को संयुक्त रूप से इसे देखना होगा। आपने ठीक ही कहा है कि यह आपकी माल ढुलाई का 44 प्रतिशत है। लेकिन अब कई क्षेत्रों में कोयले की ढुलाई सड़क मार्ग से होने लगी है। इससे उनको मालभाड़े का नुकसान हो रहा है। इसलिए, उनको कुछ हद तक इसमें रियायत देनी चाहिए।

मैं कोयला राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक के रूप में इस विषय की जांच कर रहा हूँ और मेरी रिपोर्ट इस सभा में शीघ्र ही आएगी। हम सभी कोयला खानों तक जा चुके हैं। हमने सभी यूनियनों से बात की है। हम सभी मर्चेन्ट एसोसिएशनों से मिले हैं। आपके निर्देशानुसार हमने उपभोक्ता संगठनों की भी जांच की है, महोदय।

इसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे संकीर्ण विचार न रखें। एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते उनके पास जो सुझाव आ रहे हैं उन पर उन्हें विचार करना चाहिए। विषयवस्तु की जाँच करने के बाद हम उनको अवसर प्रदान करेंगे जहाँ से वे मेरे मित्र श्री बसुदेव आचार्य द्वारा इसमें बदलाव लाने के लिए सुझाए गए उपायों को कुछ युक्तिसंगत बना सकेंगे। जिसके द्वारा वह कोयले की ढुलाई को तर्कसंगत बना सकेंगे और तब परिवर्तन स्वरूप उसे हमारे मित्र श्री बसुदेव आचार्य अपना समर्थन प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, रेलवे तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह माल की ढुलाई करती है। बाकी पावर सिनेरियो के बारे में, कोल कम्पनीज की खस्ता हालत के बारे में हम आन्सर करने के लिए काम्पीटेंट नहीं हैं। एक ट्रांसपोर्टर के नाते रेलवेज के सामने भी कठिनाइयां हैं। जैसा हमने बताया कि अगर फ्रेट रेट में एक परसेंट का रिडक्शन करें तो इसके इम्पैक्ट में 112 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। पहले से ही जो फ्रेट बिजनेस से आमदनी होती है, वह क्रास सब्सीडाइज होती है, पैसेंजर बिजनेस से और अदर कोचिंग बिजनेस से यह सब्सीडाइज हो रही है। इसके ऊपर क्रास सब्सिडी है। सिर्फ अगर एक आंकड़े के मुताबिक पैसेंजर बिजनेस को देखें तो

चार हजार करोड़ रुपये की क्रास सब्सिडी है। आपने कहा कि रेलवे को सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सदन से कहना चाहते हैं और माननीय सदस्य को यह कहना चाहते हैं कि रेलवे के बारे में भी कुछ सोचिए। ...*(व्यवधान)* थोड़ी स्थिति जान लें कि जो बिजली का रेट है, अगर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के पूरे देश के रेट लेकर एवरेज निकालें, उनके कामर्शियल रेट पर किलोवाट ऑवर के एवरेज टैरिफ को देखें तो 341.20 पैसे वे कामर्शियल से लेते हैं। इंडस्ट्रियल से 360.23 पैसे लेते हैं, वहीं रेलवे से 420.76 पैसे लेते हैं। रेलवे से वे हाइएस्ट चार्ज करते हैं। आप अगर उसकी बात कर रहे हैं तो रेलवे कोयला तो ढो देती है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग लोगों के पास पड़ा हुआ है, अगर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और सब पावर स्टेशंस को ले लें तो 30 जून, 2001 के दिन 1495.54 करोड़ रुपया हमारा उनके ऊपर आउटस्टेंडिंग है।

एक तरफ क्रास सब्सिडी, दूसरी तरफ बिजली का चार्ज रेलवे को सबसे ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए आउटस्टेंडिंग, क्रास सब्सिडी आदि चीजें देख कर भी अगर हम एक प्रतिशत भी भाड़ा दर कम करते हैं तो रेलवे को 112 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इससे रेलवे पूरी तरह घाटे में चली जाएगी। इसलिए इस परिस्थिति को आप समझ सकते हैं।

[अनुवाद]

कुओं से तेल प्राप्त करने की दर

*443. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश विद्यमान तेल के कुओं से प्राप्त करने की दर 25 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच है जबकि अधिकांश विकसित देशों में यह दर 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा तेल क्षेत्रों की क्षमता को प्रभावित किए बिना तेल क्षेत्रों से तेल प्राप्ति घटक में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) किसी क्षेत्र का तेल निकासी घटक तेल का वह अनुमानित प्रतिशत होता है जो उसमें विद्यमान कुल तेल आयतन में से उत्पादित किया जा सकता है। निकासी घटक अन्य बातों के साथ-साथ रिजर्वायर का भूविज्ञान, ड्राइव मकेनिज्म, पेट्रोफिजीकल लक्षणों और तेल की विशिष्टताओं और प्रयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकियों जैसे अन्य घटकों, किए गए निवेश और लागू राजकोषीय व्यवस्था जैसे आंतरिक घटकों पर निर्भर है। भारत में क्षेत्रों के लिए सामान्य तेल का अनुमानित औसत निकासी घटक फिलहाल लगभग 28 प्रतिशत है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के क्षेत्रों के लिए तेल निकासी घटक 15 प्रतिशत से 54 प्रतिशत, आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) क्षेत्रों के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और संयुक्त उद्यम/निजी क्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 11 प्रतिशत से 55 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय रूप से सामान्य तथा 15 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच की शृंखला में क्षेत्र-दर-क्षेत्र निकासी घटक में समान रूप से व्यापक अंतर होता है।

(ग) राष्ट्रीय तेल कंपनियां (एन ओ सीज) ओ एन जी सी और ओ आई एल वैज्ञानिक ढंग से तेल उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिए वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाएं चलाती हैं और इस प्रकार निकासी घटक में वृद्धि करती हैं, निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालित क्षेत्रों के लिए तेल उत्पादन संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के तहत व्यवस्था की गई विकास योजना की शर्तों पर होता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि हिन्दुस्तान के ऑयल पूल में 16,000 करोड़ रुपये का घाटा चल रहा है और हमारा औसत उत्पादन 28 प्रतिशत है। विदेश में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक उत्पादन होता है। ओ.एन.जी.सी. और ऑयल इंडिया लि. ही देश में कुओं की खुदाई और एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं। कई कारण हैं जिससे उत्पादन कम होता है। इनमें कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जिसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तक ऑयल इंडिया लि. ही कुएं खोदती आई है। पिछले दिनों ब्लाक नम्बर ए.एफ.ओ.एन.एन./2000/ए, तेजपुर, असम डिवीजन में ऑयल इंडिया लि. ने टेंडर कोट किया था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खुदाई और एक्सप्लोरेशन के लिए ऐसी कौन सी वजहें थीं, जिसके कारण उसका टेंडर कंसिडर नहीं किया गया और यू.एस.ए. की एक कम्पनी हार्डी एक्सप्लोरेशन को उसका ठेका दे दिया गया? क्या उनकी बिड ज्यादा थी या वह खुदाई का काम ठीक से नहीं करती थी?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, यह एक सर्वसामान्य प्रश्न है कि कितनी रिकवरी है और कैसी है। माननीय सदस्य ने कहा है

कि केवल ऑयल इंडिया लि. ही खुदाई करती है, यह बात सच नहीं है। उसके साथ और उससे ज्यादा ओ.एन.जी.सी. भी खुदाई करती है। ये दोनों सरकारी उपक्रम हैं और इनके अलावा कई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ रही हैं। हम खुदाई के काम को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके कारण देश का उत्पादन बढ़े। आपने यह भी कहा कि हमारा औसत उत्पादन का प्रतिशत कम है और विदेश में ज्यादा है। मोटे तौर पर हमारे और उनके यहां अपने-अपने भू स्तर पर भी यह निर्भर करता है। जैसे जमीन के नीचे रेत है, पत्थर है, इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए ज्यादा तुलना इसमें नहीं की जा सकती। ऑयल इंडिया लि. का एक बिड क्यों नहीं मंजूर किया गया, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि एन.इ.एल.पी. के तहत जो बिड मांगी थी, वह इंटरनेशनल बिड्स थीं। उसका इवेल्यूशन करने के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति ने, जो सबने मिल कर कोट किया है, सबसे बेहतरीन जिसने कोट किया, उसको काम दिया है।

श्री चन्द्र भूषण सिंह: मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। ऑयल इंडिया लि. ने प्रतिवेदन किया है कि हमारा टेंडर भी कम था, हमारे नार्म्स भी कम थे, पैसा भी कम मिलना था, फिर भी हमें ठेका न देकर अमेरिकन कम्पनी को दे दिया गया। क्या उन्होंने प्रतिवेदन किया है या नहीं? अगर उनका टेंडर कम था तो उनको क्यों नहीं कंसिडर किया गया?

श्री राम नाईक: यह बात सही है कि ऑयल इंडिया लि. ने प्रतिवेदन किया है, लेकिन यह सही नहीं है कि उसका सबसे बेहतरीन, एक्सेप्टेबल था। जिसका टर्म सबसे अच्छा होता है, उसको बेहतरीन कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन की टर्म्स ऑयल इंडिया बिड में जो थीं, वे योग्य नहीं थीं और इसलिए उस बिड पर विचार नहीं किया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तरित बरण तोपदार, अब आप विषय से संबंधित पूरक प्रश्न कर सकते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि ''बेहतरीन'' का मतलब क्या है। इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। अन्यथा, उत्तर स्पष्ट नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: बेहतरीन का इंगलिश में 'दि बैस्ट' ट्रांसलेशन होता है,

[अनुवाद]

जब बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, तो जिसकी शर्तें सबसे अच्छी होती हैं, उन्हें ही स्वीकार किया जाता है। अन्य निविदाओं में, जहाँ मालों की आपूर्ति की जाती हों, उनमें जिनकी निविदा राशि में सबसे कम मूल्य मांगा जाता है, उन्हें ही स्वीकार किया जाता है, किन्तु जब खोज के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, तो जिस निविदा की शर्तें सबसे उत्तम होती हैं उसे ही स्वीकार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्नों की सूची में सूचीबद्ध क्रम संख्या 447 का मेरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जब मैंने सरकार से पूछा था कि क्या वह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने जा रही है, तो मंत्रीजी ने उत्तर दिया था कि यह सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल है। उन्होंने अपने जवाब में यह बात भी कही है कि इस मामले को संविधान समीक्षा समिति को सौंप दिया गया है। इसे संविधान समीक्षा समिति से कोई लेना-देना नहीं है। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी को मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर देना चाहिए। अन्यथा, उन्हें इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

महंगा न्याय

*444. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महंगी तथा दुर्वह कानूनी व्यवस्था के कारण दलित, पिछड़े तथा गरीब लोग न्याय से वंचित हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन वर्गों के लोगों को त्वरित तथा कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, नहीं। निर्धन व्यक्तियों को कम खर्चीला न्याय दिलाने की दृष्टि से विधिक सेवा के उपबंध विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन किए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12

के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति, स्त्री या बालक, मानसिक रूप से अस्वस्थ और नि:शक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में है और सभी अन्य व्यक्ति जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो 25,000/- वार्षिक से कम और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है 50,000/- वार्षिक उपार्जन कर रहे हैं, निशुल्क विधि सेवा प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी नागरिक को आर्थिक या अन्य निशक्तताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जा सके, समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के सतत् उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि प्रणाली के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन हो सके, लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, यथासंशोधित के अधीन राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण विधिक साक्षरता के संवर्धन, विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों में विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापना करने, पराविधिकों के प्रशिक्षण और विधिक सहायता शिविर तथा लोक अदालतें आयोजित करने जैसे अनुनादि विधिक सेवा कार्यक्रम स्थापित करने के लिए उपाय कर रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति और स्कीम बना रहा है।

(ग) सिविल और दांडिक दोनों प्रकार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की पद संख्या में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण और माध्यस्थम् तथा सुलह जैसे विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाया जाना सम्मिलित है। लोक अदालतों को विवादों के समाधान के लिए अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार दिया गया है।

प्रक्रिया संबंधी विधि का संशोधन एक निरंतर प्रक्रिया है। दो विधेयक अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 संसद् में पुर:स्थापित किए गए हैं जो, संसद् के समक्ष विचारार्थ लंबित हैं। सरकार ने दांडिक न्याय प्रणाली को नया रूप देने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए हाल ही में न्यायमूर्ति श्री वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

सरकार ने लंबे समय से लंबित सेशन संबंधी मामलों और जेलों में बंद विचारणाधीन कैदियों के मामलों को पूर्विकता पर शीघ्र निपटाने के लिए 1734 त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए 502.90 करोड़ रुपए की रकम वाली एक स्कीम मंजूर की है। यह स्कीम अप्रैल, 2001 से प्रवर्तन में है।

वर्ष 2001-2002 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार महानगरों में सभी न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की एक मार्गदर्शी परियोजना पर कार्य किया जा रहा है जो देश में अन्य न्यायालयों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करेगी।

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
1	2	3
1.	विधिक सहायता संस्थाओं के संबंध में विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंध	1
2.	विधिक सहायता की मांग	1
3.	विधिक सहायता की हकदारी	2
4.	वे प्रयोजन, जिनके लिए विधिक सहायता दी गई है	3
5.	न्यायालयों में लंबित मामले	
	(1) कारण	4
	(2) उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले	4

1	2	3
	(3) उच्च न्यायालयों में लंबित मामले	5
	(4) अधीनस्थ न्यायालय	5
6.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए अभियान	5-7
7.	जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए अभियान	7-8
8.	लंबित मामलों में कमी लाने के लिए किए गए अन्य उपाय	8-9
9.	स्थगन पर रोक	10
10.	लम्बे समय से लंबित मामलों के विचारण में शीघ्रता लाने के लिए 1734 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम	11-12
11.	न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	12-13
12.	पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायालयोन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	14-15

[अनुवाद]

मुम्बई हाई तेल क्षेत्रों के लिए उद्दीपन पैकेज

***445. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम की भूगर्भीय प्रयोगशाला ने मुम्बई हाई तेल क्षेत्रों के लिए सफलतापूर्वक एक उद्दीपन पैकेज विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैकेज से मुम्बई हाई से तेल की प्राप्ति में दो गुणा वृद्धि हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या ओ.एन.जी.सी. की प्रयोगशाला के दावे का परीक्षण करने हेतु कोई प्रयास किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. ने नए उद्दीपन पैकेज को किस सीमा तक अर्थक्षम तथा विश्वसनीय पाया है; और

(ङ) नये प्राप्ति पैकेज के द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ग) से (ङ) मुंबई स्थित आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) की क्षेत्रीय भूगर्भीय प्रयोगशाला ने मुंबई हाई की एक ऐसी परत-ए-1, जो मुंबई हाई के एल-3 रिजर्वायर की एक उप-परत है, के लिए उद्दीपन पैकेज का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए विस्तृत तकनीकी अध्ययन किए थे। सिफारिशों को दो कूपों के लिए ''प्रायोगिक'' आधार पर कार्यान्वयन किया गया है और दो अन्य ''प्रायोगिकों'' पर 2001 के मानसून के बाद कार्रवाई की जाएगी।

(ख) चूंकि सिफारिशें सारे मुंबई हाई पर लागू नहीं हैं, इसलिए उनके प्रयोग के कारण निकासियों का दोगुना होने का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की खाली पड़ी भूमि का उपयोग

***446. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसका किसी सृजनात्मक प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के उक्त क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा स्थानीय सरकारों को खाली पड़ी भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने अपनी खाली पड़ी भूमि के उपयोग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे की खाली पड़ी भूमि को अवैध कब्जों से सुरक्षित रखने हेतु अन्य कौन से उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं। इस समय रेलों के पास 16,745 हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी हुई है, लेकिन इसकी आवश्यकता भावी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए है।

(ख) जी नहीं। बहरहाल, ऐसे अनुरोधों पर गुण-दोष अथवा मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जहां कहीं व्यावहारिक होता है, रेलवे की खाली पड़ी भूमि को अल्पकालिक उपयोगों जैसे वृक्षारोपण, अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम, रेलवे कार्य आदि से संबंधित प्रयोजनों के लिए अस्थायी लाइसेंस पर दिया जाता है।

(च) खाली पड़ी भूमि को सुरक्षित रखने के अन्य उपायों में खाली भूमि की चारदीवारी और कंटीले तार लगाना, अवैध कब्जों का पता चलते ही उन्हें तुरन्त हटाना और इस दिशा में अधिक सतर्कता बरतना शामिल है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

***447. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए संसद के सामने एक कानून लाने तथा इस प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का प्रावधान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता के प्रमुख कारण कौन से हैं; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा की एक मद राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना से संबंधित है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियां करने के लिए सिफारिश करने और एक आचार संहिता तैयार करने के लिए होगा। सरकार इन मामलों की बाबत कार्रवाई करने के लिए आयोग के गठन के विचार के प्रति वचनबद्ध है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन किये जाने के बारे में व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति पहले से ही है। तथापि, कतिपय ऐसे विषय हैं, जिनके बारे में, विशेष रूप से आयोग की संरचना के बारे में व्यापक आम सहमति के लिए चर्चा की जानी है। संविधान के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के लिए गठित किया गया राष्ट्रीय आयोग पूरे देश में बहस करा रहा है।

हथकरघा विकास योजना

***448. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हथकरघा क्षेत्र/हथकरघा बुनकरों के विकास हेतु क्रियान्वित की जाने वाली प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-02 के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनके अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं पर प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत आज तक राज्य-वार कितने बुनकरों को लाभ हुआ और कितनी हथकरघा इकाईयों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ङ) इन योजनाओं में सुधार हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत मतों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) विद्युत करघा क्षेत्र की चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के संबंध में इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) भारत सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों के विकास तथा कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास और उनके विपणन की स्कीम:

यह स्कीम 1996-97 के दौरान आरंभ की गई थी। स्कीम का उद्देश्य, देश में हथकरघा फैब्रिक के तैयार माल तथा अन्य हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देना था। स्कीम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप देश से हथकरघा परिधानों के निर्यात को बढ़ाने हेतु डिजाइनों के विकास के लिए डिजाइनरों को लगाने सहित आधारभूत विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2000-01 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 400.00 लाख रुपए तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 500.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया था।

(2) मिल गेट कीमत स्कीम तथा राष्ट्रीय हथकरघा विपणन काम्पलैक्स स्थापित करना:

यह स्कीम राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से हथकरघा उत्पादन के लिए बुनकरों की आवश्यकता हेतु (वर्तमान कीमतों पर) मिल गेट पर वर्तमान कीमत पर सभी प्रकार के यार्न की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान आरंभ की गई थी।

यह स्कीम राष्ट्रीय हथकरघा विपणन काम्पलैक्स को स्थापित करने के वर्ष 1985-86 के दौरान स्थापित की गई बुनकरों की समस्याओं को निपटाने हेतु उनके उत्पादों से विपणन के लिए उचित स्थान प्रदान करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. लखनऊ के माध्यम से सारे देश में विपणन काम्पलैक्स स्थापित किये हैं। ये काम्पलैक्सों से बुनकरों को अच्छी बिक्री तथा अधिक आय प्राप्त करने में सहायक होंगे तथा सभी राज्यों को हथकरघा उत्पादों हेतु बड़े बाजार प्राप्त होंगे। वर्ष 2000-2001 तथा चालू वित्त वर्ष के लिए दोनों स्कीमों हेतु 1100.00 लाख रुपयों का संयुक्त रूप से प्रावधान किया जाए, 2001-02 के लिए 7.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(3) राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपों, लिजा स्तर के व्यापार मेलों/त्योहार आदि लगाकर विपणन करना:

देश के अन्दर तथा बाहर हथकरघा उत्पादों का प्रचार करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपों तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वर्ष 1977-78 में एक स्कीम आरम्भ की थी जिसमें हथकरघा बुनकरों को विपणन प्रवाह सिखाने, डिजाइन विकास तथा खरीददारों की रुची जानने तथा उनके विपणन के उत्पादों हेतु आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2000-01 के लिए 550.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था तथा चालू वित्तीय वर्ष में 545.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(4) बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण:

यह स्कीम वर्ष 1986-87 में आरम्भ की गई थी। स्कीम का उद्देश्य कुशल तथा अर्धकुशल श्रेणी के बुनकरों की क्षमता उन्नयन से डिजाइन विकास तथा रंगाई तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी आय तथा समकालिक विपणन योग्य उत्पादों के विकास में वृद्धि करना है वर्ष 2000-01 के लिए 155.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था तथा वर्ष 2001-02 के लिए 150.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त जिसका उद्देश्य उत्पादन के उपायों में सुधार करके बुनकरों को लगातार रोजगार तथा जीवन स्तर में सुधार करना है। भारत सरकार केवल बुनकरों के व्यक्तिगत कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन भी करती है।

(1) *कार्यशाला-सह-आवास स्कीम:* यह स्कीम बुनकरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें आवास तथा एक उपर्युक्त कार्यशाला मुहैया कराने के उद्देश्य से 1985-86 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत अब ग्रामीण कार्यशाला के लिए 7000 रुपये तथा शहरी कार्यशाला के लिएं 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण कार्यशाला-सह-आवास के लिए 18,000 रुपये तथा शहरी के लिए 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। स्कीम के अंतर्गत 1400.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान तथा चालू वित्तीय वर्ष तथा वर्ष 2000-01 के लिए 1500.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया।

(2) *थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम:* यह स्कीम 1985-86 में आरम्भ की गई थी जिसमें बुनकरों के अंशदान से भविष्य निधि की तरह फण्ड बनाना होता है जिससे वे व्यक्तिगत खर्चों को पूरा कर सकें। बुनकर मजदूरी का 8% अंशदान तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारें 4% अंशदान प्रत्येक देंगे। स्कीम के अंतर्गत 300.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, चालू वित्तीय वर्ष तथा वर्ष 2000-01 में 300.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(3) *स्वास्थ्य पैकेज स्कीम:* यह स्कीम 1992-93 में आरम्भ की गई थी। इस स्कीम में बुनकरों की बीमारी के इलाज के लिए, जैसे अस्थमा, टी.बी., स्वास प्रक्रिया में उत्तेजना, चश्मों की खरीद

और आंखों की जांच पर हुई लागत, पीने के पानी की आपूर्ति, परिवार नियोजन उपाय अपनाने के लिए अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए मूलभूत संरचना हेतु बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत 250.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तथा वर्ष 2000-01 के दौरान 300.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(4) *समूह बीमा स्कीम:* समूह बीमा स्कीम बुनकरों के अपने परिवारों के प्रति सामाजिक, आर्थिक दायित्वों को पूरा करने तथा वृद्धावस्था में कार्यकारी क्षमता की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992-93 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत एक बुनकर को 120 रुपये की दर से वार्षिक किस्त पर 10,000 रुपये की बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। किस्त की यह राशि लाभभोगी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से बांट कर चुकाई जाती है। स्कीम के अंतर्गत 150.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष तथा वर्ष 2000-01 के दौरान 300.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(5) *हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा स्कीम:* यह स्कीम 1997-98 में आरंभ की गई थी। स्कीम में विभिन्न प्रकार के जोखिम हेतु 120 रुपये के प्रिमियम पर सुविधा प्रदान की गई है जिसमें बुनकरों का 20 रुपये, 40 रुपये राज्य सरकार तथा 60 रुपये प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार का अंशदान होगा। वर्ष 2000-01 के दौरान 25,00,000 रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। स्कीम के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान भी 25,00,000 रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(6) *दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना:* विपणन सहायता, डिजाईन, सलाह आदि के साथ-साथ गुणवत्ता उन्नयन तथा उत्पाद विविधता के लिए आधारभूत सुविधाओं के सुधार को देखते हुए एक व्यापक योजना अर्थात् दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना भारत सरकार द्वारा 1.4.2000 से प्रारम्भ की गई है। बुनकरों तथा हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सूक्ष्म तथा व्यापक दोनों स्तरों पर एकीकृत तथा समन्वित रीति से उत्पाद विकास आधारभूत संरचना सहायता, संस्थागत सहायता, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपस्करों की आपूर्ति तथा विपणन आदि सहायता प्रदान करने के लिए यह स्कीम बनाई गई है। स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-01 के लिए 4000.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। तथा स्कीम में चालू वित्त वर्ष के दौरान 7700.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

(7) *राष्ट्रीय वस्त्र डिजाईन केन्द्र:* हथकरघा क्षेत्र में विशेषकर वस्त्रोद्योग की पारम्परिक तथा समसामयिक डिजाईनों के प्रोत्साहन के लिए स्थापना की गई थी ताकि तेजी से बदल रही बाजार की मांग के अनुरूप आपूर्ति की जा सके। राष्ट्रीय वस्त्र डिजाईन केन्द्र की स्थापना वर्ष 2000-01 में की गई है जिसमें भुगतान के आधार पर विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों के द्वारा डिजाइन विकास हेतु ओन-लाइन सहायता प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान 75.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/जारी की गई निधियाँ, राज्य/संघशासित सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, शामिल किये गये लाभभोगियों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन की स्कीम, तथा प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम (जो 1999-2000 तक प्रचालन में थी) में करघों के आधुनिकीकरण का घटक है। इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) राज्य सरकारों ने फील्ड स्तर पर अपने अनुभागों के आधार पर इन स्कीमों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए समय-समय पर सुझाव दिये हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कल्याणकारी तथा विकासात्मक स्कीमों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं:

(1) कार्यशाला-सह-आवास स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता में वृद्धि।

(2) थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम के अंतर्गत 5 से 7 वर्षों के बाद आंशिक वापसी तथा 10 से 12 वर्ष बाद में अंतिम वापसी की अनुमति तथा स्कीम के अंतर्गत बचत लेखा के स्थान पर समयावधि जमा में रखने की अनुमति प्रदान की जाये।

(3) समूह बीमा स्कीम तथा नई बीमा स्कीम को साथ मिलाया जाये जिससे बुनकरों की असामयिक मृत्यु पर अधिक लाभ मिल सके।

(4) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के विपणन प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत सहायता की माप की समीक्षा करना।

(5) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के वित्त पोषण में संशोधन विशेषकर राज्य स्तर के वित्तीय चरमराहट को देखते हुए।

इन सुझावों की जांच की गई है उनके आधार पर 10वीं योजना में कई संशोधनों के सुझाव दिये गये हैं।

(च) भारत सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों के समग्र कल्याण तथा एकीकृत विकास के लिए उपर्युक्त बनाई गई विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों की सफलता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि बजट प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। सारे देश के बुनकर इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। कई स्कीमें आरंभ से अब तक बिना बाधा के चल रही है तथा कई 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यान्वित की जा रही हैं। यह स्कीमें आवश्यक आधारभूत संरचना सहायता जैसे: मार्जिन मनी तथा ऋण, कच्चा माल आदि, फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज, विपणन सहायता, लगातार रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कार्य करने का उचित वातावरण आदि बनाने में निर्णायक सिद्ध हुई हैं जिससे यह क्षेत्र पावरलूम क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का मुकाबला कर सके।

विवरण I

भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, स्वीकृत/जारी की गई राशि, राज्य सरकारों द्वारा शामिल लाभभोगियों तथा उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	स्कीम	2000-01					2001-02				
			प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	शामिल लाभभोगियों की संख्या	भारत सरकार द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अनुरूप निधियां	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	शामिल लाभभोगियों की संख्या	भारत सरकार द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अनुरूप निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	2	239.18	119.59	1,490	अनुपलब्ध **	–	–	–	–	–
		समूह बीमा योजना	1	24.00	24.00	60,000	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	*** दूसरी किश्त	96.25	26,000	96.25	–	–	–	–	–
		नियात योग्य उत्पादों एवं विपणन विकास	1	10.00	5.00	100	अनुपलब्ध	2	12.00	6.00	200	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	2	180.00	129.23	900	61.00	1	–	–	–	–
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	दूसरी किस्त	50.35	11,600	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
3.	असम	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	55.85+	112.25	30,345	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		डी.ई.पी.एम.	2	दूसरी किस्त	12.85	210	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन स्कीम	64	557.24	424.10	4,400	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
4.	बिहार	नई बीमा योजना	1	0.36	0.36	608	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	3.20	1.60	4,225	अनुपलब्ध	1	–	–	–	–
		डीईपीएम	1	8.50	4.25	50	अनुपलब्ध	1	दूसरी किस्त	8.75	100	8.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	दिल्ली	डीईपीएम	1	दूसरी किस्त	5.00	14	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	1	460.00	230.00	2,500	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		समूह बीमा स्कीम	1	1.57	1.57	3,917	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		नई बीमा योजना	1	2.73	2.73	4,557	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	55.11	55.11	7,698	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		डीडीएचपीवाई	*	425.00	*212.50	2,500	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	डीईपीएम	1	15.50	15.50	30	7.50	1	8.50	4.25	30	अनुपलब्ध
9.	हिमाचल प्रदेश	डीईपीएम	6 (1+दूसरी किस्त)	17.00	49.71	1,254	अनुपलब्ध	2 (1+दूसरी किस्त)	8.50	11.75	500	अनुपलब्ध
		डीडीएचपीवाई	37	13.87	6.89	250	अनुपलब्ध	3	9.83	4.91	100	अनुपलब्ध
10.	जम्मू एवं कश्मीर	ग्रिफ्ट फंड स्कीम	1	0.79	0.79	314	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		नई बीमा योजना	–	–	–	–	–	1	0.33	0.33	551	अनुपलब्ध
		डीडीएचपीवाई	7	57.32	44.54	600	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	3	दूसरी किस्त	57.07	750	अनुपलब्ध	2	दूसरी किस्त	113.10	2,100	–
		ग्रिफ्ट फण्ड स्कीम	1	30.00	30.00	9,004	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		डीडीएचपीवाई	1	–	–	–	–	–	125.47	125.47	–	–
12.	केरल	स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	दूसरी किस्त	37.22	3,000	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		डी.ई.पी.एम.	1	दूसरी किस्त	8.89	100	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	समूह बीमा योजना	2	1.13	1.13	1,587	अनुपलब्ध	1	0.04	0.04	116	अनुपलब्ध
		ग्रिफ्ट फण्ड स्कीम	1	1.03	1.03	304	अनुपलब्ध	1	3.72	3.72	1,648	अनुपलब्ध
		नई बीमा योजना	2	0.74	0.74	1,226	अनुपलब्ध	2	0.71	0.71	1,181	अनुपलब्ध
		डीडीएचपीवाई	6	37.77	32.71	185	अनुपलब्ध	1	3.28	3.28	–	–
14.	महाराष्ट्र	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	1	दूसरी किस्त	8.42	184	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		ग्रिफ्ट फण्ड स्कीम	1	4.78	4.78	21,230	4.78	–	–	–	–	–
15.	मणिपुर	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	1	316.00	188.75	3,100	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	19.66+ दूसरी किस्त	32.53	5,611	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–
		डीडीएचपीवाई	77	288.01	143.51	3,662	अनुपलब्ध	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मेघालय	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	2	41.51	20.76	318	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	4.67	2.34	714	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		डीडीएचपीवाई	1	12.00	6.00	100	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
17.	मिजोरम	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	1	20.50	10.25	250	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
18.	नागालैण्ड	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	2	115.92+ दूसरी किश्त	136.96	6,811	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	149.54	74.77	16,358	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		डीईपीएम	2	16.50	12.25	450	4.00	-	-	-	-	-
		डीडीएचपीवाई	10	66.20	33.10	1,000	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
19.	उड़ीसा	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	2	90.00	45.00	1,000	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		नई बीमा योजना	1	18.00	18.00	30,000	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
20.	पंजाब	डीईपीएम	1	8.50	4.25	150	अनुपलब्ध	2 (1+दूसरी किश्त)	8.50	10.25	200	8.05
21.	राजस्थान	नई बीमा योजना	1	2.56	2.56	4,270	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	4	243.00	181.46	3,252	174.09	-	-	-	-	-
		समूह बीमा योजना	1	36.75	36.75	91,876	36.75	-	-	-	-	-
		थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम	1	262.16	262.16	91,684	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	53.44	37.99	5,556	33.99	-	-	-	-	-
		डीडीपीएम	1	10.50	5.25	450	-	-	-	-	-	-
		डीडीएचपीवाई	1	677.06	677.06	?	अनुपलब्ध	?	1158.72	1158.72	?	अनुपलब्ध
23.	त्रिपुरा	कार्यशाला-सह-आवास-स्कीम	1	दूसरी किश्त	14.05	330	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम	1	0.29	0.29	50	0.29	-	-	-	-	-
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	दूसरी किश्त	29.83	7,550 (दूसरी किश्त)	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		नई बीमा योजना	1	0.60	0.60	1,005	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		डीडीएचपीवाई	19	62.36	33.14	1,015	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	डीईपीएम	2	17.50	14.25	550	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		डीडीपीएचवाई	123	111.35	54.15	2,075	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	पश्चिम बंगाल	कार्यशाला-सह-आवास-स्कीम	2	524.40	358.45	4,146+ दूसरी किस्त	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-
		समूह बीमा योजना	1	2.47	2.47	7,620	2.47	-	-	-	-	-
		स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	1	14.70	7.35	375	5.86	-	-	-	-	-
		डीईपीएम	3	33.33	16.25	336	-	-	-	-	-	-
		डीडीएचपीवाई	12	56.42	28.15	890	अनुपलब्ध	-	-	-	-	-

*भूकम्प पीड़ितों को विस्थापित करने के लिए विशेष मामले के रूप में स्वीकृत की गई परियोजनाएं।

**अनुपलब्ध

***यह दर्शाता है कि जहाँ स्वीकृति पिछले वर्ष प्रदान की गई परंतु दूसरी किस्त केवल 2000-01 या 2001-02 में जारी की गई।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजना	प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	540
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	18
3.	असम	3	360
4.	बिहार	–	21
5.	छत्तीसगढ़	1	–
6.	दिल्ली	2	–
7.	गुजरात	1	23
8.	हरियाणा	3	8
9.	हिमाचल प्रदेश	11	40
10.	जम्मू व कश्मीर	4	31
11.	कर्नाटक	–	58
12.	केरल	2	215
13.	मध्य प्रदेश	5	134
14.	महाराष्ट्र	–	60
15.	मणिपुर	–	50
16.	मिजोरम	1	1
17.	नागालैंड	2	184
18.	उड़ीसा	1	70
19.	पंजाब	4	6
20.	राजस्थान	–	50
21.	तमिलनाडु	5	399
22.	त्रिपुरा	2	20
23.	उत्तर प्रदेश	9	428
24.	पश्चिम बंगाल	10	74

मालडिब्बों की खरीद

***449. श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का चालू वर्ष के दौरान मालडिब्बों की खरीद के लक्ष्य को कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खरीद में भारी कटौती के क्या कारण हैं और इसका खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल निगमों की परिसम्पत्तियां

***450. श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड जैसे संगठनों की मार्च, 2001 तक की कुल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन संगठनों ने कितना लाभ अर्जित किया;

(घ) क्या इन संगठनों की कुल परिसम्पत्तियों तथा उनके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ के मद्देनजर इन संगठनों के कार्यकरण को संतोषजनक कहा जा सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को हरेक वित्तीय वर्ष के अंत में विहित प्ररूप में एक तुलन-पत्र तैयार करना होता है। तुलन-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की सभी परिसम्पत्तियां दर्शायी जाती है।

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) और गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) की अनुमानित निवल परिसम्पत्तियां, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन, निम्नानुसार थीं:

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार निवल परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपये में)
ओएनजीसी	35,057
आईओसीएल	36,606
गेल	8,191

(ग) और (घ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा, लेखापरीक्षा के अध्यधीन, ओ एन जी सी, आई ओ सी एल और गेल द्वारा अर्जित करोपरांत लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	करोपरांत लाभ (करोड़ रुपये में)
ओएनजीसी	5,228.78
आईओसीएल	2,720.33
गेल	1,126.16

ओ एन जी सी, आई ओ सी एल और गेल द्वारा अर्जित करोपरांत लाभ दर्शाता है कि उनका निष्पादन संतोषजनक है।

(ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

***451. श्री पी.आर. खुंटे:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सभी सांध्यकालीन विधि कालेजों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अपने सांध्यकालीन विधि कालेजों को बंद करने पर सहमत होने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(च) पहले से ही विधि शिक्षा प्राप्त कर रह छात्रों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(छ) देश में विधि शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र (एन.सी.आर.) में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसके बंगलौर स्थित राष्ट्रीय विधि विद्यालय के पैटर्न पर देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में तीन राष्ट्रीय केन्द्र होंगे तथा ऐसे और केन्द्रों का सृजन करने के लिए समर्थनकारी उपबंध भी होगा। यह मामला प्रधाननंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद द्वारा गठित प्रशासनिक और विधिक सरलीकरण संबंधी विशेष विषय समूह की सिफारिश पर विचारार्थ लिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम से संबंधित नियमों अर्थात्— भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम, भाग 4 खंड (ख), नियम 2(1)] का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि ऐसे सभी विधि महाविद्यालय, जो अनन्यत: सांध्यकालीन सत्र चला रहे हैं, शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 के दौरान 'दिन' के सत्र में बदल जाएंगे, ऐसा न हो सकने पर वे परिषद द्वारा सहबद्धता के अनुमोदन के लिए हकदार नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण विधिक शिक्षा में सुधार लाना है जो केवल आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं से युक्त पूर्णकालिक दिवसीय महाविद्यालय के माध्यम से ही संभव है। उसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) और (च) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा सूचित किए गए अनुसार अनेक संध्याकालीन महाविद्यालय स्वयं उन महाविद्यालयों द्वारा बंद कर दिए गए हैं और छात्रों को दिवस पाठ्यक्रमों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(छ) विधिज्ञ परिषद्, समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक नए विषय आरंभ करके एल.एल.बी. पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित करने के पश्चात् विधि अध्यापन संस्थाओं से प्रभावी रूप से शिक्षा देने के लिए अर्हित पूर्णकालिक अध्यापक रखने और विधि छात्रों द्वारा उपस्थिति की प्रतिशतता विहित किए जाने का भी आग्रह कर रहा है। विधिज्ञ परिषद ने विधि संकायों को अन्य संकायों से पृथक करने और स्वतंत्र विधि महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे कि विधिक शिक्षा उचित रूप से दी जा सके। विधिज्ञ परिषद नियमित रूप से विधि महाविद्यालयों का निरीक्षण कर रहा है और उनसे यह अपेक्षा भी करता है कि वे वार्षिक विवरणियां संवीक्षा करने के लिए प्रस्तुत करें। उनकी वार्षिक विवरणियों की संवीक्षा करने के पश्चात् विधिज्ञ परिषद्, विधि महाविद्यालयों को पाई गई अनियमितताओं के बारे में सूचित करता है और उन्हें समयबद्ध रीति में उनको दूर करने के लिए उचित उपाय करने के लिए कहता है।

विवरण

(1) सांध्यकालीन विधि महाविद्यालय वैसी विधिक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा हाल ही में किए गए पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण की दृष्टि से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के अधीन विहित है। पुनरीक्षित पाठ्यक्रम में एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में इक्कीस अनिवार्य विषयों, तीन वैकल्पिक विषयों और चार व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रश्न-पत्रों सहित इस प्रकार कुल 28 विषय विहित हैं। सांध्यकालीन महाविद्यालय एक दिन में दो से ढाई घंटे तक शायद ही कार्य करते हैं जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उसके नियमों के अधीन विहित शिक्षा देने के लिए पूर्णत: अपर्याप्त है।

(2) सांध्यकालीन विधि महाविद्यालय अधिकतर ऐसे अंशकालिक शिक्षकों द्वारा संचालित किए जाते हैं जो व्यवसायरत वकील हैं। इन महाविद्यालयों में अर्हताप्राप्त पूर्णकालिक शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं। एल.एल.बी. जैसे वृत्तिक पाठ्यक्रम मात्र अंशकालिक शिक्षकों के माध्यम से नहीं चलाए जा सकते।

(3) सांध्यकालीन विधि विद्यालय ऐसे महाविद्यालयों में चलाए जाते हैं जो अन्य विद्याओं के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं और ऐसे विधि महाविद्यालयों के लिए कोई स्वतंत्र रूप से पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधायुक्त भवन उपलब्ध नहीं है।

(4) चूंकि व्यावहारिक परीक्षण को पुनरीक्षित किया गया है, जिसमें न्यायालय दौरा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अन्य पहलू भी सम्मिलित हैं। सांध्यकालीन महाविद्यालय, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथा विचारित ऐसे प्रशिक्षण के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं।

(5) सांध्यकालीन महाविद्यालयों की नामावली में अधिकांश छात्र ऐसे नियोजित व्यक्ति होते हैं जो अपने कैरियर की उन्नति के लिए अपनी अर्हता बढ़ाना चाहते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना चाहते हैं। ऐसे छात्र अपने अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होते हैं और इसके कारण विधिक शिक्षा का मानदंड नीचे आता है। ये ऐसे कुछ कारण हैं जिससे भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सांध्यकालीन विधि महाविद्यालयों को पूर्णकालिक दिवस महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित किए जाने को कहा है।

(6) इन विधि महाविद्यालयों में उपस्थिति अपेक्षाकृत कम ही होती है क्योंकि अधिकतर छात्र नियोजित होते हैं।

[अनुवाद]

परिचालनात्मक अनुपात

***452. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के लिए विभिन्न जोनल रेलों के लिए कितना परिचालन अनुपात निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या जोनल रेलों ने उक्त अवधि के लिए निर्धारित इस परिचालन अनुपात को प्राप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या माल भाड़े तथा उससे होने वाली आय में कमी के कारण परिचालन अनुपात गड़बड़ हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विभिन्न जोनल रेलों के लिए परिचालन अनुपात को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (छ) वर्ष 2000-2001 में निर्धारित और प्राप्त जोनवार परिचालनिक अनुपात निम्नानुसार है:

क्षेत्रीय रेलें	जैसा कि संशोधित अनुमानों में निर्धारित है	यथाप्राप्त (अनंतिम)
मध्य	91.1	92.6
पूर्व	119.8	121.4
उत्तर	91.3	90.1
पूर्वोत्तर	155.0	156.6
पूर्वोत्तर सीमा	224.2	208.2
दक्षिण	119.0	120.8
दक्षिण मध्य	88.5	86.3
दक्षिण पूर्व	80.4	78.5
पश्चिम	86.5	88.7
जोड़	98.5	98.3

माल यातायात और मालभाड़ा आय में कुछ कमी होने के बावजूद, रेलें समग्र रूप से परिचालनिक अनुपात प्राप्त करने में सफल रही हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त की गई आय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आय	संशोधित अनुमान	वास्तविक (अनंतिम)
यात्री	10450	10515
अन्य कोचिंग	781	764
मालभाड़ा	23486	23305
अन्य फुटकर	800	703
जोड़	35517	35287

रेलों खर्च को नियंत्रित करके और आय को बढ़ाकर परिचालनिक अनुपात में सुधार करने के जोरदार प्रयास कर रही हैं। इस संबंध में उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(1) कर्मचारी उत्पादकता में सुधार, परिसम्पत्तियों का उपयोग, वस्तुसूची प्रबंधन, ईंधन खपत तथा यात्रा, प्रचार, आतिथ्य आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता बरत कर खर्च को नियंत्रित करने के उपाय।

(2) आय में सुधार लाने के लिए उन्नत माल भाड़ा सेवाओं और वाणिज्यिक प्रोत्साहनों सहित बाजार प्रयास।

(3) राजस्व की चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

पोतों का आयात

***453. डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पुराने पोतों सहित कितने पोतों का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय व्यापारिक बेड़े के विकास को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने पोतों के आयात से सीमा शुल्क हटाने के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुराने पोतों सहित कुल 92 पोतों का आयात किया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार ने नौवीं योजना के अंत तक प्राप्त करने के लिए 9 मिलियन सकल पंजीकृत टनभार (जी आर टी) का लक्ष्य रखा है। सरकार ने भारतीय व्यापारिक बेड़े के विकास और संवृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) वर्ष 2001-2002 के लिए निर्यात-आयात (एग्जिम) नीति में संशोधन के बाद सभी श्रेणियों के पोत अर्थात् क्रूड टैंकर, प्रोडक्ट टैंकर, बल्क कैरियर इत्यादि को आयात के लिए नि:शुल्क सूची में शामिल किया गया है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर अधिग्रहण करने की सुविधा रहे।

(2) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब पोतों का (पुराने पोतों सहित) लाइसेंस के बिना मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

(3) बेयर बोट चार्टर-कम-डिमाइज (बी बी सी डी) पद्धति के जरिये सभी श्रणियों के पोतों के अधिग्रहण की सुविधा।

(4) नौवहन कंपनियों को विदेश में अपने पोतों की बिक्री आय अपने पास रखने और उसे नये अधिग्रहण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(5) नौवहन कंपनियों को अब सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी शिपयार्ड में अपने पोतों की मरम्मत कराने की अनुमति दी गई है।

(6) पोतों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक आबंटन स्कीम समाप्त कर दी गई है।

(7) भारतीय रिजर्व बैंक पोत मरम्मत/निर्जल गोदीकरण, अतिरिक्त पुर्जों और आयातित पूंजीगत माल के लिए बिना किसी मूल्य सीमा के विदेशी मुद्रा जारी करता है।

(8) भारतीय नौवहन कंपनियां बिना किसी प्रतिबंध के पोतों को टाइम चार्टर पर दे सकती हैं।

(9) नौवहन क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) द्वारा पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ 100% निवेश करने की अनुमति।

(10) उधारदाता के पास जलयान को गिरवी रखकर विदेश से विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(11) धारा 33क ग (आयकर अधिनियम की) के लाभों को इसके मूल रूप में पुन: लागू कर दिया गया है जिससे नौवहन कंपनियों द्वारा नये अधिग्रहण के लिए पुन: लाभ प्राप्त होने की सुविधा रहे।

(12) पोतों के लिए मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ा कर 25% कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। पोतों के आयात पर वर्ष 2001-2002 के वित्त विधेयक में प्रस्तावित सीमा शुल्क प्रमुख श्रेणियों के पोतों के संबंध में वापस ले लिया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

***454. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल पर बजटीय अनुदानों में से राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तेल कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने का भी निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस निर्णय के पश्चात् सरकार को कितनी हानि होने अथवा कितना लाभ होने की संभावना है;

(ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी पूंजी में कमी के क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए गए विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सरकार के नवम्बर, 1997 के निर्णयों के अनुसार घरेलू एल पी जी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी

तेल पर आयात समता की क्रमश: 15 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत राजसहायता प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति के बाद राजकोषीय बजट द्वारा वहन की जाएगी। राजसहायताओं को प्रशासित करने की रीतियों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सरकार ने चुनिंदा तेल कम्पनियों में अपनी इक्विटी को उपयुक्त स्तर तक कम करने का निर्णय लिया है। विनिवेश के कारणों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में अवरुद्ध सार्वजनिक संसाधनों को अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में दोबारा लगाने के लिए जारी करना, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विपणन अनुशासन लागू करना और सरकार के सार्वजनिक ऋण में कमी करना आदि सम्मिलित है।

(घ) सरकार के हिस्से का विनिवेश एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(ङ) और (च) तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में विदेशी निवेश के आगम में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तथापि, परिशोधन क्षेत्र में कुछ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में विदेशी निवेश परिशोधन कम्पनियों द्वारा विश्वव्यापी रूप से अनुभव किए जा रहे कम परिशोधन लाभों और घटी हुई लाभप्रदता के कारण मूर्त रूप नहीं ले सका है।

(छ) सरकार ने अन्वेषण और उत्पादन, तेल परिशोधन और प्राकृतिक गैस के विपणन आदि के क्षेत्र में शत-प्रतिशत तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

***455. श्री लक्ष्मण सेठ:**
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पुनरुद्धार पैकेज में विभिन्न बाधाओं के कारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रियों के ग्रुप ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी थी;

(ग) यदि हां, तो मंत्रियों के ग्रुप द्वारा कौन-सी प्रमुख सिफारिशें की गई;

(घ) क्या वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन से राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उन मिलों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है जिन्हें पुन: चालू किया जा सकता है और उन्हें बंद करना है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) जी हां। एनटीसी की आठ सहायक निगमों के मामले रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बीआईएफआर को भेजे गए हैं।

बेशीभूमि को बेच कर संसाधनों को एकत्रित करने जिसके लिए राज्य सरकारों की सहमति अपेक्षित थी, परिसम्पत्तियों को भार मुक्त करने में अभिरक्षित ऋणदाताओं के साथ करार करने आदि जैसी अनेक कठिनाईयां थी जिसके कारण पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप देने में विलंब हो गया।

सरकार ने मंत्रियों के समूह सहित विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि प्रचालन रूप से अर्थक्षम अधिकतम मिलों का पुनरुद्धार किया जाये और जो मिलें पुनरुद्धार योग्य नहीं हैं उन्हें प्रभावित कामगारों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लाभ प्रदान करके कामगारों के हितों की रक्षा करने के बाद बंद कर दिया जाये। सरकार ने अपने इस दृष्टिकोण के बारे में प्रचालन एजेंसियों/बीआईएफआर को पहले से ही सूचित कर दिया है और इन कंपनियों का पुनरुद्धार करने के लिए कुछ वित्तीय अपेक्षाएं पूरी करने के लिए सिद्धांत रूप से वचनबद्धता भी की है।

(घ) वस्त्र अनुसंधान संघों ने एनटीसी मिलों की तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता का अध्ययन किया है और उसकी रिपोर्टें बीआईएफआर की परिचालन एजेंसियों (आईडीबीआई और आईएफसीआई) को प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) प्रचालन एजेंसियां बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुनरुद्धार योजनाओं के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रियारत है। इन पुनरुद्धार योजनाओं के प्रारूपों के प्रस्तुत करने पर बीआईएफआर इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा।

[हिन्दी]

शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का परिवहन

***456. श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के पार्सल की दरों पर तीव्र परिवहन के संबंध में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने पार्सल की दर पर ले जाई जा रही शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं, यथा फलों और सब्जियों की एक अलग सूची तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या फलों की सूची में केले को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को केले को शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल करने और इसकी पार्सल की दरों पर ढुलाई के संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) अन्य पार्सलों की तुलना में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लदान को प्राथमिकता दी जाती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का अधिक मात्रा में लदान होने पर भारतीय रेलें विशेष गाड़ियां चला कर इनकी निकासी करती रही हैं। मार्गवर्ती रुकौनियों को रोकने के लिए इन गाड़ियों के समयपालन पर निगरानी रखी जा रही है;

(ग) और (घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी हां। बहरहाल, केले को पहले से ही फल एवं सब्जियों जैसी नश्य वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है तथा इसका लदान पार्सल दरों पर किया जाता है।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत इकाइयों को व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम बनाना

***457. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 2001 के "दि स्टेट्समैन में" मूव टू मेक स्टेट पावर यूनिट्स वायबल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य विद्युत इकाइयों में से प्रत्येक को निजी निवेशकों के लिए व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए उनके विस्तृत लेखा संबंधी आंकड़ों को संकलित करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विस्तृत लेखा संबंधी आंकड़ों को संकलित करने का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्य विद्युत इकाइयों को अर्थक्षम बनाने हेतु उठाये जाने वले कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने इंडियन चार्टर्ड एकाउंटेंट इंस्टीच्यूट (आईसीएआई) से राज्य विद्युत बोर्डों की मौजूदा लेखा प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए कहा है। इसके विचारार्थ विषय हैं–

(1) वार्षिक लेखों के मौजूदा प्रारूप की समीक्षा करना और सर्वोत्तम गठन परिपाटियों एवं गतिशीलता के मौजूदा दौर में पारदर्शी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया प्रारूप सुझाना।

(2) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम 1985 की समीक्षा करना और रा.वि. बोर्डों तथा विद्युत उत्पादन में विद्युत पारेषण तथा वितरण में संलग्न अन्य इकाईयों एवं आईसीआई द्वारा विकसित गणन मानकों के संरेखण संबंधी नियम आवश्यकतानुसार सुझाना।

अध्ययन को दो मास में पूरा किये जाने का अनुमान है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने रा. विद्युत बोर्डों की कार्य प्रणाली समेत विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के साथ कई सम्मेलन आयोजित किए हैं।

3.3.2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह माना गया कि प्रबंधन की वास्तविक समस्या एवं विद्युत क्षेत्र की चुनौती वितरण क्षेत्र में है, और सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि:–

(1) सभी 11 के.वी. फीडरों पर लेखा परीक्षा 6 माह के भीतर प्रभावी कर दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी नियत की जाएगी।

(2) इस प्रयोजनार्थ एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का प्रचालन किया।

(3) उपरोक्त के आधार पर अगले दो वर्षों में विद्युत की चोरी का पता लगाने और उसका उन्मूलन करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा।

(4) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण मीटरिंग पूरी करने का लक्ष्य बनाया जाएगा। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

(5) विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की गुणवत्ता में एपीडीपी के जरिए सुधार किया जाएगा।

(6) निम्नलिखित में से किसी एक या सभी उपायों के माध्यम से 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जानी है।

- पूर्ण जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन।
- पंचायतें/स्थानीय निकायों/मतदाताओं/उपभोक्ता संघों को, जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय वितरण हस्तांतरित करना,
- वितरण का निजीकरण
- या अन्य कोई साधन।

(7) विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार राज्यों को वितरण क्षेत्र में सुधार पर बल देना चाहिए।

(8) वितरण में चालू प्रचालन के दो वर्षों के भीतर न लाभ-न हानि की स्थिति पर पहुंचने की आवश्यकता है और उसके बाद सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार राज्यों के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर रही है लेकिन तभी जब राज्य पारेषण तथा वितरण हानियों को रोकने, चोरी के उन्मूलन, बिलिंग व राजस्व संग्रह में सुधार, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) की स्थापना आदि के लिए प्रतिबद्ध हों। भारत सरकार त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के जरिये वित्तीय सहायता और केन्द्रीय पूल के अनावंटित हिस्से से अतिरिक्त विद्युत आदि का आबंटन करती है। अब तक 17 राज्यों ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का पुनर्गठन

***458. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के पुनर्गठन पैकेज का प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी आई डब्ल्यू टी सी) लिमिटेड, कलकत्ता के पुनर्गठन के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया है। पुनर्गठन योजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:-

(1) कार्यबल की संख्या को 1400 कर्मचारियों के इष्टतम स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता है और 3 वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए 27.07 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जाएगी।

(2) गहरे समुद्री जहाज मरम्मत प्रभाग और राजाबागान डाकयार्ड दोनों को बंद किया जाएगा। रख-रखाव कार्यों के लिए गहरे समुद्री जहाज मरम्मत प्रभाग में 45 कर्मचारियों का आवश्यक स्टाफ रखा जाएगा। उन्हें नदी सेवा प्रभाग का अभिन्न भाग समझा जाएगा।

(3) पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कुल 76.35 करोड़ रु. की बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, सी आई डब्ल्यू टी सी को 116.22 करोड़ रु. की कुल बजटीय सहायता दी जा सकती है और 76.35 करोड़ रु. से अधिक दी जाने वाली बजटीय सहायता अर्थात् 39.57 करोड़ रु. सी आई डब्ल्यू टी सी द्वारा सरकार को परिसंपत्तियों की बिक्री होने पर वापस दिए जाएंगे।

(4) सी आई डब्ल्यू टी सी सड़क परिवहन एजेंसियों के साथ बैक-टू-बैक व्यवस्था करेगा और रेल परिवहन के साथ ऐसी व्यवस्था करने की व्यावहारिकता की भी जांच करेगा ताकि 'सेल' और 'एफ सी आई' जैसी प्रयोक्ता एजेंसियों को 'वन स्टाप' सेवा प्राप्त हो सके।

(5) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 425.98 करोड़ रु. के भारत सरकार के ऋण (योजनागत और गैर-योजनागत) और ब्याज को बट्टे खाते डाला जाना है।

(6) सेवा निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर पुन: 58 वर्ष करना।

(7) मो आई डब्ल्यू टी सी और पोत परिवहन मंत्रालय 4 वर्ष की पुनर्गठन अवधि के लिए राजस्व और खर्च अनुमान के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे जिस पर मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जाएगी।

(घ) और (ङ) जी हां। अंतरर्देशीय जल परिवहन अब निजी क्षेत्र के लिए खुला है। सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए एक नीति पैकेज तैयार किया है। इस नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यमों में शामिल होना।
- बीओटी परियोजनाओं में सरकार द्वारा अधिकतम 40% तक इक्विटी की भागीदारी।
- आधारभूत संरचना क्षेत्र में उपलब्ध कर की छूट इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी उपलब्ध है।
- अंतर्देशीय जलयानों के लिए मूल्यह्रास दर में समुद्रगामी जलयानों के लिए लागू दर के समान वृद्धि।
- भारतीय शिपयार्डों में निर्मित अंतर्देशीय जलयानों के लिए जहाज मालिकों को 30% जलयान निर्माण सब्सिडी उपलब्ध है; और
- अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए आयातित उपस्कर और मशीनों पर न्यूनतम सीमाशुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है।

जूट क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं

***459. श्री अनन्त नायक:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जूट उत्पादों के प्रसंस्करण के विकास हेतु यू.एन.डी.पी. सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा 2001-02 के दौरान यू.एन.डी.पी. सहायता की कितनी राशि आवंटित की गई और कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा जूट क्षेत्र के विकास हेतु कुछ और प्रभावशाली योजनाएं प्रारंभ की गई हैं/प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार और योजना-वार कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है; और

(ङ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा यू एन डी पी से प्राप्त वित्तीय सहायता से, वर्ष 1999 में "फाईबर तथा हस्तशिल्प कार्यक्रम, राष्ट्रीय सहयोग ढांचागत-कार्य-1" (सी सी एफ-1) शीर्षक से एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, एन सी जे डी को नोडिए अभिकरण के रूप में रखते हुए, निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:-

(1) पटसन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों का वाणिज्यीकरण।

(2) पटसन उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन।

(3) पटसन उत्पादों के लिए मशीनरी विकास,

(4) पटसन मिलों के लिए मानव संसाधन विकास,

(5) बेहतर पटसन बीजों को विकसित करना,

(6) अंतराष्ट्रीय बाजारों में पटसन उत्पादों का विपणन,

(7) पटसन से संबधित क्रियाकलापों में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्थिर कार्यक्रम।

सी सी एफ-1 पटसन कार्यक्रम के तहत वर्षवार यू एन डी पी निधि आबंटन तथा रिलीज निम्नलिखित है:-

वर्ष	रिलीज की गयी यू एन डी पी सहायता (लाख रुपये में)
1999-2000	124.00
2000-2001	130.00
2001-2002	32.00

गैर-सरकारी योजना के तहत, यू एन डी पी सहायता से किया गया राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अन्य सी सी एफ-1 कार्यक्रम, क्रियाकलापों का दृष्टिकोण राज्य विशेष के आधार पर नहीं है। इस प्रकार किसी प्रकार का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। पटसन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा आरंभ करने के उद्देश्य से निम्नानुसार कई योजनाएं आरंभ/प्रस्तावित की गयी हैं:

(1) पटसन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जे टी एम) आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(2) वस्त्र तथा पटसन उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) प्रचालन में है।

(3) पटसन क्षेत्र में नये उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमियों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र द्वारा एक पटसन उद्यमी सहायता योजना कार्यान्वयन में है।

(ङ) दिनांक 30.7.2001 तक की अवस्थिति अनुसार सी सी एफ-1 कार्यक्रम के तहत संचित योजनावार उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गयी हैं।

विवरण I

दिनांक 3.8.2001 की अवस्थिति अनुसार सी सी एफ के तहत सहायित गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्ट

सी सी एफ 1 के तहत सहायित गैर-सरकारी संगठनों की कुल संख्या	–	66
गैर-सरकारी संगठनों को संस्वीकृत कुल अनुदान	–	91.12 लाख रु.
गैर-सरकारी संगठनों को संवितरित कुल अनुदान	–	43.06 लाख रु.
कुल शामिल लाभार्थियों की संख्या	–	2440

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी	संख्या	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)	संख्या	संवितरित राशि (रुपयों में)
1.	पश्चिम बंगाल	375	13	18,46,000	13	8,90,000
2	उड़ीसा	360	11	14,98,680	10	8,02,750
3.	असम	400	9	12,68,600	9	6,40,225
4.	आंध्र प्रदेश	290	9	9,78,000	7	4,59,900
5	महाराष्ट्र	95	4	5,26,000	4	2,45,000
6.	तमिलनाडु	105	4	5,17,500	3	1,85,500
7	उत्तर प्रदेश	175	3	5,36,000	3	1,97,450
8.	राजस्थान	50	2	4,00,000	1	85,000
9.	गुजरात	340	2	3,66,000	2	2,40,000
10.	केरल	60	2	3,00,000	2	1,55,000
11.	त्रिपुरा	40	2	2,62,000	2	1,32,000
12.	मध्य प्रदेश	50	2	2,17,000	2	1,07,000
13.	बिहार	60	1	1,65,000	1	61,000
14.	कर्नाटक	20	1	1,31,000	1	75,000
15.	मिजोरम	20	1	1,00,000	1	30,000
	कुल	2440	66	91,11,780	61	43,05,825

विवरण II

सी सी एफ-2 कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

परियोजना का नाम	उपलब्धियां
1. कृषकों की बेहतरी	600 किग्रा. जेआरसी-321 बीजों का 120 एकड़ भूमि में गुणन किया गया। 150 कृषकों द्वारा 60 मीट्रिक टन फाईबर उपजाए गए। वर्ष 2001 में 150 एकड़ भूमि पर जे आर सी 321 भी उपजाए जाने हेतु तैयार है।
2. कामगारों का मानव संसाधन विकास संबंधी प्रशिक्षण	9 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए। 2 भाषाओं में 8 प्रशिक्षण मानदंड विकसित किए गए। 2 भाषाओं में प्रशिक्षण मैनुअल मुद्रित किए गए। 6300 कामगार तथा 29 सिद्धहस्त प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए।
3. गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	15 कार्यशालाएं आयोजित की गयी। 66 गैर-सरकारी संगठनों को संस्वीकृति प्रदान की गयी (91.12 लाख रुपए) कुल 2440 लाभार्थी कवर किए गए।
4. वाणिज्यीकरण	2 कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। जे ई ए योजना के तहत 8 एककों को वित्त प्रदान किया गया।
5. गुणवत्ता आश्वासन	1145 नमूनों का परीक्षण किया गया, 3 परीक्षण उपकरण विकसित किए गए, पटसन एवं सम्मिश्रित यार्न (लघु स्टैप्ल) के लिए मानदंड निर्धारित किए गए।
6. मशीनरी विकास	3 मशीनों के देशीय विकास हेतु विक्रेताओं का चयन किया गया।

लंगरगाह की कमी

*460. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ बन्दरगाह लंगरगाह की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इन बंदरगाहों में कारगो यातायात में भारी कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं।

(ख) मुम्बई पत्तन और कोलकाता गोदी प्रणाली में यातायात में कमी आई है, परन्तु यह कमी लंगरगाह की कमी के कारण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोत/जलयानों की दुर्घटनाएं

4526. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय पोत/जलयान डूबे और उनके डूबने के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में अलग-अलग कितनी जान हानि और कितने मूल्य की सामग्री तथा पोत की हानि हुई;

(ग) क्या इन सभी दुर्भाग्यशाली पोतों/जलयानों को भारतीय बचाव कार्य से अथवा विदेशी विशेषज्ञता से निकाल लिया गया था; और

(घ) दुर्घटना के पश्चात् समुद्र तल में पड़े रहने की अनुमति दिए गए पोतों/जलयानों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत कोई भी समुद्रगामी भारतीय पोत, जिसमें तटीय और विदेशगामी दोनों प्रकार के पोत शामिल हैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान नहीं डूबा है। जलयानों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

वस्त्र क्षेत्र का आधुनिकीकरण

4527. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग में एक परंपरागत करघे के स्थान पर आधुनिक उपकरण के प्रतिस्थापन से 25 कामगार बेरोजगार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक बेरोजगार क्षमता की तुलना में उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रभाव का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से अगले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए वस्त्र क्षेत्र में विशेष रूप से किये जाने वाले निवेश के संबंध में किए गए अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में, अनुमानित रोजगार 2.5 व्यक्ति (1.5 प्रत्यक्ष तथा 1.00 अप्रत्यक्ष) प्रति करघा की दर से है। सामान्यत:, एक बुनकर द्वारा दो साधारण करघों को अथवा छ: स्वचालित शटल करघों को अथवा बारह शटलरहित करघों को नियंत्रित किया जाता है, और प्राथमिक बुनाई क्षेत्र में रोजगार, करघों में रोजगार की मात्रा से अधिक है। इसलिए करघों के आधुनिकीकरण के कारण बेरोजगार होने की आशंका निराधार और अनुचित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

शिल्प बाजार

4528. प्रो. दुखा भगत: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित किए गए शिल्प बाजारों और इनका आयोजन करने वाली संस्थाओं का बाजार-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन शिल्प बाजारों को आयोजित करने के लिए केवल कुछ संस्थाएं ही प्राधिकृत थी; और

(ग) यदि हां, तो शिल्प बाजार आयोजित करने हेतु अनुमति देने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं और शिल्प बाजार आयोजित करने के पश्चात् किन-किन बातों का पता चला?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित शिल्प बाजारों और बाजार-वार आयोजन करने वाले संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, शिल्प बाजार आयोजित करने की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा उन संस्थानों के पक्ष में दी जाती है जो छ: क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक द्वारा अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया में सब से कम बोली लगाते हैं।

शिल्प बाजार आयोजित करने के पश्चात्, इनमें भाग लेने वाले कारीगरों की संख्या, की गई बिक्री और आयोजन में सुधार करने हेतु सुझावों का पता चलता है।

विवरण

क्रमांक	स्थान	संस्थान का नाम
1	2	3
		1998
1.	जयपुर	हरियाणा राज्य हथकरघा हस्तशिल्प विकास निगम, चंडीगढ़
2.	विशाखापट्नम	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, हैदराबाद
3.	कानपुर	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर
4.	पणजी	विदर्भ हस्तशिल्प कारीगर कल्याण संघ, नागपुर
		1999-2000
1.	मुम्बई	विदर्भ हस्तशिल्प कारीगर कल्याण संघ, नागपुर
2.	जालंधर	हरियाणा राज्य हथकरघा हस्तशिल्प विकास निगम, चंडीगढ़

1	2	3
3.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य हस्तशिल्प सहकारी समिति, कोलकाता
4.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर
		2000-2001
1.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य हस्तशिल्प सहकारी समिति, कोलकाता
2.	चंडीगढ़	हरियाणा राज्य हथकरघा हस्तशिल्प विकास निगम, चंडीगढ़
3.	इंदौर	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, भोपाल
4.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर
5.	बंगलौर	कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम
6.	शिलांग	मेघालय शीर्ष हथकरघा बुनकर एवं हस्तशिल्प सहकारी संघ, शिलांग

[अनुवाद]

यार्न डिपो की स्थापना

4529. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय स्थान-वार कितने यार्न डिपो हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में और यार्न डिपो खोलने का है;

(ग) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त डिपो कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे; और

(घ) बुनकरों को मिल दर मूल्य पर यार्न की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वर्तमान में, मिल गेट कीमत स्कीम के अंतर्गत सारे देश में 87 यार्न डिपो प्रचालन में है। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों में अधिक यार्न डिपो खोलने के लिए विचार किया जाता है जब संबंधित राज्य के हथकरघा निदेशक द्वारा विधिवत् रूप से सिफारिश करने पर वास्तविक हथकरघा संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

(घ) स्कीम के अंतर्गत, मांग पर सारे देश में हथकरघा संगठनों हेतु मिल गेट कीमत स्कीम में निर्धारित सीमा के अंदर राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन एच डी सी) मिल गेट कीमत पर यार्न की आपूर्ति करता है।

विवरण

मिल गेट कीमत स्कीम के अंतर्गत यार्न डिपो का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	डिपो का स्थान	डिपो का स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	वारंगल
		विजयनगरम	सिकन्दराबाद
		राजाहमूनडरी	छोटूपाल

1	2	3	4
		पालाकोले	भिमावरम
		माचलिपटनम	वलपूर
		मंगलागिरी	अनागरा
		चिराला (संख्या 2)	के.जे. पूरम
		पूट्टूर	हसानाबाद
		कुडप्पा	कोयलागुडग
		कुनाल	पोचमपल्ली
		करीमनगर	पराला
		कोढ़ाकोटा	
2.	अरुणाचल प्रदेश	दोईमुख	
3.	असम	सूआलकूची	करीमगंज
4.	बिहार	मानपुर	भागलपुर
5.	गुजरात	पालनपुर	भुज
6.	कर्नाटक	रामदुर्गा	गुलबरगा
		बनहाटी	ईलकाल
		रानेबेनूर	
7.	केरल	कन्नूर	कोझीकोड़े
		तिरुअन्नथापुरम	
8.	मध्य प्रदेश	सारंगपूर	मंदसौर
		रायपुर	दुर्ग
		साऊसार	
9.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	गोबी
		वल्यूर	कोयम्बतूर
		गुड्डालोरे	गुडीयाथम
		करूर	नागरकोईल
		जयानकोण्डमा	तिरुनेलवेली
		त्रिची	अरुपूक्योटई

1	2	3	4
		धर्मापुरी	श्रीवीलीपुथूर
		सेलम	मदुई
		तिरुचिनगौडे	अराकोनम
		इरोड	
		चिनिमलाई	
10.	त्रिपुरा	अगरतल्ला (संख्या 2)	
11.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	अलीगढ़
		सीतापुर	मऊनाथमंजन
		मुरादाबाद	बिजनौर
		मेरठ	टांडा
		सजावालापुर	जलालपुर
		बाराबंकी	इटावा
		वाराणसी	
		संत कबीरनगर	
12.	राजस्थान	जयपुर	
13.	नागालैंड	दीमापुर (संख्या 2)	कोहिमा

नागपुर में खानपान विभाग कैंटीन

4530. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में मध्य रेलवे की खानपान विभाग कैंटीन मुख्य सीवर लाइन पर स्थित है और जो कैंटीन के अन्दर खुलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्री अस्वास्थ्यकर स्थिति में तैयार किया गया भोजन खाने के लिए बाध्य हैं;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) स्टेशन क्षेत्र की गटर लाइन अल्पाहार गृह के नीचे से गुजरती है तथा वहां पर दो मेन-होल भी स्थित हैं;

(ख) मेन होल एयर टाइट है तथा अधिभोगियों के लिए नुकसान रहित है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों के बीमा दावे

4531. **श्री रामदास आठवले:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से फसल बीमा योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित देश में, विशेषकर आदिवासी और दलित बाहुल्य जिलों में किसानों के बीमा दावों की राशि जारी करना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार बीमा दावों के भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार दावों की बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दावों की संपूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हाँ। राज्यों, जिनमें जनजातियों एवं दलितों की अच्छी खासी आबादी है, के कुछ दाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित अंश के भुगतान न करने की वजह से कुछ सप्ताह से लेकर एक/दो साल से लंबित हैं। ये राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम हैं।

(ग) पूर्ववर्ती व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल भुगतान किये गये दांवों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	दावे की राशि (लाख रु. में)
1991-92	20130.39
1992-93	5095.50
1993-94	18860.56
1994-95	5801.46
1995-96	14896.47
कुल	64784.38

(घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, व्यापक फसल बीमा योजना और प्रायोगिक फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाये दावों की राशि दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) जैसे ही राज्य सरकार द्वारा अंश उपलब्ध करा दिया जाता है।

विवरण

रा.कृ.बी. योजना, व्यापक फ.बी. योजना और प्रा. फसल बीमा योजना के अंतर्गत बकाये दावों का विवरण

मौसम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दावे की राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना			
रबी 1999-2000	असम	0.50	राज्य के अंश का भुगतान नहीं होने की वजह से लंबित
	केरल	29.54	-तदैव-
	उड़ीसा	0.17	-तदैव-
खरीफ 2000	आंध्र प्रदेश	261.78	-तदैव-
	असम	0.75	-तदैव-
	छत्तीसगढ़	8174.58	-तदैव-
	केरल	242.88	-तदैव-
	मध्य प्रदेश	5551.32	-तदैव-
	मेघालय	0.14	-तदैव-
	उड़ीसा	10551.86	-तदैव-

1	2	3	4
व्यापक फसल बीमा योजना			
रबी 1996-97	तमिलनाडु	0.03	राज्य के अंश का भुगतान नहीं होने की वजह से लंबित
रबी 1997-98	तमिलनाडु	0.26	-तदैव-
खरीफ 1998	असम	1.48	-तदैव-
	त्रिपुरा	0.04	-तदैव-
रबी 1998-99	असम	1.15	-तदैव-
	त्रिपुरा	0.01	-तदैव-
खरीफ 1999	आंध्र प्रदेश	570.30	-तदैव-
प्रायोगिक फसल बीमा योजना			
	असम	43.03	राज्य के अंश का भुगतान नहीं होने की वजह से लंबित

[अनुवाद]

बिना टिकट यात्रा

4532. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज तक जोन-वार बिना टिकट यात्रा के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनसे कितनी जुर्माने की राशि वसूल की गई; और

(ग) ऐसी यात्रा को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) 1 जुलाई, 2000 से जून, 2001 तक की अवधि के दौरान बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों के मामलों की संख्या तथा उनसे वसूल किये गये जुर्माने की राशि के संबंध में जोनवार ब्यौरा इस प्रकार है:

रेलवे	बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की सं. (लाख में)	वसूल किये गये जुर्माने की राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
मध्य	23.48	30.19
पूर्व	16.73	15.36
उत्तर	37.68	43.80
पूर्वोत्तर	11.16	13.44
पूर्वोत्तर सीमा	1.99	3.27
दक्षिण	5.14	7.00
दक्षिण-मध्य	10.61	17.52
दक्षिण-पूर्व	9.00	9.77
पश्चिम	19.67	25.22
जोड़	135.46	165.57

रेलवे मजिस्ट्रेटों और पुलिस के सहयोग से बिना टिकट/ अनियमित यात्रा की जांच करने के लिए बार-बार नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलें भी बिना टिकट यात्रा की संभावना वाले विभिन्न स्थानों और खंडों पर विशिष्ट तारीखों और अवधियों में विशेष किस्म की जांचें करती हैं।

कृषि सिंचित/असिंचित भूमि

4533. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार सिंचित कृषि भूमि, गैर-सिंचित भूमि और परती भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) गैर-सिंचाई जोन में सिंचाई पूरी करने हेतु नौवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इसे अब तक किस सीमा तक हासिल किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि के लिए प्रभावी उपयोग अथवा किसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाई गई उपलब्ध परती भूमि का क्षेत्र कितना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) देश में कृष्य सिंचित भूमि, गैर-सिंचित भूमि तथा परती भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपयोग के लक्ष्य एवं हासिल उपलब्धियां निम्नवत हैं:

(क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर)

गतिविधि	नौवीं योजना का लक्ष्य	वर्ष 1999-2000 तक उपलब्धि
सिंचाई क्षमता का सृजन	17.05	5.17
सिंचाई क्षमता का उपयोग	13.64	3.94

(ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा अवक्रमण पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित पनधारा प्रबंध स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

(2) नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मृदा संरक्षण।

(3) झूम खेती नियंत्रण हेतु पनधारा विकास परियोजना।

(4) क्षारीय मृदा सुधार।

उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत, उपर्युक्त मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा सभी प्रकार की भूमि जैसे कृषि, वन तथा परती भूमि का सुधार किया जाता है। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान परती भूमि सहित क्रमश: 9.62 लाख हेक्टेयर, 9.86 लाख हेक्टेयर तथा 8.06 लाख हेक्टेयर भूमि का सुधार किया गया है। विदेशी अभिकरणों द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ये पनधारा प्रबंध स्कीमें पनधारा क्षेत्रों में पूरक सिंचाई सुविधा प्रदान करने के अलावा फसल क्षेत्र तथा कृषि उत्पादकता वृद्धि में सहायक रही है।

विवरण

राज्य-वार कृष्य सिंचित भूमि, गैर-सिंचित भूमि तथा परती भूमि

(क्षेत्र: हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	कृष्य सिंचित भूमि	गैर-सिंचित भूमि	परती भूमि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4395	6439	5175
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	149	1833
3.	असम	572	2172	2002
4.	बिहार	3624	3713	2100
5.	गोवा	23	116	61
6.	गुजरात	3042	6558	4302
7.	हरियाणा	2755	860	373
8.	हिमाचल प्रदेश	105	453	3166
9.	जम्मू व कश्मीर	313	420	6544
10.	कर्नाटक	2325	8285	2084
11.	केरल	357	1912	145
12.	मध्य प्रदेश	6399	13395	6971
13.	महाराष्ट्र	2567	15309	5439

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	65	75	1295
15.	मेघालय	45	171	990
16.	मिजोरम	7	102	407
17.	नागालैंड	62	163	840
18.	उड़ीसा	2090	3878	2134
19.	पंजाब	3847	292	223
20.	राजस्थान	5588	11202	10564
21.	सिक्किम	16	79	357
22.	तमिलनाडु	2892	2594	128
23.	त्रिपुरा	35	242	2301
24.	उत्तर प्रदेश	11999	5476	3877
25.	पश्चिम बंगाल	1911	3552	572
26.	अंडमान व निकाबार द्वीपसमूह	0	38	28
27.	चंडीगढ़	2	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	4	19	7
29.	दमन व दीव	1	3	4
30.	दिल्ली	44	3	14
31.	लक्षद्वीप	0	3	0
32.	पांडिचेरी	22	3	4
	अखिल भारत	55143	87676	63850

आंध्र प्रदेश के लिए रेल परियोजनाएं

4534. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2000 के दौरान, केन्द्रीय रेल मंत्री ने आंध्र प्रदेश में अनेक बड़ी रेल परियोजनाएं चलाने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं। बहरहाल, 25 सितम्बर, 2000 को तत्कालीन रेल मंत्रीजी ने हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़े हुए शहरों के लिए बहुआयामी उपनगरीय दैनिक परिवहन प्रणाली के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हरियाणा में रेशम कीट पालन का विकास

4535. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा में पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में रेशम कीट पालन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को उनकी मांग के अनुसार विद्युत की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जिला पंचकुला, हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में रेशम उत्पादन के विकास की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को विद्युत की आपूर्ति

4536. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात को विद्युत की आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को उनकी मांग के अनुसार विद्युत की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अप्रैल, 2001-जुलाई, 2001 के दौरान महाराष्ट्र एवं गुजरात में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:

ऊर्जा (मि.यू. में)

राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	अभाव	प्रतिशत
महाराष्ट्र	25544	24197	1347	5.3
गुजरात	16688	14941	1747	10.5

व्यस्ततमकालीन विद्युत (मे.वा.)

राज्य	व्यस्ततमकालीन मांग	पूरी की गयी व्यस्ततमकालीन मांग	कमी	प्रतिशत
महाराष्ट्र	11463	10422	1041	9.1
गुजरात	7796	6598	1198	15.4

(ख) महाराष्ट्र एवं गुजरात समेत देश में विद्युत उपलब्धता में सुधार करने हेतु उठाए गए कदम हैं:

(1) मौजूदा पुराने एवं अकुशल जनरेटिंग यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन-विस्तार। त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को शुरू करने के लिए राज्यों को विशेष निधि उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) विद्युत क्षेत्र के सुधार एवं पुनर्गठन का शीघ्र क्रियान्वयन।

(3) हाल में चालू यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण एवं थर्मल यूनिटों के संयंत्र भार घटक में समग्र वृद्धि।

(4) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

(5) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा क्षमता एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए उपायों का संवर्धन।

(6) पावर फाइनैन्स कॉरपोरेशन द्वारा त्वरित उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुधार के लिए ऋण संवितरण।

(7) 2012 तक वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता को दुगुना करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन।

(8) पारेषण लिंक के निर्माण के द्वारा अंत:राज्यीय एवं अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि तथा अंतत: राष्ट्रीय ग्रिड का गठन।

[अनुवाद]

नए पत्तन और कार्गो बर्थ का निर्माण

4537. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान अथवा अपनी निर्धारित अवधि से आगे चली गई परियोजनाओं के विकास हेतु लिए गए नए पत्तनों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) निवेश और वास्तविक दोनों उपलब्धियों को दर्शाते हुए नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक विद्यमान बड़े पत्तनों द्वारा कितनी कार्गो हैंडलिंग की गई;

(ग) नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक विद्यमान पत्तनों में कितनी कार्गो बर्थ का निर्माण किया गया और दसवीं योजना के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया;

(घ) क्या बड़े पत्तनों पर नौवीं योजना के दौरान कंटेनर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कंटेनर सुविधाओं सहित पत्तनों का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रावधान निवेश नीति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) इन्नौर में 1058.52 करोड़ रु. की लागत पर नए पत्तन का निर्माण करना ही भारत सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई नए पत्तन का विकास करने संबंधी एकमात्र परियोजना थी। यह पत्तन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1.2.2001 को चालू किया गया था और इसने 22.6.2001 से वाणिज्यिक रूप से प्रचालन करना शुरू किया। पत्तन की क्षमता 16 एम टी प्रतिवर्ष है।

(ख) (1) नौवीं योजना की शुरुआत से प्रत्येक महापत्तन द्वारा हैंडल किया गया कार्गो इस प्रकार है:

(मिलियन टन में)

पत्तन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 (लक्ष्य)
कलकत्ता	7.95	9.16	10.31	7.15	8.00
हल्दिया	20.20	20.22	20.71	22.80	25.10
पारादीप	13.30	13.11	13.64	19.90	19.90
विशाखापत्तनम	36.02	35.65	39.51	44.69	42.50
चेन्नै	35.53	35.20	37.44	41.22	36.00
तूतीकोरिन	9.97	10.15	9.99	12.28	12.30
कोचीन	12.33	12.66	12.80	13.12	13.20
नवमंगलूर	15.28	14.21	17.60	17.89	20.40
मुरगाव	21.18	18.02	13.23	19.63	20.70
मुम्बई	32.10	30.97	30.41	26.95	27.80
ज. नेहरू पत्तन	8.90	11.72	14.98	18.58	20.70
कांडला	38.90	40.64	46.30	36.74	38.10
इन्नौर	–	–	–	–	6.00
जोड़	251.66	251.71	271.92	280.95	289.10

(2) नौवीं योजना की शुरुआत से प्रत्येक महापत्तन के लिए किया गया वर्ष-वार योजना व्यय/निवेश इस प्रकार है:

(करोड़ रु.)

पत्तन का नाम	किया गया व्यय				
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 के लिए योजना परिव्यय
1	2	3	4	5	6
कोलकाता	6.04	11.04	11.89	5.19	2.88
हल्दिया	22.07	50.32	70.20	43.96	14.30
आर.आर. स्कीमें	–	–	0.19	0.04	75.00
जोड़ (कोलकाता)	28.11	61.36	82.28	49.19	92.18

1	2	3	4	5	6
पारादीप	117.62	199.73	235.96	132.52	91.50
विशाखापत्तनम	55.29	51.30	91.25	97.44	90.00
चेन्नै	123.10	225.86	302.10	194.78	147.26
तूतीकोरिन	16.07	48.36	194.38	24.30	69.35
कोचीन	10.04	19.93	22.76	16.38	61.24
नव मंगलूर	20.58	14.81	44.55	94.57	74.00
मुरगांव	7.78	31.05	25.50	15.32	59.16
मुम्बई	75.61	52.46	211.21	127.85	91.21
जवाहरलाल नेहरू पत्तन	106.75	21.16	50.51	30.82	81.30
कांडला	50.90	50.19	63.38	39.68	100.98
इन्नौर	–	–	–	–	2.00
जोड़	611.85	776.21	1323.88	822.85	960.18

(ग) नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक मौजूदा पत्तन में निर्मित कार्गो बर्थ की संख्या इस प्रकार है:

पत्तन का नाम	पी ओ एल	कोयला (थर्मल)	ब्रेक बल्क	कंटेनर	जोड़
1	2	3	4	5	6
योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान					
हल्दिया	1	–	3	–	4
पारादीप	–	–	1	–	1
विशाखापत्तनम	1	–	1	–	2
तूतीकोरिन	–	–	1	1	2
जवाहरलाल नेहरू पत्तन	–	–	–	2	2
कांडला	3	–	2	–	5
इन्नौर	–	2	–	–	2
जोड़	5	2	8	3	18

1	2	3	4	5	6
31.3.2002 तक संभावित					
पारादीप	1	2	2	–	5
विशाखापत्तनम	–	–	1	–	1
चेन्नै	–	–	–	1	1
तूतीकोरिन	–	–	–	1	1
नव मंगलूर	2	–	–	–	2
कोचीन	–	–	1	–	1
जवाहरलाल नेहरू पत्तन	1	–	–	1	2
जोड़	4	2	4	3	13

दसवीं योजना के दौरान नई बर्थों का निर्माण करने से संबंधित कार्यक्रम दसवीं योजना को अंतिम रूप देने से पहले तैयार किया जाएगा।

(घ) नौवीं योजना के दौरान जवाहर लाल नेहरू पत्तन और तूतीकोरिन पत्तन में बर्थों का निर्माण करके और कंटेनर हैंडलिंग उपस्कर उपलब्ध कराके कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं/अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चेन्नै, तूतीकोरिन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन, प्रत्येक में एक-एक कंटेनर बर्थ का निर्माण कार्य चल रहा है और यह कार्य 31.3.2002 तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) नव मंगलूर, मुरगांव, पारादीप और विशाखापत्तनम पत्तनों में संपूर्ण कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं नहीं हैं। मुरगांव और पारादीप में कंटेनर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। नव मंगलूर और विशाखापत्तनम पत्तन निजी क्षेत्र की सहभागिता के जरिये कंटेनर सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सचिवीय सहायता

4538. श्री महबूब जहेदी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सचिवीय सहायता देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार ने, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्तियों को, उनके जीवनकाल में संविदा के आधार पर आशुलिपिक की सेवाओं की अदायगी के लिए प्रतिमास दस हजार रुपए का संदाय करने का उपबंध करने के लिए तारीख 25.5.2001 की अधिसूचना द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 को संशोधित किया है।

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति भारत गणराज्य के तीन अंगों में से एक न्यायपालिका का प्रधान है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री भी सचिवीय कर्मचारीवृंद का फायदा ले रहे हैं। इसी आधार पर, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति को सचिवालयिक सहायता विस्तारित की गई है।

तमिलनाडु में मीटर लाइन का बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन

4539. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में मीटर लाइन की लम्बाई कितनी है;

(ख) इस समय कितनी लम्बी मीटर लाइनों का बड़ी लाइनों में परिवर्तन किया जा रहा है;

(ग) क्या सभी मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) तमिलनाडु में मीटर लाइन (मार्ग कि.मी.) की कुल लम्बाई 2145 कि.मी. है (31.3.2000 को उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार)।

(ख) तमिलनाडु में अभी 1288 कि.मी. लम्बी मीटर लाइनों को परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न पहलुओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पहचानी गई मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को बजट आवंटन

4540. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के लिए किए गए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की तत्काल आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विगत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र (एनपीटीआई) को बजट आवंटन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख रु. में)

		बजट अनुमान	
वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
1998-1999	902.00	350.00	1252.00
1999-2000	650.00	492.00	1142.00
2000-2001	250.00	435.00	685.00

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान एक पंजीकृत समिति है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका व्यय, अनुदान सहायता के रूप में सरकार की बजटीय सहायता और संस्थान द्वारा सृजित आंतरिक संसाधनों के जरिये पूरा किया जाता है। स्वायत्त संस्थानों को अधिकाधिक आंतरिक संसाधन सृजन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। एनपीटीआई वित्तपोषण की समीक्षा की गई और 2000-2001 के बजट आवंटन में 60% को समग्र वृद्धि की गई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रु. में आंकड़े)

		बजट अनुमान	
वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
2000-2001	250.00	435.00	685.00
2001-2002	637.00	465.00	1102.00

छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत संयंत्र में चीन का निवेश

4541. श्री एस. अजय कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनी ने टर्न-की आधार पर छत्तीसगढ़ में 300 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) ने मै. चाईना नैशनल मशीनरी एन्ड इक्विपमेंट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (सीएमईसी) से कोरबा में, सीएलईबी के 100 मे.वा. के बंद ताप विद्युत परियोजना के स्थान पर "बिल्ड एन्ड ट्रांसफर" आधार पर समझौता ज्ञापन माध्यम से परियोजना लागत का 95% वित्त प्रदान कर 2×210 मे.वा. की ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पूर्व सीएमईसी ने सीएसईबी से इसकी पुष्टि मांगी है। सीएमईबी ने सूचित किया है कि समझौता के शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सीएमईसी को अनुमान है कि संयंत्र की पहली यूनिट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख से 52 महीने के अंदर चालू हो जाएगी।

[हिन्दी]

पशुपालन डेयरी विकास को बढ़ावा देना

4542. श्री महेश्वर सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए प्रशीतन संयंत्र शीतागार और प्रशीतनयुक्त वाहन उपलब्ध कराने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार डेयरी क्षेत्र को प्रशीतन संयंत्र, शीत गोदाम और रेफ्रिजरेटर से सुसज्जित वाहन के लिए सहायता देने के बारे में कोई विशेष योजनाएँ नहीं हैं। तथापि, वह विभाग एक केन्द्र-प्रायोजित योजना स्कीम अर्थात गैर-श्वेत क्रान्ति, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। उस स्कीम के तहत दूध प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक संघटक है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उसके तहत दुग्ध द्रुत प्रशीतन संयंत्रों, डेयरी संयंत्रों तथा प्रशीतित वाहनों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक स्कीम तैयार की है जिसके तहत प्रसंस्कृत दूध उत्पादों सहित प्रसंस्कृत खाद्य के लिए शीत गोदाम, प्रशीतित परिवहन प्रणाली और बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोजेक्ट्स

4543. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 2001 में देश में दो ''इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोजेक्ट्स'' शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की देश में और ऐसी परियोजनाएं शुरू करने हेतु भावी योजनाएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हाँ। परियोजनाएं निम्न स्थानों में स्थित हैं:

(1) उत्तर प्रदेश के बरेली जिलान्तर्गत बरेली/आँवला डिपुओं में।

(2) महाराष्ट्र के नासिक जिलान्तर्गत मनमाड/पानेवाडी डिपुओं में।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजनीतिक दल

4544. श्री विकास चौधरी:
श्री सुबोध राय:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने विधि द्वारा राजनीतिक दलों के गठन, कार्यकरण और उनके संगठन को विनियमित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधि सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ''राजनीतिक दलों का संगठन और इससे आनुषंगिक मामले'' शीर्षक से एक नया भाग-2 अंत:स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) यह रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर पहले ही तारीख 27.10.1999 को रखी जा चुकी है।

(ग) सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों की बाबत कोई राय नहीं बनाई है।

वसई-दिवा रेल लाइन का दोहरीकरण

4545. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे के अंतर्गत वसई-दिवा रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने कार्य पूरा होने पर इस रेल लाइन पर मुम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) वसई से भिवंडी खंड पहले ही पूरा हो गया है। भिवंडी-दिवा पर कार्य प्रगति पर है और 2001-02 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) दोहरीकरण हो जाने पर, फिलहाल इस खंड पर कोई ई.एम.यू. उपनगरीय सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

स्क्रैप व्यापारी के गोदाम में पहचान-पत्रों का पाया जाना

4546. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक स्क्रैप व्यापारी के गोदाम में मतदाता पहचान-पत्र पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या स्क्रैप व्यापारी के गोदाम से पाए गए मतदाता पहचान-पत्रों की संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम थी;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच करवायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि गाजियाबाद में स्क्रैप व्यौहारियों के कब्जे में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों के पता चलने के अभिकथन के संबंध में उसे प्रेस रिपोर्टों और एक राजनीतिक दल से जानकारी/शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश और जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की सहायता से इस विषय में जांच कराई थी जिसमें स्क्रैप व्यौहारी से कुल 197 फोटो पहचान-पत्र प्राप्त हुए थे। आयोग ने यह कथन किया है कि गाजियाबाद में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्रों के वितरण का कार्य नगर निगम के कार्यालय को सौंपा गया था। वितरण का कार्य उचित रूप से नहीं किया गया था और उनकी लापरवाही के कारण ये पत्र स्क्रैप व्यौहारी के पास पहुंच गए थे, जिसके लिए संबंधित पदधारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

रेल परियोजनाएं

4547. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक उत्तर प्रदेश से प्राप्त रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर क्या कार्रवाई की गई और परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई और उक्त अवधि तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितना आवंटन किया गया; और

(घ) इन सभी परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) रेल सेवाओं तथा परियोजनाओं की योजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर तथा यातायात की मांगों के साथ-साथ प्रणाली की आवश्यकताओं के एकीकृत विचार को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। निवेश संबंधी निर्णय लेने में राज्य की भौगोलिक सीमाएं मानदण्ड नहीं होती हैं। बहरहाल, विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा प्रत्येक परियोजनाओं पर की गई कार्रवाई आवंटित निधियों तथा स्वीकृत परियोजना के मामले में पूरा करने की लक्ष्य

तिथि तथा उच्च परियोजना के शुरू न करने के कारण सहित नीचे दिया गया है:

(1) लखनऊ में उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत

उपनगरीय सेवाओं के लिए लखनऊ के आस-पास सर्कुलर रेल का विद्युतीकरण 2000-01 में स्वीकृत कर दिया है। 2000-01 तथा 2001-02 के लिए आवंटन क्रमशः 1 करोड़ रु. तथा 8.3897 करोड़ रुपए है। इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2002 है।

(2) ऋषिकेष-देहरादून: नई लाइन

डोईवाला (देहरादून के निकट सहित ऋषिकेष को जोड़ने वाली नई बड़ी रेल लाइन के लिए हाल ही में सर्वेक्षण कराया गया है।) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 19.26 कि.मी. रेल लाइन के निर्माण की लागत का प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 81.78 करोड़ रु. आकलित की गयी है। संसाधनों की तंगी तथा प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति के कारण परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में नई विद्युत परियोजनाएं

4548. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में, विशेषकर तमिलनाडु में नई विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मौजूदा विद्युत परियोजनाओं और उनके कार्यनिष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की अनुमति दे दी है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्य डीजल (एचएसडी) की बिक्री और खपत को रोकने के लिए बाध्य है या फिर सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोनों प्रकार के डीजल उपलब्ध कराएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हाँ। 21027.10 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता के लिए विद्युत परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जल विद्युत और ताप विद्युत का स्टेशन-वार ब्यौरा वर्ष 1998-99 से 2000-01 के लिए उनके विद्युत उत्पादन कार्य निष्पादन समेत संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तमिलनाडु में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों और नई विद्युत स्कीमों, जिनके लिए के.वि.प्रा. ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
क. निर्माणाधीन	
पाइकारा अल्टीमेट (जल विद्युत)	150
नैवेली टीपीएस-1 विस्तार (ताप विद्युत)	420
नैवेली जीरो टीपीएस (ताप विद्युत)	250
समयानल्लूर	106
ख. के.वि.प्रा. की स्वीकृति प्राप्त स्कीमें	
उत्तर मद्रास टीपीएस-2 (ताप विद्युत)	1050
तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (ताप विद्युत)	525
उत्तर मद्रास (ताप विद्युत) टीपीपी चरण-3	525
कुड्डालोर टीपीपी (ताप विद्युत)	1320
वेम्बर सीसीजीटी (ताप विद्युत)	1873

(ग) से (ङ) जी, हाँ। गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में 11888.58 मेगावाट क्षमता के लिए विद्युत परियोजनाएं चालू की गयी हैं। कुल खर्च का परियोजना-वार ब्यौरा विदेशी सहायता वाली परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

परियोजना का नाम	राज्य/एजेंसी	(क्षमता) (मेगावाट)	टीईसी की तारीख	एफसी/स्वीकृति/ सीसीईए अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
तालचेर चरण-2 यू-3 से 6	उड़ीसा/एनटीपीसी	4×500	23.10.97	जनवरी'99
सिम्हाद्री टीपीएसयू-1 और 2	आ.प्र./एनटीपीसी	2×500	अगस्त, 96	8.7.97
नैवेली टीपीएस-1 यूनिट-1 और 2	तमिलनाडु, एनएलसी	2×210		फरवरी, 1996 (चालू करने की प्रत्याशित तिथि) यू-1 12/2001 यू-2 6/2002
प्रगति सीसीपीपी जीटी-1व2+एसटी	दिल्ली/डीवीबी	2×104.6+ 121.8	10.2.2000	
सूरतगढ़ टीपीएस चरण-2 यू-3 व 4	राजस्थान/आरआरवीयूएन	2×250	9.7.1999	सितम्बर' 99
सूरतगढ़ टीपीएस चरण-3 यूनिट-5	राजस्थान/आरआरवीयूएन	250	27.7.2001	
अकरीमोटा लिग्नाइट	गुजरात/जीएमडीसीएल	2×125	6.9.99	
रतलाम डीजल पावर परियोजना	मध्य प्रदेश	118.632	10.2.98	
रायलसीमा चरण-2 टीपीपी	आं.प्र./एपीजेनको	2×210	3/2001	
रायचूर टीपीपी यूनिट-7	कर्नाटक/केपीसीएल	210	31.1.2001	
डाभोल सीसीजीटी-2 जीटी-1 से 4 +एसटी 1 और 2	महा./डाभोल पावर कंपनी	1444	26.11.93	6.5.99
रामागुण्डम टीपीपीयू-1 और 2	आं.प्र./बीपीएल पावर परियोजना	2×260	26.6.97	वित्तीय समापन प्राप्त नहीं
नैवेली जीरो टीपीएस यू-1	टीएन/एसटी-सीएमए इले. कं.	250	19.8.94	3.11.99
समयानल्लूर डीजी 1 से 7	टीएन/बालाजी पावर कार्पो. लि.	7×15.143	10.2.98	अप्रैल, 2000
जोजोबेरा टीपीएस यूनिट-2	झारखंड/जमशेदपुर पावर कंपनी लि.	120	दिसंबर, 97	17.12.98

1	2	3	4	5
पेद्दापुरम सीसीजीटी जीटी+एसटी	आं.प्र./बीएसईएस	142+78	*	वित्तीय समापन प्राप्त नहीं
तनीरबावी सीसीजीटी	कर्नाटक/तनीरबावी पावर कं.	220	*	14.9.2000
बम्बूफ्लैट डीजी यू-1 से 4	ए एंड एन/सूर्यचक्र पावर कारपोरेशन लि.	4×5	*	1.8.2000 (चालू होने की प्रत्याशित तिथि) यू-1 और 2 2/2002 यू-3 और 4 3/2002
लिमाखोंग डीजीपीपी	मणिपुर/राज्य क्षेत्र	6×6	16.10.97	
रोखिया जीटी विस्तार चरण-2 यू-7	त्रिपुरा/राज्य क्षेत्र	21	*	
बारामूरा जीटी	त्रिपुरा/राज्य क्षेत्र	21	*	
	त्रिपुरा क्षेत्र	21	*	बारामूरा जीटी क्षेत्र
एलवीएस डीजीपीपी डीजी 1 व 2	एपी/एलवीएस पावर लि.	2×18.4	*	8.5.2000
जोड़ ताप विद्युत				
टीईसी जारी करना आवश्यक नहीं था क्योंकि परियोजनाओं की लागत के.वि.प्रा. की टीईसी के लिए निर्धारित सीमा से कम थी। संबंधित राज्य सरकार/अंदमान व निकोबार प्रशासन द्वारा निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु परियोजना स्वीकृत।				
जल विद्युत				
नाथपा-झाकरी	हि.प्र./एनजेपीसी	6×250	13.5.86	5.4.89
दुलहस्ती	जम्मू व कश्मीर/एनएचपीसी	3×130	5/86	11/82 (संशोधित 7/89)
चमेरा चरण-2	हि.प्र./एनएचपीसी	3×100	7/98	18.5.99
लोकतक डी/एस	मणिपुर/एनएचपीसी	3×30	26.2.99	30.12.99
तीस्ता चरण-5	सिक्किम/एनएचपीसी	3×170	26.2.99	11.2.2000
धौलीगंगा	यूपी/एनएचपीसी	4×70	1/88	8.4.91, 7/2000
टिहरी चरण-1	यूपी/टीएचडीसी	4×250	8/88 (सं.अ.)	15.3.94
कोटेश्वर	यूपी/टीएचडीसी	4×100	8/88	10.4.2000
रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	3×135	12/84	4/87
तुरियल	मिजोरम/नीपको	2×30	6/97	7.7.98
कोपिली चरण-2	असम/नीपको	25	आवश्यक नहीं	27.7.99

1	2	3	4	5
इंदिरा सागर	म.प्र./एनएचपीसी	8×125	22.5.84	6.9.89
डब्ल्यूवाईसी	हरियाणा/राज्य सरकार	2×7.2	3/90	4.2.2000
लारजी	हि.प्र./राज्य सरकार	3×42	14.1.2000	–
अपर सिंध-2	जम्मू व कश्मीर/राज्य क्षेत्र	2×35	17.3.82	22.11.83
अपर सिंध-2 विस्तार	जम्मू व कश्मीर/राज्य क्षेत्र	35	10.8.88	26.6.89
सेवा चरण-3	जम्मू व कश्मीर/राज्य क्षेत्र	3×3	10.8.88	लागू नहीं
शाहपुरकंडी*	जम्मू व कश्मीर/राज्य क्षेत्र	4×40+1×8	10.3.92	5.7.93
लखवर-व्यासी**	पंजाब/राज्य सरकार	3×100+2×60	–	9.1.76
मनेरी भाली-2**	उत्तर प्रदेश/राज्य सरकार	4×76	21.2.00	27.1.81
सरदार सरोवर	गुजरात/मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र/राज्य क्षेत्र	6×200+5×50	10.1.84	5.10.88
बाणसागर टोंस चरण-2 और 3	मध्य प्रदेश/राज्य क्षेत्र	2×15+3×20	11.3.83	30.6.84
बाणसागर चरण-4	मध्य प्रदेश/राज्य क्षेत्र	2×10	14.8.91	31.7.92
मरहीखेड़ा	मध्य प्रदेश/राज्य क्षेत्र	60		
घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र/राज्य क्षेत्र	2×125	18.2.87	11.8.92
भिवपुर पीएसएस*	महाराष्ट्र/राज्य क्षेत्र	90	4.12.90	–
श्रीसेलम एलबीपीएच	आं.प्र./राज्य क्षेत्र	6×150	5/86	1.9.86
बृन्दावन*	कर्नाटक/राज्य क्षेत्र	2×6	6.12.89	10.4.90
शरावती	कर्नाटक/राज्य क्षेत्र	4×60	10/83	6.5.87
मालनकारा	केरल/राज्य क्षेत्र	3×3.5	1/84	8/86
कुटियाडी टीआर	केरल/राज्य क्षेत्र	3×1.25	आवश्यक नहीं	5/89
पाइकारा अल्टीमेट	टीएन/राज्य क्षेत्र	3×50	11/87	1.8.88
कलपोंग	अंडमान व निकोबार/राज्य क्षेत्र	3×1.75	15.7.98	–यूनिट 1 27.6.2001 को चालू यनिट-2 व 3 जुलाई, 2001 में प्रत्याशित
चांडिल	बिहार/राज्य क्षेत्र	2×4	22.10.86	14.4.87
उत्तर कोयल**	बिहार/राज्य क्षेत्र	2×12	17.6.83	10.3.84
अपर इन्द्रावती	उड़ीसा/राज्य क्षेत्र	6		

1	2	3	4	5
पोत्तेरू	उड़ीसा/राज्य क्षेत्र	2×3	11.3.83	20.7.84
बालीमेला बांध दो चरण	उड़ीसा/राज्य क्षेत्र	2×30	12/76	26.2.77
राम्मम चरण-1*	प. बंगाल/राज्य क्षेत्र	3×12	10.12.91	17.3.93
पुरुलिया पीएसएस	प. बंगाल/राज्य क्षेत्र	4×225	31.7.92	9.2.94
रोलेप-1*	सिक्किम/राज्य क्षेत्र	2×4.5	–	16.8.97
कारबी-लांग्पी**	असम/राज्य क्षेत्र	2×50	5/78	24.9.79
धनश्री**	असम/राज्य क्षेत्र	5×3×1.33	12/80	6.2.85
लिकिम रो	नागालैंड/राज्य क्षेत्र	3×8	11.1.89	18.10.89
बास्पा चरण-2**	हिमाचल प्रदेश/निजी क्षेत्र	3×100	24.4.94	2003-04 तक पूरा होने की प्रत्याशा है
मलाना	हिमाचल प्रदेश/निजी क्षेत्र	4×100	30.6.97	–
विष्णुप्रयाग	उत्तर प्रदेश/निजी क्षेत्र	4×82.5	14.6.00	–
श्रीनगर**	उत्तर प्रदेश/निजी क्षेत्र	10×40	30.12.96	6.4.2000
बूथाथनकेट्टू	केरल/निजी क्षेत्र	16	लागू नहीं	लागू नहीं

*परियोजना कार्य अभी हाथ में लिया जाना है।
**परियोजना का कार्य रुका हुआ है।

विवरण II

राज्य/केन्द्र	1998-99		1999-2000		2000-01	
	कार्यक्रम (मि.यू.)	उपलब्धियां (मि.यू.)	कार्यक्रम (मि.यू.)	उपलब्धियां (मि.यू.)	कार्यक्रम (मि.यू.)	उपलब्धियां (मि.यू.)
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
भाखड़ा एल एंड आर	5000	6875	5060	5746	5030	4692
गंगूवाल एंड कोटला	1000	1141	1050	1224	1110	1054
देहर	3100	3762	3100	3049	3160	3162
पोंग	1550	2328	1550	2048	1700	1516
बैरास्यूल-1 और 2	750	750	750	425	750	649
सलाल-1 और 2	2800	3234	2925	3248	3200	2939

1	2	3	4	5	6	7
टनकपुर	420	480	425	408	450	435
चमेरा	1700	2362	1900	2126	1995	2112
उड़ी	2400	2575	2600	1954	2575	1781
राज्य क्षेत्र						
डब्ल्यू.वाई.सी. (हरियाणा)	225	267	225	242	228	244
गिरि बाटा (हि.प्र.)	250	282	240	204	240	205
बस्सी (हि.प्र.)	300	332	300	259	300	262
बिनावा (हि.प्र.)	33	35	40	42	30	34
अन्धरा (हि.प्र.)	60	29	70	43	70	44
संजय (हि.प्र.)	600	687	600	571	600	502
गज (हि.प्र.)	45	0	45	36	51	49
बनेर (हि.प्र.)	50	45	50	27	43	39
थिरोत (हि.प्र.)	16	48	15	15	8	16
धानवी (हि.प्र.)	–	–	5	0	87	14
लोअर झेलम (जम्मू व कश्मीर)	550	475	550	398	550	343
अपर सिंध 1 और 2 (जम्मू व कश्मीर)	100	84	100	87	120	115
गांडेरबल (जम्मू व कश्मीर)	40	26	40	36	50	16
चेनानी 1 और 3 (जम्मू व कश्मीर)	100	77	82	87	100	81
मोहरा (जम्मू व कश्मीर)	0	0	5	0	5	1
स्टकना (जम्मू व कश्मीर)	0	0	0	0	0	3
कारगिल (जम्मू व कश्मीर)	16	0	10	0	14	0
सेवा-3 (जम्मू व कश्मीर)	30	0	10	0	10	0
मिनी/माइक्रो (जम्मू व कश्मीर)	40	0	15	0	0	0
आर.पी. सागर (राजस्थान)	650	556	590	481	352	183
जवाहर सागर (राजस्थान)	430	402	390	361	234	140
माही बजाज 1 और 2 (राजस्थान)	350	323	350	144	280	36
अनूपगढ़ 1 और 2 (राजस्थान)	8	8	10	13	12	13

1	2	3	4	5	6	7
सूरतगढ़ (राजस्थान)	2	2	3	3	5	1
मंगरोल (राजस्थान)	10	7	9	1	7	3
अन्य मिनी/माइक्रो (राजस्थान)	–	–	4	0	0	0
यूबीडीसी-4 (पंजाब)	270	253	340	329	340	345
शाहनन (पंजाब)	520	636	540	506	550	489
मुकेरियां-1 और 6	1320	1530	1320	1547	1360	1222
आनंदपुर साहिब 1 और 2 (पंजाब)	920	1077	940	838	910	652
थीन बांध (पंजाब)	250	0	560	0	550	433
रिहन्द	900	1054	900	931	980	1048
ओबरा (उ.प्र.)	310	395	300	360	370	414
माताटीला (उ.प्र.)	120	130	120	157	130	137
गंगा केनाल (3 फेज) (उ.प्र.)	175	118	160	158	160	144
खटीमा (उ.प्र.)	220	171	220	160	200	166
रामगंगा (उ.प्र.)	250	344	360	391	300	473
धकरानी (वाई चरण-1) (उ.प्र.)	160	158	155	109	155	143
धालीपुर (वाई चरण-1) (उ.प्र.)	240	284	240	212	240	220
कुल्हल (वाई चरण-4) (उ.प्र.)	150	184	150	136	160	146
चिबरो (वाई चरण-2) (उ.प्र.)	900	1064	900	828	900	767
चिल्ला (उ.प्र.)	700	822	725	717	725	519
खोदरी (वाई चरण-2) (उ.प्र.)	420	492	420	365	430	369
मनेरी भाली (उ.प्र.)	400	467	400	418	400	409
खारा (उ.प्र.)	375	455	375	330	380	345
सोबला	0	0	0	0	28	1
उकई (गुजरात)	840	925	840	827	780	420
उकई एलबीसी (गुजरात)	10	19	10	24	20	19
कदाना पीएसएस (गुजरात)	560	405	780	188	500	0
गांधी सागर (मध्य प्रदेश)	420	540	450	345	425	103

1	2	3	4	5	6	7
पेंच (मध्य प्रदेश)	525	561	525	562	550	283
बारगी (मध्य प्रदेश)	550	650	550	482	550	364
बाणसागर टोंस (मध्य प्रदेश)	350	431	350	570	425	743
बीरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)	50	26	50	45	50	36
हसदेव बांगो (मध्य प्रदेश)	350	587	350	431	400	233
राजघाट (मध्य प्रदेश)	–	–	100	27	100	58
कोयना चरण 1 और 2	2750	2964	2298	2569	1360	1719
कोयना चरण-1 और 2 (महाराष्ट्र)	0	0	0	0	560	651
कोयना चरण-4 (महाराष्ट्र)	–	–	570	302	1150	605
कोयना डीपीएच (महाराष्ट्र)	140	129	120	159	150	103
वैतराना+बांध पीएच (महाराष्ट्र)	140	146	140	185	180	125
तिल्लारी (महाराष्ट्र)	150	78	130	113	140	112
भीरा टेल रेस (महाराष्ट्र)	100	75	80	89	100	65
पैथान (महाराष्ट्र)	30	20	25	16	20	8
पवना	20	18	15	11	15	8
भटसा (महाराष्ट्र)	60	33	50	78	70	57
भण्डारधारा-1 (महाराष्ट्र) और 2	50	0	50	0	50	10
खड़गवासला 1-2 (महाराष्ट्र)	40	49	60	77	60	51
वीर (महाराष्ट्र)	90	71	40	75	77	48
भटगर (महाराष्ट्र)	–	–	40	15	0	0
एलदरी (महाराष्ट्र)	30	52	30	42	45	38
राधानगरी (महाराष्ट्र)	10	6	8	12	8	10
कन्हेर (महाराष्ट्र)	10	16	5	10	15	5
उज्जैयिनी पीएसएस (महाराष्ट्र)	20	39	22	27	26	18
सूर्या (महाराष्ट्र)	20	3	20	0	20	5
माणिकदोह (महाराष्ट्र)	20	0	20	1	20	5
ढोम (महाराष्ट्र)	5	5	5	8	5	5

1	2	3	4	5	6	7
डिम्बे (महाराष्ट्र)	15	0	10	1	10	1
दूधगंगा (महाराष्ट्र)	10	0	20	0	60	0
करंजवन (महाराष्ट्र)	5	0	5	0	0	0
वारना (महाराष्ट्र)	30	0	30	17	20	12
भीरा (महाराष्ट्र)	970	489	980	1072	930	714
भीरा पीएसएस (महाराष्ट्र)	100	438	0	0	0	0
भिवपुरी (महाराष्ट्र)	250	209	205	286	260	254
खोपोली (महाराष्ट्र)	180	171	215	257	210	184
मचकुंड (आंध्र प्रदेश)	730	538	770	739	750	659
टी.बी. बांध और हम्पी (आं.प्र.)	200	220	200	224	200	225
अपर सिलेरू 1 और 2 (आं.प्र.)	450	324	450	443	400	438
लोअर सलेरू 1 और 2 (आं.प्र.)	1150	872	1150	1263	1150	1313
नागार्जुन सागर आरबीसी (आं.प्र.)	2550	2383	2600	2396	2830	1525
नागार्जुन सागर आरबीसी (आं.प्र.)	180	254	200	205	230	43
नागार्जुन सागर एलबीसी विस्तार (आं.प्र.)	100	106	100	84	120	17
श्रीसेलम (आंध्र प्रदेश)	3000	2617	3000	2975	3155	3036
निजाम सागर (आंध्र प्रदेश)	30	14	18	18	14	29
पोचमपेड (आं.प्र.)	80	150	90	118	100	127
डोंकरायी (आं.प्र.)	80	74	80	120	98	141
पेन्ना अहोबिलाम (आं.प्र.)	10	34	13	31	15	66
सिंगुर (आं.प्र.)	20	0	32	31	30	88
मिनी (आं.प्र.)	–	–	9	21	0	12
श्रीरोलम	0	0	0	0	80	0
शरावती (कर्नाटक)	5000	5214	5200	5734	5200	5233
कालीनदी (कर्नाटक)	2600	2239	2100	3075	2300	2568
सुपा डीपीएच (कर्नाटक)	380	365	350	486	377	425

1	2	3	4	5	6	7
भद्रा (3 चरण) (कर्नाटक)	70	83	80	111	90	108
लिंगनामक्की (कर्नाटक)	250	265	250	293	250	275
वराही (कर्नाटक)	900	1147	1000	1213	1000	1100
घाटप्रभा (कर्नाटक)	120	121	120	125	116	86
मल्लापुर (कर्नाटक)	30	1	25	0	25	25
मनी डीपीएच (कर्नाटक)	20	24	28	27	25	25
कदरा (कर्नाटक)	320	292	330	361	400	345
कोडासल्ली (कर्नाटक)	275	104	291	267	450	305
गुरुसप्पा (कर्नाटक)	0	0	0	0	130	42
जोग (कर्नाटक)	130	159	136	74	136	0
शिवसमुद्रम (कर्नाटक)	130	114	113	139	120	75
शिमसापुर (कर्नाटक)	90	90	98	87	97	62
मुनिराबाद (कर्नाटक)	110	98	95	98	97	100
शिवपुर (प्रा.) (कर्नाटक)	60	75	88	61	95	105
शाहपुर (कर्नाटक)	0	0	0	0	16	14
इडुक्की (केरल)	2800	2822	2750	2741	2800	2296
सबरीगिरी (केरल)	1300	1757	1450	1509	1475	1338
कुटियाडी (केरल)	270	301	275	277	305	267
शोलायार (केरल)	240	283	240	303	240	196
सेंगुलम (केरल)	170	130	150	136	160	133
नरीमंगलम (केरल)	280	300	280	301	285	264
पल्लीवसल (केरल)	240	175	220	176	200	166
पोरिंगलकुथू (केरल)	200	182	200	169	210	174
पन्नियार (केरल)	170	201	170	163	170	169
कल्लड (केरल)	60	54	65	79	80	69
इदमलयार (केरल)	380	424	380	375	410	329
लोअर पेरियार (केरल)	500	667	600	577	625	545

1	2	3	4	5	6	7
पप्पारा (3 मेगावाट) (केरल)	10	0	5	8	9	10
काक्कड (केरल)	260	0	262	152	262	178
पोरिंगलकुथू एलबी (केरल)	30	0	38	67	40	543
कुटियाडी टी.आर. (केरल)	–	–	10	0	10	0
मालनकारा (केरल)	–	–	30	0	0	0
कुटियाडी विस्तार (केरल)	–	–	30	0	0	0
मधुपेट्टी (केरल)	–	–	5	0	0	3
मिनी/माइक्रो (केरल)	10	0	10	0	0	0
मनियार (केरल)	30	45	28	33	35	31
पाइकारा (तमिलनाडु)	400	368	403	383	390	349
मोयार (तमिलनाडु)	150	140	151	151	151	148
कुंडा-1-5 (तमिलनाडु)	1600	1437	1650	1325	1550	1701
सुरुलियार (तमिलनाडु)	70	103	70	73	79	93
अलियार (तमिलनाडु)	160	196	180	188	188	184
मेत्तूरबांध और टनल (तमिलनाडु)	510	647	514	547	550	708
लोअर मेत्तूर 1-6 (तमिलनाडु)	300	430	350	359	350	430
पेरियार (तमिलनाडु)	470	586	500	421	500	487
पपनासम (तमिलनाडु)	120	118	120	116	130	125
सरकरपथी (तमिलनाडु)	160	118	161	130	162	157
शोलायार 1 और 2 (तमिलनाडु)	340	319	342	292	355	384
कोडायार 1 और 2	200	205	201	222	210	312
सेरलवलार (तमिलनाडु)	30	33	30	40	40	34
कदमपराई पीएसएस (तमिलनाडु)	100	187	140	143	160	187
वगाई बांध (तमिलनाडु)	90	71	20	18	0	21
लोअर भवानी (तमिलनाडु)	–	–	73	51	103	42
सतनूर (तमिलनाडु)	10	0	10	8	0	15
पार्सन्स वैली (तमिलनाडु)	0	0	0	0	56	64

1	2	3	4	5	6	7
कोसी (बिहार)	20	10	20	7	10	2
सुवर्णरेखा 1 और 2 (बिहार)	200	130	200	169	211	95
एस.डब्ल्यू. लिंक नहर (बिहार)	30	19	30	10	20	15
सोन पूर्व नहर (बिहार)	–	–	10	3	10	8
ईएस नहर (बिहार)	70	24	30	18	25	24
मैथान (डीवीसी)	140	212	173	230	175	130
पंचेट एवं विस्तार (डीवीसी)	200	96	184	188	208	141
तिलैया (डीवीसी)	10	11	13	23	17	11
बालीमेला (उड़ीसा)	1000	806	983	1218	1070	1006
हीराकुंड 1 और 2 (उड़ीसा)	1100	1220	1121	1104	1100	588
रेंगाली (उड़ीसा)	875	949	850	912	873	721
अपर कोलाब (उड़ीसा)	875	436	700	796	725	517
पोत्तेरू (उड़ीसा)	25	0	0	0	0	0
अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	–	–	1356	513	1800	1780
जलढका 1 और 2 (प. बंगाल)	100	121	110	102	110	93
मास्सनजोर 1 और 2 (प. बंगाल)	10	0	3	0	3	0
रामन 2 (प. बंगाल)	180	228	190	244	195	234
तीस्ता प्रपात 1 और 2 (प. बंगाल)	50	8	60	50	92	119
लोअर लगयाप (सिक्किम)	15	19	–	–	0	0
मियांग्चू (सिक्किम)	15	5	45	11	45	21
अपर रोगिंचू (सिक्किम)	15	2	–	–	0	0
रंगित (सिक्किम)	–	–	150	26	300	304
किरदमकुलई (मेघालय)	175	166	130	171	148	165
उमियम चरण-1 (मेघालय)	80	101	95	109	102	123
उमियम चरण-2 (मेघालय)	37	49	47	48	47	53
उमियम चरण-4 (मेघालय)	140	171	135	245	168	244
उमत्रु (मेघालय)	58	57	61	61	55	73

1	2	3	4	5	6	7
गुमटी (त्रिपुरा)	50	57	50	61	56	70
टैंगो (अरुणाचल प्रदेश)	15	16	20	14	20	13
नूरांग (अरुणाचल प्रदेश)	275	234	222	173	222	231
खांडोंग (नीपको)	940	748	992	580	992	595
कोपिली (नीपको)	0	0	0	0	277	73
लोकतक (एनएचपीसी)	450	531	450	506	450	551
ताप विद्युत						
केन्द्रीय क्षेत्र						
बदरपुर (एन.टी.पी.पी.)	4300	4867	4300	5022	4600	5181
तालचेर (ओल्ड) (एनटीपीसी)	1800	2240	2000	2327	2100	2494
सिंगरौली (एनटीपीसी)	15000	15814	15000	16460	15308	16408
रिहन्द एसटीपी (एनटीपीसी)	7500	6815	6590	7605	7000	7020
दादरी (एनटीपीसी)	5900	6728	6050	7093	6700	6886
कोरबा एसटीपीएस (एनटीपीसी)	155000	15903	15500	15780	15500	16254
विन्ध्य एसटीपीस (एनटीपीसी)	8500	9810	11000	9897	13270	14191
रामागुंडम (एनटीपीसी)	16000	15863	15120	16649	16000	16422
फरक्का (एनटीपीसी)	5100	5470	4800	6792	6860	8238
कहलगांव एसटीपी	2670	3989	3000	4284	3440	4826
तालचेर एसटीपी (एनटीपीसी)	3190	4318	3646	5322	3600	5248
ऊंचा (एनटीपीसी)	2840	3023	4000	3631	5200	5375
टांडा (एनटीपीसी)	0	0	0	0	1050	1189
फरीदाबाद सीसीजीटी (एनटीपीसी)	0	0	3422	1066	2500	2290
अंता जीटी (एनटीपीसी)	2800	2926	2800	3189	2900	2881
औरैया जीटी (एनटीपीसी)	3900	4157	3900	5085	4150	4686
दादरी जीटी (एनटीपीसी)	4000	5098	4100	5126	4000	5643
कवास जीटी (एनटीपीसी)	2700	4354	2276	4788	3700	5697
गांधार जीटी (एनटीपीसी)	2500	2165	1400	2282	2060	2791

1	2	3	4	5	6	7
कायमकुलम (एनटीपीसी)	0	216	1500	1249	1590	1995
नैवेली-1 (एनएलसी)	3550	3772	8800	3747	13300	14677
नैवेली-2 (एनएलसी)	10150	9569	9550	9561	–	–
चन्द्रपुरा (डीवीसी)	2000	1926	2000	1734	8222	7911
दुर्गापुर (डीवीसी)	1520	1517	1575	1533	–	–
बोकारो (डीवीसी)	2300	2599	2270	2293	–	–
मेजिया (डीवीसी)	900	1317	1500	2118	–	–
मैथान जीटी (डीवीसी)	15	28	15	21	–	–
कथालगुडी जीटी (नीपको)	950	746	1000	1098	1420	1656
अगरतला जीटी (नीपको)	250	193	250	363	–	–
राज्य क्षेत्र						
डीवीबी	2930	2064	2300	2533	2800	2800
जे एंड के	65	6	50	0	50	5
एचएसईबी/एचपीजीसी	3600	3487	3772	4858	4200	3551
आरएसईबी	7560	6766	7750	8176	8850	9860
पीएसईबी	12500	10897	12783	13837	14000	14458
यूपीएसईबी/यूपीआरवीयूएनएल	21090	18753	21300	19096	19950	19582
जीईबी	27400	22847	23327	22129	22500	22898
जीएसईसीएल	0	0	2400	2137	2700	2883
एमएसईबी	43795	40839	42275	41530	43800	42188
एमपीईबी	18400	18201	19000	20152	21900	20417
एपीएसईबी/एपीजेनको	20455	19758	20665	21500	21300	21928
एपी गैस पीसी	630	1800	1800	2001	2070	1978
टीएनईबी	19970	17261	17867	19076	19650	19682
पांडिचेरी	0	0	200	132	230	233
केपीसीएल	6050	6058	8650	7764	9000	8904
केईबी/वीवीएनएल कर्नाटक	670	624	720	708	770	658

1	2	3	4	5	6	7
केरल एसईबी	500	252	935	579	1240	789
बीएसईबी	2200	2566	2700	2246	2000	2016
तेनुघाट 5	1600	1474	1500	1169	1200	1333
उड़ीसा पी.	2500	2803	2000	3159	2900	3006
डब्ल्यूबीएसईबी	3260	3263	3275	3543	3600	3189
डब्ल्यूपीईवीसी	5800	6697	6100	6235	6360	7507
डीपीएल	950	602	700	848	800	597
एएसईबी	1350	939	1040	920	1290	932
त्रिपुरा	340	287	330	251	325	242
निजी क्षेत्र						
ए.ई. कंपनी	3150	3173	3200	3397	3300	3365
ट्राम्बे	7100	7418	7000	7366	7000	8101
बीएसईएस कंपनी	3700	3277	3600	3778	3600	3576
सी.ई.एस.सी.	4800	4823	5000	5409	5990	5409
जीआईपीसीएल	2230	2100	2160	1935	3370	2534
पघुथन जी.	4000	2781	4860	3863	4280	2482
एस्सार आईएमपी	4000	3184	2160	1268	1975	558
जेगुरुपाडु	1800	1452	1600	1631	1625	1658
गोदावरी जी/स्पैक्ट्रम	1500	1361	1500	1617	1615	1567
कोंडापल्ली	0	0	850	0	2010	679
बेल्लारी	0	0	700	0	0	13
डाभोल	0	258	5834	3996	5650	2465
बेसिन ब्रिज डी/जीएमआरवी दासवी	0	161	1225	1478	1350	1281
नालको आईएमपी	0	0	600	694	600	331
आईसीसीएल आईएमपी	0	0	600	398	400	494
कोचीन सीसीजी	0	0	0	5	1100	154
तोरांगल्लू/जिन्दल	0	7	1200	180	1200	1170

विवरण III

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	विदेशी सहायता से/के बिना चालू होने वाली परियोजना	व्यय (करोड़ रुपये)
	1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र					
उत्तरी क्षेत्र					
पानीपत टीपीएस (हरि.)	–	–	210	नहीं	763.66
रंजीत सागर बांध (पंजाब)	–	–	600	नहीं	3300.31
भटिण्डा (पंजाब)	210	–	–	नहीं	1135.58
सूरतगढ़ (राजस्थान)	250	250	–	नहीं	2117.59
घानवी (हिमाचल प्रदेश)	–	–	22.5	नहीं	119.75
चेनानी-3 (जम्मू कश्मीर)	–	–	7.5	नहीं	42.27
अपर सिंध-2 (जम्मू-कश्मीर)	–	35	..	नहीं	342.48
सोबला	6	–	–	नहीं	14.49 (9/98)
पश्चिमी क्षेत्र					
वनाकबोरी (गुजरात)	210	–	–	नहीं	632.48
संजय गांधी विस्तार (मध्य प्रदेश)	210	210	–	नहीं	815.00
खापरखेड़ा टीपीएस (महाराष्ट्र)	–	–	420	नहीं	1248.00
चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	–	–	–	हां	1074.03
कदाना (गुजरात)	60	–	–	नहीं	120.63
बाणसागर टोंस चरण-3 (मध्य प्रदेश)	–	–	20	नहीं	797.41
राजघाट (मध्य प्रदेश)	–	45	–	नहीं	120.28
कोयना-4 (महाराष्ट्र)	250	750	–	हां	1152.29

	1	2	3	4	5
वारना (महाराष्ट्र)	8	–	–	नहीं	31.14
दूधगंगा (महाराष्ट्र)	–	24	–	नहीं	47.49
दक्षिणी क्षेत्र व द्वीपसमूह					
श्रीसेलम एलबीपीएच (आं.प्र.)	–	–	150	हां	2269.57
शरावती टोआर (कर्नाटक)	–	–	60	हां	381.05
रायचूर (कर्नाटक)	210	210	–	नहीं	1277.70
ब्रह्मपुरम (केरल)	20	–	–	नहीं	301.20
कुटियाडी विस्तार (केरल)	–	–	50	नहीं	230.92
कोझीकोड (केरल)	–	128	–	नहीं	301.20
कराइकल (पांडिचेरी)	22.9	9.6	–	नहीं	131.29
सिंगुर (आ.प्र.)	–	15	–	नहीं	37.75
कालीनदी-कोंडासल्ली (कर्नाटक)	80	40	–	नहीं	530.66
काक्कड़ (केरल)	–	50	–	नहीं	151.49
पोंरिंगलकुथ् (केरल)	16	–	–	नहीं	47.20
कोविलकलप्पल सीसीजीटी, तमिलनाडु	–	–107	(जीटी+एसटी)	नहीं	205.19
सतनूर बांध (तमिलनाडु)	7.5	–	–	नहीं	28.69
कुंडा-5 विस्तार (टीएन)	–	30	–	नहीं	95.61
पार्सन्स वैली	–	30	–	नहीं	95.61
पूर्वी क्षेत्र					
बक्रेश्वर (प. बंगाल)	–	210	420	हां	2674.00
अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	–	300	300	हां	1074.24
तीस्ता नहर (प. बंगाल)	15	22.5	–	हां	531.64

	1	2	3	4	5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
समग्र राज्य क्षेत्र	1675.4	2329.1			
ऊंचाहार, एनटीपीसी	210	210		हां	1275.99
कायमकुलम, एनटीपीसी	230.6	119.4		हां	1043.26
विन्ध्याचल, एनटीपीसी	500	500		हां	2290.69
फरीदाबाद, एनटीपीसी		286	144	हां	816.62
कैथालगुड़ी, नीपको	30			हां	1526.14
दोयांग, नीपको			75	नहीं	719.15
अगरतला, नीपको	21			नहीं	314.13
रंगित-3, एनएचपीसी		60		नहीं	482.70
आरएपीपी, एनपीसी, यू3		220		नहीं	2329.00*
कैगा, एनपीसी यू-3		220		नहीं	2752.00**
					आएपीपी यू-3 और 4 हेतु **कैगा यू-1 और 2 हेतु
निजी क्षेत्र					
उत्तरी क्षेत्र					
मैग्नम पावर एफओ (हरियाणा) (तरल ईंधन)		25		नहीं	42.48
पश्चिमी क्षेत्र					
पगुथन सीसीजीटी (गुजरात)	250			नहीं	2247.00
सूरत लिग्नाइट (गुजरात)		250		नहीं	1157.00
डाभोल-1 (महाराष्ट्र)	740			नहीं	यूएस$1093M
मंगरोल लिग्नाइट (गुजरात)		250		*	1206.00
सलगांवकर सीसीजीटी (गोवा) (तरल ईंधन)		48		नहीं	184.14

	1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र					
कोंडापल्ली सीसीजीटी, आं.प्र.			350 (जीटी+एसटी)	*	1010.261
बेल्लारी डीजीपीपी, कर्नाटक			25.2	*	116.53
बेलगांव पीपी, कर्नाटक			81.3	*	–
तोरांगल्लू (कर्नाटक)	130	130	–	नहीं	1080.00
कसरगोड डीजीपीपी, केरल			21.93	*	–
इलूर (बीएसईएस) (केरल) (तरल इंधन)		135	.39	नहीं	538.00
बेसिन ब्रिज डीजी (तमिलनाडु) (तरल ईंधन)	200			नहीं	यू.एस. डालर 125.65 एम. रु. 354.213 करोड़
समलपट्टी तमिलनाडु			7×15.094	*	–
पीपीएन, सीसीजीटी तमिलनाडु			225	*	–
पूर्वी क्षेत्र					
बज-बज (प. बंगाल)	250			हां	2681.00
जोजोबेरा टीपीएस झारखंड			120	*	194.80
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
बनासकंडी (असम)	5			नहीं	80.10
समग्र निजी क्षेत्र	1575	588.00			
संचयी रूप से अर्जित	4242	4532.5			

*निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्तपोषण ऋण एवं इक्विटी अनुपात संबंधी भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार किया गया है।

दमन और दीव में स्मारकों का रख-रखाव

4549. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्मारक की देख-रेख पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक निम्न प्रकार हैं:

दमन

1. दुर्ग दीवारें मोती दमन
2. दुर्ग दीवारें नानी दमन
3. होली जीसस चर्च
4. ध्वस्त चर्च
5. चैपल ऑफ अवर लेडी ऑफ रोजेरियो
6. चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ रेमेडियोज
7. विविध संरचनाएं

दीव

1. टावर ऑफ साइलेंस
2. बंगली
3. सेंट पाल्ज चर्च
4. दुर्ग तथा उसके अंदर भवन
5. पुरानी मस्जिद (जामी मस्जिद)

(ख) और (ग) दमन और दीव में संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण तथा संरक्षण के लिए प्रयोग की गई निधियां तथा चालू वर्ष के लिए किया गया नियतन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव का पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्मारक-वार तथा वर्षवार व्यय

क्र.सं.	स्मारक का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
दमन					
1.	दुर्ग दीवार मोती दमन	22076	56380	57577	325000
2.	दुर्ग दीवारें नानी दमन	47583	43538	62955	–
3.	होली जीसस चर्च	49861	215645	28339	100000
4.	ध्वस्त चर्च	160000	73171	143093	–
5.	चैपल ऑफ अवर लेडी ऑफ रोजेरिया	378561	528925	452439	140000
6.	चर्च ऑफ अवर लेडी रेमेडियोज	82321	51707	138243	12000
7.	विविध संरचनाएं	517108	59400	141168	30000
दीव					
1.	टावर ऑफ साइलेंस	–	4246	1161	–
2.	बंगली	–	–	–	200000
3.	सेंट पॉल्स चर्च	4100	158879	158366	–
4.	दुर्ग तथा इसके अन्दर भवन	329460	833109	–	865000
5.	पुरानी मस्जिद (जामी मस्जिद)	–	–	–	10000

पेट्रोल पम्पों पर अत्यधिक कम सल्फर वाले डीजल

4550. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी पेट्रोल पम्पों पर केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए अत्यधिक कम सल्फर की मात्रा वाले डीजल उपलब्ध कराए;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के आदेश क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा गरीब किसानों के हितों की रक्षा हेतु इसी दर पर इस ईंधन को उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्य डीजल (एच एस डी) की बिक्री और खपत को रोकने के लिए बाध्य है या फिर सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोनों प्रकार के डीजल उपलब्ध कराएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई, 2000 को इस मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया था कि 30 जून, 2001 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) दिल्ली में अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक अंश वाला डीजल उपलब्ध कराया जाए। उक्त निदेशों के अनुपालन में 30 जून, 2001 से समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर केवल अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक अंश वाले डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) के अंतर्गत भारत चरण-2 उत्सर्जन अनुगामी वाहनों की शुरुआत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक अंश वाले तथा अधिकतम 0.25 प्रतिशत गंधक अंश वाले डीजल की बिक्री करने की योजना आरम्भ की थी। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई, 2000 के अपने आदेश के द्वारा निदेश दिया कि 1 जुलाई, 2001 से सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक अंश वाले डीजल की बिक्री जाए। तदनुसार 1 जुलाई, 2001 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अधिकतम 0.25 प्रतिशत गंधक वाले डीजल की आपूर्ति बन्द कर दी गई थी।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

4551. श्री सुबोध राय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड की भागलपुर (बिहार) शाखा ने वर्ष 1995 से बुनकरों के लिए कोई योजना लागू की हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उस पर कितनी राशि व्यय की गयी;

(घ) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड की भागलपुर शाखा ने स्थानीय रेशम बुनकरों के उपयोग के लिए अपनी प्रयोगशाला हेतु अत्याधुनिक मशीनरी खरीदी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी प्रयोगशाला के कार्यशील न रहने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) को सौंपे गए प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

(1) ऐसे उपायों जिन्हें यह उपयुक्त समझता है द्वारा रेशम उद्योग का विकास।

(2) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान करना, सौंपना तथा प्रोत्साहित करना।

(3) शहतूत की खेती, रेशम कीट पालन के उन्नत तरीकों के उपाय ढूंढना, स्वस्थ रेशम कीट बीजों का विकास व वितरण करना, रिलिंग अथवा जैसी भी स्थिति हो रेशम कीट कोशों व रेशम अवशिष्ट का कटाई, गुणवत्ता का उन्नयन और यदि आवश्यक हो तो कच्चे रेशम की गृह के अनुकूल स्थितियों से उचित रूप में सुसज्जित कर उसकी जांच तथा श्रेणी कर लेने के बाद ही बेचे जाने वाले सभी कच्चे रेशम के लिए इसे आवश्यक बना कर कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए साधन ढूंढना।

(4) कच्चे रेशम के विपणन का सुधार करना।

(5) रेशम उत्पादन से संबंधित आंकड़ों का संग्रह।

(6) कच्चे रेशम के आयात और निर्यात सहित कच्चे रेशम उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

(7) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित रेशम उद्योग से संबंधित ऐसी अन्य रिपोर्टें को तैयार व प्रस्तुत करना।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भागलपुर में एक पारि-परीक्षण प्रयोगशाला और प्रदर्शन-सह-तकनीकी सेवा केन्द्र (डीसीटीएसमी) भी स्थापित किया है।

डीसीटीएससी भागलपुर के स्थानीय बुनकरों की समस्याओं का समाधान करता है तथा विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षित प्रौद्योगिकी सहायता के प्रकार पर निर्भर कोशोत्तर क्षेत्रों अर्थात रीलिंग, बुनाई, रंजन और मुद्रण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है तथा यह ऐसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रसार के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। डीसीटीएससी ने रीलरों तथा बुनकरों को अपना कार्य प्रथाओं में परिवर्तन लाने तथा उत्पादकता और लाभ में सुधार लाने के लिए यंत्र अपनाने के लिए शिक्षित करने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य तसर यार्न की उच्च रीलिंग की प्रथा को बदल कर यंत्र से रीलिंग करने में सहायता देना। 1994-1995 से अब तक 42 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है जिनमें 287 रीलर्स-सह-बुनकर समूहों ने प्रशिक्षण लिया है। तसर रेशम अब प्रमुख रूप से उन्नत मोटरीकृत रीलिंग-सह-ट्विस्टिंग मशीन पर बनाया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान बुनकरों द्वारा इस मशीन को लोकप्रिय बनाने तथा ऐसे यार्न का प्रयोग करने हेतु किया गया सघन प्रदर्शन निम्नानुसार है:

वर्ष	मोटरीकृत रीलिंग सह ट्विसटिंग मशीन (सं.)	व्यय (रु.)	कताई मशीन (सं.)	व्यय (रु.)
1998-99	28	73500	6	18900
1999-00	2	147000	–	6750
2000-01	150	775033	8	10018

विगत तीन वर्षों के दौरान डीसीटीएससी और पारि-परीक्षण प्रयोगशाला के लिए हुआ व्यय निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

वर्ष	प्रदर्शन-सह-तकनीकी सेवा केन्द्र	पारि-परीक्षण प्रयोगशाला
1998-1999	9.32	15.17
1999-00	9.64	15.15
2000-01	10.65	16.85

(घ) और (ङ) भागलपुर में स्थापित पारि-परीक्षण प्रयोगशाला निर्यात योग्य उत्पादों में प्रयुक्त प्रतिबंधित एजो रंजकों की मौजूदगी का प्रधानत: मूल्यांकन करता है तथा अत्याधुनिक मशीनरी इसके पास है। यह कार्य कर रहा है तथा किए जा रहे क्रियाकलाप नीचे दर्शाये गये हैं:

(आंकड़े संख्या में)

किये गये परीक्षण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
भौतिक	75	99	93	36
रसायनिक	51	85	62	33
पारि-परीक्षण	3	2	3	–
कुल	129	186	158	69
अर्जित राजस्व (रु.)	25490	43305	40315	5,520

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

4552. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में विकसित किए जाने वाले नए स्रोतों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों और संगठनों को कुछ प्रोत्साहन/मौद्रिक लाभ देने का है जो महाराष्ट्र में ऐसे ऊर्जा स्रोतों के विकास में सहायता का प्रस्ताव करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कुल 339.25 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकार के विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा उनकी आवश्यकता और उपलब्ध संभाव्यता के आधार पर विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 2001-02 के लिए 10,000 बायोगैस संयंत्रों, 86,000 उन्नत चूल्हों, 100 सौर सड़क रोशनी प्रणालियों, 180 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों और 1500 सौर लालटेनों का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए पवन, लघु पनबिजली, बायोमास और सौर जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित अन्य कार्यक्रम भी आरंभ किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय निजी क्षेत्र की भागीदारिता को आकर्षित करने तथा व्यक्तियों एवं संगठनों को विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पहले ही विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन जैसे केन्द्रीय सब्सिडी, 100% त्वरित अवमूल्यन, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/बिक्री कर से छूट, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि. (इरेडा) से उदार शर्तों पर ऋण, अक्षय ऊर्जा विद्युत आदि की व्हीलिंग, वापसी खरीद, तृतीय पक्ष की बिक्री के लिए प्रेरक नीतियां उपलब्ध करा रहा है। इस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी के ब्यौरे
1	2	3
1.	पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र	सामान्य श्रेणी के लिए 1800/- रु. विशेष लाभभोगियों की श्रेणी जैसे अ.जा./अ.ज.जा. और कमजोर वर्गों के लिए प्रति संयंत्र 2300/- रु. पहाड़ी और उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए 3500/- रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रति संयंत्र 11,700/- रु.
	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित संयंत्र	प्रति संयंत्र 0.44 रु. से 8.0 लाख रु.
2.	उन्नत चूल्हा	
	-टिकाऊ स्थिर चूल्हा चिमनी सहित	सामान्य श्रेणी के लिए 80/- रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 270/- रु.
	-पोर्टेबल चूल्हा	सामान्य श्रेणी के लिए प्रति चूल्हा 50/- रु. द्वीपसमूहों, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 75/- रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 135/- रु.

1	2	3
	– ऊँचे स्थानों पर चूल्हे	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए अधिकतम 450/- रु. तक अन्य राज्यों के लिए अधिकतम 250/- रु.
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	
	– सौर लालटेन	सामान्य श्रेणी के लिए प्रति प्रणाली 1300/- रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 3000/- रु.
	– सौर घरेलू रोशनी प्रणालियाँ और सड़क रोशनी प्रणालियाँ	सामान्य श्रेणी के लिए प्रति प्रणाली 5500/- रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रति प्रणाली 10,000/- रु.
	– सौर सड़क रोशनी प्रणालियाँ	सामान्य श्रेणी के लिए प्रति प्रणाली 11,000/- रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 20,000/- रु.
	– सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	सामान्य श्रेणी के लिए 1.80 लाख रु./पीवी एरे क्षमता कि.वा.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 3.50 लाख रु./पीवी ऐरे क्षमता कि.वा.पी.
3.	एसपीवी जल पंपन कार्यक्रम	
	पूँजीगत सब्सिडी	अधिकतम 2.50 लाख रु./प्रणाली सहित एसपीवी ऐरे का 110 रु. प्रति वाट।
	ब्याज सब्सिडी	2.5% से 5% अधिकतम प्रणाली लागत का 90% तक
5.	जल पंपन पवन चक्कियाँ	प्रति प्रणाली 20,000 रु. से 45,000 रु.
6.	लघु एरोजनरेटर एवं हाइब्रिड प्रणालियाँ	प्रति कि.वा. 2.00 लाख रु. या पूर्व-कार्य लागत का 50%, जो भी कम हो।
7.	बायोमास गैसीफायर	सामान्य राज्यों के लिए 30% से 60% पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 90% अ.जा./अ.ज.जा. तथा कमजोर वर्गों के लिए सब्सिडी की उच्च दर का 10%
8.	लघु पनबिजली कार्यक्रम	
	पूँजीगत सब्सिडी	
	1 मे.वा. तक	उपकरण लागत + सिविल लागत का 50%, 30,000 रु. से 60,000 रु. प्रति मे.वा. तक
	1 मे.वा. से अधिक 5 मे.वा. तक	उपकरण लागत+सिविल लागत का 25%, 1.50 करोड़ रु. से 4.50 करोड़ रु. प्रति मे.वा. तक
	5 मे.वा. से अधिक 15 मे.वा. तक	उपकरण लागत+सिविल लागत का 25%, 7.50 करोड़ रु. से 22.50 करोड़ रु. प्रति परियोजना
	ब्याज सब्सिडी	1.5% से 7.5% तक

1	2	3
9.	पवन विद्युत	प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए उपकरण लागत का 60% तक
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत (ग्रिड संबद्ध)	2 करोड़ रु./100 कि.वा. तक
11.	बायोमास विद्युत	
	पूँजीगत सब्सिडी	
	क. अधिकतम निर्यात योग्य विद्युत 45 मे.वा.	
	60 बार तथा अधिक	अतिरिक्त विद्युत का प्रति मे.वा. 35 लाख रु., जो प्रति परियोजना 31.50 करोड़ रु. तक सीमित है।
	80 बार तथा अधिक	अतिरिक्त विद्युत का प्रति मे.वा. 45 लाख रु., जो प्रति परियोजना 40.50 करोड़ रु. तक सीमित है।
	ख. अधिकतम निर्यात योग्य विद्युत 9 मे.वा.	
	60 बार तथा अधिक	अतिरिक्त विद्युत का प्रति मे.वा. 35 लाख रु., जो प्रति परियोजना 6.30 करोड़ रु. तक सीमित है।
	80 बार तथा अधिक	अतिरिक्त विद्युत का प्रति मे.वा. 45 लाख रु., जो प्रति परियोजना 8.10 करोड़ रु. तक सीमित है।
	ब्याज सब्सिडी	1% से 3%
12.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	
	पूँजीगत सब्सिडी	50% तक, जो नवीन प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए अधिकतम 3 करोड़ रु./मे.वा. के अध्यधीन है।
	ब्याज सब्सिडी	ब्याज सब्सिडी 7.5% तक कम की गई है।

मे.वा. - मेगावाट, कि.वा.पी. - किलोवाट पीक, कि.वा. - किलोवाट, पीवी - प्रकाशवोल्टीय

परूमन रेल दुर्घटना

4553. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 में पेरुमन रेल दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की स्मृति में रेल विभाग ने उपयुक्त शहीद मकबरा बनाने का वायदा किया है; और

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा केरल के लोगों के लिए अपना वायदा पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी संग्रहालय, चेन्नई में उत्खनित सामग्रियों को जमा करना

4554. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेन्नई सर्किल कार्यालय और चेन्नई स्थित सरकारी संग्रहालय में जमा की गई उत्खनित सामग्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वाधीनता पूर्व अवधि के दौरान ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ताओं/अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु में उत्खनन में पाई गई सामग्रियां अभी भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार में हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्वाधीनतापूर्व अवधि के दौरान तमिलनाडु में उत्खनन स्थलों से प्राप्त सांस्कृतिक उपस्करों जैसे बर्तन, टेराकोटा निर्मित वस्तुएं, लौह और तांबे की कलाकृतियां और पत्थर की बनी वस्तुओं की बिक्री का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) कांचीपुरम, जिला चिंगलपेट, जिंजी, जिला दक्षिण अरकोट, उक्किरनकोट्टई, जिलातिरूबेलवेली, दारासुरम, जिला तंजावुर, कावेरीपट्टीनम, जिला तंजावुर, औरोविले, जिला दक्षिण अरकोट, टी. केल्लऊपट्टी, जिला मदुरई, कम्बेरमेडु, जिला तंजावुर, पेरूअर जिला कोयम्बटूर, मल्लापुरम और जिला चेंगलपेट्टू एम.जी.आर. से उत्खनित सामग्रियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चेन्नई मंडल कार्यालय में परिरक्षित किया गया है और कोई भी सामग्री भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चेन्नई स्थित सेंट फोर्ट जार्ज संग्रहालय में रखी/प्रदर्शित नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम

4555. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री राम चन्द्र पासवान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) में प्रबंध-निदेशक की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्थायी प्रबंध निदेशक को कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या निगम में कार्यरत कुछ अधिकारियों के विरुद्ध रेल बोर्ड के पूर्ववर्ती खान-पान विभाग में आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निगम में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किए गए निर्णयों की अब तक कोई समीक्षा की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) निगम द्वारा अभी तक शुरू की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और इसकी भावी योजनाएं क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने रेल पर्यटन पैकेज, खानपान प्रबंधन और ऑन बोर्ड सेवाओं, फूड प्लाजा का विकास और रेल यात्रा को बढ़ाने और यात्री सेवाओं का विपणन से संबंधित अन्य गतिविधियां शुरू की हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र नीति में विसंगतियां

4556. श्री रामजीवन सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के 'दैनिक जागरण' के नई दिल्ली संस्करण में "कपड़ा नीति महज धोखा, ईमानदार परेशान रहेगा व भ्रष्ट चांदी काटेगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस वस्त्र नीति से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है जिससे कि ईमानदार व्यापारी को परेशानी का सामना न करना पड़े और भ्रष्ट व्यक्ति तरक्की न करें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां।

(ख) समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र संसाधकों के लिए संयुक्त शुल्क प्रणाली आधारित स्टेंटर-चेंबर को वापस लेने और लघु स्तर के सिले-सिलाए परिधान एककों को उत्पाद शुल्क छूट योजना की सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना नहीं की गई है।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 में कोई असंगति नहीं है। बजट की घोषणा के बाद प्राप्त हुए अनेक अभ्यावेदनों के आधार पर स्वतंत्र संसाधकों के लिए संयुक्त शुल्क प्रणाली आधारित स्टेंटर-चेंबर की प्रणाली को कुछ शर्तों के साथ 1.5.2001 से पुन: शुरू किया गया है। ऐसे स्वतत्र संसाधक, जिनका संयंत्रों और मशीनों में 3.00 करोड़ रुपये तक का पूंजी निवेश है, को अन्य स्वतंत्र संसाधकों द्वारा देय अनुसार सममूल्य आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने अथवा स्टैंटर चैम्बर आधार पर संकलित शुल्क का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। सरकार ने 1.5.2001 से लघु सिले-सिलाये परिधान एककों को उत्पाद शुल्क छूट योजना की सुविधा भी दी है।

(घ) और (ङ) सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग उसके द्वारा निर्धारित नीतियों से अपने अपेक्षित लाभ प्राप्त करें।

राजस्थान को अकाल राहत सहायता

4557. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंत्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान को कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्रदान किया गया और उसका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के अकाल प्रभावित क्षेत्र के लोगों में खाद्यान्नों का वितरण कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें वितरण का कौन-सा तरीका अपनाया गया तथा अकाल प्रभावित लोगों से यदि खाद्यान्नों की कोई कीमत वसूली गई तो वह क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि अंत्योदय अन्न योजना के अधीन राजस्थान को प्रतिमाह 107 मी. टन चावल तथा 9208 मी. टन गेहूं आबंटित किया गया है।

(ख) और (ग) स्कीम के अनुसार राज्य के अंत्योदय परिवारों की पहचान गरीबी-रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों में से राज्य सरकार द्वारा की जानी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आगे सूचित किया है कि उन्हें राज्य सरकार से इस मामले में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

जूट मिलों को राजसहायता

4558. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जूट मिलों द्वारा प्राप्त की जा रही प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजसहायता को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में क्षेत्रों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल में जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 के उपबंधों का विस्तार अप्रत्यक्ष राजसहायता प्राप्त कर रहे जूट मिल मालिकों तक किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी राजसहायता बंद करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सरकार द्वारा पटसन मिलों को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) में कच्चे पटसन के उत्पादन और पटसन पैकेजिंग सामग्री और उसके उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हित में तथा उससे जुड़े मामलों के लिए कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग की व्यवस्था है। अनिवार्य पैकेजिंग के अंतर्गत आरक्षणों का वर्तमान स्तर खाद्यान्न और चीनी के लिए 90%, यूरिया के लिए 15% जो अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रभावित थार मरूस्थल के लिए बीमा योजना

4559. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि थार मरुस्थल का अधिकांश क्षेत्र औसतन प्रत्येक दस वर्षों में से सात वर्षों तक सूखा-प्रवण रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान में प्राय: प्रत्येक वर्ष शुरू किये जाने वाले राहत उपायों की लागत को पूरा करने हेतु कोई व्यापक बीमा योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान के सूखा-प्रवण थार मरुस्थल के लिए इस योजना को कब तक कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) देश में रबी 1999-2000 मौसम से सभी किसानों, फसलों तथा जोखिमों को कवर करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है। इस समय 18 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अभी तक इस योजना के पक्ष में अपना विकल्प नहीं दिया है।

[हिन्दी]

भूमि की उर्वरता में कमी

4560. श्री रामशकल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रासायनिक उर्वरकों विशेषकर यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो यूरिया के इस्तेमाल को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) गोबर, 'सनाई' और कम्पोस्ट खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग न हो, राज्य सरकारें मृदा उर्वरता की स्थिति तथा फसलों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपयोग सिफारिशों का निरूपण करती है। वर्ष 1992-93 के दौरान फास्फेट युक्त तथा पोटाश युक्त उर्वरकों के विनियंत्रण से इन उर्वरकों के मूल्य बढ़ गए, परिणामत: उनकी खपत में कमी आ गई। इससे एन.पी.के. खपत अनुपात वर्ष 1991-92 के दौरान 5.9 : 2.4 : 1 से बढ़कर वर्ष 1992-93 के दौरान 9.5 : 3.2 : 1 हो गया। पोषक तत्व खपत में सन्तुलन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उर्वरकों के सन्तुलित तथा समेकित उपयोग से संबंधित एक स्कीम कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशों के अनुसार सन्तुलित उर्वरक उपयोग से अधिक संख्या में किसानों को लाभान्वित करने के लिए देश में मृदा परीक्षण सुविधाओं को सुदढ़ बनाया गया है। इस स्कीम के माध्यम से कम्पोस्ट निर्माण, प्रोत्साहन तथा उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया। सरकार ने फास्फेट युक्त तथा पोटाश युक्त उर्वरकों पर तदर्थ रियायत से संबंधित एक स्कीम का कार्यान्वयन भी शुरू किया है। इन उपायों के कारण वर्ष 1999-2000 के दौरान एन.पी.के. की खपत का अनुपात 6.9:2.7:1 रहा, जो 1992-93 की तुलना में उर्वरकों के संतुलित उपयोग में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। राज्य सरकारों को पौध पोषक तत्वों के जैविक स्रोत के रूप में गोबर, हरी खाद, कृमि कम्पोस्ट तथा जैव उर्वरकों आदि के उपयोग को बढ़ावा देने का परामर्श दिया गया है।

रैक पॉइन्ट

4561. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से रीवा और नीमच में पूरे रैक पॉइन्ट की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्रों की राख

4562. श्री अनंत गुढ़े: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ताप विद्युत संयंत्रों से अनुमानत: राज्य-वार कितनी राख निकलती है;

(ख) महाराष्ट्र में ताप विद्युत संयंत्रों से प्रतिवर्ष कितनी राख निकलती है; और

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने अथवा महाराष्ट्र में इसका औद्योगिक उपयोग करने हेतु इसको एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए राख के उत्पादन संबंधी उपयोग हेतु बनाई गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरे देश के 77 थर्मल संयंत्रों से प्राप्त उड़न राख की उपलब्धता लगभग 79.402 मिलियन टन थी। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र में थर्मल संयंत्रों द्वारा वार्षिक रूप से उत्पादित उड़न राख की मात्रा लगभग 10.741 मि. टन थी।

(ग) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड उड़न राख के उपयोग को सीमेंट वैकल्पिक उत्पाद के उत्पादन, सड़क निर्माण, ईंट निर्माण कृषि एवं खदान भराई के जरिए बढ़ावा दे रहा है। महाराष्ट्र में उड़न राख का लाभकारी दृष्टि से उपयोग करने के लिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने या औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग करने हेतु तैयार योजना महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से मांगे गए हैं।

विवरण

पूरे देश में थर्मल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित उड़न राख के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

क्र.सं.	राज्य के नाम	सम्पोषित उड़न राख उत्पादन मि. टन प्रति वर्ष
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8.973
2.	असम	0.029
3.	बिहार (झारखंड सहित)	2.492*
4.	छत्तीसगढ़	4.943
5.	दिल्ली	1.668
6.	गुजरात	5.817**
7.	हरियाणा	1.161
8.	कर्नाटक	2.200
9.	मध्य प्रदेश	7.622
10.	महाराष्ट्र	10.741
11.	उड़ीसा	3.309
12.	पंजाब	3.596
13.	राजस्थान	1.391
14.	तमिलनाडु	6.508
15.	उत्तर प्रदेश	12.279***
16.	पश्चिम बंगाल	6.673
	कुल	79.402

*बरौनी टीपीएस का आंकड़ा शामिल नहीं है।
**कच्छ टीपीएस का आंकड़ा शामिल नहीं है।
***टांडा टीपीएस का आंकड़ा शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें

4563. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अपने छठे प्रतिवेदन में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयोग ने मंत्रालय में कुछ पदों को समाप्त करने की कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जी, हां। व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) ने अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के

अंतर्गत कार्य की पुनरव्यवस्था तथा प्रशासित मूल्य व्यवस्था (ए पी एम) के समापन, जो 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा, समेत पेट्रोलियम क्षेत्र को पूर्णतया नियंत्रणमुक्त होने के पश्चात कर्मचारी संख्या में परिणामी कटौती की सिफारिश की है। उक्त आयोग ने अनुभाग अधिकारियों एवं उससे ऊपर के स्तर के बीस पदों को समाप्त करने तथा अधीनस्थ स्तरीय पदों की समनुरूपी कटौती की भी सिफारिश की है। तथापि, प्रशासित मूल्य व्यवस्था उपरांत परिदृश्य के अंतर्गत कार्यभार को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय को अपने मत निश्चित करने हेतु इन सिफारिशों की सघन पुनरीक्षा करना आवश्यक है।

कृषि के लिए राज्यों को विश्व बैंक की सहायता

4564. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान कृषि के विकास हेतु प्रत्येक राज्य सरकार के लिए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे मुख्यत: क्या बड़ा लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कोई शर्त रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) संबंधित केन्द्रीय/राज्य विभागीय अभिकरणों को वर्ष 2000-2001 में विभिन्न कृषि क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर विश्व बैंक की सहायता मुहैया कराई गई थी, जैसा कि परियोजनावार विवरण संलग्न है।

(ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अधिकांश कृषि क्षेत्रीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास करना और स्थानीय लाभानुभोगी जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारना है, न कि किसी लाभ के उद्देश्य को रखना।

(ग) और (घ) ये परियोजनाएं भारत सरकार/राज्य सरकार और विश्व बैंक के परामर्श से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और पारस्परिक सहमति से कार्रवाई योजना/मुद्दों का निर्णय किया जाता है।

विवरण

विभिन्न कृषि क्षेत्र आधारित परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता का उपयोग

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कवर की गई परियोजना/राज्य	2000-01 में विश्व बैंक ऋण/आहरण
1	2	3
1.	बिहार पठार विकास परियोजना (सं. 2439-आई.एन.)	58.106
2.	कृषि विकास परियोजना-राजस्थान (सं. 2433-आई.एन.)	31.011
3.	उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि उपचार परियोजना चरण-1 (सं. 2510-आई.एन.)	10.747
4.	असम ग्रामीण अवसंरचना एवं कृषि सेवा परियोजना (सं. 2733-आई.एन.)	109.453
5.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पंजाब) (आईबीआरडी 4296-आई एन/आई डी ए 3146-आई.एन.)	151.306
6.	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि समर्थन परियोजना (आई बी आर डी 4365-आई एन/आई डी ए 3106-आई.एन.)	51.612
7.	उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि उपचार परियोजना चरण-2 (सं. 3152-आई.एन.)	83.566

1	2	3
8.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़) चरण-2 (उत्तरांचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब) (आईडीए 3243-आई एन/आई बी आर डी 4492-आई.एन.)	72.459
9.	झींगा एवं मत्स्य पालन परियोजना (आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) (सं. 2329-आई.एन.)	4.530
10.	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना (आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु) (सं. 2699-आई.एन.)	68.721

छत्तीसगढ़ को सूखे से राहत के लिए सहायता

4565. श्री ताराचंद साहू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ को सूखे के कारण पड़े अकाल के लिए राहत के तौर पर नकद तथा उपज या माल के रूप में सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो नकद और माल के रूप में उपलब्ध कराई गई सहायता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित किया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) राज्य को गरीबी-रेखा से नीचे की दरों पर 0.97 लाख मी. टन खाद्यान्नों के अलावा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 4.07 लाख मी. टन खाद्यान्न नि:शुल्क आबंटित किया गया था। राज्य को वर्ष 2001-02 हेतु आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के 21.63 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 58.94 करोड़ रुपये की कुल सहायता निर्मुक्त की गई है।

(ग) सबसे निचले स्तर पर राहत का वितरण राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

[अनुवाद]

बीना तेल शोधक कारखाने के लिए कच्चे तेल की पाइपलाइन

4566. श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित बीना तेलशोधक कारखाने के लिए कच्चे तेल की पाइपलाइन को स्वीकृति देने में विलंब कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मतभेद के बिन्दुओं को शीघ्रातिशीघ्र हल करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वन-वन्यजीव मुख्य संरक्षक, गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य के जामनगर जिलान्तर्गत वाडीनार के निकट मेरीन नेशनल पार्क/अभयारण्य में अगले आदेशों तक किसी कार्य/क्रियाकलाप को आरम्भ करने/जारी रखने/का रखरखाव करने से भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बी ओ आर एल) को रोकने वाला दिनांक 5.10.2000 का एक पत्र जारी किया था। इस पत्र के अंतर्गत विशेष सिविल आवेदन संख्या 202/95 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.2.2000 के अंतरिम निर्णय को उद्धृत किया गया है।

(ग) इस मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के साथ आगे कार्यवाही की जा रही है।

केरल में त्रिदिशीय रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव

4567. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने शेरानूर में त्रिदिशीय रेलवे स्टेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) शोरुवण्णूर में सभी दिशाओं से सभी गाड़ियों के ठहराव की सुविधा के लिए एक त्रिकोणीय रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की मांग करते हुए केरल सरकार के श्री के.ई. इस्माइल, राजस्व मंत्री और श्री कवीर मास्टर, स्वास्थ्य और खेलकूद मंत्री से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) इस संबंध में एक अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

गैस पाइपलाइनों के लिए नियामक प्राधिकरण

4568. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार का विचार गैस पाइपलाइनों के लिए एक नियामक प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में गैस ले जाने के लिए अंतर-राज्यीय पाइपलाइनों के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण के बारे में गुजरात सरकार को जानकारी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां। गुजरात सरकार ने राज्य में गैस पाइपलाइन बिछाने को विनियमित करने हेतु गुजरात गैस विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए 28 अप्रैल, 2001 को गुजरात गैस (प्रेषण, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2001 अधिनियमित किया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने गुजरात सरकार के उपर्युक्त कदम के प्रति अपनी मताभिन्नता प्रकट की है। इस मामले के संबंध में परिणामजन्य संवैधानिक/कानूनी निहितार्थों के बारे में परामर्श देने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ देने का प्रस्ताव है। प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) मामले को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय विधान के माध्यम से राष्ट्रीय गैस विनियामक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

एन.सी.ई.एस. के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण

4569. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) जिन एजेंसियों को यह कार्य सौंपा गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों के गांवों, जिनको पारंपरिक ग्रिड विस्तार के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता है, के विद्युतीकरण के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों को ऐसे गांवों की सूची भेजने को कहा गया है। वर्ष 2001-2002 के दौरान लगभग 500 गांवों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन आरंभ करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष के लिए मंत्रालय के बजट में इस प्रयोजन के लिए 20 करोड़ रु. का प्रावधान शामिल किया गया है। इस स्तर पर लक्ष्यों तथा निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्यतया अक्षय ऊर्जा एजेंसियों और राज्य सरकार के अन्य संगठनों द्वारा किया जाना है। इस कार्य के साथ पंचायतों, सहकारी समितियों, निगम निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को भी सम्मिलित किया जाना है।

(घ) यह प्रस्ताव है कि सभी दूरवर्ती गांवों का विद्युतीकरण 11वीं योजना के अंत अर्थात् मार्च, 2002 तक किया जाना होगा।

[हिन्दी]

हीराकुण्ड एक्सप्रैस में खान-पान सेवा

4570. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रघुनाथ झा:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग को हीराकुण्ड एक्सप्रैस की खान-पान सेवाओं/रसोई यान के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल विभाग द्वारा ऐसी शिकायतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और लाइसेंसधारी पर 3000 रु. का जुर्माना लगाया गया है। ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गहन निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

एन.सी.डी.सी. अधिनियम में संशोधन

4571. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) विद्यमान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में व्यापक संशोधन के लिए एक विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है और निर्धारित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात इसे संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

मैसूर-बंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण

4572. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर-बंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त लाइन का दोहरीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) बेंगलूरू-मैसूर लाइन के बेंगलूरू-केंगरी (12.45 कि.मी.) तथा केंगरी-रामानगरम (32.43 कि.मी.) खण्डों का कहीं-कहीं दोहरीकरण, रेल बजट में शामिल कर लिया गया है। अभी तक लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। परिचालनिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में कार्य में प्रगति की जाएगी तथा पूरा किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन

4573. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है जिससे राज्य में वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कपास का कितना उत्पादन रिकार्ड किया गया; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान आंध्र प्रदेश में कपास के उत्पादन में उर्ध्वागामी प्रवृत्ति रही है:

(प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें)

1997-98	-	1.32
1998-99	-	1.52
1999-2000	-	1.60

आंध्र प्रदेश राज्य समेत देश में घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपर्युक्त वर्षों के दौरान कच्चे कपास की पर्याप्त उपलब्धता थी।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य समेत देश में कपास की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है।

कर्नाटक में सूखे की स्थिति

4574. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बेल्लारी, गुलबर्गा, रायचूर सहित उन क्षेत्रों की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी है जो वर्षा कम होने के कारण सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु राज्य सरकार को कितनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी हां, एक अंतरमंत्रालयी केन्द्रीय जल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए 31 जुलाई से 3 अगस्त, 2001 तक राज्य का दौरा किया।

(ग) वर्ष 2001-02 के लिए आपदा राहत निधि का 58.72 करोड़ रु. का सम्पूर्ण केन्द्रीय हिस्सा राज्य को निर्मुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता के लिए, यदि कोई हो, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

लंबित रेल परियोजनायें

4575. श्री ए. नरेन्द्र: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई रेल परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) रेल सेवाओं या परियोजनाओं की योजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत और यातायात मांगों तथा प्रणाली की आवश्यकताओं की एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। राज्य की भौगोलिक सीमाएं निवेश निर्णय लेने का मानदंड नहीं होती हैं। बहरहाल, 1999, 2000 और 2001 के दौरान राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों, इन परियोजनाओं पर की गई कार्रवाई और उनकी मौजूदा स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	प्रस्ताव	की-गई-कार्रवाई और मौजूदा स्थिति
1	2	3
मध्य प्रदेश	बिलासपुर-उरकुरा: तीसरी लाइन	बिलासपुर-डगोरी (25 कि.मी.) और भाटापारा-निपनिया (15 कि.मी.) खण्डों को 2001-02 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। डगोरी-निपनिया (8 कि.मी.) खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
	अकलतारा-चंपा: तीसरी लाइन	अकलतारा-नलिया (16 कि.मी.) खण्ड पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। नलिया-चंपा खंड पर हसदेव पुल का कार्य प्रगति पर है।
	उरकुरा-रायपुर-सरोना: दोहरीकरण	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। एक अवशिष्ट कार्य अर्थात् रायपुर में ऊपरी पैदल पुल का कार्य पूरा होने वाला है।
	रामगंज मंडी-भोपाल: नई लाइन	यह कार्य बजट 2000-01 में शामिल कर लिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
	खंडवा से दाहोद: नई लाइन	परियोजना की लागत में भागीदारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के विचार प्राप्त किये जा रहे हैं।

1	2	3
	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया: आमान परिवर्तन	गोंदिया और बालाघाट के बीच कार्य प्रगति पर है। बाग नदी पर बड़े पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। जबलपुर-बालाघाट के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। जबलपुर के निकट चक्करदार संरेखण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सम्पूर्ण परियोजना पर कार्य शुरू किया जा रहा है और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा।
उड़ीसा	तालचेन-गोपालपुर: नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
	तालचेर-विमलगढ़: नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
	गोपालपुर-रायगाड़ा: नई लाइन	चल रहे निर्माण कार्यों के भारी थ्रो फारवर्ड के कारण कोई सर्वेक्षण करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा गया।
महाराष्ट्र	बीड-पर्ली वैजनाथ अहमदनगर: नई लाइन	अहमदनगर से बीड तक नई लाइन स्वीकृत परियोजना है। अहमदनगर छोर से 15 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही इस खंड पर कार्य में प्रगति की जाएगी।
	बारामती-पंढारपुर: नई लाइन	चल रहे निर्माण कार्यों के भारी थ्रो फारवर्ड के कारण कोई सर्वेक्षण करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा गया।
	कल्याण-मुरबाद बरास्ता मलशेजघाट से अहमदनगर: नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना पर विचार करना फिलहाल संभव नहीं है।
	पनवेल-करजत: दोहरीकरण	पनवेल से करजत तक नई लाइन का कार्य प्रगति पर है। इस स्तर पर दोहरीकरण आवश्यक नहीं समझा जाता है।
	बांद्रा-कुर्ला रेल संपर्क	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। यह मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 में से एक परियोजना है और उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।
	मनमाड-मालेगांव-धुले-नरदाना-सिरपुर और इदौर: नई लाइन	मनमाड-धुले और धुले-निरदाना-सिरपुर नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति और चल रहे निर्माण कार्यों के भारी थ्रो-फारवर्ड के कारण इन परियोजनाओं को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है। सिरपुर से मऊ तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। मऊ और इंदौर के बीच एक मीटर लाइन पहले से ही विद्यमान है।

1	2	3
बिहार	नरकटियागंज-भिटरवा आश्रम: आमान परिवर्तन	चल रहे निर्माण कार्यों के भारी थ्रो फारवर्ड के कारण कोई सर्वेक्षण करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा गया।
	क्यूल-नवादा: नई लाइन	यह क्यूल-गया दोहरीकरण सर्वेक्षण का एक भाग है। सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना पर विचार करना फिलहाल संभव नहीं है।
पंजाब	फाजिल्का-अबोहर: नई लाइन	कार्य बजट में पहले से ही शामिल है। बहरहाल कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात शुरू किया जाएगा।
	लुधियाना-अमृतसर: विद्युतीकरण	कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2004 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
मणिपुर	जिरीबाम-इम्फाल: नई लाइन	बजट 2001-02 में नया सर्वेक्षण शामिल है।
अरुणाचल प्रदेश	हलेम-ईटानगर: नई लाइन	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
सिक्किम	सिक्किम के लिए रेल संपर्क	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए मल्टीमॉडल उपनगरीय परिवहन प्रणाली	70 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टीमॉडल उपनगरीय परिवहन परियोजना के स्थानीय अवसंरचना घटक के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुमोदन दे दिये जाने के पश्चात् परियोजना को बजट में शामिल करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी।
	मेडचल-सिकंदराबाद, सिकंदराबाद-शमशाबाद: विद्युतीकरण	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।
	सनतगर-विकाराबाद: विद्युतीकरण	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।
केरल	एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम: विद्युतीकरण	कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2004 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम: विद्युतीकरण	कार्य पूरा हो गया है।
गुजरात	अलंग-भावनगर-तारापुर के बीच रेल लाइन का निर्माण	भावनगर और तारापुर के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। अलंग और भावनगर के बीच नई लाइन के निर्माण पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।
	गांधीनगर-मोती अदरज-कलोल: नई लाइन	यह कार्य बजट 2000-01 में शामिल है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। नक्शे और अनुमानों की तैयारी चल रही है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

1	2	3
	जामनगर-बेदी पोर्ट-रोजीपियर: नई लाइन	जामनगर और विंडमिल स्टेशन के बीच एक बड़ी लाइन पहले से ही विद्यमान है। विंडमिल स्टेशन से बेदी पोर्ट-रोजीपियर तक रेल लाइन के निर्माण को इस स्तर पर आवश्यक नहीं समझा जाता है।
	पोरबंदर-पोरबंदर पोर्ट: नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल परियोजना को अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।
	वेरावल-सोमनाथ: नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
कर्नाटक	मैसूर-मंगलोर और मैसूर-तेल्लीचेरी: नई लाइन	मैसूर-मंगलोर नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को बजट 2001-02 में शामिल कर लिया गया। तेल्लीचेरी-मैसूर के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।
	मडीकेरी-चन्नारायपटना बरास्ता होलनरारसीपुर, अराकलगोड और कुशालनगर-चन्नारायपटना बरास्ता कोनौर: नई लाइन	इन दोनों लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
	कोट्टायम-पुनालूर-सबरीमाला: नई लाइन	इरुमेली से सबरीमाला तक शाखा लाइनों सहित इरुमेली के रास्ते कोट्टायम से पुनालूर तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और कोट्टायम-इरुमेली नई लाइन और उरुमेली-सबरीमाला का कार्य अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन परियोजना के भाग के रूप में बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।
	बेंगलुरू के लिए इंटर-मॉडल परिवहन-प्रणाली	परियोजना की लागत और राजस्व अनुमान निर्धारित करने के लिए विस्तृत अध्ययन करने हेतु स्वीकृति दे दी गई है। कर्नाटक सरकार अध्ययन की लागत का एक तिहाई वहन करते हुए रेलवे के साथ अध्ययन करवाएगी।
तमिलनाडु	व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (एमआरटीसी) चरण-2 का विस्तार, वर्तमान में तिरुमलाई और वल्लाचेरी से सेंट थामस माउंट तक चल रही है।	राज्य सरकार ने परियोजना के लिए सर्वेक्षण करा लिया है। राज्य सरकार से सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी संवीक्षा की जा रही है।
	अवदी-श्रीपेरम्बुदूर: नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है।

1	2	3
	कांचीपुरम-तिंडिवनम: नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।
	प्लानी-सत्यमंगलम: नई लाइन	चल रहे निर्माण कार्यों के भारी थ्रो-फारवर्ड के कारण फिलहाल कोई सर्वेक्षण आवश्यक नहीं समझा गया।
	चेन्नै-सेंट्रल और चेन्नै-एगम्बूर स्टेशनों के बीच सीधा संपर्क	प्रस्ताव न तो वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही इससे दैनिक यात्रियों की असुविधा में सुधार होने की आशा है।
उत्तर प्रदेश	ऋषिकेष-देहरादून: नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।
	लखनऊ क्षेत्र के चारों ओर सर्कुलर रेलवे: विद्युतीकरण	कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2002 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
पश्चिम बंगाल	माजेरहाट तक सर्कुलर रेल का विस्तार: उसका दोहरीकरण	कोलकाता सर्कुलर रेल परियोजना में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और किया जा रहा है।
	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एयरपोर्ट से मेट्रो संपर्क	कोलकाता सर्कुलर रेल परियोजना में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और किया जा रहा है।
	मेट्रो रेल: टालीगंज से गरिया तक विस्तार	दमदम-टालीगंज मेट्रो रेल परियोजना में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और किया जा रहा है।
	दमदम और बैरकपुर के बीच मैट्रो लाइन	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
	गुंजरिया-गजोल: नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। गजोल-इटाहर (31 कि.मी.) भाग का कार्य इकलाखी-बालूरघाट नई लाइन परियोजना में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में बजट 2001-02 में शामिल कर लिया गया है।
	तारकेश्वर-आरामबाग-बिश्नुपुर: नई लाइन	कार्य बजट में शामिल कर लिया गया है। तारकेश्वर से आरामबाग (26 कि.मी.) तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। यह बिष्णुपुर छोर से 17 कि.मी. तक पूरा हो गया है। रीच-1 (5 कि.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

1	2	3
	राणाघाट-गेडे और राणाघाट-वनगांव खंड: विद्युतीकरण	विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है।
	बारासात-हसनाबाद: विद्युतीकरण	कार्य प्रगति पर है और दिसंबर, 2001 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
	कृष्णानगर-लालगोला: विद्युतीकरण	कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2004 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
	कटवा-अजिमगंज: विद्युतीकरण	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।
	अंडाल-सैंथिया: विद्युतीकरण	प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों का रोपण

4576. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पादप उद्यानों और औषधीय पौधों के रोपण का विकास करने के संबंध में राज्य-वार क्या कार्य किया गया;

(ख) क्या यह कार्य इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) क्रियान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा पिछले तीन वर्षों में औषधीय और सुगंधित पौधों के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जड़ी-बूटी (हर्बल) बगीचों की स्थापना के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1998-99 में लक्ष्यों में कुछ कमी रही जबकि वर्ष 1999-2000 और 2000-01 में लक्ष्य अधिक रहे।

विवरण

औषधीय पौधों के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जड़ी-बूटी (हर्बल) बगीचों की स्थापना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(है. क्षेत्र)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	औषधीय बगीचों की स्थापना					
		1998-1999		1999-2000		2000-001	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोराहाट	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
3.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार	3.0	–	2.0	2.0	1.0	2.0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आणद, गुजरात	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0
5.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	3.0	3.3	3.0	3.3	3.0	1.0
6.	वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, शिमला, हिमाचल प्रदेश	6.0	3.0	5.0	6.0	1.0	1.0
7.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	4.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0
8.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	6.0	2.0	5.0	5.0	1.0	2.0
9.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश	4.0	3.0	4.0	5.0	1.0	5.0
10.	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहूडी, महाराष्ट्र	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	4.0
11.	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0
12.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
13.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	3.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0
14.	टी.एन. कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
15.	ए.एन. देव कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ.प्र.	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0
16.	विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नाडिया, प. बंगाल	4.0	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0
17.	आर.आर.एल., जोरहाट	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
18.	आर.आर.एल., भुवनेश्वर	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	आर.आर.एल., जम्मू	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5
20.	एन.आर.सी., आणंद	0.0	0.0	0.0	–	0.0	–
21.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5
22.	जी.बी. पन्त हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अलमोड़ा, उ.प्र.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल	58.0	37.3	50.0	52.8	20.0	36.5

[अनुवाद]

चालू परियोजनाओं को पूरा करना

4577. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शोलापुर-गडग आमान परिवर्तन परियोजना का अनुमोदन 1993-94 में किया गया था और धन की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु मानदंड क्या हैं और बाद में उन्हीं प्राधिकारियों द्वारा धन देने से क्यों इन्कार कर दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई परियोजनाएं शुरू करने से पूर्व चालू परियोजनाओं को पूरा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण चालू रेल परियोजनाएं कितने समय तक प्रभावित होती रहेंगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सोलापुर-गदग खण्ड के आमान परिवर्तन का कार्य 1993-94 में अनुमोदित किया गया था। बहरहाल, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य को चरणों में निष्पादित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चालू रेल परियोजनाओं को पूरा करना संसाधनों की उपलब्धता तथा उनकी समग्र प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। इस समय चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की संख्या काफी है जिन्हें वित्त-पोषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए पूरा करने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे।

रक्षित विद्युत संयंत्र में विदेशी निवेश

4578. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कांग्लीमीरेट रॉल्स रायस ने भारत में 4 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट तक के रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ सूचनार्थ कर्मचारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर सभी जिलों के 11 केवी फीडरों को स्वतंत्र रूप से मुनाफे वाले केन्द्र बनाने पर जोर देने की मंशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत में कैप्टिव पावर संयंत्रों के बारे मै. रोल्स रायस के प्रस्ताव के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कैप्टिव पावर संयंत्र उद्योगों द्वारा मुख्यत: अपनी निजी खपत के लिए विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित किये जाते हैं। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 खंड 44 के अंतर्गत कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापन के लिए अनुमति संबंधित रा.वि. बोर्डों द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय सभी 11 केवी फीडरों की मीटरिंग पर जोर दे रहा है ताकि वितरण तथा पारेषण हानियों में

कमी लाई जा सके और रा.वि. बोर्डों राजस्व में वृद्धि की जा सके। कर्मचारियों के प्रोत्साहन संबंधी कोई प्रणाली आरंभ करने पर केवल रा.वि. बोर्ड ही निर्णय ले सकते हैं।

अन्तर्राज्यीय गैस पाइप लाइनों पर तेल कंपनियों द्वारा उठाई गई आपत्ति

4579. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी द्वारा नए अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर तीव्र आपत्ति व्यक्त की है जैसाकि दिनांक 27 जुलाई, 2001 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र विशेष में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने से सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा रिफाइनरियों की स्थापना और गैस के आयात पर किए गए भारी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का आयात मुक्त सामान्य अनुज्ञप्ति पर होता है तथा निजी सहित ऐसे विभिन्न अभिक्रम है, जिनका विपणन हेतु भारत के लिए एल.एन.जी. आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लघु पत्तनों का उन्नयन

4580. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में लघु पत्तनों के उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पत्तनों का उन्नयन कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अनुसार लघु पत्तनों के विकास/उन्नयन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित राज्य सरकार की है। जिनका ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है।

आमों के परिवहनार्थ हवादार रेकों का आबंटन

4581. **श्री जी. गंगा रेड्डी:**
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय निगमों ने बड़े पैमाने पर बाजार में उतरना शुरू कर दिया है, का सामना करने के लिए दक्षिणी राज्यों के आम उत्पादों और निर्यातकों ने आमों को बिना नुकसान परिवहन के लिए हवादार रेक आबंटित करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उनकी मांग मान ली है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश समेत इन राज्यों को किस सीमा तक हवादार अतिरिक्त रेक आवंटित किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए रेलवे गोदामों में इनके संरक्षण हेतु शीतागारों जैसी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) जी नहीं। आंध्र प्रदेश की कुछेक सोसाइटियों ने दिल्ली और कोलकाता को आम के परिवहन के लिए वी.पी. रेकों के लिए अनुरोध किया था। अप्रैल 2001 से जून 2001 तक के आम के इस मौसम के दौरान विजयनगरम से नया आजादपुर (दिल्ली) तक आम स्पेशल गाड़ियों

के 43 रेक और विजयनगरम से कोलकाता तक 2 विशेष गाड़ियां (एनएमजी रेक) चलाए गए थे। इसी प्रकार, व्यापारियों की मांग के अनुसार नुजविड, फलकनुमा और विजयवाड़ा से नया आजादपुर (दिल्ली) तक आम स्पेशल गाड़ियों के 39 रेक चलाए गए थे। मांग पूर्णतया पूरी की गई थी।

(ङ) असाधारण विलंबों के कारण फलों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए आम रेकों के परिवहन समय पर निगरानी रखी जाती है। रेलें शीत भंडारण आदि जैसी परिरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करती हैं।

तेल संगठनों का सरकार पर दोषारोपण

4582. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 2001 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में आयल एसोसिएशन एक्यूजेज गवर्नमेंट आफ डब्ल स्टैंडर्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा खोज हेतु कार्य को देने हेतु किन-किन शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) क्या खोज के प्रथम चरण के कार्य के कार्यक्रम की शर्तों में कोई असंगति पाई गई है;

(घ) क्या कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों की बोलियां 100 के.एम. के उपलब्ध आंकड़ों के मुकाबले 1000 लाइन के.एम. आंकड़ों पर आधारित थीं;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विसंगतियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) अन्वेषण ब्लाक संख्या ए एस-ओ एन एन-2000/1 के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी एस सी) पर रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया इंक. के सहयोग से बने परिसंघ (संविदाकार) के साथ 17.7.2001 को हस्ताक्षर किए गए थे। पी एस सी में संविदाकार द्वारा चलाये जाने वाले न्यूनतम कार्य कार्यक्रम और राजकोषीय शर्तों का प्रावधान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त संविदाकार ने प्रथम चरण में 1020 लाइन कि.मी. (एल के एम) भूकंपीय आंकड़ों के पुनर्संसाधन वाला एक कार्य कार्यक्रम दिया था। यद्यपि, उक्त ब्लाक के भीतर लगभग 120 एल के एम पुराने भूकंपीय आंकड़े उपलब्ध हैं तो भी संविदाकार पर ऐसे भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन करने और उनका पुनर्संसाधन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो उक्त ब्लॉक में कार्य के लिए आवश्यक समझे जाएं। संविदाकार के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में, पी एस सी में, पूरा न किए गए कार्य कार्यक्रम के लिए, संविदाकार द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उपज के विपणन पर पाबंदी

4583. श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उपज के विपणन पर पाबंदी से राष्ट्रीय बाजार के विकास में बाधा आती है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उपज को विनियंत्रित करने और इस पर विपणन पाबंदियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) सरकार विनियमित मण्डियों की शृंखला के माध्यम से देश में कृषि जिंसों के संगठित विपणन को प्रोत्साहन दे रही है। अधिकांश राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियमों के अंतर्गत कृषि उत्पाद मंडियों के विकास का प्रावधान किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिनियमित अधिनियमों में राष्ट्रीय मंडी की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के संबंध में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा विनियमित मंडियों को प्रशासित करने वाली संस्था के मौजूदा कानूनी ढांचे की जांच करके देश में प्रतिस्पर्धात्मक विपणन संरचना की वृद्धि में बाधक प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के हटाए जाने की सिफारिश की है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच तथा उनके कार्यान्वयन हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग

द्वारा एक अन्तरमंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों से भी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करके उनके कार्यान्वयन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कार्यबल को भेजने का अनुरोध किया गया है।

बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं

4584. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम की कृषकों के फायदे के लिए देश में और अधिक बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय बीज निगम के पास देश में और बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में बागवानी का विकास

4585. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने देश में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष बजटीय आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी के विकास संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किए गए बजटीय आबंटन का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु. में)
1998-1999	297.60
1999-2000	253.60
2000-2001	191.25

(ग) और (घ) बागवानी विकास कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में क्रियान्वित किये जा रहे हैं। जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन नौवीं योजना के दौरान क्रमश: वर्ष 2000-01 और 2001-02 से क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा अर्जित मुनाफा

4586. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान यात्री और मालभाड़ा राजस्व, दोनों पर रेलवे को जोन-वार कितना लाभ और घाटा हुआ;

(ख) क्या लाभ अर्जित करने वाले जोनों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) घाटे वाले जोनों को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात् 1998-99 और 1999-2000 के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा उठाए गए लाभ/घाटे जिसके लाभ और हानि संबंधी लेखे-जोखों को अंतिम रूप दे दिया गया है, का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

रेलवे	1998-99	1999-2000
1	2	3
मध्य	319.76	380.24
पूर्व	-543.63	-669.54
उत्तर	373.66	807.50
पूर्वोत्तर	-539.30	-615.82
पूर्वोत्तर-सीमा	-618.93	-706.26

1	2	3
दक्षिण	-429.08	-487.65
दक्षिण-मध्य	330.81	303.52
दक्षिण-पूर्व	1079.93	1218.55
पश्चिम	766.75	679.09

(ख) से (घ) क्षेत्रीय रेलों द्वारा अर्जित किया गया मुनाफा यातायात की वृद्धि, भौगोलिक भू-भाग तथा विस्तार जिस पर क्षेत्रीय रेलों का नियंत्रण कम अथवा नहीं के बराबर होता है, पर निर्भर करता है। अत: ये क्षेत्रीय रेलों को प्रोत्साहन देने का आधार नहीं बन सकते। मुनाफे में बड़ोत्तरी के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कर्मचारी उत्पादकता में सुधार, परिसंपत्तियों का उपयोग, वस्तु-सूची प्रबंधन, ईंधन में खपत, यात्रा, प्रचार-प्रसार, मेहमानवाजी इत्यादि में किफायती उपाय अपनाकर खर्च को नियंत्रित करना।

(2) आमदनी में बढ़ोत्तरी के लिए बेहतर मालभाड़ा सेवाओं तथा वाणिज्यिक प्रोत्साहनों के जरिए जोरदार विपणन।

(3) उठाईगिरी और राजस्व की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास।

जनशक्ति में कमी लाना

4587. प्रो. ए.के. प्रेमाजम:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या रेल **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी श्रेणियों में जनशक्ति के उपयोग को कम करने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे आदेशों द्वारा प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी प्रभावित हुए; और

(ग) क्या जनशक्ति को कम करने संबंधी निर्णय 23 जून, 2001 को महाप्रबंधक सम्मेलन में लिया गया था?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) रेलवे की कार्य प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में रेलें आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना रही हैं जिसकी वजह से कतिपय गतिविधियों में जनशक्ति को कम करने की आवश्यकता है और नए क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता है। रेलों के वित्त की नाजुक स्थिति के दौर से गुजरने के कारण भी कर्मचारी लागतों पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया है। अत: परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जन शक्ति की निरंतर पुनरीक्षा की जा रही है। रेलों ने विभिन्न विभागों में नई ''भर्ती'' पर नियंत्रण करके संगठन के सही आकार के लिए पहल की है। रेल कर्मचारियों की संख्या में कटौती सेवानिवृत्ति की साधारण प्रक्रिया और केवल छटनी के जरिए की जाती है। मौजूदा कार्यबल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाता है।

(ग) 23.6.2001 को कोई महाप्रबंधकों की सभा नहीं हुई थी।

पेट्रोलियम वित्त निगम

4588. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत वित्त निगम की तर्ज पर पेट्रोलियम वित्त निगम की स्थापना करने का है जिसका तेल उद्योग विकास बोर्ड मुख्य प्रोमोटर होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जे.पी.एम. अधिनियम

4589. श्री भेरूलाल मीणा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा नीति, 2000 जूट प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा बोरियों के उत्पादन के स्थान पर कम लागत वाले उत्पादों के उत्पादन पर अधिक जोर देती है;

(ख) क्या जे.पी.एम. अधिनियम इस कारण बेमानी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को, इस पर्यावरण-अनुकूल फाईबर की उत्पादकता बढ़ाने व इसके प्रयोग में विविधता लाने के लिए, आरंभ करने पर बल दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनटीपीसी की परियोजना में विलम्ब

4590. श्री के. येरननायडू:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रिहन्द (10,000 मे.वा.) परियोजना में निर्माण कार्य को आदेश निविदा से अलग करने के प्रशासनिक निर्णयों के कारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उत्तर प्रदेश में रिहंद सुपर ताप-विद्युत परियोजना, चरण-2 (2×500 मे.वा.) के लिए प्रमुख संयंत्र टर्न-की पैकेज हेतु बोलियों को राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम द्वारा 17.10.2000 को खोला गया। उन 16 पक्षों में से, जिन्होंने पैकेज हेतु बोली दस्तावेजों को खरीदा था, केवल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने पैकेज हेतु बोली प्रस्तुत की। कार्य-क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख संयंत्र सिविल तथा ढांचागत कार्य भी शामिल थे। वार्ता के दौरान, भेल ने सिविल और ढांचागत कार्यों हेतु अपनी कीमतों को कम नहीं किया। चूंकि तलचेर एसटीपीसी चरण-2 के मामले में प्राप्त किए गए समान सिविल तथा ढांचागत कार्यों की कीमतों को भेल द्वारा बोली गई कीमतों से काफी कम पाया गया, इसलिए एनटीपीसी ने भेल के कार्य-क्षेत्र से प्रमुख संयंत्र सिविल तथा ढांचागत कार्यों को हटाने का निर्णय लिया। ठेका प्राप्त करने से पूर्व के विचार-विमर्शों को पूरा करने के पश्चात्, प्रमुख संयंत्र टर्न-की पैकेज हेतु ठेका 14.8.2001 को प्रदान कर दिया गया। सिविल कार्यों को बांटने के प्रशासनिक निर्णय के कारण कोई विलंब नहीं हुआ।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रिहन्द एसटीपीपी चरण-2 को नीचे दर्शाए गए कार्यक्रम के अनुसार चालू किए जाने की आशा है:

परियोजना	यूनिट संख्या	चालू करने का कार्यक्रम-वर्ष
रिहंद एसटीपीपी चरण-2 (2×500 मे.वा.)	यूनिट-1	2005-06
	यूनिट-2	2006-07

मालडिब्बों की खरीद

4591. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष के दौरान मालडिब्बों की अपेक्षित मांग कितनी थी;

(ख) मालडिब्बों की नई खरीद हेतु अब तक कितने आर्डर दिए गए; और

(ग) बजट में किए गए प्रावधानों का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) माल डिब्बों की मांग आवश्यकता पर आधारित गतिविधि है जो वर्ष के लक्षित माल-भाड़ा यातायात और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्ष 2001-2002 के लिए चौपहिया इकाइयों के हिसाब से 23,000 माल डिब्बों की प्राप्ति के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है जिनमें से 17,000 चौपहिया इकाइयां रेलों के अपने संसाधनों के अंतर्गत प्राप्त की जानी हैं जबकि बकाया 6000 चौपहिया इकाइयां अपने माल डिब्बों के मलिक बनें योजना/निर्माण-पट्टा एवं हस्तांतरण योजना के अंतर्गत प्राप्त की जानी हैं। फिलहाल अपने माल डिब्बा के मालिक बनें योजना और निर्माण पट्टा एवं हस्तांतरण योजना के अंतर्गत कोई मांग नहीं है। 1.4.2001 को मालडिब्बा उद्योग के पास 1000 चौपहिया इकाईयों का बकाया था जिसमें 2000-01 की संविदा के +30% विकल्प खंड के अंतर्गत 2460 चौपहिया इकाइयां शामिल हैं। रेल कारखानों को अन्य 2000 चौपहिया रेल इकाइयों के संबंध में क्रयादेश दिए गए हैं। वर्ष के लिए 17,000 चौपहिया

इकाइयों से अधिक आर्डर दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। बजट व्यवस्था की तुलना में माल्डिब्बों की खरीद योजना में कोई कटौती नहीं की गई है।

होवरपोर्ट की स्थापना

4592. श्री वाई.वी. राव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध शिकार और तस्करी रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड हेतु होवरपोर्ट की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) क्या आम नागरिकों को अपने ओवरक्राफ्ट हेतु पत्तन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। हल्दिया में एक होवरपोर्ट पूरी तरह कार्य कर रहा है जबकि मंडतम् और जाखू में दो और होवरपोर्टों का निर्माण योजना स्तर पर है।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

पावरग्रिड की स्थापना

4593. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाईवासा और चक्रधरपुर में पावर ग्रिड की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्र सरकार का चक्रधरपुर और चाइवासा में विद्युत ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

4594. श्री के. मुरलीधरन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कुरियर कुट्टी, करप्पारा और पुयमकुट्टी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग ने करापाडा-कुरियाकुट्टी बहुद्देशीय जल विद्युत स्कीम (84 मे.वा.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केरल सरकार को फरवरी 2001 में स्कीम के अनेक दोषों के कारण इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया कि वे टिप्पणियों का अनुपालन करें तथा सिंचाई एवं विद्युत घटक हेतु एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पुयनकुट्टी जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 250 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जनवरी 1984 में स्वीकृति दी थी। परियोजना को अगस्त 1986 में योजना आयोग ने वन स्वीकृति के शर्त पर निवेश अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति, जो अनेक शर्तों के क्रियान्वयन पर निर्भर थी, अब व्यपगत हो गई है क्योंकि परियोजना पर कार्य नहीं शुरू हुआ है, अत: इसके लिए पुन: पर्यावरणीय स्वीकृति की जरूरत होगी। परियोजना को वन स्वीकृति मिलने संबंधी मामला सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण के संबंध में राज्य सरकार के पास लंबित है।

विद्युत उत्पादन केन्द्र

4595. श्री विष्णु पद राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्याप्त विद्युत केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उपयोग की स्थिति क्या है; और

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्युत उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न द्वीपों/स्थानों में 38.8 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 34 डीजल विद्युत उत्पादन गृह क्रियाशील हैं। इसके अलावा 21 सुदूर एवं दूरस्थ

गांवों/क्षेत्रों में सौर विद्युत केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं। कलपोंग में 3×17.5 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत उत्पादन केन्द्र एनएचपीसी द्वारा निर्माणाधीन है। दक्षिण अंडमान में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए बम्बूफ्लैट में 20 मेगावाट का एक आईपीपी विद्युत उत्पादन केन्द्र 2002 में चालू किया जाना तय है।

(ख) संबंधित क्षेत्रों/द्वीपों की वर्तमान विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारम्परिक एवं अपारम्परिक दोनों प्रकार के विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष-वार विद्युत उत्पादन एवं विद्युत खपत का विवरण नीचे दिया गया है:

आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयूएस)

वर्ष	विद्युत उत्पादन	उपभोग
1996-97	89.77	70.53
1997-98	93.18	71.54
1998-99	103.56	79.61
1999-2000	112.72	86.92
2000-01	118.00	91.00 (अनंतिम)

ऊर्जा स्रोतों का दोहन

4596. श्री रघुनाथ झा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कच्चे तेल का बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है और देश में उपलब्ध पर्याप्त अन्य ऊर्जा स्रोतों का भी दोहन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दोहन किए गए अन्य ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) देश कच्चे तेल का बड़ी मात्रा का आयात कर रहा है। सरकार भी ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग कर रही है जैसे:

(1) पेट्रोल में एथनोल मिलाने के प्रचालनात्मक, वित्तीय और पर्यावरणीय प्रभाव की जांच करने के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणाम उत्साहवर्धक होने पर मोटर स्पिरिट में 5 एथनोल मिलाने की अनुमति दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप बचत होगी।

(2) विभिन्न क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का दोहन किया जा रहा है उनमें से कुछ मुख्य हैं बिजली, इस्पात, सीमेन्ट आदि। देश में 2000-01 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन 309 मिलियन टन (अनंतिम) है। कोल बेड मिथेन (सी बी एम) का दोहन करने की भी योजना बनाई जा रही है।

(3) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोगों की ताप, प्रकाश और बिजली की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर, वायु, छोटे हाइड्रो और बायोमास जैसे गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वह मंत्रालय पूरे देश में निजी निवेश प्रतिभागिता को आकर्षित करने और विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय राजसहायता, शतप्रतिशत वर्धित मूल्यह्रास, रिहायसी सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/बिक्री कर छूट, इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि. (आई आर ई डी ए) से उदार ऋणों, व्हीलिंग के लिए अनुकूल नीतियों, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत आदि की वापस खरीद तीसरा पक्षकार बिक्री आदि जैसे विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की अनुमानित सम्भाव्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की अनुमानित सम्भाव्यता और विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियां

स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता	उपलब्धियां (31.3.2001 तक)
1	2	3
1. बायोगैस संयंत्र संख्या)	120 लाख	32 लाख

1		2	3
2.	उन्नत चूल्हा (संख्या)	12 करोड़	338.11 लाख
3.	क. बायोमास विद्युत	19.500 मे.वा.	292.30 मे.वा.
	ख. बायोमास गैसीफायर		40.18 मे.वा.
4.	सौर फोटोवोल्टेइक	20 मे.वा./व.कि.मी.	
	1. सौर पथ प्रकाश प्रणालियां	–	31403 नग
	2. गृह प्रकाश प्रणालियां	–	152180 नग
	3. सौर लालटेन	–	350531 नग
	4. एस पी वी विद्युत संयंत्र	–	1132 कि.वा.पी.
5.	सौर जल ताप प्रणालियां	30 मिलियन व.मी. संग्रहक क्षेत्र	5,90,000 व.मी. संग्रहक क्षेत्र
6.	सौर कुक्कर	–	5,10,000 नग
7.	सौर पी वी पम्प्स	–	4148 नग
8.	सौर फोटो व्लोटेइक विद्युत	–	1.6 मे.वा.
9.	पवन विद्युत	45,000 मे.वा.	1340 मे.वा.
10.	छोटी हाइड्रो पावर (25 मे.वा. तक)	15,000 मे.वा.	1353.85 मे.वा.
11.	पवन पम्प		714 नग
12.	हाइब्रिड प्रणालियां		91.5 कि.वा.
13.	अवशिष्ट से ऊर्जा निकासी	1700 मे.वा.	16.2 मे.वा.
14.	बैटरी से चलने वाले वाहन		240 नग

मे.वा. – मेगावाट; कि.वा. - किलो वाट; के.वा.पी. - किलो वाट पीक; व कि.मी. - वर्ग किलोमीटर; व मी. - वर्ग मीटर

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बमनिया में सड़क उपरिपुल का निर्माण

4597. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बमनिया रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती समपार पर सड़क उपरिपुल के निर्माण का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समपार पर सड़क उपरिपुल के निर्माण को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं का बंद किया जाना

4598. श्री राम टहल चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्ष के दौरान सरकार ने कई विद्युत परियोजनाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को बंद किये जाने के परियोजना-वार कारण. क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) गत 2 वर्षों से जिन विभिन्न परियोजनाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, कारण समेत उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अभियुक्तियां
1.	नरीमनम सीसीजीटी	5.00	टीएनईबी ने परियोजना क्रियान्वयन को मुल्तवी करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।
2.	बेसिन ब्रिज डब्ल्यू-2	30.00	टीएनईबी ने परियोजना क्रियान्वयन को मुल्तवी करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया।
3.	साबरमती टीपीएस	120	गुजरात सरकार ने दिनांक 22.9.2000 की अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से परियोजना को कार्यक्रम से हटा दिया है क्योंकि प्रवर्तक परियोजना में इच्छुक नहीं है।
4.	फीनिक्स पावर एफओ	175	यह तरल इंधन (नाप्था) आधारित परियोजना है। 4.6.2001 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान एचपीजीसीएल ने संकेत दिया है कि स्कीम को त्यागा जा सकता है।
5.	गौरीपुर	150	कंपनी ने कोई गंभीरता अथवा सूचि का प्रदर्शन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल सरकार गौरीपुर पावर कंपनी को अधिकृत करने का खंडन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार जब तक सीईए से पुन: आग्रह न करे तब तक स्कीम को मुल्तवी माना जाए।
6.	सारापद्दी एचइपी	90	केपीसीएल को 369.45 करोड़ रु. की लागत से राज्य सरकार द्वारा 10-5-96 को मंजूर परियोजना के निष्पादन को रद्द कर दिया है क्योंकि परियोजना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

यात्रियों से पैसे ऐंठना

4599. डा. बलिराम:
कुंवर अखिलेश सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्व रेलवे के अंतर्गत मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर जी आर पी कार्मिकों की मिलीभगत से यात्रा पत्र संग्रहक यात्रियों से लगातार पैसे ऐंठ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के कितने यात्रा पत्र संग्रहकों और यात्रा पत्र निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रकार पैसे ऐंठने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कौन-कौन से प्रभावी कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) टिकट जांच कर्मचारियों की नियमित जांच की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व रेलवे के 205 गाड़ी टिकट परीक्षक और टिकट संग्रहक भ्रष्टाचार के आरोपों सहित विभिन्न अनियमितताएं बरतने के लिए पकड़े गए हैं।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का निर्माण

4600. श्री जी.जे. जावीया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात की ऐसी रेल परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं, जिनका गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सर्वेक्षण हो जाने के बाद निर्माण कार्य अलाभकारी प्रकृति का होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका और उन पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ख) चल रहे और प्रस्तावित सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इनकी मौजूदा स्थिति क्या है और इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) विगत तीन वर्षों में नई लाइन तथा आमान परिवर्तन योजनाएं जिनके सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं तथा प्रस्तावों की अलाभप्रद प्रकृति के कारण कार्य आरंभ नहीं किए गए हैं, का ब्यौरा इस प्रकार है:

परियोजना	वर्ष	किया गया खर्च (लाख में)
पोरबंदर से पोरबंदर पोर्ट नई लाइन	1998-99	0.90
कोडिनार से पीपावाव तटीय नई लाइन	1998-99	2.0
दहानू रोड-नासिक रोड नई लाइन	1999-2000	7.53
भुज-नलिया आमान परिवर्तन	1998-99	3.15

(ख) चालू सर्वेक्षणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये सर्वक्षण प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) चालू सर्वेक्षणों के अगले 2 से 3 वर्षों की अवधि में पूरे हो जाने की आशा है।

विवरण

क्र.सं.	रेलवे/योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	किया जाने वाला संभावित खर्च
1	2	3	4
	मध्य		
1.	नई लाइन	जालना-खामगांव	10.46
2.	नई लाइन	बड-भैंसा	0.66
3.	नई लाइन	शिरपुर-महु	12.49
4.	नई लाइन	जबलपुर से पटना बरास्ता दमोह	16.26
5.	नई लाइन	भिण्ड-ओरई-हरपालपुर	13.94
6.	नई लाइन	रोतेगांव-पुन्तांबा	5.40
7.	नई लाइन	चिंचवाड़ तथा रोहा	6.36
8.	नई लाइन	सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद	1.80
9.	नई लाइन	वर्धा-पुसाड़-नांदेड़	2.00
10.	नई लाइन	खरगोन, सेंधवा के रास्ते खण्डवा से नरदाना	20.25
11.	आमान परिवर्तन	आमला तक विस्तार सहित पुलगांव-अरवी का आमान परवर्तन	

1	2	3	4
12.	दोहरीकरण	पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन	10.61
13.	दोहरीकरण	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन	9.05
14.	दोहरीकरण	दौंड-मनमाड विद्युतीकरण सहित	25.00
15.	दोहरीकरण	दौंड-भिगवन-गुलबर्गा	11.16
16.	दोहरीकरण	पुणे-लोनावला चौहरीकरण	7.49
17.	दोहरीकरण	थाणे-दिवा, मुम्बरा-क्रीक ब्रिज से ऊपर पांचवीं तथा छठी लाइन	2.44
	पूर्व		
18.	नई लाइन	बजबज-उलूबेरिया	1.35
19.	नई लाइन	टोरी-शिवपुर	15.35
20.	नई लाइन	टिटलागढ़-सोनारपुर	3.04
21.	नई लाइन	बजबज-नामखाना-फ्रेजरगंज	4.50
22.	नई लाइन	पटना-गंगा पर रेलपुल	279.45
23.	नई लाइन	मुंगेर-गंगा पर रेल एवं सड़क पुल	472.0
24.	नई लाइन	पिरपेनिटी से मेरी-गो-राउंड	1.78
25.	नई लाइन	झाझा-गिरिडिह बरास्ता सोनुचखई	5.74
26.	नई लाइन	कोडरमा-हजारीबाग-गेरवा रोड	17.96
27.	नई लाइन	मगरा-ताड़केश्वर छोला परित्यक्त लाइन की बड़ी लाइन के रूप में बहाली	6.75
28.	नई लाइन	अजिमगंज-मुर्शिदाबाद (जियागंज)	2.00
29.	नई लाइन	बंडेल-नैहाटी	0.54
30.	नई लाइन	गया-छत्र	5.94
31.	नई लाइन	टोरी-छत्र	2.92
32.	दोहरीकरण	पतरालू-चाण्डिल	9.04
33.	दोहरीकरण	बेलानगर-बेली के बीच हवड़ा-सियालदह तीसरा लाइन तथा दमदम, बारानगर और बाली में अतिरिक्त लूप	0.54
34.	दोहरीकरण	शक्तिगढ़ और दानकुनी चौथी लाइन	1.28
35.	दोहरीकरण	बरुईपुर-डायमण्ड हार्बर	4.0

1	2	3	4
36.	दोहरीकरण	हवड़ा तथा बंडेल चौथी लाइन	1.18
37.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	कलकत्ता में अनुरक्षण सुविधाओं का इष्टतमीकरण	5.00
38.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	पटना में अनुरक्षण सुविधाओं का इष्टतमीकरण	5.00
	पूर्वोत्तर		
39.	नई लाइन	निर्मली-भपतियाई	200.00
40.	आमान परिवर्तन	पूर्णिया-सहरसा बरास्ता माधेपुरा	6.60
	पूर्वोत्तर सीमा		
41.	नई लाइन	कोहिमा-दीमापुर	3.71
42.	नई लाइन	सिवोक-गिल्लीखोला	6.30
43.	नई लाइन	हलेम-ईटानगर	4.05
44.	नई लाइन	जिरिबाम-इम्फाल	6.07
45.	नई लाइन	अगरतला से अखौरा	0.45
46.	नई लाइन	भैरावी-सैरांग/ऐज्वाल	7.29
47.	नई लाइन	जोगीघोपा से सिलचर बरास्ता पंचरत्न	33.75
	उत्तर		
48.	नई लाइन	अलीगढ़-झिंझक बरास्ता सिकंदरारू तथा मैनपुरी	16.31
49.	नई लाइन	बारामुला से कुपवाड़ा, उधमपुर से भैरावाह, डोडा से किश्तवाड़	24.12
50.	नई लाइन	हरिद्वार-कोटद्वार-रामनगर	15.08
51.	नई लाइन	चंडीगढ़ से देहरादून बरास्ता जगाधरी	31.20
52.	नई लाइन	कैथल-यमुनानगर बरास्ता करनाल	9.29
53.	नई लाइन	फिरोजपुर कैंट-तरन तारन	3.37
54.	नई लाइन	हस्तिनापुर रेल लिकिंग	2.34
55.	नई लाइन	नौखा-सीकर बरास्ता बिदासर तथा सुजानगढ़	12.52
56.	नई लाइन	अनूपगढ़ से बीकानेर	10.46

1	2	3	4
57.	नई लाइन	रोहतक से हिसार बरास्ता मेहम तथा हांसी	6.75
58.	नई लाइन	सानेवाल-लाढोवाल	3.90
59.	नई लाइन	सम्भल से गजरौला	6.52
60.	नई लाइन	सरना-माधोपुर	8.10
61.	नई लाइन	सम्भल से राजघाट	3.65
62.	नई लाइन	बरहान-एटा लाइन शाहजहांपुर तक	10.29
63.	नई लाइन	शाहगंज-अमेठी बरास्ता सुल्तानपुर	14.85
64.	नई लाइन	झुन्झुनू-पिलानी	1.35
65.	नई लाइन	बडोवाल-साहनेवाल	6.50
66.	नई लाइन	अबोहर-टोहाना	14.75
67.	नई लाइन	ऊना-जैजांव दोआबा	1.48
68.	दोहरीकरण	जयपुर से मेड़ता रोड	29.56
69.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	दिल्ली क्षेत्र, इष्टतमीकरण तथा यौक्तिकीकरण	7.45
70.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दैनिक यातायात को सम्हालने के लिए अपेक्षित इनपुट निवेश की पहचान करना	104.50
	दक्षिण मध्य		
71.	नई लाइन	लातूर रोड-मुदखेड़	8.10
72.	नई लाइन	रंजीतपुरा-यशवंतनगर	1.48
73.	नई लाइन	दोनाकोंडा-वेदरवा	7.42
74.	नई लाइन	जग्यापेट-मिरयालगुड्डा	3.85
75.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	काकीनाड़ा क्षेत्र में अवसंरचना का विकास	10.00
	दक्षिण पूर्व		
76.	नई लाइन	उमरेर से नागपुर बरास्ता खापरखेड़ा तथा कोराडी	2.02
77.	नई लाइन	फूलबनी से बरहामपुर	15.75

1	2	3	4
78.	नई लाइन	बिश्रामपुर से जबलपुर	7.87
79.	नई लाइन	राजनंदगांव-जबलपुर	20.25
80.	नई लाइन	बिलासपुर से जबलपुर	33.48
81.	नई लाइन	बिमलगढ़ से तालचेर	11.70
82.	नई लाइन	बरवाडीह से चिरमिरी रेलवे लाइन की बहाली	2.00
83.	नई लाइन	जैपोर से नवरंगपुर	4.05
84.	नई लाइन	लोहारडागा से कोरबा	13.05
85.	नई लाइन	नौपाड़ा रोड से बैरागढ़ रोड बरास्ता पद्मापुर	5.40
86.	नई लाइन	तालचेर/हिंडोल रोड से बेरहामपुर/गोपालपुर	0.50
87.	नई लाइन	पेंडरा रोड-कोरबा/गेरवा रोड	6.30
88.	नई लाइन	रामटेक से गोटेगांव बरास्ता खवासा, सिओनी तथा धूमा	2.00
89.	नई लाइन	कलिंगानगर/दैतारी तथा गोपालपुर परिसर-प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों के लिए रेल अवसंरचना में वृद्धि	कोई नहीं
90.	नई लाइन	रायपुर-झारसुगुडा बरास्ता खरतापालन, बालोदा बाजार, बटगांव तथा सारनगढ़	20.92
91.	नई लाइन	पोंडूरू-राजम	1.35
92.	नई लाइन	कोट्टावलासा से अनकपल्ली बाईपास लाइन	1.80
93.	नई लाइन	तालचेर स्टेशन से तालचेर सम्बलपुर लाइन	0.30
94.	नई लाइन	जैपोर-मलकांगिरी	8.10
95.	नई लाइन	कटंगी से तिरोडी	0.90
96.	आमान परिवर्तन	छिंदवाड़ा-नैनपुर	6.30
97.	आमान परिवर्तन	नागभीर से नागपुर	4.77
98.	आमान परिवर्तन	छिंदवाड़ा-नागपुर	6.75

1	2	3	4
99.	दोहरीकरण	खुर्दा रोड-पुरी	4.05
100.	दोहरीकरण	चक्रधरपुर-बंडामुंडा तीसरी लाइन	14.88
101.	दोहरीकरण	बिलासपुर-अनूपपुर	8.88
102.	दोहरीकरण	आर वी लाइन पर टिटलागढ़-रायपुर खंड तथा टिटलागढ़-झारसुगुडा	31.60
103.	दोहरीकरण	कोट्टावलासा-सिम्हाचलम् चौथी लाइन तथा विजयनगरम-कोट्टावलासा तीसरा लाइन	4.77
104.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	दक्षिण पूर्व रेलवे के पूर्व तटीय क्षेत्र रेल सुविधाओं की आवश्यकता	20.00
	दक्षिण		
105.	नई लाइन	पुनालूर से एरूमेली	2.92
106.	नई लाइन	पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर	16.13
107.	नई लाइन	एर्णाकुलम-पुनालूर-त्रिवेंद्रम	9.18
108.	नई लाइन	मैसूर-मंगलौर	16.20
109.	नई लाइन	कुम्बकोणम से नामाकल	12.82
110.	नई लाइन	मदुरै-तूतिकोरिन नई लाइन तथा विरुधुनगर-मानमदुरै का आमान परिवर्तन	12.49
111.	नई लाइन	वैकाम-वैकाम रोड	0.68
112.	नई लाइन	शोरानूर में बल्ब रेल लाइन	0.27
113.	नई लाइन	जोलारपेटै से होसूर बरास्ता कृष्णागिरी	13.50
114.	नई लाइन	मदुरै-कोट्टायम	13.50
115.	आमान परिवर्तन	मदुरै-कोयम्बतूर	9.78
116.	दोहरीकरण	तिरुवल्लूरे-अरक्कोणम तीसरी लाइन	3.51
117.	यातायात सुविधा संबंधी	त्रिवेंद्रम में दूसरा कोचिंग टर्मिनल कार्य	1.50
118.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	चेन्नै क्षेत्र-रेल अवसंरचना के एकीकृत विकास के लिए इष्टतमीकरण तथा मास्टर योजना तैयार करना	5.00
119.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	बेंगलुरु-अंत:मॉडल अध्ययन (महानगर परिवहन परियोजना)	10.00

1	2	3	4
	पश्चिम		
120.	नई लाइन	भावनगर-तारापुर	10.14
121.	नई लाइन	डूंगरपुर से रतलाम बरास्ता बांसवाड़ा	27.00
122.	नई लाइन	खरखोदा-सन्तापुर	6.75
123.	नई लाइन	जैसलमेर से कांडला	81.00
124.	नई लाइन	वेरावल से कोडिनार	2.4
125.	आमान परिवर्तन	उदयपुर सिटी-हिम्मतनगर-अहमदाबाद	24.89
126.	आमान परिवर्तन	प्रतापनगर से छोटा उदयपुर आमान परिवर्तन तथा छोटा उदयपुर से धार नई बड़ी लाइन	12.24
127.	आमान परिवर्तन	कलोल-काडी-कोटासन	3.60
128.	आमान परिवर्तन	मेहसाणा-तरंगा हिल	3.85
129.	दोहरीकरण	गोरेगांव-बोरीवली	7.64
130.	दोहरीकरण	उधना-जलगांव	19.91
131.	दोहरीकरण	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली	5.00
132.	दोहरीकरण	उज्जैन-इंदौर	10.80
133.	दोहरीकरण	दिल्ली-अहमदाबाद	63.18
134.	यातायात सुविधा संबंधी कार्य	दादर में कोचीन टर्मिनल	1.00

[हिन्दी]

राजस्थान में रोड ओवर ब्रिजों/रोड अंडर-ब्रिजों का निर्माण

4601. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोड ओवर/अंडरब्रिजों के निर्माण के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान राजस्थान में स्थान-वार कितने रोड ओवर/अंडरब्रिज स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) रोड अंडर/ओवरब्रिजों के निर्माण संबंधी लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(च) रोड अंडर/ओवरब्रिजों के चालू निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) ऊपरी/निचले सड़क पुल लागत में भागीदारी के आधार पर अथवा निक्षेप शर्तों अथवा निर्माण, परिचालन और हस्तान्तरण

(बोट) योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाते हैं। एक लाख अथवा इससे अधिक वाहन इकाई (गाड़ी वाहन इकाई 24 घंटों में समपार से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या से सड़क वाहन की संख्या से गुणा करके प्राप्त की जाती है।) के यातायात घनत्व वाले व्यस्त समपारों की लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों द्वारा बदलने पर विचार किया जाता है और मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। दो लेन वाले ऊपरी पुल और दो पैदल पथों और उसके पहुंच मार्गों के लिए रेलवे और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में लागत वहन की जाती है। लागत में भागीदारी के आधार पर बदलाव के लिए अर्हक न समझे जाने वाले नए मार्गों पर अथवा समपारों के बदले ऊपरी पुलों के निर्माण पर निक्षेप शर्तों पर विचार किया जाता है अर्थात् निर्माण और अनुरक्षण की संपूर्ण लागत प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वहन की जाती है।

इसके अलावा, निर्माण परिचालन और हस्तान्तरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए निजी ठेकेदारों को लगा सकती है और एक निश्चित अवधि के लिए उपयोगकर्ताओं से टोल एकत्रित कर सकती हैं और/अथवा पुल के पहुंच मार्गों के नीचे स्थान का वाणिज्यिक दोहन कर सकती है।

(ग) और (च) विवरण I संलग्न है।

(घ) और (ङ) विवरण II संलग्न है।

विवरण I

लागत में भागीदारी के आधार पर

क्र.सं.	समपार सं.	स्थान	स्थिति
1.	71-ए	राजस्थान का हनुमानगढ़-भटिंडा खंड, 2000-2001 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत	राज्य लोक निर्माण वभाग को रेखाचित्र स्वीकार्य नहीं थे। संयुक्त निरीक्षण के बाद संशोधित रेखा चित्र तैयार किये जा रहे हैं।
2.	96	सीकर यार्ड में ऊपरी सड़क पुल. 2000-2001 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत।	राज्य सरकार से पहुंच मार्गों के लिए विस्तृत अनुमान की प्रतीक्षा है।
निक्षेप शर्तों पर			
1.		दुर्गापुर-सांगानेर के बीच निचला सड़क पुल. 2000-2001 में स्वीकृत।	28.3.2001 को निविदा खोली गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण की संकल्पना पर			
1.	24-ए	अजमेर-जयपुर खंड पर किशनगढ़ में ऊपरी सड़क पुल 1998-99 में स्वीकृत।	फरवरी 2000 में चालू कर दिया गया।

विवरण II

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	जयपुर शहर में समपार सं. 206 पर बासनी इन्डस्ट्रियल एरिया में ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार ने सितम्बर, 2000 में प्रस्ताव को स्वीकृत किया परन्तु चौड़ाई, मूल योजना आदि जैसी सूचना और समपार को बंद करने के लिए वचनबद्धता अभी प्रस्तुत की जानी है।

1	2	3
2.	जोधपुर शहर में समपार सं. 11 पर मंडोर में ऊपरी सड़क पुल	यथोक्त
3.	समपार सं. 9 के स्थान पर लाल सागर में निचला सड़क पुल	पूरक निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है।

ठेके पर रेलवे स्टेशन

4602. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 2001 के ''दैनिक जागरण (वाराणसी)'' में ''रेलवे स्टेशनों को ठेके पर दिए जाने की सूचना से जन रोष'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर रेल के अंतर्गत इंदारा-डोबरी रेल मार्ग पर कोपा गंज और घोसी रेलवे स्टेशनों को ठेके पर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन्दिरा-दोहरीघाट खंड पूर्वोत्तर रेलवे की अलाभप्रद शाखा लाइन है, जहां बहुत कम यातायात के कारण कोपागंज और घोसी सहित कतिपय रेलवे स्टेशनों का दर्जा घटाकर ठेकेदार द्वारा परिचालित हॉल्ट स्टेशन के रूप में कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत लागत

4603. श्रीमती रानी नरह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में विद्युत लागत चार रुपये प्रति यूनिट तक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में वाणिज्यिक, घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा विद्युत शुल्क का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) 2000-01 के दौरान असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में वाणिज्यिक, घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों की औसत विद्युत टैरिफ निम्नानुसार है:

(पैसे/कि.वा. घं.)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	वाणिज्यिक	घरेलू	कृषि/सिंचाई	उद्योग
1.	अरुणाचल प्रदेश	200.00	200.00	0.00	200.00
2.	असम	416.56	146.47	233.24	361.40
3.	मणिपुर	210.00	167.97	125.40	125.27
4.	मेघालय	205.91	130.75	52.00	202.23
5.	मिजोरम	176.00	115.00	0.00	217.00
6.	नागालैंड	280.00	160.00	0.00	225.00
7.	त्रिपुरा	130.00	95.00	75.00	120.00

बिहार में ओ एन जी सी/ओ आई एल कार्यालयों का बंद होना

4604. श्री अरुण कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार से अपने ओ एन जी सी और आयल इंडिया लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रमों को अपने कार्यालय और आपरेशन्स बंद करने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या ओ एन जी सी और ओ आई एल ने केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में तेल खोज योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है; और

(ग) बिहार में दोनों सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने आपरेशन स्थगित किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) बिहार राज्य के अंतर्गत गंडक परियोजना में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) के प्रचालन तथा इसका पटना स्थित कार्यालय 30 अप्रैल, 1996 को बंद कर दिए गए थे। रेलवे की भूमि, जिसका स्टोरेज यार्ड तथा रेलवे साइडिंग के रूप में उपयोग किया जा रहा था, ओ एन जी सी द्वारा फरवरी, 1998 में रेलवे को सौंप दी गई थी। आयल इंडिया लिमिटेड ने बिहार राज्य में कभी भी प्रचालन नहीं किया है।

जबकि इस विषय में कोई लक्ष्य नहीं थे, फिर भी ओ एन जी सी ने वर्ष 1997 के दौरान फील्ड सीजन 1996-97 में बिहार में 122 ग्राउंड लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन किया था। इसके अलावा ओ एन जी सी द्वारा वर्ष, 1997-98 में बिहार राज्य के धनबाद जिले के झरिया कोल-फील्ड क्षेत्रों जो अब झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं, में कोल बेड मीथेन के संबंध में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप आरम्भ किए गए थे।

चूंकि यहां इसके क्रियाकलापों के कोई उत्साहवर्द्धक परिणाम नहीं निकले, इसलिए बिहार राज्य में ओ एन जी सी के प्रचालन बन्द कर दिए गए थे।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वित्तीय संस्थान की स्थापना

4605. श्री रामपाल सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटी और मध्यम आकार की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक और वित्तीय संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

डीजल पर अधिभार

4606. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2001 से सल्फर की कम मात्रा वाले डीजल पर कोई अधिभार लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी राशि अर्जित होने की संभावना है; और

(ग) इस राशि को किस कार्य के लिए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक वाले डीजल के भंडारण स्थल तक के मूल्य में जुलाई, 2001 में संशोधन किया गया था। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक वाले डीजल की विनिर्माण प्रक्रिया में रिफाइनरियों की उच्चतर लागत सम्मिलित है और डीजल के इस ग्रेड के मूल्यों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सामान्य ग्रेड पर प्रीमियम सम्मिलित होता है।

[अनुवाद]

आईआरईडीए द्वारा वृत्तचित्र

4607. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) अपने कार्यकलापों के बारे में प्रिंट मीडिया और वृत्तचित्र बनाकर जागरूकता अभियान चलाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष आईआरईडीए का कुल विज्ञापन बजट कितना था और प्रचार-प्रसार पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) उन एजेंसियों/कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान आईआरईडीए के लिए वृत्तचित्र तैयार किए हैं; और

(घ) प्रतिवर्ष प्रसारित की गई फिल्मों के नाम और कथानक क्या-क्या हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) अपनी विभिन्न गतिविधियों पर प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से और वृत्त फिल्में भी बनाकर जनजागरूकता एवं प्रचार अभियानों को चला रही है। इरेडा द्वारा प्रचार कार्य के लिए आवंटित बजट और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इसके लिए खर्च की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	कुल बजट	व्यय
1998-99	10.00	5.98
1999-2000	40.00	44.56
2000-2001	60.00	88.21

(ग) और (घ) मैसर्स प्राईम इमेजस प्राइवेट लि., बंगलौर और मैसर्स फैक्चुअल मीडिया नेटवर्क, नई दिल्ली को पिछले तीन वर्षों के दौरान इरेडा के लिए दो वीडियो फिल्में बनाने के लिए कार्य पर लगाया गया। इस अवधि के दौरान 'सोलर कुकर' पर 10 भाषाओं में और 'अक्षय ऊर्जा में महिलाएं' विषय पर फिल्में बनाई गई। अक्षय ऊर्जा पर विभिन्न व्यापार विकास बैठकों आदि के दौरान इन फिल्मों को दिखाया गया। अब तक ये फिल्में टेलीकास्ट नहीं की गई।

विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य

4608. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान एनटीपीसी ने विन्ध्याचल ताप विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) योजना अवधि के दौरान उक्त ताप संयंत्र की वास्तविक उपलब्धि क्या रहीं;

(ग) क्या सरकार के पास इस संयंत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विस्तार के बाद कितने विद्युत उत्पादन का अनुमान लगाया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के विंध्याचल सुपर ताप विद्युत संयंत्र ने 44902 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 47687 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन किया है (जुलाई 2001 तक)। परियोजना के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियां का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	नौवीं योजना लक्ष्य (एमओयू)	उत्पादन (मि.यू.) वास्तविक
1997-98	8890	8750
1998-99	8800	9934
1999-2000	10858	9895
2000-2001	11600	14196
2001-2002 (अप्रैल से जुलाई, 2001 तक)	4754 (यथानुपात)	4912
	44902	47687

(ग) से (ङ) एनटीपीसी ने विंध्याचल एसटीपीपी का विस्तार 1000 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि से चरण-3 के रूप में करने का प्रस्ताव किया है। एनटीपीसी द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को चरण-3 हेतु प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट का मूल्यांकन तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु किया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि योजनाओं का कार्यनिष्पादन

4609. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में कृषि के पुन: विकास हेतु शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रत्येक योजना का वर्ष-वार कार्यनिष्पादन कैसा रहा है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई राशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त

तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपयोग की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, 27 चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को मिलाकर एक वृहत् प्रबंधन स्कीम "कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता" महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में अक्तूबर, 2000 में शुरू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को केन्द्रीय सहायता, राज्य में कृषि के विकास हेतु क्षेत्र/फसल/क्षेत्रफल विशिष्ट हस्तक्षेप को शामिल करते हुए कार्य योजना के आधार पर प्रदान की जाती है। वृहत् प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत मिलायी गयी 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु राज्य के प्रयासों को सहायता प्रदान करती हैं। स्कीमों का निष्पादन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के संदर्भ में दिखायी जाती है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रमुख फसलों के क्षेत्र उत्पादन एवं उत्पादकता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निर्मुक्त/महाराष्ट्र द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

	1999-2000		2000-2001	
	आबंटन/ निर्मुक्तियां	व्यय	आबंटन/ निर्मुक्तियां	व्यय*
	1	2	3	4
I. फसल	1228.97	852.33	622.10	161.40
1. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
2. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
3. मोटे आज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	389.95	95.97	72.30	72.30
4. गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत् विकास	271.63	423.96	23.80	23.80
5. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
6. कपास प्रौद्योगिकी मिशन	567.69	332.40	526.00	65.30
II. तिल. एवं दल. प्रौ. मि.	1480.43	1281.13	1138.24	844.83
7. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	1030.43	890.33	825.00	576.11
8. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	430.00	275.85	271.00	238.64
9. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	20.00	114.95	42.24	30.08

		1	2	3	4
10.	आयल पाम विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	**बागवानी**	3173.80	1145.66	383.97	575.36
11.	शुष्क, उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास	200.00	229.19	43.58	64.06
12.	वनस्पति बीजों का उत्पादन व आपूर्ति	18.00	17.94	0.00	0.00
13.	कन्द एवं मूल फसलों का विकास	0.50	3.45	0.00	0.00
14.	वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास	18.70	46.72	6.00	6.00
15.	औषधीय तथा सजावटी पौधों का विकास	8.00	8.00	0.35	1.36
16.	कोको सहित काजू का विकास	545.98	700.38	0.80	170.70
17.	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम	71.19	135.03	21.01	21.01
18.	खुम्भी विकास	6.68	4.95	3.00	3.00
19.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	2304.75	0.00	309.23	309.23
20.	मधुमक्खी पालन	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	**बीज**	0.00	0.00	0.00	11.15
21.	वानस्पति फसलों के आधारी व प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए स्कीम	0.00	0.00	0.00	11.15
V.	**उर्वरक**	203.41	45.49	63.64	228.45
22.	उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग	203.41	45.49	63.64	228.45
VI.	**कृषि मशीनरी**	269.10	268.90	36.90	0.00
23.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन	269.10	268.90	36.90	0.00
VII.	**आर.एफ.एस.**	800.00	1628.23	1290.00	1411.11
24.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	800.00	1628.23	1290.00	1411.11
VIII.	**एन.आर.एम. (एस.डब्ल्यू.सी.)**	716.50	699.05	136.75	545.61
25.	नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रबंध नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	700.00	699.05	133.00	541.66
26.	क्षारीय मृदा का सुधार व विकास	0.00	0.00	0.00	0.00

	1	2	3	4
27. राज्य भू-उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	16.50	0.00	3.75	3.95
IX. सहकारिता	**2.84**	0.00	0.00	0.00
28. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता	2.84	0.00	0.00	0.00
X. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	37.00	59.69	39.50	21.45
29. समय पर रिपोर्टिंग स्कीम	27.00	46.69	30.00	16.65
30. आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए एजेंसी की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00
31. फसल आंकड़ों का सुधार	10.00	13.00	9.50	4.80
XI. नीति एवं योजना	0.00	0.00	6884.75	4553.37
32. बृहत् प्रबंधन	0.00	0.00	6884.75	4553.37
XII. कृषि संगणना	16.90	14.72	40.26	0.00
33. कृषि संगणना	16.90	14.72	40.26	0.00
कुल	**7928.95**	**5995.20**	**10636.11**	**8352.73**

*अनंतिम

विवरण II

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता।
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता।
3. गैर अतिदेय कवर स्कीम।
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि।
5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम।
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
8. मोटे अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम।
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास।
11. उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग।
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन।
13. शुष्क, उष्णकटीबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास।
14. वनस्पति बीजों का उत्पादन व आपूर्ति।
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास।
16. औषधीय तथा सजावटी पौधों का विकास।
17. कन्द एवं मूल फसलों का विकास।
18. कोको तथा काजू का विकास।
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम।

20. खुम्भी विकास।

21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।

22. मधुमक्खी पालन।

23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

24. सब्जी फसलों के आधारी व प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए स्कीम।

25. नदीघाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा परीक्षण।

26. क्षारीय मृदा का सुधार व विकास।

27. राज्य भू-उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण।

विवरण III

महाराष्ट्र में प्रमुख फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता का ब्यौरा

फसल	क्षेत्र ('000' है.		उत्पादन ('000 मी. टन)		उपज (कि.ग्रा./है.)	
	1998-99	1999-2000	1998-1999	1999-2000	1998-1999	1999-2000
चावल	1483.1	1508.8	2467.6	2535.9	1664	1681
गेहूं	1015.5	1049.1	1308.5	1436.1	1289	1369
मोटे अनाज	7096.2	7408.9	6721.8	6446.8	947	870
दलहन	3499.5	3605.1	2254.9	2188.4	644	607

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

4610. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है, जिससे राज्य में विद्युत की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान देश में स्थापित विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 1991-92 से 2000-01 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जल/ताप विद्युत परियोजनाओं को चालू किया गया है:

परियोजना का नाम/क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
केन्द्रीय क्षेत्र	
टनकपुर एचईपी (3×40) एनएचपीसी	1991-92
एनसीटीपीपी (4×210) एनटीपीसी	1991-92, 1992-93 व 1993-94
दादरी सीसीजीटी (जीटी-4×131+एसटी 2×146-5) एनटीपीसी	1991-92, 1992-93 व 1993-94
ऊँचाहार टीपीपी यू-3 व 4 (2×210) एनटीपीसी	1998-99, 1999-2000
टांडा यू-4 (110), एनटीपीसी	1997-98
राज्य क्षेत्र	
खारा एचईपी (3×24)	1991-92
सोबला एचईपी (2×3)	1998-99, 1999-2000
अनपारा बी (2×500)	1993-94, 1994-95

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान चालू की गयी विद्युत परियोजनाओं की सूची

	1998-99	1999-00	2000-01
	1	2	3
केन्द्रीय क्षेत्र			
ऊंचाहार, एनटीपीसी	210	210	
कायमकुलम, एनटीपीसी	230.6	119.4	
विन्ध्याचल, एनटीपीसी	500	500	
फरीदाबाद, एनटीपीसी		286	144
कैथालगुड़ी, नीपको	30		
दोयांग, नीपको	21		
अगरतला, नीपको			75
रंगित-3, एनएचपीसी		60	
आरएपीपी, एनपीसी, यू3		220	220
कैगा, एनपीसी यू-3		220	220
राज्य क्षेत्र			
थीन बांध (पंजाब)			600
भटिंडा (पंजाब)	210		
सूरतगढ़ (राजस्थान)	250	250	
पानीपत (हरियाणा)			210
घानवी (हि.प्र.)			22.5
चेनानी-3 (जम्मू व कश्मीर)			7.5
अपर सिंध (जम्मू व कश्मीर)		35	
सोबला (उ.प्र.)	6		

	1	2	3
वनाकबोरी (गुजरात)	210		
संजय गांधी विस्तार (म.प्र.)	210	210	
खापरखेड़ा (महाराष्ट्र)			420
कदाना (गुजरात)	60		
बाणसागर टॉंस (मध्य प्रदेश)			20.0
राजघाट (मध्य प्रदेश)		45	
कोयना-4 (महाराष्ट्र)	250	750	
वारना (महाराष्ट्र)	8		
दूधगंगा (महाराष्ट्र)		24	
रायचूर (कर्नाटक)	210	210	
ब्रह्मपुरम (केरल)	20		
कोझीकोड (केरल)		128	
कराइकल (पांडिचेरी)	22.9	9.6	
श्रीसेलम (आ.प्र.)			150
सिंगुर (आ.प्र.)		15	
शरावती (कर्नाटक)			60
कालीनदी-कोडासल्ली (कर्नाटक)	180	40	
कुटियाडी विस्तार (केरल)			50
काक्कड़ (केरल)		50	
पोरिंगलकुथू (केरल)	16		
पिल्लाइपेरूमलनल्लूर (टीएन) जीटी			225
सतनूर बांध (तमिलनाडु)	7.5		
कोविलकलप्पल (तमिलनाडु)			107
कुंडा-5 विस्तार (टीएन)		30	
बक्रेश्वर (प. बंगाल)		210	420
अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)		300	300
तीस्ता नहर (प. बंगाल)	15	22.5	

	1	2	3
डीजी (लक्षद्वीप)			30.5
डीजी (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह)			5.72
निजी क्षेत्र			
जोजोबेरा (बिहार)			120
मैग्नम पावर एफओ (हरियाणा) (तरल ईंधन)		25	
पंगुथन सीसीजीटी (गुजरात)	250		
डाभोल-1 (महाराष्ट्र)		250	
डाभोल-1 (महाराष्ट्र)	740		
सलगांवकर सीसीजीटी (गोवा) (तरल इंधन)		48	
कोंडापल्ली (आ.प्र.) तरल ईंधन			350
बेल्लारी (आ.प्र.) तरल ईंधन			25.2
तोरांगल्लू (कर्नाटक)	130	130	
इलूर (बीएसइएस) (केरल) (तरल ईंधन)		135	39
समलपट्टो डीजी (तमिलनाडु)			105
बेसिन ब्रिज डीजी (तमिलनाडु) (तरल इंधन)	200		
बज-बज (पं. बंगाल)	250		
बनासकांडी (असम)	5		

रेल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

4611. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने रेल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है;

(ख) क्या इन अतिक्रमणों के बारे में सूचना प्राप्त करने वाला कोई सरकारी तंत्र है;

(ग) क्या रेल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जिम्मेवारी निर्धारित किए जाने के बावजूद अतिक्रमण होने के क्या कारण हैं और रेल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेवारी कितने अधिकारियों को दी गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) रेलवे भूमि की सीमा का निर्धारण स्थल पर सीमा पोस्ट लगाकर किया गया है। भेद्य क्षेत्रों में बाड़ और चहारदीवारी बनाई जाती है। अतिक्रमणों के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के रूप में कानूनी निवारण भी है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 में यह भी उपबंध है कि रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति अतिक्रामक है और उसे बेदखल किया जा सकता है और दण्ड दिया जा सकता है। क्षेत्र पदाधिकारियों को रेलवे भूमि पर अतिक्रमणों के प्रति सतर्क रहने और उसे रोकने के अनुदेश हैं। यदि वे कोई भी अतिक्रमण रोकने में असमर्थ हैं तो उन्हें सहायता के लिए स्थानीय पुलिस और उच्च पदाधिकारियों को मामले के बारे में तत्काल सूचना देनी होती है। ये पदाधिकारी अतिक्रमण रोकने और अतिक्रामकों को बेदखल करने के लिए अतिक्रमकों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में बार-बार निरीक्षण करते रहते हैं। रेल अधिनियम, 1989 में व्यवस्था है कि कोई भी रेल कर्मचारी ऐसे अतिक्रमण को रोक और हटा सकता है। शहरों में प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर दबाव है। रेलवे भूमि रिबन जैसे लम्बे टुकड़ों में फैली है और इसीलिए इनको रोकने के लिए निरंतर प्रयासों के बावजूद घुसपैठ और अतिक्रमओं की घटनाओं की रोकथाम करने में कठिनाई होती है।

[अनुवाद]

प्रतिस्थापित किए जाने योग्य सिलिंडरों का प्रयोग शुरू किया जाना

4612. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दुपहिया और तिपहिया वाहनों में ईंधन के लिए प्रतिस्थापन योग्य सिलिंडरों का प्रयोग शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिलिंडरों के प्रयोग में सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या इन सिलिंडरों का प्रयोग शीघ्र शुरू किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इन प्रतिस्थापन योग्य सिलिंडरों का प्रयोग शुरू किए जाने के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने अप्रैल, 2001 में एल पी जी इक्विपमेंट रिसर्च सेंटर, बंगलौर (संयोजक के रूप में) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सी सी ओ ई) और आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (ए आर ए आई) को शामिल करके प्रतिस्थापन्न योग्य सिलेण्डरों के साथ दो/तीन पहिया वाहनों द्वारा आटो ईंधन के रूप में एल पी जी के उपयोग की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। ए आर ए आई को छोड़कर इस समिति के सदस्यों का मत था कि प्रतिस्थापन्न योग्य सिलेण्डरों के प्रयोग से अनधिकृत और अवैध भण्डारण, चोरी और विभिन्न अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। जिनमें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक परिस्थितियां पैदा होंगी।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश सरकार ने दो/तीन पहिया वाहनों में प्रतिस्थापन्न योग्य सिलेण्डरों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। तथापि उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

मंत्रालय के कार्यालय में कैन्टीनें

4613. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अलग-अलग कितनी कैन्टीनें कार्य कर रही हैं और प्रत्येक कैन्टीन का कार्य समय क्या है;

(ख) नकद भुगतान या जलपान वाउचरों/मांगपत्रों के प्रस्तुत किए जाने पर प्रत्येक प्रकार की कैन्टीन में कौन-कौन सी खाद्य वस्तुओं की बिक्री की जाती है;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2001 में जून तक की अवधि के दौरान जलपान संबंधी मांगों पर कितना मासिक व्यय किया गया;

(घ) क्या मंत्रालय कार्यालय में कुछ चल-कैन्टीनें भी चलाई जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन चल-बिक्री केन्द्रों द्वारा कौन-कौन से खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है;

(च) क्या मंत्रालय की कैन्टीनों में नकद भुगतान किए जाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके कमरों में भोजन सामग्री पहुंचाए जाने की सेवा उपलब्ध कराई जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेल भवन में दो कैंटीने चल रही हैं अर्थात् रेलवे बोर्ड स्टाफ कैंटीन और उत्तर रेलवे कैंटीन। उत्तर रेलवे कैंटीन मुख्य रूप से मंत्रियों के कार्यालय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। रेलवे बोर्ड स्टाफ कैंटीन 9.00 बजे से 17.30 बजे तक और उत्तर रेलवे कैंटीन 8.00 बजे से आवश्यकता होने तक चलती है।

(ख) रेलवे बोर्ड कैंटीन और उत्तर रेलवे कैंटीन द्वारा बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण I और II पर दिए गए हैं।

(ग) 1999-2000 के दौरान और जून 2000 तक मांग पर्चियों पर हुए खर्च को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है।

(घ) और (ङ) जी हां, रेल भवन की पहली, चौथी और पांचवीं मंजिलों पर रेलवे बोर्ड स्टाफ कैंटीन द्वारा चलती-फिरती ट्राली प्रणाली शुरू की गई है। चाय के साथ आम तौर पर दो मिष्ठान और दो नमकीन यथा बैसन वर्फी, बैसन लड्डू, बूंदी लड्डू, बालूशाही और वड़ा, समोसा, पकौड़ा और भोंडा इन चलती-फिरती ट्रालियों में उपलब्ध होते हैं।

(च) और (छ) मांसाहारी और लंच की चीजों के अलावा सभी वस्तुएं नकद भुगतान पर रेलवे बोर्ड स्टाफ कैंटीन द्वारा कमरों में दी जाती है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

रेलवे बोर्ड स्टाफ कैंटीन-तीसरी मंजिल

क्र.सं.	मदें
1	2
	मिष्ठान
1.	बेसन बर्फी/बूंदी लड्डू/बालूशाही
2.	बेसन लड्डू/नारियल लड्डू/जलेबी
3.	गुलाब जामुन
4.	खोया बर्फी
5.	खीर
	नमकीन
1.	आलू बोंडा/समोसा/उड़द दालवड़ा/चना दालवड़ा/मट्ठी/पालक पकौड़ा
2.	कचौड़ी/ब्रेड पकौड़ा
3.	शाकाहारी कटलेट
	पेय पदार्थ
1.	चाय (एक कप)
2.	एस्प्रेसो कॉफी
3.	फ्रेश कॉफी
4.	पेप्सी शीतल पेय (200 एमएल)
5.	सेब जूस (200 एमएल)
	अन्य मदें
1.	शाकाहारी सैंडविच
2.	शाकाहारी पेटीज
3.	नमकीन पैकेट
4.	मूंगफलियां पैकेट
5.	पैक लंच
	मांसाहारी मदें
1.	मटन करी/मटन कीमा
2.	मटन कटलेट/चावल पुलाव
3.	आमलेट (दो अंडे का)/मटन नर्गिस
	लंच मदें
1.	इडली (सांवर के साथ)/पूरी भाजी (दो पीस)
2.	उपमा/डोसा/वेजकरी/दहीवड़ा
3.	सादा सब्जी
4.	चपाती/दाल
5.	कुलचे के साथ चना प्लेट (दो पीस)
6.	बरगर
7.	शाकाहारी थाली
8.	राइस पुलाव
9.	चना प्लेट

विवरण II

उत्तर रेलवे कैंटीन-पहली मंजिल, रेल भवन

क्र.सं.	मदें
1.	चाय
2.	कॉफी
3.	बिस्कुट/मिनरल वाटर/चीज रोल
4.	चिप्स/फ्रेश जूस/काजू
5.	शाकाहारी कटलेट/शाकाहारी सैंडविच
6.	टोस्ट
7.	पैक लंच
8.	फ्रूटी
9.	मिष्ठान/समोसा
10.	विशेष मिष्ठान/फ्रेंच फ्राइज
11.	ढोकला/सूप

विवरण III

1999-2000 के दौरान अल्पाहार मांग पर्चियों पर मासिक व्यय (रुपयों में)

कैंटीन	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितं.	अक्तू.	नव.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च
रेलवे बोर्ड स्टाफ कैंटीन	123866	113293	130715	147883	158496	153504	162473	165075	183204	456442	169972	174193
उत्तर रेलवे कैंटीन	191356	166054	201211	204056	124584	119536	144474	114348	146078	149172	179917	189297
कुल	315222	279347	331926	351939	283080	273040	306947	279423	329282	305614	349889	363490

2001 जून तक अल्पाहार मांग पर्चियों पर मासिक व्यय (रुपयों में)

कैंटीन का नाम	अप्रैल	मई	जून
रेलवे बोर्ड स्टाफ कैंटीन	166488	192030	183604
उत्तर रेलवे कैंटीन	179678	222103	163933
कुल	346166	414133	347537

किच्वा-खातिमा रेल लाइन का निर्माण

4614. श्री नारायण दत्त तिवारी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) ने वर्ष 1996 में सितारगंज और नामकमत्ता से होकर किच्वा से खातिमा तक एक नई रेल लाइन के निर्माण का काशीपुर में शिलान्यास किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ई.एम.यू. को बहादुरगढ़ तक बढ़ाया जाना

4615. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड ने ई.एम.यू. सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कस्बों तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ई.एम.यू. सेवाओं का विस्तार करने के लिए विद्युतीकरण को बहादुरगढ़ तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना परिषद ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरों में ई एम यू सेवाएं बढ़ाने की बात सुझाई गई है। परियोजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा लाभान्वित राज्य सरकारों की इक्विटी में बराबर की भागीदारी रहेगी। बहादुरगढ़ तक ई एम यू सेवाओं का विस्तारण भी रिपोर्ट

का एक भाग है। बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रेलवे स्टेशन का निर्माण

4616. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शोलापुर मंडल में घोंड-पुणे रेल लाइन के अंतर्गत नानविज में रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए अनेक स्थानीय जन प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों द्वारा की गई मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या नानविज में रेलवे स्टेशन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) दौंड-पुणे खंड पर पटास और दौंड रेलवे स्टेशनों के बीच नानाविज पर ठहराव स्टेशन शुरू करने की जांच की गई और इसे वित्तीय एवं परिचालनिक दोनों दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बरेली में रसोई गैस के वितरक

4617. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 26 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बरेली कमीशनरी में वे सभी 41 स्थान कौन से हैं, जहां अभी तक रसोई गैस वितरक नियुक्त नहीं हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में उक्त वितरक चयन प्रक्रिया कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) उन 41 स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जो बरेली कमीशनरी (उ.प्र.) में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए लम्बित है।

साक्षात्कार की तारीख से एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में आमतौर पर लगभग 6-12 महीने लगते हैं।

विवरण

1 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार बरेली कमीशनरी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ते.वि.क.) द्वारा चालू करने के लिए लम्बित एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थानों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	जिला	ते.वि.क. का नाम
1	2	3	4
1.	बरेली	बरेली	बी पी सी एल
2.	बिसारतगंज	बरेली	बी पी सी एल
3.	कुलतारबकगंज	बरेली	बी पी सी एल
4.	धौरा टांडा	बरेली	बी पी सी एल
5.	शेरगढ़	बरेली	बी पी सी एल
6.	सिरौली	बरेली	बी पी सी एल
7.	थिरिया निजामत खान	बरेली	बी पी सी एल
8.	न्योरिया हुसैनपुर	पीलीभीत	बी पी सी एल
9.	अल्हागंज	शाहजहांपुर	बी पी सी एल
10.	जलालाबाद	शाहजहांपुर	बी पी सी एल
11.	कंठ	शाहजहांपुर	बी पी सी एल
12.	मिर्जापुर डेव. बोर्ड	शाहजहांपुर	बी पी सी एल
13.	बिसौली	बदायूं	आई ओ सी एल
14.	दातागंज	बदायूं	आई ओ सी एल
15.	इस्लामनगर	बदायूं	आई ओ सी एल
16.	बिलसी	बदायूं	आई ओ सी एल
17.	अल्हापुर	बदायूं	आई ओ सी एल
18.	गवान	बदायूं	आई ओ सी एल
19.	बरेली (बी)	बरेली	आई ओ सी एल
20.	बरेली	बरेली	आई ओ सी एल

1	2	3	4
21.	बरेली (ए)	बरेली	आई ओ सी एल
22.	नवाबगंज	बरेली	आई ओ सी एल
23.	सैनथाल	बरेली	आई ओ सी एल
24.	देवरनियां	बरेली	आई ओ सी एल
25.	शेरपुरकलां	पीलीभीत	आई ओ सी एल
26.	पीलीभीत	पीलीभीत	आई ओ सी एल
27.	पोवोयां	शाहजहांपुर	आई ओ सी एल
28.	कुदागंज	शाहजहांपुर	आई ओ सी एल
29.	मीरानपुरकतरा	शाहजहांपुर	आई ओ सी एल
30.	बबराला	बदायूं	एच पी सी एल
31.	वजीरगंज	बदायूं	एच पी सी एल
32.	बरेली	बरेली	एच पी सी एल
33.	मीरगंज	बरेली	एच पी सी एल
34.	शीशगढ़	बरेली	एच पी सी एल
35.	बिलसांदा	पीलीभीत	एच पी सी एल
36.	पीलीभीत	पीलीभीत	एच पी सी एल
37.	खुथार	शाहजहांपुर	एच पी सी एल
38.	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	एच पी सी एल
39.	रिचा	बरेली	आई बी पी कं. लि.
40.	रिठावरा	बरेली	आई बी पी कं. लि.
41.	फतेहगढ़	बरेली	आई बी पी कं. लि.

सुपारी को खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया जाना

4618. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सुपारी को ''खाद्य वस्तु'' घोषित किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण दर्शाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार ने सुपारी को ''खाद्य वस्तु'' घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में घपला

4619. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 2001 के 'हिन्दुस्तान' (हिंदी) में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में लाखों रुपये के घपले के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) रोकड़िए द्वारा 27 अगस्त, 1997 को बैंक में कितनी राशि जमा कराई गई;

(घ) क्या घपला किये जाने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज की गई है या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के प्राधिकारी दिनांक 29.6.2001 को 'हिन्दुस्तान' (हिन्दी) में प्रकाशित समाचार से भली-भांति अवगत हैं।

(ख) और (ग) रोकड़िया ने 1,92,154.85 रुपए के बजाए 27 अगस्त, 1997 को बैंक में केवल 2154.85 रुपए की राशि जमा की तथा बैंक की जमा पर्ची के काउंटर फाइल में फेरबदल किया। तत्कालीन रोकड़िया द्वारा रिकार्डों में की गई फेरबदल 30.9.98 को अधिकारियों की जानकारी में तब आई जब वे अप्रैल, 97 से मार्च, 98 तक की अवधि के बैंक समाधान विवरणों को संकलित कर रहे थे। तिजोरी की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़िया द्वारा 1,90,000 रुपये की जमा न की गई राशि तिजोरी में पड़ी थी तथा उसे 30.9.98 को ही बैंक में जमा किया गया।

(घ) और (ङ) मामले की जांच की गई तथा तत्कालीन रोकड़िया जिसने कार्यालय के रिकार्डों में फेरबदल की थी, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई तथा पांच वर्ष तक उसकी पदोन्नति रोकने का दण्ड दिया गया है।

रेलवे में भ्रष्टाचार

4620. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भर्ती, निविदा आमंत्रण, स्क्रैप की बिक्री आदि में फैले व्यापक भ्रष्टाचार के कारण राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) भविष्य में इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने स्क्रैप की बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय निविदाकर्ताओं को बयाना राशि जमा करने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या निविदा आमंत्रण के लिए रेलवे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई लिखित दस्तावेज हैं;

(ज) यदि हां, तो क्या निविदा संबंधी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसकी जांच के लिए नियमित जांचें की जाती हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) स्क्रैप की बिक्री के लिए निविदाओं में सामान्यत: अनुमानित बिक्री मूल्य के 5 प्रतिशत की बकाया राशि जमा करने का अनुबंध है जो अधिकतम 50,000 रुपए है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी हां।

(ज) यह एक पब्लिक दस्तावेज है और बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(झ) उपरोक्त (ज) के उत्तर के दृष्टिगत, यह अपेक्षित नहीं है।

दूध में मिलावट

4621. श्री सईदुज्जमा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में दुधारू पशुओं की संख्या 200 मिलियन है और लगभग 75 मिलियन किसान प्रतिवर्ष 78 मिलियन टन दूध का उत्पादन करते हैं और यहां की प्रति पशु दूध की उत्पादकता 1000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम है जबकि इस्राइल में दूध का उत्पादन लगभग 12000 कि.ग्रा. है;

(ख) क्या 26 दिसम्बर, 2000 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार डेयरी कृषकों की औसत मासिक आय लगभग 1000 रुपए है जबकि मिलावटी दूध के व्यापार में लिप्त व्यक्तियों की अनुमानित आय एक लाख रुपए है और मिलावटी दूध का व्यवसाय समानान्तर दुग्ध अर्थव्यवस्था के रूप में पनप रहा है;

(ग) क्या योजना संबंधी दस्तावेजों, एन.डी.डी.बी./ एन.डी.आर.आई. योजनाओं में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा मिलावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा विकसित कृत्रिम दूध का पता लगाने वाली किटों से दूध की मिलावट को रोकने में कोई सफलता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो बेची गई ऐसी किटों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) 1992 की पशुधन गणना के अनुसार भारत में दुधारू पशुओं की संख्या 98.07 मिलयिन थी और 1998-99 में दूध का उत्पादन 75.2 मिलियन टन था। 1998-99 के दौरान प्रति गाय और भैंस का दूध उत्पादन क्रमश: 1049 और 1552 लीटर प्रतिवर्ष था।

(ख) दिनांक 26.12.2000 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित टिप्पणी एक गैर-सरकारी संगठन ''इनशिएटिव'' मुम्बई द्वारा किए गए अध्ययन से की गई है। ''इनशिएटिव'' द्वारा किया गया

अध्ययन चुनिन्दा क्षेत्रों को इकट्ठा करके अपर्याप्त नमूना संख्या से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है जिसके परिणाम अवैध है और सामान्य रूप से गुमराह करने वाले हैं।

(ग) ऐसे दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री जिसमें नियमों में व्यवस्थित तत्वों के अलावा दूध में न पाए जाने वाले कोई और तत्व हों, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम नियम, 1955 के प्रावधानों के तहत पहले से ही निषिद्ध है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को निगरानी उपायों को बढ़ाने और उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ने क्षेत्रीय स्थिति के तहत मिलावट को रोकने के लिए क्षेत्रीय परीक्षण किट की युक्ति निकाली है। इससे वाणिज्यिक परिस्थितियों के तहत दूध में मिलावट करने की प्रथा को खत्म करने में मदद मिली है।

(ङ) अभी तक संस्थान ने 74 किटों की बिक्री की है। बेची गई ऐसी किटों के राज्यवार ब्यौरे अभी इकट्ठा किये जा रहे हैं।

तीस्ता नदी पर रेल उपरि पुल का निर्माण

4622. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पर किसी रेल उपरि पुल का निर्माण किया जाना था; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यू.टी.आई. द्वारा ऋण दिया जाना

4623. श्री रामजी मांझी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है और उसे यू.टी.आई. से 2500 करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पारंपरिक विधियों से स्मारकों का संरक्षण

4624. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश भर में अनेक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्यवार कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) स्मारकों के जीर्णोद्धार के हेतु पारंपरिक निर्माण विधियां और निर्माण सामग्री अपनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण के लिए, उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और साधनों की उपलब्धता के अनुसार, एक सामान्य वार्षिक कार्यक्रम है। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए मण्डलवार निधियों का नियतन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जहां तक संभव होता है, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि स्मारक का प्राचीन स्वरूप, ढाँचा तथा संरचना का अनुरक्षण बना रहे।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के लिए मंडलवार नियतन

क्र.सं.	मंडल का नाम	नियतन (लाख रुपयों में)
1.	आगरा	225
2.	औरंगाबाद	345
3.	बंगलौर	160
4.	भोपाल	145
5.	भुवनेश्वर	145
6.	चेन्नई	160
7.	कलकत्ता	115
8.	चण्डीगढ़	155
9.	दिल्ली	200
10.	धारवाड़	135
11.	लघु मंडल (गोवा)	60
12.	गुवाहाटी	150
13.	हैदराबाद	180
14.	जयपुर	150
15.	लखनऊ	140
16.	पटना	155
17.	श्रीनगर	100
18.	त्रिसूर	115
19.	वड़ोदरा	195
20.	मुख्य उद्यानविद्	550
21.	निदेशक (विज्ञान) देहरादून	220

[हिन्दी]

रेल के मार्ग को बदला जाना

4625. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सद्भावना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, सरजू-यमुना एक्सप्रेस और टाटा एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्ग बदले जाने के विरुद्ध और इन गाड़ियों को सिवान से होकर पुराने मार्ग पर ही चलाए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। इस संबंध में माननीय सदस्य से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई है परंतु कार्यान्वयन योग्य नहीं पाया गया। सद्भावना एक्सप्रेस गाड़ी जो अपनी शुरुआत से मौजूदा मार्गों के रास्ते चल रही है के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इंदारा-फेफाना क्षेत्र के यात्रियों को अतिरिक्त सेवा मुहैया कराने तथा यात्रियों की सुविधा के अनुरूप दरभंगा और मुजफ्फरपुर में इसका समय पर आगमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 9165/9166 साबरमती एक्सप्रेस और 4649/4650 सरयू-यमुना एक्सप्रेस का बरास्ता छपरा-बलिया-मऊ मार्ग परिवर्तन किया गया है। 8181/8182 टाटा-गोरखपुर एक्सप्रेस को छपरा-गोरखपुर के बीच कम उपयोग के कारण 1.10.1996 से छपरा में टर्मिनेट किये जाने लगा है। बहरहाल, इस क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छपरा-गोरखपुर के बीच एक पैसेंजर गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई है।

मध्यस्थ

4626. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी मामलों के विभाग में मध्यस्थों के रूप में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है;

(ग) क्या सरकार ने किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को एक कार्यकाल से अधिक की अवधि के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पब्लिक सेक्टर उद्यमों के बीच परस्पर और किसी पब्लिक सेक्टर उद्यम तथा किसी सरकारी विभाग के बीच आय-कर, सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क संबंधी विवादों से भिन्न सभी वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करने के लिए पब्लिक उद्यम विभाग में एक मध्यस्थों का स्थायी तंत्र गठित किया गया है। भारतीय विधिक सेवा का संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार की पंक्ति का एक अधिकारी, उस स्कीम के अधीन विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसी नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं की जाती है। जहां तक सरकार/सरकारी विभागों और प्राइवेट पक्षकारों के बीच विवादों का संबंध हैं तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसे कुछ विभागों में संविदा की उनकी शर्तों में एकल मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम् का साधारण उपबंध किया गया है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में भारतीय विधिक सेवा के निदेशक की पंक्ति के दो अधिकारी मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मध्यस्थ प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संविदाओं में माध्यस्थम् खंड के अनुसार, मध्यस्थ, की नियुक्ति विभाग के अभिहित अधिकारी द्वारा माध्यस्थम् खंड के अधीन की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी कार्य विभाग में कोई मध्यस्थ नहीं नियुक्ति किया गया है।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

4627. श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि हैदराबाद शहर को बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण और न्यायालयों की नेटवर्किंग हेतु चार अन्य महानगरों में सम्मिलित किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध को कब तक स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) नगर सिविल न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग का प्रस्ताव केवल चार महानगरों अर्थात् चेन्नई, दिल्ली, कोलकता और मुंबई के लिए मार्गदर्शी स्कीम के रूप में है।

साधनों के अभाव के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग स्कीम का अन्य नगरों की, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है, अधीनस्थ न्यायपालिका में विस्तार करना संभव नहीं हो सका है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए सम्पूर्ण आबंटन के भीतर कम्प्यूटरीकरण के लिए अपेक्षित रकम का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

झारखंड में विद्युत संयंत्र

4628. प्रो. दुखा भगत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में विद्युत संयंत्रों को पूरा करने का काम अपने निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें पूरा करने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण इनकी निर्माण लागत कितनी बढ़ गई है;

(घ) क्या इसमें हुए अत्यधिक विलंब के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) झारखंड राज्य में जल/ताप विद्युत संयंत्रों के आरंभ की प्रारंभिक एवं अद्यतन सूची, प्रारंभिक एवं अद्यतन लागत तथा समय/लागत आधिक्य के कारण नीचे दिए गए हैं:

क्षमता सहित परियोजना का नाम	चालू होने का कार्यक्रम वास्तविक/अद्यतन	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये) वास्तविक/अद्यतन	समय/लागत आधिक्य के कारण
चांडिल एलबीसी (2×4 मेगावाट)	1998-90/2001-02	12.95/32.49	(1) वित्तीय समस्या (2) ईओटी क्रेन की आपूर्ति एवं उत्थापन में विलम्ब (3) पीएच सिविल कार्य में विलंब (4) सामान्य मूल्य वृद्धि; और (5) भेल द्वारा आपूर्ति में विलंब
उत्तर कोयल (2×12 मेगावाट)	1988-90/2002-03	21.94/47.34	(1) कानून और व्यवस्था की समस्या (2) सामान्य मूल्य वृद्धि (3) निधियों की कमी (4) टेलरेस सुरंग/टेलरेस चैनल एवं पीएच सिविल कार्य में विलम्ब
तेनुघाट चरण-2 (3×210 मेगावाट)	1994-96	669.10/2400.00	(1) निधियों की समस्या (2) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय समझौता एवं परियोजना क्रियान्वयन किया जाना शेष है।

*चूंकि मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर हेतु आदेश अभी दिया जाना शेष है, अत: आरंभन सीमा अभी तय नहीं की जा सकती।

आई.ओ.सी.एल. द्वारा अंशदान

4629. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड खेल और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए अंशदान और विज्ञापन देता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आई.ओ.सी.एल. द्वारा इन पर कितना खर्च किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) अपने उत्पादों और ब्रांडों का विज्ञापन खेलों और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रायोजन अथवा सह-प्रायोजन के माध्यम से करती है।

(ख) आई ओ सी द्वारा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस मद पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

वर्ष	व्यय (रुपये)
1999-2000	3,46,72,000.00
2000-2001	2,87,13,500.00

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्ड पर बकाया राशि

4630. श्री महबूब जहेदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की बहुत बड़ी राशि राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड पर कितनी राशि बकाया है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। जून, 2001 के अंत तक विद्युत बोर्डों तथा बिजली घरों से 1822.47 करोड़ रु. की राशि बकाया थी।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों की मौजूदा प्रक्रियाओं के कारण लगातार अर्थक्षम न होने के कारण ही देनदारियां इकट्ठी हुई हैं;

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) बकाया धनराशि को वसूलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) राज्य विद्युत बोर्डों तथा बिजली घरों, जो "मालभाड़े के पूर्व भुगतान" की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तथा चालू माल भाड़े का भुगतान नहीं करते हैं, पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा राज्य विद्युत बोर्डों तथा बिजली घरों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(2) 7.2.1997 के सरकारी फैसले के अनुकरण में कि 31.12.1996 तक राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों पर बकाया राशि को राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता योजना से कुछ सीमाओं के अध्यधीन समायोजित कर दिया जाएगा, 31.3.2001 तक 134.80 करोड़ रु. की धनराशि रेलवे को प्राप्त हो चुकी है।

(3) राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया धनराशि का कर्षण बिलों से समायोजन।

(4) बकाया धनराशि के भुगतान में शीघ्रता करने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल मंत्री सहित विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों से संपर्क किया है।

(5) राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि के निपटान के संबंध में ऊर्जा मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

विवरण

प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया धनराशि का अध्यतन रकम निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों के नाम		30.6.2001 तक बकाया राशि
1		2
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	39.11
2.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	0.95
3.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	3.91
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	136.10
5.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	160.37
6.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	35.18
7.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	0.33
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	19.71
9.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	7.61
10.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	217.18
11.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	80.58
12.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	18.41
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	22.68
14.	प. बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	29.38
15.	बदरपुर ताप बिजली घर	976.91
16.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम	70.37
17.	दामोदर घाटी निगम	2.49
18.	निजी बिजली घर-साबरमती	0.70
	कुल	1822.47

हुमायूं के मकबरे पर रात्रिकालीन पर्यटन

4631. श्री एस. अजय कुमार: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रात्रिकालीन पर्यटन को, विशेषकर विदेशी पर्यटकों के लिए बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को अब रोशनी का प्रबंध कर रात्रि 10 बजे तक खोला जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐतिहासिक कुतुब मीनार के साथ-साथ शहर के अन्य स्मारकों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) हुमायूं का मकबरा सभी आगंतुकों के लिए 12 जून, 2001 से सभी दिन 1900 बजे से 2100 बजे रात्रि में उसे देखने के वास्ते खुला रखा जाता है ताकि वे लागू प्रवेश शुल्क देकर स्मारक की मुख्य कब्र की प्रकाश व्यवस्था को देख सके।

(ग) से (ङ) इस सुविधा को दिल्ली में अन्य स्मारकों में देने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों को प्रत्यक्ष राज सहायता

4632. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने सरकार को तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष राज सहायता देने के सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ऐसा कोई भी सुझाव भारत सरकार को नहीं भेजा गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दमन और दीव में मगरवाड़ा विद्युत परियोजना

4633. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन में 22 केवी की मगरवाड़ा विद्युत परियोजना और सिलवास (डीएनएच) में 220 केवी के खदपाड़ा विद्युत केन्द्र के अगले दो तीन महीनों में पूरे होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विद्युत केन्द्रों को चलाने के लिए अब तक पदों का सृजन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन विद्युत केन्द्रों को चलाने के लिए पदों को अविलंब सृजन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) दमन एवं दीव में 3×50 एमवीए, 220/60 के.वी. उपकेन्द्र की मागरवाड़ा में तथा दादरा एवं नगर हवेली के खारड़पाड़ा में 2×100 एमवीए, 220/66 के.वी. के उपकेन्द्र की स्थापना संबंधी स्कीमों को व्यय वित्त समिति ने क्रमश: 35.10 करोड़ रुपये तथा 35.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदन दिया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार इन उपकेन्द्रों को दिसम्बर, 2001 तक चालू किया जाना तय है।

इन उपकेन्द्रों के लिए पद सृजन संबंधी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी ने व्यय विभाग द्वारा नये पदों के सृजन पर रोक लगा देने के मद्देनजर अब तक सहमति नहीं दी है।

मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के निकट निर्माण और विकास कार्य

4634. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुंबई के महुल में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के निकट हो रहे नए निर्माण और विकास कार्यों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय निवासियों, सांसदों और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने उनके मंत्रालय का ध्यान इस क्षेत्र में सुरक्षा के संभावित खतरे की ओर आकृष्ट कराया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल ने इस संबंध में उनके मंत्रालय और गृह मंत्रालय को लिखा है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या टिप्पणी की गई है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी हाँ। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की मुंबई स्थित दो रिफाइनरियों को जाने वाली सड़कों पर यातायात की भीड़-भाड़ तथा इनके पास-पड़ोस में अनधिकृत निर्माणों के कारण हुए सुरक्षा जोखिमों से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) और (ङ) इस मामले को प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकार प्राधिकरणों/एजेंसियों के साथ उठाया गया है;

महाराष्ट्र सरकार से निम्नांकित कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए अनुरोध किया गया है:

(1) अन्य प्रतिष्ठानों यथा टाटा इलेक्ट्रिक, आईडीबीएल, बीएआरसी इत्यादि समेत मुंबई स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों को जाने वाली सड़कों के समीप यातायात की भीड़-भाड़ का निराकरण तथा इन उपक्रमों के पास-पड़ोस में आवासीय कालोनियों के निर्माण का विनियमन करना, तथा

(2) रिफाइनरी के लिए संभाव्य सुरक्षा जोखिम के समापन में मदद करने हेतु बीपीसीएल के लिए रिफाइनरी के निकटस्थ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाहियों को शीघ्र पूरा करना, तथा

(3) कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय जिला को एचपीसीएल रिफाइनरी के पास-पड़ोस में मैसर्स बंबई औद्योगिक निगम के कंटेनर भंडारण क्रियाकलाप हटाने की सलाह देना।

होटलों में शुल्क मुक्त दुकानें खोली जाना

4635. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शुल्क मुक्त दुकानें केवल विमान पत्तनों पर ही खुली हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार होटलों और अन्य जगहों पर भी शुल्क मुक्त दुकानें खोले जाने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम की पहले से विद्यमान शुल्क मुक्त दुकानों से कुल कितनी आमदनी होती है; और होटलों तथा अन्य जगहों पर ऐसी दुकानें खोले जाने से इसे कुल कितनी आमदनी होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की हवाई अड्डों के अतिरिक्त होटलों या किन्हीं अन्य स्थानों पर शुल्क मुक्त दुकानें खोलने की कोई योजना नहीं है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए शुल्क मुक्त दुकानों से भारत पर्यटन विकास निगम को कुल आय 84.51 करोड़ रुपये (अनंतिम) थी। चूंकि होटलों या किसी अन्य स्थान पर शुल्क मुक्त दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इनकी वजह से कारोबार बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ओन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट

4336. श्री सुबोध राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में उक्त परियोजना शुरू की गई है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) देश के पूर्वी भाग में उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर

प्रदेश, पश्चिम बंगाल (9 जिले), अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में ''खेत पर जल प्रबंध'' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से ऋण के तौर पर उथले नलकूपों, कुओं की खुदाई, लिफ्ट सिंचाई वाले स्थानों, डीजल पम्प सैटों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वित्त पोषण पैटर्न में लाभानुभोगी का अंशदान 20%, भारत सरकार से 30%, तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 50% ऋण शामिल है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने एक मिलियन उथले नलकूप स्कीम का प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा था और उन्होंने इस मंत्रालय को उक्त स्कीम ''खेतों पर जल प्रबंध'' स्कीम में शामिल कर लेने का सुझाव दिया है। स्कीम में योजना आयोग के सुझाव को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा मिलियन उथले नलकूप परियोजना के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग ने बिहार सरकार को राज्य योजना के अंतर्गत 25.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया है।

[अनुवाद]

इनलैंड वाटर सिस्टम

4637. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इनलैंड वाटरवेज सिस्टम देश के कुछ भागों में प्रयोग के तौर पर नदियों में पोत परिवहन को चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रयोग के इस कार्य पर कितनी लागत आई है;

(घ) इस पर आए खर्च से कितना अर्जन हुआ है;

(ङ) क्या इस कार्य को बंद करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में ऐसे पोत परिवहन चलाये जा रहे हैं; और

(छ) देश में पहले से ही उपलब्ध नदी नेटवर्क के प्रयोग हेतु नई प्रणाली विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई), जिसे देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आई डब्ल्यू टी) के विनियमन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने संगठन के पास उपलब्ध एक कार्गो जलयान 'एम.वी. राजगोपालाचारी' को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 (गंगा) पर कार्गो के परिवहन के लिए इसके विभिन्न क्षेत्रों पर जलमार्ग की नौगम्यता दर्शाने के लिए तैनात किया है।

(ग) प्रदर्शन की लागत जलमार्ग के विशिष्ट खंड में जलयान की तैनाती और तय की गई नदी की दूरी पर निर्भर करेगी। आई डब्ल्यू ए आई किसी विशेष समुद्री यात्रा में पोतवणिकों से उनके कार्गो का परिवहन करने के लिए भाड़ा वसूल करके खर्च को, जहां तक संभव हो, पूरा करने का प्रयास करता है।

(घ) जलमार्ग की नौगम्यता सिद्ध करने के लिए और पोतवणिकों में यह विश्वास जगाने के लिए कि उनके उत्पाद अंतर्देशीय जल परिवहन साधन द्वारा सुरक्षित रूप से समय पर पहुंच सकते हैं, प्रदर्शन करने आवश्यक हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) इस समय प्रदर्शन के तौर पर समुद्री यात्राएं रा.ज.-1 पर आयोजित की गई हैं क्योंकि फिलहाल आई डब्ल्यू ए आई के पास केवल एक कार्गो जलयान है।

(छ) सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता और निवेश आकर्षित करने के लिए एक नीतिगत पैकेज अपनाने सहित कई निर्णय लिए हैं जोकि इस प्रकार हैं:-

* भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करेगा।
* बी ओ टी परियोजनाओं में सरकार द्वारा अधिकतम 40% तक इक्विटी सहभागिता करना।
* कर से छूट जैसाकि अवसंरचना क्षेत्र में उपलब्ध है।
* अंतर्देशीय जलयानों के लिए समुद्रगामी जलयानों पर लागू दर के बराबर मूल्यह्रास दर में वृद्धि।
* भारतीय शिपयार्डों में निर्मित अंतर्देशीय जलयानों के लिए पोतमालिकों हेतु 30% जलयान निर्माण सब्सिडी और
* अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए आयातित उपस्कर और मशीनरी पर न्यूनतम सीमा शुल्क की उगाही करना।

[हिन्दी]

कला और संस्कृति को प्रोत्साहन

4638. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कला और संस्कृति के प्रोत्साहन व विस्तार में सरकार को प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में सांस्कृतिक केन्द्रों को प्राप्त उपलब्धियों और इनके द्वारा शुरू की गई गतिविधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कला से जुड़े विदेशी शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके कार्यकरण, उद्देश्य और उपलब्धियां क्या हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) उपलब्धियों के ब्यौरे संस्कृति विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिये जाते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

जानवरों से जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण योजना

4639. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में जानवरों से जुड़ी गतिविधियों के लिए धन आवंटन की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चक्रवात से हमेशा प्रभावित रहने वाले आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों को कोई धन जारी किया गया है;

(ग) क्या चक्रवातप्रवण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का स्थायी ढांचा तैयार करने हेतु सहायता बढ़ाने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) स्कीम के अनुसार, चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर तुरन्त राहत उपाय शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के पास आपदा राहत कोष में धनराशि पहले ही उपलब्ध है। वर्ष 2001-2002 के लिए आंध्र प्रदेश को आपदा राहत कोष से 207.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 155.97 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश भी शामिल है। उक्त राज्य को केन्द्रीय अंश से अब तक 77.985 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ) स्थायी स्वरूप के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना स्कीमों तथा/अथवा अन्य वित्तपोषक अभिकरणों की सहायता से की जाती है।

बूचड़खाने

4640. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में अधिकृत और अनधिकृत रूप में कितने बूचड़खाने चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार बूचड़खानों को कोई राज-सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश के अनधिकृत बूचड़खानों को बंद करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) पशुपालन एवं डेयरी विभाग में उपलब्ध मूल पशुपालन सांख्यिकी (31.3.1997 को) के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में पंजीकृत बूचड़खानों की संख्या 2733 तथा गैर पंजीकृत बूचड़खानों की संख्या 5038 है।

(ख) और (ग) सरकार "बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/सुधार" के संबंध में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का संचालन कर रही है जिसमें 50 : 50 (केन्द्र:राज्य) भागीदारी के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) से (च) बूचड़खानों में स्वच्छता की स्थिति को बरकरार रखने तथा पौष्टिक मीट के स्वास्थ्यकर उत्पादन के लिए अपेक्षित

मानकों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रहती है कि वे बूचड़खानों संबंधी क्रियाकलापों को विनियमित करें तथा गैर कानूनी वध को रोके।

मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य

4641. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औसत दर्जे की मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1200 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मूल्य वर्ष 2000-01 के मौसम के उत्पाद के लिए लागू है, जिसे वर्ष 2001-02 में बाजार में बेचा जाना है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इससे राज्यों में किसानों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूर की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों को लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (च) सरकार ने मसूर को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के लिए हाल ही में निर्णय लिया है और रबी विपणन मौसम में विपणित की जाने वाली 2000-2001 फसल हेतु अच्छी औसत गुणवत्ता के लिए मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1200 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण समझे गए अन्य कारकों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इससे समूचे देश और खासकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य मसूर उत्पादक राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत लाभ की सीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य की स्थिति पर निर्भर करती है और इस प्रकार इसका परिणाम नहीं बताया जा सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में मसूर सहित 25 कृषि जिसमें शामिल हैं और फिलहाल अन्य किसी कृषि जिंस को इसके क्षेत्राधिकार में नहीं लाया गया है।

प्राकृतिक गैस की मांग

4642. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेल की बढ़ रही कमी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) वर्तमान वर्ष 2001-02 के दौरान 105 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग की तुलना में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 32.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। हाइड्रोकार्बन झलक 2025 के अनुसार देश में प्राकृतिक गैस की संभावित मांग 2001-02 में 151 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.), 2006-07 में 231 एम.एम.एस.सी.एम.डी.; 2011-12 में 313 एम.एम.एस.सी.एम.डी. और 2024-2025 में 392 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है। इसकी तुलना में गैस की वर्तमान उपलब्धता लगभग 65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्र है।

(ग) देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा विद्यमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेष रूप से आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) से इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन.ई.एल.पी. के पहले दौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिन पर कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त एन.ई.एल.पी. के दूसरे दौर के तहत 23 ब्लाकों के

लिए 17.7.2001 को पी.एस.सीज. पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 खोजे गए क्षेत्रों, जिनमें से 8 गुजरात में है और 1 असम में हैं, के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघ के साथ 23.3.2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(4) नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों में गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(5) खोजे गए नए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

(6) विदेशों में रकबों का अर्जन करना।

[हिन्दी]

वीआईपी कोटा के अंतर्गत रेल टिकटों का दुरुपयोग

4643. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वीआईपी कोटा और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में रेल टिकटों को कन्फर्म करने के निर्धारित नियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में सांसदों के फर्जी पत्रों के आधार पर वीआईपी कोटा के दुरुपयोग के मामले आये हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त कोटा के दुरुपयोग के मामले में रेल अधिकारियों और ट्रेवल एजेंटों के बीच सांठ-गांठ के मामले भी प्रकाश में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने लोग दोषी पाए गए हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में रेल मंत्रालय में होने वाली ऐसी अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधायकों, अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य आपातकालीन मांगों की आपातकालीन यात्रा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपातकालीन कोटे के रूप में सीमित संख्या में शायिकाएं निर्धारित की गई हैं। उच्च स्तरीय अधिकारियों के मांग-पर्ची धारकों और स्वयं यात्रा करने वाले संसद सदस्यों को वरीयता दी जाती है। उसके बाद अप्रयुक्त कोटे को विभिन्न कारणों यथा यात्रा करने वाले यात्री का पद, सरकारी कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु, परिवार में हुई मृत्यु पर शोक प्रकट करने, बीमारी आदि जैसी तात्कालिक प्रकृति की यात्राओं को ध्यान में रखते हुए अन्य अनुरोध के पक्ष में विर्निमुक्त किया जाता है।

(ख) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे लाइन का विस्तार

4644. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल अधिकारियों द्वारा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टी.टी.डी.) के अधिकारियों के साथ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टी.टी.डी.) की वित्तीय सहायता से तिरुमाला पहाड़ियों की तलहटी में रेणिगुंटा रेलवे स्टेशन से अलीपीरी जंक्शन तक विस्तारण लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टी.टी.डी.) ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) इस कार्य को कब तक आरंभ कर दिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) जी हां। लाइन मुहैया कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कागजी अध्ययन कर लिया गया है। बहरहाल, इस संबंध में तिरुमाला

तिरुपति देवास्थानम (टीटीडी) प्राधिकारियों से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। अत: आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सूखा

4645. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान मध्य प्रदेश में भयंकर सूखा और अल्प बुवाई को देखते हुए की गई फसल के आधार पर उपज का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारतीय साधारण बीमा निगम को निदेश जारी करने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए साधारण बीमा निगम को निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए घोषणा पत्रों को भी स्वीकार करने के निदेश देगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। यह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है। दरअसल भारतीय साधारण बीमा निगम पैदावार का मूल्यांकन नहीं करता। यह कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। ऐसी पैदावार दरों की जानकारी कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात भारतीय साधारण बीमा निगम को भुगतान योग्य दावों की राशि के निर्धारण हेतु उपलब्ध करा दी जाती है।

(ख) और (ग) केवल अपवादात्मक मामलों में ही जहां विलम्ब नियंत्रण से बाहर हो, विलम्ब से प्राप्त बीमा घोषणा पत्रों को स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर भारतीय साधारण बीमा निगम को खरीफ 2000 मौसम में छतरपुर, नरसिंहपुर तथा विदिशा स्थित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों के विलम्ब से प्राप्त घोषणा पत्रों को स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

सेवा संबंधी मामलों के लंबित मामले

4646. श्री ताराचंद साहू: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवाओं के सदस्यों की पेशन, सेवानिवृत्ति लाभ, उपदान, पदोन्नति, वेतन की बकाया राशि आदि से संबंधित कितने मामले उच्च न्यायालय-वार लंबित पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उपलब्ध जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सरकार और न्यायपालिका दोनों ही लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए चिंतित है। इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। इनमें मलिमथ समिति आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना सम्मिलित है। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में, अन्य बातों के साथ, विलंब को कम किए जाने के लिए और सिविल तथा दांडिक प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रक्रमों पर समय-सीमा नियत किये जाने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए समय-समय पर लिखते रहे हैं। ऐसी अंतिम संसूचना फरवरी, 2001 को भेजी गई थी। माध्यस्थम्, सुलह और लोक अदालतों के माध्यम से मामलों के निपटान जैसे विवाद में समाधान की वैकल्पिक पद्धतियां अपनाए जाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अगस्त, 1988 में तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा लंबित मामलों को कम किये जाने के लिए और व्यावहारिक वर्गीकरण तथा मामलों का समूहीकरण, जहां तक संभव हो, विशिष्ट दिन के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई करना, त्रुटिपूर्ण मामलों को एकत्रित न होने देना, लंबे समय से लंबित मामलों के लिए चक्रानुक्रम में अधिक और पर्याप्त समय रखने और कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रशासन और रजिस्ट्री की जनशक्ति को सरल और कारगर बनाने जैसे उपायों को अपनाने का अनुरोध किया गया था। अनेक उच्च न्यायालयों ने उपरोक्त के पक्ष में प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

वर्ष 1993-94 से न्याय विभाग द्वारा न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम में न्यायालय भवनों का सन्निर्माण और उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर सम्मिलित

है। वर्ष 1993-94 से 2000-2001 तक इस स्कीम के अधीन केन्द्र के भाग के रूप में 404.15 करोड़ रुपये की रकम विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई है। इसके लिए, वर्ष 2000-2001 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 834 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय और देश के अधिकांश उच्च न्यायालयों में अब कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। कंप्यूटरीकरण से मालमों के शीघ्र निपटान में मदद मिल रही है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय:

31 जुलाई, 2001 को उच्चतम न्यायालय में सेवा संबंधी विषयों से संबंधित 3092 मामले लंबित थे। इनमें 1429 ग्राह्य विषय और 1663 नियमित सुनवाई के मामले सम्मिलित हैं।

उच्च न्यायालय:

विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेंशन, सेवा निवृत्ति, फायदे उपदान और प्रोन्नति आदि से संबंधित मामलों की संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	उपलब्ध नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य
3.	बंबई	5508
4.	कलकत्ता	8516
5.	दिल्ली	उपलब्ध नहीं
6.	गुवाहाटी	3
7.	गुजरात	उपलब्ध नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	387
9.	जम्मू-कश्मीर	1687
10.	कर्नाटक	2268
11.	केरल	3298
12.	मध्य प्रदेश	शून्य
13.	मद्रास	6138
14.	उड़ीसा	1194
15.	पटना	1734
16.	पंजाब और हरियाणा	1011
17.	राजस्थान	3624
18.	सिक्किम	शून्य
19.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं
20.	झारखंड	उपलब्ध नहीं
21.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

कर्नाटक में राजसहायता योजना के अंतर्गत शीतागार निर्माण

4647. श्री के.एच. मुनियप्पा:
श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.एच.बी. को कर्नाटक सरकार से राजसहायता योजना के अंतर्गत शीतागार के निर्माण के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) एन.एच.बी. द्वारा वर्ष 1995 से अब तक कर्नाटक में शीतागार निर्माण के लिए राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि जारी की गयी/मंजूर की गयी?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित, शीत भण्डारों के निर्माण से संबंधित स्कीम में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, कर्नाटक राज्य के निजी क्षेत्र से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को शीत भण्डारों के निर्माण के 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा "बागवानी फसलों के फसलोपरान्त आधारभूत ढांचे के

प्रबंध संबंधी परियोजना'' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही थी, जिसमें शीत भण्डारों के निर्माण के लिए सरल ऋण के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान भी था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा ''बागवानी उत्पादों हेतु शीत भण्डारों तथा भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम'' नामक एक नई स्कीम जनवरी, 2000 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 'बैक-एण्डेड सब्सिडी' प्रदान की जाती है। दोनों स्कीमों के अंतर्गत 1995-96 से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 19 शीत भण्डारों को सहायता प्रदान की है।

वर्ष	सरल ऋण स्कीम के अंतर्गत		सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत	
	शीत भण्डारों की संख्या	निर्गत धनराशि (लाख रुपये)	शीत भण्डारों की संख्या	निर्गत धनराशि (लाख रुपये)
1995-96	2	20.00	0	0
1996-97	2	65.00	0	0
1997-98	3	59.18	0	0
1998-99	2	67.70	0	0
1999-2000	1	35.00	0	0
2000-2001	0	0	8	293.95
2001-अब तक	0	0	1	19.27
कुल	10	246.88	9	313.22

[हिन्दी]

वस्तुओं की लदाई-उतराई

4648. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पत्तनों पर वस्तुओं की लदाई-उतराई के लिए पत्तनवार कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किस सीमा तक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क), (ख) और (घ) जी हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्तनवार कार्गो यातायात लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(मिलियन टन)

पत्तन	1989-90		1999-2000		2000-01	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
कलकत्ता	30.00	29.39	30.90	31.03	32.00	29.96
पारादीप	13.35	13.11	13.75	13.64	19.20	19.90

1	2	3	4	5	6	7
विशाखापत्तनम	36.00	35.65	35.00	39.51	43.00	44.69
चेन्नै	36.50	35.20	35.50	37.44	42.00	41.22
तूतीकोरिन	10.20	10.15	10.50	9.99	12.00	12.28
कोचीन	12.25	12.66	12.40	12.80	12.00	13.12
नव मंगलूर	15.50	14.21	14.60	17.60	18.40	17.89
मुरगांव	20.20	18.02	18.00	18.23	19.70	19.63
जवाहरलाल नेहरू	10.00	11.72	12.85	14.97	18.00	18.58
मुम्बई	34.00	30.97	32.00	30.41	28.50	27.03
कांडला	40.00	40.64	42.50	46.30	39.00	36.74

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुदखेड-आदिलाबाद आमान परिवर्तन परियोजना

4649. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुदखेड-आदिलाबाद आमान परिवर्तन परियोजना को वर्ष 1984-85 में मंजूरी प्रदान की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या थी;

(ग) अब तक इस पर कितना धन व्यय किया गया है और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या इस परियोजना का कार्य निजी ठेकेदार को सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को तब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 170 करोड़ रुपये है।

(ग) 31.3.2001 तक कार्य पर हुआ खर्च 7.82 करोड़ रुपये है और 2001-2002 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय केवल बीस करोड़ एक हजार रुपए है।

(घ) जी हां।

(ङ) कार्य जून 1996 में बोल्ट योजना के अंतर्गत मै. शक्ति कंक्रीट इण्डस्ट्रीज लि. (एस सी आई एल) को निर्माण के दौरान ब्याज सहित (आई डी सी) 158.646 करोड़ रु. की न्यूनतम निर्माण की लागत और 32,36,37,840/- रु. की दर से वार्षिक पट्टा प्रभारों पर दिया गया था। 8 वर्ष की अवधि के अंत: में स्थानांतरण शुल्क 8.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठेकेदार वित्त संबंधी व्यवस्था करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वित्त व्यवस्था उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य को 18 महीनों की अवधि के भीतर पूरा किये जाने की प्रत्याशा है।

इंटरनेट सबसिडियरी और ई-कॉमर्स कारपोरेशन को बन्द किया जाना

4650. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेल विभाग के अंतर्गत इंटरनेट सबसिडियरी को बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ई-कॉमर्स कारपोरेशन का भी यही हाल हुआ है जिसे गत रेल बजट में की गई घोषणा के अनुसार गठित किया जाना प्रस्तावित था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) इस समय, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से रेल मंत्रालय के अधीन भारतीय रेल निगम के नाम से एक निगम की स्थापना की गई है। निगम का विचार रेलपथ के साथ-साथ आप्टिक फाइबर केबल बिछाने और विभिन्न दूर संचार सेवा मुहैया करने का है। इसके अलावा, वर्ष 2001-02 के रेल बजट में ई-कॉमर्स द्वारा मुहैया कराए जा रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक पृथक सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी स्थापित करने का विचार है। प्रस्ताव अभी वैचारिक अवस्था में है और अंतिम निर्णय अभी लिया जाना अभी बाकी है।

[हिन्दी]

हथकरघा/विद्युतकरघा उद्योगों में पूंजी निवेश

4651. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों में पूंजी निवेश की आवश्यकता का मूल्यांकन कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में इस समय इन उद्योगों में अनुमानित कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ग) इन दोनों उद्योगों के लिए अलग-अलग अनुमानित कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता है; और

(घ) इन उद्योगों में पूंजी निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत कई विकासात्मक एवं कल्याणकारी स्कीमें जैसे प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना तथा कार्यशाला सह-आवास स्कीम कार्यान्वित कर रही है जो करघों की खरीद, कार्यशाला/कार्यशाला-सह-आवासों आदि के निर्माण तथा कलपुर्जों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जहाँ तक पावरलूम क्षेत्र का संबंध है वर्ष 2004 तक 2.5 लाख साधारण करघों को अर्ध-स्वाचालित/स्वाचालित के आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल, 1999 से मई 2001 की अवधि के दौरान विकेन्द्रीकृत पावरलूम क्षेत्र सहित वस्त्र तथा जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 1.4.1999 से 5 वर्षों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन विधि स्कीम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पावरलूम हेतु 13.46 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सी एन जी स्टेशन

4652. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 2001 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "नो सी एन जी स्टेशन्स इन आउटर, ईस्ट डेलही: सेन्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाहरी और पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रों में सी एन जी केन्द्र नहीं है जिससे सी एन जी चालित वाहन मालिकों को असुविधा हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती कस्बों में सी एन जी भराई केन्द्रों को स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोषं कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, श्रीमान।

चावल का उत्पादन

4653. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में बासमती चावल का राज्य-वार कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) कौन-कौन से देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) सरकार चावल उत्पादन का किस्म-वार मानीटरन नहीं करती है। बहरहाल देश में वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल चावल उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारत से वर्ष 1999-2000 में जिन देशों को बासमती चावल का निर्यात किया गया, उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार केन्द्रीय क्षेत्र चावल बीज मिनिकिट कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पारंपरिक बासमती चावल उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को 65 रुपये प्रति किट की सहायता पर बीज मिनिकिटें (प्रत्येक 2 कि.ग्रा. आकार की किट) वितरित करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 35000/- रु. प्रति सहित चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 के दौरान चावल उत्पादन का राज्य-वार आकलन

('000 मी. टन)

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10489.6
2.	अरूणाचल प्रदेश	134.8
3.	असम	3860.7
4.	बिहार	7741.6
5.	गोवा	139.9
6.	गुजरात	984.9
7.	हरियाणा	2594.0
8.	हिमाचल प्रदेश	120.4
9.	जम्मू और कश्मीर	391.1
10.	कर्नाटक	3635.0
11.	केरल	770.8
12.	मध्य प्रदेश	6376.5
13.	महाराष्ट्र	2535.9
14.	मणिपुर	365.0
15.	मेघालय	156.9
16.	मिजोरम	88.4
17.	नागालैंड	220.0
18.	उड़ीसा	5187.0
19.	पंजाब	8716.0
20.	राजस्थान	252.6
21.	सिक्किम	23.4
22.	तमिलनाडु	7225.3
23.	त्रिपुरा	491.5
24.	उत्तर प्रदेश	12912.0
25.	पश्चिम बंगाल	13951.0
26.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	26.2
27.	दादर और ना. हवेली	17.0
28.	दिल्ली	6.0
29.	दमन और द्वीव	3.3
30.	पांडिचेरी	58.3
	अखिल भारत	89475.1

विवरण II

उन देशों के नाम, जिनको वर्ष 1999-2000 में भारत से बासमती चावल निर्यात किया गया

क्र.सं.	देश का नाम
1	2
1.	आस्ट्रेलिया
2.	आस्ट्रिया
3.	अजरबाइजान
4.	बहरीन
5.	बंगलादेश
6.	बैलजियम
7.	बैनीन
8.	बोत्सवाना
9.	ब्राजील
10.	ब्रुनेइ
11.	कनाडा
12.	चाइना पीपल्स रिपब्लिक
13.	कोलम्बिया
14.	कांगो पीपल्स रिपब्लिक
15.	साइप्रस
16.	चैक रिपब्लिक
17.	डेनमार्क
18.	इजिप्ट
19.	इस्टोनिया
20.	फिनलैण्ड
21.	फिजी
22.	फ्रांस
23.	जर्मन फैडरल रिपब्लिक
24.	घाना
25.	ग्रीक
26.	गैडेलोप
27.	गुनिया
28.	हांगकांग
29.	इजराइल
30.	इटली
31.	आईवरी कोस्ट
32.	जापान
33.	जोर्डन
34.	कैन्या
35.	कुवैत
36.	लेबनान
37.	मलावी
38.	मलेशिया
39.	मालद्वीव
40.	मारटीनिक
41.	मारीशस
42.	म्यांमार
43.	मोल्डवीया
44.	नेपाल
45.	नीदरलैण्ड
46.	न्यूजीलैण्ड
47.	नाइजीरिया
48.	नार्वे
49.	ओमान
50.	फिलीपिंस
51.	पोलैण्ड
52.	पोर्तुगल

1	2
53.	कतर
54.	रीयूनियन
55.	रशिया
56.	सऊदी अरब
57.	सियाचिलिस
58.	सिंगापुर
59.	स्लोवेनिया
60.	दक्षिण अफ्रीका
61.	स्पेन
62.	श्रीलंका
63.	सूडान
64.	स्वीडन
65.	स्विटजरलैण्ड
66.	सीरिया
67.	तंजानिया
68.	त्रिनीदाद
69.	ट्यूनिशिया
70.	तुर्की
71.	युगांडा
72.	संयुक्त अरब अमीरात
73.	यू.के.
74.	यूक्रेन
75.	संयुक्त राज्य अमेरिका
76.	उज्बेकिस्तान
77.	यमन रिपब्लिक
78.	जाम्बिया
79.	जिम्बाब्वे

स्रोत: भारत का विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी (1999-2000 का वार्षिक सं.) खण्ड-I, भाग-II, मार्च 2000, डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता।

[हिन्दी]

जैव संसाधन परियोजना

4654. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव-संसाधन परियोजना संबंधी प्रविष्टियों को कम्प्यूटर पर तैनात करने का कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं, हमारे यहां कोई जैव-संसाधन परियोजना नहीं है।

(ख) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

सिलेंडरों की कीमत

4655. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर विनिर्माताओं को गठजोड़ को तोड़ने के उद्देश्य से रसोई गैस के खाली सिलेंडरों को कम मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान अनुमानत: कितनी बचत किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस समय उपभोक्ताओं से प्रति सिलेंडर 900 रुपये की दर से सिक्युरिटी राशि ले रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस धनराशि में सिलेंडर की लागत और रखरखाव शुल्क शामिल हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2001 तक सिक्युरिटी के रूप में कितनी राशि वसूली गयी;

(छ) क्या तेल कंपनियों के लिए खाली सिलेंडर के मूल्य में कमी करने के अपने निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार का उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले रखरखाव प्रभार की लागत को कम करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ज) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कलेण्डर वर्ष 2001 के लिए सिलेंडरों की अधिप्राप्ति हेतु व्यक्तिगत रूप से निविदाएं निकाली थीं। आशा है कि सिलेंडरों का अधिप्राप्ति मूल्य नीचे आएगा। तथापि सिलेंडर निर्माताओं ने निविदा प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी है और मामला निपटान हेतु लंबित है। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है मूल्य में कमी की सीमा के बारे में निश्चित रूप से बताना इस स्तर पर संभव नहीं है।

फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां 900 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपभोक्ताओं से जमानत जमाराशि की उगाही कर रही हैं जिसमें अनुरक्षण खर्चे भी शामिल हैं। तथापि जमानत जमाराशि की दर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 500 रुपये प्रति सिलेंडर है। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा धारित जमानत जमाराशि की कुल धनराशि लगभग 7185 करोड़ रुपये थी।

[हिन्दी]

इंजनों और सवारी डिब्बों का निर्यात

4656. श्री राजो सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक रेल इंजनों और सवारी डिब्बों के निर्यात का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इंजनों और सवारी डिब्बों के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए रेल इंजनों और सवारी डिब्बों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	इंजन	सवारी डिब्बे
1998-99	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1999-2000	(1) यूएसए को दो अदद पुराने वाई पी (मी.ला.) भाप रेल इंजन	कुछ नहीं
	(2) म्यांमार को 10 अदद पुराने मीटर लाइन डीजल/बिजली रेल इंजन	
2000-2001	बांग्लादेश को 5 अदद नए बड़ी लाइन डीजल/बिजली रेल इंजन	वियतनाम को 72 अदद मीटर लाइन वोगी
2001-2002 (जुलाई 2001 तक)	बांग्लादेश को 4 नए बड़ी लाइन डीजल/बिजली लाइन इंजन	कुछ नहीं

आज तक राइट्स और इरकॉन के माध्यम से प्रतिवर्ष 682.5 लाख रु. की आमदनी पर 35 अदद पुराने वाई डी एम 4 (मी.ला.) रेल इंजन निम्नलिखित देशों को पट्टे पर दिए गए हैं:

(1) मलेशिया 25 अदद

(2) तंजानिया 10 अदद

(ख) जी हां।

(ग) राइट्स और इरकॉन (रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) निर्यातक एजेंसियां हैं और उन्हें चल स्टाक के बिक्री के लिए जोरदार प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल वे इंजनों और सवारी डिब्बों के निर्यात के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, नाइजीरिया और कोलंबिया के संपर्क में हैं।

श्रीलंका को दो नए बड़ी लाइन के डीजल-बिजली इंजन, बांग्लादेश 4 अदद और वियतनाम को 5 नए मीटर लाइन के डीजल-बिजली इंजनों के निर्यात के आदेश हाथ में हैं।

उच्च गति मीटर लाइन डीजल रेल इंजनों का एक नया अभिकल्प निर्यात बाजार के लिए विचाराधीन है।

विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से चल स्टाक के निर्यात हेतु उपांतिक लागत अपनाने के लिए उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

एल.एन.जी. पाइपलाइनें बिछाने का लक्ष्य

4657. डा. जसवन्तसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने देश में वर्ष 2001 से 2003 तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने राज्यों को लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	पाइपलाइन का विवरण	सुविधाएं	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए)	जिन राज्यों को लाभ होगा	पूर्णता कार्यक्रम
1.	हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एच बी जे) उन्नयन	42'' पाइप लाइन और 2+1 कम्प्रेसर	610	2450	गुजरात, राजस्थान उ.प्र., पंजाब, हरियाणा, म.प्र. रा.रा.रा. दिल्ली	दहेज एलएनजी टर्मिनल के पूरा होने के साथ पूरी होगी। दिसंबर, 2003 तक आंशिक रूप से पूरी की जाएगी।
2.	केजी बेसिन पाइपलाइनें	8'' से 20'' की पाइपलाइनें और उपभोक्ता टर्मिनल	515	569	आंध्र प्रदेश	जुलाई, 2003
3.	कावेरी बेसिन पाइपलाइनें	4'' से 24'' की पाइपलाइनें	117	168	तमिलनाडु	दिसंबर, 2002
4.	रा.रा.रा. दिल्ली पाइपलाइनें	3'' से 12'' की पाइपलाइनें	4	7	रा.रा.रा. दिल्ली	दिसंबर, 2002
5.	गुजरात क्षेत्र पाइपलाइनें	8'' से 12'' की पाइपलाइनें	41	36	गुजरात	दिसंबर, 2002

मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना

4658. श्री चिंतामन वनगा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बीमा लाभ में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) ''राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना'' का सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सक्रिय मछुआरों की बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए कोई सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ''राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। योजना के निम्नलिखित तीन घटकों के लिए अनुदान सहायता की मंजूरी दी जाती है;

(क) आवास

(ख) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा

(ग) बचत-सह-राहत

''राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना'' के तहत सक्रिय मछुआरा सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक की मुख्य विशेषताएं आगामी पैराग्राफ में दी गई हैं।

''राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना'' के सक्रिय मछुआरा सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक में यह प्रावधान है कि जिन मछुआरों के पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के सक्रिय मछुआरों के रूप में लाइसेंस है, अथवा उनके पास वे पंजीकृत हैं, उनका मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के लिए 50,000 रुपए और आंशिक दुर्घटना के लिए 25,000 रुपए का बीमा किया जाएगा। यह बीमा कवर 12 माह की अवधि के लिए होगा और सभी भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ''राष्ट्रीय मछुआरा सामुदायिक संघ लिमिटेड (फिशकोफैड) द्वारा एक पालिसी ली जाएगी। वार्षिक देय प्रीमियम की राशि प्रतिव्यक्ति 15 रुपए से अधिक नहीं होगी जिसका 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में दिया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार वहन करेगी। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में जो फिशकोफैड के जरिए इस घटक को अंशदान देते हैं और सहायता का केन्द्रीय अंश (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत प्रीमियम) फिशकोफैड को सीधे जारी किया जाएगा यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए जारी नहीं होगा। तथापि, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पालिसी के नवीकरण की देय तिथि से काफी पूर्व उनके प्रीमियम का हिस्सा फिशकोफैड को भेज दिया जाए। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में जो फिशकोफैड के जरिए इस घटक को अंशदान नहीं देते हैं, केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति उस वार्षिक प्रीमियम के आधार पर होगी जो फिशकोफैड के जरिए लिए गए बीमे की दर पर अथवा वास्तविक प्रीमियम, इनमें से जो भी कम होगा, देय होगी। मछुआरों से अंशदान नहीं लिया जाएगा। इस योजना में समुद्री और अंतर्देशीय दोनों क्षेत्रों के मछुआरों को कवर किया जाएगा। फिशकोफैड कार्यकारी एजेंसी होगी और वह इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने फिशकोफैड कार्यकारी एजेंसी होगी और वह इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने फिशकोफैड के जरिए योजना में अंशदान देना स्वीकार किया है, के मामले में, किसी सहायक अथवा भारतीय साधारण बीमा निगम के जरिए संचालित करेगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण

4659. श्री विष्णु पद राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय क्षेत्रों के कुछ गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य में नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण लक्ष्य के अंतर्गत शामिल करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह केन्द्र शासित क्षेत्र के 504 बसे हुए गांवों (1991 की जनगणना) में से 501 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और शेष 3 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

शिकायतों का समाधान

4660. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल विभाग द्वारा अपने खान-पान विभाग से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए कौन-कौन से नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में शिकायतों की जांच उचित प्रकार से नहीं की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्रवाई की गयी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस संबंध में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो क्षेत्रीय रेलों द्वारा इनकी जांचें की जाती हैं और यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो विभागीय खानपान के मामलों में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है और निजी लाइसेंसधारी/सप्लायरों के मामले में या तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है या उनका लाइसेंस/सप्लाई समाप्त कर दी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न मामलों में प्राप्त 1748 शिकायतों की जांच की गई और जहां कहीं अपेक्षित था आवश्यक कार्रवाई की गई, जैसाकि (क) में निर्दिष्ट किया गया है।

[अनुवाद]

"सेतु-समुद्रम" परियोजना

4661. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेतु-समुद्रम परियोजना को कार्यान्वित करने संबंधी तमिलनाडु की दीर्घावधि से लंबित मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) पोत परिवहन मंत्रालय ने सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना के लिए साध्यता/पर्यावरण अध्ययन करने हेतु निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य शुरू करने के लिए अध्यक्ष, तूतीकोरीन पत्तन न्यास से अनुरोध किया है। तूतीकोरीन पत्तन न्यास ने साध्यता/पर्यावरणीय अध्ययन करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान से विद्युत की खरीद

4662. श्री तूफानी सरोज: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग चार वर्ष पूर्व, पाकिस्तान ने भारत को दो हजार मेगावाट विद्युत बेचने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध न होने की वजह से यह प्रस्तावित विद्युत-सौदा नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो क्या आगरा शिखर-वार्ता के दौरान पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर भी बातचीत की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पाकिस्तान ने 4 वर्ष पूर्व भारत को बिजली बेचने का प्रस्ताव किया था। पाकिस्तान से विद्युत आयात पर विचार-विमर्श के दो दौर आयोजित किए गए। जनवरी, 1999 में दूसरे दौर के विचार विमर्श क दौरान पाकिस्तान सरकार ने आगामी दस वर्षों तक भारत को निर्यात हेतु 300 मे.वा. विद्युत उपलब्धता के अनुसार 600 मे.वा. तक बढ़ाया जा सकता है। विद्युत खरीद के लिए टैरिफ दरों तथा प्रचालन संबंधी करारों की पद्धतियों पर भी विचार किया गया। बहरहाल इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उपरिगामी सेतु

4663. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में जिलावार सड़क उपरिगामी सेतुओं की संख्या कितनी है;

(ख) जिलेवार ऐसे कितने उपरिगामी सेतु हैं, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ग) जिलावार ऐसे कितने सेतुओं की मरम्मत का काम चल रहा है; और

(घ) जिलावार कितने सेतुओं की मरम्मत किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क)

1.	गोंडा	01
2.	भांद्रा	01
3.	नागपुर	13
4.	मुंबई	44
5.	थाणे	17
6.	धुलाओ	01
7.	नासिक	11
8.	पुणे	12
9.	सतारा	05
10.	सांगिल	03
11.	नांदेड़	03
12.	कोल्हापुर	02
13.	औरंगाबाद	04
14.	जालना	03
15.	परभनी	01
16.	जलगांव	06
17.	रायगढ़	05
18.	सोलापुर	03
19.	वर्धा	03
20.	चन्द्रपुर	03
21.	अहमदनगर	02
22.	अकोला	02
23.	अमरावती	01
24.	बारामती	01
	कुल	147

(ख) कुछ नहीं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) कुछ नहीं।

[अनुवाद]

गुजरात में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आवश्यकता

4664. श्री जी.जे. जावीया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में गुजरात में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की मासिक अनुमानित आवश्यकता कितनी है और इसकी आपूर्ति के संबंध में स्थिति क्या हैं;

(ख) राज्य में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आवश्यकता को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति के लिए गुजरात के ग्रामीण इकालों की उपेक्षा की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) गुजरात राज्य के लिए एल पी जी की औसत मासिक आवश्यकता 40 हजार मीट्रिक टन (टी एम टी) होने का अनुमान है। गुजरात राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के यहां सूचीबद्ध ग्राहकों की मांग कमोबेश पूरी तरह पूरी की गई है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने ग्रामीण उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए गुजरात राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए 59 स्थान और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 65 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें पहले ही निर्धारित की हैं।

न्यायालय अवमान अधिनियम

4665. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार कौंसिल ऑफ इंडिया तथा राज्यों की बार कौंसिलों ने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को न्यायालय अवमान अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के उद्देश्य से इसमें परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सुझावों पर विचार तथा उनका परीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जोधपुर में आयोजित राज्य विधिज्ञ परिषदों की एक बैठक में, जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद ने भाग लिया था, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताते हुए संकल्प पारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को न्यायालय अवमान की अधिकारिता के क्षेत्रांतर्गत लाया जाए। तारीख 3.6.2001 के संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अनेक उपबंधों का, प्रशासनिक विधियों का पुनर्विलोकन करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित पी.सी. जैन आयोग के सुझाव के अनुसरण में सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस समय न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का संशोधन न किया जाए।

विवरण

राजस्थान विधिज्ञ परिषद, जोधपुर

न्यायालय अवमान

संकल्प

भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रतिनिधियों और राज्य विधिज्ञ परिषदों के प्रतिनिधियों ने अवमानना कार्यवाहियों की, विशेष रूप से वकीलों के विरुद्ध बढ़ती हुई संख्या के संबंध में गहरी चिन्ता व्यक्त की है और उनकी दृढ़ राय है कि वृहत लोक हित में भारत के संविधान और न्यायालय अवमान अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

अत: यह संकल्प किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 और न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन लाने के लिए अनुरोध किया जाए:

(1) प्रतिवाद के रूप में अभिकथन की सत्यता;

(2) वकीलों के विरुद्ध अवमान की कार्यवाहियां करने के लिए सभी न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित करना;

या

(3) वकीलों के विरुद्ध अवमान मामलों की कार्यवाहियां आरंभ करने से पूर्व माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट करने के लिए उपबंध करना, जो संबंधित विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष और संबद्ध संगम के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या अवमान कार्यवाहियों को आरंभ करने का औचित्य है या नहीं।

(4) न्यायालयों के निर्णयों/आदेशों और किसी न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारी के न्यायिक आचरण की निष्पक्ष आलोचना को न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित किया जाए।

(5) शीर्ष न्यायालय और सभी 6 राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अन्य न्यायिक अधिकारियों की भांति न्यायालय अधिकारिता अवमान के क्षेत्रांतर्गत लाया जाए।

निर्देशित मूल्य अभियंत्र का विखण्डन

4666. श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य नियंत्रित पेट्रोलियम पदार्थों के विपणन को विनियमन मुक्त करने संबंधी समिति ने पेट्रोलियम पदार्थों के निर्देशित मूल्य अभियंत्र (ए पी एम) को विखण्डित करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) निजी और विदेशी कंपनियों को जो विज्ञापन अधिकारी दिये गये हैं, उनके संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) भारत सरकार ने नवंबर 1997 में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) के समापन के लिए कार्यक्रम घोषित किया था। उक्त घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर कि ऐसे स्वामित्व वाली एवं प्रचालनकर्ता रिफाइनरियों, जिनका वार्षिक निवेश कम से कम 2000 करोड़ रुपये है, अथवा ऐसी तेल अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनियों, जो वार्षिक रूप से कम से कम तीन मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन कर रही है, को परिवहन इंधनों अर्थात मोटर स्पिरिट (एम एस), हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) के लिए विपणन अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था थी। पेट्रोलियम क्षेत्र की पूर्ण नियंत्रणमुक्ति 1.4.2002 से लक्ष्यबद्ध है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए वर्तमान नीतियों और व्यवहारों की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए दिसंबर, 1999 में एक आंतरिक दल का गठन किया था। मंत्रालय इस दल की रिपोर्ट पर विचार कर रहा है।

अधिसूचित किए जाने वाले विस्तृत विपणन दिशा-निर्देशों के अनुसार इस संबंध में ऐसी फर्मों/कंपनियां, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, परिवहन ईंधनों के लिए विपणन अधिकार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

कते सूत का उत्पादन

4667. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कते हुए सूत का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 2001-02 में इसकी कितनी मात्रा में उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश में अगस्त, 2001 के बाद से कते हुए सूत के उत्पादन में आई लगातार गिरावट के विषय से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे इस राज्य में मिल-निर्मित वस्त्रों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य में वस्त्र उद्योग की अवस्था सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में स्पन यार्न का उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	मिलियन किग्रा.
1998-1999	2808
1999-2000	3046
2000-2001	3160
2001-2002	3192

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2001-2002 (मई, 2001 तक) के दौरान मध्य प्रदेश में स्पन यार्न का उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	मिलियन किग्रा.
1998-1999	179
1999-2000	204
2000-2001	202
2001-2002	31

मध्य प्रदेश में, वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल स्पन यार्न उत्पादन में आंशिक गिरावट आई थी। चार और मिश्रित मिलों का बंद होना इस गिरावट का कारण था। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, वर्तमान वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान यह गिरावट मिल क्षेत्र के फाईबर उत्पादन में, कुछ और गिरावट का कारण बनी।

(ङ) वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से, पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) आरंभ की गई। कपास की गुणवत्ता, उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया गया है, ताकि प्रयोक्ता उद्योग को उच्चकोटि की कपास उपलब्ध कराई जा सके। ये दोनों ही योजनाएं मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में लागू हैं।

[हिन्दी]

रेल सर्वेक्षण परियोजना को मंजूरी

4668. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व रेलवे जोन के समस्तीपुर रेल-मंडल के लिए जो रेल सर्वेक्षण-परियोजना स्वीकृत की गई थी उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) मंजूरीशुदा रेल सर्वेक्षण-परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सर्वेक्षणों का अनुमोदन रेलवे-वार किया जाता है न कि मंडलवार। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेल के समस्तीपुर मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाली जिन रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम
1	2
1.	बदलाघाट-आलमनगर-भवानीपुर-पूर्णिया-दलकोल्हा से नयी लाइन के लिए टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण
2.	मोतीहारी से सीतामढ़ी तक नई लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
3.	त्रिवेणीगंज से और रानीगंज के रास्ते सुपौल से अरडिया तक नई लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण
4.	बानमा-सोनबर्सा और आलमनगर के रास्ते कोपरिया से बिहारीगंज तक नयी लाइन के लिए टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण
5.	पूर्णिया-सहरसा के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।

(ख) क्र.सं. 1 से 4 तक सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। परियोजनाओं की अलाभप्रद प्रवृत्ति तथा संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

4669. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के निजी और सरकारी क्षेत्रों में कितने कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र (टी.पी.पी.) स्थापित हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में कुछ कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ग) यदि हां, तो इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किन स्थलों की पहचान की गई थी; और

(घ) इस राज्य के देंकानाल जिले के कामलोंगा में ताप-विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 31 जुलाई, 2001 की स्थितिनुसार देश में कोयला आधारित 81 ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है जिसका कि ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं (केन्द्र और राज्य)	71
2.	निजी क्षेत्र की परियोजनाएं	
	(अ) यूटिलिटी	9
	(ब) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	1
	कुल	81

(ख) और (ग) उड़ीसा में कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्तावों का ब्यौरा संयंत्र की अधिष्ठापन हेतु अभिज्ञात किये गये स्थानों को इंगित करते हुए संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उड़ीसा के धेनकनाल जिले में कामालोंगा में एक ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु उड़ीसा सरकार से कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना के नाम	क्षमता मे.वा	चालू करने की कार्यक्रम/स्थिति
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	तालचेर एसटीपीएस चरण-II, जिला अंगूल एनटीपीसी के द्वारा (तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की तिथि 23.10.97)		
	यूनिट 3	500	11/2003
	यूनिट 4	500	8/2004
	यूनिट 5	500	5/2005
	यूनिट 6	500	2/2006
निजी क्षेत्र			
2.	आईबी वेली टीपीपी चरण-II, जिला झारसुगुडा मै. एईएस आईबी वेली कारपोरेशन के द्वारा (तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तिथि 26.2.1999		
	यनिट 5	250	वित्तीय समापन से 33 माह
	यूनिट 6	250	वित्तीय समापन से 36 माह वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया गया
3.	डूबरी टीपीएस, जिला जजपुर मै. कलिंगा पावर कारपोरेशन के द्वारा (तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तिथि)		
	यूनिट 1	250	वित्तीय समापन से 33 माह
	यूनिट 2	250	वित्तीय समापन से 36 माह वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया गया
4.	हिरमा चरण-1, जिला झारसुगुडा मै. मिरेंट एशिया पैसेफिक लिमिटेड (पूर्व में सीइपीए) और रिलायंस पावर के द्वारा -भारत सरकार के मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत	6720	11वीं योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होने की संभावना

1	2	3	4
राज्य क्षेत्र			
5.	आईबी टीपीएस यू-3 और 4, जिला झारसूगूडा मै. उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन (ओपीजीसी)	2210	संशोधित डीपीआर प्राप्त हो गई है। परियोजना प्राधिकारियों को निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित करने की सलाह प्रदान की गई है

तेल अन्वेषण के प्रयोजन से किए गए खुदाई कार्य की लागत

4670. श्री जे.एस. बराड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयल इंडिया लिमिटेड और भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के उद्देश्य से 50 मी. गहराई का खुदाई कार्य करने पर इस समय अलग-अलग, कितनी लागत आती है;

(ख) क्या ''आयल इंडिया लिमिटेड'' द्वारा 1970 में असम में तेल अन्वेषणार्थ किए गए खुदाई कार्य की लागत ''भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम'' द्वारा संपादित इस कार्य की अपेक्षा कम थी और जो वर्तमान में अपेक्षतया अधिक ठहरती है; और

(ग) खुदाई कार्य की लागत बढ़ने के क्या कारण है और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) भारत में कोई अन्वेषण और उत्पादन कंपनी तेल अन्वेषण और उत्पादन के लिए 50 मीटर के कूप का वेधन नहीं करती है। तथापि 50 मीटर का वेधन आंकड़ों की प्राप्ति के लिए शाट छिद्र भूकंपीय सर्वेक्षणों हेतु किया जाता है। इन छिद्रों की खुदाई की लागत प्रचालन के क्षेत्र पर निर्भर करती है। उपर्युक्त के होते हुए भी कुल मिलाकर वर्ष 2000-01 के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) द्वारा तेल और गैस के अन्वेषण के लिए अन्वेषणात्मक वेधन की प्रति मीटर लागत नीचे दी गई है:

	राशि रुपये में
ओ एन जी सी	30,608
ओ आई एल	45,774

(ख) और (ग) वर्ष 2000-01 में असम में ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा तेल और गैस के अन्वेषणात्मक वेधन की प्रतिमीटर लागत नीचे दी गई है:

	राशि रुपये में
ओ एन जी सी	29,686
ओ आई एल	45,819

वेधन की लागत में वृद्धि के मुख्य कारण हैं: कूपों के वेधन के लिए निवेश की लागत में वृद्धि और संभारतंत्र की दृष्टि से कठिन क्षेत्र और गहन गहराई की ओर ज्यादा मुड़ना/वेधन की लागत में कमी करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ज्यादा लागत कुशल नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग और व्यक्तियों की उत्पादकता में वृद्धि करने जैसे विभिन्न उपाय किये जाते हैं।

[हिन्दी]

अतिक्रमण हटाना

4671. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने रेल विभाग के स्वामित्वाधीन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसकी कोई जांच की गई है और इस संबंध में रेल अधिकारियों की क्या भूमिका है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हटाए गए अतिक्रमणों की जोन वार संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष/जोन	1998-99	1999-2000	2000-2001	जोड़
मध्य	281	492	9292	10,065
पूर्व	15358	14798	7249	37,405
उत्तर	1768	2675	4592	9,035
पूर्वोत्तर	54	77	73	204
पूर्वोत्तर सीमा	7067	5786	5825	18,678
दक्षिण	कोई नहीं	341	3	344
दक्षिण मध्य	795	587	987	2,369
दक्षिण पूर्व	3809	6323	3692	13,824
पश्चिम	3684	2856	4450	10,990
जोड़	32,816	33,935	36,163	1,02,914

(ग) शहरों में प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर दबाव है। रेलवे भूमि एक लम्बी पट्टी के रूप में पड़ी होती है। अत: इन्हें रोकने के लिए निरंतर प्रयास करने के बावजूद अनाधिकार प्रवेश और अतिक्रमणों की घटनाओं की रोकथाम करने में कठिनाई होती है।

(घ) और (ङ) रेलें अतिक्रमणों को रोकने और हटाने की प्रक्रिया में निरन्तर लगी रहती हैं। नए अतिक्रमणों के मामलों की नियमित रूप से जांच की जाती है। सरकार सभी प्रकार के अनाधिकार प्रवेश/अतिक्रमणों को रोकना चाहती है और रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटाना चाहती है।

खान-पान व्यवस्था का अनुबंध

4672. श्री रामजीवन सिंह: क्या **रेल मंत्री** रेलगाड़ियों में 'खान-पान सेवा' के बारे में 2 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 1678 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोनल-रेलवे द्वारा जिन फर्मों के विरुद्ध शिकायत की गई, उनके नाम क्या हैं;

(ख) जोन-वार उन निजी लाइसेंसधारियों के नाम क्या हैं, जिन पर जुर्माना किया गया और जिनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया;

(ग) इस संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्व रेल के अंतर्गत एक मामले के संबंध में चल रही जांच का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) क्षेत्रीय रेलों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) रेल सतर्कता की सिफारिश पर उत्तर रेलवे के पेन्ट्रीकार लाइसेंसधारी अर्थात मै. आर.सी. गोयल, मै. पी.आर. कैटरिंग कंपनी, मै. दून केटरर्स, मै. फूड वर्ल्ड और दक्षिण पूर्व रेलवे के मै. आर.के. एशोसिएट्स पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, कोयम्बटूर (दक्षिण रेलवे) के मै. श्यामराजू के मांसाहारी अल्पाहार गृह का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है।

(ग) सतर्कता विभाग ने भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने, दर-सूची प्रदर्शित करने, अति प्रभार को नियंत्रित करने, भोजन के साथ दी जाने वाली पूरी कटलरी, सामान्य स्वास्थ्यकर मानक आदि को बेहतर बनाने की सिफारिश की है।

(घ) मोबाइल लाइसेंसधारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर पूर्व रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का कार्यकरण

4673. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश स्थित निजी क्षेत्र की विद्युत-परियोजनाओं के कार्यकरण का निरीक्षण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं। निजी विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विद्युत क्रय करार परियोजना विकासकर्त्ता और संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड के बीच एक समझौता है और भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की कार्यप्रणाली की जांच करना अपेक्षित नहीं है। क्रियान्वयन समझौते से संबंधित राज्य सरकार और निजी उत्पादक के बीच संबंध को शासित किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

ताजमहल के संरक्षणार्थ विशेष निधि

4674. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आगरा के ताजमहल के संरक्षण व परिरक्षा के लिए अमरीका अथवा किसी अन्य विदेशी राष्ट्र की तरफ से विशेष निधि के रूप में कोई धनराशि मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ताजमहल को संरक्षित तथा परिरक्षित करने के लिए अन्य और कौन से कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, ताजमहल, आगरा के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अमरीका से या अन्य किसी बाहर के देश से कोई विशेष धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यूनेस्को ने ताजमहल तथा आगरा के अन्य स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण और संगमरमर और बलुआ पत्थर के वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) ताजमहल, आगरा के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए अपनाए गए अन्य उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ताजमहल आगरा को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) आगरा में दो ताप-विद्युत संयंत्रों को 1981 में बंद कर दिया गया था।

(2) आगरा के रेलवे मार्शलिंग यार्ड को डीजल वाला बना दिया गया है।

(3) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ताजमहल के आस-पास परिवेशी वायु की मानीटरिंग कर रहा है ताकि सल्फर डाइ-ऑक्साइड, निलम्बित विविक्त पदार्थ और अन्य प्रदूषकों तथा साथ ही मौसम संबंधी आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा सके और यथा अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। इसके अतिरिक्त आवधिक रासायनिक उपचार और परिरक्षण भी किया जा रहा है।

(4) राज्य सरकार, आगरा में प्रदूषण स्तरों की मानीटरिंग कर रही है।

(5) पर्यावरण विभाग, भारत सरकार ने 3 मई 1983 की अपनी अधिसूचना में ताजमहल के आस-पास 10,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का सीमांकन किया है जहां प्रदूषण सम्भावना वाले किसी उद्योग को लगाने की अनुमति नहीं है।

(6) आगरा में उद्योग में भट्ठी तेल और डीजल जेनरेटरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सर्दी की रातों में ढलाई कारखानों को चलाने की अनुमति नहीं है।

(7) ताजमहल के आस-पास भारी वाहनों का चलना बंद कर दिया गया है और पार्किंग स्थल को शिल्पग्राम में बदल दिया गया है।

(8) आगन्तुकों को शिल्पग्राम से ताजमहल तक लाने और वापिस ले जाने के लिए बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग शुरू किया गया है।

(9) ताज के पास कूड़ा जलाने को रोक दिया गया है।

(10) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वाहनों के उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(11) उत्तर प्रदेश शासन के वन विभाग ने उपलब्ध सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण द्वारा ताजमहल के आस-पास 500 मीटर क्षेत्र में हरित पट्टी का सृजन किया है।

(12) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मेहताब बाग को पुरातात्विक बाग के रूप में विकसित किया गया है।

(13) राज्य सरकार ने फाउन्ड्री नगर तथा औद्योगिक क्षेत्र के आसपास 10 हैक्टेयर, यू.पी.एस.आई.डी.सी. में 12 हैक्टेयर तथा छावनी क्षेत्र में 5 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण भी किया है।

उच्च-स्तरीय पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति

4675. श्री आनन्द मोहन बिश्वास: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और इसके सदस्यों, वित्तीय आयुक्त (रेल) महाप्रबंधकों, अतिरिक्त सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद हेतु भर्ती नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त दर्शाए गए मानकों पर यदि जनहित में आवश्यक विचार किया जाता है तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से उसमें आवश्यक सीमा तक छूट दी जा सकती है;

(ख) क्या यह छूट उन सामान्य श्रेणी के कर्मचारी और अधिकारियों के पक्ष में न्यूनतम सेवा के संबंध में दी गई है जिनकी न्यूनतम सेवा शर्तों में छूट देकर रेलवे बोर्ड के सदस्यों, वित्तीय आयुक्त और अध्यक्ष के रूप में पदोन्नति की गई है;

(ग) क्या इस छूट पर उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में विचार नहीं किया गया है जो भर्ती नियमों के संबंध में आवश्यक सेवा शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे और इसके परिणामस्वरूप उनका अतिक्रमण हो गया और उनके द्वारा उपर्युक्त प्राधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित था;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के पक्ष में विशेष छूट पर विचार करेगा, जो रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य के रूप में प्रोन्नत किए जाने के लिए पात्र थे, लेकिन अपेक्षित सेवा अवधि न रखने के कारण उन्हें अनेक वर्षों तक उन्हीं पदों पर कार्य करना पड़ रहा है जो अब वे अतिरिक्त सदस्य पदों के पद पर कार्य करते; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त सहित बोर्ड के सदस्यों, महाप्रबंधकों और अपर सदस्य, रेलवे बोर्ड के पदों के लिए कोई भर्ती नियम नहीं है। इन पदों पर नियुक्तियां इन पदों के भरे जाने के लिए अधिसूचित संकल्पों में उल्लिखित शर्तों द्वारा शासित होती है। यद्यपि अपर सदस्यों के मामले में संकल्प उल्लिखित शर्तों का 11.10.2000 को अधिसूचित किया गया है। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त सहित रेलवे बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां 16.2.87 के संकल्प द्वारा शासित होती है। महाप्रबंधकों के पदों पर नियुक्तियां समय-समय पर संशोधित 16.7.1986 के संकल्प को ध्यान में रखकर की जाती है। महाप्रबंधकों और अपर सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां के लिए अधिसूचित शर्तों में यह प्रावधान है कि इनमें से किसी भी शर्त में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से छूट दी जा सकती है। बशर्ते कि इसे जनहित में आवश्यक समझा जाए।

अपर सदस्य रेलवे बोर्ड के पदों को भरने संबंधी शर्तों में एक शर्त यह है कि अपर सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उस अधिकारी की बारी आने में उस पद के खाली होने की तारीख से एक वर्ष की सेवा अवश्य होनी चाहिए। उन अधिकारियों सहित जो आरक्षित कोटियों से संबंधित है, सभी अधिकारियों के लिए यह शर्त एक समान रूप से लागू होती है। वास्तव में इस संबंध में अपर सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां करते समय किसी अधिकारी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है, भले ही वह अधिकारी सामान्य कोटि का हों या फिर अनुसूचित जाति/जनजाति का हों।

जहां तक महाप्रबंधकों के पदों का संबंध है यहां पर भी अधिकारी की बारी आने पर रिक्ति की तिथि से दो वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है और महाप्रबंधकों की सभी नियुक्तियां इस प्रावधान को ध्यान में रखकर बिना किसी छूट के की जाती हैं और यह एक समान - से सामान्य कोटि के अधिकारियों तथा बिना किसी भेदभाव के आरक्षित कोटि के अधिकारियों पर भी लागू होती है।

वित्त आयुक्त और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड सहित बोर्ड सदस्यों के पदों को भरने संबंधी शर्तों में एक सीमा तक छूट भी दी जाती है ताकि इन पदों पर तैनाती के लिए उपयुक्त अधिकारी मिल सके। उल्लिखित शर्तें बहुत अधिक सख्त नहीं हैं क्योंकि ''आमतौर पर'' शब्द उनके पहले जोड़ा गया है। इन पदों पर नियुक्ति करते समय सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित कोटियों के उम्मीदवारों के बीच निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

अपर सदस्यों और महाप्रबंधकों के पदों पर नियुक्ति के मामले में शर्तों में निर्धारित कार्यकाल में प्रशासनिक दृष्टि से कोई छूट वांछनीय नहीं समझी जाती है।

रेलगाड़ियां चलाना

4676. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जो-जो रेलगाड़ियां चलाई गई, उनके नाम तथा चलाये जाने का वर्ष क्या है तथा ये कहां से कहां तक चलती हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ रेलगाड़ियों का चलाया जाना बंद कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि में निवेश

4677. श्री विलास मुत्तेमवार:
डा. अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:
डा. चरणदास महंत:
श्री रामेश्वर डूडी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2001-2002 के दौरान कृषि में सरकारी और निजी निवेश का हिस्सा कितना-कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निवेश में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में कम से कम 4% वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में और अधिक निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वर्ष 1999-2000 तक पशुपालन सहित कृषि में सार्वजनिक तथा निजी निवेश के अनुमान, जो सकल पूंजी निर्माण के रूप में आंके गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। दो वर्षों अर्थात् 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए ये अनुमान निम्नवत हैं:

सारणी

पशुपालन सहित कृषि में सकल पूंजी निर्माण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	पशुपालन सहित कृषि में सकल पूंजी निर्माण	
	सार्वजनिक	निजी
1998-99	6573	18293
1999-2000	8515	21059

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कृषि में हो रहे निवेश में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त ऋण की उपलब्धता (10,500 करोड़ रुपये), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि (2,500 करोड़ रुपये) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के आवंटन में वृद्धि (750 करोड़ रुपए) जैसे पहले ही उपाय किए हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, चुनिंदा वृहद सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण के माध्यम से केन्द्रीय सहायता हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता वाले 100 जिलों में समेकित जल विकास के लिए नाबार्ड में पनधारा विकास परियोजना जैसी स्कीमें भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन सभी उपायों से कृषि में निवेश बढ़ाने तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में अधिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

गोंडा-गोरखपुर लूपलाइन का आमान परिवर्तन

4678. श्री रामपाल सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोरखपुर-गोंडा लूपलाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) गोरखपुर-गोंडा लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य बजट में शामिल कर लिया गया था बशर्ते कि स्वीकृति प्राप्त हो। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद, जिसके लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है, कार्य शुरू किया जायेगा। स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी, उसके बारे में समय सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

राजनैतिक दलों को चंदा

4679. प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग सभी राजनैतिक दल औद्योगिक घरानों तथा अन्य लोगों से चंदा प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का चंदा स्वीकार किए जाने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार के चंदे को नियमित करने या उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए कोई कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) विशेष रूप से देश और निर्वाचकों के आकार को ध्यान में रखते हुए, सरकार को यह जानकारी है कि कई राजनीतिक दलों को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिए और निर्वाचन लड़ने के लिए राजनीतिक संदानों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 239क के उपबंध विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में राजनीतिक अभिदायों को अनुज्ञात करते हैं। चूंकि सरकार का यह विचार है कि निगमित सैक्टर को भारतीय लोकतंत्र के कृत्यों में परिभाषित मानकों के भीतर विधिसम्मत भूमिका निभाने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए, अत: सरकार, निजी कंपनियों द्वारा राजनीतिक संदानों पर पूर्ण पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं है। तथापि, सरकार प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इन संदानों को नियमित करने के विरुद्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसे अभिदायों पर पूर्ण पाबंदी अधिरोपित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नौवीं योजना अवधि के दौरान खोले गए तेल शोधक कारखानें

4680. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थानवार कितने नए तेल शोधक कारखानें खोलने का काम शुरू किया गया, प्रत्येक मामले में कितना वास्तविक और अद्यतन खर्च आने का अनुमान है और इसे पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) प्रत्येक मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में कितने रोजगार का सृजन होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पानीपत, हरियाणा में तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. द्वारा नुमालीगढ़, असम में क्रमश: 3868 करोड़ रुपए एवं 2489 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर नई तेल रिफाइनरियां आरंभ की गई हैं। पानीपत रिफाइनरी अक्तूबर, 1998 से अप्रैल, 1999 तक तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी अप्रैल, 1999 से जून, 2000 तक चरणबद्ध रूप में चालू की गई थी।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के अंतर्गत मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लि. ने जामनगर, गुजरात में एक रिफाइनरी स्थापित की है।

(ख) पानीपत रिफाइनरी तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी द्वारा सृजित सापेक्ष रोजगार क्रमश: 828 तथा 633 है। इन रिफाइनरियों द्वारा सृजित परोक्ष रोजगार को ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के लंबित मामले

4681. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के प्रति सरकार और न्यायपालिका दोनों ही चिन्तित हैं। इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें मलिमथ समिति जैसे विशेष निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाया जाना सम्मिलित है। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में, अन्य बातों के साथ-साथ, विलंब को कम करने के लिए और सिविल तथा दांडिक कार्यवाहियों के विभिन्न प्रक्रमों पर निश्चित समय-सीमा नियत करने के लिए कतिपय उपबंध हैं। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए समय-समय पर उच्च न्यायालयों को लिखते रहे हैं। ऐसी अंतिम संसूचना फरवरी, 2001 में भेजी गई थी। माध्यस्थम्, सुलह और लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटान जैसे विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाए जाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

अगस्त, 1988 में तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री ने उच्च न्यायालयों से यह अनुरोध किया था कि वे लंबित मामलों को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा, मामलों के अधिक व्यवहार्य, वर्गीकरण और समूहीकरण, अपनाए गए उपायों का पालन करने के लिए, यथासंभव विशिष्ट दिन के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई के लिए कार्रवाई करने, दोषपूर्ण मामलों का संचय न होने देने के लिए, पुराने लंबित मामलों के लिए चक्रानुक्रम में अधिक और पर्याप्त समय-सीमा को रखने और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से रजिस्ट्री के प्रशासन और जनशक्ति को सरल और कारगर बनाने जैसे किए गए उपायों को अपनाएं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम वर्ष 1993-94 से न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों और उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण है। इस स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1993-94 से 2000-2001 तक 404.15 करोड़ रुपये की रकम केन्द्रीय अंश के रूप में जारी की गई है। इसके लिए, 2000-2001 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 834 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

देश के उच्चतम न्यायालय और अधिकांश उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य अब पूरा हो गया है। कंप्यूटरीकरण से मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता मिल रही है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों पर कर लगाना

4682. श्री अनन्त नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप में स्थापित किए जाने वाले तेल शोधक कारखाने पर कर लगाने के संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार और उनके मंत्रालय के बीच कुछ मतभेद था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समस्या के समाधान हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) रिफाइनरी परियोजना के लिए दिसंबर 1998/अगस्त 1999 में उड़ीसा सरकार द्वारा अनुमोदित बिक्री कर रियायतें बाद में फरवरी 2000 में वापस ले ली गई थीं। परियोजना को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए बिक्री कर के बदले उड़ीसा सरकार को इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा 5 प्रतिशत वाले सात वर्षीय परिपक्वता के बाण्डों के निर्गम, 30 वर्ष के लिए केन्द्रीय बिक्री कर से छूट, कच्चे तेल पर प्रवेश शुल्क से छूट और निर्माण अवधि के दौरान कतिपय अन्य कर प्रोत्साहनों सहित एक प्रोत्साहन पैकेज राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार ने जून, 2001 में उक्त परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन कर दिया है।

सकलेशपुर-कडूर-चिकमगलूर रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

4683. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा सकलेशपुर-कडूर-चिकमगलूर के बीच नई रेल लाइन हेतु प्राथमिक अभियांत्रिकी-सह-यातायात सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला;

(ग) उक्त लाइन के निर्माण के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) 1995-96 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार चिकमगलूर के रास्ते कदूर से सकलेशपुर तक 93 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 6.38% प्रतिफल की दर सहित 157 करोड़ रु. आकलित की गई थी।

(ग) बजट 1996-97 में कार्य शामिल कर लिया गया है। स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई है और कार्य शुरू कर दिया गया है।

(घ) 31.3.2001 तक 8.56 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है। 2001-02 के दौरान 3 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

प्याज की खरीद में घाटा

4684. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से 5.20 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद से हुए घाटे की पूर्ति हेतु स्वीकृति देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के बाद अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2000 मौसम के दौरान 5.85 लाख मी. टन प्याज के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित करने का अनुरोध किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार 65,000 मी. टन प्याज के लिए महाराष्ट्र में मण्डी हस्तक्षेप स्कीम स्वीकृत और कार्यान्वित की गयी थी।

नस्ल और दुग्ध उत्पादन

4685. श्री सईदुज्जमा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपरेशन फ्लड परियोजना की सफलता के लिए राष्ट्रीय दुधारू पशु केन्द्र की स्थापना को महत्वपूर्ण कारक माना गया था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना और केन्द्र के संबंध में उद्देश्यों और लक्ष्यों विशेषकर भारत के 30 देसी नस्लों और दुग्ध उत्पादन को हासिल करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुग्ध उत्पादन में सफलता न मिलने के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दुग्ध उपभोग के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का फासला बढ़ा है;

(घ) क्या शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 250 ग्राम पौष्टिकता के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसत 70 ग्राम प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों की झुग्गी-झोपड़ियों में 40 ग्राम प्रतिदिन है;

(ङ) क्या मुंबई की एक गैर-सरकारी संगठन की पहल पर किए गए स्वायत्त विश्लेषण इन निष्कर्षों के अनुरूप है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा एन.डी.डी.बी. की भविष्य की योजना के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय दुधारू पशुयूथ, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। इसका लक्ष्य कृत्रिम सेवाएं प्रदान करना है ताकि सदस्य उन्नत दुधारू पशुओं का प्रजनन करा सकें।

तथापि, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों ने कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत शामिल डेयरी सहकारी समितियों के लिए प्रति वर्ष किए गए कृत्रिम गर्भाधान आदि के लिए संशोधित लक्ष्यों की उपलब्धियों के अवलोकन के जरिए आणुवंशिक सुधार की देखरेख की थी। इन क्षेत्रों में संशोधित लक्ष्यों को कुल मिलाकर पूरा किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पौष्टिकता के ये आंकड़े व्हाइट चैलेंज नामक गैर-सरकारी संगठन के प्रकाशन पर आधारित हैं तथा भारत सरकार इस आंकड़े की प्रमाणिकता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दे सकती है।

(ङ) चूंकि ये निष्कर्ष इनिसिएटिव मुम्बई स्थित एक गैर सरकारी संगठन के अध्ययनों से उद्धृत किए हैं, अत: इन दोनों में एक रूपता का प्रश्न नहीं उठता।

(च) उक्त (ङ) में प्रस्तुत की गई सूचना को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

न्याय में देरी

4686. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) तिहाड़ जेल, दिल्ली का हाल ही में दौरा करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश और विधि मंत्री के क्या निष्कर्ष हैं और इस दिशा में उन्होंने सरकार/न्यायालयों/जेल प्रशासन को कोई निर्देश दिए थे;

(घ) इन दिशा-निर्देशों पर सरकार/न्यायालयों/जेल प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने छोटे-मोटे अपराधों में शामिल व्यक्तियों, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, को जमानत पर छोड़ने अथवा एक वर्ष तथा इससे अधिक जिनके मुकदमें लंबित पड़े हैं उन्हें जमानत पर छोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख), (ङ) और (च) उच्चतम न्यायालय ने, रिट याचिका (सिविल) सं. 559/94-आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में तारीख 10 दिसम्बर, 1998 और 13 अक्तूबर, 1999 के आदेशों द्वारा पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दांडिक मामलों के लंबित विचारण और छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल में पीड़ा भोग रहे विचारणाधीन कैदियों के बारे में अपनी चिंता प्रकट की थी और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह निदेश किया था कि विशिष्टतय: ऐसे मामलों में, जिनमें छोटे-मोटे अपराध अंतर्वलित हैं, चालान/रिपोर्टें फाइल करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह भी लिखा है कि वे उन विचारणाधीन व्यक्तियों के, जो देश की विभिन्न जेलों में पीड़ा भोग रहे हैं, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक उपाय करें।

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 1986 का 1128, सामान्य हेतुक बनाम भारत संघ और अन्य में तारीख 1.5.1996 के अपने निर्णय में लंबे समय से लंबित विचारणों में शीघ्रता करने और उन विचारणाधीन व्यक्तियों को, जो लंबे समय से जेलों में बंद हैं, छोड़े जाने के लिए अनेक निदेश दिए हैं। इन निदेशों में, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है और आवृत्त प्रकृति का नहीं है तथा यदि विचारण अभी तक आरंभ नहीं हुआ है तो एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए लंबित दांडिक मामलों को समाप्त करना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

बेरोजगार वस्त्र कामगारों को प्रशिक्षण

4687. श्री रामदास आठवले: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वस्त्र मिलों के बंद होने से बेरोजगार हुए कामगारों के पुनर्वास हेतु क्या नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगार वस्त्र कामगारों को प्रशिक्षण देने हेतु एन.आई.एफ.टी. से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने पर विचार किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सरकार ने निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों के स्थायी अथवा आंशिक रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गये कामगारों

को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी डब्ल्यू आर एफ) की स्थापना की है। मिल औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 ओ के अंतर्गत 6 जून, 1985 को अथवा उसके बाद बंद हुई हो अथवा एकक को बंद हो गई हो करने की प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त कर लिया गया हो।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना मुख्यत: फैशन प्रौद्योगिकी में शिक्षा, अनुसंधान, सेवा और प्रशिक्षण के व्यावसायिक कार्यक्रम द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन का विकास करने के उद्देश्य से की गयी है जो बेरोजगार वस्त्र कामगार सहित अन्यथा पात्र सभी व्यक्तियों के लिए खुला है।

[अनुवाद]

मवेशियों और भैंसों के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना

4688. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मवेशियों और भैंसों के प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लाभ किसानों तक किस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाए जा सकते हैं; और

(घ) वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन के प्रबंध के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। नौवीं योजना में राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में किसानों के दरवाजे तक प्रजनन आदानों की डिलीवरी, संगठित प्रजनन कार्यक्रम के तहत गोजातीय संख्या के कवरेज में पर्याप्त सुधार लाना, प्राकृतिक सेवा के लिए उपयोग में लाए गए सांडों की गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, संस्थागत अंत:संरचना क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा उसमें वृद्धि के साथ-साथ प्रजनकों में सहक्रियाशीलता विकसित करने पर ध्यान दिया गया है।

(ग) राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अनुदान की सीधी निर्मुक्ति न्यूनतम लाक अप अवधि और किसानों के लाभ के लिए तीव्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी, सचल कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं उनके दरवाजे तक पहुंचेगी और प्रजनक संगठनों का उन्नयन उन्हें नवीन उपायों के जरिए उनकी समस्याओं को सुलझाने के साधन प्रदान करेगी।

(घ) राज्य उप परियोजना को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं जिसमें अधिकतम क्षमता उपयोगिता के लिए स्पर्म स्टेशनों तथा सांड मदर फार्मों का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन आदानों की गुणवत्ता और आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए संस्थागत पुनर्संरचना, कार्मिकों के दक्षता उन्नयन के लिए प्रमुख मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, सेवाओं और आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण, सेवाओं तथा आदानों की लागत वसूली और आनुवंशिक सुधार के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम तथा प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम में प्रगति की नजदीकी से निगरानी की व्यवस्था है।

जम्मू-कश्मीर में संग्रहालयों का खोला जाना

4689. श्री महबूब जहेदी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में नये संग्रहालय खोलने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुंबई हाई के पुनर्विकास संबंधी योजनाएं

4690. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई हाई की पुनर्विकास योजनाओं में कतिपय अनियमितता सरकार की जानकारी में आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुंबई हाई के पुनर्विकास के लिए निवेश करने से पूर्व सी.वी.सी. से इस मामले की जांच करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मुंबई हाई के विकास के लिए और कौन से कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मुंबई हाई फील्ड उत्तर से तेल और गैस के उत्पादन और निकासियों में सुधार करने के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) ने अंतर्राष्ट्रीय परामर्शकों मैसर्स गैफने क्लाइन एंड एसोसिएट्स, जोकि यू के में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रिजर्वायर परामर्शदात्री फर्म है, और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के परामर्श से इसके पुनर्विकास हेतु अध्ययन आयोजित किये हैं। एक माड्यूलर दृष्टिकोण के रूप में परिकल्पित भावी पुनर्विकास योजना ओ एन जी सी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। इस संबंध में सरकार के ध्यान में कोई अनियमितता नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पुनर्विकास योजनाएं व्यापक योजनाएं हैं।

बरौनी-कानपुर पाइपलाइन में लगी आग

4691. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की बरौनी कानपुर पाइपलाइन में एक बड़ी दुर्घटना से लगी आग सिकरिया हाफ रेलवे स्टेशन के पास तीन किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आग के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इस आग के कारण इंडियन आयल कार्पोरेशन को कुल कितना घाटा हुआ;

(ङ) क्या सरकार द्वारा स्थापित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(च) यदि हां, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने 12.4.2001 को सूचित किया कि बिहार राज्य के आरा जिलान्तर्गत सिकारिया हाल्ट के निकट बरौनी-कानपुर उत्पाद पाइपलाइन में एक रिसाव हो गया था जो मोटर स्पिरिट के पाइपलाइन से बाहर निकलने में परिणामित हुआ तथा तदनंतर आग लग गई। इस आग ने न केवल तीन किलोमीटर क्षेत्र को ही अपनी चपेट में लिया, अपितु यह ऐसे जल तक सीमित थी जो सन्निकट समाप्त हुए नाले में इकट्ठा हो गया था। अग्नि शमन प्रचालन तत्काल आरंभ किए गए थे और आग बुझा दी गई थी।

(ग) से (ङ) उच्च स्तरीय जांच समिति, जिसमें तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) से सदस्य सम्मिलित थे, ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह पाइपगत विफलता पाइपलाइन में जोड़ पर वी खांचा की विद्यमानता अनुलंबीय झलाई की गई परत पर संक्षारण पैबन्दों, समीपवर्ती ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र तथा तत्संबंधित क्षणिक तरंग की संयुक्त कार्यवाही द्वारा घटित हुई हो सकती है। इससे इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड को हुई कुल हानि लगभग 85 लाख रुपए है।

(च) इस संबंध में की गई कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नवत थी:

1. इन्टेलीजेंट पिग सर्वे द्वारा परिलक्षित खराबी को शीर्ष प्राथमिकता पर सुधारा जाना।
2. बरौनी-कानपुर पाइपलाइन के बरौनी-पटना-पटना-मुगलसराय तथा मुगलसराय-इलाहाबाद खंड में अधिकतम प्रचालन दबाव दर को तत्काल प्रभाव से 20 प्रतिशत तक कम किया जाए। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुपालन किया गया है।

सुरक्षा उपाय

4692. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति:
श्री के. येरननायडू:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने फैसला किया है कि सुरक्षा में चूक के लिए जोनल महाप्रबंधकों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल प्रबंधन के लिए अधिक उत्तरदायित्व हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 17,000 करोड़ रु. कोर्ष के प्रबंधन के लिए जोनल महाप्रबंधक स्वयं उत्तरदायी होंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सुरक्षा कार्य के लिए 2,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपलब्धता से संसाधनों की कमी की शिकायत नहीं की जा सकती है;

(घ) क्या महाप्रबंधकों से इस बात पर भी विचार करने को कहा गया है कि रेलवे इस कोष में अपना योगदान किस प्रकार दे सकता है;

(ङ) यदि हां, तो रेलवे में सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा सिफारिशें करने के लिए गंभीर दुर्घटनाओं सहित प्रत्येक दुर्घटना की जांच या तो रेलवे अधिकारियों द्वारा अथवा रेलवे संरक्षा आयोग जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन में एक स्वतंत्र निकाय है, के द्वारा की जाती है। जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाये जाने वाले चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी हो, के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ख) समाप्त न होने वाले निधि को स्थापित करने के साथ साथ अन्य संबंधित मामलों पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त निधि का उपयोग चालू संरक्षा परियोजनाओं तथा परिसंपत्ति नवीकरणों के लिए किया जाएगा। चूंकि संरक्षा एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अत: जब तक परिसंपत्तियों के नवीकरण के लिए पूरी निधि आबंटित नहीं की जाएगी। वित्तीय तंगी बनी रहेगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) गाड़ी परिचालन में संरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। गाड़ी की संरक्षा, रेलपथ का मशीन द्वारा अनुरक्षण, ड्राइवर तथा गार्ड के बीच वाकी-टाकी संचार, प्रशिक्षण के आधुनिक तरीकों द्वारा गहन परीक्षण तथा कर्मचारियों और अन्य द्वारा की गई चूक की जांच करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बार-बार निरीक्षण जैसे तरीके अपनाकर सुनिश्चित की जाती है।

सिम्हाद्री ताप विद्युत स्टेशन को जापानी सहायता

4693. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने सिम्हद्री ताप विद्युत स्टेशन के दूसरे चरण के लिए 720 करोड़ रु. की आधिकारिक विकास सहायता के लिए भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो दूसरे चरण की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनको सहायता देना जापान सरकार ने रोक दिया था और अब सहायता देने के लिए तैयार है;

(ग) ऋण स्वीकृति की शर्तें क्या हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना (2×500 मेगावाट) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस परियोजना को जापान बैंक फोर इंटरनेशनल कारपोरेशन (जेबीआईसी) ने एनटीपीसी को ऋण प्रदान करके आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है। फरवरी, 1997 में, जेबीआईसी ने जापानी येन 19,817 मिलियन (लगभग 710 करोड़ रुपये के प्रथम किस्त ऋण को प्रदान किया।

तदुपरान्त अगस्त, 2000 में जापानी येन 12,194 मिलियन (लगभग 465 करोड़ रुपये) के ऋण की दूसरी किस्त जापान सरकार द्वारा सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में वचनबद्ध की गयी। इस दूसरी किस्त के ऋण हेतु ऋण करार पर एनटीपीसी और जेबीआईसी के मध्य 30 मार्च, 2001 को हस्ताक्षर किए गए और इसे 31 मई, 2001 को प्रभावी किया गया। दूसरी किस्त के ऋण की मुख्य शर्तें एवं निबंधन निम्नवत है:

(1) ब्याज दर 1.8% प्रति वर्ष होगी।

(2) संवितरण अवधि ऋण प्रभावी होने की अवधि से 7 वर्ष होगी।

(3) पुन: अदायगी की अवधि दस (10) वर्ष की अनुग्रह राशि के पश्चात् बीस (20) वर्ष होगी।

सिम्हाद्री टीपीपी पर कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। यूनिट-1 और यूनिट-2 को क्रमशः मार्च, 2002 और दिसम्बर, 2002 में चालू किए जाने की संभावना है।

इस समय, एनटीपीसी का सिम्हाद्री टीपीपी के चरण-2 को विकसित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परित्यक्त तेल क्षेत्रों में तेल स्तर को ऊपर उठाना

4694. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) ने अपने नियंत्रणाधीन 12 परित्यक्त तेल क्षेत्रों में कार्यों को पुन: चालू करने के लिए योजना तैयार की है और संविदा को अंतिम रूप दिया है:

(ख) यदि हां, तो ऐसे परित्यक्त तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तेल क्षेत्रों का पूर्व में परित्याग किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन परित्यक्त तेल क्षेत्रों में ओ एन जी सी द्वारा उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रत्येक 12 तेल क्षेत्रों के लिए इस प्रस्ताव पर कोई लागत लाभ समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जहां तक आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) का संबंध है ऐसे कोई परित्यक्त तेल क्षेत्र नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस सिलिंडरों का आकार

4695. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परिवहन लागत को कम करने के लिए मौजूदा रसोई गैस सिलिंडरों के आकार में वृद्दि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिलिंडर के मौजूदा आकार को बिना किसी सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कम से कम 25 प्रतिशत तक भंडारण क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता के लिए रसोई गैस सिलिंडर की लागत संबंधी बचत की इस संभावना का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो बड़े आकार के सिलिंडरों के कब तक बाजार में आने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रयोग पहले किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और अनुभव क्या रहे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां घरेलू प्रयोजनार्थ 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले सिलेंडरों के अंतर्गत एल पी जी का विपणन कर रही है। उपभोक्ता के द्वार पर एल पी जी सिलेंडर की सुपुर्दगी की समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में घरेलू प्रयोजन के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के आकार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चुनाव हेतु वार्डों का आवर्त्तन

4696. श्री नरेश पुगलिया: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संबंध में, प्रत्येक पांच वर्षों में निगम पार्षदों, जिला परिषदों, इत्यादि के चुनाव हेतु वार्डों का आवर्त्तन करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के आवर्त्तन के प्रावधानों की पुनरीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मक्का का इसके मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तन

4697. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बंगलौर में आयोजित मक्का मेला में मक्के का इसके मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तन के संबंध में सार्वजनिक रूप से उत्साह का प्रदर्शन हुआ है;

(ख) क्या मक्के का अब तक मात्र पशु चारा और स्टार्च उत्पादन में ही प्रयोग होता था;

(ग) क्या मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने मक्का उत्पादों के लिए किसी सूत्र/नुस्खे का विकास किया है जिसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा मूल्य संवर्धन प्रक्रिया के माध्यम से कर्नाटक में मक्का उत्पादों को तैयार करने और इनमें विपणन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) जी हां। 4 से 7 जुलाई, 2001 को बंगलौर में आयोजित मक्का मेले में बड़ी संख्या में लोग आये थे और उन्होंने मेले की विषय वस्तु में काफी रुचि दिखाई थी।

(ख) पशु चारे और स्टार्च उत्पादन के अलावा मक्का का इस्तेमाल खाद्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने मेज-फ्लैक्स और चिप्स, मक्का-नूडल्स, कम वसा वाली नाश्ता वस्तुएं, मक्का की रोटी के लिए विकसित आटे आदि जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं और उत्पाद तैयार किए हैं।

(घ) भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसमें मक्का आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद शामिल है, की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए बिजली की दरें

4698. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रियों की बैठक में बिजली की दरों, विशेष तौर पर राजस्थान के किसानों के लिए बिजली की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने बिजली की दरें संशोधित की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कॉमन मिनिमम नेशनल एक्शन प्लान (सीएमएनपीपी) अंगीकृत किया गया, जिसमें यह परिकल्पना की गयी कि अन्य बातों के साथ-साथ कोई क्षेत्र औसत आपूर्ति लागत (उत्पादन लागत+पारेषण व वितरण) के 50% से कम भुगतान नहीं करेगा और 3 वर्ष से कम समय की अवधि में औसत लागत का 50% लाने के लिए कृषि के लिए टैरिफ 50 पैसे यूनिट से कम नहीं होगी।

मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों की दिनांक 3.3.2001 को आयोजित बैठक में यह संकल्प किया गया कि 50 पैसे न्यूनतम कृषि टैरिफ संबंधी मुख्य मंत्रियों के पूर्व निर्णय को तत्काल कार्यान्वित किया जाए।

(ख) और (ग) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने सभी आपत्तियों पर विचार करने और सभी पार्टियों को सुनने के पश्चात् दिनांक 23.3.2001 के अपने टैरिफ आदेश में कृषि आपूर्ति को निम्नानुसार संशोधित किया:

(1) मीटरीकृत आपूर्ति के लिए 70 पैसे यूनिट से 90 पैसे प्रति यूनिट।

(2) समान दर आपूर्ति के लिए 60 रुपये प्रति एचपी प्रतिमास से 85 रुपये एचपी प्रति मास।

आर.ई.सी. के अंतर्गत वित्तीय सहायता

4699. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आर.ई.सी. के अंतर्गत प्रदान की गई अधिकतम और न्यूनतम वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आर.ई.सी. द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) आरईसी के ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार के ऋण संबंधित परियोजनाओं की आवश्यकता और ऋण प्राप्त करने वाले संगठन की विश्वसनीयता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। संबंधित वर्षों के दौरान किए गए अधिकतम और न्यूनतम संवितरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	अधिकतम संवितरण		न्यूनतम संवितरण (उन राज्यों को छोड़कर जहां वसूली में उनकी चूक होने के कारण कोई संवितरण नहीं किया गया।	
	राज्य	राशि	राज्य	राशि
1999-2000	महाराष्ट्र	40262	सिक्किम	15
2000-01	महाराष्ट्र	75153	उत्तर प्रदेश	2
2001-02 (जुलाई तक)	राजस्थान	13770	मध्य प्रदेश	1

(ग) पूर्व ऋणों को वापस करने में चूक जारी रहने के कारण मध्य प्रदेश को नये ऋण प्रदान करना व्यवहार्य नहीं रहा है। संबंधित वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को किए गए संवितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	संवितरण
1999-2000	9081
2000-01	151
2001-02 (जुलाई तक)	1

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

4700. **श्री राजो सिंह:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में वर्ष-वार और उत्पादन-वार कितनी प्रमात्रा में और कितने मूल्य के हथकरघा उत्पादों का आयात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात हेतु उत्पादन-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन हथकरघा उत्पादों ने वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्यात में सफलता की उच्च दर प्राप्त की है; और

(ङ) सरकार द्वारा हथकरघा उत्पादों के निर्यात को और बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वर्ष 1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 (दिसम्बर 2000 तक) के दौरान देशवार तथा उत्पाद-वार हथकरघा वस्तुओं के निर्यात की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। बाद की अवधि से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिए उत्पाद-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान सामान्य रूप में सूती हथकरघा फैब्रिक/तैयार माल के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:

वर्ष	लक्ष्य (यू.एस. मिलियन डालर में)
1998-99	600
1999-2000	600
2000-01	650
2001-02	550

(ग) निर्यात में कमी का कारण कुछ विदेशी बाजारों में विद्यमान मंदी के कारण, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, इजराइल आदि देशों के साथ कड़ी स्पर्धा तथा यू.एस. डालर के मुकाबले यूरो मुद्रा के मूल्य में कमी के कारण यूरोप निर्यात में गिरावट यूरोपीय संघ देशों के साथ आयात करना तथा भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए मुख्य वस्तुएं जैसे टेबल लैनीय पलैस मैटस, तथा अन्य तैयार वस्तुएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

(घ) चूंकि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में संबंधी तिमाही के लिए उत्पादवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सरकार द्वारा हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(क) महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदारों विक्रेताओं की बैठकों का आयोजन।

(ख) चुने हुए देशों में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(ग) करघों तथा विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं का तकनीकी उन्नयन।

(घ) निर्यातकों को ड्यूटी इन्टाइटलमेंट पास बुक स्कीम/ ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम हेतु सहायता प्रदान करना।

(ङ) उन्नयन प्रौद्योगिकी हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि।

(च) हथकरघा उतपादन केन्द्रों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से मिल गेट कीमत पर हैंक यार्न की आपूर्ति।

(छ) निर्यात योग्य उत्पादों का विकास तथा उनकी विपणन स्कीम के अंतर्गत उत्पादों की विविधता, डिजाइन विकास तथा प्रचार माध्यम से विदेशों में विपणन द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ज) हथकरघा उत्पादों के संबंध में खरीदारों हेतु अद्यतन सूचना को निरंतर अंतराल पर वेबसाइट को अद्यतन किया जाता है।

(झ) भारत में विभिन्न हथकरघा उत्पादन केन्द्रों के निरीक्षण हेतु विदेशों से खरीददारों को आमंत्रित करना।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक) के दौरान निर्यात किये गये हथकरघा उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य

वर्ष	फैब्रिक		तैयार कपड़े		कुल
	मात्रा करोड़ वर्ग मीटर में	मूल्य करोड़ रुपये में	मात्रा करोड़ कि.ग्रा. में	मूल्य करोड़ रुपये में	करोड़ रुपये में
1998-99	3.999	223.488	9.586	1784.42	2007.908
1999-00	4.007	206.799	9.269	1685.11	1891.909
2000-01 (अप्रैल-दिसम्बर 2000)	2.510	139.940	5,860	1180.44	1320.380

1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 (अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के दौरान मुख्य देशों का सूती हथकरघा फैब्रिक/तैयार कपड़ों का निर्यात)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	देशों	की अवधि के दौरान निर्यात		
		1998-99	1999-2000	2000-01 (अप्रैल-दिसम्बर)
1		2	3	4
1.	यू.एस.ए.	617.77	581.60	441.59

1		2	3	4
2.	यू.के.	233.14	246.91	144.63
3.	जापान	164.99	147.40	81.80
4.	जर्मनी	160.35	160.22	88.16
5.	फ्रांस	105.50	105.97	66.40
6.	स्वीडन	103.26	91.73	50.73
7.	आस्ट्रेलिया	77.95	66.96	39.47
8.	इटली	61.35	50.25	96.17
9.	बैलजियम	68.28	48.82	32.07
10.	स्पेन	30.12	49.77	30.16
11.	नीदरलैंड	51.86	27.90	11.63
12.	डेनमार्क	30.13	23.55	11.57
13.	सिंगापुर	16.30	20.85	15.20
14.	मलेशिया	9.53	18.04	13.59
15.	ताईवान	11.51	5.94	4.57
16.	दक्षिण अफ्रीका	16.76	18.04	13.27

[अनुवाद]

अनवरत समस्या

4701. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एक स्थायी समस्या बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान इस समस्या को हल करने हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) देश का कोई न कोई हिस्सा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तुरन्त राहत उपाय करने हेतु आपदा राहत कोष के अधीन राज्यों के लिए निधियां सुलभ होती हैं। हालांकि बाढ़ प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, फिर भी जल संसाधन मंत्रालय और राज्य सरकारें कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं, जिनमें बाढ़ के कारण हुई क्षति कम करने हेतु लंबी अवधि के कार्यक्रम हैं।

पुरी में प्रकाश स्तंभ का निर्माण

4702. श्री रघुनाथ झा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरी में प्रकाश स्तंभ के निर्माण के लिए ठेका शुरू होने/इसे अंतिम रूप दिये जाने से पहले ही जून, 1993 में प्रकाश स्तंभ हेतु उपकरण प्राप्त करने के लिए क्रयादेश दे दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या 14.10 लाख रुपये लागत के उपकरणों की खरीद अक्तूबर, 1995 में की गई थी और इनकी वारंटी अवधि जनवरी, 1997 में समाप्त हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या पुरी के प्रकाश स्तंभ को 1991 में असुरक्षित घोषित किया गया था और यह आठ वर्ष बाद भी असुरक्षित भवन से ही काम कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रकाश स्तंभ को सुरक्षित भवन में स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। पुरी, कोडीकराई और दमण के लिए दीप उपकरणों की खरीद के आपूर्ति आर्डर एक ही समय दिए गए थे क्योंकि उपकरण तीनों दीपघरों के लिए एक समान थे। यद्यपि, उपकरण की वारंटी अवधि जनवरी, 1997 में समाप्त हो गई है तथापि दो दीपघरों अर्थात् कोडीकराई और दमण में उसी प्रकार के उपकरण प्रचालन में हैं और कोडीकराई और दमण में स्थापित उपकरण संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। पुरी में स्थापित उपकरण का कार्य निष्पादन भी इसकी प्राप्ति के समय इसके कार्य निष्पादन की जांच के दौरान संतोषजनक पाया गया था। दीपघर और दीपपोत विभाग को भी इस प्रकार के उपकरणों का संचालन करने में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए सफलतापूर्वक प्रचालन में किसी कठिनाई की आशंका नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(घ) पुरी के दीपघर का स्तंभ पुरी के सर्किट हाउस की छत पर स्थापित 3 मीटर का एम एस मंच है जो उस समय सुरक्षित हालत में था। तथापि, उड़ीसा के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि. का पुरी प्रभाग) ने दीपघर और दीपपोत विभाग को यह सूचित किया कि उस भवन की छत जिस पर उपकरण स्थापित है, को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और इसे गिराने की आवश्यकता है तो विभाग के पास सर्किट हाउस की छत से लाइट को हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तथापि, उड़ीसा के लोक निर्माण विभाग ने दीपघर और दीपपोत विभाग को भवन को गिराने का वास्तविक अंतिम निर्णय लिये जाने तक प्रचालन करते रहने की अनुमति दे दी। इसी बीच उड़ीसा के लो.नि.वि. ने भवन को गिराए बिना मजबूती का कुछ निर्माण कार्य किया। इसलिए प्रकाश उपकरण को इसके मूल स्थान से नहीं हटाया गया।

(ङ) नए स्थान पर दीपघर स्तंभ का निर्माण पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है और इसके मार्च, 2002 तक चालू हो जाने की संभावना है।

कृषि में मशीनीकरण

4703. श्री समर चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन राज्यों में कृषि मशीनीकरण प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण तथा परीक्षण संबंधी गतिविधियां शुरू की गई हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में 'रोल-ओवर संरक्षी संरचना' तथा 'निस्सरण-परीक्षण सुविधाएं' (एमीशन टेस्ट फैसेलिटीज) देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है; और

(ग) देश में मशीनीकृत कृषि का वातावरण तैयार करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में बुदनी, हरियाणा में हिसार, आंध्र प्रदेश में गारलेडीन और असम में विश्वनाथ चरियाली में स्थित है। इन संस्थानों में किसानों, तकनीशियनों, ग्रामीण युवाओं इत्यादि के लाभ के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं और मशीनों का परीक्षण देश के किसी भी भाग में रहने वाले इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) रोल ओवर संरक्षी संरचनाओं और फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी में परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है क्योंकि देश में केवल यही संस्थान है जहां वर्तमान में ट्रैक्टरों का परीक्षण होता है।

(ग) देश में पिछले कुछ दशकों में कृषि यंत्रीकरण में काफी प्रगति हुई है। इस प्रगति की वर्ष 1971-72 में खेत में विद्युत की उपलब्धता जो कि लगभग 0.295 किलोवाट/हैक्टेयर थी चालू वर्ष में लगभग 1.231 किलोवाट/हैक्टेयर की बढ़ोत्तरी में देखा जा सकता है।

महाराष्ट्र से गन्ना की प्रीमियम दर में कमी करने हेतु अनुरोध

4704. श्री नरेश पुगलिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत गन्ना की प्रीमियम दर को 2.5% से 0.50% तक घटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गन्ने की उपज के पिछले आंकड़ों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम दर को 1% से घटाकर 0.5% करने का अनुरोध किया था।

भारतीय साधारण बीमा निगम जो कार्यान्वयन अभिकरण है, द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में कवर वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों (गन्ने सहित) के लिए बीमांकिक प्रीमियम दरों की गणना की जाती है। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बीमांकिक प्रीमियम दरों की गणना से संबंधित विधि के बारे में महाराष्ट्र सरकार को पहले ही अवगत करा दिया गया है। भारतीय साधारण बीमा निगम के अनुसार, बीमांकिक प्रीमियम दरों की गणना करते समय पैदावार के पिछले आंकड़ों में आए परिवर्तनों के अलावा अन्य कारकों जैसे मुद्रास्फीति का रुख, बीमित राशि आंकड़ों का अव्यवस्थित होना, नैतिक अवमूल्यन जोखिम (मोरल हैजार्ड्ज) प्रतिचयन आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, भारतीय साधारण बीमा निगम ने खरीफ 2000 मौसम के लिए गन्ने की प्रीमियम दर 1% निर्धारित की है।

नौवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन

4705. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और अब तक क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) क्या दसवीं योजना के दौरान एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए संयंत्र-वार कितने उत्पादन का अनुमान लगाया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नौवीं योजना के दौरान एनटीपीसी के संयंत्रों के वर्ष-वार उत्पादन लक्ष्य तथा समनुरूप उपलब्धियाँ निम्नवत हैं:

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन यूनिट)	वास्तविक (मि.यू.)
1997-98	99000	106290
1998-99	104000	109505
1999-2000	107000	118677
2000-01	114000	130154
2001-02 (अप्रैल-जुलाई)	39435 (यथानुपात)	43700
जोड़	463435	508326

(ख) से (घ) एनटीपीसी केन्द्रों की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता 19435 मेगावाट है (नौवीं योजना के अंत तक 19935 मेगावाट)। दसवीं योजना के दौरान, एनटीपीसी का 9900 मेगावाट की और विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। संयंत्र-वार ब्यौरा निम्नवत है:

परियोजना (राज्य)	क्षमता
सिम्हाद्री	500 मेगावाट
तालचेर-2 (उड़ीसा)	2000 मेगावाट
रामागुण्डम-3 (आ.प्र.)	500 मेगावाट
रिहंद-2 (उत्तर प्रदेश)	1000 मेगावाट
सिपत (छत्तीसगढ़)	1320 मेगावाट
कहलगांव-2 (बिहार)	660 मेगावाट
बाढ़ (बिहार)	660 मेगावाट
उत्तर करनपुरा (बिहार)	660 मेगावाट
अंता-2 (राजस्थान)	650 मेगावाट
औरैया (उत्तर प्रदेश)	650 मेगावाट
कवास-2 (गुजरात)	650 मेगावाट
गांधार-2 (गुजरात)	650 मेगावाट
जोड़ दसवीं योजना	9900 मेगावाट

*एनटीपीसी की गैस परियोजनाओं की इन विस्तार अवस्थाओं की क्षमता अभिवृद्धि पुन: गैसीकृत एनएलजी के उचित स्थिर मूल्य के निर्धारण, जो लाभभोगी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ग्राह्य होगा, के तहत् होगी।

एनटीपीसी की उपरोक्त क्षमता अभिवृद्धि योजना वर्तमान बिलों के 95% एकत्रण तथा प्रतिभूतिकरण के द्वारा क्रमिक रूप से पिछले बकाया राशियों की 100% वसूली के तहत् होगी।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता

4706. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में प्रत्येक विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के विद्यमान ताप विद्युत/जल-विद्युत स्टेशनों के संबंध में कोई अभिवृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है:

1. विद्यमान स्टेशन

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. द्वारा कहलगांव एनटीपीसी चरण-2 (2×660 मे.वा.)

2. नये प्रस्ताव

(1) कटिहार टीपीपी (2×250 मे.वा.)-राज्य क्षेत्र परियोजना

(2) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बाढ़ एसटीपीपी (3×660 मे.वा.)

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) द्वारा बरौनी और मुजफ्फरपुर ताप विद्युत स्टेशनों की पहचान 10वीं योजना के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) और जीवन विस्तार (एलई) कार्यों के लिए की गई थी ताकि उनकी उपलब्धता, पीएलएफ में सुधार किया जा सके तथा उनके प्रचालन जीवन काल का विस्तार किया जा सके। बीएसईबी को अवशेष जीवन मूल्यांकन अध्ययन कार्य कराने के पश्चात व्यापक आरएंडएम/एलई स्कीम तैयार करने की सलाह प्रदान की गई है। भारत सरकार कुछ शर्तों को पूरा करने के आधार पर आर एण्ड एम कार्यों के लिए अनुदान एवं ऋण के रूप में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान मुजफ्फरपुर टीपीएस के आर एण्ड एम कार्य हेतु एपीडीपी के अंतर्गत 10.28 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें अनुदान के रूप में 5.14 करोड़ रु. और ऋण के रूप में 5.14 करोड़ रु. शामिल है।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी, कुक्कुट और नारियल विकास को प्रोत्साहन देना

4707. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में राज्य-वार मात्स्यिकी, कुक्कुट और नारियल के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु नई योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं पर खर्च किए जाने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) सरकार देश में मात्स्यिकी, कुक्कुट तथा नारियल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। तथापि, मात्स्यिकी, कुक्कुट तथा नारियल के विकास के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई गई है।

[हिन्दी]

नवापुर और डोंडेला में रेलगाड़ियों का ठहराव

4708. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूरत-भुसावल रेल लाइन पर चलने वाली मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को नवापुर और डोंडेला रेलवे स्टेशनों पर ठहराव की व्यवस्था करने हेतु संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवापुर और डोंडेला रेलवे स्टेशन पर यात्री टिकट भाड़े से रेलवे द्वारा कितनी आय अर्जित की गई और क्या उक्त आय देश में किसी रेलवे स्टेशन पर, जहां मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ठहराव स्थल दिया गया है, अर्जित न्यूनतम आय से कम है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का रेलवे द्वारा नवापुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव न देने से इसको घाटा हो रहा या नहीं, इस संबंध में तथ्यों का पता लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) नवापुर में सूरत-वाराणसी ताप्ती-गंगा एक्सप्रेसों और चैन्नई-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रैसों और डोंडेचा स्टेशन पर हापा-हवड़ा एक्सप्रेस, ओखा-पुरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद, पुरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद-बेंगलूरू एक्सप्रेस, अहमदाबाद-चैन्नई नवजीवन एक्सप्रेस, सूरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेसों और सूरत-पटना एक्सप्रेसों के ठहराव मुहैया कराने के लिए श्री माणिकराव होडल्या गावित, संसद सदस्य सहित संसद सदस्यों, विधायकों से मांगें प्राप्त हुई हैं।

किसी गाड़ी के लिए नए ठहराव की आवश्यकता के बारे में विचार करते समय निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखा जाता है: (1) टिकटों की बिक्री (2) नहरों/शहरों की जनसंख्या (3) पहले से ही ठहरने वाली/वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता (4) मौजूदा सेवाओं की सुविधा (5) होने वाले नये विकास (6) मार्गवर्ती स्टेशनों पर पथ और प्लेटफार्म की उपलब्धता की परिचालनिक समस्याएं (7) यातायात का स्वरूप (8) गाड़ियों के गुजरने का समय (9) गाड़ी की किस्म, और (10) गाड़ी के ठहराव में सम्मिलित अतिरिक्त लागतें।

नवापुर में दैनिक औसत प्रारंभिक यात्री 421 और डोंडेचा में 905 हैं तथा नवापुर में दैनिक औसत आमदनी 13,500 रुपये और डोंडेचा की 22,673 रुपए है।

उपरोक्त की जांच करने के बाद डोडेंचा स्टेशन पर सूरत-वाराणसी ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस (सप्ताह में 5 दिन) और सूरत-पटना एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) के ठहरावों की व्यवस्था 1.11.2000 से कर दी गई है। 2001 के दौरान डोंडेचा में 615/616 चैन्नई एगम्बूर-जोधपुर ग्रीष्म स्पेशल गाड़ी के भी ठहराव की व्यवस्था की गई है।

नवापुर और डोडेंचा स्टेशन पर अन्य गाड़ियों के ठहराव फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं।

[अनुवाद]

विभागीय परीक्षा

4709. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे ने मार्च, 2001 में सहायक परिचालन/यातायात प्रबंधक विभागीय परीक्षा आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे चयन समिति द्वारा क्या अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) माननीय संसद सदस्य से 8.4.2001 को रेल मंत्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पूर्व रेलवे पर सहायक परिचालन प्रबंधक/सहायक यातायात प्रबंधक के पद के लिए विभागीय परीक्षा में कतिपय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। कथित अनियमितताओं के बारे में सतर्कता जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।

विवाह का पंजीकरण आवश्यक किया जाना

4710. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संगठनों से विवाह का पंजीकरण आवश्यक किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1997-98 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, बाल विवाह को रोकने, वधू की सहमति को आवश्यक किए जाने, बहुपत्नीत्व के प्रति प्रतिषेध को सुनिश्चित करने और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि पत्नी आशयित दूसरे विवाह की सूचना प्राप्त कर सके, विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की सिफारिश की है।

(ग) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 और विशेष विवाह

अधिनियम, 1954 के अधीन अनुष्ठापित या किए गए विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 में यह उपबंध है कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह यह उपबंध कर सकेगी कि हिन्दू विवाह रजिस्टर में हिन्दू विवाहों की विशिष्टियों को प्रविष्ट करना, उस राज्य में या इसके किसी भाग में अनिवार्य होगा, चाहे सभी मामलों में या ऐसे मामलों में जो भी विनिर्दिष्ट किया गया हो। कुछ राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले राज्य अधिनियम हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन से अन्यथा अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन अनुज्ञेय है, यदि ऐसे विवाह उस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन यथा अधिकथित कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं। अत: हिन्दू विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर विचार राज्य सरकारों द्वारा उन राज्यों में विद्यमान स्थानीय स्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। इसलिए उस विधि में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में भूकंप प्रभावित लोगों को विशेष केन्द्रीय सहायता

4711. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री रतन लाल कटारिया:
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करने के संबंध में गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया गया है, कितनी केन्द्रीय सहायता की घोषणा की गई है और अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) गुजरात सरकार ने 26.1.2001 की भूकंप की स्थिति में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति के अलावा राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 1467.37 करोड़ रुपये की सहायता निर्मुक्त की गई है। उपर्युक्त सहायता संबंधित केन्द्रीय स्कीमों के अधीन निधियों की निर्मुक्ति के अतिरिक्त है।

बकाया राशि का निपटारा

4712. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उनको बेची जा रही विद्युत के लिए ज्यादा प्रभार ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या तथ्य हैं; और

(ग) बकाया राशि के एकबारगी निपटान हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) मई, 1999 तक के एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों के टैरिफ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधान के अनुसार किया गया था। यह कार्य अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को सौंपा गया है। उन्होंने नवीन रूप से चालू, यूनिटों के लिए कुछ अनंतिम टैरिफ निर्धारित किए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ या अनंतिम रूप से आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ 31.3.2001 तक मान्य रहेंगे। आयोग ने 4.4.2001 की अधिसूचना द्वारा विद्यमान टैरिफों की वैधता को 30.1.2001 तक बढ़ा दिया है ताकि वे 1.4.2001 से लागू संशोधित टैरिफ को तय कर सकें।

एनटीपीसी प्रत्येक महीने अपना बिल उपरोक्त अधिसूचित टैरिफ के आधार पर तथा क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों द्वारा जारी क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के अनुसार तैयार करता है। अत: एनटीपीसी ने राज्यों पर उनके द्वारा खरीदी गई बिजली के लिए अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया है।

(ग) मार्च, 2001 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 11.5.2001 को रा.वि. बोर्डों द्वारा सीपीएसयू को देय बकाया राशियों के एक मुश्त भुगतान पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विशेषज्ञ दल ने पुरानी बकाया राशियों के भुगतान एवं भविष्य में पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य यूटिलिटियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है। इन लाभों में शामिल हैं:

(1) 50% तक अधिभार में आंशिक रूप से छूट।

(2) सीपीएसयू अपनी बॉन्ड राशि का 2% उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन के रूप में देंगे जो विनिर्दिष्ट तारीखों तक बिना भुगतान चूक किए साख-पत्र खोलकर उसे बनाए रखते हैं।

(3) राज्य सरकारों द्वारा कर-मुक्त बॉन्ड जारी किया जाना।

(4) बॉन्डों को 4% की दर से 4 वर्षों तक रा.वि. बोर्डों को नकद प्रोत्साहन ताकि वे निर्धारित निष्पादन लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

मुख्य मंत्रियों के उच्चस्तरीय दल द्वारा विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विचार किया गया एवं इन सिफारिशों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया है:

(क) विशेषज्ञ दल द्वारा अनुशंसित अधिभार छूट को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया।

(ख) बॉन्डों के 4% की दर से 4 वर्षों तक रा.वि. बोर्डों को उनके द्वारा निष्पादन लक्ष्य प्राप्ति के लिए नकद प्रोत्साहन को पहले वर्ष में बढ़ाकर 6% तथा दूसरे वर्ष में 5% किया गया।

उक्त स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा

4713. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री वाई.वी. राव:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2001 के 'दि स्टेट्समेन' में 'रेलवेज पुट्स कम्पेंसेशन आन फास्ट ट्रैक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मुआवजा दावे के निपटान में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) क्या रेल दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने की अवधि में कमी लाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार रेल दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी कितने मामले लंबित हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन मामलों के तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) गाड़ी दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति के दावों के निपटान के लिए औसत समय 352 दिन हैं।

(ग) जी हां।

(घ) रेल दावा अधिकरण से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए तदर्थ दावा आयुक्त दुर्घटना दावों के निपटान के लिए दो से तीन वर्ष लेते थे। इस अवधि को घटाकर अब 352 दिन कर दिया गया है।

(ङ) 31.7.2001 को गाड़ी दुर्घटना के 454 मामले निलंबित हैं।

(च) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक उपाय किये जाते हैं। इनमें शामिल हैं:

(1) दावों को दायर करने और रेल दावा अधिकरण से सम्मन प्राप्त हो जाने के बाद, रेलवे द्वारा 30 दिन के भीतर लिखित बयान दायर किये जाते हैं।

(2) मामलों के निपटान को कारगर बनाने की दृष्टि से, डबल बेंचें लगाने के लिए एक खंडपीठ से दूसरी खंडपीठ में सदस्य तैनात किये जाते हैं।

(3) डिगरी प्राप्त होने पर, एक पखवाड़ा के भीतर चेक भेज दिये जाते हैं।

विदेशी कंपनियों की वापसी

4714. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय विद्युत परियोजनाओं से अपना हाथ खींच लेने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ भुगतान संभारण तंत्र का मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के मै. एइएस कारपोरेशन, जिसने ऐस्क्रो जो पूर्वी उड़ीसा की एक विद्युत वितरण कंपनी है का 51% प्राप्त किया है, ने विद्युत मंत्रालय को एक पत्र के द्वारा वितरण कंपनी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ने के अपने आशय की सूचना दी है जिसका कारण उड़ीसा के ग्रिड कॉरपोरेशन के कार्य-निष्पादन से उनकी असंतुष्टि तथा इनके द्वारा संविदा संबंधी शर्तों का अनुपालन नहीं करना है। एनरॉन कॉरपोरेशन जो महाराष्ट्र में डाभोल विद्युत परियोजना (2184 मे.वा.) के प्रवर्तक है ने भी इंगित किया है कि वे डाभोल विद्युत कंपनी एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच अपने विदेशी इक्विटी को बेकटेल इंटरप्राइजेज एवं जेनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को बेचने को इच्छुक हैं।

(ग) और (घ) बड़े विद्युत परियोजनाओं के गठन एवं पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सहायता देने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

न्यायालयों में दो पाली

4715. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लंबित कानूनी मामलों के संकट से उबरने के लिए देश के न्यायालयों में दो पालियों की प्रणाली आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में पिछले 20, 15, 10 और 5 वर्षों से लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार ने विधिक प्रणाली में विलंब कम करने के लिए अन्य कई प्रस्तावों के साथ न्यायालयों की दोहरी पाली प्रणाली प्रारंभ करने के प्रस्ताव की समीक्षा की थी। राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के समर्थन के अभाव के कारण न्यायालयों में दोहरी पाली के प्रस्ताव पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) न्याय विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3-10 वर्ष से और 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला/अधीनस्थ न्यायालयों (राज्यवार) में समयवार लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	तीन से दस वर्ष पुराने	दस वर्ष से अधिक पुराने	निम्नलिखित तारीख को
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	137064	7177	6/2000
2.	अरूणाचल प्रदेश	18	0	6/1999
3.	असम	61	32	12/1999
4.	बिहार	315436	59449	6/2000
5.	गोवा	10805	2857	12/2000
6.	गुजरात	837006	97822	6/2000
7.	हरियाणा	102370	1880	12/1998
8.	हिमाचल प्रदेश	26895	351	6/2000

1	2	3	4	5
9.	जम्मू-कश्मीर	8770	3827	12/1998
10.	कर्नाटक	233019	28132	6/2000
11.	केरल	65215	2825	6/2000
12.	मध्य प्रदेश	325692	66219	6/2000
13.	महाराष्ट्र	776074	217257	6/2000
14.	मणिपुर	2098	431	12/1999
15.	मेघालय	4004	1658	12/1999
16.	मिजोरम	68	2	6/2000
17.	नागालैंड		-उपलब्ध नहीं-	
18.	उड़ीसा	131097	10187	6/2000
19.	पंजाब	47898	4142	12/1998
20.	राजस्थान	259721	49468	6/2000
21.	सिक्किम	41	0	12/1999
22.	तमिलनाडु	48426	5182	12/1999
23.	त्रिपुरा	2192	335	6/2000
24.	उत्तर प्रदेश	857741	158532	12/1999
25.	पश्चिम बंगाल	308573	95555	12/1998
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	127	3	6/1999
27.	चंडीगढ़	2908	79	12/1998
28.	दादरा और नागर हवेली	275	7	6/2000
29.	दमन और दीव	322	16	6/2000
30.	दिल्ली	111074	15571	12/2000
31.	लक्षद्वीप	25	4	6/2000
32.	पांडिचेरी	1042	345	6/2000

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों हेतु विदेशों से धनराशि

4716. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि परियोजनाओं हेतु विदेशों से धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी सहायता से कितनी कृषि परियोजनाएं शुरू की जायेंगी?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में प्रशीतन सुविधाओं का निर्माण

4717. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सब्जियों आदि जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए निजी क्षेत्र में प्रशीतन सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल कितनी क्षमता वाले प्रशीतन गृह का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) आयकर अधिनियम की धारा 80-1ख के अंतर्गत औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य (आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट) तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े अधिसूचित जिलों में स्थापित शीत भण्डार संयंत्रों सहित औद्योगिक उपक्रमों के लिए क्रमश: 1.4.1993 तथा 1.10.1994 को तथा उसके बाद एवं 31.3.2002 तक प्रचालन की शुरुआत के बारे में करों में छूट देने का द्विस्तरीय प्रावधान किया गया है। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों एवं वर्ग 'क' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के उपक्रमों के लिए मुनाफे की 100% तथा पहले 5 वर्षों के लाभ के पश्चात अगले 5 वर्षों के लिए 25% (कम्पनियों के लिए 30%) की छूट उपलब्ध है। वर्ग 'ख' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के उपक्रमों के लिए मुनाफे की 100% तथा पहले 3 वर्षों के लाभ के पश्चात् अगले 5 वर्षों के लिए 25% (कम्पनियों के लिए 30%) की छूट उपलब्ध है। इसके अलावा, कृषि उत्पादों की शीत श्रृंखला सुविधाओं के लिए धारा 80-1ख के अंतर्गत दिनांक 1.4.1999 को अथवा उसके बाद तथा 31.3.2003 तक प्रचालन की शुरुआत पर मुनाफे तथा लाभ के 10 वर्ष की अवधि के लिए 25% (कम्पनियों के लिए 30%) की छूट निर्धारित की गई है।

यदि कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण भण्डारण या परिवहन के लिए कुछ निर्दिष्ट वस्तुएं शीतागार, शीत कक्ष या प्रशीतित वाहन के संस्थान के लिए अभीष्ट की जाती हैं तो वे उत्पादन शुल्क से मुक्त होंगी।

इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अपनी स्कीमों के तहत निम्नानुसार प्रीकूलिंग इकाईयों, शीत भण्डारों, कन्टेनरों रीफर वैनों जैसी शीत भण्डारण और शीत श्रृंखला अवसंरचना के निर्माण के लिए "पश्चात पूंजी निवेश राज सहायता" के रूप में वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है:

(1) देश में शीतागारों के निर्माण हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परियोजना लागत की 25% की दर पर पूंजी निवेश जो 50.00 लाख रुपये से अधिक न हो तथा प्रति परियोजना 60.00 लाख टन तक सीमित परियोजना लागत की 33.30% की दर पर राज सहायता।

(2) कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास के लिए कुल परियोजना लागत की 20% से अनाधिक की दर पर पूंजी निवेश राजसहायता जो प्रति परियोजना 25.00 लाख रुपये से अधिक न हो। पूर्वोत्तर/जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा 30.00 लाख रुपये है।

आज की स्थिति के अनुसार कुल 16.00 लाख मी. टन क्षमता वाली 327 शीतागार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

विशेषज्ञ पैनल की स्थापना

4718. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उद्योगों की विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा हेतु समान अवसर देने का सुझाव देने के लिए वित्त मंत्री से एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए समान कार्यक्षेत्र प्राप्त करने के लिए नौवहन उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु नौवहन उद्योग और इसकी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदनों की वित्त मंत्रालय की परामर्श से समय-समय पर जांच की जाती है।

कृषि उत्पादों का उत्पादन और निर्यात

4719. श्री साहिब सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उत्पाद/उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन के आने के मद्देनजर कानून में मौजूद विधिक अवरोधकों की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 जुलाई, 2001 तक उत्पादित और निर्यात किए गए कृषि उत्पादों का वस्तु-वार ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन देशों को आयात किये गये हैं; और

(ग) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए इस संबंध में लगाए गए अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण प्रभावित भूमि

4720. श्री विष्णु पद राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण प्रभावित भूमि का कोई भू-सर्वेक्षण कराया है जिससे किसानों को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्य-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जायेंगे?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) देश में क्षारीय प्रभावित भूमि का मूल्यांकन करने के लिए कोई विधिवत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि यह अनुमान लगाया गया है कि देश में तटीय क्षारीय मृदा सहित 55.01 लाख हैक्टेयर भूमि क्षारीयता से प्रभावित है। तटीय क्षारीय मृदा सहित क्षारीयता की राज्य-वार सीमा विवरण के रूप में संलग्न है। अंडमान व निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने कैम्पबैल खाड़ी सहित अंडमान द्वीप समूह में भूमि सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षारीयता से प्रभावित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

1.	अत्यधिक क्षारीय प्रभावित (एस 3)	532.12 हैक्टेयर
2.	साधारण प्रभावित (एस 2)	477.96 हैक्टेयर
3.	कम प्रभावित (एस 3)	349.14 हैक्टेयर
	कुल	1359.22 हैक्टेयर

(ग) अंडमान लोक निर्माण विभाग को क्षारीय उपचार कार्यों का कार्यान्वयन सौंपा गया है। चालू वर्ष में अंडमान लोक निर्माण विभाग को क्षारीय प्रभावित भूमि का उपचार करने के लिए 80 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग चालू वर्ष में 15 लाख रुपए की लागत से तीन क्षारीय उपचार बंध कार्य भी कर रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में मसौदा प्रस्ताव में अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र में क्षारीय प्रभावित भूमि के उपचार के लिए 571 लाख रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर के लिए केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.सी.ए.आर.) ने अधिक पैदावार वाली चावल की किस्मों और अन्य पोधारोपण फसलों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, क्षारीय पर्यावरण के अंतर्गत मत्स्य पालन को तथा क्षारीय मृदाओं के सफलतापूर्वक उपयोग के लिए कई अन्य प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है।

विवरण

क्षारीयता के अंतर्गत आकलित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	तटीय क्षारीय रेतीली सहित क्षारीयता से प्रभावित भूमि
1	2
आंध्र प्रदेश	1.76
गुजरात	1.00
हरियाणा	0.76
कर्नाटक	3.28
केरल	1.17

1	2
मध्य प्रदेश	0.78
महाराष्ट्र	4.75
राजस्थान	10.00*
तमिलनाडु	1.00
उत्तर प्रदेश	1.95
अंडमान व निकोबार	0.01
कुल	40.35
	+14.65**
	55.01

*राजस्थान और कच्छ के रण की शुष्क क्षारीय भूमि सहित।
**तटीय क्षारीय मृदाओं सहित प्रकट रेतीले क्षेत्रों की सूचना नहीं दी गई है।

पादपों की किस्मों/खाद्यान्नों का अनुसंधान कार्यक्रम

4721. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में पादपों/खाद्यान्नों की हाइब्रिड उच्च तकनीक तथा किस्मों के संबंध में क्या-क्या अनुसंधान कार्यक्रम किये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा पौधों/खाद्यान्नों की उच्च उत्पादकता वाली और प्रतिरोधी किस्मों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या पौधों/खाद्यान्नों की उच्च उत्पादकता वाली ऐसी किस्मों का आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) खाद्यान्नों में भी विशेषकर चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों में संकर ओजस्विता का लाभ उठाने के लिए संकरों को विकसित करने संबंधी कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं/संस्थानों तथा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत सूरजमुखी, कुसुम, अरण्डी, तोरिया-सरसों, अरहर एवं टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, कद्दू आदि जैसी सब्जियों तथा आम, अमरूद, अंगूर, सेब, तरबूज आदि जैसे फलों में भी संकर प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह जैव-प्रौद्योगिकी उच्च-तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। आलू, बैंगन, फूलगोभी, कपास, चावल आदि जैसी फसलों में पराजीवी फसलों की किस्मों का विकास और परीक्षण प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) अधिक उपज प्राप्त करने तथा नाशीजीवों और रोगों के प्रति रोगरोधिता के लिए संकर किस्मों की क्षमता को महसूस करते हुए "चुनिंदा फसलों में संकरों पर अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देना" संबंधी एक विशेष परियोजना को 2988.407 लाख रु. के परिव्यय के साथ 1989 से 1996-97 के दौरान कार्यान्वित किया गया था। यह परियोजना अब उचित पुन:नवीकरण के साथ 1793.27 लाख रु. के बजट परिव्यय से "संकर फसलों का विकास" के नाम से जानी जाती है और इसे राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। इसी प्रकार सब्जियों में संकर अनुसंधान एवं विकास पर 344.01 लाख रु. के परिव्यय के साथ दिनांक 1.10.1995 से 31.3.1999 तक" सब्जी वाली फसलों में संकर अनुसंधान को बढ़ावा देने पर नेटवर्क परियोजना" के अंतर्गत बल दिया गया है। इस परियोजना को अब 363.95 लाख रु. के परिव्यय के साथ "सब्जी वाली संकर फसलों का विकास" के नाम से राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत लाया गया है। संकर प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम के किसानों के खेतों में उक्त फसलों के संकरों के परीक्षण करने के लिए अग्रपंक्ति के प्रदर्शन भी शामिल हैं। संकर चावल को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां भी मुहैया करायी जाती है।

(ग) सभी फसलों में अधिक उपज देने वाले ज्यादातर संकर और किस्में हमारे अपने वैज्ञानिकों द्वारा देश में ही विकसित की गई हैं। तथापि, चुनिंदा फसलों में कुछ संकरों/रोपण सामग्री/किस्मों का नई बीज नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा आयात किया जा रहा है।

(घ) नई बीज नीति के तहत बीजों और रोपण सामग्री का आयात किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात के लिए सिफारिश की गई ऐसी सामग्री का विस्तृत ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात करने के लिए संस्तुत बीज/रोपण सामग्री का विस्तृत ब्यौरा

(सं./टन में मात्रा)

क्र.सं.	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	अंकुरित तेल ताड़ की पौद	26.5 लाख (खेती)	12.27 लाख (खेती)	-
2.	सेब, स्ट्राबेरी, आलूबुखारा, नाशपाती, अंगूर आदि फलों एवं प्रकंदों तथा कलमें	15.96 लाख (खेती)	0.58 लाख (खेती)	3.21 लाख (खेती)
3.	मक्का का बीज	1.628 टन (परीक्षण)	0.718 टन (परीक्षण)	0.020 टन (परीक्षण)
4.	जुजुबा का बीज	2.00 टन (खेती)	-	-
5.	पपीते का बीज	0.032 (खेती)	-	-
6.	सोयाबीन का बीज	0.075 (परीक्षण)	0.25 (परीक्षण)	-
7.	तोरिया का बीज	3.00 टन (खेती)	-	-
8.	मटर का बीज	-	0.25 (परीक्षण)	0.03 (परीक्षण)
9.	पटसन का बीज	-	0.18 (खेती)	-
10.	बरसीम का बीज	-	0.054 (परीक्षण)	0.025 (परीक्षण)
11.	घास का बीज	-	7.375 (खेती)	0.16 (खेती)
12.	अन्य बीज	-	0.01 (परीक्षण)	0.60 (परीक्षण)

[हिन्दी]

बिना लाइसेंस वाले कुली

4722. डा. बलिराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से रेलवे स्टेशनों पर पार्सल चढ़ाने और उतारने के लिए ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसधारी कुलियों के बजाय बिना लाइसेंस वाले कुली लगाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने पार्सल चढ़ाने और उतारने के लिए ठेका प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त निर्णय सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सभी रेलवे स्टेशनों पर उक्त निर्णय को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) यह रेलों की नीति नहीं है कि ठेकेदारों को पार्सल के लदान/उतराई के लिए लाइसेंसधारी कुलियों को लगाए जाने की अनुमति दी जाए।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर में रज्जुमार्ग प्रणाली

4723. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर शहर में नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर और गालता तीर्थ यात्रा केन्द्र में जनमानस की सुविधा के लिए रज्जुमार्ग प्रणाली आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यों को आरम्भ करने का प्रस्तावित समय क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के लिए धन जारी किया है अथवा धन जारी करने का विचार है;

(घ) क्या किसी अन्य एजेंसी से धन प्राप्त होने की कोई सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) पर्यटन/तीर्थ केन्द्रों पर रज्जुमार्ग सेवा तथा पर्यटकों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके समुचित रख-रखाव के साथ-साथ अवसंरचना विकास की मुख्य जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रति-वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देता है। राजस्थान राज्य सरकार ने जयपुर के नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर और गालता तीर्थ स्थलों पर रज्जुमार्ग सेवा से जुड़े किसी भी परियोजना प्रस्ताव को केन्द्रीय वित्तीय सहायतार्थ प्राथमिकता दिए जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

मंगलौर में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

4724. **श्री कोलूर बसवनागौड़:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने नीलावर गांव में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांवों ने उनको सबसे अधिक उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण का विरोध किया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा उडुपी जिला, कर्नाटक के नीलावर गाँव में कोई ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार नहीं है। नीलावार गांव के नजदीक के एक स्थल की प्रथम दृष्टया उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु एनटीपीसी के अधिकारियों की एक टीम ने उक्त स्थल का दौरा किया। हालांकि स्थल को इसके उच्च वनस्पति स्तर, असमतल भूमि, इसके ग्रेनाइट परत होने, जल आहरण प्रणाली आदि की उच्च लागत के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

गोल्डन राइस का उत्पादन

4725. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आनुवंशिक रूप से रूपांतरित और विटामिन-ए से भरपूर 'गोल्डन राइस' का उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पौधों और खाद्यान्नों की ऐसी उन्नत किस्में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संयुक्त रूप से 'स्विस' विभाग के साथ प्रचुर मात्रा में विटामिन-ए युक्त ''गोल्डन राइस'' का उत्पादन करने हेतु अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने से संबंधित एक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान ''गोल्डन राइस'' आनुवंशिक रूप से तैयार किया गया है इसमें ''जैपोनिका राइस'' की आनुवंशिक पृष्ठभूमि है और इसे उष्णकटिबंधीय देश जैसे भारत में प्राथमिकता नहीं दी जाती। अत: यह जरूरी है कि स्थानीय लोगों के लिए एक विटामिन-ए युक्त चावल की किस्म विकसित की जाए जिसका कि भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

इस परियोजना के अंतर्गत अन्य एग्रोनोमिक विशेषताओं पर प्रभाव डाले बिना आनुवंशिक परिवर्तन तथा अनुक्रमण प्रजनन, द्वारा भारतीय चावल वंशक्रम में 'जीन इनकोडिंग बीटा कैरोटिनाइड' स्थापित करने का प्रस्ताव है। अनुसंधान द्वारा अंतिम रूप से

विकसित चावल वंशक्रमों को सामान्य खेती के लिए उपलब्ध कराने से पहले इसको विषाक्तता, एनर्जीनीसिटी तथा पोषण प्रभाव सहित अन्य एग्रोनोमिक मापदंडों के लिए जांच की जाएगी।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

4726. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1500 रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जिला न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 234 के उपबंधों के अधीन उक्त राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। केन्द्रीय सरकार कालिकत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के रिक्त पद भरने को अधिकतम पूर्विकता प्रदान करने के लिए कहती रही है। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री ने तारीख 4.4.2001 को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बाबत पत्र लिखे हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में विद्यमान रिक्तियों का भरा जाना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से संबद्ध विषय है।

अत: संघ सरकार द्वारा संचित रिक्तियों को भरे जाने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

झारखंड में पर्यटन केन्द्र

4727. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए चयनित पर्यटन केन्द्र कौन-कौन से हैं;

(ख) इस संबंध में विकास की गति क्या है और इनके विकास में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में नए पर्यटन केन्द्रों के विकास की क्या-क्या योजनाएं हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन स्थलों का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे परामर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान झारखंड की पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	जमशेदपुर में पर्यटक परिसर	49.28	14.78
2.	राजरप्पा में पर्यटक परिसर	49.28	14.78
3.	रिखिया में पर्यटक परिसर	49.28	14.78
4.	गोदरमन में मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	5.86
5.	इत्खोरी में मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	5.86
6.	तेनूघाट पर मार्गस्थ सुविधाएं	19.55	5.86

(ख) ये परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसी तरह दी जाने वाली निधियों की किश्तें उपयोगिता प्रमाण-पत्र, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि की प्राप्ति पर ही दी जाती हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 344.00 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 9 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

न्यायालय में शुल्क में वृद्धि

4728. **श्री रामजीवन सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालय शुल्क में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विरोध दर्ज कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) न्यायालयों को प्रस्तुत वादों और याचिकाओं को संस्थित करने और उन पर विचारण करने के लिए न्यायालय फीस का उदग्रहण, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन विनियमित किया जाता है। यह एक केन्द्रीय अधिनियमन है। तथापि, अधिनियम को, इसके राज्यों को लागू होने के संबंध में, संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है। तदनुसार, राज्य सरकारें, जब भी, उनके द्वारा आवश्यक समझा जाए, न्यायालय फीस अधिनियम को, इसके उनके राज्यक्षेत्रों को लागू होने के संबंध में, संशोधित कर सकती हैं।

केन्द्रीय सरकार का न्यायालय फीस में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) न्याय विभाग को इस संबंध में अभी तक कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए आय के ब्यौरे

4729. श्री रामदास आठवले: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए आय के ब्यौरे के बारे में 26 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5869 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना को कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी अभी एकत्रित की जानी है, और यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

फलों और सब्जियों का उत्पादन

4730. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन लगभग 60.20 करोड़ टन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फलों और सब्जियों के उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने का है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में फलों एवं सब्जियों का कुल उत्पादन 13.63 करोड़ मी. टन (4.55 करोड़ मी. टन फल एवं 9.08 करोड़ मी. टन सब्जियां) हुआ।

(ख) चूंकि फल एवं सब्जियां शीघ्र खराब होने वाली जिंस हैं, अत: वे मण्डी समर्थन मूल्य के अधीन कवर नहीं होती हैं। बहरहाल, ये मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अधीन कवर होती हैं। जिसमें मण्डी प्रचालन कार्य राज्य सरकार के औपचारिक अनुरोध पर किया जाता है, बशर्ते वे स्कीम लागू करने में आये घाटे, यदि कोई हो, के 50% के अंशदान की इच्छुक हों।

हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र में अनियमितताएं

4731. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भदोही का गलीचा उद्योग और बनारस का साड़ी उद्योग हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण बर्बादी के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन उद्योगों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जहां तक भदोही के कालीन उद्योग का संबंध है, किसी भी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है। तथापि,

बनारस के साड़ी उद्योग के संबंध में, भारत सरकार द्वारा हथकरघा (उत्पादन हेतु आरक्षण अनुच्छेद) अधिनियम, 1985 लागू किया गया है, जिसके तहत् हथकरघा बुनकरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए फिलहाल केवल 11 श्रेणियों की वस्त्र मदों को हथकरघों पर उत्पादन हेतु आरक्षित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान, बनारस में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पावरलूम पर ऐसी साड़ियां उत्पादित करने के 3 मामले पाये गये जो उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत् वर्जित है। अत: उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली पावरलूम इकाइयों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और ये मामले बनारस के संबंधित न्यायालयों में चल रहे हैं। इन 3 में से 2 मामलों पर न्यायालय का निर्णय हो गया है और एक मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) भदोही के कालीन उद्योग और बनारस के साड़ी उद्योग सहित देश में हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र की स्कीमों में प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, शिल्प विकास केन्द्र/सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, प्रदर्शनी एवं प्रचार, विपणन विकास, हस्तशिल्प पर वेबसाइट आरम्भ करना, वर्कशेड-सह-आवास स्कीम और कारीगर-समूहों के विकास हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एम.वी.आई.) आरम्भ करना, शामिल है। हथकरघा क्षेत्र की स्कीमों में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, वर्कशेड और वर्कशेड-सह-आवास, बीमा, स्वास्थ्य-पैकेज, थ्रिफ्ट फंड और मिल गेट प्राइस स्कीम, शामिल हैं।

गेहूं और चावल के अत्यधिक उत्पादन के कारण भण्डारण समस्या

4732. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं और चावल के अत्यधिक उत्पादन के कारण भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ग) क्या अत्यधिक उत्पादन से किसानों को लाभ की बजाय घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसका कारण फसल चक्र में बदलाव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो अत्यधिक उत्पादन के बावजूद भी किसानों को हुए घाटे के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भण्डारण की समस्या का कोई एक कारण-जैसे गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन नहीं है। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद प्रचालन किए जाते हैं, तथापि रबी 2000-01 मौसम के दौरान भण्डारण की समस्या का कारगर प्रबंध किया गया है।

(ख) आगामी खरीफ मौसम के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन का परामर्श दिया है। भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य वर्ष 2001-02 के दौरान 1.29 लाख मी. टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन करना है। इस अवधि में केन्द्रीय भण्डारगृह निगम द्वारा 2.00 लाख मी. टन भण्डारण क्षमता निर्मित की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारों, राज्य भण्डारगृह निगमों, केन्द्रीय भण्डारगृह निगम आदि के माध्यम से दीर्घावधिक आधार पर 64.00 लाख मी. टन अतिरिक्त क्षमता के सृजन हेतु आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(ग) से (च) किसानों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण व उनके खरीद प्रचालन, मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

न्यायाधीशों की संख्या

4733. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति दस लाख आबादी पर न्यायाधीशों का अनुपात/संख्या कितनी है;

(ख) देश में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में इस समय कुल कितने न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारी हैं;

(ग) आज तक कितने पद रिक्त हैं;

(घ) न्यायालय वर्ष में कितने दिन बंद रहते हैं;

(ङ) न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं; और

(च) न्यायालयों द्वारा लगभग 6 माह की छुट्टी मनाने के क्या कारण हैं; जबकि लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) इस समय, देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या लगभग 13 है।

(ख) और (ग) इस समय, उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों में 470 न्यायाधीश और निचले न्यायालयों में 10,769 न्यायिक अधिकारी है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज तक उच्चतम न्यायालय में कोई पद रिक्त नहीं है, 16.8.2001 को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 177 पद रिक्त थे और अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 1576 पद रिक्त थे।

(घ) से (च) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने 25.6.86 को किए गए एक निर्देश के संबंध में सूचित किया था कि उच्चतम न्यायालय में पहले से ही 220 कार्य दिवस हैं किंतु पूर्ण न्यायालय ने दो और कार्य दिवस जोड़ने का विनिश्चय किया है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अभिमत उच्च न्यायालयों को संसूचित कर दिए गए थे। अधिकांश न्यायमूर्तियों का यह अभिमत था कि 210 कार्य दिवस ठीक हैं और किसी परिवर्तन की मांग नहीं की गई थी क्योंकि न्यायाधीशों को अपने चैम्बरों में या अपने निवास पर अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। 1997 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में भी यह संकल्प किया गया था।

राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य दिवस/दीर्घावकाश, संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

न्याय विभाग ने हाल ही में सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे उच्च न्यायालयों में वार्षिक दीर्घावकाशों और कार्य दिवसों की पुन: समीक्षा करें।

सरकार ने बढ़ते हुए बकाया मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनेक उपाय किए है। इनमें न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना, न्यायालय कक्षों और न्यायाधीशों आदि के निवास स्थानों से सन्निर्माण द्वारा न्यायिक अवसंरचना को मजबूत बनाना, विधि आयोग, मलिमथ समिति आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण सम्मिलित है। सरकार ने, लंबे समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए 502.90 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है, जेलों में बंद विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों को पूर्विकता दी जा रही है।

तारीख 28.2.2001 को उच्चतम न्यायालय में 22047 मामले लंबित थे, तारीख 30.9.2000 को उच्च न्यायालयों में 35.16 लाख मामले लंबित थे और जून 2000, में अधीनस्थ न्यायालयों में 2.03 करोड़ मामले लंबित थे।

कृषि प्रसंस्करण उद्योग

4734. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कोई ठोस योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) सरकार ने कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया है। कृषि प्रसंस्करण में खाद्य और गैर खाद्य मदें दोनों शामिल हैं तथा यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है, इसलिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय या भौतिक लक्ष्य विशेष निर्धारित नहीं किये जा सकते।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और इस वास्ते नीति का प्रारूप तैयार किया है जिसमें मोटे तौर पर कच्चे माल की उपलब्धता, बैकवर्ड लिंकेज, फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं समेत प्रसंस्करण सुविधाएँ, पैकेजिंग, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। वैसे यह अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों आदि की वित्तीय सहायता देता है।

[हिन्दी]

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विद्युत बोर्डों द्वारा एनटीपीसी की बकाया राशि का भुगतान न करना

4735. डा. बलिराम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विद्युत बोर्ड एनटीपीसी की बकाया राशि का समय पर भुगतान करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एनटीपीसी दिल्ली और उत्तर प्रदेश को दी जा रही विद्युत में कटौती कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हाँ।

(ख) उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) के साथ हस्ताक्षरित वृहत् विद्युत आपूर्ति करार के अनुसार एनटीपीसी के पास अपने बिलों के भुगतान में चूक होने की स्थिति में यूपीपीसीएल तथा डीवीबी को विद्युत आपूर्ति विनियमित करने का अधिकार है

(ग) डीवीबी एनटीपीसी के बिलों का पूरा भुगतान नहीं कर रहा है। डीवीबी के भुगतानों का ब्यौरा निम्नवत है:-

माह	बिलिंग	वसूली	कमी
अप्रैल, 2001	107.57	102.80	4.77
मई, 2001	161.09	116.00	45.09
जून, 2001	171.53	116.00	55.53
जुलाई, 2001	157.59	148.28	9.31
जोड़	597.78	483.08	114.70

एनटीपीसी की डीवीबी की ओर बकाया राशियां 31.7.2001 के अनुसार 3141.04 करोड़ रुपये हो गयी है जिसमें 1580.50 करोड़ रुपये का अधिभार भी शामिल है। एनटीपीसी वर्तमान देय राशियों के पूर्ण भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु डीवीबी के साथ लगातार सम्पर्क बना रहा है। यदि भुगतान स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एनटीपीसी डीवीबी को विद्युत आपूर्ति का विनियमन भी कर सकता है।

यूपीपीसीएल लगातार अनुरोधों तथा यूपीपीसीएल और उत्तर प्रदेश सरकार में उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श के बावजूद एनटीपीसी को भुगतान करने में चूक करता रहा है। यूपीपीसीएल द्वारा किए गए भुगतान अपर्याप्त रहे हैं जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

(करोड़ रुपये)

माह	बिलिंग	वसूली	कमी
अप्रैल, 2001	266.56	130.35	136.21
मई, 2001	256.17	100.00	156.17
जून, 2001	253.67	131.01	122.66
जुलाई, 2001	280.94	150.64	130.30
जोड़	1057.34	512.00	545.34

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि अप्रैल से जुलाई, 2001 के दौरान यूपीपीसीएल ने एनटीपीसी द्वारा बिल में लगायी गयी राशि के केवल 48.4% का भुगतान किया है। इसके परिणामस्वरूप, यूपीपीसीएल की बकाया राशियां बढ़कर 3430.84 करोड़ रुपये हो गयी है जिसमें 31.7.2001 के अनुसार 844.16 करोड़ रुपये का अधिभार भी शामिल है।

एनटीपीसी ने यूपीपीसीएल से 15.8.2001 तक निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है:

(1) साख पत्रों को पुन:स्थापित करके 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 259 करोड़ रुपये करना।

(2) मासिक बिलों का पूर्णत: भुगतान करना।

(3) अप्रैल और जुलाई, 2001 के मध्य एकत्रित 545.34 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

(4) 1809.03 करोड़ रुपये के लिए जारी वचनपत्र के बदले में नियमित बॉण्ड जारी करना।

[अनुवाद]

ट्रेन टिकट परीक्षकों का स्थानान्तरण

4736. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में तैनात ट्रेन टिकट परीक्षक कई वर्षों से इसी रेल में सेवारत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो हावड़ा राजधानी में गत तीन वर्षों से लगातार सेवारत हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) हावड़ा राजधानी में तैनात चल टिकट परीक्षक, राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों और मुख्यालय स्क्वॉड के लिए बनाए गए संयुक्त रोस्टर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार ये कर्मचारी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में निरन्तर कार्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर भी समय-समय पर बदला जाता है।

छोटी ककड़ी का निर्यात

4737. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एपेडा की कर्नाटक इकाई निर्यात हेतु छोटी ककड़ी खरीद कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एपेडा का अन्य किन-किन कृषि उत्पादों के निर्यात की योजना है; और

(ग) क्या एपेडा आम के अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक से आमों की खरीद करेगा?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। अपेडा न तो निर्यात के लिए माल खरीदता है और न ही यह निर्यात करता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप

4738. श्री विष्णुदेव साय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ में आबंटित किये गये पेट्रोल/डीजल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एजेंसियों को किस श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया था और इन एजेंसियों को वास्तव में किस श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटित किया गया; और

(ग) छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय में और पेट्रोल/डीजल पंपों और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां उपर्युक्त अवधि के दौरान एजेंसियां, खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं खोले गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की संख्या	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1998-99	1	1
1999-2000	4	10
2000-2001	–	5

ये डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उन संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित की गई थीं जिनके लिए ये आरक्षित की गई थीं।

छत्तीसगढ़, राज्य में 29 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 84 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने के लिए लंबित थीं। ये डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें संबंधित डीलर चयन बोर्ड द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

यू. एल. एस. डी. प्रारंभ करना

4739. श्री अबुल हसनत खां: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों ने यू. एल. एस. डी. के पक्ष में तर्क दिया है क्योंकि इसमें उच्च पूंजी लागत नहीं लगती जैसा कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) में लगती है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) कई परिवहन संगठनों नामत: इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, दिल्ली कांट्रेक्ट बस एसोसिएशन, डी टी सी, डी टी सी प्राइवेट बस आपरेटर्स वेल्फेयर एसोसिएशन, इंडियन

एसोसिएशन आफ टूअर आपरेटर्स ने अधिकतम 0.05 प्रतिशत सल्फर मात्रा वाले डीजल के उपयोग के पक्ष में राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एन सी आर) के पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिषेध और नियंत्रण) प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया है।

वर्तमान में देश यूरो-1 समतुल्य वाहन प्रौद्योगिकी से यूरो-2 समतुल्य वाहन प्रौद्योगिकी की ओर अंतरण की प्रक्रिया में है जिसके लिए अधिकतम 0.05 प्रतिशत सल्फर मात्रा वाला डीजल अपेक्षित विनिर्देश है। इस विनिर्देश को पूरा करने वाले डीजल का देश में उत्पादन किया जा रहा है। निम्नतर सल्फर मात्रा वाले डीजल की आवश्यकता वाली इंजिन प्रौद्योगिकियों का देश में अभी विकास/परीक्षण किया जाना है। अत:, अत्यधिक कम सल्फर वाला डीजल फिलहाल अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

दरभंगा, समस्तीपुर और पटना रेलवे स्टेशन के लिए रेलगाड़ी प्रारम्भ करना

4740. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत किन रेलवे स्टेशनों पर पिछले वर्ष के दौरान उनकी मांग के अनुसार रेलगाड़ियां प्रदान की गई;

(ख) क्या रेल विभाग दरभंगा, समस्तीपुर और पटना रेलवे स्टेशनों पर उनकी मांग के अनुसार रेलगाड़ियां प्रदान करने में नाकाम रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियां प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल पटरियों के नीचे टेलीफोन तथा पानी की लाइनें

4741. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीफोन तथा पानी की लाइनें रेल पटरियों के नीचे बिछाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस व्यवस्था से कुछ लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली की उपयोगिता तथा सुरक्षा के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस प्रणाली को भविष्य में और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भी चलाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। बहरहाल, सरकार/सरकारी क्षेत्र के संगठनों/स्थानीय निकायों/व्यक्तियों से रेलपथ के ऊपर अथवा नीचे टेलीफोन लाइन/पानी की लाइन बिछाने संबंधी अनुरोधों पर मौजूदा नियमों के अंतर्गत विचार किया जाता है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे कर्मचारियों की कार्यदक्षता

4742. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मई, 2001 के राष्ट्रीय सहारा में 'कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगा सका नीतिश' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अतिरिक्त कर्मचारियों की श्रेणीवार अनुमानित संख्या क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) इस समाचार से एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों का पता चलता है जो कि सामान्य प्रकृति के हैं और किसी विशेष सुझाव का हवाला नहीं है। राकेश मोहन समिति के बारे में कुछ

टिप्पणियां वास्तविक रूप से सही नहीं है। रेलों पर संरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। वित्तीय तंगी और अन्य कठिनाइयों के बावजूद सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किये जाते हैं। रेल संरक्षा आयुक्त जो प्रमुख दुर्घटनाओं की जांच करते हैं, की सिफारिश के आधार पर आवश्यक निवारक उपाय किये जाते हैं। रेल कर्मचारियों की कार्य कुशलता में सुधार करने और प्रौद्योगिकीय उन्नति में तेजी से हो रहे परिवर्तन के परिदृश्य में उनके कार्य निष्पादन की क्षमता में सुधार लाने के विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनसे रेलें कम संख्या में कर्मचारियों से अधिक माल और यात्री यातायात ढोने में उत्तरोत्तर सफल रही हैं। वर्तमान में गैंगमैन की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।

(ग) 31.5.2001 के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की कोटिवार अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

ग्रुप ''ग''	ग्रुप ''घ''	कुल
3990	4280	8270

भारतीय रेल की नीति यह है कि अतिरिक्त कर्मचारियों की पुन: तैनाती के मामले को सर्वोच्च वरीयता दी जाए और भर्ती के सभी तरीकों में उनके समाहन को तरजीह दी जाएगी।

[अनुवाद]

खुदरा बिक्री केन्द्रों के आंशिक रिसाइटमेंट की नीति

4743. डा. रमेश चंद तोमर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 के दौरान बिक्री केन्द्रों के आंशिक रिसाइटमेंट तथा रिसाइटमेंट की नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति लागू करने से आंशिक रिसाइटमेंट/रिसाइटमेंट के पूर्व के ऐसे सभी मामले स्वत: ही रद्द हो गये हैं जो उद्योग की बैठक में मंजूर किये गये थे और जिला न्यायालयों/उच्च न्यायालयों में लंबित थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे मामलों को मंजूरी देने के लिए पुन: आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे जुबली पेट्रोल पंपों, जो कि विचाराधीन है, को लगाने के लिए मंजूरी प्रदान करने पर विचार करने का क्या औचित्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों को नियंत्रणमुक्त परिदृश्य के अंतर्गत निजी क्षेत्र से उभरने वाली प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करने के विचार से सरकार ने 3.9.1998 को कुछ शर्तों पर संबंधित तेल विपणन कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थान परिवर्तन के लिए प्राधिकार प्रत्यायोजित करने वाले दिशानिर्देश जारी किए थे। चूंकि यह महसूस किया गया था कि ऐसे स्थान परिवर्तन के मामलों के विषय में निर्णय करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को शक्ति प्रदान करने के पश्चात भी कुछ एक ऐसे पात्र मामले हो सकते हैं जो इन दिशा-निर्देशों के ठीक भीतर नहीं आते हों। ऐसे मामले निर्णयार्थ सरकार को भेजने के लिए 28.7.1999 को तेल विपणन कंपनियों को निर्देश जारी किए गए थे।

कुछ एक शर्तों पर सरकार के अनुमोदन से खुदरा बिक्री केन्द्रों के आंशिक स्थान परिवर्तन की अनुमति देने के लिए 10.5.2000 को सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र (जे आर ओ) स्थापित करने संबंधी योजना को समाप्त करने का अपना निर्णय 24.11.2000 को संसूचित किया था। निम्नांकित मामलों में जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को अनुमति देने हेतु तेल उद्योग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:

(1) ऐसे स्थान जहां 1.12.2000 को जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र पहले ही निर्माणाधीन थे।

(2) जहां भूमि 1.12.2000 की स्थिति के अनुसार प्राप्त की गई है।

(3) जहां भूमि प्रापण के विषय में समझौता वार्ताएं पूरी कर ली गई है। तथा ऐसी समझौता कुल शर्तों पर 1.12.2000 की स्थिति के अनुसार भूस्वामी की अभिपुष्टि प्राप्त कर ली गई थी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप

4744. श्री बाल कृष्ण चौहान: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल, एल पी जी और केरोसीन की डीलरशिप का आवंटन कितने लोगों को किया गया और आरक्षण के अनुसार कोटावार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किन-किन लोगों को डीलरशिप के लिए चुना गया; और

(ख) आवेदकों के चयन हेतु डीलर चयन बोर्ड के गठन की प्रक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में उन श्रेणियों की व्यक्तियों को 81 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, 67 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, और 7 एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपों का आबंटन किया गया था जिनके लिए ये डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरक्षित की गई थीं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए नौ डीलर चयन बोर्डों (डी एस बीज) का गठन किया गया है। डी एस बी का गठन निम्नानुसार किया जाता है:

(1)	उच्च न्यायालय का कोई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश/अवकाशप्राप्त जिला न्यायाधीश/अवकाश प्राप्त अपर जिला न्यायाधीश	- अध्यक्ष
(2)	संबंधित तेल कंपनी का कोई अधिकारी जो उपलब्धता के आधार पर, उप महाप्रबंधक अथवा मुख्य प्रबंधक के रैंक से नीचे का न हो।	- सदस्य
(3)	किसी अन्य तेल कंपनी का कोई अधिकारी जो उपलब्धता के आधार पर उप महाप्रबंधक अथवा मुख्य प्रबंधक के रैंक से नीचे का न हो।	- सदस्य

''एनरान'' परियोजना का बंद होना

4745. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एनरान'' कंपनी द्वारा अपनी परियोजना को बंद कर दिए जाने से भारत को करोड़ों रु. का नुकसान होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को कंपनी को कर्जे की अदायगी करने के अलावा, एक वर्ष के बिल के बराबर धनराशि तथा जुर्माने के रूप में करोड़ों रुपये भी चुकाने होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 2184 मे.वा. डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) और मै. डाभोल विद्युत कंपनी (डीपीसी) के मध्य एक विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार (जीओआई) की देयता 740 मे.वा. वाली परियोजना के चरण-1 को जारी प्रति-गारंटी तक सीमित है। भारत सरकार की गारंटी कुछ ऊर्जा तथा क्षमता भुगतानों के साथ-साथ कुछ समापन भुगतानों को भी कवर करती है तथा एमएसईबी द्वारा डीपीसी को बकाया भुगतान करने में असमर्थ होने तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी प्रमुख गारंटी दाता के रूप में डीपीसी को इस तरह के भुगतान न कर पाने की स्थिति में इसका आह्वान किया जा सकता है। क्षमता तथा ऊर्जा भुगतान वार्षिक आधार पर है तथा इन्हें वर्ष 1995-96 हेतु 1500 करोड़ रु. पर सीमित किया गया था जो प्रति-गारंटी में विनिर्दिष्ट तरीके से वार्षिक रूप में बढ़ती जाएगी। समापन भुगतान एक मुश्त भुगतान है जो पीपीए के रद्द होने की स्थिति में की जाती है तथा इसे बकाया विदेशी ऋण से संबंधित ऋण-विमोचन दायित्वों जो 300 अमरीकी मिलियन डालर से अधिक नहीं होंगे पर सीमित किया गया है। वित्त मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से उन भुगतानों की वसूली हेतु समर्थ बताता है जिसका भारत सरकार ने भारत सरकार प्रति-गारंटी के अंतर्गत भुगतान किया होगा।

[अनुवाद]

दुर्घटनाओं के आंकड़े

4746. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खन्ना समिति द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों के संबंध में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, यह बात प्रकाश में आई है कि असूचित घटनाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही न करने तथा जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती तब तक रेल

लाइनों पर असुरक्षित प्रणाली को ही अपनाते रहने के साथ-साथ प्रबंधन को क्षेत्र से गलत प्रतिसूचना मिलती है जिससे वह किसी सीमा तक सुधारात्मक कार्यवाही करने में असफल रहता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवलोकन पर सरकार का क्या रुख है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) दक्षिण मध्य रेलवे के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार रेलवे बोर्ड को सभी परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के बारे में सूचित कर रहा है। वास्तव में, विभिन्न किस्म की दुर्घटनाएं उनकी गंभीरता के आधार पर अलग-अलग स्तरों पर सूचित की जाती हैं। यार्ड में गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं को केवल मंडल स्तर तक सूचित किया जाता है। छोटी दुर्घटनाएं, जिनकी प्रतिक्रिया गंभीर नहीं होती है, को क्षेत्रीय रेलवे के स्तर तक सूचित किया जाता है। केवल ''परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं'' जिनमें टक्कर, गाड़ी के पटरी से उतरना, समपार पर दुर्घटनाएं और आग लगने से संबंधित गंभीर प्रतिक्रिया वाली दुर्घटनाओं को रेलवे बोर्ड को सूचित किया जाता है। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं उनकी गंभीरता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर सूचित की जाती हैं। फिर भी, यार्ड में गाड़ी के पटरी से उतरने आदि के मामलों में भी दुर्घटना संबंधी जांचें उपयुक्त स्तर पर की जाती हैं और जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक दुर्घटना पर संपूर्ण अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

संरक्षा एक निरंतर और चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई की जाती है।

परिशोधन शालाओं से पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी

4747. डा. राजेश्वरम्मा चुक्कला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के मध्य भागों के विभिन्न उपभोग-जोनों की खपत के लिए गुजरात स्थित परिशोधन शालाओं से पेट्रोलियम पदार्थों की निकासी हेतु अनुयोजित पाइपलाइनों के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं का वित्त पोषण किस प्रकार किया जाएगा और इन पाइप लाइनों को चालू करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड का अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी-पेट्रोनेट सी आई लिमिटेड के माध्यम से मध्य भारत में विभिन्न खपत अंचलों की मांग को पूरा करने के लिए सिक्का और वाडीनार में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और एस्सार आयल लिमिटेड रिफाइनरियों और इंडियन आयल कार्पोरेशन की कोयाली स्थित गुजरात रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों के निष्कर्षण के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है।

(ख) मध्य भारत पाइपलाइन परियोजना में ''बनाओ, स्वामी बनाए, प्रचालन करो और अन्तरित करो'' (बी ओ ओ टी) आधार पर वित्तीय व्यवस्था परिकल्पित है। परियोजना के चरण-1 की पूर्णता के लिए प्रस्तावित लक्ष्य तारीख दिसंबर, 2003 है।

[हिन्दी]

पशुधन के संवर्धन हेतु जनन नीति

4748. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पशुधन के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय मवेशी जनन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित नीति में पशुओं की विभिन्न नस्लों को विकसित करने का कार्य भी सम्मिलित है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। नौवीं योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक राज्य गोपशु प्रजनन नीति को अपनाए। राष्ट्रीय पशुधन नीति के ढांचे के भीतर राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन नीति भी बनाई जा रही है जो गोपशु संख्या में वृद्धि दर, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनकी आवश्यकता तथा उपयोग से संबंधित मामलों पर ध्यान देगी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोपशु आयोग भी गठित किया गया है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित नीति स्वदेशी नस्लों के संरक्षण तथा सुधार से संबंधित मसलों, जैसा कि वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा परिभाषित है तथा विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देगी।

गोदावरी-महानदी बेसिन में तेल/गैस भंडार

4749. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदावरी-महानदी बेसिन में खनिज तेल/प्राकृतिक गैस के भंडार पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह भंडार कितनी मात्रा में मिला है और इससे तेल/गैस के निष्कर्षण पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन तथा महानदी बेसिन भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित दो पृथक बेसिन हैं। अब तक तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडारों का आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) तथा निजी/संयुक्त उद्यम (जे वी) कंपनियों के द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन के अपतटीय एवं जमीनी दोनों क्षेत्रों में पता लगाया गया है। महानदी बेसिन के अंतर्गत अब तक तेल एवं गैस की कोई वाणिज्यिक खोजें नहीं की गई हैं।

(ख) आज की तारीख में, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने लगभग 78 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) "तेल जमा गैस के समतुल्य तेल" (ओ+ओईजी) का पता लगाया है जिसकी लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन मात्रा का अंशदान राव्वा क्षेत्र संयुक्त उद्यम परिसंघ के अंतर्गत उनकी 40 प्रतिशत अंशधारिता से है। राव्वा क्षेत्र एवं राव्वा सेटेलाइट गैस खोज के अंतर्गत संयुक्त उद्यम परिसंघ की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा "अन्नपूर्णा" के अंतर्गत हाल ही में की गई खोजों एवं अन्वेषण ब्लाक के जी-डी डब्ल्यू एन-98/2 के अंतर्गत संभावना "पी" समेत निजी पक्षकारों के कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंतर्गत तेल जमा गैस के समतुल्य तेल का कुल अंतिम भंडार 48-62 मिलियन मीट्रिक टन के दायरे में है। तेल एवं गैस के निष्कर्षण के लिए उचित विकास योजना विकसित करने के पूर्व इस अन्वेषण ब्लाक के अंतर्गत हाल ही की इन दोनों खोजों को अंतिम रूप देने के लिए इनके विषय में आगे और मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसलिए कृष्णा-गोदावरी बेसिन से हाइड्रोकार्बनों के निष्कर्षण के लिए उपगत होने वाली संभावित व्यय की मात्रा बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह ऐसी कई अंतरभिन्नताओं पर निर्भर करता है जो हाइड्रोकार्बन के निष्कर्षण के कार्यव्यापार में सामान्य है।

[अनुवाद]

बोधगया स्थल का विकास

4750. श्री रामजी मांझी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से, स्थानीय संसद-सदस्य की ओर से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थल के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां। गया को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति, गया द्वारा तैयार की गई एक परियोजना रिपोर्ट गया के संसद सदस्य (लोक सभा) से प्राप्त हुई थी।

(ख) पर्यटक/तीर्थ स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है, इसलिए संसद सदस्य का पत्र, परियोजना रिपोर्ट के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु बिहार सरकार को भेज दिया गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोधगया की पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	1998-99	महाबोधि मंदिर का प्रदीप्तिकरण	24.00	12.00
2.	1998-99	बौद्ध महोत्सव	13.56	13.56
3.	2000-2001	बौद्ध महोत्सव	7.50	3.75

जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्राप्त ऋण के साथ बोधगया सहित बिहार में बौद्ध परिपथों के साथ-साथ अवसंरचना के विकास हेतु वर्ष 1998 में 113.00 करोड़ रुपए की लागत से एक मुख्य परियोजना पूरी हो गई थी।

एफ.ए. एण्ड सी.ए.ओ. निर्माण कार्यालय में भ्रष्टाचार

4751. श्री आनन्द मोहन बिश्वास: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के एफ.ए. एण्ड सी.ए.ओ. निर्माण के व्यय अनुभाग में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के बिलों को स्वीकृत करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या इस भ्रष्टाचार के दोषियों को दंडित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओ. एन. जी. सी. के मुख्यालय को देहरादून से स्थानांतरित करना

4752. श्री जे.एस. बराड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल की खोज का कार्य मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, असम, गोदावरी बेसिन, अंडमान और निकोबार में केन्द्रित हैं;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मुख्यालय को खोज स्थलों से दूर रखने के क्या लाभ है जबकि इससे अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय को टाला जा सकता है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मुख्यालय को किसी मध्य स्थल पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा अन्वेषण मुख्यतया गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों तथा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के आसपास के अपतटीय क्षेत्रों में चलाया जा रहा है।

(ख) 1956 से ओ एन जी सी का मुख्यालय देहरादून में रहा है जिसके पास प्रशासनिक कार्यों को चलाने और ओ एन जी सी के प्रचालनों के समन्वय के लिए सभी अपेक्षित प्रमुख सहायताएं उपलब्ध हैं। ओ एन जी सी के तीन प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान नामत: केशव देव मालवीय इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन (के डी एम आई पी ई), इंस्टीट्यूट आफ ड्रिलिंग टेक्नालाजी (आई डी टी) और ज्योडाटा प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रैटेशन सेंटर (जी ई ओ पी आई सी) देहरादून में स्थित हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आई एम डी) भी देहरादून में स्थित है। बेहतर निर्णय लेने और नैगम शासन से संबंधित क्रियाकलापों की सुविधा के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त, देहरादून, नई दिल्ली के सामीप्य में हैं जहां ओ एन जी सी का पंजीकृत कार्यालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य संबंधित संगठन अवस्थित हैं।

जहां तक कार्यालय दौरे करने वाले ओ एन जी सी के अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का संबंध है चूंकि ओ एन जी सी के प्रचालन देश भर में फैले हुए हैं और चूंकि दौरे विभिन्न कार्य केन्द्रों पर किये जा रहे क्रियाकलापों के समन्वय के संबंध में आयोजित किये जाते हैं, इसलिए यदि ओ एन जी सी का मुख्यालय देहरादून के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी स्थित होता तो भी इस व्यय से नहीं बचा जा सकता।

(ग) ओ एन जी सी का मुख्यालय देहरादून से बदल कर अन्यतर ले जाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय परिसर में घेराव

4753. श्री आनन्द मोहन बिश्वास: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेल विभाग के इन अनुदेशों को उचित ठहराया है कि कार्यालय परिसर के भीतर रेल अधिकारियों का घेराव नहीं किया जा सकता;

(ख) क्या ये अनुदेश 1956 में तैयार किए गए हैं और इन्हें कई बार दोहराया गया है;

(ग) क्या श्रमिक संघ रेल विभाग में एफ ए एण्ड सी ए ओ (निर्माण) के कार्यालय परिसर में प्रदर्शन और घेराव करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और रेलवे बोर्ड के अनुदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 4.2.1969 के निर्णय में 1966 की दीवानी अपील संख्या 1206 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया था कि कार्यालय परिसर के भीतर किसी को बैठक आयोजित करने का मूलभूत अधिकार नहीं है।

(ख) उत्तर रेलवे ने 1956 में रेल परिसरों के भीतर प्रदर्शन/घेराव आयोजित करने के संबंध में कुछ अनुदेश जारी किए थे। 27.4.1964 को रेल मंत्रालय द्वारा कार्यालय परिसरों के भीतर प्रदर्शन अथवा नारेबाजी करना अथवा इस प्रकार की शांति भंग करने संबंधी आचरण को वर्जित करने हेतु अनुदेश जारी किए थे और इन आदेशों को समय-समय पर दोहराया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की घटना पिछली बार 10.5.2001 को उत्तर रेलवे पर हुई थी जब कुछ श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने एक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (निर्माण) कमरे के भीतर तथा बाहर धरना दिया था। इस घटना में शामिल संघ के अधिकारी/कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी और समझाया गया था।

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम

4754. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाला भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में आवर्ती निधि परियोजना के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या (1987-1995) की अवधि की क्यू.आर.टी. रिपोर्ट में ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने के विरुद्ध सलाह दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कोई नई विशेषज्ञता हासिल की है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना अन्वेषक, उनकी योग्यता, अनुभव आदि सहित उक्त परियोजना से संबंधित वैज्ञानिकों का ब्यौरा क्या है और 30 जून, 2001 के अनुसार उनके अनुसंधान पत्रों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। बल्कि पंचवर्षीय समीक्षा दल ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहन किया है।

(ग) जी, हां। तथापि आवर्ती निधि योजना के अंतर्गत यथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्मिकों को भुगतान-आधार (हायरिंग) पर रखने का प्रावधान है।

(घ) संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में आवर्ती निधि योजना से संबद्ध वैज्ञानिकों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम/आर.एफ.एस. परियोजना में स्तर	अर्हता	अनुभव	शोध-पत्र
1.	डा. एस.डी. शर्मा	प्रधान अन्वेषक	पी.एच.डी. (कृषि सांख्यिकी)	28 वर्ष	21
2.	डा. वी.के. महाजन	प्रभारी वैज्ञानिक	पी.एच.डी. (कृषि सांख्यिकी)	29 वर्ष	17

महाराष्ट्र में पन्वेल-करजात रेल परियोजना का पूरा किया जाना

4755. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में पन्वेल-करजात के बीच नई रेल लाइन हेतु वन्य भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना की मूल लागत कितनी है और परियोजना को पूरा होने में विलंब के फलस्वरूप परियोजना लागत में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पन्वेल-करजात लाइन के लिए वन्य भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। रेलवे ने राज्य सरकार के पास अपेक्षित धन जमा करा दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण व वन मंत्रालय से भी स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

(ख) तत्प संबंधी, पुल और सुरंगों का कार्य प्रगति पर है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत, वर्ष 1997-98 के मूल्य स्तर पर 106.89 करोड़ रुपये आंकी गई है। संशोधित लागत का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। संशाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति की जा रही है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4025/2001]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत कलकत्ता मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2000, जो 28 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4026/2001]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4027/2001]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नोटरी (संशोधन) नियम, 2001 जो 12 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 172 (अ) में प्राकशित हुए थे।

(दो) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 330 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 26 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 21 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 630 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4028/2001]

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, वेतन तथा भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000, जो 28 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 677(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4029/2001]

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4030/2001]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 112(अ) जो 8 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें सदस्यों के नाम दर्शाये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4031/2001]

(2) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 729(अ) जो 31 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री में कतिपय वस्तुओं की आज्ञापक पैकिंग को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश की वैधता 6 अगस्त, 2001 तक बढ़ाई गई है।

(दो) का.आ. 749(अ) जो 6 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री में कतिपय वस्तुओं की आज्ञापक पैकिंग को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश की वैधता 31 अगस्त, 2001 तक बढ़ाई गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4032/2001]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4033/2001]

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): महोदय, मैं श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 505(अ) जो 8 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों पर प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4034/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) वेस्ट बंगाल एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4035/2001]

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4036/2001]

(ग) (एक) जे एंड के हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जे एंड के हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर, का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4037/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर

रखता हूँ:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 543(अ) जो 18 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 547(अ) जो 23 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास ऋण) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 548(अ) जो 23 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (वेतन और भत्ते) विनियमन, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 573(अ) जो 2 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 574(अ) जो 2 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4038/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 मार्च, 2001 को हुई अपनी बैठक में न्यायिक प्रशासन विधि (निरसन) विधेयक, 2000 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई:

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"इक्यावनवें" के स्थान पर 'बावनवें"

प्रतिस्थापित किया जाए।"

खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

"2000" के लिए "2001" प्रतिस्थापित किया जाए।

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(iv) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 2001 को यथापारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 को सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 22 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत अपने सातवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:

(1)	श्री लक्ष्मण गिलुवा	16 दिसम्बर, 2000 से 17 दिसंबर, 2000, 19 फरवरी 2001 से 23 मार्च, 2001 और 16 अप्रैल, 2001
(2)	श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल	19 फरवरी, 2001 से 23 मार्च, 2001, 16 अप्रैल, 2001 से 27 अप्रैल, 2001 और 23 जुलाई, 2001 से 5 अगस्त, 2001
(3)	श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	19 फरवरी, 2001 से 23 मार्च, 2001
(4)	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	9 मार्च, 2001 से 23 मार्च, 2001 और 16 अप्रैल, 2001 से 19 अप्रैल, 2001
(5)	कुमारी ममता बनर्जी	17 मार्च, 2001 से 23 मार्च, 2001 और 16 अप्रैल, 2001 से 27 अप्रैल, 2001
(6)	श्री अकबर अली खांदोकर	16 मार्च, 2001 से 23 मार्च, 2001 और 16 अप्रैल, 2001 से 27 अप्रैल, 2001
(7)	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	16 मार्च, 2001 से 23 मार्च, 2001 और 16 अप्रैल, 2001 से 27 अप्रैल, 2001
(8)	श्री सुनील दत्त	23 जुलाई, 2001 से 31 अगस्त, 2001
(9)	श्री निखिल कुमार चौधरी	27 जुलाई, 2001 से 31 अगस्त, 2001
(10)	श्री समर चौधरी	23 जुलाई, 2001 से 31 अगस्त, 2001

क्या सभा समिति द्वारा यथासंस्तुत अनुपस्थिति की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

अपराह्न 12.04 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2000-2001) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:

(1) "सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे के विशेष संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका" विषय पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)

में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) 'हज समिति विधेयक, 2000' संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बासमती चावल की किस्मों तथा खाद्यान्नों का पेटेंट अमरीकी कम्पनी राइसटेक इंक. को दिया जाना

[हिन्दी]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 अगस्त, 2001 को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर माननीय सदस्यों और अन्य व्यक्तियों में यह आभास कराया गया है कि एक अमेरिकी फर्म ने बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त कर लिया है और इस कार्रवाई से भारत के बासमती चावल के व्यापार/निर्यातों के संबंध में बुरा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी आभास कराया गया है कि भारत उक्त पेटेंट में संशोधन किए जाने हेतु संयुक्त राज्य पेटेंट तथा ट्रेड मार्क कार्यालय (यू.एस.पी.टी.ओ.) के सम्मुख अपना मामला ''हार'' गया है।

प्रारंभिक रूप से मैं सदन को निश्चित रूप से सूचित करना चाहूंगा कि ये रिपोर्टें गलत हैं और ये गलत धारणा पर आधारित हैं। वास्तव में उक्त पेटेंट के संबंध में यू.एस.पी.टी.ओ. का निर्णय भारत के लिए एक विजय का संकेत देता है। माननीय सदस्यों ने दिनांक 22 अगस्त, 2001 की बाद में छपी प्रेस रिपोर्टों को भी पढ़ा होगा, जिन्होंने पूर्व के भ्रांतिपूर्ण प्रभाव को ठीक कर दिया है। इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है:

* बासमती राइस लाइन्स और खाद्यान्नों पर एक पेटेंट 2 सितम्बर, 1997 को यू.एस.पी.टी.ओ. द्वारा मै. राइस टैक इंक., यू.एस.ए. को प्रदान किया गया था। इसके लिए एक आवेदन 8 जुलाई, 1994 को दायर किया गया था। पेटेंट पर 20 क्लेम थे।

* यू.एस.पी.टी.ओ. के हाल ही में निर्णय के बाद, 15 क्लेमों को पहले ही रद्द कर दिया गया है और शेष 5 क्लेम भारत में उत्पादित बासमती की किस्मों को प्रभावित नहीं करते हैं और ये भारत के व्यापार/निर्यातों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। वास्तव में पेटेंट का शीर्षक जो ''बासमती राइसलाइन्स और ग्रेन्स'' था, भी बदलकर अब ''राइसलाइन्स बास 867 आर.टी. 1117 तथा आर.टी. 1121'' कर दिया गया है। अतः अमेरिकी कंपनी इन तीन राइसलाइनों पर पेटेंट तक ही सीमित है, जो कि इसने विकसित किए हैं।

* उक्त पेटेंट की मंजूरी से आमतौर पर भारत के निर्यातों को और खासतौर पर यू.एस.ए. को किये जाने वाले निर्यातों को प्रभावित नहीं किया है। वास्तव में, बासमती चावल का कुल निर्यात पिछले वर्ष के 1780.34 करोड़ रुपये की तुलना में 2000-01 में 2141.94 करोड़ रुपये का निर्यात 2000-2001 में बढ़ाकर 129.34 करोड़ रुपये की राशि का हो गया है। वर्ष 1998-99 की तुलना में अमेरीका को बासमती चावल के निर्यात में छः गुना वृद्धि हुई है।

* वर्ष 1997 में जब यह पेटेंट प्रदान किया गया था तब भारत सरकार ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा माना था, चूंकि भारत व्यापक मात्रा में बासमती का निर्यात करता है और पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि यू.एस.पी.टी.ओ. के समक्ष इस पेटेंट को चुनौती देने के लिए कदम उठाये जायें।

* व्यापक अंतर्मंत्रालयी परामर्शों और तकनीकी तथा कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसरण में यू.एस.पी.टी.ओ. में एक याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया ताकि उन क्लेमों को चुनौती दी जा सके जिनके परिणामस्वरूप हमें यू.एस.ए. को बासमती का निर्यात करना मुश्किल हो सकता था। यह चुनौती दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को दायर की गयी थी।

* सितम्बर, 2000 में, मैसर्स राइसटेक ने भारत के लिए आपत्तिजनक तीन क्लेमों और क्लेमों का भी अभ्यर्पण किया। यू.एस.पी.टी.ओ. के निरीक्षक ने शेष सभी क्लेमों की पुनः जांच करने के लिए राइसटेक को एक नोटिस भी जारी किया। इसके अनुसरण में यू.एस.पी.टी.ओ. के 14 अगस्त, 2001 के हाल ही के निर्णय द्वारा 11 और क्लेमों को हटा दिया गया है।

* शेष दावे 8, 9, 11, 12 और 13 राइसटैक द्वारा विकसित की गयी चावल की तीन विशिष्ट किस्मों (राइस लाइन्स) से संबंधित हैं और उन्हें भारत द्वारा विशिष्ट रूप से कभी भी चुनौती नहीं दी गयी, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं था।

* दिसम्बर, 1995 में एक बासमती विकास निधि की स्थापना की गयी थी और नवंबर, 1996 से एक निगरानी एजेंसी को नियुक्त किया गया था ताकि बासमती चावल अथवा इसके परिवर्तित रूपों के लिए नये व्यापार चिन्हों (ट्रेड मार्क) के प्रयोग पर विश्व भर में नजर रखी जा सके। इस निगरानी एजेंसी ने ऐसे पंजीकरण करवाने के अनेक प्रयासों की पहचान की है, जिनमें से 15 को यू.के., आस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, चिली, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में सफलतापूर्वक चुनौती दी गयी है और निर्णय हमारे पक्ष में हुआ है। पंजीकरण के प्रयासों के शेष मामलों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) द्वारा अन्य देशों में प्रभावी रूप में कार्यवाही की जा रही है।

निष्कर्षत: यह उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे के संबंध में प्रस्तुत की गयी खबरें और व्यक्त की गयी शंकाएं निराधार और गलत थीं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4039/2001]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वैसे वक्तव्य के बाद में ऐसा करने की परम्परा नहीं है। यदि आप चाहते हैं, तो इस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। किन्तु, कृपया, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें तो आप सूचना दे सकते हैं। आप इस पर आधे-घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के वक्तव्य पर व्यवस्था दी गई थी कि आप इसे लेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): यह आज ही लिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं? क्या चेयर को डायरेक्शन देना आपका काम है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रनाथ सिंह, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको नियमों के बारे में मालूम नहीं है तो पूछ लें।

अपराह्न 12.11 बजे

द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधि निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) अधिनियम, 1961 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) अधिनियम, 1961 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 12.12 बजे

तहलका डॉटकॉम मामले के बारे में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के एक प्रमुख पत्र में जिस तरह तहलका कांड के बारे में एक विवरण छपा, वह न केवल अशोभनीय है बल्कि सारे सदन और राष्ट्र के लिए मर्यादाविहीन है। उस पर सब की चिन्ता होना स्वाभाविक है। जब तहलका कांड चला था तो उस समय भी यही

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 23.8.2001 में प्रकाशित।

[श्री चन्द्रशेखर]

हथकंडे अपनाए गए, टेप किया गया। अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए सारी दुनिया को यह बताया गया कि देश की सेना में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस पर सरकार ने कमीशन बनाया, सेना के लोगों ने अपना कोड बनाया। हमें अखबारों के जरिए से मालूम हुआ कि उन्होंने काफी आगे बढ़ कर कार्यवाही की है। जिस समय उनकी कार्यवाही समाप्त होने जा रही थी और यह हो रहा था कि कुछ लोगों को सजा दी जाने वाली है तो उस समय अचानक कल एक दूसरा टेप कहीं से आया। शायद उन्हीं लोगों ने कमीशन के सामने दिया, जिन लोगों ने इसे शुरू किया था। उसमें तरह-तरह की बातें लिखी हैं या जो कही गई हैं, वे इतनी अशोभनीय हैं कि सदन में उनकी चर्चा करना मैं उपयुक्त नहीं मानता।

अध्यक्ष महोदय, इन्फोरमेशन इनडिपेंडेंट होनी चाहिए। राइट ऑफ इन्फोरमेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या इसके अंदर यह भी आता है कि जघन्य कृत्यों को अपना कर सूचना प्राप्त की जाए और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त की गई तो इसे प्रधान मंत्री जी, सुरक्षा मंत्री जी या उच्चाधिकारियों को न देकर दुनिया के सामने सारे देश की मर्यादा को नीचे गिराना, सारी सेना की नैतिकता को नीचे गिराना कहां का राष्ट्रीय कर्तव्य है। मुझे दुख इस बात का है कि कल उसके छपने के बाद उन महोदय ने एक वक्तव्य दिया, जिसे आकाशवाणी ने भी बड़े जोरों से प्रसारित किया है। उन्होंने कहा कि हम इस काम को करते रहेंगे। मैंने देशहित में किया है। जब मामला गंभीर हो तो ऐसे गंभीर कदम उठाने पड़ते हैं, जिस तरह का कदम आज उन्होंने उठाया है। मैं नहीं जानता कि कानून में कोई व्यवस्था है या नहीं। मुझे जो थोड़ी-बहुत कानून की जानकारी है, जो काम इन्होंने किया है वह किसी दृष्टि से, नियम, कानून, मर्यादा, नैतिकता के अंदर नहीं आता। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या कर रही है। हर चीज पर सरकार का मौन रहना, असमर्थता जाहिर करना, यह सरकार की नित्य प्रति की बात हो गई है। मैं इस सवाल को नहीं उठाता, लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक घटना से देश की और सेना की मर्यादा, हमारी सारी कार्यविधि की मर्यादा नीचे गिरी है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई नियम, कानून नहीं है, यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं वह विधि मंत्री जी को कहें कि क्या ऐसे लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? क्या इन लोगों को ऐसे समझाया नहीं जा सकता कि अगर देश की इतनी चिन्ता है तो इस चिन्ता को दूर करने के लिए सरकार है।

सरकार जो करती है उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मालूम ऐसा होता है कि सरकार को लकवा मार गया है। इनके बारे में कोई कुछ कहता है तो ये मौन रह जाते हैं, यह मौन किस कमजोरी का द्योतक है, मैं नहीं समझ पाया। अध्यक्ष महोदय, यह देश की सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा बलों का सवाल है और एक जगह नहीं अनेक जगह ऐसी कार्रवाई हो रही है। कल जो हुआ उस पर हमारे कुछ सदस्य उत्तेजित थे और उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक था। इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रोकी गयीं तो न केवल इस सदन में उत्तेजना फैलेगी बल्कि मुझे डर है कि कहीं सुरक्षा बलों के अंदर भी उत्तेजना न फैले जिससे हमारा सारा संसदीय जीवन त्रस्त हो जाए।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं कि 'तहलका' द्वारा जो तरीके अपनाए गए, वे निंदनीय हैं। हम, जो अनैतिक तरीके अपनाए गए, और जिनसे ऐसा हुआ कि 'तहलका' समाचार-रिपोर्टिंग करते-करते प्राय: समाचार सृजित करने की स्थिति में पहुँच गया, उनका पूरी तरह से निरनुमोदन करते हैं। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक भौंडा तो वह नाटक है, जिसे एन.डी.ए. के कुछ सदस्य अपनी गलती छुपाने के लिए इस अवसर को इस्तेमाल करने के प्रयास में पेश कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): यह किसलिए नाटक कर रहे हैं *...(व्यवधान)* ''तहलका'' पर इन्होंने 15 दिन संसद बंद रखी, अब यह किसलिए नाटक कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* यह इनका रोज का नाटक है।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। मंडल जी, जब आपको चांस मिले, तब आप बोलियेगा।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): इनका रोज का नाटक हो गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह उचित नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रह्मानंद मंडल, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री माधवराव सिंधिया का नाम पुकारा है। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: वह प्रतिपक्ष के उप-नेता हैं। कृपया बात को समझें, उन्होंने अध्यक्षपीठ से अनुमति ली है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अभी आपने सुबह मीटिंग बुलाई और अभी से उसी तरह की बातें हो रही हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया साथ-साथ मत बोलें।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं यह दोहराना चाहूँगा कि हम जो अनैतिक तरीके अपनाए गए उनका पूरी तरह से निरनुमोदन करते हैं। किन्तु, मैं फिर से यह भी दोहराना चाहूँगा कि इससे भी अधिक भौंडा तो वह नाटक है, जो एन.डी.ए. के कुछ सदस्य इस अवसर को अपनी गलती छुपाने के लिए, वीडियो टेप पर जो सारे रहस्य खुले—उन्हें छुपाने के लिए इस्तेमाल करने के प्रयास में पेश कर रहे हैं *...(व्यवधान)* महोदय, माननीय सभासद चाहते क्या हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: इन्होंने तहलका पर 15 दिन संसद चलने नहीं दी *...(व्यवधान)* आपने क्या किया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल: जब इन्होंने 15 दिन संसद नहीं चलने दी, तब आपने क्या किया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये। आप यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वह आपसे कह रहे हैं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो चुका। आप कर क्या रहे हैं? कृपया अपने स्थान पर जाइये।

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, ये आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? इन्हें कतिपय बातों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से भी विचार करना चाहिए। जहां एक ओर हमने इन तरीकों का अनुमोदन नहीं किया है। वहीं क्या हम उन सब सच्चाइयों को छुपा सकते हैं—जो हमने अपनी आँखों से देखी हैं। ये चाहते क्या हैं। क्या ये हमसे यह चाहते हैं कि हम पर्दे पर भ्रष्टाचार के उस स्तब्धकारी प्रदर्शन को भूल जायें, जिसमें सत्तासीन एन.डी.ए. के नेतृत्वकारी दल का एक उच्चतम कार्यकर्त्ता लिप्त है? क्या ये हमसे वह सब भूल जाने को कह रहे हैं? क्या ये हमसे उन सभी दृश्यों को भूल जाने को कहना चाह रहे हैं। जिनमें अन्य कार्यकर्त्ताओं तथा मंत्रि-आवासगृहों पर उनकी गतिविधियों का खुलासा टेलीविजन पर कर दिया गया है? क्या ये यह चाहते हैं कि हम इसे भूल जायें? हम कैसे भूल जायें। *...(व्यवधान)* क्या ये यह चाहते हैं कि हम इसे भूल जायें? ये हमसे क्या चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह कैसी शारीरिक भाषा बोल रहे हैं?

श्री माधवराव सिंधिया: क्या वे यह चाहते हैं कि हमने टेलीविजन पर फिल्म के माध्यम से सरकार का जो विकृत रूप देखा है, उसे भूल जायें? क्या हमें लालच के जाल में फँसे उन मुख्य कर्ताधर्ताओं की लार टपकती टिप्पणियों एवं संवादों को भुलाने के लिए कह रहे हैं? क्या वे हमसे उस अक्षम्य अवमानना को भुलाने को कह रहे हैं, जो उन मुख्य कर्त्ताधर्ताओं ने कारगिल में हमारे लिए जान गंवाने वाले शूरवीरों के प्रति दिखाई है? क्या वे हमसे उसे भूल जाने को कह रहे हैं। ये चाहते क्या हैं? क्या यह चाहते हैं कि सब कुछ छुपाकर बैठ जाएं? *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं समझता हूँ कि हम एक बैठक कर चुके हैं *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: एक न्यायिक आयोग पहले ही इस मामले की जाँच कर रहा है। उस मामले का उल्लेख यहां नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा था।

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यही इस मामले की खूबी है। ...*(व्यवधान)* अनैतिक तरीके अपनाये जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* उन्हें यह सब बातें नहीं कहनी चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया: हम कारगिल को नहीं भूल सकते। मुझे दु:ख है। वे बहादुर जवान थे, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हमें फिल्मों के माध्यम से टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले उन दृश्यों को नहीं भूलना चाहिए जिसमें लोगों ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे जवानों की जिन्दगी से खिलवाड़ किया। मुझे दुख है, हम इसे नहीं भूल सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि ये तरीके यद्यपि निन्दनीय और घृणास्पद है तथापि निष्कर्ष के गुणदोष से ये अलग नहीं हैं और न हो सकते हैं। फिल्म में दिखाई देने वाले क्षेत्रों के कार्यकलापों की गंभीरता कम नहीं हो सकती। और कांग्रेस इसमें शामिल बड़े लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल हमने एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग की थी। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप अब भी एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर तहलका टीम के सदस्यों ने देश के कानून का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्र चाहता है कि उच्च पदों पर बैठे दोषियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई हो। राष्ट्र उन्हें दंडित करना चाहता है। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने हमें बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। उन्होंने हमारे जवानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है। अत:, यदि आप देश के कानून का उल्लंघन करने के लिए तहलका की टीम के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो दीजिए। लेकिन आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा हमें लगेगा कि सरकार पूरे मामले की लीपापोती में लगी हुई है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल: कानून का अगर किसी ने उल्लंघन किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, ये गलत बात करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल मुनी चौबे, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारा है। आप कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारा है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, तहलका डॉट कॉम के टेप से संबंधित सवाल बहुत पहले उठाए गए थे। उस समय यह जानकारी मिली थी कि यह टेप सौ घंटे का है जिसमें से चार घंटे का टेप टेलीविजन के माध्यम से देश और दुनिया को दिखाया गया। मैं सिर्फ दो-तीन सवाल उठाना चाहता हूं। जब सदन और सदन के बाहर चर्चा चली तो उसके क्या परिणाम निकले, इस बारे में सब लोग जानते हैं। जहां इसे लेकर देश के रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वहां एक कमीशन इसके गुण और दोषों की जांच और छानबीन करने के लिए बनाया गया। कमीशन के पास वह टेप जो सौ घंटे का है, बहुत पहले दाखिल कर दिया गया। वह टेप कमीशन के सभी वकीलों को भी दिखाया गया। जहां तक मुझे जानकारी है, इस टेप में कुछ ऐसी बातें भी आई हैं जो काफी आपत्तिजनक हैं। वे आपत्तिजनक ही नहीं हैं बल्कि टेप में सच्चाई वाले पोर्शन को ओमिट कर दिया गया।

जहां तक उस टेप को देखने का सवाल है, हमें जानकारी है कि उसमें श्री जैन का बयान था जिसमें यह कहा गया था कि

*कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

वह श्री जॉर्ज फर्नान्डीज से बात नहीं कर सकता था, रक्षा सौदे की बात नहीं करेगा। काफी ईमानदार आदमी हैं, उस परसन को उसमें से निकाल दिया गया ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, कल से अखबारों में आ रहा है और जिस तरह घटिया किस्म से सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रलोभन देने की बात कही गई है, ''तहलका'' के लोग यह कह रहे हैं कि हमने खोजी पत्रकारिता की है, इसकी सच्चाई को जानने के लिए टेप को देखने से पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक तरफ आवाज है, दूसरी तरफ आवाज ही नहीं है। इस तरह के घटिया किस्म के काम से हमारी नज़र में चार मामले आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, उनमें एक यह है कि केन्द्रीय सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई है। दूसरा, कारगिल के युद्ध में सेना के जो जवान शहीद हुये हैं और सीना तानकर देश की सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन पदाधिकारियों को नीचा दिखाने और उनका मनोबल गिराने का प्रयास किया गया है जिसे देशद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। तीसरा, जिस तरह से विश्वास में लेकर और जिस तरह से घटिया किस्म का काम किया गया है, उसमें सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत दफा 406 बन रही है। मेरा कहना यह है कि जिस ढंग से फ्राडिज्म किया गया है, इसमें दफा 420 का मुकदमा बनता है। चौथा, कमीशन को जिस दिशा में यह जांच ले जानी चाहिए थी, वह इस दिशा में भ्रमित है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब जांच से पहले वे कैसेट्स आ चुकी हैं, सरकार को इस बात की जानकारी हो चुकी है तो लड़की का बयान लेकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर सवाल को देखते हुए तहलका.कॉम पर मुकदमा किया जाये और उन्हें गिरफ्तार किया जाये। हम आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सदन में इस बात का आश्वासन देगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, उन टेपों को दुनिया के लोगों ने देखा और ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, हमने आपको नहीं बुलाया, आप बैठ जायें। श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि चन्द्रशेखर जैसे बहुत वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जिसने सभा के सभी दलों के सदस्यों को उत्तेजित किया है।

हम यहां देश के हर व्यक्ति या रक्षाकर्मियों की अन्तरात्मा के रखवाले नहीं हैं। प्रश्न यह है कि कल कुछ प्रकाशित हुआ जिससे कतिपय अत्यन्त गम्भीर बातों का खुलासा हुआ कि कैसे रक्षा सौदों के बारे में जब कुछ लोगों ने अंदरूनी जानकारी लेनी चाही तो रक्षाकर्मी लालच में घिर गये। ऐसा माना जा रहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी इसके शिकार हो रहे हैं और इसकी ओर झुक रहे हैं। हम इस खुलासे के तरीके का विरोध कर रहे हैं पर क्या हमें देशहित के विरुद्ध ऐसी गतिविधियों में संलिप्त और रक्षा सौदे प्रदान करने वाले लोगों के विरुद्ध आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यह इस मामले का सर्वाधिक घृणास्पद पहलू है।

हम चन्द्रशेखर की तरह प्रेस की जानकारी पर निर्भर हैं। सारे टेप दो प्राधिकारियों, सेना और आयोग को दिये गये। हमें नहीं पता कि यह जानकारी कहां से आई तथा समाचार-पत्र तक यह जानकारी कैसे आयी लेकिन जरूर किसी ने लीक की होगी। समाचार-पत्र को इसे छापने का अधिकार है। जिस समाचार-पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई उसे ऐसा करने का उतना ही अधिकार है जितना इस मामले में संलिप्त लोगों के बारे में सच जानने का अधिकार तहलका डॉट कॉम वालों को है। इसलिए यदि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं तो हम चाहते या न चाहते इसे छापने वाले समाचार-पत्र की आलोचना कर रहे हैं लेकिन आप उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं।

इस प्रकार के दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाने चाहिये। हमें आपकी कठिनाइयों की जानकारी है। एन.डी.ए. के संयोजक की मंत्रालय से छुट्टी हो गई हालांकि वे अभी भी इस सभा में सीट संख्या 4 पर बैठे हैं। यही कठिनाई है। आपके साथ यही तकलीफदेह स्थिति है। इसीलिए आप इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: श्री जार्ज फर्नान्डीज की किसी मंत्री से ज्यादा हैसियत है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं दो वाक्य और बोलूंगा। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे निर्दोष करार देना मेरा काम नहीं है। आप कानून के तहत सभी कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई सरकार को करनी है। तो सरकार के सहयोगी दल यहां क्यों समस्या खड़ी कर रहे हैं। सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। आप सरकार में हैं। आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार पर जोर डालिए। अगर कानून में यह साफ है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं उच्च पदस्थ सेना अधिकारियों जो इसमें संलिप्त हो रहे हैं की कार्रवाईयों की आलोचना में एक भी

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

शब्द सरकार की ओर से नहीं सुन रहा हूँ। अगर वाकई यह मामला सच है तो।

इसलिए हम देश की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े नैतिक हैं। सवाल यह है कि सरकार को रक्षाकर्मियों द्वारा की गई गंभीर चूक पर चिंतित होना ही चाहिए। इसीलिए हम इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं जो इन सभी प्रश्नों की जांच करे और हमें यहाँ, वहाँ से लीक की गई खबरों पर आश्रित न होना पड़े। पूरी गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ इस सभा के माननीय सदस्य इसकी जांच करें और सत्य का पता लगायें ताकि राजनीतिज्ञों और सभा के बाहर से अन्य लोगों को सख्त सजा दी जा सके। सत्ता के अंदर और बाहर के सभी जिम्मेदार लोग परिणाम भुगतें।

अब भी समय है। अत: सरकार जागे और इन सभी प्रश्नों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की विपक्ष की मांग स्वीकार करे। मैं किसी को दोषमुक्त नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कहकर अधिक नैतिकतावादी बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि गैरकानूनी कार्रवाई की गई है, अनुचित प्रक्रिया अपनायी गयी है।

एक देश के एक सर्वोच्च पदाधिकारी को महाभियोग की कार्यवाही का सामना करना पड़ा। उस देश में किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। आप उनका आंख मूंदकर अनुसरण कर रहे हैं और अब आप इस बारे में अति संवेदनशील बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ''नहीं-नहीं महिलाओं को इसमें नहीं लाना चाहिए था। आप अन्य देशों में इस तरह के खुलासों को स्वीकार कर रहे हैं।

महोदय, हम यहां नैतिकतावादी बनने की कोशिश न करें। हम सच का पता लगाने की कोशिश करें और संयुक्त संसदीय समिति सच सामने ला सकती है। मैं संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रह्मानन्द मंडल एक मिनट बोलेंगे। उन्होंने इस विषय पर नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक मिनट में मैं क्या बोलूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तहलका प्रकरण पर जो बातें आई हैं, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैंने एक बार इसी पार्लियामैन्ट में यह कहा था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रह्मानंद मंडल, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: मैंने कहा था कि सत्ता और पैसे के लिए किस तरह से ....* पाखंड राजनीतिक दल के लोग करते हैं। यह मैंने इसी संसद में 1996 में कहा था। तहलका का मामला एक साल पहले आया था और कल इंडियन एक्सप्रैस में जो आया था, अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो यह पायेंगे कि यह एक बहुत बड़ा षडयंत्र सत्ता और पैसा पाने के लिए किया गया है। इसीलिए मैं खासतौर से सोमनाथ बाबू से कहना चाहता हूं कि सोमनाथ बाबू कम से कम आपको तो यह पाखंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप भी इस पाखंड में शामिल हैं और वह क्या है, वह यह है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है।* यह आपत्तिजनक शब्द है *...(व्यवधान)*। माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सर, अनपार्लियामैन्ट्री शब्दों को कार्रवाई से रिमूव किया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: तहलका के जो टेप हैं, जो टेप 'इंडियन एक्सप्रैस' में आये हैं। वह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मामला नहीं है, वह हमारे राष्ट्रीय जीवन का भी मामला है, हमारे सामाजिक जीवन का भी मामला है।

[अनुवाद]

यह पार्लियामेंट जिस काम के लिए बनी है, उसका भी सवाल है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, उनके द्वारा प्रयोग किये गए आपत्तिजनक शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि यह आपत्तिजनक है तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: तहलका में जो कुछ भी किया गया है और कहा गया है कि हम भ्रष्टाचार को दिखाना चाहते हैं, दुनिया वालों को और देश वालों को दिखाना चाहते हैं कि चाहे अफसर हो, राजनीतिक नेता हो, चाहे दूसरे लोग हों, वे किस तरह से इसमें लिप्त हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तहलका क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रह्मानन्द मंडल, आप मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: यह एक कंपनी है मुनाफा कमाने के लिए, यह पत्रकारिता की कंपनी नहीं है और मुनाफे के लिए जब बात की जाती है तो उसके सामने न देश रहता है, न समाज रहता है। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। वह ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह यह कैसे कह सकते हैं? यह घोर गैर-जिम्मेदाराना है *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, हम उनकी बात शांतिपूर्वक सुन रहे थे। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, हम उन्हें सभा में किसी के भी विरुद्ध ऐसी कोई टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: मैं कहना चाहता हूं कि 1996 में यह कानून बना था कि लड़कियों को इस्तेमाल करने के लिए, घरों में रखने के लिए, होटलों में रखने के लिए जो भी प्रोत्साहित करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* तहलका ने इस कानून को तोड़ा है। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आज हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय चन्द्रशेखर जी ने एक प्रश्न यहां रखा। आज उनका सवाल सिर्फ लिमिटेड था कि कल समाचार-पत्रों में जो छपा है जिसके मुताबिक बहुत ही निम्न स्तर के साधन अपनाकर कोई खोज करने की कोशिश की गई, उसी के बारे में यहां राय रखने के बारे में बात आई थी।

माननीय माधवराव जी ने इसका जिक्र किया कि कल कोई ड्रामा किया गया—मुझे लगता है कि यह उनको शोभा नहीं देता क्योंकि जब वह कोई बात करें सदन में आएं, वैल में आ जाएं तो देशभक्ति का काम है और उनकी विरोधी पार्टी के व्यक्ति ऐसा करें तो वह ड्रामा है और उसको ड्रामे की बात कहा जाए। आज हम उसकी मैरिट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक ज्यूडीशियल कमीशन बैठा हुआ है। सेना के जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकत की है और उसमें फँसे हैं उनको सजाएं दी गई हैं, बाकी सजाएं देने की बात भी हो रही है। हम कोई बात नहीं कहना चाहते कि कोई भी सेना का अधिकारी चाहे उसने रिश्वत ली हो, चाहे वह वेश्यावृत्ति के काम में शामिल हुआ हो, उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए। इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है। अभी सोमनाथ जी ने यह बात उठाने की कोशिश की कि इसकी जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जे.पी.सी. के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा कठोर, एक जुडीशियल कमीशन बनाया गया है। वह इन सब बातों को देख रहा है। वह अपराधियों को देखेगा, उनको सजा देगा, परन्तु सोमनाथ बाबू और माधवराव जी, क्या वेश्यावृत्ति का प्रयोग होना चाहिए, कोई खोजी खबर निकालने के लिए, क्या एल्योरमेंट होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: आप कृपया कुछ देर के लिए चुप रहेंगे? हमने बिल्कुल साफ-साफ कह दिया है कि जो उपाय अपनाए गये हैं हम उसका पूर्णत: विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: चूंकि कांग्रेस ने डिसएप्रूव किया है, सभी पार्टियों ने डिसएप्रूव किया है, इसलिए मुझे उस विषय पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पहले आई हुई है कि कोई व्यक्ति अगर हैवीचुअल ब्राइब टेकर हो, तो भी उसको एल्यूर करना, इम्मोरल है, इल्लीगल है और उसको रिश्वत देना ठीक नहीं है। इसी प्रकार की कोई चीज प्रयोग करना, यह केवल एक लिमिटेड सवाल था, बाकी बातें हमारे कमीशन के सामने हैं। कमीशन उसको देखेगा और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसका बहाना लेकर, फिर से जे.पी.सी. की मांग करना, फिर से यहां सवाल उठाना उचित नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, कल एक अंग्रेजी के समाचारपत्र में तहलका संबंधी जो खबर छपी, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने, उस मुद्दे को उठाया और उसको लेकर एक छोटी सी बहस हुई जिसमें विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों पर इस क्षण टिप्पणी करना, मैं आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि उसमें कुछ अलग मुद्दे भी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें, मैं सरकार की ओर से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को अपने देश में खबर लाने की पूरी आजादी है। पिछले 15-20 सालों में खोजी पत्रकारिता, एक नाम अर्जित कर चुकी है और मैं समझता हूं कि संसदीय जनतंत्र के लिए पत्रकारिता का भी एक महत्व है और उस पर किसी प्रकार की आंच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी है कि खोजी पत्रकारिता का अर्थ क्या हो और खबर निकालने के लिए वे किस प्रकार के साधन उपयोग में लाएं, यह एक विवाद का मुद्दा है। अब इसमें किसी का मत हो सकता है कि वह कुछ भी करे, तो फर्क नहीं पड़ता है। अब यह किसी का मत हो सकता है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि यहां के अधिकांश प्रमुख पक्ष, यह मानते हैं कि खोजी पत्रकारिता का अर्थ यह नहीं होता कि आप गैर-कानूनी या जिसको हम इम्मोरल कहते हैं, ऐसे तरीके से कोई खबर निकालने की कोशिश करे। इसका मैं दूसरा अर्थ यह नहीं मानता कि कोई इम्मोरल तरीके का अगर उपयोग कर रहा है, तो जो उस लालच में आ जाता है, उसका कोई अपराध नहीं है, यह भी कोई नहीं मानेगा। अगर वह लालच में आता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका अपराध है और उस अपराध का उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन खोजी पत्रकारिता के नाम पर, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अगर हम इस प्रकार की पत्रकारिता को महत्व देना शुरू कर दें, जिसमें पैसे से लेकर महिलाओं तक का उपयोग करके कोई खबर निकालने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है, इसको अगर हम सम्मान दें, तो समस्या होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसने यह पाप किया है, उसको बचाने का इसमें कोई सवाल है। जैसा मैंने कहा है कि जिसने यह किया है,

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वह भुगतेगा, लेकिन इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए और खोज करते समय भी कानून और जो भी समाज की मान्यता होती है, उन मान्यताओं के अंतर्गत ही यह खोज होनी चाहिए और इसलिए जो खबर छपी है, कम से कम खबर से प्राथमिक रूप से यह लगता है कि तहलका डॉट कॉम ने, जो भी सच्चाई, उसके दावे के अनुसार, उजागर करने की कोशिश की, उस कोशिश में कम से कम खबर में यह लिखा है कि अनैतिक मार्ग का उपयोग हुआ है और खबर में लिखा हुआ है, इतना ही नहीं है, बल्कि जो तहलका डॉट कॉम के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हमने यह जो किया है, इसमें कोई बहुत गलती नहीं है क्योंकि साध्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए साधन किसी प्रकार का उपयोग में लाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह उन्होंने कहा है।

अब यह कहने के बाद, मैं इतना ही कह सकता हूं कि गृह मंत्रालय की ओर से हम कल के अखबार में जो भी बातें छपी हैं और तहलका डॉट कॉम का जो उत्तर है, इसकी पूरी जांच करेंगे और जांच के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति उसमें कानून तोड़कर खबर लाए, खबर प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि किसी को कानून तोड़ने की इजाजत मिलती है।

अगर उसने कानून तोड़कर खबर प्राप्त करने के लिए कुछ किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। वह कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। *...(व्यवधान)* मैं यहां कह रहा हूं कि आप नहीं कहें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैंने कहा कि इसे कानून के अनुसार होना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष जी, देश को सूचना का अधिकार है। पत्रकारों को जांच और खोज करने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के अंतर्गत, जैसे किसी संसद सदस्य को किसी प्रकार का कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार पत्रकार भी कानून के ऊपर नहीं हैं। कानून तोड़कर कोई खबर लाने का पत्रकारों को भी अधिकार नहीं है। अगर इसने किसी प्रकार का कानून तोड़ा होगा तो केवल कोई पत्रकार है, इसलिए उसको कानून तोड़ने की इजाजत है, इस प्रकार की व्यवस्था हमारा समाज मान नहीं सकता। कानून के सामने अगर सब समान हैं तो पत्रकार भी उसके सामने समान हैं और इस प्रकार की जांच करके अगर उसमें किसी भी पत्रकार ने किसी भी प्रकार का कानून तोड़ा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। *...(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: तब तक तो वह भागकर विदेश चला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: मि. ब्रह्मानन्द मंडल, आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वह अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे अपने ही मंत्री को बाधा पहुंचा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: बाकी जो मुद्दे यहां उठाये गये हैं, ये विवादास्पद मुद्दे हैं। उन पर आदरणीय माधवराव जी की, सोमनाथ चटर्जी जी की अलग राय हो सकती है, मेरी अलग राय हो सकती है। मेरी दृष्टि में जार्ज फर्नाण्डीज जी पूर्णतया निरपराध हैं और इतना अच्छा रक्षा मंत्री बन ही नहीं सकता। इसमें अलग-अलग राय हो सकती हैं, लेकिन जब इसका फैसला वेंकटस्वामी आयोग करेगा और वेंकटस्वामी आयोग इसका निर्णय लेगा, उसके बाद इसका फैसला होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय मंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मि. ब्रह्मानंद मंडल, आपका बिहेवियर हाउस में अच्छा नहीं है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हाउस में शान्ति नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: और भी सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे 43 लोगों के नाम पुकारने हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: और भी सदस्य हैं जिन्होंने सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस तो दूसरे सवाल पर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से मैं कल बागपत जिले के बारौली थाने में ग्रामीणों पर जो गोली चलाई गई, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुमन, आपको वही मामला उठाना पड़ेगा जिस पर आपने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका यह नोटिस नहीं है। एक और नोटिस है, उस पर बोलिए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: उनका नोटिस अलग है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संस्थाओं और विभिन्न देशों से भारत सरकार कर्जा लेती है। इस कर्जे में एक शर्त यह होती है कि निश्चित अवधि में उस कर्जे का प्रयोग होना चाहिए। अगर उस अवधि में हिन्दुस्तान की सरकार उस राशि को खर्च नहीं करेगी तो उसे कमिटमेंट चार्ज देना होगा। यह कमिटमेंट चार्ज 1990 से लेकर अब तक भारत की सरकार देती रही है। भारत सरकार ने अभी पिछले पांच वर्षों का 254 करोड़ रुपया कमिटमेंट चार्ज के रूप में अदा किया है। सी. एंड ए.जी. की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक 1990 से लेकर अभी तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है, जिसमें 40 करोड़ रुपये से 60 करोड़ रुपए कमिटमेंट चार्ज के रूप में भारत सरकार ने न दिए हों। सबसे ज्यादा कमिटमेंट चार्ज एशिया बैंक और विश्व बैंक को दिया गया

है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो परियोजनाएं देश में शुरू हुई थीं, उनमें से कम से कम दस परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। भारत सरकार ऋण लेने के बाद भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाती, इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): बागपत में हुई पुलिस फायरिंग पर हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आपने कहा था कि शून्य काल में हमें मौका दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब लोगों ने नोटिस दिया है।

सरदार बूटा सिंह (जालौर): अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण नीति का सर्वनाश जो वर्तमान सरकार ने किया है, उसके रहते हुए आज देश भर के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है।

अपराह्न 12.55 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उन पर देश के कोने-कोने में अत्याचार हो रहे हैं। अथोरिटीज को यह आभास होने लगा है कि भारत सरकार अनुसूचित जाति के प्रति पूरी तरह डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। मुझे याद है 19 दिसम्बर, 2000 को हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी ने सदन में एक वक्तव्य दिया था, जब हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था। यह प्रश्न किसी पार्टी या पक्ष का नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है।

इस मुद्दे को लेकर सभी दल एक हैं। उस दिन भी इसी तरह सभी दलों की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और हमारे प्रमोद महाजन जी ने संवेदना दिखाते हुए यह वक्तव्य दिया था।

[अनुवाद]

सदस्यों की चिन्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने टिप्पणी की। इस संबंध में मैं प्रेस से 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' से उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

> ''संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने यह टिप्पणी की कि वस्तुत: पदोन्नति में आरक्षण को रोकते हुए 1997 में जारी किए गए पांच सरकारी ज्ञापनों ने इस नीति के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। वे इस बात पर सहमत थे कि यद्यपि सरकारी ज्ञापन वापस ले लिए गए हैं और संसद ने नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है तथापि इसका संदेश निचले स्तर तक नहीं पहुंचा है और इस नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियां हैं। उन्होंने आगे कहा कि 'मैं सम्पूर्ण सभा की भावनाएं माननीय प्रधान मंत्री तक पहुंचा दूंगा। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाएंगे कि कार्यान्वयन संबंधी अड़चनें ...*(व्यवधान)*''

मैं केवल श्री प्रमोद महाजन की कही हुई बात उद्धृत कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक साल पहले का दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): मैं भी इसी तरह से पढ़कर बोल रहा था। ...*(व्यवधान)* तब रामजीलाल सुमन जी मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, आपने वादा किया था कि आप बागपत के सवाल को शून्यकाल में उठाने देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): महोदय, ये लोग हमेशा सभा में बाधा पहुंचाते हैं। हमें अपने मुद्दे उठाने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष जी, आप हमें बागपत पर बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* आप समाजवादी पार्टी के लोगों को सदन से निकाल दीजिए। हम जनता के बल पर ...*(व्यवधान)* यह गलत बात है। ...*(व्यवधान)* इस तरह का भेदभाव सदन में नहीं चलेगा। वहां पर चार-चार लोग मारे जा चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अन्यथा मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। कोई सीमा होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हुई है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेनु कुमारी, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री टी. गोविन्दन, मैं सभा की कार्यवाही चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी. गोविन्दन: महोदय, मैं ''शून्य काल'' के दौरान अपना मुद्दा उठाने के लिए प्रतिदिन सूचनाएं देता रहा हूँ परन्तु ये लोग हमेशा ही सभा में बाधा पहुंचाते हैं। मुझे मिलने का कैसे अवसर मिल सकता है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभा की कार्यवाही चलाने की कोशिश कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय सदस्य परेशान हैं। पूर्व सूचनाएं देने के बावजूद भी वे बोल नहीं पा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा के सभी पक्षों को यह बात समझनी चाहिए। यदि प्रतिदिन सदस्य व्यवधान उत्पन्न करते रहे तो हम सभा की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रात:काल अध्यक्ष महोदय और आपके नेतृत्व में हम सब लोग बैठे थे और प्रयास यह हो रहा था कि हम लोग शांतिपूर्वक इस सदन को चलाएं ताकि बाहर इस सदन की मर्यादा पर जो आंच लगी है, वह न लगने पाये और इसी दृष्टि से मैंने उस सवाल को उस रूप में उठाया। मैं नहीं जानता था कि फिर उस पर विवाद होगा और वह विवाद उस हद तक पहुंचेगा कि दूसरे सदस्यों की किसी टिप्पणी पर कोई इतना नाराज हो जाएगा। सोमनाथ दा ने जो कहा, उससे मैं सहमत हूं या नहीं सहमत हूं, अगर उन्होंने कहा कि अपराधी राजनीतिज्ञ हैं तो निरपराधी अगर प्रमोद महाजन ने कह दिया तो दूसरी तरफ से हल्ला क्यों हो रहा है? ...*(व्यवधान)* अभी अखिलेश ने यह सवाल बागपत का कल से उठा रखा है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जीरो आवर में उनको बोलने की इजाजत देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने नहीं कहा, उनको नहीं देंगे।

श्री चन्द्रशेखर: मैं यह कह रहा हूं, चूंकि आपने माननीय बूटा सिंह जी को बुला लिया है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप बूटा सिंह जी की बात को सुन लें। उनके बाद आप अखिलेश सिंह या उसकी पार्टी के जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मडंल, माननीय चन्द्रशेखर बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों को आदत पड़ गई है कि किसी को भी चुप करा देंगे। यह बहुत बुरा ढंग है। इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समितियों की मीटिंग में नहीं जाता हूं। जब अध्यक्ष जी की ओर से आज्ञा होती है, तो मैं जाता हूं। लेकिन कुछ लोग सदन में हो-हल्ला मचाना ही संसदीय परम्पराओं का निर्वहन समझते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बूटा सिंह जी के बाद अखिलेश सिंह जी की बात को सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय: उनको मौका देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, जो प्रात:काल कहा है, चन्द्रशेखर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं उनसे सहमत हूं, सभी को अवसर मिले। दूसरी बात भी तय हुई थी कि हर सदस्य अपने स्थान से ही बोले। मुझे लगता है, आज से ही उस नियम का पालन हो। जिसको जो सीट मिली है, वह वहीं से बोले। सीट छोड़कर न बोले। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अवसर मिलेगा बशर्ते कि आप शांत रहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, यदि आपको बोलने का मौका चाहिए तो आपको शांत रहना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे को मैंने उठाया है, वह विवाद का मुद्दा नहीं है। यह राष्ट्रीय मुद्दा है। इस मुद्दे पर सदन के सभी सदस्य सर्वसम्मति से पक्ष में हैं। मैं सबसे पहले प्रमोद महाजन जी से कहना चाहूंगा—श्रीमान्, एक साल पहले समूची भारत सरकार की ओर से आपने आश्वासन दिया था, लेकिन वह आश्वासन आज तक मूक आश्वासन ही बना रहा है। उस पर क्या कार्रवाई हुई है? वैसे आप प्रधान मंत्री जी से 17 बार मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बार भी नहीं मिले। क्या हम गरीबों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बातचीत करने का मौका नहीं मिला। *...(व्यवधान)* मैं उसी अहम मुद्दे पर अपनी बात कह कर दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं और न ही किसी बहस में पड़ना चाहता हूं। मैं केवल मुद्दे को उठाकर छोड़ देना चाहता हूं, ताकि हमारे प्रहरी, हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान, प्रमोद महाजन जी हमारी मदद कर सकें। प्रमोद महाजन जी आपको मालूम है, भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल ने जो देश भर में सात पत्र लिखकर जो रिजर्वेशन की नीति खत्म कर दिया है, मैं सिर्फ उनका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उनको पढ़ूंगा नहीं। पहला पत्र 30 जनवरी, 1997 को लिखा गया। उसमें कहा गया है-

[अनुवाद]

> "आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अब से अपने अधीन कार्य करने वालों से कोई अतिरिक्त कार्य करने की मांग करने की स्थिति में नहीं रहेंगे क्योंकि वे इस कार्यालय ज्ञापन के कारण एक दिन इन लोगों से वरिष्ठ हो जाएंगे।"

[हिन्दी]

इसका कुप्रभाव हुआ, लेकिन सरकार ने क्या एक्शन लिया-

[अनुवाद]

> "इस घृणित कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया।"

[हिन्दी]

दूसरा पत्र 2 जुलाई, 1997 को लिखा गया जिससे आरक्षण नीति की जड़ें ही काट दी गईं। उसमें कहा गया है:-

[अनुवाद]

> "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत को कम करके चुपके से एक नयी रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई।"

[सरदार बूटा सिंह]

[हिन्दी]

प्रमोद महाजन जी बतायें, इसमें क्या कार्रवाई हुई-

[अनुवाद]

> ''सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों हेतु उपलब्ध पहले की रोस्टर प्रणाली को पुन: लागू करने हेतु इस कार्यालय ज्ञापन को संशोधित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है और एक नई रिक्ति आधारित व्यवस्था लागू की गई है जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए हानिकारक है।''

[हिन्दी]

इसी प्रकार तीसरा पत्र 22 जुलाई, 1997 को लिखा गया।

महोदय, मैं भारत सरकार के पत्र का उल्लेख कर रहा हूं। आप चाहें तो मैं इसे टेबल पर रख देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे पढ़िए।

सरदार बूटा सिंह: 22 जुलाई, 1997 को लिखे गए पत्र के तहत *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे टेबल पर रख दीजिए।

सरदार बूटा सिंह: आप आज्ञा दें तो मैं टेबल पर रख दूंगा। *...(व्यवधान)* इसका कुप्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार ने दो संशोधन हमारे संविधान में किए। उन संशोधनों से दलितों को फायदा हो सकता था, परन्तु वह संशोधन भारत सरकार ने केवल चंद विभागों तक भेजे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, यह हमारे लिए जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह: इसका कुप्रभाव यह हुआ कि जो दो संशोधन भारत सरकार ने किए, ये दोनों सदनों में पास हुए। इन्हें लागू नहीं किया गया। भारत सरकार के खुद के विभाग में— पब्लिक अंडरटैकिंग्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस और जितने भी हिन्दुस्तान में मेजर और माइनर पोर्ट्स हैं, पी एंड टी, बैंकिंग में कहीं भी वह कांस्टीट्यूशन की अमेंडमेंट का असर उन विभागों में नहीं पहुंचा है। केवल चंद विभागों में उसे नोटिफाई किया गया। *...(व्यवधान)* उस नोटिफिकेशन का जो असर होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इससे कहीं ज्यादा हिन्दुस्तान की 26-27 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में भी कांस्टीट्यूशन के ऊपर आज तक अमल नहीं किया गया। अच्छा होता अगर प्रधान मंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों की कांफ्रेंस बुलाते और उन्हें जाहिर करते कि हमने संविधान का संशोधन कर दिया। *...(व्यवधान)* आप क्या बात कर रहे हैं, आपको यह अच्छा नहीं लगता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोविन्दन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभा को बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं? अब आप शांत रहिए और सभा में शांति रहने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह: प्रधान मंत्री जी सबको इस बात की जानकारी देते और कहते कि भारत सरकार का निश्चय है कि ये दोनों संविधान की अमेंडमेंट को केरी होना चाहिए तो कोई भी राज्य सरकार रास्ते में नहीं आ सकती थी। आज मेरा वर्तमान भारत सरकार के ऊपर यह चार्ज है कि उन्होंने किसी भी राज्य सरकार को ऐसा पत्र नहीं लिखा। नतीजे के तौर पर सभी राज्य सरकारें अभी भी सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को लागू कर रही हैं, जिसकी वजह से दलितों और आदिवासियों की आरक्षण नीति का खात्मा हुआ। ये जितने भी ऑफिशियल मेमोरेंडा हैं, मेरे बहुत से साथी आग्रह कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से इन्हें टेबल पर रखना चाहूंगा।* आज देश के सामने जो बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि दलितों के लिए आरक्षण नीति हमारा फंडामेंटल राइट है, उसे करटेल नहीं किया जा सकता। मुझे दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के इशु को लेकर जो फैसला दिया उसमें दलितों को नुमाइंदा नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और फैसले के अंत में लिख दिया-

[अनुवाद]

> ''यह देश का कानून है।''

---

*अध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुमति न दिए जाने के कारण इन पत्रों को सभा पटल पर रखा नहीं माना गया।

क्या उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कि यही देश का कानून है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मौलिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं वर्तमान सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, हमारा आग्रह यह है कि आज हमारी संख्या के मुताबिक जो रिजर्वेशन का कोटा बनता है, यह 50 साल पहले का, पता नहीं कब का कोटा एस्टेब्लिश हुआ। आज 1991 के सेंसस के मुताबिक 27.5 प्रतिशत होना चाहिए। *...(व्यवधान)* मैं कांस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं।

महोदय, तीन मुद्दे बाकी हैं, मैं उन तीन मुद्दों का जिक्र करूंगा। संसद की चुनी हुई कमेटी ने—पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एससी, एसटी, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के हैं। उन्होंने फैसला किया है कि—ज्यूडिशरी और आर्मी में रिजर्वेशन होना चाहिए।

तीसरा, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स प्राइवेट होती जा रही हैं और जिन पर भारत सरकार का बहुत पैसा लगा हुआ है उनमें भी रिजर्वेशन की नीति लागू होनी चाहिए। आपने वचन दिया है और प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि एक नेशनल ज्यूडिशरी कमीशन बनेगा। उस ज्यूडिशरी कमीशन में दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और ज्यूडिशरी में रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। हमारा यह भी अनुरोध है कि जब भी आप टेलीफोन्स के रिजर्वेशन का फैसला करें तो भगवान के लिए उसको बैकवर्ड के साथ मत जोड़िए। आप अलग से बैकवर्ड क्लॉस को दीजिए, हम उसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन एससीएसटी का जो प्रश्न है वह हमारा फंडामेंटल राइट का प्रश्न है, इसलिए उनके लिए अलग से नीति बनाइये और उस नीति में किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। यही मेरी विनती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारा भी निवेदन इसी विषय में है।

उपाध्यक्ष महोदय: हम आपको इस विषय के साथ एसोसिएट करने के लिए एलाऊ करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप जो बूटासिंह जी ने नेशनल ज्यूडिशरी कमीशन बनाने और सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के जज की बहाली में बैकवर्ड क्लास और एससीएसटी के रिजर्वेशन का प्रश्न उठाया है, उसी संबंध में जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा भारी धरना है। वहां के मंत्री रमाकांत उसमें शामिल हैं और बहुत भारी प्रदर्शन वहां हो रहा है। नेशनल ज्यूडिशरी कमीशन और जजों की बहाली में आरक्षण के लिए जो बूटासिंह जी ने प्रश्न उठाया है, उस पर उन्हें हमारा समर्थन है और इस पर सरकार विचार करे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): बूटासिंह जी ने जो सवाल उठाया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य बूटा सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है *...(व्यवधान)* मैं आपकी सपोर्ट में भी आ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): हजारों लोगों के और दलितों के ये हत्यारे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: चूंकि यह दलितों का प्रश्न है और सभी दलों के संसद सदस्य, चाहे वे किसी भी दल के हों, आदिवासी हों, वे मानसिक रूप से इस प्रश्न से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं ज्यादा राजनीति नहीं लाना चाहता हूं। ज्यादा मैंने इसलिए कहा है कि शुरू में ही माननीय बूटा सिंह जी ने कहा कि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है। *...(व्यवधान)* सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन पांच सरकारी परिपत्रों की चर्चा हो रही है वे हमारी सरकार की ओर से जारी किये गये परिपत्र नहीं हैं। ये परिपत्र उस सरकार ने जारी किये जिसमें माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी मंत्री थे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ज्यूडिशरी का फैसला था।

श्री प्रमोद महाजन: अब आपको ड्यडिशरी के फैसले का ध्यान आया। स्वयं रघुवंश प्रसाद जी जिसमें मंत्री थे और जिसको बूटा सिंह जी की पार्टी का समर्थन था, उस यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने ये पांच परिपत्र जारी किए थे।

अगर दलितों पर पांच परिपत्रों के कारण अत्याचार हुआ है तो उसके लिए संयुक्त मोर्चा की सरकार और उसकी समर्थक पार्टी

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रमोद महाजन]

कांग्रेस जिम्मेदार है। हमारी सरकार इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। उल्टा हमारी सरकार के आने के बाद हमने इन परिपत्रों का अध्ययन किया। हमने कहा कि भले ही उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया हो लेकिन एनडीए का यह विचार है कि दलितों के आरक्षण की रक्षा होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर होनी चाहिए और अगर उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कोई फैसला दिया है तो संसद कानून बदल कर उसे बदलेगी लेकिन दलितों के आरक्षण पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। यह फैसला हमने किया। जहां तक पांच परिपत्रों की बात है, मुझे याद है एक को सरकार ने खुद वापस लिया जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। दूसरे के लिए हमने संविधान में संशोधन करके उस परिपत्र को वापस लिया। मैं बूटा सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनकी यह शिकायत है कि संविधान में संशोधन होने के बाद भी कुछ राज्य सरकारें उसे न मानते हुए पुराने फैसले को इम्पलीमैंट कर रही हैं। ऐसा करके वह गलत कर रही हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे कौन सी राज्य सरकारें हैं, मुझे मालूम नहीं लेकिन देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकारें यानी 11 कांग्रेस की ही हैं। इनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो बूटा सिंह जी हमें जरूर सलाह दें, हम पूरे आदर के साथ उनकी सलाह को प्रधान मंत्री तक ले जाएंगे लेकिन वह अपने दल को भी सलाह दें जिसके 11 मुख्यमंत्री हैं, कि वे भी इनका क्रियान्वयन करें। रहा सवाल और दो परिपत्रों का। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): आप इस बारे में राज्य सरकारों को क्यों नहीं लिखते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को संविधान के अनुसार काम करने के लिए प्रधान मंत्री के पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अभी माननीय सदस्य ने यह जानकारी दी है तो मैं प्रधान मंत्री जी से कह दूंगा कि वह आपके पत्र के बिना संविधान को नहीं मानते हैं। *...(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: जब सभी कांग्रेसी सरकारें थीं, उस समय भी प्रधान मंत्री इस बारे में लिखते थे। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: आप क्यों लिखना नहीं चाहते?

श्री प्रमोद महाजन: यह आपकी विरासत है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: बाकी बचे जो परिपत्र हैं, उनमें भी संविधान संशोधन की आवश्यकता है। मैं 17 बार मिलता हूं और 70 बार भी मिलता हूं। मैंने इस विषय पर सदन में कहा है। मुझे जब एनडीए और आपकी पार्टी के कई सदस्य व्यक्तिगत रूप से मिले तो मैंने कहा कि केवल सदन में आश्वासन दिया है इसलिए नहीं, मैं मन से यह मानता हूं कि ये सारे परिपत्र हटने चाहिए और आरक्षण में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसी श्रद्धा के कारण चार दिन पहले प्रधान मंत्री की डीओपीटी से बात हुई। उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है। उसे करने की दृष्टि से डीओपीटी और कानून मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* आप जो कह रहे हैं, मैं उसे सदन में नहीं कहूंगा वरना दिक्कत होगी। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। उस समस्या के बार में मैं बाद में बताऊंगा। आप मुझे बाद में मिलिए। जैसे दलित हैं वैसे ही समाज का दूसरा वर्ग भी है। सब को साथ लेकर चलना है। आप यह भी समझने की कोशिश करिए। कानून मंत्रालय से इस बारे में बात हो रही है। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। हम इस काम को जल्दी से जल्दी करके, और भी संविधान संशोधन करके, उस परिपत्र को वापस लेने के प्रयास में लगे हैं। इसमें चिंता की बात नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुंवर अखिलेश सिंह के कथन के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बालैनी थानान्तर्गत गांव डालूहेड़ा में आज से दो दिन पूर्व महिलाओं, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया, लूटपाट की गई। कल दिनांक 22.8.2001 को बालैनी थाना के नजदीक श्रीकृष्ण इंटर कालेज में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ओंकार यादव के नेतृत्व में महापंचायत बुलाई गई थी जिसमें 50 हजार से अधिक लोग

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सम्मिलित हुए थे। जब वे लोग अपनी पंचायत कर रहे थे, एक केन्द्रीय मंत्री के इशारे पर बालैनी पुलिस ने वहां किसानों पर सीधे गोली चलाने का काम किया। चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तीन आदमी जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और 70 से ज्यादा लोग घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। वहां तनाव का वातावरण व्याप्त है। उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां जानबूझकर गोली बरसाने का काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि एक संसदीय दल वहां भेजा जाये जो घटना का सही मूल्यांकन कर सके। तत्पश्चात् जिन निर्दोष किसान लोगों को पुलिस ने मौत के घाट उतारने का काम किया है, उन्हें कठोर से कठोर सजा देने का निर्णय किया जाये। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देशित किया जाये कि वह निर्दोष लोगों का खून बहाने का काम बंद करे।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वे बतायें कि संसदीय दल भेज रहे हैं या नहीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, आप उन्हें निर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यहां से उन्हें डायरेक्शन्स नहीं दे सकता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 1.22 बजे

(तत्पश्चात् श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन बिहार में दलितों की हत्या हो रही है। विगत 16 तारीख को 6 दलितों की हत्या कर दी गई और कल रात्रि 22 अगस्त को जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के धनुरवा थाना अंतर्गत दतमय गांव में 16 हरिजनों की हत्या कर दी गई। बिहार सरकार अक्षम और निकम्मी है। *...(व्यवधान)* गांधी जी ने कहा था कि अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधन का उपयोग करना चाहिए। मैं नहीं समझ सकती कि यह सरकार इन निर्दोष दलितों की हत्या करवाकर कौन से साध्य की प्राप्ति करना चाहती है। जब सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं रही है और निर्दोष दलितों की हत्या हो रही है, ऐसी सरकार के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और इसे बर्खास्त करना चाहिए ताकि बिहार में दलितों और पिछड़े वर्गों की रक्षा हो सके। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिया जा रहा है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रेनु कुमारी को कम्पलीट करने दिया जाये।

श्रीमती रेनु कुमारी: उपाध्यक्ष महोदय, कन्द्रीय सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करे।

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे संसदीय क्षेत्र का मामला है। मैंने भी इस संबंध में नोटिस दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको एसोसिएट करने की अनुमति देता हूं।

श्री अरुण कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, जहानाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। जिस तरह से वहां दलितों की हत्या की जा रही है, उसे राज्य सरकार का प्रश्रय प्राप्त है। यह बात सभी अखबारों में छपी है कि वहां के एक मंत्री द्वारा संरक्षण करके हत्या करवाने का काम किया है। 16 तारीख की रात्रि को मोची जाति के 6 लोगों की हत्या की गई, कल रात्रि 7 हरिजनों की हत्या हुई। इस प्रकार इस महीने में 45 हरिजनों की हत्या हुई है लेकिन घटनास्थल पर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की अराजक स्थिति में, जहां दलितों का कत्लेआम हो रहा है, केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।

श्रीमती रेनु कुमारी: बिहार सरकार के विरुद्ध केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसका जवाब केन्द्र सरकार को देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानंद मंडल: उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप उनसे कहिये कि वे इस पर कुछ बोलें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मंडल, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

अब श्री सुरेश कुरुप बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: एक महीने में 45 दलितों की हत्याएं हुई हैं। *...(व्यवधान)* आप सरकार को कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को इधर से कम्पैल नहीं कर सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपको क्या हो गया है।

श्री रघुनाथ झा: केन्द्र सरकार इसकी जांच कराये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मंडल, मैं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल: वहां 45 दलितों की हत्याएं हुई हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्य काल है, इसमें आपने सब्जैक्ट उठाया, अगर उस पर मिनिस्टर रेस्पोन्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं उन्हें कम्पैल नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: आप हमें संरक्षण दीजिए, आप सरकार को डायरेक्ट कीजिए, वहां 45 हरिजन एक साथ मारे गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: वहां की सरकार के संरक्षण में यह हो रहा है। वहां 45 हरिजनों की हत्याएं हुई हैं, उसमें एकाध मिनिस्टर का भी हाथ है। *...(व्यवधान)*

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को डायरेक्ट कीजिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को डायरेक्ट नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राय, मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां कानून और व्यवस्था का प्रश्न आता है, अगर मुझे आसन से आदेश हो तो मैं कुछ कहूंगा, मैं इसमें क्या कहूंगा। *...(व्यवधान)* मुझे इसकी जानकारी नहीं है न भारत सरकार का कोई दायित्व है। मैं कहां से जानकारी लाऊंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। श्री सुरेश कुरुप कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): मैं सभा की जानकारी में लाना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष महोदय, यहां पहले भी यह सवाल उठाया गया था, तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि जांच कराकर रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट का क्या हुआ। वहां एक महीने में सौ आदमी मारे गये हैं। चार दिन में सात आदमी मारे गए और पूरे महीने में 45 हरिजन मारे गए हैं। जब तक आप नहीं कहेंगे कि सरकार इस बारे में रिपोर्ट दे, यह बिहार सरकार के संरक्षण में हो रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्टेट सब्जैक्ट है।

श्री प्रमोद महाजन: इसमें भारत सरकार क्या करेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। यह राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): एक महीने में 45 दलितों की वहां हत्याएं हुई हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राय, सभा में आचरण करने का यह तरीका नहीं है। कृपया सभा का कार्यवाही को इस तरह बाधित न करें।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): दलितों की हत्या राज्य का विषय नहीं है। *...(व्यवधान)* देश में दलितों की हत्या की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री थामस, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वह जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं उन्हें जवाब देने के लिए कैसे कह सकता हूँ? मैं अध्यक्षपीठ से माननीय मंत्री महोदय को निदेश नहीं दे सकता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: यह कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। देश में दलितों की हत्या की जा रही है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: जब आप मंत्री बनंगे, तो आप समस्या को समझेंगे। मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूँ? वह तो बस खड़े होकर यह कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में कुछ हुआ है। भारत सरकार तत्काल इस पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकती है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर पांच मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) क्योंझरगढ़ में बलदेवजीऊ मंदिर के उचित रखरखाव के लिए उड़ीसा सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): महोदय, उड़ीसा के क्योंझर में स्थित 16वीं शताब्दी के बलदेवजीऊ मंदिर के संरक्षण की ओर भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी शुभद्रा की पूजा इस प्रसिद्ध मंदिर में की जा रही है। यह उड़ीसा के प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों में से एक है। यहाँ पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव का आयोजन होता है जिसमें समस्त भारत से हजारों तीर्थयात्री आते हैं। इसके अलावा नजदीक के सिद्धमठ, संगहारा और बढघागरा आने वाले पर्यटक भी उस मंदिर में दर्शनार्थ जाते हैं। परन्तु मंदिर और इसके प्रांगण की देखभाल उचित रूप से नहीं की जा रही है। राज्य सरकार संसाधनों की कमी के कारण रख-रखाव और संरक्षण की लागत को वहन करने में समर्थ नहीं है।

बलदेवजीऊ मंदिर और मंदिर प्रांगण के रखरखाव और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के मद्देनजर मैं बिना और किसी विलंब के आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त राशि दिए जाने की मांग करता हूं।

(दो) पलामू कमिश्नरी में मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए झारखंड सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू): उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में पलामू कमिशनरी के अंतर्गत तीन जिले हैं—पलामू, गढ़वा और लातेहार। वहां के तीनों जिले मलेरिया से बुरी तरह प्रभावित हैं। मलेरिया से सैकड़ों लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। खून जांच की सुविधा सिर्फ जिला मुख्यालय तक सीमित है जोकि हरेक प्रखंड में होना चाहिए। डी.डी.टी. एवं अन्य मलेरिया निरोधक दवा का छिड़काव नहीं किया जा रहा है जिस छिड़काव की अत्यन्त ही आवश्यकता है। मलेरिया से अधिकांश मृत्यु ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं जो कि अनुसूचित जाति एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक केन्द्रीय टीम वहां भेजी जाए जो स्थिति का आकलन करे एवं राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करायी जाए तथा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए।

(तीन) राजस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बनायी गयी कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए केन्द्र सरकार अनेकों प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन राजस्थान में उसका लाभ गांव स्तर तक नहीं हो पा रहा है। जो सुविधाएं शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु दी जाती हैं, उनके लिए समय पर धन नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से लाभार्थियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अत: मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि राजस्थान के अंतर्गत सवाई माधोपुर, करौली एवं दौसा जनपदों में बालिका शिक्षा विस्तार के लिए छात्रावास व्यवस्था हेतु जिन-जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को धन दिया गया है। उसके मूल्यांकन की ओर सरकार ध्यान दे और क्षेत्र के समूचे लाभ के लिए संबंधित सांसदों के प्रस्तावों के अनुमोदन में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, जिससे उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

(चार) गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहत अहमदाबाद व भावनगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को संचार संबंधी कई सुविधाओं खासतौर पर टेलीफोन सेवा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ध्यानाकर्षण के बावजूद भी अभी तक केबल की कमी को दूर नहीं किया जा सका तथा जहां टेलीफोन एक्सचेंज मशीनों की अपेक्षा है वहां मशीनें नहीं हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे क्षेत्र में केबल व नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने के साथ-साथ बरसात के दौरान फोन लाइनों में आई खराबी को तुरन्त दूर करने, विभाग की लापरवाही से लम्बे समय से खराब पड़े टेलीफोन-धारकों के बिलों की भुगतान राशि को कम करना चाहिए। कई वर्षों से लंबित पड़ी प्रतीक्षा सूचियों पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर उपभोक्ताओं को तुरन्त नई लाइनें प्रदान की जाएं, यह मेरी सरकार से मांग है।

(पांच) राजस्थान के अजमेर और पुष्कर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने तथा अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, लगभग दो वर्ष पूर्व रेल मंत्रालय ने राजस्थान के दक्षिणी अंचल को ब्रॉडगेज से जोड़ने के लिए वर्तमान मीटर गेज अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर को ब्रॉडगेज में बदलने की परियोजना स्वीकृत की थी। इसी प्रकार देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण तीर्थस्थल, संपूर्ण देश में विख्यात मंदिरों की नगरी और पवित्र सरोवर वाले तीर्थराज पुष्कर को अजमेर से रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा सरकार ने की थी।

परन्तु दो-तीन वर्ष का समय निकल जाने के बाद भी रेल मंत्रालय ने इस ओर विशेष प्रयास नहीं किए हैं और इन दोनों परियोजनाओं के लिए जो बजट आबंटित किया गया है। वह पर्याप्त नहीं है। इन परियोजनाओं के लिए बांटित बजट से अजमेर-पुष्कर तथा अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर के बीच पुलों के निर्माण का कार्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। अजमेर पुष्कर के बीच नई रेल लाईन बिछाने तथा अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर के बीच मीटर गेज को ब्रोडगेज में बदलने की परियोजनाओं में विलम्ब से प्रतिवर्ष इनके लागत मूल्य एवं व्यय में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर-पुष्कर के बीच ब्रोडगेज रेल लाईन बिछाने तथा अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर के मध्य आमान परिवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर निर्धारित अवधि में कार्य सम्पन्न कराने का निर्णय अविलम्ब किया जाए।

(छह) केरल में बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए नेप्था पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क में छूट दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, एन टी पी सी के कायमकुलम संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला ईंधन नातथा है। नाप्था पर आधारित कायमकुलम विद्युत संयंत्र की संभाव्यता रिपोर्ट 1994 में तैयार की गई थी और जनवरी 1995 में पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय नाप्था का मूल्य केवल 6200 रुपए प्रति मीट्रिक टन था और बिजली की लागत 2.40 रुपए प्रति ईकाई अनुमानित की गई थी। नाप्था के बढ़ते मूल्य के कारण बिजली की वर्तमान लागत 5 रुपए प्रति ईकाई या उससे ज्यादा अनुमानित है।

केरल द्वारा कायमकुलम से ज्यादा मूल्य पर बिजली प्राप्त करना बिल्कुल वहनीय नहीं है। इसलिए बिजली को वहनीय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा नाप्था पर से उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क में छूट देते हुए राहत देने पर विचार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। बिजली के मूल्य में उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के अवयवों के कारण 0.44 रुपए प्रति इकाई वृद्धि की जाएगी। उत्पाद

शुल्क और सीमा शुल्क को माफ करके कायमकुलम संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र से प्राप्त बिजली के मूल्य में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

(सात) देश में, विशेषरूप से, उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री सड़क परियोजना की तरफ दिलाना चाहती हूं कि इस योजना के तहत नई सड़कों को बनाने का कार्य करना था, परन्तु इस योजना के अंतर्गत पुरानी सड़कों की मरम्मत करके इस योजना को पूरा किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत कार्य करने का निर्णय लेने का अधिकार अधिकारियों का है जिससे जो आवश्यक सड़के हैं वे नहीं बन पाती हैं और जहां पर कोई जरूरत नहीं है वहां पर सड़कें बना दी जाती हैं। अधिकारियों द्वारा सांसदों से उनके क्षेत्रों के बारे में कोई राय नहीं ली जाती है और न इस योजना की बैठकों में सांसदों को बुलाया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में अधिकारियों ने इस योजना का मसौदा तैयार कर लिया है और मुझ से कोई राय नहीं ली गई और न ही हमें बैठक में बुलाया गया।

सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री सड़क परियोजना के कार्यों की समीक्षा की जाए और नई सड़कें ही इस योजना के तहत बनाई जाएं और सड़कें बनाने से पहले उस क्षेत्र के संबंधित सांसद से राय और विचार-विमर्श किया जाए।

[अनुवाद]

(आठ) देश में कॉयर उद्योग के हितों की सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, लगभग पांच लाख महिला कामगारों को रोजगार प्रदान करने वाला कॉयर उद्योग बर्बादी की ओर है। कॉयर उत्पादों के लिए बाजार की अनुपलब्धता के कारण कॉयर उत्पादन रुक-सा गया है। केन्द्र सरकार ने कॉयर कामगारों को दी गई सभी राजसहायताओं को वापस ले लिया था। उनकी कल्याण कोष योजनाएं भी संकट में हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और कॉयर कामगारों को भुखमरी से बचाने का अनुरोध करता हूँ।

(नौ) समूचे आंध्र प्रदेश राज्य के विद्यालयों में जल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य की एकीकृत जल और स्वच्छता परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लौर): आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य की पाठशालाओं में जल और सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से "एकीकृत जल और सफाई परियोजना" संबंधी एक योजना तैयार की है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारत सरकार को अमेरिका के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा एकीकृत जल और सफाई परियोजना, जो कि देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है के लिए प्रदान की गई निधियों के उपयोग हेतु प्रस्ताव भेजा था। इसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि यदि आवश्यकता हुई तो डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट के साथ विचार-विमर्श करके आंध्र प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के परियोजना ज्ञापन के 13.2 पैराग्राफ में संशोधन करते हुए इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करती हूँ क्योंकि वहां शैक्षणिक वर्ष पहले ही आरम्भ हो चुका है।

(दस) उत्तर प्रदेश में बरेली और लखनऊ के बीच रेल लाइन का शीघ्र आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में भारतीय रेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परन्तु बरेली तथा लखनऊ के मध्य के महत्वपूर्ण रेल प्रखण्ड का गेज परिवर्तन न हो पाने के कारण विकास की गति स्थिर हो गई है। आज की नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का दबाव भारत वर्ष को निर्यातोन्मुखी कृषि के लिए मजबूर कर रहा है। इस तराई क्षेत्र में जिसकी अपार संभावनाएं हैं परन्तु बुनियादी ढांचे का अभाव इस प्रगति को बाधित कर रहा है। पूर्वोक्त रेलवे के प्रखण्ड के गेज परिवर्तन से क्षेत्रीय किसानों की पहुंच महत्वपूर्ण निर्यात केन्द्रों, विमानपत्तनों तथा बंदरगारों तक सहज रूप से हो सकेगी जिसके फलस्वरूप निर्यातोन्मुखी कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

मेरा सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि बदलती परिस्थितियों में पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली-लखनऊ प्रखण्ड का गेज परिवर्तन अतिशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सभी संसाधनों को शीघ्र संयोजित किया जा सके।

(ग्यारह) बिहार में मशरख (सारन) में शीघ्रातिशीघ्र एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मेरे गृहनगर मशरख (सारण) में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी को अनुरोध किया था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय की स्थापना की उत्सुकता भी दिखाई गई किंतु स्थानीय जनता की वर्षों से लंबित यह मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी है। मशरख में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु सारी कागजी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। मैंने स्वयं भी जिलाधिकारी छपरा के माध्यम से विद्यालय भवन हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने एवं हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दिया है। किंतु आज तक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। अध्यक्ष जी, मशरख प्रखंड मुख्यालय होने के साथ-साथ यहां राजकीय विद्यालय, कालेज, रेलवे स्टेशन, बड़ा बाजार, बैंक, थाना, दूरभाष केन्द्र तथा राज्य सरकार के कई कार्यालय हैं। करीब एक लाख की आबादी वाले इस प्रखंड मुख्यालय में करीब हजार बारह सौ सरकारी कर्मचारी हैं तथा केन्द्रीय विद्यालय के अभाव में इनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा प्रभावित होती है। यही नहीं मेरी कमिश्नरी छपरा के क्षेत्र में कही भी कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है।

अत: आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि मशरख में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु अविलंब कार्रवाई की जाए।

(बारह) बिहार में सहरसा जिले के सुपौल रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): सभापति जी, पूर्व मध्य रेलवे के सहरसा, फारबिसगंज रेल खंड के बीच सुपौल स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है। यह सुपौल जिला के मुख्यालय में अवस्थित रहने के कारण यहां से अत्यधिक संख्या में रेल यात्री बाहर आते-जाते हैं। यात्री सुविधा के लिए यहां कम्प्यूटर के आरक्षण एवं फुट ओवरब्रिज नहीं रहने से यात्रियों को काफी असुविधा होती है।

अत: सरकार सुपौल स्टेशन पर आरक्षण के लिए कम्प्यूटर एवं फुट ओवरब्रिज निर्माण की व्यवस्था शीघ्र कराए।

(तेरह) देश में अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए वन कानून संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, 1980 में भारत सरकार ने फारेस्ट कानून लागू किया था। जंगलों में पेड़ बढ़ाने के लिए लोगों ने पेड़ तो नहीं लगाये लेकिन पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी। इससे करोड़ों रुपए की बरबादी हो रही है और जंगल में रहने वाले आदिम जाति के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। बांध, नहर, बिजली, टेलीफोन, स्कूल रास्ते और अन्य सुधार कार्य करने के लिए फॉरेस्ट भूमि की जरूरत पड़ती है। परवाना हासिल करने के लिए जमीन के बदले रेवेन्यू की जमीन देनी पड़ती है लेकिन जमीन नहीं होती जिससे विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं। भोपाल और दिल्ली में 10-10 बरस तक प्रकरण रुक जाता है। काम के दाम दस गुना हो जाते हैं। आर्थिक बरबादी और समय की बरबादी होती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए दी गई धनराशि वैसे ही पड़ी रहती है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि फॉरेस्ट कानून में सुधार करके विकास के काम के लिए भूमि बिना शर्त दी जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय: किस नियम के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मेरा एक निवेदन है।

सभापति महोदय: प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में नियम बताना पड़ता है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मैं एक जानकारी चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप बैठिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: यदि आपने कल लिस्ट हुए नियम 377 के अधीन मामले लैप्स कर दिए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कल उपस्थित था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने नियम बताया नहीं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आपको कैसे बुलाया जा सकता है? आपका नाम कल था। आज नहीं है। गतं न शोचानि। जो बीत गया सो बीत गया।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: बाकी लोगों का नाम आ गया लेकिन मेरा नहीं आया है। क्या मुझे यह पूछने का हक है या नहीं?

सभापति महोदय: कल वाली लिस्ट में से किसी सदस्य का नाम बुलाया नहीं गया है। जिन्होंने फ्रैश नोटिस दिया, उनका बैलट में नाम आया है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: आपको मेरी बात सुननी चाहिए। कल की लिस्ट में से माननीय सदस्यों के नाम बुलाए गए हैं।

सभापति महोदय: लिस्ट में आपका नाम नहीं है। रिकॉर्ड चैक करके बता दूंगा।

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): इनका कहना है कि कल इनका नाम था और कल जिन सदस्यों के नाम थे उनको बुलाया गया है और इन्हें नहीं बुलाया गया है।

सभापति महोदय: बैलट में जो नाम आए हैं उन्हें बुलाया गया है।

श्री राजो सिंह: इन्हें अब बोलने के लिए बुला लिया जाए।

सभापति महोदय: ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन का नाम लिस्ट में है, उन्हीं को बुलाया जाएगा।

श्री प्रहलाद सिंह: मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं पहली बार इस सदन का सदस्य नहीं बना। मैं एक जानकारी चाहता हूं। यदि कल के सभी नियम 377 के अधीन मामले बाई-पास कर दिए हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैंने देखा है कि बाकी सदस्यों को बोलने का चांस दिया गया है लेकिन मुझे नहीं दिया गया।

मेरा कहना है कि मैं यह जानकारी चाह रहा हूं लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय: आपका नाम आज की लिस्ट में नहीं हैं। रिकार्ड चैक आप करने के बाद कह सकता हूं कि आपका नाम कल की लिस्ट में था या नहीं, सोमवार को मिल जायेगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): मंडे को कैसे होगा?

[अनुवाद]

यह कैसे किया जा सकता है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह एक विशेष मामला है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.26 बजे

भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 16 और 17 को एक साथ लेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, कृपया मुझे सभा के समक्ष तथ्य रखने की अनुमति दीजिए। मैं संसदीय लोकतंत्र की उच्च परम्पराओं को बनाए रखने के लिए इस सभा के सदस्यों की सदाशयता को सम्बोधित करते हुए यह कह रहा हूँ।

भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक को वर्ष 2000 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वर्ष 2000 के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक पर सभा द्वारा विचार किया गया और 18 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। हमने इस विधेयक को अंतिम रूप से पारित कर दिया था। राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को 21 दिसम्बर 2000 को विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया लेकिन इस पर विचार करने से पूर्व ही राज्य सभा स्थगित हो गई। उसके बाद यह विधेयक व्यपगत हो गया था।

भारतीय विश्व मामले परिषद अध्यादेश (संख्यांक 1) को 25 जनवरी, 2001 को प्राख्यापित किया गया था ताकि कार्रवाई की निरन्तरता बनाई रखी जा सके। उस समय दूसरी बार इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया था। दूसरी बार भी संसद के दोनों सदनों के बार-बार स्थगित हो जाने के कारण यह विधेयक न तो वापस लिया जा का और न ही पुर:स्थापित किया जा सका। तदनुसार, अध्यादेश (वर्ष 2001 का संख्यांक 1) को पुन: जारी कर दिया गया था। यह अध्यादेश भी छह सप्ताह बाद समाप्त हो गया था। तत्पश्चात् कार्रवाई की निरन्तरता बनाए रखने के लिए एक और अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा 8 मई, 2001 को प्रख्यापित किया गया। यह वर्ष 2001 का तीसरा अध्यादेश था। इसलिए, यह उस अध्यादेश का तीसरी बार जारी करना था। मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। यह सर्वमान्य तथ्य है कि इसे तीन बार प्रख्यापित किया गया है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

दूसरा यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि इस सभा ने इस विधेयक का संज्ञान लिया है और सभा द्वारा यह विधेयक 18 दिसम्बर, 2000 को पहले ही पारित कर दिया गया है। अब जहां तक इसके पुन:प्रख्यापन का संबंध है तो इसके लिए हमें संवैधानिक उपबंधों की जांच करनी होगी। इस संदर्भ में, मैं उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिये गये निर्णय का उल्लेख करूंगा। मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा 1987 में सुनाए गए निर्णय से पढ़ रहा हूँ। मैं पृष्ठ 579 से पढ़ रहा हूँ। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र, बी.एल. ओझा, एम.एम. दत्ता और के.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया था। पूर्ण पीठ के इस निर्णय की सूचना 1987 में दी गई थी। उस मामले में याचिकादाता राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर है। जिसने व्यापक शोधकार्य किया है और जो सांविधिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में गहन रुचि रखता है।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की पूरी जांच की थी। यह मामला डा. डी.सी. बधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य का था। यह 1987 का मामला था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अध्यादेश के पुन: प्रख्यापन के पूरे प्रश्न की जांच की थी। मैं इस निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफों को ही पढ़ रहा हूँ। इस मामले में इस प्रश्न की जांच की गई थी कि क्या किसी अध्यादेश को विधान मंडल द्वारा पारित किए बिना राज्यपाल को उसे पुन: प्रख्यापित करने का अधिकार है या नहीं। उच्चतम न्यायालय की पूर्व पीठ ने इसी प्रश्न की जांच की थी। न्यायालय ने कहा:

> ''स्पष्टरूप से राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह संविधान में स्पष्टत: उल्लिखित विनिर्धारित सीमा से अधिक विधायी कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि अन्यथा वह इस प्रकार का कार्य कर रहे होंगे जिसका संबंध उनसे नहीं है।''

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्य से आधिकारिक दीर्घा में न जाने का आग्रह करता हूँ।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं 1987 में सुनाए गए निर्णय से पढ़ रहा हूँ। न्यायालय ने कहा:

> ''जहाँ तक भारत के राष्ट्रपति का संबंध है तो यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि उनके पास भी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने के वही अधिकार हैं जो कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के अंतर्गत हैं, लेकिन 1950 से आज तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें राष्ट्रपति ने किसी अध्यादेश के व्यपगत होने के उपरान्त उसे पुन: प्रख्यापित किया हो''

यह इस सभा की परम्परा थी। इसे मैंने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने पाया कि 1950 से आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा किसी अध्यादेश का पुन: प्रख्यापन किया गया हो, यह निर्णय 1987 में दिया गया था।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपको उत्तर प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, संसद के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में ऐसा क्यों किया गया। अध्यादेश को जारी करने की प्रवृत्ति एक प्रकार से संसदीय लोकतंत्र में बड़ी महामारी के समान है। यह सभी राज्यों में फैलेगी। राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह महामारी अब इस सभा में भी फैलने लगी है। अब तो यह संक्रामक रोग इस संसद की चार दीवारी में भी फैल गया है।

उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दी गई इस व्यवस्था का घोर उल्लंघन करते हुए राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को तीन बार पुन:प्रख्यापित किया है। जब इस संबंध में पूर्ण पीठ का निर्णय सामने था तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का क्या अधिकार है?

यह हर किसी पर लागू होता है। यह राज्यों के साथ-साथ संसद पर भी लागू होता है। जबकि यह महत्वपूर्ण रूप से नोट कर लिया गया हो कि संसद में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां राष्ट्रपति को किसी अध्यादेश को पुन: प्रख्यापित करना पड़ा हो। ऐसा 1987 तक था। उस समय उन्होंने पूरे मामले की जांच की थी।

अब मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ।

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ यह आपके भाषण का अंतिम भाग है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यहां प्रश्न यह नहीं है कि यह मामला केवल बिहार जैसा है बल्कि ऐसा मामला है जहाँ सभा ने विधेयक को पारित कर दिया है।

सदन इस विधेयक का संज्ञान पहले ही ले चुकी है और इसे पारित किया है। इसके अतिरिक्त, 9 अगस्त को ही इस सत्र के शुरू होने के पश्चात्, सरकार उस विधेयक को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव लाई जिसे कि सभा ने पहले ही पारित कर दिया था। इसलिए, पिछला अध्यादेश जारी करते समय यह एकदम स्पष्ट था कि विधेयक इस सदन द्वारा पारित कर दिया गया था। क्या

संविधान के आपातकालीन उपबंधों के अंतर्गत कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है जबकि सभा मामले से भलीभांति अवगत हो और विधेयक पारित कर चुकी हो? यह मात्र एक आपातकालीन उपबंध हैं और इसका कभी-कभी और विशेष मामले में ही उपयोग हो सकता है। इसे रोजमर्रा के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता।

अब, मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि मैं स्वयं इससे संतुष्ट हूँ कि सदन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जब ऐसा निर्णय लिया गया हो। अब, हमें पता चल रहा है कि हम उस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसे पहले ही पारित कर दिया गया हो और इस विधेयक के पारित होते समय बीच में उन्होंने संवैधानिक उपबंधों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अध्यादेश जारी किया है। अब, मैं आपको बताऊँगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लेख करूँगा।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपको उत्तर प्राप्त करने का अधिकार है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कृपया मुझे बाधा न पहुंचाएं। जब सदन किसी विधेयक को पारित कर चुका हो तो क्या कार्यपालिका के लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का परामर्श देना उचित है? अब, मैं आपका ध्यान संविधान में किए गए उपबंध की ओर दिलाना चाहूँगा। मैं आपके समक्ष संविधान का अनुच्छेद 108 प्रस्तुत करूँगा। अनुच्छेद 108(1) में कहा गया है— यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात्—

"(क) दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है; या

(ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं; या

(ग) दूसरे सदन का विधेयक प्राप्त होने की तारीख से, उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, छह मास से अधिक बीत गए हैं।"

तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोक सभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है। राष्ट्रपति ...."

यहाँ कोई विघटन नहीं हुआ है। सदन अभी भी चल रहा है। दोनों सदन चल रहे हैं।

सभापति महोदय: उस विधेयक को वापस ले लिया गया था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: एक सदन ने इसे पारित कर दिया था और जबकि दूसरे सदन ने इसे अस्वीकृत कर दिया था।

सभापति महोदय: उसके बावजूद विधेयक वापस ले लिया गया था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अनुच्छेद 108 में आगे कहा गया है:

"..... उस दशा के सिवाय जिसमें लोक सभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा।"

यह उपबंध है। इस विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 108 का सहारा लेना चाहिए था। इस संदर्भ में जब एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया है और दूसरे सदन ने इसे अस्वीकृत कर दिया है तब उन्हें आपातकालीन उपबंध, संविधान के असाधारण उपबंध का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 108 में साधारण उपबंध है और उन्हें इस उपबंध का सहारा लेना चाहिए था।

यह इस सदन की शक्तियों का अतिक्रमण का स्पष्ट मामला है। यह ऐसा स्पष्ट मामला है जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय की समूची पीठ के उस निर्णय का उल्लंघन किया है जिसमें यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि अध्यादेश का पुर:स्थापन की बिल्कुल अनुमति नहीं है और पुन: प्रख्यापन संविधान के साथ धोखाधड़ी माना जाता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसा मामला है जो बिहार मामले का विस्तारण है। बिहार के मामले में अध्यादेश पुर:प्रख्यापित किया गया था लेकिन यहाँ इस मामले में पुर:प्रख्यापित ही नहीं किया गया है बल्कि संबंधित विधेयक भी पारित हो चुका है। उनको विधेयक वापस क्यों लेना चाहिए जबकि एक सदन ने इसे पारित कर दिया हो। चूंकि उनको एक निर्णय लेना था इसलिए विधेयक को वापस लेना पड़ा। उस मामले में अध्यादेश तब जारी किया गया जब विधेयक को इस सदन ने पारित कर दिया था।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी बात समाप्त करें। कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाएं क्योंकि बाद में, आपको उत्तर प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए, सारे मुद्दे अभी समाप्त न करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा विनम्र निवेदन है कि यह संविधान के उपबंधों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संरक्षक हैं और इस सदन के अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वशक्ति सम्पन्न हैं। यदि आप इस मामले को गम्भीरता से लेते हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के इच्छुक हैं, तो आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। वास्तव में, मैं जानता हूँ और मुझे मालूम है कि अध्यक्ष महोदय सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए बाध्य हैं लेकिन उन्हें अवैध कार्यवाही नहीं चलानी चाहिए। सभा में अवैध कार्यवाही चलाना अध्यक्ष का कार्य नहीं है।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन में कार्यवाही संचालन अध्यक्ष का कार्य नहीं है। जब यहाँ संविधान में विशिष्ट उपबंध है तो फिर क्या ये इस उपबंध का सहारा नहीं ले सकते?

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसलिए, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा निरनुमोदन संकल्प स्वीकार किया जाये। मुझे विश्वास है, यदि यह मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को दरकिनार कर देगा और आपको चेतावनी देगा कि आप कमोबेश मुश्किल में पड़ेंगे। यह मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा। उच्चतम न्यायालय इस मामले को गंभीरता से लेगा यदि आप इस विधेयक को जो कुछ न्यायालय ने कहा है उसका घोर उल्लंघन करते हुए, पारित करते हैं तो मैं इस सभा और आप सभी को चेतावनी देता हूँ कि उच्चतम न्यायालय इसे गम्भीरता से लेगा और सारी कार्यवाही पर पानी फिर जाएगा और हम हंसी के पात्र बन जाएंगे।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं सदन से उस संसदीय गरिमा, संसदीय परम्परा को बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ जो 1980 या 1990 तक इस सदन द्वारा कायम रखी गई थी, जैसाकि नियमों में कहा गया है। अध्यादेश जारी करके कानून बनाना एनडीए सरकार की प्रथा बन गई है। इसलिए मेरा पुरजोर अनुरोध है कि मेरा निरनुमोदन संकल्प स्वीकार किया जाए।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

सभापति महोदय: श्री जोस, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री ए.सी. जोस: हम इस विधेयक को पारित कर सकते हैं लेकिन क्या माननीय मंत्री इससे आश्वस्त हैं कि उच्च सदन भी इसे स्वीकार कर लेगा? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री आश्वस्त हैं या नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: दूसरा सदन इसे पारित नहीं करेगा।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है, यह मुद्दा बहुत आसान है। माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय बिहार के मामले से संबंधित है। जहाँ मामले को विधान मंडल को कभी नहीं सौंपा गया। यहाँ एक ऐसा मामला है जिसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा को भेजा गया था। बार-बार स्थगन के कारण राज्य सभा इस पर विचार नहीं कर सकी। मैं इन सभी बातों को स्पष्ट कर चुका हूं, जब पिछली बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था।

दूसरा प्रश्न ये है कि यह विधेयक दोनों सदनों की अनुमति से पहले ही वापस ले लिया गया है। इसलिए, यह आपत्ति वैध नहीं है। हमने अटार्नी जनरल से कानूनी सलाह ली है और यह एकदम वैध है। सदन ने भी इसे अनुमति दे दी है। जहाँ तक तकनीकी पहलू का संबंध है, यही बात है, यदि अन्य कोई प्रश्न न हो तो मैं इस विधेयक का औचित्य दे सकता हूँ।

मूल प्रश्न जो मैं करना चाहता हूँ। वह एक बहुत प्रसिद्ध संस्थान का बहुत ही दुखद कहानी है जिसे बर्बाद और नष्ट कर दिया गया है। अब, इस संस्थान को उबारने और इसमें नई जान फूंकने का प्रयास किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह राजनीति के संकीर्ण स्वार्थों को हासिल करने का मैदान न बन जाए तथा जिस उच्च प्रयोजन के लिए इसे सर तेज बहादुर सप्रू और सरकार ने गठित किया था, वह पूरा हो सके।

पिछली बार जब विधेयक को रोकने के लिए आपत्तियां उठाई गई कि दूसरा सदन इसे पारित नहीं करेगा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रश्न यह है कि यहाँ विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी समिति ने तदोपरांत तीन सिफारिशें की हैं और वे सर्वसम्मत

सिफारिशें हैं। मैं इन सिफारिशों को पढ़ना चाहता हूँ जो अपने आप में स्पष्ट हैं।

ये सिफारिशें क्या कहती हैं? पहली, स्थायी समिति 1993-94 ने टिप्पणी की है, समिति महसूस करती है कि यह उचित समय है जब आई.सी.डब्ल्यू.ए. को बचाया जाये और इसके पहले कि अधिक विलम्ब हो उसे राष्ट्रीय महत्व के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया जाये। 1994-95 की समिति ने अपनी सिफारिशों को पुन: दोहराया। 1998-99 की समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

> ''.... आई.सी.डब्ल्यू.ए. जो सप्रू हाउस के नाम से लोकप्रिय है की कार्य स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए, समिति का यह मानना है कि जब तक सरकार द्वारा आई.सी.डब्ल्यू.ए. का अधिग्रहण नहीं किया जाता इस संस्थान में आगे और गिरावट आयेगी, जिसे एक विश्वसनीय और सम्मानजनक संस्थान बनाये जाने की एक उच्च आशा के साथ गठित किया गया था। यह 1980 तक अपना काम अच्छी तरह करता रहा। समिति सिफारिश करती है कि विदेश मंत्रालय को आगे आना चाहिए और सरकार द्वारा आई.सी.डब्ल्यू.ए. को अपने नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव को पुन: शुरू करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।''

महोदय, इस सम्माननीय सदन तथा राज्य सभा के 44 प्रमुख सदस्यों ने सिफारिशें की थीं। ये सदस्य कौन थे? मैं उनमें से कुछ का नाम लूँगा; उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री शरद पवार, डा. कर्ण सिंह, श्री पी.ए. संगमा, श्री शिवराज पाटिल—जब वह पिछली बार सदन में बैठे थे इसका विरोध कर रहे थे—श्री पी. शिव शंकर, श्री नटवर सिंह, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री माधव सिंह सोलंकी, श्री आर. मोहम्मद खां और मैं भी उन सदस्यों में से एक था लेकिन मैं यहाँ उसे उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। यह सिफारिश पहले भी की गई थी और मुझे आश्चर्य है कि प्रत्येक सदस्य चाहे वह लोक सभा या राज्य सभा का हो इसका विरोध कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं हम केवल उनकी सिफारिशों का अनुपालन कर रहे हैं। हम उनकी सिफारिशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं और ये सिफारिशें इन प्रमुख और वरिष्ठ संसदविदों द्वारा एक या दो बार नहीं की गई हैं बल्कि तीन बार की गई थीं। इससे उनकी वैचारिक सत्यनिष्ठा और दृढ़ विश्वसनीयता का प्रश्न उठता है। इसने अनेक मुद्दे उठते हैं। पहले उन्होंने सिफारिशें की और अब कहा जा रहा है कि वे इस विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे और श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री थे उस समय किए गए विचारों के सभी टिप्पणों और अभिलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियों को सभा पटल पर रखना चाहता हूँ। उस समय क्या सिफारिशें की गई थी और तब सरकार का क्या दृष्टिकोण था? मैं उनमें से कुछ को

पढ़ता हूँ। विशेष रूप से जब स्वर्गीय राजीव गाँधी प्रधान मंत्री थे। कुछ सदस्य वहाँ कहते हैं कि वे इसका राज्य सभा में विरोध करेंगे और कुछ ने यहाँ भी विरोध करने का प्रयास किया है। तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदित टिप्पण में कहा गया है कि सरकार को भारतीय विश्व कार्य परिषद को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। इस तरह के उपाय सुझाने का मूल उद्देश्य भारतीय विश्व कार्य परिषद के कुप्रबंध और वर्षों से चल रहे राजनीतिक दुष्चक्र से इस प्रतिष्ठित संस्थान को बर्बाद होने से रोकना था।

महोदय, उसके बाद दिसम्बर, 1986 में दोबारा तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अनुमति दी थी कि सरकार को इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करके भारतीय विश्व कार्य परिषद में व्याप्त कुव्यवस्था को दूर करना चाहिए। कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था भी की जानी होगी। यह स्वर्गीय राजीव गाँधी सरकार की राय थी कि आई.सी.डब्ल्यू.ए. के तत्कालीन अध्यक्ष एक इस स्तर के व्यक्ति के कि जब आप उन्हें हटाकर संस्थान को अपने नियंत्रण में लेंगे तो आपको कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना होगा। इसलिए, उन्होंने अध्यादेश को शुक्रवार तक जारी करने के लिए अनुरोध किया क्योंकि कहीं ये न हो कि परिषद की सम्पत्ति से भी हाथ धोना पड़े। यह रवैया तत्कालीन अध्यक्ष का था और विचार तत्कालीन सरकार के थे जो अब इसका विरोध कर रहे हैं?

महोदय, उसके बाद श्री बी.पी. सिंह की सरकार आई। उस सरकार का क्या दृष्टिकोण था? गत अनेक वर्षों से आई.सी.डब्ल्यू.ए. भयावह स्थिति से गुजर रहा है जिस पर भारी वित्तीय राशि बकाया है और उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता में तेजी से गिरावट आ रही है।

''ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संस्थान के नेतृत्व पर ऐसे लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जो इसे राजनीति के अखाड़े के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई.सी.डब्ल्यू.ए. के अध्यक्ष हरचरण सिंह जोश, जो कांग्रेस (आई) के छोटे-मोटे राजनेता हैं, ने फर्जी सदस्यों को पंजीकृत किया है ताकि कार्यकारी समिति पर कब्जा किया जा सके। पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी ने यह अनुमति दी थी कि सरकार आई.सी.डब्ल्यू.ए. को प्रमुख संस्थान के रूप में पुनरुज्जीवित करने के लिए उपचारात्मक उपाय और भविष्य में संस्थान पर सम्भावित कब्जों को रोकने के लिए इसके गठन को नया रूप दे। टिप्पण में कर्मचारियों, शिक्षाविदों और राजनेताओं द्वारा की गयी शिकायतों का भी उल्लेख है। यदि हम इस प्रमुख संस्थान को बचाने का कार्य नहीं करते हैं यह बहुत शर्म की बात होगी, विशेषकर तब जबकि तैयारी का सारा काम पहले ही कर लिया गया है। इससे पहले, श्री बलिराम भगत, श्री भुवनेश चतुर्वेदी सहित अनेक संसद सदस्यों से शिकायतें मिली थी।''

[श्री जगमोहन]

महोदय, पृष्ठभूमि में जाएं तो इस संस्था की स्थापना 1943 में श्री तेज बहादुर सप्रू जैसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा की गई थी। प्रोफेसर हृदयनाथ कुंजरु जैसे लोग इस संस्था से जुड़े रहे हैं। उन दिनों इसका बहुत बड़ा नाम था। यह 38 वर्षों से बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था और फिर यह हरचरन सिंह जोश के हाथों में चला गया। ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' ने 1986 में आई.सी.डब्ल्यू.ए. पर एक खोजपरक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अलग-अलग समय पर बहुत से अन्य समाचार-पत्रों ने भी ऐसा किया। समय की कमी के कारण मैं केवल ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित खोजपरक रिपोर्ट का ही उल्लेख करूंगा। मैं एक प्रमाणित प्रति सभा पटल पर रखना चाहूंगा। मैं उसमें से केवल एक या दो उद्धरण पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें लिखा है:

''आई.सी.डब्ल्यू.ए. में जो कुछ हुआ वह इस भारतीय सच्चाई का परिचायक है कि किस प्रकार क्षुद्र राजनीतिज्ञों के एक दल की निजी महत्वाकांक्षाएं सामुदायिक समानता के स्वप्न को ध्वस्त कर देती हैं। दुखद बात यह है कि यह संगठन धरातल में चला गया है।''

दूसरे उद्धरण में लिखा है:

''साठ के दशक में, यदि इंडिया गेट राजधानी का भौगोलिक प्रतीक चिह्न था तो सप्रू हाउस स्वतंत्र भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतीक चिह्न था। इसके तुरंत बाद के वर्षों में आई.सी.डब्ल्यू.ए. ने हो ची मिन्ह, चेस्टर बोल, कार्ल हेनेसर, आर्नाल्ड टोइनबी जैसे विशिष्ट अतिथियों को एक मंच प्रदान किया। आज, यह पंजाबी संस्कृति के दिखावे के लिए अधिक जाना जाता है, छुटभैये व्यापारी कबड्डी मैचों का आयोजन कर रहे हैं, शानो-शौकत वाली शादियां और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।''

एक दूसरी इतनी ही खराब रिपोर्ट है। इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया? मेरे पास वह रिपोर्ट है जिसमें सदस्य के रूप में पंजीकृत नामों की सूची है। मैं इस रिपोर्ट को सदन के सभा पटल पर रखूंगा। यहां ज्ञान के इस संस्थान में खेले गए नाटकों के कुछ पोस्टर हैं। एक शीर्षक है, ''कुडी जवान, ग्वांडन परेशान''। इस संस्थान को इस स्तर तक गिरा दिया गया है।

गत बीस वर्षों से एक ही सज्जन चुनावों में गड़बड़ी करके कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार चुनावों में गड़बड़ियां की गई वह अपने आप में एक अलग कहानी है, एक दुखद कहानी है। मैं जारी किए गए चैकों की एक सूची अभी दूंगा। सदस्यों की भर्ती कैसे की गई? 330 सदस्यों के लिए केवल एक चैक जारी किया गया। चैक की संख्या दी गई है, यह 15 जून 1982 का है। इस एक चैक के आधार पर 330 सदस्यों को नामांकित किया गया। ये सारे दिल्ली के थे। मैं बाद में यह सूची पढ़कर सुनाऊंगा। इसके बाद 100 और उसके बाद 200 लोगों को इकट्ठा सदस्य बनाया गया। मैं उन सभी सूचियों को सदन के सभा पटल पर रखूंगा। सदस्यों के रूप में किन्हें नामांकित किया गया? जिन बड़े विद्वानों और महान शिक्षाविदों को पंजीकृत किया गया उनके नाम हैं—महिंदर पाल सिंह, सब्जी मंडी; पटवार सिंह, सब्जी मंडी; इंदरजीत कौर, सब्जी मंडी; बलबीर सिंह, सब्जी मंडी; जसपाल सिंह, सब्जी मंडी; हरनाम सिंह, सब्जी मंडी; और अन्य ऐसे बहुत से। मैं आपको नामांकित किए गए और सैकड़ों लोगों की पूरी सूची दे दूंगा। वे कहते हैं कि उनके वोटों से वे चुने गए हैं।

'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में इसके बारे में बॉक्स में समाचार दिया गया था। 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' का एक संवाददाता विभिन्न स्थानों पर गया और उन लोगों का साक्षात्कार लिया। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था श्री सतनाम सिंह। जिसने अपनी पढ़ाई स्कूल स्तर के बाद ही छोड़ दी थी। वह क्या करता है? वह शौरा कोठी, सब्जी मंडी में एक परचून की दुकान चलाता है और वह आई.सी.डब्ल्यू.ए. का सदस्य था। उसकी दुकान श्री हरचरन सिंह जोश के घर के सामने है। जब 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' का वह संवाददाता श्री सतनाम सिंह से मिला और बताया कि वह आई.सी.डब्ल्यू.ए. पर अनुसंधान कर रहा है तो वह व्यक्ति हैरानी से बोला ''आप आई.सी.डब्ल्यू.ए. के बारे में किसी विद्वान आदमी से क्यों नहीं पूछते? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता।' जब उससे पूछा कि वह आई.सी.डब्ल्यू.ए. का सदस्य क्यों बना तो श्री सतनाम सिंह ने उत्तर दिया: ''जोश साहब ने मुझे फार्म पर हस्ताक्षर करने को कहा और मैंने कर दिया। मेरे उनके भाई के साथ अच्छे संबंध हैं।'' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सप्रू हाउस जाते हैं तो उसने उत्तर दिया कि ''नहीं। प्रतिवर्ष मैं केवल चुनाव के समय वहां जाता हूं। हम जाते हैं और अपना मत देते हैं।'' जब संवाददाता ने उससे पूछा कि पिछली बार अपना मत उसने किसे दिया था तो उसका उत्तर था; ''मुझे याद नहीं है। जोश साहब ने हमें एक सूची दी थी और हमने उसी के अनुसार मतदान किया था।''

सभापति महोदय, इसके कार्यकरण के बारे में ऐसे बहुत से साक्षात्कार लिए गए हैं। श्री जोश का करीबी एक और व्यक्ति का नाम लिया जाता है, वह है श्री ऋषि... जो कि इस परिषद का उपाध्यक्ष है। यह एक उद्योगपति हैं और उसकी ओखला में इलैक्ट्रानिक्स की फैक्टरी है? इस व्यक्ति ने 1982 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के चैकों से 22 सदस्यों का वित्तपोषण 21,600 रुपये देकर किया था। सारे चैकों के नम्बर दिए गए हैं। इस प्रकार इन सदस्यों को प्रवेश दिया गया था और इसी प्रकार

फर्जी मतदान सम्पन्न कराए गए। बीस सालों से एक व्यक्ति भारतीय विश्व कार्य परिषद का सर्वेसर्वा बना बैठा है। इससे हमारे देश में व्याप्त सत्ता की राजनीति या प्रशासन ही नहीं बल्कि उदासीनता की संस्कृति का पता चलता है। यदि भले लोग निष्क्रिय रहें तो बुराई को पनपने का अवसर मिलता है। इसीलिए उन्होंने 20 वर्षों तक कोई काम नहीं किया।

हालांकि, श्री राजीव गांधी और श्री वी.पी. सिंह के शासनकाल में इस दिशा में प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास बाद में जारी नहीं रखे गए।

अदालत में इस संबंध में कोई तकनीकी मुद्दा उठाया गया। अदालत ने इस पर विचार किया और फिर एक खंडपीठ ने भी इसे स्वीकृति दे दी। इसके बाद सदनों की बैठकें हुईं, लेकिन बाद में एक सदन को भंग कर दिया गया और इसके बाद किसी ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया।

लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कदम उठाए हैं। हमने इस मुद्दे की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। हमारा उद्देश्य इस संस्था की रक्षा करना और उसे उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना है। इसके लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। हमने परिषद की एक नयी संरचना तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में परिषद पर इस प्रकार का कब्जा न किया जा सके और इस पर सब्जी मंडी का इस प्रकार का नियंत्रण न हो सके। हमने बहुत से सुझाव दिए हैं। एक सुझाव हमने यह भी दिया कि इस परिषद का अध्यक्ष राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। हमने सुझाव दिया कि लोकसभा अध्यक्ष लोक सभा के पांच सदस्यों को और राज्य सभा के सभापति राज्य सभा के तीन सदस्यों को इस परिषद के लिए नामित करें। हमने कहा कि हम सभी लोगों को भर्ती करेंगे। विद्वानों को नामनिर्दिष्ट करने का कार्य परिषद करेगी। हमारे पास ऐसे 45 लोगों की सूची है जो चुने जाने और नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए उपयुक्त हैं। इसका मकसद परिषद पर कब्जे की संभावनाओं को खत्म करना है।

सभापति महोदय, यह मुद्दा उठाया गया था कि परिषद पर अफसरशाही का नियंत्रण हो जाएगा। परिषद पर सरकार का अधिक नियंत्रण नहीं होगा। जब इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य और राज्य सभा के माननीय सदस्य परिषद में होंगे तो फिर कोई परिपद पर अपना नियंत्रण या प्रभुत्व कैसे जमा सकेगा? सभी प्रकार के विचारों को सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके सभापति भारत के उप-राष्ट्रपति हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी। उदाहरण के लिए, वर्तमान व्यवस्था को लें। यह व्यवस्था कोई सार्वभौम व्यवस्था नहीं है। इसमें हमने किसे नामनिर्दिष्ट

किया। हमने श्री हमीद अंसारी को नामनिर्दिष्ट किया। हमने कुलपतियों को नामनिर्दिष्ट किया है। हमने श्री दीपक नय्यर, श्री सैयद शहाबुद्दीन, प्रो. निर्मला जोशी, प्रो. राकेश मोहन और दूसरे प्रख्यात व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ कोई आपत्ति की जा सके। इस परिषद में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो वास्तव में हमारी विदेशी नीति, विदेश संबंधों और आर्थिक संबंधों में दिलचस्पी रखते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, इसलिए मैं इस बात को यहीं समाप्त करके यह बताना चाहूंगा कि मेरे पास चित्रों के तीन सैट हैं सदन के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि हमारे कार्यभार संभालने से पहले परिषद की क्या स्थिति थी, हमारे कार्यभार ग्रहण करने के समय क्या स्थिति थी और शराब की बोतल के अलावा छत से और क्या-क्या पाया गया। पिछले एक वर्ष के दौरान मुझे पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मैं सभा पटल पर यह भी प्रस्तुत करना चाहूँगा कि पुनर्गठन समिति ने इस भवन के गौरव की पुन: स्थापना के लिए क्या कार्य किया। उस समय इस भवन की क्या दशा थी? वह जीर्णशीर्ण हालत में था। आज यह एक सुंदर भवन है। बदबूदार बाथरूमों की तब दशा क्या थी और आज उनकी हालत क्या है? भवन की सीढ़ियों, पुस्तकालय और पुस्तकों के स्टाल्स की दशा क्या है? समय की कमी के कारण मैं विस्तृत विवरण नहीं देना चाहता हूँ। मेरे पास एक फिल्म है जिसे मैं किसी भी इच्छुक व्यक्ति को निर्माण भवन में दिखा सकता हूँ। जो भी लोग इच्छुक हों, इस फिल्म को वहाँ आ कर देख सकते हैं। मैं स्वयं उन लोगों के साथ इस संस्था तक जा सकता हूँ ताकि वे स्वयं देख सकें कि इस संस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं। अब हमें इस संस्था का स्तर उठाने के लिए इसके कार्य में गति लानी होगी। श्री हरचरण सिंह जोश और उनके साथियों से जो संस्था विरासत में मिली है वह एक सुनसान भवन, सुनसान पुस्तकालय और विघटित तथा निष्क्रिय संस्था है। अब हमें उसे पुनरुज्जीवित करना है। आप ही तय करें कि इस संस्था को पुनरुज्जीवित किया जाए या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन का उत्तर इस संस्था को पुनरुज्जीवित किये जाने के पक्ष में होगा।

मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा वक्तव्य सुना और मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री आर.एल. भाटिया (अमृतसर): महोदय, मैं श्री जगमोहन द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विधेयक पर चर्चा करने से पहले मैं सदन का ध्यान मंत्री महोदय द्वारा एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध विष-वमन की ओर

[श्री आर.एल. भाटिया]

आकृष्ट करना चाहता हूँ। दस मिनट के अपने छोटे से भाषण में उन्होंने इस व्यक्ति का नाम सात बार लिया। इस विधेयक को सदन में लाए जाने का यही कारण है। यदि मैं गलत होऊं तो वे मेरी गलती को सुधार सकते हैं। श्री जोश ने मुझे बताया कि श्री जगमोहन ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें आर.एस.एस. के दो नेताओं को समिति में शामिल करने के लिए कहा ...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : मैंने नाम का उल्लेख नहीं किया। मैंने रिकार्ड में पढ़ा है। मैंने केवल श्री राजीव गांधी और श्री वी.पी. सिंह के समय दर्ज किए गए दस्तावेज ही पढ़े हैं।

श्री आर.एल. भाटिया: मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी श्री जोश से बातचीत की?

श्री जगमोहन: नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री आर.एल. भाटिया: उन्होंने बताया कि आपने उनसे बात की थी। आप या तो इसका खंडन कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: मेरे द्वारा उनसे संपर्क किए जाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? क्या स्थायो समिति ने जो सिफारिश की वह भी मेरे द्वारा संपर्क किए जाने के कारण थी? ...*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. भाटिया: वह अलग बात है। मैं स्थायी समिति की बात नहीं कर रहा हूँ।

महोदय, भारतीय विश्व मामले परिषद की स्थापना पंडित जवाहर लाल नेहरू और जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, हृदयनाथ कुंजरू जैसे लोगों ने की थी ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।

सभापति महोदय: किस नियम के अधीन?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे नियम मालूम है। मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।

सभापति महोदय: आप व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन उठाना चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे नियम मालूम है लेकिन अभी नियम संबंधी पुस्तक मेरे पास नहीं है।

सभापति महोदय: मैं जानता हूँ कि आपको नियम का उल्लेख करना पड़ेगा। आप पहले नियम बताएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि कोई सदस्य कोई प्रतिकूल बात कह रहा हो, तो हम इस मुद्दे की उठा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन उठा रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि कोई सदस्य तथ्यों के विपरीत कोई बात कह रहा हो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, पहले आप नियम का उल्लेख करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे नियम की ठीक-ठीक संख्या याद नहीं है।

सभापति महोदय: आप नियम संख्या की जानकारी के बिना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, नियम 376 के अनुसार:

"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा....."

मैं सदन की कार्यवाही की बात कर रहा हूँ। महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत प्रासंगिक है। इस विधेयक को इस सदन में पुन: प्रस्तुत किया गया है और इसे दूसरे सदन में भी पुन: प्रस्तुत करना होगा। क्या इससे स्थिति में कोई बदलाव होगा? क्या यह औपचारिकता मात्र नहीं है? यह सदन एक बेहद महत्वपूर्ण निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है ...*(व्यबधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैंने विधेयक के किसी भी हिस्से पर टिप्पणी नहीं की। मैंने विधेयक की विषयवस्तु के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी की।

सभापति महोदय: आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्होंने मेरे कानूनी मुद्दे का उत्तर नहीं दिया है।

सभापति महोदय: आप ये सब बातें अपने भाषण में कह सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब मैंने व्यवहार्यता और संवैधानिकता का प्रश्न उठाया तो उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री आर.एल. भाटिया: महोदय, इस संस्थान की स्थापना लोगों को विदेशी मामलों की जानकारी देने, भारत सरकार की विदेश नीति का प्रसार करने और इस संस्था में लोगों को विचार-विमर्श और चिंतन करने का अधिकार देने के उद्देश्य से की गई थी। महोदय, इस संस्था की अध्यक्षता पूर्व विदेश मंत्री श्री बलिराम भगत जैसे लोगों द्वारा की जा चुकी है और स्वर्गीय राजीव गांधी इसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सरदार स्वर्ण सिंह ने भी इस संस्था का संचालन किया था। इस समय हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री सईद इसके उपाध्यक्ष हैं। आपने सब्जी मंडी आदि का जिक्र किया लेकिन आपने उन लोगों का जिक्र नहीं किया जो इस संस्था में हैं और उसे चला रहे हैं। क्या आपको शंका है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय इस संस्था के संचालन में सक्षम नहीं हैं?

महोदय, इस संगठन का इतिहास यह है कि सरकार एक ऐसे स्वतंत्र संगठन की स्थापना करना चाहती थी जो लोगों को जानकारी दे सके और वाद-विवादों का आयोजन कर सके। एक बड़ा पुस्तकालय तैयार किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक, शोधकर्त्ता और अध्येता वहां अध्ययन कर सकें। यह संस्था शिक्षा का प्रसार कर रही थी। सरकार ने संस्था को मात्र 10,000 रुपए के मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराई थी। वह विशाल भवन जिसे आज सप्रू हाउस के नाम से जाना जाता है, लोगों से मिले दान और सदस्यता शुल्क की राशि से तैयार किया गया। भारत सरकार ने इस संगठन को कभी कोई धनराशि या सहायता नहीं दी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू का विचार किसी ऐसे स्वतंत्र संगठन की स्थापना करने का था जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में लोगों को जानकारी देने के कार्य को देख सके।

जैसाकि मैं बता चुका हूँ, सरकार ने इस संगठन को कभी भी वित्तीय सहायता या समर्थन नहीं दिया। भारत सरकार ने केवल पुस्तकालय के लिए अनुदान दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस संगठन की साठ हजार पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दे दी गई थीं। सरकार ने संगठन को इन पुस्तकों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सुपुर्द कर देने का निदेश दिया था। इसलिए, जब इसका विरोध हुआ तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री चाजला ने इस संस्था को मदद देने का वचन दिया था और दो वर्षों तक इस संगठन को 2 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके बाद सरकार द्वारा इस संगठन को कोई राशि या सहायता नहीं दी गई।

पुस्तकालय के संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि वहाँ किसी भी प्रकार की पुस्तकें नहीं पाई गईं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह संगठन मृतप्राय है। लेकिन, मैं यह कहना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को साठ हजार पुस्तकें दिए जाने के बावजूद इस संस्थान ने दुनिया भर से प्रकाशित 26 हजार पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदीं और इन्हें शोधकर्ताओं को अध्ययन करने, शोधपत्र लिखने और वाद-विवाद तैयार करने के लिए उपलब्ध कराया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पुस्तकालय की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र के निदेशक ने इस पुस्तकालय का दौरा करते समय कहा था कि यह पुस्तकालय बहुत अच्छा है। लेकिन मंत्री महोदय का कथन इससे बिल्कुल अलग है, जो कि गलत है।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इस संस्था का स्तर गिरा है और यह संस्था मृतप्राय संस्था है। लेकिन वर्ष 1980 से अब तक की अवधि, जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है, के दौरान इस संगठन की गतिविधियां कुछ और ही कहानी कहती हैं। यह संस्था लगभग 400 से 500 विद्वतापूर्ण पुस्तकें आदि प्रकाशित करा चुकी है। परिषद ने नई विश्व व्यवस्था के बारे में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें 84 प्रतिष्ठित विदेशी नेताओं और 90 विशिष्ट भारतीयों ने भाग लिया था। लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि यह संगठन मृतप्राय है।

इसी प्रकार, इस संगठन ने और भी बहुत से कार्यकलापों का आयोजन किया है। इतना ही नहीं यह प्रतिष्ठित संस्था श्री नेल्सन मंडेला को भी पुरस्कृत कर चुकी है। वे संस्थान में आये थे और उन्होंने संस्थान के सदस्यों को भी संबोधित किया था। संस्थान ने श्री यासर अराफात को भी पुरस्कृत किया था और वे भी यहाँ के सदस्यों को संबोधित करने के लिए संस्थान में आए थे। लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि यह संगठन मृतप्राय है और इसमें किसी की रुचि नहीं है।

इस संगठन ने पट्टे की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। धन का भुगतान हर वर्ष नियमित ढंग से किया जाता रहा है, पिछला भुगतान वर्ष 2000 तक के लिए किया गया था। इस संगठन पर किसी भी प्रकार की राशि बकाया नहीं है। इस बात पर आपत्ति की गई है कि इस संगठन के भवन के कुछ भाग उप-किराएदारी पर दे दिए गए हैं। लेकिन हिस्से किन लोगों को उप-किराएदारी पर दिए गए? ये हैं: स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूट, प्रैस इंस्टीट्यूट और चिल्ड्रन सर्विस सोसाइटी। यदि मैं गलत होऊँ तो मंत्री महोदय मेरी बात को ठीक कर दें इस भवन का एक भाग एक ऐसे संगठन को भी उप-किराएदारी पर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मंत्री महोदय हैं। वे इससे इंकार कर सकते हैं।

श्री जगमोहन: नहीं, मैं उसका अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।

श्री आर.एल. भाटिया: मैं, श्री वरकला राधाकृष्णन की इस बात से सहमत हूँ कि यह सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी कर रही है। उन्होंने सदन में यह तीसरा अध्यादेश प्रस्तुत किया है। विधेयक लाए जाते हैं, उन्हें वापस ले लिया जाता है और इन्हें पुन: प्रस्तुत कर दिया जाता है। संसद चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। इसमें से किस चीज की बू आ रही है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय और श्री जोश के बीच संबंध बिगड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने कई बार श्री जोश का नाम लिया है। इसलिए वे इस विधेयक को जल्दी में प्रस्तुत करके सदन में पारित करा लेना चाहते हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया है। लेकिन मंत्री महोदय इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराना चाहते हैं।

इसी दौरान, जब यह मामला अदालत में विचाराधीन था, एक स्थगन आदेश जारी हुआ। मंत्री महोदय ने 200 पुलिसकर्मियों को भवन पर कब्जा करने के लिए भेजा। इन पुलिसकर्मियों के साथ सौ से अधिक आर.एस.एस. कार्यकर्त्ता भी थे। यह जल्दबाजी किसलिए थी? जब मामला अदालत में है, जब कानूनी कार्यवाही चल रही है तो फिर अध्यादेश ही अध्यादेश लाये जाने की क्या जल्दी है और फिर विधेयक को जल्दी से पारित कराये जाने की क्या जल्दी है? मैं इस बात को नहीं समझ सका हूँ। मंत्री महोदय को इस बात को स्पष्ट करना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।

अब मैं इस विधेयक के उद्देश्यों पर आता हूँ। उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्यों को गिनाया है। यह संस्था अपनी मौजूदा शक्ल में हर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती रही है जिसका उल्लेख किया गया है। चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं और सभी पुस्तकें और पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। वे सभी कार्यकलाप पहले ही आयोजित किये जा चुके हैं जिनका उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है। आपने कुछ भी नया नहीं कहा है। इसके अलावा इस संस्थान ने इंदिरा गांधी मैमोरियल अन्तरविश्वविद्यालयी वाद-विवाद भी शुरू किए हैं। देश भर के विश्वविद्यालय इन वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और पुरस्कार जीत कर जाते हैं। पिछली बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुरस्कार जीता था। ये कार्यकलाप इस संस्थान के कार्यकलाप हैं।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस संस्थान का अधिग्रहण करना चाहती है। उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। मेरा अपना विचार यह है कि जैसे आपने दूसरे संस्थानों का भगवाकरण किया है वैसे ही आप इस संस्थान का भी भगवाकरण करना चाहते हैं। आप आई.सी.सी.आर., भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और इंदिरा गांधी कला केन्द्र का भगवाकरण पहले ही कर चुके हैं। आप इतिहास, शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं और अब भारतीय विश्व कार्य परिषद आपके निशाने पर है। यह आपकी सोच है। अब आप एक ऐसे स्वतंत्र संगठन का भगवाकरण करना चाहते हैं जिसकी स्थापना सरकारी संस्थाओं ने की थी और जो अपने कार्य को भली प्रकार से कर रहा है। इसीलिए आप इसका अधिग्रहण करना चाहते हैं। यही वह प्रमुख उद्देश्य है जिसका उल्लेख आपने विधेयक में नहीं किया है। मेरे विचार से आपने जो बताया उसके अलावा इसका कोई और मान्य कारण नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पाँच सदस्य इस सदन के हैं और दस सदस्य दूसरे सदन के हैं। लेकिन प्रभुत्व वाले लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। इस सभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। प्रो. हिंगोरानी और दूसरे कई लोग इसके बोर्ड के सदस्य हैं। ये लोग संगोष्ठियां आयोजित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 200 से अधिक संगोष्ठियां आयोजित की गईं। मैं वहाँ कम से कम आधा दर्जन संगोष्ठियों को संबोधित कर चुका हूँ और मंत्री महोदय का कहना है कि यह संगठन मृतप्राय और खस्ताहाल है। इसलिए मैं उन तर्कों को स्वीकार्य नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आप इस संगठन का भगवाकरण करना चाहते हैं और आप इसका भगवाकरण कर रहे हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत भारतीय विश्व मामले परिषद् विधेयक, 2001 का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में सरकार इस विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए और उसके अनुसार ही उसका निगमन तथा उससे संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाई है।

इस विधेयक के बारे में जब अभी माननीय भाटिया जी कह रहे थे, मुझे हँसी आ रही थी कि विदेश मंत्री के पद पर अधिष्ठित रहने वाले और इतने अच्छे विद्वान होते हुए भी जिस ढंग से वे तर्क दे रहे थे, मैं समझता हूं कि वे उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय उपराष्ट्रपति जी को इसका पदेन अध्यक्ष बनाकर, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को उसमें नॉमिनेट करके, और बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों या भारतीय राष्ट्रीय स्तर के जो ऐसे विद्वानों को अगर उसमें नॉमिनेट करने वाली बात इस बिल में लाई गई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से आ गया?

आप कह रहे हैं कि भगवाकरण किया जा रहा है। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भर दिए। ...*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. भाटिया: इसके वाइस-प्रेसीडेंट डिप्टी स्पीकर साहब हैं।

प्रो. रासासिंह रावत: अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता भरे जाते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है। मुझे ऐसा मालूम देता है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से एलर्जी हो गई है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस देश के निवासी नहीं हैं, क्या वे इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं समझते, क्या वे इस देश से प्यार नहीं करते, क्या वे देश का सर्वोच्च सम्मान करने वालों में नहीं हैं, क्या वे इस देश को विश्व में सम्मानित राष्ट्र के रूप में देखने वालों में और इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति करने वाली विचारधारा रखने वालों में नहीं हैं, क्या वे इस देश को संसार का सर्वप्रमुख राष्ट्र बनने का सपना देखने वालों में नहीं हैं और यदि वे ऐसा सपना देखते हैं, तो क्या यह अनुचित है? यह कांग्रेस की मान्यता है कि एक असत्य को यदि 100 बार दोहराया जाए, तो वह सत्य हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि असत्य हमेशा असत्य ही रहता है।

सभापति महोदय, जब इस संस्था का कांग्रेसीकरण हो रहा था, तब तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। हरचरण सिंह जोश का नाम बार-बार लिया जा रहा है। मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह सत्य है कि राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था को शादी-विवाद के लिए किराए पर दिया जाता था। इससे बढ़कर इस संस्था की विकृति और क्या हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संस्था के बारे में बताया गया कि चुनाव कराने जा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में बोगस लोगों को सदस्य बना लिया गया, जैसा अभी सब्जी मंडी के नामों का उल्लेख किया गया। चुनाव की तारीख घोषित हुई—5 सितम्बर, 2000, लेकिन 12 अगस्त, 2000 को ही चुनाव कर लिया गया और अपने-अपने लोगों को उसमें भर लिया गया।

सभापति महोदय, सदन में विपक्ष की माननीय नेता सोनिया गांधी जी विराजमान हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें। जिस संस्था से पं. जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली डा. राधाकृष्णन, डा. जाकिर हुसैन, हृदयनाथ कुंजरू, तेज बहादुर सप्रू, डा. राजेन्द्र प्रसाद जैसे महान लोग संबंधित हों, वह संस्था ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए, तो आवाज उठानी चाहिए और बताना चाहिए कि इस संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि 20-20 साल के लिए इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए गए। इस संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया गया। वहां के कर्मचारियों ने सरकार को ज्ञापन दिया था कि उन्हें उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संस्था को चेन्नई, मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के बड़े-बड़े लोगों से दान प्राप्त होता था क्योंकि यह बड़े-बड़े नेताओं से सम्बद्ध है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और इनके पास विश्व स्तर की लायब्रेरी है, लेकिन आज यह संस्था मुट्ठीभर लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई। इसलिए सरकार ने हस्तक्षेप किया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

मान्यवर, यहां तीन और चार अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है। मैं समझता हूं कि सरकार ने अध्यादेश लाकर निरन्तरता को बनाए रखा ताकि अनुचित हस्तक्षेप रोका जा सके। अब इसके भवन का कायाकल्प हो गया है। अध्यादेश लाकर इसकी निरन्तरता को बनाए रखा गया अन्यथा, कभी लोक सभा नहीं थी, कभी यह बिल समय पर राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका या कभी प्रस्तुत किया गया, तो इसे पास नहीं किया जा सका आदि, अनेक अड़चनें डाली गईं। यदि अध्यादेश लाकर निरन्तरता को बनाए नहीं रखा जाता, तो यह संस्था फिर उन्हीं हाथों में पहुंच जाती जिन हाथों में पहुंचकर इसका यह खस्ता हाल हुआ।

[हिन्दी]

मान्यवर, वहां बहुत गंदगी पाई गई, टायलेट साफ नहीं थे, तारें टूट पड़ी थीं, दीवारें गिर रही थीं। बिजली की तारें टूटी होने से यदि आग लग जाती, तो भवन जलकर राख हो जाता। दीवारें गिर रही थीं। वहां खाली बोतलें पाई गई। वे खाली बोतलें भी एक विशेष प्रकार की थीं। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कैसे कुकृत्य होते थे। राष्ट्रीय महत्व की संस्था की ऐसी विकृति हो रही थी, जिसका वर्णन करना कठिन है। इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था को सरकार ने अपने हाथों में लेकर, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, इस संस्था की मरम्मत करने के लिए, इस संस्था को पुनरुज्जीवन प्रदान करने के लिए, इस संस्था के महत्व को बनाए रखने के लिए सरकार ने इसे अपने हाथ में लेने का जो काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

इसके लिए आपको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर बिजली के तार वगैरह ठीक नहीं करवाए जाते तो वहां की तारों में आग लग सकती थी। वहां बीसों सालों से बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई थी। यह कहते हैं कि किराए का इतना पैसा आया, दस हजार रुपये, इन्होंने खुद स्वीकार किया कि किराए देते थे। मैं जानना चाहता हूं कि किराए के पैसे का क्या उपयोग किया गया?

[अनुवाद]

कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं था। कोई वेतन भुगतान नहीं हुआ। क्या इसके काम करने का यही तरीका है?

[प्रो. रासासिंह रावत]

[हिन्दी]

क्या यही काम करने का तरीका है? स्टेज, मंच, हॉल सब विकृत स्थिति में आ गए थे। लाइब्रेरी से कई पुस्तकें गायब हो गई थीं।

[अनुवाद]

एशियन्स रिलेशन्स कान्फ्रेंस, 1947

[हिन्दी]

जो बहुत रेयर किताब है, वह उसमें से गायब पाई गई। बाद में पता लगा कि कुछ लोगों ने उसे इधर-उधर बेच दिया। पहले भी राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें जे.एन.यू. में भेजी गईं। बाद में जब उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा दीजिए तो सरकार ने उस समय दो लाख रुपये मुआवजा भी प्रदान किया और बाद में वापिस उन किताबों की व्यवस्था वहां करवाई गई।

मैं आपका थोड़ा संरक्षण चाहूंगा क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं, उनका उत्तर देना मेरा कर्त्तव्य है। यह कहना कि इसकी ग्रांट भी बंद कर दी, ठीक नहीं है। ग्रांट मिल जाती थी लेकिन

[अनुवाद]

अनुदान का दुरुपयोग किया जाता था।

[हिन्दी]

और जब कई वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ, हिसाब पेश नहीं किए गए, जैसा सार्वजनिक संस्थाओं में होता है, ऐसी अनियमितताएं होने के कारण, हिसाब में गोल-माल होने के कारण, कुछ लोगों की जेब गर्म होने के कारण, भ्रष्टाचार पनपने के कारण इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था को सरकार ने अधिगृहीत करने का निश्चय किया, इसके लिए मैं सरकार को पुन: बधाई देना चाहूंगा।

इन्होंने कहा कि कोर्ट में गए। जब यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट ने कहा कि फैसला बाद में देंगे लेकिन लोक सभा में बिल पेश किया जा सकता है और सरकार इस व्यवस्था के लिए आर्डिनैंस, बिल वगैरह लाकर समुचित व्यवस्था कर सकती है। इस बारे में स्वयं कोर्ट का निर्णय है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इस संस्था के लिए सरकारी संरक्षण बहुत आवश्यक है। इस संस्था की सोसायटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत 1943 में रजिस्टर हुई थी और काउंसिल का उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन को संवर्धित करना था। इसलिए उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इसे विश्वविख्यात संस्था बनाने के लिए, अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए, उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करने के लिए एन.डी.ए. की सरकार इस विधेयक को लाई है, इसलिए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने विशेषकर वह स्थिति जिसमें विधेयक को लाया गया था, स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कतिपय गतिरोध के कारण इसे अन्य सभा में पारित न होने और अध्यादेश के व्यपगत होने आदि की विस्तार से चर्चा की है। विधेयक का उद्देश्य इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का है। निश्चय ही यह एक स्वागतयोग्य कदम है।

पंडित नेहरू, पंडित एच.एन. कुंजरू, प्रो. जाकिर हुसैन जैसे जाने-माने लोगों द्वारा 40 के दशक के प्रारंभ में स्थापित यह प्रतिष्ठित संस्थान इस कगार पर पहुँच गया है कि प्राय: सभी क्षेत्रों में इसकी हालत शोचनीय हो गई है। यहां तक कि इसके अत्यधिक समृद्ध पुस्तकालय की भी हालत शोचनीय हो गई है। गत कई वर्षों के दौरान इसका प्रबंधन खेदजनक रहा है या यूँ कहें कि कुप्रबंधन के कारण यह हालात हुए हैं।

जहाँ तक मुझे याद है, यह बात सही है कि वर्ष 1992 से 1998 के बीच स्थायी समिति की कम से कम तीन बैठकें हुईं और उसने सिफारिश की थी कि अब और समय गंवाये बिना सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए; इसको उचित आधार और सही दिशा प्रदान कर इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा को बहाल करना चाहिए। इस बारे में कोई और विवाद नहीं हो सकता।

माननीय मंत्री समिति की सिफारिशों को पढ़ कर सुना रहे थे ''कि समिति यह महसूस करती है कि अब वह समय आ गया है कि अत्यधिक विलम्ब करने से पूर्व आईसीडब्ल्यूए को राष्ट्रीय महत्व के एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में पुनरुज्जीवित किया जाए। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की स्वायत्तता का विचार एक ऐसे कगार पर आ पहुंचा है कि हम सरकार के इरादे पर बस चिंता ही जता सकते हैं। यदि आप सरकार के पिछले इतिहास और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् पर दृष्टिपात करें तो पाएँगे कि परिषद् से विश्व के जाने-माने इतिहासकारों को हटाकर उसमें हिन्दुत्व को तोड़-मरोड़कर या यूँ कहें कि राजनीति से प्रेरित हिन्दुत्व को पेश करने के गुप्त एजेंडा के साथ आर एस एस के लोगों को रखा गया है।

यह भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद तक ही सीमित नहीं है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् में उनके अपने

आदमी प्रो. एम.एल. सोंधी ने एक सार्वजनिक बयान दिया है, ''कि मैं उसके दर्शन से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं इसे कुछ हद तक आजादी से चलाना चाहता था, पर वे सहन करने को तैयार नहीं हैं।'' यही बात अन्य बहुत से संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, एडवांस्ड अध्ययन केन्द्र और अन्यत्र संस्थाओं के बारे में भी है। राजनीति की भावना से चुन-चुनकर आर एस एस की पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं और इन्हें संस्कृति, शिक्षा और हर जगह महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा रहा है। यह हमारी आशंका है।

जब सरकार या माननीय मंत्री का यह कहना है कि वे इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाना चाहते हैं तो इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन वे जो करना चाहते हैं वह इसकी प्रस्तावित संरचना से बहुत स्पष्ट है। इसकी संरचना कैसी है, यह सरकार द्वारा संचालित एक निकाय होगा जिसमें अधिकतर नामित लोग होंगे। यह विदेश मंत्रालय का एक अंग होगा। लेकिन अमरीका, ब्रिटेन, जापान जैसे अन्य देशों में ऐसे निकायों का प्रयोग एक वैचारिक संस्था के रूप में किया जाता है और वे स्वतंत्र निकाय होते हैं। उनका सरकार के चिन्तन में योगदान होता है। वे पूरक, सम्पूरक होते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो वे विरोध और आलोचना भी करते हैं। इसी में इनकी गरिमा है।

अपराह्न 3.34 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

ऐसी स्थिति में जब हम नये दौर में प्रवेश कर रहे हैं तो द्विपक्षीय कूटनीति व्यक्ति-दर-व्यक्ति सम्पर्क करना एक ऐसा कदम है जो यह अपेक्षा करता है कि इसे ऐसी आजादी दी जानी चाहिए। इससे इसका सम्मान बढ़ेगा, इसमें विश्वास जगेगा और इसकी अपनी छवि बनेगी। यह इसी देश की सरहदों से भी परे जा सकेगा। यह व्यक्ति-दर-व्यक्ति संपर्क बनाने सांस्कृतिक संपर्क विकसित करने और द्विपक्षीय कूटनीति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अन्य लोगों का विश्वास जीत सकेगा।

किन्तु आज जो कुछ यहाँ हो रहा है वह यह है कि परिषद् में लोक सभा से चार और राज्य सभा से तीन सदस्यों को छोड़कर अधिकांश सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर बहुत खुश हुआ होता कि कुप्रबंधन से हम एक स्वस्थ वातावरण बहाल करना चाहते है।

आप जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुप्रबंधन से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि बड़ा भ्रष्टाचार मच सकता था। इस प्रतिष्ठित संस्थान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित सभी दस्तावेज हैं। इसमें निदेश मामलों से जुड़े अति महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। जब अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन से जुड़ा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली स्थापित किया गया था तो इसमें पुस्तकालय को पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ धनराशि दी गई थी। अब कितनी पुस्तकें खरीदनी थी उनकी संख्या तो मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन ये कोई एक दो लाख या कुछ अधिक हो सकती है। महान जानीमानी हस्तियों के इससे जुड़े होने के कारण इसकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई थी उसको यदि फिर से बहाल कर दिया जाये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक सस्ते बहुआयामी निकाय अर्थात् स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना हो जायेगी और फिर यह एक नामित निकाय नहीं रह जायेगा।

अपराह्न 3.36 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं समझता हूँ कि सरकार इस दिशा में नहीं सोच रही है। यदि इसे विदेश मंत्रालय का एक अंग न मानकर इसे समुचित स्वायत्तता और स्वतंत्रता देनी है, तो सरकार को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना होगा। विदेश मंत्री शासित निकाय के अध्यक्ष हैं। सरकार महानिदेशक को नामित करेगी। वित्तीय सलाहकार सहित अधिकांश सदस्य विदेश मंत्रालय से होते हैं। ऐसा निकाय होने का क्या फायदा है। आप सरकार के परामर्शदात्री निकाय में किसी को रख सकते हैं। आप के पास ऐसे कई निकाय हैं। एनालिसिस स्डजीज भी है। पेसिफिक स्टडीज भी वे इंदिरा गांधी-अवार्ड्स बॉडी-इत्यादि भी है। आपके पास भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् भी है। आपके पास ऐसे कई अन्य निकाय हैं। इस निकाय को एक ''थिंक टैंक'' के रूप में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए क्योंकि शिक्षाविद् पूर्व राजनयिक और बहुत से शोधकर्त्ता इस स्वतंत्र निकाय को योगदान देने के लिए तैयार हैं। वे आपके आदेश को मानने के लिए कभी बाध्य नहीं होंगे। वे कई बातों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं और कई चीजों पर अपनी सहमति जता भी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह जाहिर है कि स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं।

प्रसार भारती भी है। जब प्रसार भारती का गठन हुआ था। वास्तविक स्वायतत्ता के लिए हमने सुझाव दिये थे। आपको ऐसे ही तंत्र के माध्यम से विश्वसनीयता अर्जित करनी होगी। आप अनुसंधान के लिए एक निकाय की स्थापना कर सकते हैं। स्वतंत्र दृष्टिकोण वाले लोग आसानी से प्रभावित नहीं किये जा सकेंगे। वे सरकार की नीतियों के अनुसार चलना कभी पसंद नहीं करेंगे। हमें अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों का पता लगाना होगा और उन्हें इस निकाय में नियुक्त करना होगा। हमें स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है न कि इस सरकार के नामित लोगों की।

[श्री रूपचन्द पाल]

यद्यपि स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की थी, सिफारिश की मूल भावना की उपेक्षा की गयी और इसमें शामिल सदस्यों के कारण उस उद्देश्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसके लिए ये कदम उठाये जा रहे हैं। इसे वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अत:, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मेरा सुझाव यह है कि इस पर पुन: विचार किया जाए और बाद में इस पर पूरी तरह से चर्चा कर लेने के बाद सदन के दोनों सदनों के विचारों को ध्यान में रखते हुए हम इस विधेयक को बेहतर बना सकते हैं जिससे कि राष्ट्रीय महत्व के निकाय की स्थापना की जा सके।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): **अध्यक्ष महोदय,** मैं भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूँ। इसकी खूबियों के कारण नहीं वरन् इसलिए कि यह कुछ न करने की बजाए कुछ अच्छा काम कर रहा है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सरकार का समर्थन करते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: यह बात नहीं है। गत दो दशक अथवा इससे भी अधिक समय से, संस्था ने न केवल अपनी विशिष्ट पहचान खोई है बल्कि वह पूरी तरह से नष्ट भी हो गयी। केवल नाम की खातिर, भारतीय विश्व कार्य परिषद का अस्तित्व बना हुआ है। यदि आप इसके कार्यों पर दृष्टि डालें तो आप पायेंगे कि यह पूरी तरह से अव्यवस्थित है। जिसे कोई भी सदस्य पसंद नहीं करेगा। यदि कोई सदस्य ग्रंथालय जाना चाहे तो वह वहाँ 10 मिनट से अधिक नहीं बैठ सकता। राजनेताओं और देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस संस्था के निर्माण के संबंध में भली-भांति विचार किया था। ये सभी विख्यात व्यक्ति थे। उन सभी ने इस पर विचार किया था। वह वास्तव में इसे बौद्धिक चिंतन के विश्व निकाय के रूप में देखना चाहते थे जिसने विभिन्न विषयों के अनुसंधानकर्त्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जो प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने में सहायक हो। बौद्धिक चिंतन के ऐसे निकाय की आवश्यकता है। उसके लिए उचित निकाय की आवश्यकता है। सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, विभिन्न विषयों पर परामर्श देने और विश्व स्तर पर भाग लेने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है।

लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट आई है। यह कुछ लोगों की जेबी संस्था बन कर रह गयी है। सरकार ने ठीक ही कदम उठाये हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। तथापि, क्या पुनर्गठित परिषद् से इसकी स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता मिलेगी? अभी यह देखा जाना बाकी है क्योंकि इसके पुनर्गठित शासी निकाय में माननीय उपराष्ट्रपति को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। विभिन्न सदस्यों को भी नामित किया जा रहा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को नामित नहीं किया जाना चाहिए। इसे विश्व स्तर का निकाय बनाने के लिए इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ और कुछ अन्य आर्थिक विषयों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। एक विश्व स्तर के पुस्तकालय की भी आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम कि वर्तमान पुस्तकालय किस सीमा तक बरकरार है। यदि इसे पुन: सक्रिय करना है तो माननीय मंत्री जी को इसको पुन: सक्रिय करना होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी जोस: पहले, आप इस पर विचार करें। उन्होंने हम सभी को आने और उसे देखने का निमंत्रण दिया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: हम इसे देखने जा रहे हैं। हम इसे देखना चाहेंगे और इस निकाय को वास्तव में विश्व स्तर का निकाय बनता हुआ देखना चाहेंगे। अत:, इस प्रकार के बौद्धिक चिंतन के निकाय ही प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक अधिकारों और मूल्यों के रक्षक होंगे। यह कहना उचित नहीं है कि सरकार इस संस्था का भगवाकरण करने के लिए इसे अपने हाथ में ले रही है। यह सब बातें इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। आज, यह सरकार अस्तित्व में है। कल, आप भी सरकार में आ सकते हैं लेकिन आप एक-दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते। अत: जहाँ तक इस संस्था का संबंध है, यह कहना अनुचित है। हमारा जिस बात से संबंध है वह है इस संस्था को विश्व स्तर का निकाय बनाना, इसे यथासंभव आत्मनिर्भर बनाना, इसे यथासंभव स्वायत्त बनाना और इसे यथासंभव अच्छा बनाना।

श्री वरकला राधाकृष्णन: स्वायत्तता निर्वाचन से आयेगी न कि नामांकन से।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: माननीय अध्यक्ष महोदय, शासी निकाय के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति महोदय भी सदस्य हैं। दोनों ही नामित कर सकते हैं। वे केवल अच्छे लोगों और इसमें रुचि रखने वाले लोगों को नामित करेंगे। यदि वे चाहते हैं कि बाहर के लोग, विश्वविद्यालय और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ और शोधकर्त्ता आएं तो उन्हें आने दें। आज आपके पास केवल एक नाम है। आपको यह नाम बचाये रखना है और इसे इसका पुराने गौरव वापिस दिलाना है। अत: इस प्रयास में हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ, सरकार की ओर से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विधेयक के लिए तीन अध्यादेश जारी किये गये क्योंकि आपने स्वयं इसे एक महत्वपूर्ण विधेयक नहीं समझा। अन्यथा, आप इसे राज्य सभा में व्यपगत न होने देते। अगर कोई अन्य वित्तीय

विधेयक होता, कोई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक होता तो आपने पूरी सावधानी बरती होती। वर्ष 2000 में पहले अध्यादेश को व्यपगत होने देने के बाद आपने जल्दबाजी में दूसरा अध्यादेश जारी किया। वह फिर से व्यपगत हुआ और आपने वर्ष 2001 में तीसरा अध्यादेश जारी किया। अत:, इन चीजों से हम सभी के मन में भ्रम उत्पन्न होगा।

सरकार को इन स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए। भविष्य में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस सभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था और इस पर पुन: चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। आज, हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तब भी, हम सभी सहमत हैं और सरकार का हृदय से समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक प्रशंसनीय और अच्छे उद्देश्य के लिए लाया गया है। उन्हें इस संस्था को विश्व स्तर की संस्था बनाना होगा ताकि हम सभी इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा कर सकें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भारतीय विश्व मामले परिषद् विधेयक लेकर आये हैं, जिमसें बताया गया है कि यह संस्था 1943 में महान् लोगों के द्वारा बनाई गई थी और इसका गठन विश्व मामलों से संबंधित अध्ययन और प्रचार के लिए किया गया था। कुछ ही वर्षों में यह संस्था विश्व-विख्यात हो गई लेकिन 1981 से इसकी हालत खराब हुई और 2000 तक आते-आते गिरावट पर आ गई। चूंकि यह विश्वविख्यात संस्था थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय महत्व का बनाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। यह अध्यादेश एक बार नहीं, तीन बार लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, श्री भाटिया जी ने जो सवाल आर.एस.एस. के लोगों को शामिल किये जाने का उठाया, मुझे भी शंका हो रही है कि इसमें कोई पेंच है। नियम-7(1) में कहा गया है:

> ''1 सितम्बर, 2000 से ही और उप-धारा 2 के अधीन तारीख के नियतन तक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, विदेश मंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष उसके सदस्य नियुक्त करेंगे।''

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद फिर क्लॉज-2 में लिखते हैं:

> ''ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये परिषद् में निम्नलिखित सदस्य हो जायेंगे।''

अध्यक्ष महोदय, उप-राष्ट्रपति जी, अध्यक्ष जी, उप-सभापति जी सदस्यों के नाम भेजेंगे। इसके लिए क्लाज-2 में लागू होने के लिए तिथि, जब मन में आयेगी, तय कर देंगे। यह इतना बड़ा छल और पेंच होगा। क्लाज-1 में विदेश मंत्री अध्यक्ष होंगे और क्लाज-2 में उपाध्यक्ष उसके सदस्य नियुक्त करेंगे-यह कैसा कानून है? इसके बाद क्लाज-3 देखा जाये जिसमें लिखा है:

> ''खण्ड क, ख, ग, च, छ और ज में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन ऐसी पहली नियुक्ति, चयन या नाम निर्देशन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जायेगा''

अध्यक्ष महोदय, यह कितना बड़ा पेंच है। क्लाज-1 में अपने हिसाब से चलेगा।

क्लाज-2 के लिए इन्हें पूर्ण अधिकार हैं कि कब यह तिथि सुनिश्चित करें और तिथि सुनिश्चित होने के बाद, जो इनके मन में आयेगा, किसी भी बात के होते हुए सब काम केन्द्रीय सरकार करेगी। अब मामला साफ हो गया, भंडाफोड़ हो गया कि आर.एस.एस. की जो शंका जाहिर हो रही है कि आर.एस.एस. इस संस्था को खत्म कर रही है, वह इससे स्पष्ट हो गया है। सब लोग सम्पूर्ण बिल को देखते नहीं हैं कि इसमें कहां-कहां पेंच हैं। *...(व्यवधान)*

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): आप लोग आर.एस.एस. का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं।

डा. रघवंश प्रसाद सिंह: जब सरकार के हाथ में यह संस्था नहीं थी तब विश्वविख्यात थी, अब ये अपने हाथ में लेकर इसे राष्ट्र में विख्यात कर रहे हैं। आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सरकारी संस्थानों के बारे में कहते हैं कि उनका डिसइनवैस्टमैन्ट करिये, प्राइवेटाइज करिये, उन्हें बेच डालिये, लेकिन इसमें आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। यही होगा कि जितने आर.एस.एस. के प्रचारक हैं, जो पैन्ट पहनकर डंडा लेकर इधर-उधर घूम रहे हैं, सबको इसमें डाल देंगे। यही आपका इसमें निहित स्वार्थ हो सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): आपको सपने में भी आर.एस.एस. दिखता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया। श्री तेज बहादुर सप्रू, कुंजरू आदि कई महान लोगों के समय, आजादी की लड़ाई के समय, 1947 में यह संस्था शुरू हुई। जब यह संस्था सरकार के हाथ में नहीं थी तब विश्वविख्यात हो गई।

अध्यक्ष महोदय: आप बिल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसे पास भी करना है, टाइम ज्यादा नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार ने कहा कि 1981 से इसमें गिरावट आने लगी---इसका क्या आधार है, सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या किसी निष्पक्ष समिति ने इसकी जांच की। आज यह किस आधार पर कह रहे हैं कि 1981 से गिरावट आने लगी। इसका आधार बतायें, इसे स्पष्ट करें। सुओ-मोटो अपने मन से कह रहे हैं। तमाम शिक्षाविद्, जानकार लोग, छात्र और शिक्षक लोग उससे कट गये, उनके कटने का क्या कारण है। यह विश्वविख्यात संस्था थी, इसमें कैसे गिरावट हुई। इसका भेद आपको बताना चाहिए था। यदि आपने दावा किया है कि इसमें गिरावट आ गई, गिरावट के लिए आपका क्या आधार है, आपने दावा किया है कि इसमें गिरावट हुई है या सरकार में जाने के बाद आप इसका सरकारीकरण करना चाहते हैं। इसका नाम सरकारीकरण नहीं दिया है, लेकिन क्लाज देखने से समझ में आता है कि इसका सरकारीकरण क्या भगवाकरण होगा। क्या उस हालत में इसमें गिरावट नहीं होगी, क्योंकि अनेक सरकारी संस्थान गिरावट में जा रहे हैं। आप इसे प्राइवेट क्षेत्र में दे दीजिए, यह सरकार में ठीक नहीं है। यह सरकार ने कैसे कहा। इसलिए इन सब बातों को साफ करने की जरूरत है। अन्यथा भाटिया जी और श्री रूप चन्द पाल जी ने ठीक सवाल उठाये हैं और संदेह जाहिर किये हैं कि इसमें सरकार का उद्देश्य पवित्र नहीं है और जिन बातों के चलते इस संस्था का उदय हुआ था और जो रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है उसके अनुसार सरकार ऐसा करने पर क्यों उतारू है, इसे खराब क्यों करना चाहती है। विदेश विभाग इनका है और विदेश विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इसे देखेंगे। आपके विदेश विभाग में सहमति होगी कि इस संस्था से विश्वभर में हमारी नीतियों का प्रचार होगा, हमें जानकारी मिलेगी। इसलिए इन सब बातों में बहुत शंका है और इन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है। हमारी समझ में आता है कि यह इसमें गड़बड़ करने वाले हैं, इन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन: महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि मैंने पहले ही मुख्य बातें कह दी हैं और सपा की जानकारी में कुछ तथ्य ला चुका हूं।

एक बात कही गई है कि मैं बहुत मुखर और एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि अवधारणा पूरी तरह गलत है। मैंने थोड़ी सहृदयता और थोड़ी दृढ़ता के साथ बोला होगा। यही मेरा अनुरोध है। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। मेरा किसी से वैयक्तिक स्तर पर द्वेषभाव नहीं है। मैंने केवल यही कहा है, जो रिकार्ड में है।

मेरे विशिष्ट मित्र श्री आर.एल. भाटिया ने कहा है कि कोई देयराशि नहीं है। सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लेने के बाद, मैंने पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में एक विशेष लेखा परीक्षा के आदेश दिए थे।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में क्या जानकारी दी गई है? इस संस्थान द्वारा 10 करोड़ रुपये की राशि देय है। भूमि के लिए, करीब 9 करोड़ की धनराशि लम्बित है। भवन की प्रविष्टि दोबारा पहले ही हो चुकी है। इस संस्थान पर एन.डी.एम.सी. का 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। लेखापरीक्षा पैराओं में हलवाई को भुगतान किये जाने वाले 16,000 रुपये समेत कई चीजों की सूची है। ये सब बाते मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुस्तकों और मूल्यवान दस्तावेजों के गायब होने के अतिरिक्त धनराशि की हेराफेरी हुई है जिसका उल्लेख लेखा परीक्षा के 16 पैराओं में किया गया है और जिसकी जांच चल रही है। अत: मुद्दा यह है कि हमें रिकार्ड के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और अगर सब कुछ इतना अच्छा था जैसा श्री भाटिया कह रहे थे, तो स्थायी समिति द्वारा एक बार नहीं अपितु तीन-तीन बार सर्वसम्मति से सिफारिश करने की क्या आवश्यकता थी और उन सारे टिप्पणों की क्या आवश्यकता थी जिन्हें मैंने श्री राजीव गांधी के समय से लेकर श्री वी.पी. सिंह के समय तक पढ़ा है?

उस समय जो विधेयक लाया गया था, वह क्या था? 1990 में लाये गये विधेयक की तुलना में हमारा विधेयक अधिक उदारवादी है। किसी संसद सदस्य का उल्लेख नहीं है। किसी उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। हमने जो सिफारिश की थी और जो इस विधेयक में शामिल है वह कुछ ऐसा नहीं है जिससे भगवाकरण शुरू हो जायेगा। मुझे आश्चर्य है। यह क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि कई शिक्षाविद होंगे और कम से कम दो उपकुलपति और ऐसे राजनयिक होंगे जिन्होंने इन सभी कूटनीतियों के क्षेत्र में सेवा की है और जिन्हें इसका अनुभव है। सभी योग्यताएं दी गई हैं। अत: इसके बारे में ऐसा कहना सही नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने अंतरिम परिषद के बारे में कहा। अंतरिम परिषद है क्या? उन्होंने कहा कि यह अंतरिम केन्द्र सरकार की तरह है जिसमें बाद में हमने उपराष्ट्रपति आदि लोगों को शामिल किया। अंतरिम परिषद में हमने किन लोगों को नामांकित किया है? इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री हमीद अंसारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री दीपक नैयर, पूर्व राजदूत श्री सैयद शहाबुद्दीन; डा. जयंत कुमार राय; न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक, दिल्ली विश्वविद्यालय से डा. निर्मला जोशी; डा. राकेश मोहन; श्री राजामोहन; श्री भुवनेश चतुर्वेदी; श्री सैयद नकवी, श्री वाई.के. अलग, श्रीमती वाई. सोंधी। किस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थीं और तथ्य क्या हैं। अत: मेरा कहना है कि ऐसी बात कहने से पहले तथ्य जानिये। मैंने स्थायी समिति के फोटो पहले ही रख दिए हैं। मैं आपको वहां घर ले चलने और सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हूँ।

अंत में, जो मेरा कहना है वह यह है कि क्या आप भारतीय विश्व मामले परिषद के कार्यों को ऐसे शासी निकाय के हाथों में सौंपना चाहते हैं जिसके अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति होंगे तथा जिसमें दोनों महान सभाओं का स्थायी प्रतिनिधित्व होगा—5 लोक सभा के सदस्य और 3 राज्य सभा के सदस्य—और जिसमें निर्वाचन और मनोनयन के माध्यम से विश्वविद्यालयों के लब्धप्रतिष्ठ उपकुलपति, बुद्धिजीवी, अनुभवी राजनयिक, विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं या फिर आप इसे यदाकदा चर्चित होने वाले ऐसे राजनीतिज्ञों की कोटरी के शिकंजों में सौंपना चाहते हैं, जिन्होंने 20 वर्षों तक इसे हथियाये रखा। इसके संविधान के साथ छेड़छाड़ की, गलत तरीके से सदस्य बनाए, खातों के साथ हेराफेरी की और लीज समझौते और नगरपालिका के उपनियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की और जिनका केवल योगदान था इस महान और गौरवशाली संस्था, ज्ञान और शोध के केन्द्र तथा देश के बौद्धिक प्रगति स्थल को पंजाबी मांडवा के स्तर तक गिरा देना। मांडवा की जो दुर्दशा है उसे पढ़ने में ही मुझे शर्मिन्दगी हो रही है।

विरासत में क्या मिला? विरासत में सरकार को 9 करोड़ रुपये और एन.डी.एम.सी. को 1 करोड़ रुपये की राशि देय थी। साथ में मिली है ढहती इमारत, निर्जन पुस्तकालय, हतोत्साहित और रुष्ट स्टाफ, बेकार नाटकों की सूची, वित्तीय अनियमितताएं, धनराशि की हेराफेरी और फर्जी नामांकन और मृतप्राय संस्थान।

अब जो मैं चाहता हूं वह यह है कि इन तथ्यों, जिनका मैंने उल्लेख किया है, को दृष्टिगत रखते हुए इस विधेयक को अवश्य पारित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लें।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने मुख्यत: दो बातें उठाई हैं। पहली बात विशेषकर डा. डी.सी. वधवा के मामले में अध्यादेश के तीन बार प्राख्यापन की वैधानिकता के संबंध में है जिसके संबंध में वर्ष 1987 में उच्चतम न्यायालय की एक पूरी खंडपीठ द्वारा निर्णय लिया गया था। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है और यह बात अभी भी मौजूद है। मैं समझता हूँ वे तथा कोई अन्य भी इसका उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है।

फिर उनकी सदाशयता को साबित करने के लिए तब मैंने पुन: सरकार से पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 108 का सहारा लेने के लिए उन्हें किसने रोका है, जिसके अनुसार यदि एक सभा ने विधेयक को पारित किया है और दूसरी सभा ऐसा नहीं कर रही है तब सरकार राष्ट्रपति को विधेयक को पारित करने के लिए एक संयुक्त सत्र बुलाने की सलाह दे सकती है और वे उन्हें संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों का ही सहारा लिया है।

तीसरी बात, क्या स्थिति में बदलाव आयेगा? हमने एक बार विधेयक पारित कर लिया है फिर हमें इसे पारित करने के लिए दूसरी बार, तीसरी बार कहा जाएगा और जब तक राज्य सभा की शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक इस भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक पर चर्चा करते रहेंगे। क्या यह अध्यापन कक्ष है? क्या यह मजाक नहीं है कि एक विधेयक पर चर्चा की जाती है और फिर उसे दो अथवा तीन बार पारित किया जाता है? संसदीय इतिहास में ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला? हम ऐसी ही प्रक्रिया कर रहे हैं। हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा और हमारा संसदीय कर्तव्य कानून बनाना है तथा यह विधायी प्रक्रिया इस कार्यवाही के कारण मजाक बन कर रह गई है। जब हमने एक बार विधेयक पारित कर दिया है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसी विधेयक को पारित करने के लिए दूसरी बार कहा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मंत्रीजी ने इस बात का उत्तर दे दिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हम एक बिल्कुल गलत पूर्वोदाहरण स्थापित कर रहे हैं। मेरे विद्वान मित्र ने इनमें से किसी भी बात का उत्तर नहीं लिया है। उन्होंने हमें कहा है कि कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य नामित किये जाते हैं और इनमें लोक सभा के पांच सदस्य, राज्य सभा के तीन सदस्य और कुछ उप कुलपति होते हैं। क्या इससे संस्था के कार्यकरण में बदलाव आएगा अथवा इसे बदला जा सकेगा। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा वे लंबे समय तक इस संस्था के सदस्य रहे हैं। अब वे यह वकालत कर रहे हैं कि वर्तमान संस्थान खराब कार्यकरण के कारण चलाने योग्य नहीं रह गया है। वे उन दिनों क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने इस पर आपत्ति की थी। वे उस कार्यकारिणी निकाय के एक सदस्य थे। वे चुप्पी साधे थे। जब ऐसी तथाकथित अनियमितताएं की गई थी तब वे समिति के सदस्य थे। हम नहीं जानते कि क्या वे एक मूक दर्शक अथवा वह इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे। अब वे अचानक हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि "कृपया इस पर मतदान कीजिए।"

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

मुझे यह कहते हुए दुख है कि उन्होंने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया है। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस सभा के इतिहास में एक अत्यंत ही गलत पूर्वोदाहरण पेश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जगमोहन: मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह निर्णय इस मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में विधेयक को विधान मंडल में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है।

श्री जगमोहन: मैं पहले ही कह चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि राज्य सभा स्थगित हो गई और यह सरकार की किसी गलती के कारण नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा 8 मई, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2000 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 29 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जगमोहन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मद संख्या 19 के लिए एक घंटा निर्धारित किया गया है। लेकिन इसके लिए रिपोर्ट को सिर्फ स्वीकार करना है। इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ संकल्प का अंगीकार करना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस संकल्प में मुझे सुझाव देना है। इसकी कल चर्चा की जा सकती है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, इसे सामान्यत: सभा द्वारा मात्र अंगीकार किया जाना है।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे बजट के साथ किया जाता है।

श्री प्रमोद महाजन: आप बजट पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे पृथक रूप से किया जाता है। मुझे लाभांश दर और इस संबंध में कतिपय सुझाव देने हैं।

श्री प्रमोद महाजन: यह समिति का एक सर्वसम्मत निर्णय है।

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन इसे सभा द्वारा स्वीकार किया जाना है और इसलिए हमें सुझाव देने का अधिकार है।

श्री प्रमोद महाजन: समिति पहले ही अपनी सर्वसम्मत सिफारिश कर चुकी है। आपकी पार्टी ने उस समिति में भी प्रतिनिधित्व किया था।

श्री बसुदेव आचार्य: तब सभा में इस संकल्प को लाने का क्या अर्थ है?

श्री प्रमोद महाजन: इसकी सभा द्वारा पुष्टि की जानी है।

अध्यक्ष महोदय: सभा को इसे स्वीकार करना है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह मात्र दो मिनट लेगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, तब आप मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री प्रमोद महाजन: आप अनुपूरक बजट संबंधी चर्चा में रेलवे पर बोलें। हम इस पर आपत्ति नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)* हम सभी विनिवेश पर उनके संभाषण को सुनने के लिए तैयार हैं। हम रेलवे पर उनकी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाने देना नहीं चाहते हैं?

अपराह्न 9.06 बजे

रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, रेल अभिसमय समिति, 1999, जिसे रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश दर का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, वे दूसरे प्रतिवेदन, जिसे 23 फरवरी, 2001 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा संख्या 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48 और 49 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, रेल अभिसमय समिति, 1999, जिसे रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश दर का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, के दूसरे प्रतिवेदन, जिसे 23 फरवरी, 2001 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा संख्या 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48 तथा 49 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.09 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 28 पर विचार करेगी। नियम 193 के अधीन चर्चा—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, मद सं. 18 का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय: अब हमें 193 के अधीन चर्चा प्रारम्भ करनी है।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, क्या इस पर कल विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: हां।

अब इस चर्चा के लिए आवंटित समय चार घंटा है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, प्रारंभिक बल्लेबाज के लिए कोई समय-सीमा नहीं होनी चाहिए।

महोदय, यह चौथी बार है कि मैं इस सभा में विनिवेश पर चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं। माननीय विनिवेश मंत्री ने नीति और प्रक्रिया संबंधी एक पत्र वितरित किया है। परन्तु यह श्वेत-पत्र नहीं है जिसकी हमने मांग की थी।

उन्होंने अमर्त्य सेन के एक उद्धरण से शुरू किया था। इसमें कहा गया है:

''यद्यपि आर्थिक सुधारों के मामले में इस निरूपण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप है तथापि इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, भूमि-सुधार और सामाजिक परिवर्तनों के प्रोत्साहन सहित बहुत से अन्य क्षेत्रों में अपर्याप्त और अक्षम सरकारी गतिविधियां हैं। इस जड़ता से व्यापक भ्रष्टता, आर्थिक प्रगतिरोध और सामाजिक असमानता की अवस्थिति में वृद्धि होती है।''

अमर्त्य सेन के इस उद्धरण से विनिवेश मंत्री सरकार के कार्यों को उचित ठहराना चाहते हैं। अपने दस्तावेज में मंत्री जी कहते हैं:

''सरकार द्वारा व्यावसायिक क्रियाकलाप चलाये जाने हेतु लगाए गए संसाधनों को बाहर निकाला जाना चाहिए और सामाजिक क्रियाकलापों में लगाया जाना चाहिए।''

विनिवेश, निजीकरण, सरकारी क्षेत्र के शेयरों को बेचने के उद्देश्य के बारे में विनिवेश मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र की इकाईयों में भारी राशि फंसी हुई हैं जिसे सामाजिक कार्यकलापों, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास हेतु मुक्त किया जाना है। परन्तु वास्तविक स्थिति क्या है? प्राथमिक

[श्री बसुदेव आचार्य]

शिक्षा और साक्षरता हेतु चालू वर्ष के बजट में कितना आवंटन किया गया है? यह 4,000 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष कितना आवंटन था? यह 3,729 करोड़ रुपए था। यद्यपि लक्ष्य 42,000 करोड़ रुपए का था तथापि उपलब्धि मात्र 22,000 करोड़ रुपए की थी। इस धनराशि का एक बड़ा प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए खर्च किया जाना चाहिए। परन्तु प्राथमिक शिक्षा हेतु आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई। यही स्थिति महिला और बाल विकास के साथ भी है। वर्ष 2000-2001 में आवंटन 1460 करोड़ रुपए था। चालू वर्ष में इसे बढ़ाकर केवल 1560 करोड़ रुपए किया गया है। इसलिए महिला और बाल विकास हेतु भी आवंटन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यही स्थिति ग्रामीण विकास के साथ है। वर्ष 2000-01 हेतु आवंटन 9,760 करोड़ रुपए था। इस वर्ष इसे केवल 5 करोड़ रुपए बढ़ाकर 9,765 करोड़ रुपए किया गया है। पेयजल की आपूर्ति हेतु वर्ष 2000-01 के लिए आवंटन 2,100 करोड़ रु. था। चालू वर्ष हेतु आवंटन 2,160 करोड़ रुपए है। सारा पैसा कहां चला गया? व्यय की इन मदों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई।

यद्यपि मंत्री जी ने बताया था कि सरकारी क्षेत्र के शेयरों की बिक्री से उपलब्ध होने वाले धन का एक बड़ा प्रतिशत ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि हेतु खर्च किया जाएगा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश अथवा निजीकरण का क्या उद्देश्य है? यह रुग्ण इकाईयों के पुनर्गठन, पुनर्वास के लिए है। कई बार हमने माननीय मंत्री से इस बारे में जानना चाहा। दिसम्बर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा के दौरान हमने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनर्गठन, पुनर्वास और पुनरुद्धार हेतु क्या किया गया है। हम सभी आंकड़ों का ब्यौरा चाहते थे।

महोदय, आज सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें केवल वेतन ही नहीं बल्कि जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली अथवा जो स्वाभाविक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें 2000 करोड़ रुपये से अधिक के सांविधिक देयों का भी भुगतान नहीं किया गया है।

महोदय, मैं ऐसे श्रमिकों की सूची प्रस्तुत कर सकता हूं जो भूख से मरे हैं। परन्तु ये कह रहे हैं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु पूरी सावधानी बरती जा रही है। माननीय मंत्री बार-बार कहते रहे हैं कि विनिवेश का मुख्य उद्देश्य है कि विनिवेश से प्राप्त होने वाली निधि का एक बड़ा प्रतिशत रुग्ण इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए खर्च किया जाएगा। परन्तु सच्चाई यह है कि सरकारी क्षेत्र के किसी भी रुग्ण उपक्रम के पुनरुद्धार पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो वस्त्र मंत्री को राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 75 रुग्ण इकाइयों को बंद करने का निर्णय क्यों लेना पड़ा?

महोदय, मंत्री जी यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अकुशल हैं, ये अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं और ये राष्ट्र को कोई योगदान नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मानो निजी क्षेत्र की कम्पनियां सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल हैं।

निगमों के वित्तीय निष्पादन के बारे में मेरे पास दो वर्षों यानी वर्ष 1997-98 और वर्ष 1998-99 के आंकड़े हैं। निवेश पर आय की दर क्या थी? यह केवल 10.1 प्रतिशत थी। वह अपने दस्तावेज में आंकड़ों में हेराफेरी करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (स्कोप) ने कुछ माह पूर्व ही एक अध्ययन किया है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अधिक कार्यकुशल हैं। परन्तु माननीय मंत्री यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां अधिक कार्यकुशल हैं।

महोदय, उनकी आय केवल 10.1 प्रतिशत है और अगले वर्षों में 7.8 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से निवेश पर 15 प्रतिशत आय की दर अपेक्षित थी।

महोदय, 1452 कम्पनियों अथवा सूचीबद्ध कम्पनियों में से 60 प्रतिशत कम्पनियों ने वर्ष 1998-99 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया। दोनों क्षेत्रों में लाभांश घोषित न करने वाली कम्पनियों का तुलनात्मक हिस्सा इस प्रकार है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में यह 24 प्रतिशत है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के मामले में यह 60.5 प्रतिशत है। लगभग 62 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 10 प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित किया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में यह 35.6 प्रतिशत है। उनका घोषित लाभांश 10 प्रतिशत से अधिक है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध गैर-सरकारी क्षेत्र की हजारों कम्पनियों ने कभी भी कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। लाभांश के अशोधन से सामान्यत: कम्पनी के लाभ में वृद्धि होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अधिक पूंजी बाजार में आनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र की लगभग 41 प्रतिशत कम्पनियों की प्रति शेयर आय 10 रुपये से अधिक थी। जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र की केवल 16.5 प्रतिशत में ही यह स्थिति थी। इसके बावजूद मंत्री महोदय, आप इस बात को उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से अधिक

कार्यकुशल हैं। और आप सरकारी क्षेत्र की केवल उन्हीं कम्पनियों का निजीकरण नहीं कर रहे हैं जो रुग्ण हैं, गंभीर रूप से गैर-अर्थक्षम हैं बल्कि उन लाभ कमाने वाली अग्रणी कम्पनियों का भी निजीकरण कर रहे हैं जो कि करोड़ों रुपये की आय अर्जित कर रही हैं।

सरकारी क्षेत्र के केवल 17 प्रतिशत की तुलना में निजी क्षेत्र के लगभग 32.7 प्रतिशत ने शून्य अथवा नकारात्मक ई पी एस दर्ज किया है। लगाई गई पूंजी के सकल अंतर के मामले में यह वर्ष 1990-91, जबकि भारत सरकार ने उदारीकरण अथवा आर्थिक सुधारों की नीति को अपनाया था, के 17.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1997-98 में सी.पी.यू. के मामले में 23.6 प्रतिशत हो गया है। इक्विटी अनुपात की तुलना में वर्ष 1997-98 के 20.1 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 20.9 प्रतिशत हो गया है। इन उद्यमों से सरकार को प्राप्त होने वाले करों में भी 8 प्रतिशत से 29.4 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। असंख्य बार सरकार ने कहा है कि भारी राशि का निवेश किया गया है और इस निवेश से कोई लाभ नहीं हुआ है। कुल निवेश कितना है? वर्ष 1998-99 में यह 2301.40 बिलियन था। सभी 240 सी पी यू में प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत केवल 33.5 प्रतिशत है। यह शेष दीर्घावधि ऋणों के रूप में था। कुल प्रदत्त पूंजी में से, भारत सरकार का अंश लगभग 84 प्रतिशत था और ऋण का अंश 22 प्रतिशत से भी नीचे था। महोदय, सरकार 967.17 बिलियन अथवा 42 प्रतिशत का अंशदान करती है, 2,300 बिलियन का नहीं जैसा कि सामान्यत: समझा जाता है। 967.17 बिलियन के निवेश के बदले में आमदनी कितनी है? राजकोष में कर सहित 469.24 बिलियन अथवा 48.5 प्रतिशत की प्राप्ति होती है। यह 1998-99 का आंकड़ा था।

वर्ष 1999-2000 में भी यह बढ़ा। इसके बावजूद मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र से कम सक्षम है। इन तीन वर्षों के दौरान 929.53 बिलियन के औसत निवेश पर सरकार की कुल प्राप्तियां 165.50 बिलियन रही है। इसका तात्पर्य है कि सरकार ने 967.20 बिलियन के कुल संचित निवेश के विरुद्ध 1538.35 बिलियन प्राप्त किए हैं जोकि राष्ट्रीय महत्व के इस विषय में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अकल्पनीय समीकरण है। महोदय, यदि लाभ के अंश को भी निकाल दिया जाए तो भी राजकोष में 1282.25 बिलियन की कुल प्राप्ति होती है जोकि 138 प्रतिशत है। मंत्री महोदय द्वारा इस दस्तावेज में वर्णित उद्देश्य क्या हैं? यह विनिवेश किसलिए है? शेयरों को बाजार मूल्य से भी कम पर क्यों बेचा जाता है? उन्होंने जो कहा है मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> ''और तो और आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाने, आयात प्रशुल्क में कमी और अन्य विश्व व्यापार सेवाओं और पूंजियों के अन्य प्रतिबंधों को हटाने, विश्व व्यापार संगठन की प्रणाली को हमारे द्वारा अपनाए जाने और विभिन्न आर्थिक सुधारों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सरकारी क्षेत्र का यथाशीघ्र निजीकरण किया जाए अन्यथा ये तुरन्त रुग्ण हो जाएंगे।''

महोदय, उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह शीघ्र ही रुग्ण हो जाएगा। ऐसा सरकारी क्षेत्र में मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने और आयात प्रशुल्क में कमी के कारण है। एन टी पी सी, बी एच ई एल, वी एस एन एल, गेल, ओ एन जी सी, आई ओ सी आदि सभी बड़ी कंपनियां भी रुग्ण हो जाएंगी। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र तबसे रुग्ण पड़ा है जबसे इसने व्यवसायिक रूप से उत्पादन शुरू किया है। वे आगे कहते हैं:

> ''ऐसा न करने पर वे शीघ्र रुग्ण हो जाएंगे और नवीन प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बचा रहना अत्यधिक कठिन होगा।''

फिर, आप अपनी सरकार सहित सभी चीजों का निजीकरण क्यों नहीं करते? फिर, उन्होंने एक प्रश्न उठाया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा:

> ''क्या जहां कहीं भी निजी क्षेत्र ऐसे जोखिमों को उठाने के लिए इच्छुक हो, वहां उस निजी क्षेत्र में जोखिम का स्थानांतरण करके करदाताओं के धन को व्यावसायिक जोखिम से बचाया जा सकेगा।''

आप सार्वजनिक क्षेत्र में जोखिम नहीं उठा सकते हैं। आप जोखिम को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना चाहते हैं। मंत्री महोदय, जब वहाँ जोखिम है तो आपने कितना लाभांश प्राप्त किया है? बड़ी चालाकी से आपने भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्यूरेंस कंपनी को छोड़ दिया है। जब उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब उनकी इक्विटी क्या थी? यह केवल 5 करोड़ रुपये थी। प्रदत्त पूंजी कितनी थी? यह केवल 5 करोड़ रुपये थी। इन वर्षों में आपने क्या प्राप्त किया है? आपने करोड़ों रुपये प्राप्त किए हैं। महोदय, हम सरकारी क्षेत्र की तुलना निजी क्षेत्र से नहीं कर सकते हैं।

हमने बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का अधिग्रहण किया है। हमने एक सौ से ज्यादा एन टी सी मिलों का अधिग्रहण किया है। यह गलत नहीं है। आप कह सकते हैं कि यह एक गलत निर्णय था। परन्तु मैं कहूँगा कि यह एक सही निर्णय था। वर्ष 1973 में किया गया आई आई एस सी ओ का अधिग्रहण भी एक सही निर्णय था। आप फिर कहेंगे कि कोयला कंपनियों का अधिग्रहण अथवा कुछ कंपनियों का राष्ट्रीयकरण एक गलत

[श्री बसुदेव आचार्य]

निर्णय था। परन्तु मैं कहता हूँ कि कोयला उद्योग को ही नहीं अपितु राष्ट्र को बचाए जाने की दिशा में भी यह एक सही निर्णय था।

बड़ी संख्या में कंपनियों का अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण किया गया है। परन्तु उनके आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं एक कंपनी के बारे में जानता हूँ। हमने स्कूटर इंडिया लिमिटेड का मुद्दा उठाया है। भारत सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया था और हमने इसका विरोध किया था। फिर भारत सरकार ने निर्णय की समीक्षा की और इसे बंद करने के आदेश वापस ले लिए गए। आज यह अव्यवहार्य कंपनी से अर्थक्षम कंपनी बन गई है।

मुख्य मुद्दा मूल्यांकन के बारे में है। भारत के राष्ट्रपति ने इस वर्ष संसद की संयुक्त बैठक को सम्बोधित अपने अभिभाषण में कहा कि विनिवेश प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए। परन्तु, क्या वास्तव में यह पारदर्शी है? मेरे पास मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है। इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है? मूल्यांकन की चार प्रक्रियाएं हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने दस्तावेज में उन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। वे हैं: प्रथम, छूट नकद प्रवाह, जिसे कि वह अपना रहे हैं; दूसरा, संतुलन पत्र; तीसरा, कारोबार गुणज, और चौथा परिसंपत्ति मूल्यांकन।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, आप 25 मिनट ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं चर्चा का आरंभ कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही पचास मिनट लेता हूँ। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को केवल 15 मिनट मिले हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं 15 मिनट और लूंगा।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): यह एक परंपरा, एक कर्मकांड बन गया है। इसलिए, कृपया उन्हें कर्मकांड समाप्त करने दीजिए। वह ऐसा प्रत्येक सत्र में करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: राजकोष को कितनी हानि हुई है? मंत्री महोदय, मैं आपके कार्यकाल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 1992 की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप उसका भी सन्दर्भ देंगे और मैं जानता हूँ कि आपका उत्तर क्या होगा। वर्ष 1992 में राजकोष को 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की हानि हुई थी। श्री जगमोहन कई बार कहते हैं कि संसद की किसी भी स्थायी समिति के सर्वसम्मत् संकल्प अथवा निर्णय या सिफारिश का आदर करना चाहिए। क्या आप उद्योग संबंधी स्थायी समिति की सर्वसम्मत् सिफारिश का आदर कर रहे हैं? 1992 से 2001 तक की अवधि के दौरान स्थायी समिति द्वारा दर्शाई गई राजकोषीय हानि कितनी है? यह 10,000 करोड़ रुपए है। ऐसा सिर्फ कम मूल्यांकन करने के कारण ही है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के मामले में उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा क्या कहा गया है? वैश्विक अभिकरण, जिसने मूल्य की संगणना परिसंपत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से की, मंत्रालय द्वारा नियुक्त परिसंपत्ति मूल्यांकक द्वारा आयोजित एकमात्र मूल्यांकन है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमटेड के संबंध में उनका अनुमान 168 करोड़ रुपये था और वैश्विक सलाहकार का अनुमान 105 करोड़ रुपए था। यह अंतर क्यों है? यह अंतर इसलिए है कि आपने छूट नकद प्रवाह प्रक्रिया अपनाई, परन्तु एकमात्र उचित प्रक्रिया परिसंपत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए। आपने प्रतिस्थापन की गणना नहीं की है।

महोदय, परिसंपत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति की प्रतिस्थापन लागत का निश्चित रूप से अनुमान लगाती है। तेल और पेट्रोलियम, दूरसंचार, वायु परिवहन—एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स—उर्वरक इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों की इक्विटी का विनिवेश अथवा अनुकूल बिक्री करते हुए यह अवश्य पता लगाया जाए कि वर्तमान बाजार मूल्य पर ऐसा उद्यम स्थापित करने में देश को कितना व्यय करना होगा। आपने मैनुअल अथवा कागजात में बताया है:

> ''परिसंपत्ति मूल्यांकन सामान्यत: उस राशि को दर्शाता है जिसकी आवश्यकता समान अवसंरचना के सृजन पर व्यय किये जाने के लिए होती है जो कि कंपनी के परिसमापन के माध्यम से बिक्री द्वारा प्राप्त की जाएगी।''

क्या यह किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तब क्यों मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मूल्य का कम मूल्यांकन किया है?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। बाल्को के मामले में हमने कई मुद्दे उठाए हैं। 550 करोड़ रुपये का मूल्यांकन कैसे किया गया है। जमीन की कीमत कितनी है? खानों में जमा खनिजों की कीमत कितनी है? भवन और संयंत्र व मशीनरी की कीमत कितनी है? इसी सबको जानने के लिए सभी प्रकार का परिकलन किया गया और तब उसका मूल्य-निर्धारण किया गया। यदि आप इस सबका परिकलन करें, तो

बालको की परिसंपत्तियां 3000 करोड़ रु. से अधिक की होनी चाहिए।

[हिन्दी]

आप सिर पर हाथ रख रहे हैं।

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): पांच हजार से तीन हजार कम कैसे हो गया, पहले तो पांच हजार करोड़ रुपये था।

श्री बसुदेव आचार्य: तीन हजार से ज्यादा बोल रहे हैं, पांच हजार भी हो सकता है, आपके द्वारा अभी भी सिर पर हाथ रखने से कैसे चलेगा?

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: बड़ा उपदेश दे रहे हैं। आप शायद हमें सिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया के मामले में राज्य सभा में मैंने देखा कि मूल्य-निर्धारण 25,000 करोड़ रुपये से 24,000 करोड़ रुपये फिर 24,000 करोड़ रुपये से 14,000 करोड़ रुपये पर आया; फिर 9,000 करोड़ रुपये पर; और उसके बाद, 6000-7000 करोड़ रुपये तक आ गया। यह है आप जैसे महान् विशेषज्ञों की गणना-पद्धति। हमें सिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दरलाल तिवारी (रीवा): अन्दर वाली बात तो मंत्री जी को मालूम होगी कि कितना है।

श्री अरुण शौरी: हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप बता दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन आपने तो एक ही बोलीकर्ता को 26 प्रतिशत विनिवेश कर देने का निर्णय किया है। आपने एक अन्य बोलीकर्ता—श्री हिन्दुजा को बाहर ही रखा। फिर इसी आधार पर स्टरलाइट कम्पनी को काली सूची में डाल दिया गया लेकिन स्टरलाइट कम्पनी ने 'बालको' के लिए अर्हता कैसे प्राप्त कर ली? हमने सभा में भी इस बात को कहा था। काली सूची में रखी गई किसी कम्पनी को एक बड़ी अल्युमिनियम कम्पनी के सौंपने योग्य कैसे माना जा सका? श्री शौरी, आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। पहले भी 'एयर इंडिया' के मामले में, हमने यह बात उठाई थी। मेरे पास जल-भूतल परिवहन और नागर विमानन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन है।

समिति ने क्या सिफारिश की थी? इसमें कहा गया है:

"समिति विदेशी रणनीतिक भागीदार को 'एयर इंडिया' की 26 प्रतिशत इक्विटी तथा प्रबंध-नियंत्रण का अधिकार सौंपने के सरकार के विचार का भी दृढ़ता से निरनुमोदन करती है।"

आप प्रबंधन-नियंत्रण के अधिकार सहित 26 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश कर रहे हैं। विश्व भर में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिवेदन में आगे कहा गया है:

"समिति यह समझ पाने में असमर्थ है कि सरकार एक ही बार में विदेशी रणनीति भागीदार को 26 प्रतिशत इक्विटी और प्रबंधन-नियंत्रण का अधिकार सौंपने की अनुमति क्यों दे रही है, जबकि अमरीका, चीन, ताइवान, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि जो उदारीकरण और निजीकरण के मामले में प्रमुख देश हैं और जिन्होंने विपुल ख्याति अर्जित की है, विदेशी भागीदारों को संपूर्ण प्रबंध-नियंत्रण सौंपने को तैयार नहीं होते।"

लेकिन आप तो 26 प्रतिशत इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण का पूरा अधिकार दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। आपने सुजुकी को प्रबंधन-नियंत्रण का पूरा अधिकार दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने आपके चैम्बर में एक बैठक की थी, जिसमें सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि थे और हमने 'मारुति उद्योग लिमिटेड' के प्रबंधकों से समझौता किया था कि 'मारुति उद्योग लिमिटेड' शोषण बंद करेगा।

श्री अरुण शौरी: यह 1992 में हुआ था कि 'मारुति उद्योग लिमिटेड' के अधिकांश शेयरों को तथा संपूर्ण प्रबंधन-नियंत्रण 'सुजुकी' को देकर उसे एक निजी कम्पनी बना दिया गया। यह 1992 में हुआ था।

श्री बसुदेव आचार्य: फिर तो आपने ताबूत में कील ठोंक दी है। आप कांग्रेस पार्टी के पदचिह्नों पर क्यों चल रहे हैं? आप हमेशा कहते रहते हैं कि इस प्रक्रिया को श्री पी.वी. नरसिंहराव के शासनकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। लेकिन श्री नरसिंह राव तो स्वयं ही उदारीकरण, निजीकरण और विनिवेश के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। पिछली बार मैंने उनके लेख से उद्धरित किया था। आप एक ही बोलीकर्त्ता को प्रबंधन-नियंत्रण अधिकार क्यों सौंप दे रहे हैं? एक ही बोलीकर्त्ता क्यों है? 'एयर इंडिया', जो एक अग्रणी कम्पनी है, को 'टाटा सिंगापुर एयरलाइंस' नामक

[श्री बसुदेव आचार्य]

एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को सौंप दिया जाएगा। यह सरकार ऐसा शर्मनाक कार्य कर रही है। वे अपने आपको 'स्वदेशी' कहते हैं। 'स्वदेशी' के नाम पर ये विदेशियों को कह रहे हैं। वे पक्के विदेशी हैं।

मैं उसी प्रतिवेदन से कुछ और पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा। उसमें कहा गया है:

> ''अतएव समिति सिफारिश करती है कि सरकार राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे और विनिवेश करते समय देश की सुरक्षा से संबंधित देश के संप्रभुता-अधिकारों की रक्षा करे।''

यदि आप संपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण को किसी विदेशी कम्पनी को सौंप देंगे तो देश की सुरक्षा कैसे बची रह सकेगी? बी.एस.एन.एल. का क्या होगा? समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिशें की थी। इस समिति में भाजपा और उसके सहयोगी दलों, जैसे डी.एम.के., बी.जे.डी. व तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे। किसी ने भी इस सिफारिशों का विरोध नहीं किया। एक और स्थान पर इसमें कहा गया है:

> ''समिति का मत है कि 'महत्वपूर्ण बिक्री' के तरीकों की खासतौर पर पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। वह यह इच्छा भी रखती है कि किसी उपयुक्त अवसर पर कर्मचारियों के साथ यथासंभव विस्तृत विचार-विमर्श भी अवश्य किया जाये, ताकि विनिवेश के सभी प्रकरणों में उनके हितों का पूरी-पूरी सुरक्षा की जा सके।''

महोदय, दृष्टान्त के तौर पर 'श्री लंका एयरलाइन्स' के विनिवेश का मामला लीजिए। हमने देखा है कि विनिवेश के पश्चात् 'श्रीलंका एयरलाइन्स' कार्मिकों की क्या स्थिति हुई। क्या कर्मचारियों के साथ पूर्वोक्त प्रकार से विचार-विमर्श किया जा रहा है?

मैंने एक भी मामला नहीं देखा, जिसमें कार्मिकों के साथ विचार-विमर्श किया गया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हजारों बार यह सरकार कहती रहती है कि कामगारों के हितों का संरक्षण किया जायेगा। ऐसा ही मामला वी.एस.एन.एल. का है। वी.एस.एन.एल. के पास कितना सुरक्षित भण्डार है? हजारों करोड़ रुपये जहां पड़े हुए हैं। श्रीमान् मंत्री महोदय, आप उसका विनिवेश क्यों नहीं करते? आप दूसरी कम्पनियों और ब्लू-चिप कम्पनियों का विनिवेश करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये कम्पनियाँ राजकोष में मुनाफा नहीं दे रही? यह और कुछ नहीं, केवल हमारी सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सीधी लूट है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं अब आप समाप्त कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं अपनी अंतिम टिप्पणी पर आ रहा हूं।

महोदय, हम अपने सरकारी उपक्रमों का क्यों पक्ष ले रहे हैं? हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इसीलिए बचाते हैं ताकि अपनी आर्थिक संप्रभुता को बचा सकें। सरकारी उपक्रमों के शेयरों को सीधे-सीधे बेच देने से हमारी आर्थिक संप्रभुता की महनीयता कम होती है। इन्होंने यहाँ इस बारे में जिक्र किया कि 'बालको' के विषय में संसद में वाद-विवाद होने के बाद, लोक सभा ने इस सौदे को स्वीकृत किया। मैं तो यह सुनकर अचंभित हूँ। लोक सभा ने इस सौदे की स्वीकृति नहीं दी। नियम 184 के अंतर्गत बहस हुई थी। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसे स्वीकृत कर दिया गया।

श्री अरुण शौरी: उस पर मतदान हुआ था।

श्री बसुदेव आचार्य: निस्संदेह, उस पर मतदान हुआ था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसद् ने उसे अनुमोदित कर दिया। मंत्री जी, आप सभा को गलत जानकारी दे रहे हैं। यदि उस पर बहस हुई, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि संसद ने उसे स्वीकृति दे दी है?

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): उस पर पहले ही मतदान हो चुका था। संसद में जब बजट पर चर्चा होती है तो विपक्ष की ओर से आप उसका विरोध करते हैं। किन्तु जब बजट पर मतदान हो जाता है जो इसका अर्थ यही होता है कि वह मंजूर हो गया। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: प्रस्ताव क्या था?

श्री किरीट सोमैया: आप नियम 184 के तहत प्रस्ताव लाए। उस पर नियम 193 के तहत चर्चा नहीं हुई। आपने मतदान के लिए कहा। उस पर मतदान हुआ।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): तो क्या हुआ? क्या यह अनुमोदित था?

श्री किरीट सोमैया: उस प्रस्ताव पर बहस हुई थी, पारित हुआ था और स्वीकृत हुआ था।

श्री रूपचन्द पाल: क्या यह अनुमोदित था? क्या इसका अर्थ यही है? मेरे विचार से इसका मतलब यह नहीं है कि *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: सभा में प्रस्ताव पर बहस हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि सभा ने इसका अनुमोदन कर दिया।

श्री किरीट सोमैया: हम नहीं जानते कि साम्यवादी पश्चिम बंगाल में इसके संबंध में क्या कहा जाता है, परन्तु यहाँ लोक सभा में, इसे अनुमोदित माना जाता है।

श्री रूपचन्द पाल: नहीं, आप कृपया इसका पता लगाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने यह कहते हुए सभा को गुमराह किया है कि यह पुस्तिका में है। उन्होंने तीन पुस्तिकाएं परिचालित की है। एक लगान जूट मिल से संबंधित है, दूसरा माडर्न फूड इंडस्ट्रीज और तीसरा बालको के संबंध में है। मैं जोर देकर कहूंगा कि विश्व में कहीं भी विनिवेश मंत्री नहीं है। मैं उनसे यह कहने का अनुरोध करता हूँ कि वह बतायें विनिवेश मंत्री कहाँ हैं। संबंधित मंत्री यह नहीं जानते कि उनके नियंत्रणाधीन उपक्रमों का क्या होगा। वह सभी कुछ कर रहे हैं। नागर विमानन मंत्री, श्री शरद यादव इसका विरोध कर रहे हैं। वह ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए आज वह अनुपस्थित है। वह नहीं चाहते कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के शेयरों का विनिवेश किया जाए। यदि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का प्रबंधन नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो नागर विमानन मंत्रालय का क्या होगा?

महोदय, एक अकेला मंत्री सभी मंत्रालयों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश कर रहा है। विश्व में कहीं भी विनिवेश मंत्री नहीं है। ऐसा मंत्री सिर्फ हमारे देश में ही है।

श्री अरुण शौरी: अध्यक्ष महोदय, वह विनिवेश संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति के सदस्य हैं। वह बैठक में मौजूद थे। विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अन्य सदस्यों के साथ-साथ उनका भी यही निर्णय है। मैं उस समय विनिवेश मंत्री भी नहीं था।

श्री बसुदेव आचार्य: परन्तु उन्होंने उस निर्णय का विरोध किया है। वह इससे सहमत नहीं थे।

महोदय, भारी उद्योग मंत्री, श्री मनोहर जोशी अन्य मंत्री भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की इस नीति के काफी विरोध में है। जब गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का विनिवेश किया गया था, हमने इसका विरोध किया और इस ओर ध्यान दिलाया कि शेयरों को कैसे बाजार मूल्य से कम पर बेचा गया था। इसलिए हम इसकी जांच करवाना चाहते हैं, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

महोदय, हम ''विनिवेश नीति एवं प्रक्रियाएं'' शीर्षक वाले इस दस्तावेज से संतुष्ट नहीं है, जिसका परिचालन सरकार द्वारा किया गया है। हम विनिवेश के संबंध में श्वेत पत्र चाहते हैं। हम यह भी मांग करते हैं-यह मेरा आपसे अनुरोध है कि विनिवेश संबंधी एक अलग स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए और उस समिति द्वारा सरकार के प्रत्येक विनिवेश प्रस्ताव की छानबीन करनी चाहिए। अब, केवल एक मंत्री सभी कुछ कर रहे हैं और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में एक समिति पहले से है, परन्तु इसके पास कोई शक्ति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति की चिंता किसे है? मैं एक वर्ष से ज्यादा तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष था और मैं इसकी कार्य प्रणाली को जानता हूँ।

श्री खारबेल स्वाइं: वित्त संबंधी स्थायी समिति को अब यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वह यह कार्य नहीं कर सकती। हम विनिवेश संबंधी एक अलग स्थायी समिति क्यों नहीं बना सकते हैं? वह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैं अब श्री वेंकैया नायडू को बुलाने वाला हूँ। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीगण केवल सरकार का पक्ष लेने के लिए हैं? क्या उनकी पार्टी का कोई सदस्य सरकारी पक्ष का समर्थन नहीं कर सकता है? श्री अरुण जेटली ने इसी प्रकार के बहस में पहले सत्ता पक्ष की ओर से प्रथम वक्ता के रूप में हस्तक्षेप किया है। परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* विनिवेश मंत्री अंतत: बहस पर जवाब देने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं मांग करता हूं कि विनिवेश की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाना चाहिए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए।

महोदय, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बिहार के तत्कालीन राज्य के सिंदरी में सरकारी क्षेत्र के पहले उपक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज हम आधुनिक भारत के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। परन्तु अब, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार न केवल मस्जिदों को नष्ट कर रही है, बल्कि वे आधुनिक भारत के मंदिरों-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी नष्ट कर रही हैं।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय न हम अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचे जाने का जोरदार विरोध करते हैं, सीधे-सीधे लूट की जा रही है जिससे राजकोष में करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। इसे रोका जाना चाहिए। सरकार को इस नीति को बदलना चाहिए। यदि सरकार इस नीति को बदल पाने में असफल रहती है, तो इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह घोषणा करने जा रहे हैं कि क्या वह ग्रामीण विकास मंत्रालय को बंद कर रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में हस्तक्षेप करने का यह अवसर प्रदान करने के लिए आप को धन्यवाद देता हूँ। *...(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहे होंगे। *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय यह जानते हैं कि किस नियम के अंतर्गत वह मुझे बोलने की अनुमति दे रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: कई बार औचित्य का प्रश्न उठता है। चर्चा में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार की ओर से प्रथम वक्ताओं के रूप में बोलने के लिए मंत्री कभी नहीं थे।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: पिछली बार श्री अरुण शौरी थे। इस बार आप हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: चाहे प्रथम हों या द्वितीय बार, इसमें क्या समस्या है? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई समस्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यह सभा इस मुद्दे पर अनेकों बार चर्चा कर चुकी है। इस सभा में मतदान हुआ है। परन्तु मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ।

श्री पवन कुमार बंसल: राज्य सभा के सदस्यों से बोलने के लिए कहा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): मेरे विचार से संभवत: वे ज्यादा शालीन है। श्री वेंकैया नायडू को क्यों बोलने दिया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: हस्तक्षेप न करें।

श्री अरुण शौरी: यह एक विशेष परिदृश्य है जिस पर श्री वेंकैया नायडू के पास दृष्टिकोण है। हम उसे भी सुनना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर उनका एक विशेष परिदृश्य है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: सभा इस मुद्दे पर विचार कर रही है। सरकार के सदस्य के रूप में मैं सभा के विचार के लिए एक दृष्टिकोण रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में इस पूरे मामले पर मेरा एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है। सरकार की कड़ी निंदा करने वाले कड़े शब्दों को सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं मिलने वाला कि इस सभा ने इस पर बहुसंख्य बार चर्चा हो चुकी है और कतिपय निष्कर्षों पर पहुँची है। यह कोई समस्या नहीं है। हमने इस विनिवेश को आरंभ नहीं किया है। इस सरकार ने निजीकरण को आरंभ नहीं किया है। जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने विनिवेश किया। उन्होंने इसे विनिवेश आयोग के पास भेज दिया। उन्होंने रामकृष्ण आयोग की नियुक्ति की। उन्होंने रंगराजन आयोग की नियुक्ति की। उन्होंने उनकी सिफारिशें मानी। अब, वे ऐसा कह रहें हैं मानो हम सब कुछ बेच देने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार देश के साथ किसी तरह का अन्याय कर रहे हैं।

बात बहुत साधारण सी है। मैं कहना चाहता हूं कि विनिवेश में कुछ भी गलत नहीं है। राष्ट्र के हित में यह विनिवेश किया गया है। विनिवेश श्रमबल और उद्योग के हित में किया गया है। विनिवेश सामाजिक सुरक्षा और धन के समान वितरण के लिए किया गया है। मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ। 50 के दशक में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सृजित करने और देश के विभिन्न भागों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण उद्योग स्थापित करने का सही निर्णय लिया गया था। उस समय, हमारे यहां आई डी बी आई, आई सी आई सी आई और आई एफ सी आई अथवा धनी व्यक्ति नहीं थे। अब तो टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया और अन्य धनी लोग हैं जो निजी उद्योग में कुछ पूंजी का निवेश कर सकते हैं। उस समय ऐसा परिदृश्य था। इसलिए, उस समय की सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने, पिछड़े क्षेत्रों को समर्थन देने और उन क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी सहायता पहुंचाने जहां यह उपलब्ध नहीं था, का सही निर्णय लिया था। यह पृष्ठभूमि थी।

आज मेरा कहना यह है कि मैं केवल मंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति के रूप में भी बोल रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण सभा तथा पूरे देश की क्या सोच है। आज हम स्थिति को देखें। इतने वर्षों के पश्चात् आज

हम संगठित क्षेत्र अर्थात दफ्तरों में काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में बहुत अधिक चर्चा कर रहे हैं। मैं सभा से आग्रह कर रहा हूं कि उन वर्गों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती हैं। राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार और गैर-सरकारी संगठनों में कुल कर्मचारी 27 मिलियन हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यह दो मिलियन है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात् देश के असंगठित क्षेत्र में, जिसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं, कर्मचारियों की संख्या 355 मिलियन है। उन लोगों का क्या होगा? क्या हमें उनकी चिंता नहीं है? क्या हम उनके बारे में उद्वेलित नहीं हैं? आजादी के 53 वर्षों के पश्चात उन वर्गों का भी ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य नहीं है? मैं नहीं समझता कि कोई इससे असहमत हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूर, बुनकर, मछुआरे, सुनार, लुहार भी किसी प्रकार के स्वरोजगार तथा सहायता के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

ग्रामीण लोग भी आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु सरकार की ओर देख रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: ये उनके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: जो ये 53 वर्ष में नहीं कर सके हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: यह उत्तर नहीं है। कृपया हमें यह बतायें कि यह सरकार उनके लिए क्या कर रही है? यदि माननीय मंत्री जी का अपनी बात का कोई सापेक्ष महत्व है। तो इन्हें हमें बताना चाहिए कि ये उनके लिए क्या कर रहे हैं और इस विनिवेश से उनके लिए कुछ और करने की उनकी क्या इच्छा है *...(व्यवधान)*

श्री एम. वेंकैय्या नायडू: यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ग्रामीण विकास, कार्यक्रमों, नीतियों और हमारी सरकार द्वारा की गई पहल पर बोलने का निर्देश दें तो मुझे ऐसा करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मंत्री जी ने रूरल डेवलपमेंट की बात कही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना का पैसा तनख्वाहों में दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: अब मंत्री महोदय ने दूसरी बात कहनी शुरू कर दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार): 27 लाख कामगारों का क्या भविष्य होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा, उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, मैं सत्ता पक्ष के प्रति केवल अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता हूं क्योंकि आजकल लोक सभा ऐसे लोगों से विहीन लगती है जो कि चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं। राज्य सभा सदस्य श्री अरुण जेटली एक चर्चा प्रारम्भ करेंगे और श्री वेंकैया नायडू दूसरी चर्चा प्रारम्भ करते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। ऐसा कोई लोक सभा सदस्य नहीं है जो चर्चा प्रारम्भ कर सके। मुझे सत्ता पक्ष के लिए बहुत दुख है *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय मैं चर्चा प्रारम्भ नहीं कर रहा हूं। चर्चा उस पक्ष के माननीय लोक सभा के सदस्य द्वारा प्रारम्भ की गई थी। श्री सिंधिया उस समय वहां नहीं थे *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, तकनीकी बातों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभा सभा है और संसद है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आप क्या कर रहे हैं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: हां, मैं इस सभा का सदस्य नहीं हूं मुझे इसकी जानकारी हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें। यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री माधवराव सिंधिया: परन्तु कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो चर्चा प्रारम्भ कर सकें।

श्री एम. वैंकया नायडू: काफी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार की बाधा उत्पन्न करने में उस पक्ष का मुकाबला कर सकें परन्तु ऐसे व्यक्ति हैं जो समझदारी की बातें भी रख सकते हैं और वे ऐसा कर रहे हैं।

महोदय, मेरी बात बहुत सरल है। यदि इनकी ग्रामीण विकास में रुचि नहीं है तो यह अलग मामला है। मैं यह उन पर छोड़ता हूं। मेरा कहना है कि 53 वर्षों के बाद हम आज देश की स्थिति देखें। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह यह है कि हम उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी आवाज नहीं सुनी गई थी, उन वर्गों के बारे में सोचें जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाए। मेरा सुझाव है कि जहां तक संभव हो विनिवेश करके, निजीकरण करके जहां कहीं भी व्यावहारिक हो, उस पैसे का सामाजिक क्षेत्र में निवेश करें, उस पैसे का आधारभूत ढांचे के लिए निवेश करें, उस पैसे का उन लोगों के लिए निवेश करें जिनके हितों की ओर अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितना कि आवश्यक था। यही बात है जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं।

आज 53 वर्ष बाद भी हमारी यह स्थिति है कि 80,000 बड़े गांवों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। 2,30,000 से अधिक गंवों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं, 1,40,000 गांवों में पक्की सड़कें नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अभी आपको बताया गया कि तनख्वाहों में योजनाओं का पैसा बंट रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: आपको ग्रामीण विकास के बारे में चिन्ता है। आज सुबह आपकी पार्टी किसानों के बारे में बात कह रही थी। मेरी बात सुनिए, फिर उसको काउन्टर कीजिए। मुझसे ज्यादा हिन्दी पर आपका कमान्ड है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं जो बात बताने जा रहा था वह यह है कि हमारे समस्त प्रयासों के बाद आज भी देश की लगभग दो लाख बस्तियों में नियमित सुरक्षित जलापूर्ति नहीं है और 53 वर्षों के पश्चात् आज भी 82 प्रतिशत ग्रामीण लोगों के पास सफाई सुविधाएं नहीं हैं।

इन सफाई सुविधाओं के लिए हमें 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है और ग्रामीण सड़क सम्पर्क जिसका मैंने जिक्र किया है, के लिए हमें 60,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। पेय जल के शेष कार्य को पूरा किये जाने के लिए हमें 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उस क्षेत्र के लिए, जो कि अभी बंजरभूमि मानी जाती है, हमें बड़ी धनराशि की आवश्यकता है।

मेरा निवेदन है कि वे भी इस देश के लोग हैं और वे भी इस देश की भलाई में अपना योगदान दे रहे हैं। अत: हमें उन लोगों के बारे में भी समान रूप से चिंता करनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि आज देश की वित्तीय स्थिति का हरेक को पता है। यह एक दिन में नहीं हुई है। यह पिछले 50 वर्षों से थोड़े से जहां-तहां अंतर के साथ उस दिशा में चल रही है। आज स्थिति यह है कि देश पर आंतरिक और बाहरी 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है; कच्चे रूप में 1,12,000 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान; और 1,20,000 करोड़ रुपये की मूलधन वापसी है। आपका कुल राजस्व कितना है? यह 2,07,000 करोड़ रुपए है। यदि आप राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे, ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की वापसी के अनुसार चलें तो इन सबके लिए पैसा कहां है?

हम अक्सर इस सभा में और दूसरी सभा में सुनते हैं कि लोग वृद्धावस्था पेंशन हेतु और पैसा दिए जाने की मांग करते हैं। मैं उनसे सहमत हूं। लोग चाहते हैं कि सफाई कार्यक्रम यथाशीघ्र पूरे होने चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। लोग चाहते हैं कि सफाई कार्यक्रम यथाशीघ्र पूरे होने चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। लोग चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क सम्पर्क को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए। हम भी उनसे सहमत हैं। लोग चाहते हैं कि पेयजल सुविधाएं शीघ्रातिशीघ्र ग्रामीण लोगों को प्रदान की जानी चाहिए। मैं भी उनसे सहमत हूं और उनकी राय का समर्थन करता हूं। पर प्रश्न यह है कि पैसा केवल दो तरीकों से जुटाया जा सकता है। एक है कि आप कराधान में वृद्धि करे। जनता पर पहले से ही अधिक बोझ है। हममें से बहुत से ऐसा नहीं करना चाहते। दूसरा है कि आप पैसा उधार लें। जब आप पैसा उधार लेते हैं तो आप ब्याज के भुगतान के बारे में जानते हैं-कर्ज की स्थिति और बदतर हो जाएगी। और क्या रास्ता है? मैं मंत्री के तौर पर अपनी व्यथा बांटना चाहता हूं। एक गांव से आने वाले ग्रामीण व्यक्ति के रूप में मैं, सभा तथा विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम संगठित क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हैं हम सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हैं हम इन 50 वर्षों से उनकी सहायता करते आ रहे हैं। मेरी सरकार आने के पश्चात् भी ऐसे आंकड़े हैं कि इस अल्पावधि में पुनरुद्धार पैकेज और ऋणों के द्वारा 11,000 करोड़

रुपए सरकारी क्षेत्र को दिए गए हैं। यह साधारण राशि नहीं है। सरकारी क्षेत्र को पुनरुद्धार अथवा सहायता अथवा जो भी क्रियाकलाप हो, के लिए 11,000 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं। मेरी बात बिल्कुल सीधी सी है। हम सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जब हम लोगों की बात करते हैं तो प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जिनको इन सब वर्षों उनका जायज हक नहीं मिला था। मैं इस पार्टी अथवा उस पार्टी पर आरोप लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। यह जिम्मेदारी को बांटने का समय भी नहीं हैं। मैं उन सभी राजनीतिक पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक अलग अवसर लूँगा। मैं सभा में जिस पहलू के बारे में अपने विनम्र तरीके से कहना चाहूँगा वह यह है कि इन 53 वर्षों में हम उन लोगों का ख्याल नहीं रख सके। सत्तर प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हैं। अड़तीस प्रतिशत लोग आज भी निरक्षर हैं। छब्बीस प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रही हैं जैसाकि मैंने आपको पहले कहा है कि दो लाख गांवों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसा मामला होने के कारण इस बहस में मेरा हस्तक्षेप करने का कारण यह है कि इस सभा में यह प्रार्थना करना है तथा देश में विभिन्न राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नेताओं से यह प्रार्थना करनी है कि इस मुद्दे पर गम्भीरता से चर्चा की जाये और फिर इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिए समाधान करने का प्रयास किया जाये।

खरीद के लिए धन की आवश्यकता होती है। भंडारण के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। इस देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की विशाल सुविधा की आवश्यकता है। भंडारण सुविधा बहाल किये बिना आप किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते। नष्ट होने वाला सभी सामान बर्बाद हो रहा है क्योंकि कोई भंडारण सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके लिए आपको शीतागार की आवश्यकता है इसके लिए भी भारी धनराशि की आवश्यकता होती है। यदि मामला यह है तो चाहे इस पक्ष के वे मंत्री हों जो इस कुछ समय के लिए सरकार में है अथवा उस पक्ष के वे वित्त मंत्री हैं जो उस समय सरकार में थे, धनराशि तो सीमित ही होती है और संसाधन भी सीमित होते हैं और उन्हीं संसाधनों के अंदर हमें उन तबकों का ख्याल रखना होगा। मैं गया में यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि जहां तक संभव हुआ हमने सरकारी क्षेत्र का ख्याल रखा है। आखिरकार उद्योग को बनाये रखना है। रोजगार सृजित होते रहने चाहिए और उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। हां, मैं इससे सहमत हूं? यहां बैठे हम सभी अत्यंत काबिल लोग है। श्री बसुदेव आचार्य ने एक बात कही है कि हम इसको लूट रहे हैं। आखिरकार हम सभी भी देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं। आप कह सकते हैं कि इस राष्ट्रवादी नहीं है और सिर्फ आप ही राष्ट्रवादी हैं। मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन बात स्पष्ट है इस धनराशि को देश के अंदर से ही जुटाना होगा। क्या आप ऐसा करने के लिए कर लगायेंगे अथवा क्या जहां तक संभव हो आप विनिवेश करेंगे और प्राथमिकता वाले क्षेत्र में करेंगे। अपने बचपन में एक छात्र के रूप में मुझे स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन तीन से चार किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था।

शिक्षा के शुरुआती दिनों में मैंने लालटेन पढ़ाई की थी आज की मौजूदा पीढ़ी में आपके पास बेतार, इंटरनेट, वेबसाइट की सुविधा है और आपके पास वे सभी आधुनिक सुविधाएं है जो देश में एक विशेष तबके के लिए है। क्या आप चाहते हैं कि वे देशवासी लंबे समय तक प्रभावित रहें। क्या यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस क्षेत्र से धन निकालकर इसके दूसरे क्षेत्र में निवेश के बारे में सोचें। इसमें गलत क्या है इसमें राष्ट्रविरोधी बात क्या है? इसमें कामगार विरोधी बात क्या है? मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ। क्या आप चाहते हैं कि वे कंपनियां इसी तरह कार्य करती रहे और तब आप लोगों को कहें कि यह विशेष कंपनी घाटे में चल रही है इसलिए मैं आप पर कराधान लगा रहा हूँ। फिर मुझे उस कंपनी के कामगारों को वेतनमान देना है। क्या यह उचित है? क्या ऐसा करना किसी राजनेता के लिए ठीक होगा? क्या यही नीति है।

जहां तक लाभ का संबंध है मैंने अनेकों कंपनियों को देखा है चाहे वे लाभकारी हो अथवा घाटे में चल रही हो, कांग्रेस शासन के दौरान उनको विनिवेश आयोग के पास भेजा गया था। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अन्य लोग इसका ख्याल रखेंगे। मैं इस मुद्दे से स्वयं को अलग नहीं करना चाहता हूँ। मैं तहेदिल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ। मेरे हस्तक्षेप करने का अर्थ कोई राजनीतिक विवाद खड़ा करना अथवा इसका अनुचित लाभ उठाना नहीं है। मैं लोगों का इस अत्यंत ज्वलंत मुद्दे से सम्बद्ध करने के लिए उन्हें उत्तेजित करना चाहता हूँ। आप कब तक लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में इस न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रहने देना चाहते हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपको गरीबों का इतना ही ध्यान है तो डिसइन्वेस्टमेंट पर आपके दत्तोपंत ठेंगड़ी क्या कहते हैं, वह बताइए?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: हम कभी-कभी गंगा-कावेरी को जोड़ने के लिए मांग के बारे में सुनने को मिल रहा है। गंगा-कावेरी का 1995 में लगभग 70000 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया था। यदि आप वर्तमान में इसके खर्च का अनुमान लगाते हैं तो यह लागत कम से कम दो लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। पैसा कहां है?

श्री पवन कुमार बंसल: क्या इसे अब शुरू करने के लिए आपके पास कोई योजना है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: हां, बड़ी, मंझौली और चालू सिंचाई परियोजना की संख्या लगभग 430 है। इन सभी परियोजनाओं को पूरा किये जाने की इकट्ठी अनुमानित लागत दो लाख करोड़ रुपये हैं। क्या इस यहाँ संसद सदस्यों अथवा संबंधित राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों की मांग के आधार पर दो, तीन, पचास, सौ अथवा दो सौ प्रतिशत धनराशि का वितरण कर न्याय कर रहे हैं? क्या हम उन लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या 53 वर्षों के बाद भी वे इतनी लंबी अवधि का इंतजार करें?

दूसरी बात जो मैंने आपको कही है वह आवास के बारे में है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कार्यक्रम की भारी कमी है। उसके लिए भी हमें धन की आवश्यकता है। चाहे यह धन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा बैंक से आता हो, आखिर यह जनता का ही धन होता है। यह धन यहां निवेश किया जाये। संयुक्त निधि भी सीमित है।

[हिन्दी]

जितना आटा उतनी रोटी।

[अनुवाद]

आपके पास इतनी धनराशि है। आप इसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करते हैं चाहे यह संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो अथवा विद्युत क्षेत्र हो। मेरे मित्र श्री सुरेश प्रभु मुझे बता रहे थे कि आगामी 10 वर्षों में विद्युत आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए आपको आठ लाख करोड़ रुपये की भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। आज हम कुछ लोगों को यह कहते हुए पाते हैं कि

[हिन्दी]

हमको बिजली मुफ्त में दो और कुछ लोग ऐसा वायदा भी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

वे किसी भी पक्ष के हों चाहे वे इस पक्ष के हों अथवा उस पक्ष के हों। मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज एक सीधी सी बात यह है। उन लोगों को सड़कों से जोड़ दीजिए। हमारे पास चार लेनों वाली राजमार्ग परियोजना भी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 58,000 करोड़ एक और बड़ी धनराशि के रुपये की निवेश की आवश्यकता है। हमें प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। हमें पेय जल के लिए 40000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमें गंगा-कावेरी को जोड़ने के लिए दो लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुझे बस इतना ही कहना है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: आप जो बिजली के बारे में, पानी के बारे में, सड़क के बारे में कह रहे हैं तो गरीबों को तो कुछ भी नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठे-बैठे कैसे बीच में बोल रहे हैं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मैं तो मंत्रिमंडल में अभी-अभी आया हूं और हमें सत्ता में तीन साल हुए हैं जो लोग 50 साल से राज कर रहे थे उनको तो भूलने के लिए आप तैयार हैं। दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

यह व्यवस्था के सामने एक चुनौती है। यह देश के सामने एक चुनौती है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने संगठित क्षेत्र पर ध्यान दिया है। आपने कार्यालयों में काम करने वालों पर ध्यान दिया है। आप उन लोगों पर ध्यान दें जो संगठित नहीं हैं। यह इस चर्चा में मेरे बहस का मूल है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। आप कह सकते हैं वही आप इसको एक लाख करोड़ रुपये दे दो, उसको 10,000 करोड़ रुपये अथवा 50,000 करोड़ रुपये दे दो। कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांग सकता है। हम यह सुनते रहे हैं। प्रश्न काल के दौरान हमें माननीय सदस्यों से सुझाव मिले हैं लेकिन सवाल यह है कि धनराशि है कहां? धनराशि तो फिर भी सीमित ही हैं। राज्य सरकार के उपक्रमों की स्थिति क्या है? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? 50 से अधिक इकाइयां घाटे में चल रही है। वास्तव में 54 इकाइयां घाटे में चल रही है। भारत सरकार के अधीन यदि कोई गलती हो जाती है तो भारत सरकार की हर बात गलत पायी जाती है, यदि पश्चिम बंगाल में कोई गलती हो जाती है तो पश्चिम बंगाल में कुछ भी गलत नहीं पाया जाता है? क्या इस प्रकार के दृष्टिकोण से हमें मदद मिलेगी?

मेरे अपने राज्य आंध्र प्रदेश में 20 से ज्यादा इकाइयों का निजीकरण होने जा रहा है। निजीकरण और विनिवेश मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जो बाल्को में विनिवेश के खिलाफ बोले ने अगले दिन ही ढिठाई से कहा कि राज्य के 29 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता समाप्त हो गई है ...*(व्यवधान)*

मैं अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ही थे जिन्होंने बालको में विनिवेश का जी जान से विरोध किया था तथा इस पर आरोप भी लगाया था लेकिन उसी राज्य सरकार ने अगले दिन निर्णय किया कि 29 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता समाप्त हो गई है। इस 29 इकाइयों की सूची में कल्याण विभाग भी शामिल है। मेरे पास सूची है और यदि आप चाहें तो मैं इसे आपको दे सकता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: हमने कहा था कि हम विनिवेश सिर्फ उसी इकाइयों का करेंगे जो लंबे समय से पूर्णत: घाटे में चल रही है और जिनके पुनरुद्धार की कोई उम्मीद नहीं है। हम विशेषकर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में ऐसे उद्योगों में विनिवेश किये जाने के भी विरुद्ध हैं जिनका लाभ अर्जन का रिकार्ड रहा है। आप उन इकाइयों को भी विनिवेश कर रहे हैं। यह बात हम नहीं समझ रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा करने के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों है। यदि वे प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में लाभ अर्जन कर रहे हैं तो आप उसका विनिवेश क्यों कर रहे हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: 1 सितम्बर 1996 को उद्योगों की यह बड़ी सूची विनिवेश आयोग के पास भेजी गई थी। उनमें से कतिपय कंपनियां लाभ अर्जन कर रही थी। मेरी जानकारी के अनुसार मारुति उद्योग लिमिटेड पूर्णरूपेण लाभ अर्जन कर रही थी। इसका विनिवेश क्यों किया गया? चाहे इसका दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत अथवा तीस प्रतिशत विनिवेश किया गया लेकिन इसका क्या कारण था? यदि आप लाभ अर्जन करने वाली सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण नहीं किये जाने की नीति का पालन करते हैं तो हम उसी पर डटे रहें। लेकिन यह आम राय है? क्या विभिन्न राज्यों में यही हो रहा है?

कर्नाटक में भी 20 से अधिक इकाइयों अर्थात 26 इकाइयों का निजीकरण होने जा रहा है। मैं मुख्य मंत्री की गलती निकालने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। यदि मुख्य मंत्री प्रगतिशील तरीका अपनाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ यदि कुछ गलत होता है तो मुख्य मंत्री और उनके क्रियाकलापों पर ध्यान देने के लिए विधान सभा है। मैं उनका नाम घसीटना नहीं चाहता हूं और अनावश्यक आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो अपनाए गए रुख में परस्पर विरोधी बातों को बताया है।

मैंने कांग्रेस पार्टी के बंगलौर सम्मेलन में विपक्ष की नेता का भाषण पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 'हम निजीकरण की अवधारणा के विरुद्ध नहीं हैं। हाँ, उसमें एक शर्त थी जैसा कि माधवराव सिंधिया ने ठीक ही कहा था कि हमें उनके हितों का ध्यान रखा होगा। कांग्रेस पार्टी ने भी उन दिनों एक मांग की थी। पूछा गया था कि विनिवेश विभाग और उसके मंत्री तथा ऐसी अन्य चीजों की क्या जरूरत है? उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। यह मांग की थी।

जहाँ तक दूसरे पक्ष का संबंध है, हमने देखा है कि केरल और केरल की वित्तीय स्थिति के साथ क्या हुआ है। नये मुख्य मंत्री ने सत्ता संभालने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र प्रकाशित किया है। एक के बाद एक राज्यों में हम देख रहे हैं कि वे राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र की इकाईयों की कार्यप्रणाली के संबंध में गंभीर स्थिति को समझ सके हैं। मैं राज्यवार इन ब्यौरों को प्रस्तुत कर सभा का समय नहीं लेना चाहता यद्यपि मेरे पास इन सभी इकाइयों की राज्यवार सूची उपलब्ध है। मेरा जोर इस बात पर है कि विपक्ष में होने पर हम कुछ और कहते हैं, पर सत्ता में होने पर कुछ और कहते हैं। क्या हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी पार्टी के इस तरह के रवैये पर पूर्णविराम नहीं लगाना चाहिये? कृपया समझिए, मैं धन प्राप्त करने की समूची गतिविधि को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ चाहे यह 5000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, या 20,000 रुपये हो। वर्ष 1991-98 के दौरान यानि हमारे सरकार में आने तक, कुछ लाभ कमाने वाली कंपनियों समेत विभिन्न कंपनियों से करीब 18,000 करोड़ रुपये का विनिवेश किया गया। यदि कोई कहता है कि वह धन बजटीय घाटे को पूरा करने में प्रयुक्त हो रहा है, तो मैं उससे सहमत हो सकता हूँ। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि सभा की सामूहिक राय का फैसला है कि हमें विनिवेश करना चाहिए और अधिप्राप्त धन का उपयोग आधार संरचना के निर्माण और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हो तो क्या हमें उस दिशा में नहीं सोचना चाहिए?

लोग माडर्न फूड इंडस्ट्रीज और माडर्न ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे माननीय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और अन्य वरिष्ठ सदस्यों की तरह अनुभव नहीं है। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि क्या ब्रेड बनाना सरकार का काम है।

श्री पवन कुमार बंसल: क्या यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य नहीं है कि राष्ट्रीय हित के साथ समझौता न हो।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: राष्ट्रीय हित या मजदूरों के हितों से समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे बताया गया है कि निजीकरण के बाद माडर्न फूड इंडस्ट्रीज में कर्मचारियों का वेतन प्रति महीने 1600 रुपये बढ़ा है। यदि मैं गलत हूँ तो मेरी बात में सुधार कीजिए। उन कर्मचारियों को प्रति महीने 1600 रुपये अधिक मिल रहा है। क्या यह मजदूरों का कल्याण नहीं है? क्या हमें इस बारे में प्रसन्न नहीं होना चाहिये? आपका दबाव है कि

[श्री एम. वैंकय्या नायडू]

हम सारी सावधानी बरतें; 'आप बताइए कि' ये कमियां हैं और हमारे पास ये उपचारात्मक उपाय है और कृपया इन पर विचार कीजिए अगर कोई ऐसे अर्थपूर्ण सुझाव देता है, तो मैं समझ सकता हूँ।

[हिन्दी]

अगर स्कूटर बनानी है, साईकल बनानी है, ब्रेड बनाना, होटल चलाना

[अनुवाद]

क्या होटल चलाना सरकार का काम है? इस अनुभव के पश्चात् क्या हम कह सकते हैं कि होटल चलाना सरकार का कर्तव्य है। कभी-कभी हम उस बड़े होटल मुम्बई के सेण्टूर होटल में जाते हैं। इसके पास काफी सम्पत्ति है और एक बड़ी इमारत है। दिल्ली में भी उनका एक होटल है। ये लोग व्यापार करते हैं और घाटा होता है और वे चाहते हैं कि आम करदाता और रिक्शाचालक इनकी कमियों के लिए भुगतान करे। यही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। मैं किसी पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। महोदय, सरकारी क्षेत्र में 31 होटल हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: घाटे के कारणों को दूर कर उसे प्रोफिटेबल बनाना है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यहाँ एक विरोधाभास है। एक तरफ वह घाटे की बातें करते हैं, दूसरी ओर वह ऐसा कहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इस बात का खंडन करने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत जोरों से कह रहे हैं कि हम यह करना चाहते हैं, वो करना हैं लेकिन थ्रो-अवे प्राइसेज पर कीमती चीजों को बेच रहे हैं। इनमें माडर्न ब्रेड की बहुत सारी प्रोपर्टी कीमती थी जिसे बहुत सस्ते दामों पर निकाल दिया। बालको के इतने कीमती असैट्स थे, उनको कम दाम में निकाल दिया। इसलिए ऐसी कीमती चीजों को जो औने-पौने दामों पर बेचा जा रहा है, इस पर लोगों को आब्जैक्शन है। आप अपनी कैपिटल खत्म करके अपना बजट बैलेंस कर रहे हैं और सारे असैट्स बेच रहे हैं। जिसका दिवाला निकल जाता है, वही अपनी पूंजी खत्म करता है। यह सरकार प्राइवेट सैक्टर के शेयर बेचकर थोड़ा बहुत डिसइनवैस्टमेंट में पैसा लगायेगी। इससे एक साल या दो साल तक काम चलेगा लेकिन देश का आप कितना नुकसान करेंगे। ये भी सोचे।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: महोदय अगर इस हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है, तो मुझे एक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अरुण शौरी, उत्तर देने के दौरान आप पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, माननीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने बीच में बोलने का अवसर देकर सहृदयता दिखाई है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यदि मेरे झुकने और इस तरह के हस्तक्षेप से कोई व्यापक सहमति बनाने में सहायता मिलती है, मुझे ऐसा कई बार करने में खुशी होगी। यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है, जिस पर मैं किसी राजनैतिक पार्टी से टकराव मोल लूँ। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, मैं भारी मन से और तहेदिल से बोल रहा हूँ। इसका कारण बहुत स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार नहीं चला पाई है, इसलिए बेच दिया जाये। टाटा अपने होटल ठीक से चला रहा है लेकिन आपसे नहीं चल रहे हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: वह हमारा काम नहीं है। प्राइवेट वाले चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, वह उनका बिजनैस है, हमारा काम नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया।

[अनुवाद]

होटल चलाना सरकार का काम नहीं है। यह बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या सरकार को होटल, रेस्तरां चलाना चाहिए, ब्रेड और बन्द बनाना चाहिए तथा पेयजल, बिजली, सफाई आदि को दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। क्या केश तेल बनाना सरकार का काम है? *...(व्यवधान)* क्या सभा और सरकार का ध्यान उन ज्वलंत मुद्दों की ओर केन्द्रित नहीं करना चाहिए, जो इन वर्षों में उपेक्षित पड़े हैं?

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: कल कहीं ऐसा न हो कि आप कहें कि सरकार नहीं चलती और टाटा को सरकार चलाने के लिए दे दें।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: अगर आप मेरे सिद्धान्त और विचारधारा में सहमत नहीं हैं तो यह अलग बात है *...(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: 70% जनसंख्या के मुद्दे पर आपने जो कुछ कहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। कृपया एक बार स्पष्टीकरण दें। उदयपुर में एक होटल जिसका वास्तविक मूल्य 150 करोड़ रुपये है, उसे आप 30 करोड़ रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ सरकार की देशभक्ति या प्रतिबद्धता कहाँ गई? *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: हम इसे आपको दे देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री के. एच. मुनियप्पा: मैं उद्योग संबंधी समिति में हूँ। मैं वहाँ गया था। हमने मजदूर संघों से बात की। निविदा मूल्य बढ़ रहा है लेकिन वास्तविक मूल्य कम हो रहा है। यहाँ देशभक्ति कहाँ गई? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: यह सही नहीं है। स्थिति अलग है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अरुण शौरी आपके पास जवाब देने का मौका है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: सरकार द्वारा चलाये जा रहे 31 होटलों में से 30 घाटे में हैं। मेरी बात बहुत आसान है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस कारोबार से हटिये और तब देखिये कि इस मामले में आप कैसे जा सकते हैं और कैसे धन वापस मिलेगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य 50 मिनट तक बोलते रहे, कुछ नहीं हो पाया। मुझे थोड़ा तो बोलने के लिए मौका दें।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन को उद्धृत करने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा। उन्होंने कहा है:

> ''यद्यपि आर्थिक सुधारों के मामले में इस निरुपण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप है तथापि इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार और सामाजिक परिवर्तनों के प्रोत्साहन सहित बहुत से अन्य क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियां अपर्याप्त हैं। इस जड़ता से भी व्यापक भ्रष्टता, आर्थिक ठहराव और सामाजिक अवस्थिति में वृद्धि होती है।''

श्री तरित बरण तोपदार: नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन का यह उद्धरण आपके द्वारा आंख मूदकर किये जा रहे विनिवेश का समर्थन नहीं करता।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमने 50 सालों तक आपका ध्यान रखा है। कृपया ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा ख्याल रखिए। यही मेरा रुख है। अगर आपको मेरे रुख पर कोई आपत्ति है, तो, मैं इसे आप पर छोड़ दूँगा। *...(व्यवधान)* यह विरोधाभास है। इतना धन उपलब्ध है और इतनी मांग है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: क्या माननीय मंत्री महोदय को जानकारी है कि क्या हुआ है?

अध्यक्ष महोदय: आप कितनी बार मंत्री महोदय को बाधा पहुंचाएंगे? यह क्या है? आपको भी मौका मिलेगा।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, इस देश में ऐसे सरकारी क्षेत्र के संगठन हैं जहां एक कर्मचारी की औसत परिलब्धियां हजारों में हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह 60,000 रुपये प्रति महीने हैं। गांवों में काम कर रहे ऐसे खेतिहार मजदूर हैं, कुली हैं जिन्हें निर्धारित-न्यूनतम 35 रुपये या 45 रुपये की मजदूरी भी नहीं मिलती *...(व्यवधान)* मेरा कहना है कि उन लोगों का ध्यान रखिए। आपका समूचा फोरम इस तरफ से उस तरफ केन्द्रित कीजिए। आपने इन लोगों का पर्याप्त ध्यान रखा है। उनका ध्यान रखा गया है और अब वे आत्मनिर्भर हैं।

एक दिन मैं विशाखापत्तनम में था। इस्पात संयंत्र के कर्मचारी पास आये और मुझसे मिले और एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने कहा था ''विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में आप बहुत सक्रिय थे। कृपया विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को बचाइए।'' सारे श्रमिक संघ मेरे पास आए थे। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि उन्होंने उत्पादन 165 टन से बढ़ाकर 240 टन कर दिया है। मैंने कहा, ''बहुत अच्छा''। और अन्त में मैंने ज्ञापन उन्हें वापिस कर दिया।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: एक समय उसे बचाने के लिए आपने गोली का सामना किया था। कृपया अब उसे बचा लीजिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, वे विशाखापत्तनम से संसद सदस्य हैं। इनकी चिंता स्वाभाविक है। मैं भी वहां के विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप पहले ही आधा घण्टा बोल चुके हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: महोदय, आप कृपया उतना समय अलग कर दें, जो दूसरे सदस्यों द्वारा प्रश्न करने में लगा है। कृपया ग्रामीण जनता पर भी कुछ दया करें।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया। जिसमें यह कहा गया था कि उनके श्रम के फलस्वरूप उत्पादन 165 टन से 240 टन तक पहुंच गया है; और उन्होंने मुझसे सहायता मांगी। मैंने कहा, ''मुझे आपसे सहानुभूति है''। फिर, मैंने उन्हें ज्ञापन वापिस कर दिया और कहा, ''नमस्कार''। उन्होंने पूछा कि मैं उन्हें ज्ञापन वापिस क्यों दे रहा हूँ। मैंने कहा कि इस्पात संयंत्र को बचाना आपके ही हाथ में है। उन्होंने पूछा कि कैसे; तो मैंने कहा कि यदि आप उत्पादन को 165 टन से बढ़ाकर 240 टन कर सकते हैं, तो आपमें यह क्षमता भी अवश्य है कि आप देखें कि कैसे यह संस्था लाभ कमाए। मैंने उनसे कहा कि, ''आप अपना प्रयास करें और हम अपना प्रयास करेंगे''। यही मैंने उनसे कहा। उन लोगों के लिए यह एक तरह का दायित्व है; जिसे कार्यशक्ति को समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि यह दायित्व भावना जनगतिविधिक विभिन्न क्षेत्रों में धीरे-धीरे उभर रही है। लेकिन, विभिन्न राजनैतिक दलों के राजनेता होने के नाते हमसे यह दायित्व भावना बढ़नी चाहिए; क्योंकि हम केवल इन सब लोगों के प्रति ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उन लोगों के प्रति भी हैं। लेकिन, यहाँ एक टालू प्रवृत्ति बन गई है क्योंकि एक किस्म का तैयार किया-कराया संगठन है, तैयार किये-कराये लोग हैं, संगठित लोग हैं। ये लोग बात उठाने में माहिर हैं। तो हुआ यह है कि हम इस तरह के लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी हो गए हैं और उनके प्रति कम जवाबदेह हैं जो एकत्रित तक नहीं हो पाते। प्राथमिकता तय करते समय हम सभी को इस दृष्टिकोण को भी ध्यानगत रखना चाहिए।

महोदय, पश्चिम बंगाल के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री-मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता-उन्होंने भी 1992 में तत्कालीन प्रधान मंत्री को पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्थित 'इस्को' के विषय में एक पत्र लिखा था। उस पत्र के अंत में मुख्य मंत्री ने यह लिखा था कि यदि कुछ भी न हो सके, तो फिर अमुक-अमुक उद्योगपति, निजी क्षेत्र का अमुक-अमुक व्यक्ति इसे लेने को तैयार है। वह निवेश करने को राजी है और आप कृपया उसे इस परियोजना में शामिल कर लें। यदि एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री, जो 22 वर्ष के शासन का अनुभव रखता है, स्थिति की वास्तविकता को समझ सकता है और ऐसा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना सकता है-तो मैं अपने अन्य कॉमरेड मित्रों से वह अपील करता हूँ कि वे स्थिति की वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करें और नारेबाजी में बह न जाएँ।

आज मेरे पास चीन के संबंध में एक बड़ी सी सूची है। चीन में निजीकरण हो रहा है; पूर्ववर्ती पूर्वी जर्मनी में निजीकरण हो रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल: पूर्वी जर्मनी! 'पूर्वी जर्मनी' कौन सा देश है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मैं पूर्ववर्ती पूर्वी जर्मनी की बात कर रहा था।

श्रीमती श्यामा सिंह: पूर्वी जर्मनी में जब उन्होंने सरकारी क्षेत्र के एक हिस्से के निजीकरण का प्रयास किया, तो पूर्वी जर्मनी की जनता ने सरकारी उपक्रमों को ही हटवा दिया।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: पूर्ववर्ती पूर्वी जर्मनी में उस समय एक विचारधारा विशेषवादी शासन व्यवस्था थी। इसी कारण से मैंने इसका इस तरह से उल्लेख किया; और इसमें कुछ गलत है भी नहीं। आज भी लोग 'उत्तरी बंगाल' की बात करते हैं; लोगों को 'कराची' और 'सिंध' अभी तक याद हैं। यह इतिहास की बात है। और हम इस पर नंबर बनाने की कोशिश न करें। मेरा इतिहास-विषयक ज्ञान उतना अच्छा नहीं है जैसा श्री पवन कुमार बंसल का है। इसके लिए मैं उन्हें पूरे नंबर देता हूँ। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी की स्थिति को देखते हुए वहाँ के लोगों को वस्तुत: इसका समर्थन करना ही चाहिए था। पूर्वी जर्मनी की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण से काम लिया और बर्लिन की दीवार हटा दी-सही है। स्थिति की वास्तविकता को समझा जाना चाहिए।

2000-2001 के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध हैं-भारत सरकार को राजस्व के रूप में 2,31,745 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई; ब्याज के रूप में 1,12,300 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और मूलधन के रूप में 1,20,000 करोड़ रुपये लौटाए गए। विकास गतिविधियों के लिए रकम बची ही कहां? मैं यह नहीं कह रहा कि केवल विनिवेश या निजीकरण करके ही धनराशि आयेगी। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि यह भी एक स्रोत है, जिसके माध्यम से हम धन अर्जित कर सकते हैं और उसका उन उपेक्षित क्षेत्रों के समुचित विकास के प्रयोजन से निवेश कर सकते हैं।

हम अक्सर नारे सुनते हैं। हाल ही में मैं हैदराबाद गया। उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैदराबाद आए हुए थे। कुछ लोग

चिल्ला रहे थे, ''विश्व बैंक अध्यक्ष वापस जाओ, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद''। मैने स्वयं से यह प्रश्न पूछा कि तब ऋण वगैरह का क्या होगा। उत्तर मिला, ''कर्जा माफ करो; विश्व बैंक अध्यक्ष-वापस जाओ! कर्जा माफ करो, कीमतें घटाओ; बिजली मुफ्त दो''-क्या यह संभव है?

मैं शीघ्र अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। फिर, हमारे मित्र कुछ ऊब सी महसूस कर रहे हैं कारण मुझे नहीं पता।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): हमें आपके भाषण में मजा आ रहा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या एक बात बताएंगे? आपने कहा कि 53 वर्षों में आज गांवों की वही समस्या है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। 53 वर्षों से सिस्टम गड़बड़ रहा। जो करप्शन उसमें इनवॉल्ड रहा, अगर उसी को केवल सुधार दें तो किसी चीज को बेचने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जितना पैसा जाता है, उतना ही विकास के लिए बहुत ज्यादा है। उस पैसे का केवल 5 प्रतिशत उपयोग होता है, बाकी 95 प्रतिशत दुरुपयोग होता है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: जो फिगर्स आप दे रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आपको भी मालूम है कि यह फैडरल सिस्टम है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांवों में जितना पैसा जाता है, 5 प्रतिशत ही वहां लग रहा है। 54 वर्षों में इस देश का इतना विकास हो जाता कि हम बहुत आगे पहुंच जाते।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यह एक पक्ष है कि आप कह रहे हैं कि यदि पैसा ठीक ढंग से खर्च होता, तो स्थिति कुछ हद तक दूसरी ही होती। मैं इससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन आप यह कहकर पूरी व्यवस्था को ही खारिज नहीं कर सकते कि पैसा गाँवों तक पहुंच ही नहीं रहा। पिछले तीन वर्षों में, हमने गरीब लोगों के लिए 70 लाख से अधिक घर बनाए हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता भी व्यक्त की थी। कल ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसी बात पर अपनी चिंता व्यक्त की।

मेरा कहना यह है कि सभी वरिष्ठ सदस्य यह जानते ही हैं कि धनराशि को खर्च करने की जिम्मेदारी राज्य, जिला और पंचायती राज संस्थाओं की है। आइए, हम सभी साथ आकर प्रयास करें, स्थिति सुधारें और बेहतर लक्ष्य बनाएँ जिससे कि जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचे। इसके लिए मेरे पास एक चार-सूत्री कार्यक्रम है-जनजागृति, पारदर्शिता, जन-सहभागिता, ग्राम सभाओं का सशक्तीकरण तथा सामाजिक स्तर पर लेखा-परीक्षण की पद्धति। यह हुआ एक पक्ष।

दूसरा पक्ष यह है कि, यदि आप इस धनराशि को पूरी तरह सौ फीसदी खर्च कर भी लें और यह भी सुनिश्चित करें कि इसका लाभ लोगों को मिले-तो भी भारी अंतर रहेगा। यह मैं सभा को बताना चाहता हूँ। पेयजल सुविधा देने के लिए मुझे 40000 करोड़ रुपये चाहिए; सड़क बिछाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये चाहिए-वह भी केवल उन गांवों के लिए, जिनकी संख्या केवल 500 ही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसे कई गांव हैं, जिनकी जनसंख्या केवल 100 है। क्या हम यह कहें कि हम उनके लिए सड़क नहीं बनायेंगे? हाल ही में जब मैं पूर्वोत्तर के कुछ गांवों में गया तो वहाँ मुझसे पूछा गया, ''आप केवल उन्हीं गांवों की बात करते हैं। जिनकी आबादी 500 या 1000 है; लेकिन उन गांवों का क्या होगा जहाँ केवल 250 या 150 लोग ही रहते हैं?'' मैंने कहा, ''सबसे पहले मैं वर्तमान सूची में निर्दिष्ट लक्ष्य को पूरा करना चाहता हूँ।'' तो उन्होंने कहा, ''हमारे राज्य भर में कहीं ऐसे गांव नहीं हैं कि जिनकी आबादी 1000 हो। आपको यह निर्दिष्ट जनसंख्या सीमा कम करनी पड़ेगी।'' मैंने कहा, ''ठीक है, हम समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे।'' यदि आप इस ओर भी विचार करें तो फिर हमें बड़ी भारी धनराशि चाहिए होगी।

अतः, हमारे पास यह संसाधन उपलब्ध हैं। हमें गंभीरतापूर्वक विचार करके जहां संभव हो, वहाँ ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा। हम सरकार के हाथ मजबूत करें और अपेक्षित तथा सर्वसंभव सीमा तक विनिवेश हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करें। इससे हम इष्टतम लाभ कमाएँ और कामगारों के हितों की रक्षा करें। आइए, हम आपस में हाथ मिलाएं। एक ओर जहां हम इन कामगारों की मदद करें, कहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों के संरक्षणार्थ इस धनराशि का व्यय करें। यही मेरे पूरे कथन का सार है।

महोदय, अपने वक्तव्य में मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करने के बजाय, आइए, हम इस समस्या का हल ढूंढने पर विचार करें-आज नहीं तो कल, लेकिन ऐसा करें। उनमें असंतोष फैल रहा है। हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उसके गांवों के लिए कोई नेट नहीं चाहिए। हम 'वायरलैस इन लोकल लूप' की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं।

[श्री एम. वैंकय्या नायडू]

[हिन्दी]

सर, हमारे गाँव में वायरलैस है।

[अनुवाद]

हम राजमार्ग की बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं 'कोई मार्ग ही नहीं है।' हम छत पर रखी टंकियों की चर्चा कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें साधारण टंकी ही दे दीजिए। वे जो कह रहे हैं, सरकार वही काम कर रही है। ग्रामीण लोगों के हित साधनार्थ और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से नयी योजनाएँ शुरू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दस हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। रोजगार का तात्पर्य सिर्फ सरकारी नौकरी भर से नहीं है। कोई भी सरकार आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में नौकरियां प्रदान नहीं कर सकती। हम स्व-रोजगार अवश्य मुहैया करा सकते हैं। हम उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं को और मुहैया कराकर आवश्यक आधारसंरचना बना दे सकते हैं।

महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। माननीय सदस्यगण अपनी बात कहने की प्रतीक्षा में है। मैं हाल ही में मदनापल्ली गया था। यह बंगलौर के पास है। वहां 'जिद्यू कृष्णमूर्ति फाउंडेशन' है। मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ टोकरियों में भर-भरके टमाटर रखे हुए हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या वहां श्री राघवेन्द्र राव या कृष्णा रेड्डी-जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय फिल्म-निर्माता हैं-की फिल्म की शूटिंग की जा रही है। मुझे पता लगा कि वहाँ कोई फिल्म-शूटिंग नहीं हो रही है। टमाटरों से भरी वे टोकरियाँ सड़क के किनारे इसलिए रखी गई थी, क्योंकि वे लोग इस आशा में थे कि बंगलौर से कोई आए और उन्हें खरीद लें। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और फिर मदनापल्ली के बाजार में गया। वहाँ मैंने देखा कि सब्जी की नीलामी बोली हो रही है। मैंने पूछा कि दाम क्या है। बताया गया कि 16 रुपये। मैं यह सुनकर विस्मित रह गया कि मदनापल्ली के बाजार में टमाटर 16 रुपये किलो बिक रहे हैं। तभी एक किसान ने मुझसे कहा कि 16 रुपये तो दस किलो टमाटर की एक टोकरी का दाम है। उसका मतलब हुआ कि एक किलो टमाटर की कीमत 1.60 रुपये प्रति किलो थी।

महोदय, उस शाम मैं बंगलौर जाकर अपनी बहिन के घर रुका। मैंने उससे पूछा कि बंगलौर में टमाटर क्या भाव बिक रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यह तो लगभग 6 से 8 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मात्र 132 किलोमीटर पीछे मदनपल्ली में यह 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा। वह शाम मैंने बंगलौर में बितायी और अगले दिन में दिल्ली आ गया। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि दिल्ली में टमाटर का क्या भाव है। उसने मुझे बताया कि इसका मूल्य परिवर्तनशील है और यह 12 रुपये और 18 रुपये के बीच है।

महोदय, इसका कारण बहुत सीधा सा है। किसानों के लिए कोई भंडारण सुविधाएँ नहीं है। टमाटर खराब होने वाली चीज है और हम उनके लिए ऐसे गोदामों और शीतागारों की पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं नहीं जुटा पाये हैं जिससे कि हम उन्हें परिरक्षित रख सकें। इसके अतिरिक्त, इन सारे वर्षों में सरकार ने पर्याप्त जानकारी भी प्राप्त नहीं की। तो क्या अब हमें उनके लिए शीतागारों के निर्माण के प्रयास नहीं करने चाहिए? गत वर्ष शीतागार की भंडारण क्षमता 12 लाख टन थी। इस वर्ष दस लाख चालीस हजार टन की क्षमता और बढ़ा दी गयी है।

महोदय, खुद मैं और मेरे मित्र, श्री प्रमोद महाजन नासिक गये थे और हम वहाँ एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक किसी ने हम पर कुछ फेंका। मैंने सोचा कि किसी ने हम पर बम फेंका है। पुलिस उस आदमी के पीछे दौड़ी और उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन पुलिस ने तो केवल एक किसान को पकड़ा था। हमने पुलिस वालों से पूछा।

[हिन्दी]

किसान को क्यों पकड़ा?

[अनुवाद]

पुलिस वाले ने बताया कि वह चीज उसी व्यक्ति ने हम पर फेंकी थी।

[हिन्दी]

हमने किसान से पूछा-तुमने क्या फेंका। किसान ने कहा प्याज। क्योंकि प्याज नासिक में इतना होता है कि इसे कोई लेने वाला नहीं है। हमने सोचा प्रमोद महाजन आए हैं, उनका ध्यान प्याज उत्पादकों की ओर आकर्षित हो, इसलिए हमने प्याज फेंका। लेकिन आप तो पार्टी प्रवक्ता हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह उस समय की बात है जब मैं मंत्री नहीं था, केवल पार्टी प्रवक्ता था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, हम वापस आये और हमने माननीय प्रधान मंत्री जी को बताया कि उन लोगों के लिए शीतागार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उनके लिए ऐसे

अवसर उत्पन्न किये जाने की आवश्यकता है जिनसे वे वस्तुओं का निर्यात कर सकें। ये वही व्यावहारिक समस्याएँ हैं जिनका हम समाधान नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये केवल छोटे और दूरवर्ती ग्रामीण केन्द्रों में ही दृष्टिगोचर होती हैं।

महोदय, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम एकजुट हो जाएँ और उन वस्तुओं एवं समाज के उन वर्गों को प्राथमिकता दें जिन्हें वंचित रखा गया है। हम दूसरे क्षेत्र में निवेश करने के लिए किसी क्षेत्र में विनिवेश करना चाहिए। हमें ग्रामीण क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: आप कह किससे रहे हैं। प्रमोद महाजन तो सदन में हैं ही नहीं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: उससे पहले भी हमको खुद याद है, अखबार वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, उनको ऐसे अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है लेकिन हम गांव में रहने वाले लोगों को मालूम है कि किसान की स्थिति क्या है।

[अनुवाद]

इस समस्त देश के ग्रामीण लोगों के प्रति भेदभाव बरते जाने के संबंध में मैं जोरदार बात नहीं करना चाहता। क्या योजना आयोग से लेकर राजनेताओं और हरेक व्यक्ति से तथा हम सभी लोगों ने इन सारे वर्षों में राजनैतिक वर्णक्रम को भुलाते हुए इस क्षेत्र पर वस्तुत: पर्याप्त ध्यान दिया है? हमने ध्यान नहीं दिया है। हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए। एक-दूसरे की नुक्ता-चीनी से कोई मतलब हासिल होने वाला नहीं है। मैं कांग्रेस की नुक्ता-चीनी कर रहा हूँ और वह मेरी नुक्ता-चीनी कर रहे हैं।

इसीलिए, भड़काये जाने के बावजूद मैं न भड़कने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं आप सभी से जो अपील कर रहा हूँ उससे मैं भटकना नहीं चाहता था। कृपया, इस दृष्टिकोण से तर्काधार को समझें और सरकार के कार्यक्रम का समर्थन करें। यह मेरा निवेदन है और सभा से मेरी यही अपील है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं विनिवेश मंत्री श्री अरुण शौरी जी को ग्रामीण विकास मंत्री जी को प्रोत्साहन देने में बहुत सफल होने पर धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि विनिवेश से प्राप्त समस्त आय ग्रामीण विकास निधि में जायेगी। लगता है यही कारण है कि श्री नायडू जी सभा में उनका बचाव करने के उद्देश्य से आये हैं।

महोदय, अभी-अभी जिस मंत्री ने हस्तक्षेप किया, वह मेरे मित्र श्री वैंकया नायडू जी हैं। उन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस शासन के अंतर्गत किसानों की स्थिति को जो निष्कपटतापूर्वक स्वीकारा ही है तथा किसानों द्वारा उठाये जा रहे कष्टों को भी स्वीकारा है। भ्रान्ति तो मात्र यह रही है कि, यदि उन्होंने हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा किसानों की समस्याओं के संबंध में रखे गए स्थगन प्रस्ताव का समर्थन किया होता तो उनका ख्याल उचित सिद्ध हो गया होता।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: यदि स्थगन प्रस्ताव से किसानों की सभी समस्याओं के समाधान का अपेक्षित परिणाम मिलने वाला है तो मैं अपनी पार्टी से भी स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने का निवेदन करूँगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: धन्यवाद! यदि आपने ऐसा किया होता, तो कम-से-कम किसानों को यह पता चल जाता कि आपको उनकी स्थिति के प्रति सच्ची सहानुभूति है और उनकी शिकायतों को सुलझाने की चिंता है।

महोदय, हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी, उनसे पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारतीय गणराज्य के इतिहास में पहली बार ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं पर बल दिया था ...*(व्यवधान)* स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और बाद में स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस सभा में सरकार के बजट में ग्रामीण विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। श्री नायडू जी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि उस समय आरंभ की गई प्रक्रिया के लाभ पंचायती राज प्रणाली तक पहुँचे थे। यदि यहां-वहां कुछ भूल चुक हुई है तो हम आपस में बैठकर उन पर निर्णय ले सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदानों से संबंधित श्री नायडू के लम्बे भाषण को सुनकर मुझे बड़ा आनन्द आया। संभवत: उन्होंने यह सोचा था कि उनके मंत्रालय के अनुदानों पर सभा में कभी चर्चा न हो और उन्हें उनके बारे में बोलने का कभी अवसर न मिले और इसीलिए उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज की विषय वस्तु का संबंध यह नहीं है कि कौन विनिवेश के समर्थन में है और कौन विरोध में। कई बार हमारी पार्टी ने यह अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि हम अनिवार्यत: विनिवेश के विरोधी नहीं हैं। हमारे उपनेता ने अभी-अभी हमारे बंगलौर प्रस्ताव के संबंध में स्पष्टीकरण दिया था। हम यहां सरकार से यह सवाल करने के लिए नहीं बैठे हैं कि सरकार विनिवेश करने का प्रयास क्यों कर रही है। हमारे प्रश्न की केवल तीन बातें हैं-(क) पारदर्शिता, (ख) राष्ट्रीय हित, और (ग) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत मजदूरों का हित।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

महोदय, एयर इंडिया के साथ माडर्न फूड्स और बाल्को जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एयर इंडिया राष्ट्र का गौरव है। इसकी लम्बी गौरवमयी विरासत है। कई दशकों से इसे सरकार से कभी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है, यहाँ तक कि कांग्रेस शासन के दौरान भी नहीं। यह अपने संसाधनों के बलबूते चलती रही। माननीय मंत्री श्री नायडू जी यह कहकर इसे सामान्य बात मनाने के प्रयास कर रहे थे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय राजकोष पर एक खर्च है। अब मैं इस बात में तो चर्चा नहीं करूंगा लेकिन एयर इंडिया का मामला अलग है। एयर इंडिया राष्ट्रीय राजकोष पर खर्च नहीं बनेगी इसने अपने अस्तित्व के 53 वर्षों में से 46 वर्षों में लाभ अर्जित किये हैं। इसकी स्थिति में अभी परिवर्तन हुआ है और पहली तिमाही में इसने लाभ अर्जित किया है। अत:, एयर इंडिया को जैसा समझा जा रहा है वैसा नहीं समझा जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि ठीक वर्ष 1996 में विनिवेश की प्रक्रिया को विनिवेश आयोग को सौंप दिया गया था और इससे पहले हमने अपनी सरकार में भी इसकी योजना बनाई थी।

वर्ष 1998 में, यह कार्य विनिवेश आयोग को सौंप दिया गया था। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। हमने यह कभी नहीं कहा है कि इसे विनिवेश आयोग को क्यों सौंप दिया गया था।

अब, मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। गत कई महीनों से संसद में विभिन्न प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से मैं ध्यान लगाकर यह समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार की दिशा क्या है।

एअर इंडिया के मामले में पारदर्शिता के मौलिक प्रश्न पर मेरे पास भारत और अन्य देशों के कम-से-कम 3000 प्रेस क्लिपिंग है। मैं ट्रेड यूनियनों से मिला था। मैं कामगारों से मिला था। मैं एअर इंडिया के कर्मचारियों से मिला था पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं सरकार के तीन लोगों से मिला। हमें उन कम्पनियों के भी दस्तावेज मिले जिन्होंने डाक, समाचार पत्रों और यहाँ तक कि ट्रेड यूनियनों के माध्यम से इस निविदा में बोली लगाने की कोशिशें की थीं। हमने वस्तुगत दृष्टि से उनका अध्ययन किया।

फिर मैंने 2 जुलाई, 2001 को माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने कहा था कि विनिवेश के मामले में स्वाभाविक तौर पर हमने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है। हाल ही में, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के हमारे बंगलोर अधिवेशन में पारित संकल्प में इस बात को स्पष्ट किया गया कि विनिवेश के मामले में हमारा रुख क्या है। महोदय, मैंने माननीय प्रधान मंत्री को लिखा और पत्र की एक एक प्रति पूर्व प्रधान मंत्रियों को भेजी। उनमें से अधिकांश लोगों ने मेरे पास अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। पत्र में जो मैंने लिखा था वह इस प्रकार है:

''प्रधान मंत्री जी, राजनीति की एक आत्मा होने के नाते क्या आप स्वयं इस बात को अंगीकार कर सकते हैं कि स्वतंत्रता और गणतंत्र बनने के 51 वर्षों के बाद महान भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रीय वाहक पर व्यावहारिक रूप में पूरा नियंत्रण सिंगापुर की सरकार का रहे? क्या इस तरह के आत्मसमर्पण और समझौते को आप स्वीकार कर सकते हैं? क्या स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, स्व. प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, स्व. प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, स्व. प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई, स्व. प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह, स्व. प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, श्री चन्द्रशेखर, श्री एच.डी. देवगौड़ा, श्री आई.के. गुजराल में कोई भी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज वाहक हमारी राष्ट्रीय एयरलाइन्स की नीति का निर्धारण करने वाला हमारा राष्ट्रीय सम्मान, गौरव और प्रभुसत्ता संपन्न प्राधिकरण किसी ऐसी विदेशी एअरलाइन्स की सनक और निर्देश, षडयंत्र और योजनाओं के वशीभूत हो जिनकी सरकार परदे के पीछे से इसके परिचालन की संवीक्षा करेगी तथा अपने हित में हमारे आकाशीय क्षेत्र और अंतरिक्ष पर हावी रहेगी? मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे आपकी सरकार और मंत्री इस तरह आत्मसमर्पण को तैयार है।

महोदय, मैंने आगे लिखा था:

''प्रधान मंत्री जी, आर एस एस के तथा जन संघ और हाल के समय में स्वदेशी मंच की अन्य गतिविधियों के माध्यम से देशभक्ति की भावना की अपनी शैली में पलकर क्या आप इस आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन दे सकते हैं?''

माननीय प्रधानमंत्री ने उस पत्र को सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद उसे किसे भेजा गया मैं नहीं जानता ...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू: एक दिन आप स्वयंसेवक बनेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, अब मैं कतिपय पंक्तियों को उद्धृत कर रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि यह कहाँ से उद्धृत की गई है। इसमें कहा गया है:

''जैसाकि यह सर्वविदित है, एअर इंडिया का विनिवेश प्रक्रिया में विशेषकर एक बोलीदाता के लिए प्रतिभूति का निपटान

करने और तत्पश्चात् इस प्रक्रिया को निविदा प्रणाली के रूप में विकसित करने के क्षेत्र में तथा निवेश परामर्शदाताओं की भूमिका को लेकर अनगिनत समस्याएँ आती रही हैं।

ऐसा समझा जाता है और देखा गया है कि जब कभी भी सरकार ने एकल निविदा प्रणाली अपनाने की कोशिश की है, संसद में विनिवेश को क्रियान्वित करने को लेकर जोरदार हंगामा खड़ा हो गया है और आरोप-प्रत्यारोप किए गए हैं। हालांकि इस प्रसंग में मॉडर्न फूड्स के मामले को अक्सर उद्धृत किया जाता है, तथापि इन दोनों की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि एअर इंडिया एक ऐसी परिसंपत्ति है जो इस देश के राष्ट्रीय वाहक के रूप में अनगिनत मनोभाव का परिचालन करती है। इसलिए, यह तर्क देना कि न्यूनतम रक्षित मूल्य और एकल बोलीदाता का होना उचित होगा, संसद और सरकार के माध्यम से एक साफ-सुथरी विनिवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में अच्छा नहीं है।

ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि यदि सरकार के पास एक से अधिक बोली लगाने वाले न हो, तो हमें इस प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए, अन्य बातों के अलावा एटीएफ पर 38 प्रतिशत कर जैसे मुद्दों की समीक्षा कर एअर इंडिया को और अधिक लाभकारी बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एअरलाइन की व्यवहार्यता से बेहतर मूल्य की वसूली सुनिश्चित की जा सके। सरकार और संसद के गलियारों में यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार कीमती परिसंपत्तियों का दोहन करने के बजाय इन परिसंपत्तियों को ही हटाने पर तुली हुई है। हमें इस प्रक्रिया को उचित रूप देने या वस्तुगत दृष्टिकोण को पारदर्शी रूप देने की कोशिश में नीतियों को बदलने की अपेक्षा विमानन नीति पर समग्र रूप से गौर करना चाहिए...''

मैंने ''पारदर्शिता'' शब्द का प्रयोग किया। इसमें आगे कहा गया है:

''माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हमें इस मामले में किस तरह आगे बढ़ने की जरूरत है।''

कैबिनेट सचिव द्वारा 17 जुलाई को ऐसा लिखा गया था *...(व्यवधान)* यह कैबिनेट सचिव की टिप्पणी है। मैंने प्रधान मंत्री को 2 जुलाई को पत्र लिखा था। मैंने कैबिनेट सचिव से संपर्क नहीं किया। मैंने एअर इंडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मूल्य, भारत के गौरव, विनिवेश प्रक्रिया आदि से जुड़ी भावनाओं के बारे में अपने आप लिखा था। और 17 जुलाई, को कैबिनेट सचिव ने स्वयं प्रधान मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। मैं इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ। कैबिनेट सचिव किसी विपक्षी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। वह एक सम्मानित अफसरशाह होता है। यह पारदर्शिता पर सवाल करती उनकी टिप्पणी है।

महोदय, संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने 13 अगस्त, 2001 को स्पष्ट किया था कि एअर इंडिया 1995-96 से घाटे में चलने वाला संगठन बनकर रह गया है जबकि इस स्थिति में आने से पहले यह मुनाफे में चलता था। 1992-93 में इसका लाभ 330 करोड़ रुपए का था, 1993-94 में 210 करोड़ रुपये था और 1994-95 में 40.80 करोड़ रुपये था, जबकि घाटा केवल 1995-96 में हुआ। यह तो नागर विमानन मंत्री श्री शरद यादव थे जिन्होंने एअर इंडिया का संचालन इस रूप में किया कि उसे मुनाफा होने लगा। तथापि, मैं मानता हूँ कि बेचारे मंत्री जी ऐसी स्थिति में है कि वे असहाय है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: पूर्व मंत्री ने भी काफी रुचि ली थी। ऐसा लगता है कि आप उसे भूल गए हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: विनिवेश मंत्री भी इस स्थिति में है कि वे भी असहाय हैं। मुझे नहीं मालूम कि दिशा-निर्देश कहां से आते हैं। उन्हें नागर विमानन मंत्री, वित्त मंत्री या संभवत: पूरे मंत्रिमंडल से परामर्श करना होता है। मैं इससे सहमत हूँ। किन्तु, हमने पारदर्शिता के रूप में एक अत्यंत ही छोटी चीज की मांग की थी। विपक्ष की हमारी लब्धप्रतिष्ठ नेता ने राष्ट्रीय हित के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर पत्र लिखा था कि जहां विनिवेश का मामला बनता है, हमें अलग से एक स्थायी समिति बनानी चाहिए थी। सही या गलत, वित्त समिति अब इस मामले को देख रही है। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में बजट प्रस्तावों की तरह इस संपूर्ण मसले को स्थायी समिति के समक्ष रखने में क्या गलत है? इस सम्पूर्ण मामले को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए और संसद में रिपोर्ट की जानी चाहिए। फिर संसद इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी और निर्णय देगी। हम न तो किसी के विरोध में है और न ही पक्ष में है। किन्तु, दुर्भाग्यवश उसे स्वीकार नहीं किया गया।

अब मैं एक अत्यंत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण मामले पर आता हूँ, वह है विनिवेश का चरणबद्ध तरीके से विकास। मैं अपने को पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित तक सीमित रखूंगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि वे किन्हीं के साथ बातचीत में व्यस्त हैं। महोदय, क्या आप मंत्री जी को निर्देश देने की कृपा करेंगे? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: श्री शरद यादव मुझसे यही कह रहे थे कि एअर इंडिया के मामले में जब निर्णय किया गया था, तो वे उपस्थित थे, मैं नहीं क्योंकि उस समय मैं मंत्री नहीं था।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर हम लोग कहना चाहते हैं कि शरद यादव जी एयर इंडिया के विनिवेश के खिलाफ हैं।

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष महोदय, तीन-चार सदस्यों ने मेरा नाम लिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो विनिवेश का निर्णय है, उसमें हम सभी थे और अनंत कुमार जी भी थे। उस पर काफी लम्बी बहस हुई थी। निश्चित तौर पर एक मामले में मतभेद था, हमारी और अरुण जी की राय थी कि इंडियन एयरलाइंस का जो इक्विटी रेशो है, वही हो, बाकी सब लोगों की भी वही राय थी। हम सबने एक राय से निर्णय लिया था। सरकार में इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। विशेषकर अरुण शौरी जी और मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं है। डिबेट में इस तरह की चीज लाकर परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं माननीय मंत्री जी को और अधिक उलझन में नहीं डालना चाहता हूँ। अब मैं पारदर्शिता के मामले में तथ्यों पर आना चाहूंगा। सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार को नियुक्त किया। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ और यदि सरकार इन तथ्यों की मांग करती है, तो मैं इनकी प्रमाणिकता पेश करने और इसे सभापटल* पर रखने को तैयार हूँ। राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का निपटान करने में पारदर्शिता एक मापदंड है।

सरकार का पहला काम एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त करना था। उसने जे.एम. स्टैनले मॉर्गन नामक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया। सरकार को एक सलाहकार को हटाने का भी अधिकार है बशर्ते कि उसे लगता हो कि इसमें परस्पर विरोधीहित है।

क्या यह सच नहीं है कि यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न समितियों में एक निवेश कंपनी म्युचुअल फंड बोर्ड की सदस्य है जो म्युचुअल फंड आबंटन की उसी इकाई का प्रतिनिधित्व करती है? मैंने इसका उल्लेख एक दिन किया था। क्या यह भी सच नहीं है कि हाल में हुए यू.टी.आई. घोटाले में टाटा पावर को शेयर बाजार से 150 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ? क्या यह सच है कि उसी जे.एम. स्टेनले मॉर्गन को सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया में एक सलाहकार के रूप में चयन किया है और उन्होंने टाटा समूह की इंडियन होटल कंपनी के निदेशक का पद भी संभाला था? मंत्री महोदय ने मुझे उत्तर दिया कि उनकी नियुक्ति टाटा ने नहीं की थी और यह कि सेबी का यह निदेश है कि किसी कारपोरेट घराने या किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाए, इसलिए जब विनिवेश प्रक्रिया चल रही थी तो टाटा ने उन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना। क्या यह सच नहीं है कि उसी निवेश कंपनी को मीडिया के दबाव और कुछ संसद सदस्यों द्वारा शोर मचाए जाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा? क्या यह सच नहीं है कि टाटा ने उसी जे.एम. स्टेनले मॉर्गन को अब विदेश संचार निगम लिमिटेड के विनिवेश की प्रक्रिया के लिए सलाहकार नियुक्त किया है? आप यह कैसे उचित ठहराएँगे कि इसमें पारदर्शिता बरती गई है? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि यह सब साफ और स्पष्ट है? क्या यह भी सच नहीं है कि आपने उन्हें बर्खास्त किए बिना एक दूसरी कंपनी के हितों के टकराव के कारण बर्खास्त कर दिया? मुझे उसका नाम मालूम है और मैं इसका नाम लेने जा रहा है। आपने उन्हें बर्खास्त नहीं किया और बाद में जनता के सामने दिखावा करने के लिए यह भली-भांति जानते हुए भी कि संसद का सत्र समाप्त होने जा रहा है, आपने दो नए सलाहकारों की नियुक्ति की। आपने हाल ही में परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए दो और सलाहकारों की नियुक्ति की है। टाटा समूह का कोई बोलीकर्त्ता किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकर कैसे नियुक्त कर सकता है जो उसी कंपनी का निदेशक भी हो? जब तक इस मामले का निपटान नहीं हो जाता, आप उन्हें टाटा-वी.एस.एन.एल. के विनिवेश के लिए सलाहकार कैसे नियुक्त कर सकते हैं? क्या यह हितों का टकराव नहीं है? आप चाहें तो कह सकते हैं कि यहाँ हितों का कोई टकराव नहीं है।

अब मैं उन सामान्य दिशानिर्देशों की बात करना चाहूँगा जिनका उल्लेख आपने एक प्रश्न का उत्तर देते समय इस सभा में किया था। बोलीकर्त्ताओं के लिए दिशा-निर्देश क्या हैं? आपने बताया कि बोलीकर्त्ता के लिए प्रमुख दिशा-निर्देश यह है कि उसे सरकार की दृष्टि में किसी प्रकार के अपराध या दोषसिद्धि या इस प्रकार की दूसरी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए। मेरे पास सम्पूर्ण दिशा-निर्देश हैं। मैं इन दिशा-निर्देशों को पढ़कर सदन का समय नहीं खराब करना चाहता हूँ। दिशा-निर्देश यह है कि यदि किसी सलाहकार के साथ हितों का टकराव हो तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यदि बोलीकर्त्ता किसी प्रकार का प्रभाव रखता हो तो उसे विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए। विधि मंत्री भली भांति जानते थे कि सेबी ने वीडियोकॉन की निंदा की थी, फिर भी विधि मंत्रालय ने 10 मई को वीडियोकॉन को बोली की प्रक्रिया में बने रहने की अनुमति दे दी। क्या आपने इस पर आपत्ति की? अन्ततः आपने उन्हें इससे बाहर रखा। क्या आपकी सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि सी.बी.आई. बोफोर्स मामले की जांच कर रही है और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है? ऐसे

*अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण इन पत्रों को सभा पटल पर रखा नहीं माना गया।

समय में अपने हिंदुजा बंधुओं और दूसरे सभी लोगों को एयर इंडिया के अधिक संवेदनशील क्षेत्र डाटा रूम में प्रवेश की अनुमति दी। आपने उन्हें आपरेशन डाटा रूम में प्रवेश करने दिया। आपने इस पर आपत्ति नहीं की। क्या यह पारदर्शिता है? क्या यह निष्पक्षता है?

मेरे मन में सरकार में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी के प्रति दुर्भावना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में टाटा समूह की बहुत प्रशंसा की थी। जमशेद जी. टाटा एक बड़े देशभक्त थे। हमारे देश की औद्योगिक क्रांति में उनका बड़ा योगदान है। श्री जे.आर.डी. टाटा भारत के महान सपूत हैं। मुझे उन पर गर्व है। उनके पुत्र रतन टाटा का उदाहरण लें। कोई भी हमारा शत्रु नहीं है।

सायं 6.00 बजे

लेकिन एक सरकारी संस्था के रूप में आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका किसी प्रकार का प्रभाव न हो। क्या आपने ऐसा किया? मैं नहीं समझता कि आपने ऐसा किया था।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं सरकार की जानकारी के लिए एक बहुत ही संवेदनशील तथ्य का उद्घाटन कर रहा हूँ। आज अभी छह बजे तक एक कंपनी के खिलाफ 300 मिलियन डालर से अधिक के फेरा संबंधी उल्लंघन के मामले में सीधी जांच की जा रही है। जांच अभी चल रही है। इस जांच का पूरा दस्तावेज इस समय मेरे पास है। यह कंपनी कौन सी है? यह बताना इतना महत्वपूर्ण नहीं है; लेकिन यह सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता ...*(व्यवधान)* श्री अरुण शौरी, मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके पारदर्शिता के दावे को ध्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री आर.के. पांडेय, उपनिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने आई.एच.सी.एल. तथा कोक्स एंड किंग्स संबंधी मामले में दिनांक 13.12.1999 के आदेश के अधिक्रमण में दिनांक 20.3.2000 को एक आदेश जारी किया। जांच से उजागर हुए तथ्य रोचक हैं। क्या मैं इस रिपोर्ट को पृष्ठवार पढ़ कर सुनाऊँ? मैं इस मिलीभगत के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारी को हांगकांग में ताज इंटरनेशनल होटल में आई.एच.सी.एल., जिसमें निवेश कंपनी निदेशक के रूप में शमिल हुई और बाद में उसने त्यागपत्र दे दिया, की ओर से निम्नलिखित भुगतान किए गए। सिंगापुर एयरलाइंस की ओर से 49,61,301 डालर की जमा राशि; कैथे पैसिफिक की ओर से 1.5 मिलियन डालर की जमा राशि प्राप्त हुई; 3,39,90,03,362 डालर की अन्य राशियां भी प्राप्त हुईं। इन जमाराशियों के भुगतान के उद्देश्यों की आगे जांच की जा रही है और यह जांच की जा रही है कि इन राशियों का भुगतान टाटा समूह को क्यों किया गया। मैं यह उजागर करना चाहूँगा कि कुल 250 मिलियन डालर से 300 मिलियन डालर अनुमानित विदेशी मुद्रा का अन्यत्र उपयोग किया गया और अनुमान के अनुसार यह राशि और अधिक हो सकती है।

क्या यह भी सच नहीं है कि यही आई.एफ.सी.एल. पिछले एक महीने से उसी सलाहकार जे.एम. स्टेनले मार्गन के साथ एक और सौदे के लिए सिंगापुर एयर ट्रैफिक टर्मिनल और कैथे पैसेफिक के साथ बातचीत कर रहा है? क्या आप इन तथ्यों से इंकार कर सकते हैं? जब मैं यह कह रहा हूँ तो पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं। प्रवर्तन निदेशालय की पूरी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से 13 मिलियन डालर की राशि किसी विशेष प्रयोजन के लिए ली गई लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना उन्होंने 5 मिलियन डालर का उपयोग किया और 8 मिलियन डालर की राशि अन्यत्र भेज दी गई। यह राशि कहाँ ले जाई गई? यह धन स्विट्जरलैंड के एक बैंक को भेजा गया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना लंदन में तीन बैंक खाते खोले। हांगकांग के ए.आर.आर.ए. ग्रुप की 20 मिलियन डालर की राशि को अन्यत्र उपयोग के लिए ले जाया गया और इस प्रकार कुल 320 मिलियन डॉलर की राशि का हेरफेर किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि आप कोई स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त कर लें। स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने भी यही बात कही। अब मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। इस संबंध में नवीनतम जानकारी 27.2.2000 की है। उसका विवरण प्राप्त हो चुका है। इसमें सिंगापुर एयरलाइन की क्या भूमिका है?

श्री अरुण शौरी: चूंकि आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, मैं अपनी जानकारी के लिए एक स्पष्टीकरण चाहूँगा। आपने दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया है और यह कहने का प्रयास किया है किसी कारपोरेट घराने की कार्यपद्धति की जांच की जा रही है। दिशानिर्देश के अनुसार:

> ''देश की सुरक्षा और एकता संबंधी मामलों से अलग मामलों में किसी अदालत द्वारा दोषसिद्धि या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अभ्यारोपण किये जाने या कोई प्रतिकूल आदेश किए जाने पर .....''

इस प्रकार, ये दो अलग-अलग बातें हैं। आप अधूरे वकील हैं। इसमें कहा गया है ''किसी अदालत द्वारा दोषसिद्धि या किसी

[श्री अरुण शौरी]

विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिकूल आदेश या अभ्यारोपण''। आप मुझे दोषसिद्धि का उल्लेख दिखाएं फिर हम आगे बढ़ेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने कभी 'दोषसिद्धि' नहीं कहा। मैं इसे पुन: उद्धृत करता हूँ।

''किसी सलाहकार संस्था या उसकी सहायक संस्था को किसी अदालत द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध पाए जाने या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अभ्यारोपण/प्रतिकूल आदेश दिए जाने पर सलाहकार संस्था को अनर्ह माना जाएगा।''

श्री अरुण शौरी: आप गलत दिशा-निर्देश पढ़ रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री शौरी, क्या यह उचित नहीं होगा कि आप हस्तक्षेप करने से पहले मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दें। मैंने हर बात सभा पटल पर प्रमाणित की है। मैंने वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने मेरा पत्र प्राप्त होने की सूचना दी है और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है कि देश में काम किस तरह से चल रहा है।

श्री अरुण शौरी: आप सलाहकार से संबंधित दिशा-निर्देश पढ़ रहे हैं। आपको बोलीकर्त्ता से संबंधित दिशानिर्देश को पढ़ना चाहिए। बोलीकर्त्ताओं के लिए दिशा-निर्देश अलग है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं उद्धृत करता हूं:

''देश की सुरक्षा और एकता संबंधी मामलों में बोलीकर्त्ता पक्ष या उसकी किसी सहायक संस्था द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए सरकार की किसी एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किये जाने/अदालत द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर बोलीकर्त्ता की अर्हता समाप्त हो जाएगी। सहायक संस्थाओं के बीच संबंधों के विषय में निर्णय संबंधित तथ्यों के आधार पर और इस बात की जांच करने के बाद किया जाएगा कि दोनों संस्थाएं उसी व्यक्ति/उन्हीं व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं या नहीं।''

अब यहां सरकारी एजेंसी द्वारा आरोप पत्र का उल्लेख आता है।

श्री अरुण शौरी: अगला पैराग्राफ सुरक्षा संबंधी मामलों के बारे में है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप कृपया दिनांक 13.7.2001 के पत्र का पैराग्राफ (ख) पढ़िए। वहाँ लिखा है:

''देश की सुरक्षा और एकता संबंधी मामलों में बोलीकर्त्ता पक्ष या उसकी किसी सहायक संस्था द्वारा दिए गए किसी अपराध के लिए सरकार की किसी एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र दायर किए जाने। अदालत द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर बोलीकर्त्ता की अर्हता समाप्त हो जाएगी।''

यहाँ ''किसी अपराध के लिए'' पद का प्रयोग किया गया है।

श्री अरुण शौरी: वह सुरक्षा से संबंधित है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं। मैं इसे एक बार फिर पढ़ कर सुनाता हूँ। सदन इसका फैसला करे। मैं इसे पंक्तिवार पढ़ूँगा।

श्री अरुण शौरी: दो अलग-अलग पैराग्राफ हैं ताकि किसी को भ्रम न हो। एक सुरक्षा के संबंध में है, जिसे आपने पढ़ा है। अगला पैराग्राफ 'फेरा'' उल्लंघनों जैसी सुरक्षा से इतर दिशा-निर्देशों के बारे मे है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उस दूसरे पैराग्राफ में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की बात कही गयी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: ''खोदा पहाड़ निकला चूहा।'' ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: वह भी गलत चूहा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह बोलने का तरीका नहीं है। मैं पैराग्राफ (ख) को फिर पढ़ता हूँ:

''देश की एकता और अखंडता से संबंधित मामलों के बारे में किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई आरोपपत्र/न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि.....''

श्री अरुण शौरी: आप फेरा उल्लंघनों पर गौर फरमा रहे हैं।

सायं 6.08 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पहले आप मेरी बात सुनिये और फिर आप न्यायोचित ठहराइए।

''बोली लगाने वाली पार्टी द्वारा अथवा बोली लगाने वाली पार्टी की किसी सहायक एजेंसी द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई आरोप पत्र/न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध.....।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूँ। क्या किसी न्यायालय द्वारा हिन्दूजा; स्टरलाइट, वीडियोकॉन को दोषसिद्ध ठहराया गया था? उन्हें दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है। विधि मंत्रालय ने निर्णय लिया था। चूंकि आप समझते हैं कि उसकी कटु आलोचना हुई है। आप समझते हैं कि आपको उन्हें इस प्रक्रिया में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक आम धारणा है कि स्टरलाइट की कटु आलोचना हुई है और अब वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की किसी बोली में शामिल नहीं हो सकती है। क्या यह सही है अथवा गलत?

श्री अरुण शौरी: मैं स्पष्ट कर दूं ताकि किसी को गलत फहमी न रह जाये। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि आपका मुद्दा सही है तो मैं वही करूँगा जैसा आप चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि दिशा-निर्देशों को योजना में क्या कहा गया है। इस मामले में हमारे बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है।

दिशा-निर्देशों के तीन सैट हैं। एक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे का है। उन आरोप पत्रों में जिस किसी को भी आरोपित किया जाता है तो सजा दिया जाना आवश्यक नहीं है-अथवा हो सकता है कि सम्पूर्ण ग्रुप ही चला जाये। इसलिए, यदि सहायक एजेंसी को आरोपित किया गया है तो, सम्पूर्ण ग्रुप ही जाएगा।

'फेरा' जो अगले पैराग्राफ में है जैसे मामलों को आप नहीं पढ़ रहे हैं। स्कीम यह है, यह चार्ज सीट नहीं होगी। बल्कि किसी विशेष प्रतिष्ठान की दोषसिद्धि होगी ताकि किसी सहायक एजेंसी की।

तीसरा मुद्दा सलाहकारों के बारे में है। जहाँ तक सलाहकारों का संबंध है। यह 'सेबी' जैसे विनियामक प्राधिकरण द्वारा दोषसिद्ध है अथवा प्रतिकूल आदेश है और यह सम्पूर्ण ग्रुप के लिए है न केवल किसी विशेष प्रतिष्ठान के लिए। इसलिए, उदाहरण के लिए, सी.एस.एफ.सी. को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। ठीक इसी तरह हिन्दूजा के मामले में हुआ है जिनका मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन उन्हें आरोपित किया गया है, सम्पूर्ण ग्रुप को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

यदि हमने दिशा-निर्देशों को लागू करने में गलती की है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम सब चीजों को सही कर लेंगे। लेकिन जो आप 'फेरा' उल्लंघन के बारे में मामला उद्धृत कर रहे हैं वह दूसरे नम्बर पर आता है, जहाँ आपको न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की आवश्यकता है और आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। यदि आप मुझे इस संबंध में और जानकारी दे सकें जिससे कि यह पता चल सके कि दोष सिद्ध हुआ है और सजा दी गई है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम कल ही कारण बताओ नोटिस जारी कर देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं समझता हूँ कि मंत्री मुझे गलतफहमी में डालने की कोशिश कर रहे हैं या सदन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैंने यह कभी नहीं कहा है कि किसी बोलीदाता को सजा दी गई है। मैंने केवल यही कहा है कि क्या यह सच नहीं है कि वीडियोकॉन और स्टरलाइट को 'सेबी' द्वारा आरोपित नहीं किया गया है और इसलिए, वे बोली लगाने के दौड़ में नहीं है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें या तो सजा दी जानी चाहिए थी या आरोपित किया जाना चाहिए था।

श्री अरुण शौरी: वीडियोकॉन ने अपनी बोली वापस ले ली।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, उत्तर देते समय आपको पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री अरुण शौरी: सर, यह गलत बात कह रहे हैं कि वीडियोकॉन पर शो-कोज क्यों नहीं हुआ। वीडियोकॉन अगर विद-ड्रा कर जाए तो शो-कोज किसको दे?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं 6 जुलाई के बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार को उद्धृत करता हूँ। इसमें कहा गया है:

> ''डी.ओ.डी. ने अपने अंतिम आदेशों में बोली लगाने से 'सेबी' नामक कंपनियों को छोड़ने का प्रस्ताव किया है। विचार यह था कि छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कम्पनी को निकाल बाहर किया जाये। तथापि विधि मंत्रालय का यह विचार है कि 'सेबी' ने कम्पनियों के विरुद्ध आदेश जारी किए हैं तथा अन्य मामलों के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं। ये कारक इन कम्पनियों की क्षमता को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की क्षमता में तब्दील होने से नहीं रोकते हैं।
>
> मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अकेले 'सेवी' के आर्डर इन कम्पनियों को अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं समझे जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अधिकरण द्वारा कम्पनियों के विरुद्ध लगाए गए मामलों से गम्भीर आचार नियमों का उल्लंघन भी हुआ है?''

क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं कहा।

श्री अरुण शौरी: नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तो फिर समाचार पत्र बिल्कुल गलत है मैं समझता हूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड झूठ बोल रहा है।

श्री अरुण शौरी: यह बिल्कुल गलत है और मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड को भी बता दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इसे मानता हूँ।

श्री अरुण शौरी: आप कृपया उन दिशा-निर्देशों को देखें जिन्हें मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और न कि समाचार पत्र रिपोर्टों द्वारा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी, आप कागज कलम लेकर पाइंट्स नोट कर लें और जवाब देते समय उत्तर में क्लीयर कर दें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: क्या यह सच नहीं है कि जेम्स मोरगन स्टेनली को स्टॉक मार्किट द्वारा आरोपित किया गया था? क्या यह सच नहीं है कि आपने इस संबंध में वैश्विक परामर्शदाता को निलम्बित किया था? आप इसके लिए भी नहीं कहेंगे।

श्री अरुण शौरी: नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमंशी: मैं नाम बताता हूँ। मंत्रीजी को इंकार करने दें। उन्होंने यह नहीं किया है। मोरगन स्टेनली और क्रेडिट स्विस कोक्स वोस्टन दोनों को सिक्यूरिटी एक्सचेंज कमीशन द्वारा एक बड़े शेयर घोटाले में उनकी भूमिका के लिए हाल ही में आरोपित किया है। स्विस कोक्स बोस्टन को सलाह के रूप में निलम्बित करने के लिए विभाग द्वारा विचार किया गया है। यदि आप नहीं कहते हैं तो यह अच्छा है। मैं मंत्री की बात को मानूँगा और मैं कहूँगा कि यह पत्र झूठ बोल रहा है। मैं मंत्री की ही बात को मानूँगा न कि किसी और की बात को।

श्री अरुण शौरी: नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है। सरकार की स्थिति उजागर हो गई है। यदि स्टाक एक्सचेंज द्वारा कोई आरोप लगाया गया है, तो यह अभी तक आरोपी है और यह सलाहकारों के पैनल से बाहर नहीं हो सकेगी।

300 मिलियन डॉलर का 'फेरा' उल्लंघन हुआ है। इसे अन्यत्र प्रयोजन के लिए भारत से विदेश भेज दिया गया है। यह काम करना शुरू कर देगा। एयर इंडिया में विदेशी मुद्रा ही केवल ऐसा घटक है जिसे वसूला जाएगा। यह स्वीकार्य है। मैंने अपना पत्र तत्काल जांच के लिए माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत किया था। फेरा उल्लंघन के ऐसे मामलों की जांच करने के लिए उचित एजेंसी केवल प्रवर्तन निदेशालय है और कोई नहीं। प्रवर्तन निदेशालय की टिप्पणी यह है कि उल्लंघन का मामला निस्संदेह साबित हुआ है और अभियोजन शुरू होना है। क्या मैं इसे उद्धृत करूँ? प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय ने दिल्ली मुख्यालय से आगे कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है। मुम्बई कार्यालय के श्री आर.के. पांडेय, उपनिदेशक ने केन्द्रीय कार्यालय से आगे अनुमति मांगी है। लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वह घोटाले से जुड़ा मुद्दा है। यदि मैं प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट और टिप्पणियों को पढ़ूँ तो इसमें पूरी रात बीत जाएगी। यह घोटाले वाला मामला है। खाड़ी के एयर चीफ आसियाबी ने एक मिलियन डालर अंतरित किए हैं। उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से भी कोई सूचना नहीं है। हांगकांग में ए.आर.आर.ए. ने 35 मिलियन डालर अंतरित किए हैं। उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। पहले आई.एच.सी.एल. द्वारा सिटी बैंक से ताज, हांगकांग को 35 मिलियन अमरीकी डालर की निगमित गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किया गया था। आई.एच.सी.एल. ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना सिटी बैंक से हांगकांग को 35 मिलियन अमरीकी डालर अंतरित किये थे। ये सभी को बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और इसे निष्पक्ष लेखापरीक्षक को भेज दिया गया था।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया है। मेरे पास स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट है। स्थिति ऐसी है। मंत्री महोदय, आप कह रहे हैं कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जाता है।

अब, मैं राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के मूल्यांकन पर आता हूँ। मैं इस बारे में सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं जानता हूँ कि मूल्य क्या है। कभी-कभी वक्तव्य में यह कहा जाता है कि मूल्य 10,000 है। कभी मीडिया में आता है कि मूल्य 20,000 है। मैं इस बारे में जानता हूँ। माननीय मंत्री ने जो एक कार्रवाई की है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मंत्री महोदय, मैंने दो माह पूर्व आपके नाम एक पत्र लिखा था। आपने इस पर कार्यवाही की, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। पूरी योजना एयर इंडिया के एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो इस समय निलंबित है। योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि एयर इंडिया घाटे में चलेगी। इसलिए, कुल परिसम्पत्ति मूल्य को इस तरह से कम कर दिया गया था ताकि वह बोलीकर्त्ता के पक्ष में जाए और उसे सस्ते में मिल सके।

मैंने इसकी जानकारी माननीय मंत्री और श्री मासकरेनहास महोदय को दी थी। माननीय मंत्री ने इसकी जांच करवाई और कार्रवाई की। मुझे व्यक्त किए गए संभावित नुकसान की सूची मिली थी जो मौजूदा ऑपरेशन में पूरी तरह से गलत है। यदि मैं गलत हूँ तो मंत्री इससे इन्कार करें। यह दावा किया गया था कि आई.एच.सी.एल., जेम्स मार्गन, सिंगापुर एयरलाइन्स आदि ने इस सबकी योजना बनाई थी। सरकार सच नहीं बोल रही है। सरकार हिन्दुजा और वीडियोकोन की भूमिका के बारे में जानती है। सरकार को सब कुछ पता है। मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूँ कि जब डा. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने पारदर्शिता के बारे में कहा तो, उन्होंने कहा कि वे मूर्ख हैं, एक सांसद के रूप में मैंने मजदूर संघों और कंपनियों से बात की है। मैंने उनसे कागजात प्राप्त किए हैं। मैंने उनकी जांच की और उन्हें मंत्री जी को दिया। क्या यह सही है या गलत? मैं न तो रिलायंस का और न ही ब्रिटिश एयरवेज का पक्ष ले रहा हूँ। न तो जेट एयरलाइंस और न ही रिलायंस या किसी अन्य कंपनी का पक्षधर हूँ। मैं टाटा के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखे बिना कैसे एयर इंडिया की सम्पत्ति बेच रही है। क्या यह सही नहीं है कि सिंगापुर एयरलाइंस का नियंत्रण सिंगापुर सरकार द्वारा किया जाता है?

मेरे माननीय प्रधान मंत्री (भाटक) विमान में बैठकर भारत से बाहर चले जाएंगे। इन सभी मामलों को कौन नियंत्रित करेगा? यह सिंगापुर एयरलाइंस के इशारे पर हो रहा है। क्या यह सही नहीं है कि आप एक कंपनी को उसी तरह का समर्थन देने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह का आपने द्विपक्षीय संरक्षण समझौते के अंतर्गत सात वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में एयर इंडिया को दिया था? किसलिए? मेरी कंपनी ने जो दिया वह उन्हें क्यों मिलना चाहिए? ये ऐसे मामले हैं जिसकी चिंता सम्पूर्ण राष्ट्र को है। यह आपके सी.आर.बी. के विरुद्ध नहीं है। आप इसके बारे में मेरे पत्र से जानते हैं जिसको आपने पढ़ा है। मैं सिंगापुर एयरलाइंस की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि यह एक उच्च प्रबंधन वाली व्यावसायिक कंपनी है। अपने देश में, वे बहुत अच्छे हैं। आपकी समझ के लिए मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। आप अपने राजदूत से अभी भी सम्पर्क कर सकते हैं। एक माह पूर्व मैं अर्जेन्टीना में था। अर्जेन्टीना के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री मेकॉन, जो अब जेल में हैं, ने विनिवेश के नाम पर ''एयरोलीना अर्जेंटीना'' को बिना सोचे समझे ''आईबेरीया'' को बेच दिया। मजदूर संघ के सारे लोगों ने इस मामले को उठाया और अपनी जड़ों और व्यापार को बचाने की बहस छेड़ी।

तब, अन्य अमरीकी कम्पनी, मेसर्स आइबेरिया ने प्रक्रिया में भाग लिया और कहा कि उनकी रुचि एयरोलीना में नहीं है। अब, पूर्व प्रधान मंत्री श्री मेकॉन जेल में हैं। जब मैं राजदूत के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था तो उन्होंने मुझसे सारी चीजों की व्याख्या की। मैंने कहा, यह एक अच्छा उदाहरण है और हमें भी अपने देश में सचेत रहना चाहिए।

महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि माननीय मंत्री किसी चीज में शामिल हैं या कोई व्यक्ति किसी चीज में शामिल है। लेकिन क्या यह सरकार राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को इस तरह से बेचने से पूर्व पर्याप्त सावधानी और सतर्कता बरत रही है? श्री शरद यादव उसी एयर इंडिया का प्रबंधन कैसे कर पाएंगे और पिछले आठ वर्षों और छः महीनों का अनुमानित लाभ कैसे दे पाएंगे? वह जो चाहते हैं, वैसा उनको प्रदान कर सरकार उनका हाथ क्यों नहीं मजबूत करती? इसमें गलत क्या है। वे मैसर्स जेम्स मार्गन स्टैन्ले को हटाते क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है?

मैंने उनको चार उदाहरण बताए। क्या वह किसी एक उदाहरण से भी इन्कार कर सकते हैं? क्या वह इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि हाल के घोटाले से मैसर्स टाटा पावर को 150 करोड़ रु. का लाभ नहीं हुआ? क्या वह इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि विदेश संचार निगम लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया में परामर्शदाता के रूप में टाटा द्वारा पुनः मैसर्स जेम्स मार्गन स्टैन्ले को नियुक्त नहीं किया गया? क्या वह इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि आई.एच.सी.एल. और मैसर्स जेम्स मार्गन स्टैन्ले अन्य व्यापार के लिए सिंगापुर विमानपत्तन टर्मिनल के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं? इसमें कुछ भी पारदर्शी नहीं है। मेरा यही कहना है। मुझे सचमुच दुःख हुआ है। टाटा मेरा दुश्मन नहीं है। वास्तव में, अखिल भारतीय फुटबाल संघ के अध्यक्ष के रूप में व्यक्तिगत रूप से मुझे टाटा से बहुत फायदा हुआ है। वे खेल के प्रति सजग हैं और खेल को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब मैं यह पाता हूँ कि ये सब हो रहा है तो जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार का ध्यान आकर्षित करना मेरा कर्तव्य है। पिछले सप्ताह मैंने वित्त मंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने मेरे पत्र का जवाब दिया। मैंने इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व जांच करने का निवेदन किया था।

महोदय, एयर इंडिया हमारे देश के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, लेकिन सरकार इसे बोली लगाने वाली ऐसी कंपनी को सौंप रही है जिसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है और उसके विरुद्ध 300 मिलियन डालर के मामले की जांच चल रही है। क्या यह उचित है? इसलिए, माननीय प्रधान मंत्री को लिखे अपने पत्र में, मैंने लिखा, ''जागिए और कार्रवाई कीजिए'' और मुझे खुशी है कि कैबिनेट सचिव ने भी करीब-करीब यही बात कही है। राष्ट्रीय भावना को, लोगों की भावना को और सभी माननीय सदस्यों की भावना को, चाहे वे सभा में किसी भी दल के हों, को व्यक्त किया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

करूंगा कि वे कांग्रेस पार्टी के विचार को गलत तरीके से पेश न करें। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई आर्थिक मुद्दों पर हमारी पार्टी और वामपंथी दलों में भारी मतभेद हैं, लेकिन, हमने बंगलोर अधिवेशन में पारित अपने प्रस्ताव में कहा है कि हम विनिवेश के विरुद्ध नहीं हैं, यदि यह पारदर्शी तरीके से किया गया हो और इसमें राष्ट्रीय हित और कामगारों के हित को ध्यान में रखा गया हो। हमने कहा कि यदि कोई कम्पनी विकास की प्रक्रिया में है तो सरकार को कोई रोड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए, लेकिन यदि कोई कम्पनी डूब रही है तो सरकार को उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, कुछ ही मिनट पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री ने भाषण दिया और कहा कि सरकार को धन की आवश्यकता है। विनिवेश मंत्री ने विनिवेश पर चर्चा के दौरान सभा में कई बार यह कहा कि विनिवेश की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाना चाहिए और रुग्ण इकाइयों को लाभ अर्जित करने के लिए उनका पुनरुद्धार करना चाहिए ताकि सरकार के राजस्व को बढ़ावा मिले। मैं इस बिन्दु पर उनसे सहमत हूं। लेकिन यदि विनिवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय राजकोष में धन प्रदान करने के लिए है, जैसा कि मैं समझता हूं, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा–वह अभी सभा में उपस्थित नहीं हैं। जब कारगिल युद्ध चल रहा था और हमारे ''जवान'' अपना बलिदान दे रहे थे तो उस समय उन्हें धन कहां से मिला? उस समय कामचलाऊ सरकार थी। इनके पास जनता का समर्थन नहीं था या संसद का प्राधिकार नहीं था। लेकिन, उस समय, सरकार ने टेलीकम कम्पनियों के लिए स्थानान्तरण पैकेज की अनुमति दी। इस देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ा था और वे न्यायालय चले गए। राष्ट्रीय टेलीकम नीति, 1994 के तहत, उन्हें स्थानान्तरण मिल गया और उसी कारण श्री जगमोहन का मंत्रालय बदलना पड़ा।

महोदय, वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। यदि वह उस समय सरकार में मंत्री होते तो वह ऐसा घटित होने से रोकते। वह प्रधान मंत्री को बताते कि अभी कारगिल युद्ध चल रहा है, हमारी सरकार को जनादेश नहीं है और इसलिए, हम दादागिरी न करें। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से दो दिन पूर्व ही सरकार ने 50,000 करोड़ रु. के इस पैकेज की घोषणा की थी।

इसलिए, वह अब हम पर आरोप न लगाएं। हमने 50 वर्षों तक शासन किया और राष्ट्र यह निर्णय लेगा कि हमने गलत किया या सही। देश इसका निर्णय हमेशा करता रहेगा। यह इतिहास का हिस्सा है। मैं इसे नहीं बदल सकता हूँ। विनिवेश मंत्री अपने पत्रकारिता के सम्पूर्ण कैरियर में खोजी पत्रकार थे और उन्हें मैगसेसे पुरस्कार भी मिला है। इसलिए, इन सब चीजों के प्रति वह सावधानी बरतें, अधिक सजग रहें और विनिवेश प्रक्रिया में उद्देश्य पाक बनें। मंत्री पर और मंत्रिमंडल में उनके सहयोगियों पर बिना कोई छीटाकशी किए, मैंने अपना स्वयं के तर्कों से इस मामले पर बचाव करने की कोशिश की और मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं यह कहना चाहूँगा कि पूरी विनिवेश प्रक्रिया अपारदर्शी हैं, जिसकी प्रतिध्वनि डा. मनमोहन सिंह के भाषण में भी सुनाई पड़ी थी।

पूरा बंदोबस्त संदेह के घेरे में है। हमारे राष्ट्रीय गौरव एयर इंडिया को एक लज्जास्पद सौदे के तहत, बर्बाद मत करें। राष्ट्र की कीमत पर और संदेहास्पद तरीके से ऐसा करने की कोशिश मत करें।

मेरे अन्य मित्र वी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. पर बोलेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरकार से मामले पर पुनर्विचार करने, पूरी रिपोर्ट के साथ इसे स्थायी समिति को भेजने और रिपोर्ट आने तक अगले सत्र तक प्रतीक्षा करने का निवेदन करता हूँ। यदि संभव हो तो जो कुछ आज संसद में मैंने कहा। उन पर गौर करें। इसका संज्ञान लें। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट को आपके पास भी पठनार्थ भेजूंगा। उसके बाद आप निर्णय लें। नहीं तो, इस नाजुक परिस्थिति में, हारा-किरी आपकी, मेरी या राष्ट्र की मदद नहीं करेगी।

मैं पुन: श्री शरद यादव जी की ओर मुखातिब होता हूं कि वह कृपया सरकार को आश्वस्त करने की कोशिश करें। वह एयर इंडिया के गौरव और सम्मान को बनाए रख सकते हैं और लाभ अर्जन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वह इसे विशालकाय बनाएं ताकि हमारा झंडा पूरे विश्व में फहरा सके। यह एयर इंडिया है। परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत सिंगापुर सरकार के अधीन कोई विषय नहीं है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, सौभाग्य या दुर्भाग्यवश मैं नागर विमानन संबंधी परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूँ। एक दिन मैंने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि हमारा राष्ट्रीय झंडा बुलंद रहना चाहिए और एयर इंडिया का विनिवेश सबसे अंत में किया जाना चाहिए। मैंने उनसे इस तरह का निवेदन किया है और कहा है कि इस पूरे सौदे में यह सबसे अंतिम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एयर इंडिया हमारा राष्ट्रीय गौरव है। इसी कारण, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं राष्ट्रीय गौरव की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की बात कर रहा हूँ। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। एयर इंडिया पर हमारे मंत्री उड़ान भरेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रपति उड़ान भरेंगे। हमारे प्रधानमंत्री उड़ान भरेंगे। इसलिए, एक राष्ट्रीय विमान कंपनी होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय विमान

कंपनी का संरक्षण किया जाना चाहिए। यह कठिन चीज नहीं है। वर्ष 1995-96 तक एयर इंडिया लाभ कमा रही थी ...*(व्यवधान)*

कार्गिल युद्ध के समय भी इसने बहुत सी सेवाएं प्रदान की थीं। वर्ष 1995-96 के बाद से ही इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है। आप जानते हैं कि आज कई लोगों ने विनिवेश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कही है। मैं कुछ अन्य बात कहूँगा। आज कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपने प्रमुख हैं? कितनों का कुशलता के साथ प्रबंधन किया गया है? कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनमें से कई में ये नहीं हैं। ये सभी अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि व्यापार वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य मार्ग पर, बाजार की समझ के आधार पर और कई परिस्थितियों में निर्णय लेने के आधार पर चलता है। आज हमारा बाजार खुला है। यह पहले की तरह संरक्षित बाजार नहीं है। एक समय, भारतीय उद्योग-अधिकांशत: सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-यहाँ पनपे क्योंकि उनका व्यापार पर एकाधिकार था। भारतीय बाजार नियंत्रित थे। हम वही खरीदते थे जो वे बनाते थे। आज, स्थिति भिन्न है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है। हमें अपनी वस्तुओं को प्रतियोगी बनाना है। हमें अपनी सेवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। हमें इस स्थिति पर विचार करना है। कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है? आज भी प्रत्येक संस्थान असुरक्षित महसूस कर रहा है और वे नहीं जानते कि उनका विनिवेश कब कर दिया जाएगा। तब, वे कब तक चुप रहेंगे? सामान्य रूप से, जब किसी तरह की अनिश्चितता होती है, तो लोग महसूस करते हैं कि ''जब तक मौका है, फायदा उठा लें।'' यह मामले का एक पक्ष है। आपको इस स्थिति पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं माननीय विनिवेश मंत्री को कहना चाहूँगा कि कई सिद्धांत हैं फिर भी आपको विनिवेश मंत्री की बजाय निवेश मंत्री कहा जा सकता है। निवेश एक तरह से धन लेने की ही तरह होता है। जैसा कि माननीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने कहा, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में निवेश किया जाए।

माननीय मंत्री को विनिवेश मंत्री कैसे कहा जा सकता है? उन्हें सही दिशा में निवेश करने वाला मंत्री कहा जा सकता है।

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): उन्हें पुनर्निवेश मंत्री कहा जाना चाहिए।

श्री के. येरननायडू: हां, यही उचित शब्द है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): वह धन का निवेश कहां कर रहे हैं? बजटीय घाटे में।

श्री के. येरननायडू: हमारे मंत्री देश से प्राप्त होने वाले धन का पुनर्निवेश कर रहे हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): जैसा कि श्री वेंकैया नायडू ने कहा, धन का निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनका सुधार किया जाना है। एक बार जब वे उन्हें सुधार देंगे, तो उन्हें ज्यादा धन मिलेगा। पहला काम है उन्हें सुधारना, उन्हें लाभ कमाने लायक बनाना, ताकि दूसरे आएं और उन्हें ऊंची कीमत देकर खरीदें।

आज, यदि मैं कुछ देता हूँ, जो अच्छा नहीं है तो मुझे ज्यादा नहीं मिलेगा। यदि कोई गाय दूध नहीं दे रही है, तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। पहले व्यक्ति को अपनी गाय को दूध देने की स्थिति में लाना होगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: थोड़ा श्री चन्द्रबाबू नायडू से सीखें।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: इसलिए, मुद्दे कई हैं, आज अनिश्चितता का क्षेत्र है और प्रत्येक माननीय मंत्री कहते हैं, ''मेरे मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश न करें, कृपया ऐसा दूसरे के मंत्रालय में करें।'' ऐसा करने के बदले, एक कार्ययोजना अवश्य होनी चाहिए। जो इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रद बना सके। यदि आप उन्हें निरंतर लाभ योग्य नहीं बना सकते और यदि वे घाटे में चलने वाले उद्योग हैं, तो वे क्यों घाटे में चल रहे हैं, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि वे लगातार घाटे में चल रहे हैं तब अवश्य कुछ किया जाना चाहिए। यदि उनके रुग्ण होने की संभावना है और घाटे में चल रहे हैं, तब आपको दूसरा तरीका अपनाना होगा। यदि वे वास्तव में लाभ कमा रहे हैं, तब आपको दूसरी कार्रवाई करनी चाहिए।

आज हम एयर इंडिया की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 'बाल्को' पर चर्चा की थी और इसी बीच 'माडर्न ब्रेड' पर चर्चा की। हम अन्य किसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री के. येरननायडू: माडर्न फुड्स।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: सामान्य रूप से, हैदराबाद में हम इसे माडर्न बेकरी के नाम से जानते हैं। यह माडर्न फुड्स है। मुख्य रूप से वे ब्रेड के अलावा और कुछ नहीं बनाते।

यदि यही तरीका है, तो कई उद्योग हैं। जब भी कोई मुद्दा सामने आता है और जब भी कोई माननीय मंत्री से पूछता है, क्या

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

वह इसे बेचने जा रहे हैं? वह कहते हैं, ''हां, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ।'' लेकिन उन्हें व्यवहार्य और लाभप्रद बनाने की स्थिति कहां है। माननीय मंत्री को ऐसे उद्योगों के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने चाहिए ताकि उन्हें लाभ के रास्ते पर लाया जा सके। तब यदि वे उन्हें बेचते हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई आकर ऊंची कीमत देगा।

आज, माननीय मंत्री सभी उद्योगों को रूग्ण बना रहे हैं क्योंकि अनिश्चितता है। उनके समक्ष एक साफ और स्पष्ट छवि होनी चाहिए कि वे क्या बेचना चाहते हैं और कितने में बेचना चाहते हैं, आदि। मेरे एक मित्र ने मॉर्गन स्टैन्ले के मामले का उल्लेख किया। लेकिन उसमें विरोधाभासी हित निहित थे, उस पर भी हमें विचार नहीं करना चाहिए।

कई मुद्दों को प्रकाश में लाना है। यह एक राष्ट्रीय सम्पदा है। सभी को चिंता है कि हमारी सम्पदा सुरक्षित रहेगी या नहीं। जब एक बार हम इसे बेच देते हैं, तो इसका निवेश उचित रूप से किया गया या नहीं अथवा इसका निवेश किस क्षेत्र में किया जाएगा। इस सभा में यह भी भय व्याप्त है कि इस धन का उपयोग बजट घाटे को भरपाई करने के लिए किया जा रहा है। इसका भी जवाब आना बाकी है। यह बजट घाटे की भरपाई के लिए नहीं है। यह धन, जो तर्कपूर्ण विनिवेश से आए, पारदर्शितापूर्ण विनिवेश से आए, सभी के लिए स्वीकार्य तरीके से आए, उसका पुन: उस निर्धनतम वर्ग, कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान में लगाया जाना चाहिए जो इस देश के बेआवाज लोग हैं।

एक दिन प्रधान मंत्री यह कह रहे थे कि यह धन उन तक पहुंचना चाहिए। कम से कम इससे उनका रहन-सहन तो सुधरेगा।

लाभ कमाने वाली कम्पनियों को बेचने और उसका उपयोग केवल बजट घाटे की भरपाई किए जाने का कोई मतलब नहीं है। माननीय मंत्री को इस सभा के समक्ष इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस धन का न केवल पुनर्निवेश किया जाना चाहिए ताकि इससे पुन: लाभ प्राप्त हो।।

दूसरी बात जो माननीय मंत्री ने कहा है कि उनका लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये का है। इसे मैंने कहीं पढ़ा *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह 12,000 करोड़ रु. है *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: लक्ष्य रखने का क्या मतलब है? मुझे पक्का यकीन है कि लक्ष्य को पाने के लिए आप औने-पौने बिक्री नहीं करेंगे। आप औने-पौने बिक्री नहीं कर सकते। जब तक आपको कीमत नहीं मिलती और जब तक आप यह नहीं समझते कि यह विनिवेश का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, आप ऐसा नहीं करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: लक्ष्य पाने के लिए, औने-पौने बिक्री की जाएगी *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वह कहते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जब वे विनिवेश की शर्तों से संतुष्ट हो जाएंगे तो वे जब और जैसे चाहें, विनिवेश करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*। हमने बार-बार इस मुद्दे पर चर्चा की है। कृपया क्रोधित न हों कि हम बार-बार इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय सम्पदा है और इसमें राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है। जब राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात शामिल होती है, तब हम यह हमेशा जानना चाहते हैं कि हम उचित कार्य कर रहे हैं या नहीं और क्या इस निवेश हेतु उचित सहयोग या निवेशक मिल रहे हैं। इसलिए, आपको इस पर विचार करना चाहिए।

सब कुछ पारदर्शी, होना चाहिए। आपने हम सबके पास एक प्रक्रिया और अन्य चीजों के बारे में पुस्तिका हाल ही में भेजी थी। मैंने इसे पढ़ा है। इससे स्पष्ट झलक नहीं मिलती जिसकी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आपके पास प्रत्येक कंपनी का मूल्यांकन होना चाहिए और विनिवेश से पूर्व आप उसकी छवि कैसे सुधारेंगे इसकी भी हदें पता चलना चाहिए। जब तक आप इस पर विचार नहीं करते, आपको वांछित परिणाम नहीं मिल सकते। आपको प्रत्येक कंपनी की छवि सुधारनी होगी। सबसे पहले, जहां अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक नहीं हैं वहां आपको अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करनी चाहिए। आप उन्हें कहें कि मलबे को हटाएं और यह भी कहें कि उन्हें चालू करें। एक बार जब वे चालू हो जाएंगे और जब सुर्खियों में आ जाएंगे तो आपको बेहतर कीमत मिलेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते तो उसको बंद करते समय आपको कुछ नहीं मिलेगा।

मैं पिछले एक वर्ष से पूछ रहा था कि क्या हम विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्हें इसका विस्तार करने के लिए 1,700 करोड़ रु. चाहिए ताकि यह अधिक लाभप्रद बन सके। मैंने बार-बार इसके लिए निवेदन किया है। मेरे मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रबाबू नायडू ने भी एक निवेदन किया था। श्री के. येरननायडू ने भी निवेदन किया था। ऐसी परिस्थिति में, मैं महसूस करता हूं कि आज भी यदि निवेश की आवश्यकता है, तो आपको इसे शीघ्र प्रदान करना चाहिए और उसे अधिक लाभप्रद बनाना चाहिए। अंतत:, सरकार को इसी अक्टूबर तक अधिक धन की प्राप्ति होगी। ऐसा करने की बजाय, आप उसे यथावत छोड़ देते हैं और वह किसी काम के लायक नहीं रह जाता। यदि वह चालू हालत में नहीं हैं, तो उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। हमारी 'नौ रत्न' कंपनियों को ही लीजिए। उनमें से कुछ के साथ आज क्या हुआ? अब वे 'नौरत्न' नहीं रह गए हैं। सेल (एस.ए.आई.एल.) का ही उदाहरण लीजिए, अब यह नौरत्न नहीं रह गया है और यह

समस्याओं से घिरा है और घाटे में चल रहा है। हमारे पास कुछ बेहतर कंपनियां हैं जैसे गेल (जी.ए.आई.एल.), आई.ओ.सी., ओ.एन.जी.सी. और एयर इंडिया। आपको उनके शीघ्र विनिवेश के बारे में सोचना चाहिए। वे कंपनियां इस राष्ट्र की सम्पदा और स्वास्थ्य की प्रतीक हैं। आप उनका कैसे विनिवेश कर सकते हैं? कृपया ऐसा मत करें। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए और मोल-भाव के दौर में आपको केवल घाटे में चल रही कंपनियों को ही बेचना चाहिए जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता।

इसलिए, अंततः आप उनका पुनरुद्धार नहीं कर सकते। एक बार जब आप उनका पुनरुद्धार नहीं कर सकते तो कम-से-कम आपका धन, आपकी सम्पदा कम नहीं होगी। कोई दूसरा उसमें धन लगाकर चालू हालत में ले आएगा। इसके बदले, आप ऊपर से आ रहे हैं। आप लाभ में चलने वाली सभी ''नौरत्न'' कम्पनियों को या सभी अच्छी कंपनियों को बेच रहे हैं। ऐसे में देश को हानि होगी। बाद, घाटे में चलने वाली इन सभी कंपनियों को कोई नहीं खरीदेगा। वे कौड़ी के मोल बिक जाएंगी।

इसलिए, ऐसा करने के बजाए इन्हें थोड़ा अर्थक्षम बनाया जाए और फिर उनकी बिक्री का प्रस्ताव किया जाए ताकि कम से कम देश की संपत्ति में कुछ वृद्धि हो। चाहे यह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, अंततः सरकार को रोजगार के रूप में धन की प्राप्ति होगी।

आपको रोजगार भी सुनिश्चित करना होगा। आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। युवा पीढ़ी को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। हम इस देश के युवाओं के लिए रोजगार नहीं जुटा पा रहे हैं। विनिवेश करके आप बेरोजगारी को और बढ़ावा देंगे क्योंकि निजी क्षेत्र में सभी इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार मिल पाना निश्चित नहीं है। संभव है कि निजी क्षेत्र शुरू में सभी को रोजगार देने की बात स्वीकार कर ले। लेकिन आप दो वर्ष के लिए गारंटी की बात करते हैं। पिछली बार कुछ मामलों में आपने इसका उल्लेख किया था। लेकिन दो वर्ष बाद क्या होगा? उनके रोजगार का क्या होगा? क्या आप उन्हें जीवनपर्यन्त रोजगार दे सकते हैं? इस प्रकार, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस देश के युवाओं को रोजगार देने के बारे में चिंतित हैं। हम इस देश के सम्मान के प्रति चिंतित हैं। हम इस देश के आधारभूत ढांचागत उद्योगों के बारे में चिंतित हैं। अव्वल तो इनका विनिवेश ही नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे पास स्टील, सीमेंट और कोयला जैसे आधारभूत ढांचागत उद्योग नहीं रहेंगे। इनके बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है।

राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र की क्या रुचि हो सकती है? उसकी रुचि तो सिर्फ धन कमाने में है। इसलिए, एक बहुत अच्छा संतुलन कायम किया जाना चाहिए। ऐसा करने से पहले सरकार का यह कर्त्तव्य है कि यदि उसे लगता है कि घाटे में चलने वाली इन इकाइयों को अब पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता है तो उनका विनिवेश करके धन जुटा लिया जाए। लेकिन आप लंबी अवधि से चल रही लाभ अर्जित कंपनियों का विनिवेश करके धन नहीं कमा सकते हैं।

इसके अलावा, आपको यह जानकारी तक नहीं है कि कितनी कंपनियां अभी तक अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के बिना ही कार्य कर रही हैं। हर कार्य कामचलाऊ ढंग से किया जा रहा है। इसलिए, इस बात पर विचार करें। हम आपकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन आप ठीक निर्णय लें और पूरे सदन को विश्वास में लें। कोई भी आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप सभी को अपने साथ लें, देश की समृद्धि बढ़ाएं और देश को आगे ले कर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सभापति महोदय, मैं मानता हूँ कि यह मामला जाहिर तौर पर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय मंत्री जी पहले ही विनिवेश के रंग में रंग चुके हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका है। सत्ता पक्ष में शामिल होने से पहले वे बहुत सक्रिय थे। उनके बी.जे.पी., आर.एस.एस. के कार्यकर्ता बनने से पहले हम उनके लेख पढ़ा करते थे। अब मैं उन्हें नहीं पढ़ता। उनके पास अब भाषण करने के अलावा किसी काम के लिए समय नहीं है। उनका हर भाषण दो से तीन घंटे तक चलता है। अब वे इस देश की अर्थव्यवस्था को ही ध्वस्त कर देना चाहते हैं। बी.जे.पी. और आर.एस.एस. आपका उपयोग कर रहे हैं। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने अपना मूल व्यवसाय क्यों छोड़ दिया? यह मुझे समझ नहीं आता।

देखिए, आपके बराबर में कौन बैठे हैं। वे बेहद दुखी व्यक्ति हैं और इस सरकार के सम्मानित सदस्य हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि वे इस सरकार में क्यों बैठे हैं। लेकिन ये लोग आपके माध्यम से हमारे देश के बहुमूल्य रत्नों को नष्ट कर रहे हैं। आपको इसके लिए बलि का बकरा बनाया जाएगा। अब आपको नागर विमानन मंत्रालय की अगुवाई सौंपी गई है। आपके माध्यम से ये लोग इस अहितकारी उद्देश्य को पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार के पास विनिवेश संबंधी कोई नीति है। इन्होंने ''विनिवेशः नीति और प्रक्रिया'' शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

उन्होंने कांग्रेस के समय की नीति का उल्लेख करने का प्रयास किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे जिन्हें लागू नहीं किया जा सका-जिसके लिए इस ओर के मेरे मित्र धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद उनका युग शुरू हो गया।

इनकी नीति क्या है? उस नीति के प्रमुख तत्व क्या हैं। आप जानते हैं कि आजकल महत्वपूर्ण सहयोगी, महत्वपूर्ण मुद्दे, पुनर्गठन सामाजिक क्षेत्र आदि जैसे वाक्यांशों का प्रयोग प्रचलन में है। लेकिन नीति क्या है? सर्वप्रथम, उन इकाइयों को पुनर्गठित और पुनरुज्जीवित किया जाए जिन्हें अर्थक्षम बनाए जाने की संभावनाएं हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वे इकाइयां कौन सी हैं जिन्हें अर्थक्षम बनाए जाने की संभावनाएं हैं और इनमें से कितनी इकाइयों को पुनरुज्जीवित किया गया है। दूसरे, सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों को पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता है. उन्हें बंद कर दिया जाए। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसके बाद, यदि आवश्यक हो तो, सभी कम महत्व वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी घटाकर 26 प्रतिशत या इससे कम कर दिया जाए; कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए; सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर बाजार से संसाधन जुटाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाए; विनिवेश और निजीकरण के प्रति व्यवस्थित नीतिगत दृष्टिकोण तय किया जाए; सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री पर अधिक जोर दिया जाए; विनिवेश और निजीकरण से मिलने वाली सभी प्राप्तियों को सामाजिक क्षेत्र के व्ययों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन और सरकारी कर्ज चुकाने के लिए किया जाए। यह सब सिर्फ लफ्फाजी है।

अब देखें कि इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। स्पष्ट है, इन्होंने जो कुछ किया, मैं उसके खिलाफ हूँ। अब इनके लक्ष्यों और उपलब्धियों पर नजर डालें। वर्ष 1999-2000 के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये केवल 1,584 करोड़ रुपये ही जुटा सके हैं *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: उन्होंने किसी भी वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: तो फिर इसके लिए मंत्री, मंत्रालय और पूरा तंत्र किसलिए तैयार किया गया है? महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को बेचे जाने पर सदन में बहस का क्या लाभ है?

निर्धारित लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये का था जबकि सिर्फ 1,584 करोड़ रुपये का ही लक्ष्य हासिल किया गया है। वर्ष 2000-2001 में 1,868 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यदि कोई नीति है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह लक्ष्य कैसे निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं किया जा सका?

महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यम की परिभाषा क्या है? इसका अर्थ है परमाणु शक्ति, रेल परिवहन आदि क्षेत्रों को छोड़कर शस्त्र, गोला-बारूद और रक्षा उपस्करों से संबंधित वस्तुओं, विमान और युद्धपोतों परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अब निजी क्षेत्र का प्रवेश कराया जा रहा है। श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति जानते हैं कि शस्त्र उत्पादन को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। इसके अलावा रक्षा उपस्कर क्षेत्र अब रणनीतिक नहीं रहा है। जहाँ तक रेल परिवहन का संबंध है, यह लोग इस क्षेत्र का भी निजीकरण करने वाले हैं। तो फिर बाकी क्या रहा? इस देश में महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? जहाँ तक मेरे मित्र श्री मूर्ति का संबंध है, इस सब के बावजूद वे इसका समर्थन कर रहे हैं। यदि वे इनका समर्थन करते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उनका कहना है कि 'हमें इस राष्ट्रीय विमानवाहक की कुछ छवि बनाये रखनी चाहिए'; लेकिन अब इसे गैर-महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो वह कह रहे हैं, इसे खत्म कर दिया जाए। वी.एस.एन.एल. भी एक लाभ अर्जित करने वाली संस्था है और देश की सर्वश्रेष्ठ इकाइयों में से एक है। इसे भी इसलिए बेचा जाना है क्योंकि इसे गैर-महत्वपूर्ण माना गया है।

मुझे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की अध्यक्षता करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आज भी मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ; एक मत से रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं; सभी रिपोर्टों में आम सहमति है। हमने बताया कि भारतीय टेलीफोन उद्योग की हालत सरकार से सहायता न मिलने के कारण खराब हुई।

कार्यशील पूंजी के लिए धन का निवेश नहीं किया गया। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज मैं समिति के सदस्यों के साथ-साथ अध्यक्ष के रूप में दावा कर सकता हूँ कि समिति द्वारा बार-बार सिफारिशें किए जाने के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने आई.टी.आई. की ओर कुछ ध्यान दिया और अब आई.टी.आई. पुनरुज्जीवित हो सकी है। अब वह लाभ अर्जित कर रही है। अब इनका कहना है कि चूंकि आई.टी.आई. लाभ कमा रही है, इसे बेच दिया जाए।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स को ही लें। आज टेलीप्रिंटरों का प्रचलन खत्म हो चुका है क्योंकि कोई उनका प्रयोग नहीं करता है। आज का समय फैक्स आदि जैसे उपकरणों का है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अब फैक्स का भी नहीं, ई-मेल का युग है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मेरे मित्र श्री मूर्ति आगे की सोच वाले प्रौद्योगिकीविद हैं। वे फैक्स का प्रयोग भी नहीं करते हैं। ठीक है। यही मेरी समस्या है।

टेलीप्रिंटरों का प्रयोग खत्म हो चुका है। लेकिन अब दूरसंचार क्षेत्र में ऐसे बहुत से उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं जिनकी बिक्री की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने अपना कुल कारोबार बढ़ा लिया है। आई.टी.आई. की भांति उनके पास भी अच्छा अनुसंधान एवं विकास अनुभाग है। युवा और होनहार इंजीनियर उपलब्ध हैं। लेकिन अचानक सरकार ने फैसला किया कि इसे बेच दिया जाए। हमने इन युवा इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों से बात की तो उन्होंने पूछा: 'हमारा भविष्य क्या है? हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। नए उत्पाद तैयार करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं।' मुझे यह बताते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि इन युवा प्रौद्योगिकीविदों ने बेहद मुश्किल स्थितियों में स्वयं को योग्य बनाया है। उन्हें समुचित प्रयोगशालाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं। लेकिन, इस सबके बावजूद ये लोग उत्तम श्रेणी के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं जो संसार में कहीं भी बने हुए उपकरणों के साथ गुणवत्ता में मुकाबला कर सकते हैं। समिति के दौरे के समय जब हमने उन्हें देखा तो हमें उनके कौशल पर गर्व हुआ। हमें उन पर गर्व हुआ। बार-बार इस अनुरोध के बावजूद कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का निजीकरण अथवा विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने इसका निर्णय ले लिया है। यहां तक कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के संबंध में भी ये निर्णय ले रहे हैं। इसके लिए क्या मापदण्ड है और ये पैसे का प्रयोग कहां करेंगे? क्या यह सामाजिक क्षेत्र के लिए है?

महोदय, मैं माननीय मंत्री से जाना चाहता हूं कि अब तक प्राप्त धन को उन्होंने कितना सामाजिक क्षेत्र के लिए उपयोग किया, कितना बजटीय घाटा पूरा करने हेतु उपयोग किया और कितना कामगारों के लाभ के लिए उपयोग किया? इसके लिए कितना धन खर्च किया गया और यह किन क्षेत्रों में खर्च किया गया? अब तक प्राप्त हुए धन में से कितने धन का उपयोग किया गया है? मूल्यांकन के तरीके तथा उद्यमों के चयन के बारे में भी गम्भीर आरोप हैं। मैं समझता हूं कि मैं इस पहलू पर बात नहीं करूंगा कि यह पारदर्शी है या नहीं। मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य और श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उनमें से बहुत से मुद्दों का जिक्र किया है।

सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि चयन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन की विधि क्या है तथा आप उनमें से बोलीदाताओं का चयन कैसे करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि एअर इंडिया में यह 14 अथवा 12 से घटकर दो हो गई और उनमें से भी एक को अयोग्य करार दे दिया गया है। ऐसा क्यों है? जहां तक माडर्न फूड्स का प्रश्न है तो वहां भी गम्भीर आरोप हैं। बाल्को के संबंध में भी गम्भीर आरोप हैं।

यहां बहुमत का प्रयोग करके आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं कि इसे संसद ने अनुमोदित कर दिया है अथवा संसद ने इन बिक्रियों को मंजूरी दी है। आपको अस्थायी संतोष मिल सकता है। परन्तु हमारे देश के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके लाभ के लिए किया जा रहा है?

यदि बजटीय अंतर है तो कृपया माननीय मंत्री द्वारा 2001-2002 को बजट भाषण में कही गई बातों को देखिए। उन्होंने कहा है-'इसका उद्देश्य है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठन सहायता।' माननीय मंत्री जी मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने का पुनर्गठन किया गया है और इस धन में से कितनी सहायता दी गई है और यह सरकारी क्षेत्र के किन उपक्रमों को दी गई है?

दूसरा इसमें कामगारों के लिए सुरक्षा नेट का उल्लेख किया गया है। सुरक्षा नेट से क्या तात्पर्य है? क्या इसका तात्पर्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करना है? क्या यही सुरक्षा नेट है? इस देश में 35, 40 और 45 वर्ष तक के युवा व्यक्तियों के पास कोई काम नहीं है। ये उनको कुछ पैसा देते हैं और उन्हें जाकर कुछ भी करने के लिए कहते हैं। वे वहां जाएंगे? दिन प्रतिदिन बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में ब्याज दर कम हो रही है। दोनों तरफ से इसमें कमी हो रही है। उद्योग हेतु उन्हें सस्ती दरों पर ऋण चाहिए परन्तु जहां तक पेंशन निधि और उपदान निधि पर जीवन यापन करने वाले लोगों का संबंध है तो हमें वरिष्ठ नागरिकों तथा पेंशनभोगियों से प्रतिदिन पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि उनकी समस्या यह है कि ब्याज दर कम हो रही है। अब, कामगारों को क्या सुरक्षा नेट प्रदान किया गया है? सरकार का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह अपनी नीति व्यक्त करे।

तत्पश्चात्, ऋण के भार में कमी करने की बात कही गई है। यहां आता है वित्तीय अभाव। किसका ऋण भार है यह? यह सरकार का ऋण भार है। ये निर्बाध रूप से, बिना सोच-विचार किए ऋण ले रहे हैं और राष्ट्रीय ऋण तथा अंतरराष्ट्रीय ऋण बढ़ाते जा रहे हैं। देश ऋण के जाल में है। इस उद्देश्य के लिए ये अच्छे उपक्रमों को बेच देंगे और कामगारों को कुछ पैसा देकर उन्हें इधर-उधर भटकने के लिए छोड़ देंगे और इन्हें उनके भविष्य की चिंता नहीं है। कोई भी नया रोजगार सृजित नहीं किया गया है। प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार सृजित करने के आश्वासन का क्या हुआ? ऐसा कहां किया जा रहा है? ये किसे मूर्ख बना रहे हैं? यदि ऋण-भार कम किया भी जा रहा है तो हम जानना चाहते हैं कि कितना ऋण भार कम किया गया है, सत्ता में आने से लेकर

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अब तक वे कितना ब्याज बचा पा रहे हैं तथा उन्होंने ब्याज की कितनी बचत की है।

तत्पश्चात्, धन की प्रत्याशित प्राप्ति पर मुख्यत: सामाजिक तथा अवसंरचना क्षेत्र में, योजना हेतु अतिरिक्त बजटीय समर्थन की बात कही गई है। उन्हें 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की प्रत्याशा थी। कितनी प्राप्ति हुई है? वे अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठन सहायता, कामगारों को सुरक्षा नेट, ऋण-भार में कमी, मुख्यत: सामाजिक और अवसंरचना क्षेत्र में योजना हेतु बजटीय समर्थन में से किसको कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए, जिनमें पैसे का उपयोग किया गया है, उन्हें प्राथमिकता देने दीजिए। तब हम पता लगायेंगे कि उनकी प्राथमिकता क्या है। हो क्या रहा है? क्या यह सरकार हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की हालत के बारे में वास्तव में चिंतित है? उन्हें वित्तीय लुटेरों की दया पर छोड़ दिया गया है और सभी तरह के व्यक्ति इन बहुमूल्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर टकटकी लगाए हुए हैं तथा सस्ते में ही उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भारतीय उद्यमियों के पास पैसा नहीं होता है तो वे या तो उन वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं जो कि रुग्ण हो गई है अथवा विदेशों में जाते हैं और कुछ भी विदेशी अथवा अमेरिकी उन्हें स्वीकार्य होता है।

क्या इसी प्रकार देश को चलाया जाना है? अब, इस देश में बड़ी वित्तीय संस्थाओं के साथ क्या हो रहा है? हमने देखा है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के साथ क्या हुआ। हमने देखा है कि आई एफ सी आई के साथ क्या हुआ? यदि मैं गलत नहीं हूं तो सरकार को उन्हें संकट से उबारने के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए देने हैं। फिर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी परेशानी का सामना कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी एक समस्या का सामना कर रहा है। यह जल्दी ही समस्याओं में पड़ जाएगा। हमारे वित्तीय संस्थानों के साथ जो हो रहा है वह अप्रयोज्य आस्तियों के कारण हो रहा है। अप्रयोज्य आस्तियां क्यों हैं? ये एकाधिकार वाले बड़े निजी उद्योगपतियों और बड़े औद्योगिक घरानों के कारण है। ये अप्रयोज्य आस्तियां निजी क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों के कारण हैं *...(व्यवधान)* डा. सेनगुप्ता बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं नहीं जानता कि वे वहां क्यों बैठे हुए हैं *...(व्यवधान)* कुछ बातें समझी नहीं जा सकतीं।

श्री अरुण शौरी: बहुत सी बातें नहीं समझी जा सकतीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हां, जैसे आपका मंत्री बनना *...(व्यवधान)* श्री शरद यादव को नहीं समझ सकते *...(व्यवधान)* श्री अरुण शौरी किसी समय मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक था।

श्री अरुण शौरी: और जब से मैंने 1942 के बारे में लिखा है, आप मेरे प्रशंसक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: नहीं आपने जो 1942 के बारे में लिखा है वह एक भटकाव है।

सायं 7.00 बजे

अब, महोदय क्या मैं अब अपने वित्त मंत्री की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी को पढ़ सकता हूं?

> ''इनमें से बहुत सी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया को इस अग्रिम अवस्था में देखकर अगले वर्ष के दौरान विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का श्रेय लेने की हिम्मत मैं कर सकता हूं। इसमें से 7,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठन सहायता, कामगारों को सुरक्षा नेट प्रदान करने तथा ऋण-भार कम करने के लिए किया जाएगा।''

मुझे इसके बारे में कोई संदेह नहीं है क्योंकि जब यह कहा गया था तो श्री मूर्ति ने मेज थपथपाई थी। उनमें से हरेक अधूरी रहा है। विनिवेश के संबंध में इस सरकार की नीति का क्या शेष रहा? मैंने कहा था, यद्यपि यह एक मजाक था, कि प्रत्येक देश में एक निवेश मंत्री है परन्तु भारत में विनिवेश मंत्री है। यह एक अद्वितीय सरकार है; यह एक खिचड़ी है और पंचमेल संगठन है। इसकी कोई नीतियां, कोई कार्यक्रम नहीं है, और इसको आम जनता की कोई चिंता नहीं है। कोई नहीं जानता कि कब लोग आ रहे हैं और कब लोग जा रहे हैं। किसी विशेष समय पर उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनके साझीदार कौन हैं।

इन माननीय सदस्य को देखिए जो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि प्रधान मंत्री का ध्यान उनकी तथा उनके नेताओं की ओर दिलाया जाएगा। दूसरे ही दिन उन्होंने जार्ज फर्नान्डीज की आलोचना की और उनका त्यागपत्र मांगा *...(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): हमने उनकी आलोचना नहीं की है। हमने केवल यह कहा ''उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।'' हमने उनकी निंदा नहीं की थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ठीक है। इन्होंने उनकी आलोचना नहीं की थी। मित्रवत भाव से इन्होंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के त्यागपत्र की स्वीकृति की मांग की थी। चूंकि ऐसा नहीं किया गया इसलिए उन्होंने पुन: मित्रवत भाव से मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। श्री जार्ज फर्नान्डीज के साथ गहरी मित्रता व्यक्त करने हेतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बाहर चले गए तथा कांग्रेस से हाथ मिला लिया और भाजपा को छोड़ चले *...(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: कृपया विषय तक सीमित रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: विषय वस्तु यह है कि इस देश का भविष्य आपके हाथों में विनाश की ओर अग्रसर है। यही वर्तमान स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि अवसरवादी दलों/राजनीतिक लबादे में छल कपट करने वाले लोगों का पंचमेल संगठन इस देश को नष्ट कर देगा। देश की सुरक्षा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक क्षेत्र में-रक्षा, नागर विमानन और हरेक क्षेत्र में संकट में है। आपने द्वार खोल दिए हैं। कोई भी भीतर आ सकता है। आप 'नवरत्न' पर गर्व करते हैं। फिर आप उनमें से एक को छोड़ देते हैं और यहां आते हैं और कहते हैं ''अच्छा, यहां तो कम्युनिस्ट है। वे इस देश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के हमारे गंभीर प्रयास का विरोध करते हैं। यहां वे आपत्ति कर रहे हैं और वहां कामगार विरोध कर रहे हैं।'' कामगारों को विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? वे भारत के नागरिक हैं। वे कार्य कर रहे हैं और जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें उनका योगदान है। सरकार का क्या योगदान है? कितना धन सरकार ने लगाया है? पूरी दुनिया ज्यादा से ज्यादा प्रौद्योगिकी उन्मुख हो रही है पर सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी लाने हेतु उन्होंने कितनी धनराशि खर्च की है। यह कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं कि ये उपक्रम सरकार की उदासीनता के कारण रुग्ण हो गए हैं।

हमारी मांग है कि इस सरकार को सही ढंग से सफाई देनी चाहिए। उन्हें इन उपक्रमों की बिक्री के सही कारणों को बताना चाहिए। वे सभी मोर्चों पर पूरी तरह से असफल रहे हैं। विनिवेश के नाम पर हम उन्हें इस देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान, जो वास्तविक नवरत्न है, का सौदा करने की अनुमति नहीं दे सकते। इस देश का श्रमजीवी तबका और आम आदमी इस सरकार का विरोध करेगा। उनसे प्रतिनिधिमंडल होने के नाते हम यहां उनका विरोध करेंगे और बाहर इस देश के लोग उनका विरोध देश की सड़कों पर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय सभापति जी, देश में कल गणेश चतुर्थी मनायी गयी और मुम्बई और महाराष्ट्र में जो डेढ़ दिन का गणपति जिसको कहते हैं उसका विसर्जन चल रहा है और यह विसर्जन करते-करते सभी गणेश-भक्त नारा लगाते हैं कि ''गणपति बप्पा मोरिया, पुरचा बरसी लौकरिया।'' *...(व्यवधान)* वहां पर इस प्रकार के नारे लगते हैं। मेरे ख्याल से सातवीं बार हम डिस-इन्वेस्टमेंट पर चर्चा कर रहे हैं और हर वर्ष जिस प्रकार से गणेश-भक्त गणेश जी को टाटा करते हैं और फिर गणेश-चतुर्थी मनाते हैं, उसी प्रकार से हर साल हर सत्र में हम डिस-इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करते हैं। हम करते हैं कि ''डिस-इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करुया, पुरचा सत्रा पुन: करुया''। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से गणेश बापा को हम मैसेज देते हैं वैसे ही नेता घोषणा करते हैं कि डिस-इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करेंगे, अगले सत्र में पुन: करेंगे और प्रत्येक सत्र में करते रहेंगे। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि माननीय दासमुंशी जी ने एयर-इंडिया पर बहुत लम्बा भाषण दिया। मुझे लगा था कि वे डिस-इन्वेस्टमेंट पर बोलेंगे लेकिन एक विशेष बिडर जिसको माननीय अरुण शौरी जी ने डिस-क्वालिफाई किया या डिपार्टमेंट ने डिस-क्वालिफाई किया, उसी पर वे चर्चा करते रहे और वही एयर-इंडिया, एयर-इंडिया का राग अलपाते रहे। नेता और अभिनेता में अंतर क्या है? देखने में लगा कि वही नेता है और वही अभिनेता भी है। उसी आवेग में, हर क्षेत्र में, डिस-इन्वेस्टमेंट पर आदरणीय सोमनाथ जी भाषण करते हैं। *...(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: नेता सब अभिनेता हैं लेकिन सब अभिनेता नेता नहीं हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: ऑनरेबल मैम्बर, आप तो बोलने के लिए राज्य सभा से मिनिस्टर्स को बुलाकर ले आते हैं, यह क्या होता है?

श्री किरीट सोमैया: नेता और अभिनेता में अंतर होता है। अभिनेता हर वक्त नयी एक्टिंग करता है लेकिन नेता? कहावत है कि ''ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल''। लेकिन बसुदेव दा और प्रियरंजन दास जी तो बोतल भी वही है, वाइन भी वही है और आर्गूमेंट्स भी वही हैं। मुझे ऐसा लगा था कि वे बातें कम और काम ज्यादा वाली कहावत चरितार्थ करेंगे लेकिन आदरणीय सोमनाथ दा तो इस प्रकार से अरुण शौरी जी से बातें कर रहे थे कि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, हजारों करोड़ों रुपया एनडीए ने इकट्ठा कर लिया और वह कहां पर लगाया? गांव के पानी में लगाया या कहां पर लगाया? मैं सिर्फ उनसे यही पूछना चाहता हूं कि एनडीए सरकार में टोटल डिस-इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आया? सन् 1999-2000 में 1824 करोड़, 2000-2001 में 551 करोड़ आया। बाकी जो आप फिगर्स दे रहे थे कि 18000 करोड़-मैं डिसइनवैस्टमेंट मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप इन्हें एक बार हिसाब दे दें। 18 हजार करोड़ रुपए में से दो-तीन हजार करोड़ रुपए अभी आए, बाकी पहला पैसा कहां गया? क्या वह गांव में पानी पिलाने में गया और पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स का रिस्ट्रक्चर करने में गया-वह पैसा कहां गया, कभी उसकी भी चर्चा करें। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अभिनेता नाटक करता है लेकिन वह कहता है कि मैं अभिनय करता हूं। आप राज्य में अलग भाषा प्रयोग करते हैं, फिक्की में जाते हैं। सीआईआई में जाते हैं तो अलग भाषा प्रयोग करते हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, क्या वे आरोप लगा रहे हैं कि माननीय सदस्य पाखंडी और अभिनेता है?

श्री किरीट सोमैया: महोदय, इसमें गलत क्या है? मैने सामान्यत: लोगों के बारे में बात की है। यदि माननीय सदस्य ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें इसे व्यक्तिगत रूप से लेने का कोई कारण नहीं है। मैंने उनका नाम नहीं लिया है। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

[हिन्दी]

आप राज्य में एक बात करते हैं और लोक सभा में दूसरी बात करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम अन्दर और बाहर वही बात करते हैं। कोई दूसरी बात नहीं करते हैं।

श्री किरीट सोमैया: क्या आप छत्तीसगढ़ में अलग भाषा प्रयोग नहीं करते हैं? ...*(व्यवधान)* एक तरफ बाल्को का मुद्दा उठाते हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कारपोरेशन के डिसइनवैस्टमेंट की बात करते हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में वर्तमान सरकार ने एक महत्वपूर्ण भागीदार का पता लगाने और निजीकरण के लिए विनिवेश आयोग की भांति एक आयोग गठित किया था।

[हिन्दी]

फिक्की, सीआईआई और बिजनेस आर्गेनाइजेशन के यहां जाने पर दूसरी भाषा प्रयोग करते हैं। जब अमेरिका जाते हैं तो दासमुंशी जी और मणिशंकर जी को लेकर नहीं जाते हैं, उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी और माननीय जयराम रमेश को लेकर जाते हैं। वे वहां दूसरी भाषा प्रयोग करते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। आप कौन सी देशभक्ति नैशनल स्पिरिट और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं? मुझे ऐसा लगा कि आज अरुण शौरी जी की छुट्टी होने वाली है क्योंकि दासमुंशी जी बहुत से पेपर यहां लेकर आए। उन्होंने यहां बहुत सी बातें कीं लेकिन क्या हुआ, खोदा पहाड़ और निकला छोटा सा चूहा।

[अनुवाद]

आप एयर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। एयर इंडिया के विनिवेश की सिफारिश किसने की थी? किसके शासनकाल में विनिवेश आयोग का गठन किया गया? विनिवेश आयोग का गठन माननीय सदस्य की पार्टी के समर्थन से तत्कालीन सरकार द्वारा 1996 और 1998 के दौरान किया गया था। उस आयोग ने सिफारिश की थी एयर इंडिया का पहले विनिवेश किया जाना चाहिए। इसमें विनिवेश के लिए 40 प्रतिशत की सीमा नहीं बल्कि 60 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश की सिफारिश की थी। माननीय सदस्य जाकर उसे देख सकते हैं। उस समय वह कहां थे।

[हिन्दी]

उस समय आप कहां थे? क्या उस समय लोक सभा में भाषण माननीय सदस्य नहीं कह रहे थे कि क्या कर रहे हो, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए एअर इंडिया और तिरंगा झंडा आकाश के नीचे आ जाएगा। उस समय आपकी देशभक्ति, नेशनल स्पिरिट और ट्रांसपेरेंसी कहां गई थी।

[अनुवाद]

यह आपके द्वारा शुरु किए गए निजीकरण, विनिवेश, आपके द्वारा डब्ल्यूटीओ समझौते पर हस्ताक्षर करने और आपके द्वारा लाए गए भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के कारण हुआ है।

[हिन्दी]

यदि आपने दरवाजा खोला नहीं होता तो कोई नहीं आता। आपने दरवाजा खोला है। हिन्दुस्तान की जनता के हाथ-पैर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी ने काट कर रखे तो आपने रखे। उसे वाजपेयी जी ने नहीं रखा। ...*(व्यवधान)* अभी मेरी बात सुनिए। आपने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया।

[अनुवाद]

आप लाभकारी उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं। यदि संपूर्ण सेलुलर और कम्युनिकेशन्स इंडस्ट्री को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया जाता है तो एमटीएनएल कैसे मुनाफा कमाने वाला उद्योग रह सकता है।

[हिन्दी]

डाल्फिन का क्या हुआ?

[अनुवाद]

चूंकि मैं कुछ उद्धृत करना चाहता था। इसलिए मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा। किसने विनिवेश शुरू किया और संचार क्षेत्र को किसने खोला?

[हिन्दी]

एक और पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज में कारपोरेटाइजेशन नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

अंत तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जन कर रहे थे। यह सभी जगह नियम है। यह अर्थव्यवस्था है।

[हिन्दी]

मोनोपोली होगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्रोफिट करेगा। वी.एस.एन.एल. का 1.4.2002 से जो भी प्रोफिट होगा, यह मोनोपोली की वजह से है, क्या आप उसे ओपन करेंगे?

[अनुवाद]

आप उनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। इन शर्तों पर तत्कालीन सरकार, उनके माननीय सरकार द्वारा हस्ताक्षर किये गये न कि श्री यशवंत सिन्हा द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

क्या आपने ऐसा साइन किया, क्या आपने समर्थन किया कि 2002 में वी.एस.एन.एल. की मोनोपोली डिसकंटीन्यू होगी? सैलुलर लाइसेंसेज का प्रोसैस किसने स्टार्ट किया था?

[अनुवाद]

निजी सेलुलर आपरेटरों के रूप में अब एम टी एन एल के पास मुंबई के 7 लाख उपभोक्ताओं की तुलना में मात्र 10000 उपभोक्ता हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। यह समझने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

हम जिसे प्राफिट मेकिंग कम्पनी कहते हैं। माननीय मूर्ति जी, मैं श्री चन्द्रबावू नायडू को डिसइनवैस्टमेंट के बारे में कोट करना चाहूंगा। अभी श्री माधवराव सिंधिया यहां नहीं हैं। हम प्रोफिट-मेकिंग कम्पनीज को डिसइनवैस्टमेंट क्यों करते हैं? जब लॉस में होगा, तब उसे कौन खरीदेगा? क्या कोई खरीद कर रहा है? पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स डिसइनवैस्टमेंट पर है।

[अनुवाद]

यह राज्य में नहीं है। यह केन्द्र में नहीं है। केन्द्र के बारे में भूल जाइए। यह कहा गया है।

[हिन्दी]

आपमें क्या नहीं है, आप होशियार नहीं है, कैसे नहीं है।

[अनुवाद]

यह कौन करेगा? वे क्यों खरीदेंगे? ...*(व्यवधान)* मैं आपके विचारों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आप कृपया सुनें ...*(व्यवधान)* मैं श्री चन्द्रबाबू नायडू के बारे में सकारात्मक तरीके से कहने जा रहा हूँ। कृपया मेरी बात सुनें ...*(व्यवधान)*

एयर इंडिया के पास 23 विमान हैं। इसके कर्मचारियों की संख्या कितनी है? यह 18,000 है।

महोदय, माननीय चन्द्रबाबू नायडू ने एक स्थान पर यह कहा है:

> ''तथापि पिछले कई वर्षों में केन्द्र और राज्य स्तर के सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में गिरावट आई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राजनीतिक और नौकरशाही के हस्तक्षेप के कारण स्वायत्तता और व्यावसायिक प्रबंधन नहीं है। आज सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निर्णय लेने में विलंब के कारण बाधाओं का सामना कर रहे हैं।''

महोदय, उन्होंने आगे कहा:

> ''नब्बे के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से ढह जाने के साथ हमने आर्थिक सुधार कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक के रूप में लाइसेंस मुक्ति और निजीकरण अपनाकर उदारीकरण के रास्ते को चुना। दुर्भाग्यवश निजीकरण नीति को लेकर सभी राजनीतिक स्तरों पर स्पष्टता की कमी रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियां निजीकरण और विनिवेश के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने में अक्षम है।''

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी पार्टियां एक साथ बैठें। हम राज्य और केन्द्र स्तर पर अपनाने के लिए एक समान नीति बनाएं और अपनाएं।

मैं एम टी एन एल और वी एस एन एल के बारे में कह रहा था। एक अच्छी पत्रिका 'दी बिजनेस वर्ल्ड' ने अपने संपादकीय में सभी राजनीतिक दलों के विचित्र व्यवहारों के बारे में लिखा है। इस पत्रिका के संपादक ने बेचे जा रहे किसी भी वस्तु के मूल्य को नियंत्रित करने वाले तीन प्रमुख घटकों के बारे में उल्लेख किया है। पहली बात 'आपूर्ति' है। दूसरा क्रेतओं की संख्या है। तीसरा नवीनता, उत्पाद का अनूठापन है।

[हिन्दी]

आज हमारे लोग डिसइनवैस्टमेंट चला रहे हैं लेकिन उसकी क्या पोजीशन है? सभापति जी, मैं आपसे एयर इंडिया की सिक्यूरिटी की बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं सम्माननीय श्री प्रियरंजन दासमुंशी का भाषण सुन रहा था।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

श्री दाशमुंसी जी की स्पीच थी, वह क्या थी-कि हिन्दूजा को डिसक्वालिफाई क्यों किया गया?

[अनुवाद]

घोटाले में तो 'टाटा पॉवर' को 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन विनिवेश के कारण छोटे निवेशकों ने 5,000 करोड़ रुपये गंवाये।

[हिन्दी]

सन् 1991-95 के बीच में नकली डिसइनवैस्टमेंट हुआ। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज के 10 हजार करोड़ रुपये के शेयर्स म्युचुअल फंड में बेचे गये।

यू.टी.आई., आई.डी.बी.आई. और एल.आई.सी. के शेयरों की वैल्यू आज साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये है,

[अनुवाद]

क्या यह आपकी पारदर्शिता के अनुरूप है? क्या यही राष्ट्रभावना है? क्या इसी तरीके से आप आम आदमी का ख्याल रखते हैं?

[हिन्दी]

साढ़े छः हजार करोड़ रुपये इस प्रकार से आपने लूट लिये, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। 1996-1998 में क्या पोजीशन था।

[अनुवाद]

हमने एक विनिवेश आयोग गठित किया था। उसने क्या सिफारिश कीं? सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने 49 कम्पनियों की एक सूची प्राकशित की। जिसमें से 27 लाभार्जक कम्पनियाँ थीं। तत्कालीन सरकार द्वारा गठित एक आयोग ने ऐसी रपट और सिफारिशें दी थीं। वह किसकी सरकार थी और किसने इसका समर्थन किया था?

[हिन्दी]

मैं एक और बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

इस बार भी विनिवेश आयोग ने 29 कम्पनियों के स्वामित्व और प्रमुख क्षेत्रगत बिक्री में परिवर्तन करने; 8 कम्पनियों की व्यापारिक बिक्री में परिवर्तन करने तथा अन्य कंपनियों के मामले में विभिन्न प्रकार के विनिवेश का सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

यह स्ट्रैटेजिक सेल किसके दिमाग की उपज है, कौन यह लेकर आया। एक दूसरी बात भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

हम विनिर्माणक इकाइयों की जो बात करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया-प्रायः सभी लाभार्जक कम्पनियाँ एकाधिकारवादी कम्पनियां हैं?

[हिन्दी]

ऑयल सेक्टर के पी.एस.यूज. हैं, कम्युनिकेशन के पी.एस.यूज हैं और डिफैन्स के पी.एस.यूज हैं।

[अनुवाद]

ये लाभ कमा रहे हैं। विनिर्माणक कम्पनियों की स्थिति क्या है? क्या आप निजी क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभार्जनीयता जानना चाहते हैं? 1990 से 1991 तक, यह (-) 450 थी और 4 प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक यह ऐसी ही बनी रही। आप किस बारे में बात कर रहे हैं?

[हिन्दी]

कितना पैसा दिया, क्या तुम जानते हो।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की लगभग 23 कम्पनियों को रुग्ण कम्पनियाँ मानकर उनके पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया था। 1991 से लेकर अब तक हमने कितनी धनराशि खर्च की? हमने उन पर 20,946 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष रूप से 1358 करोड़ रु. की राशि खर्च की। इस प्रकार, हमने सरकारी क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों के पुनर्गठन पर कुल 34,000 करोड़ रुपये खर्च किए। रुग्ण मानी गईं इन 23 कम्पनियों में से एक भी कम्पनी उबर नहीं पाई है।

[हिन्दी]

माननीय वैंकय्या नायडू होते तो मैं उनसे कहता कि अगर यह 34 हजार करोड़ रुपये हमने ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों में यूज किये होते। इस पैसे से सड़कें बनाई होती तो कितना अच्छा होता।

[अनुवाद]

हमने यह पैसा किसके लिए खर्च किया?

[हिन्दी]

23 कम्पनीज में से कितने पब्लिक सैक्टर्स को क्या-क्या प्रोफिट मिला।

[अनुवाद]

इन 23 कम्पनियों में कितने व्यक्ति काम करते हैं? केवल 1,78,000 कर्मचारी उनमें काम करते हैं और हम इन पर 34,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हम किसके प्रति जवाबदेह हैं? हम किसके लिए यह सब कर रहे हैं?

[हिन्दी]

माननीय सभापति महोदय, मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ।

[अनुवाद]

जाइए और जाकर हमारे पड़ोसी देश-चीन को देखिए। उसने क्या किया?

[हिन्दी]

चाइना ने क्या किया, उसने एक झटके में डिसीजन लिया।

[अनुवाद]

1998 में चीन ने बाजार-रिपोर्ट लेना शुरू किया और तत्काल ही एक राज्यधिकारगत उद्यम उद्योग गठित कर डाला।

[हिन्दी]

आगे उन्होंने जो कहा है कि 75 परसेन्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट अभी प्राइवेट में होने लगा।

[अनुवाद]

मैं आपसे केवल यही गुजारिश करूंगा कि आप देखें कि राज्यों में क्या हो रहा है। कर्नाटक स्थित 77 राज्याधिकारगत उद्यमों में से, 17 को विनिवेशार्थ विनिर्दिष्ट किया गया है। राजस्थान के राज्याधिकारगत 24 उद्यमों में से 11 को विनिवेशार्थ चुना गया है। आंध्र प्रदेश में 51 राज्याधिकारगत उद्यमों में से 21 का विनिवेश करने की बात है।

[हिन्दी]

अंत में, मैं कहना चाहूँगा कि हम इस प्रकार की भाषा में इस प्रकार की बातों में न जाएँ। अगर हम इसे पॉलीटिसाइज करेंगे तो इससे देश का नुकसान होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर उठकर बात करें कि इसमें किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा।

अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के अधीन 361 उपक्रमों में से

[हिन्दी]

कितने लॉसेज कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के 270 उपक्रमों के प्राप्ति-लेखे तथा 34

[हिन्दी]

पी.एस.यूज. के अभी तक अकाऊंट नहीं आए हैं।

[अनुवाद]

कुल निवेश 72,000 करोड़ रु. है जो साम्यिक पूंजी के रूप में है और शेष ऋण तथा राजसहायता के रूप में है। घाटा इससे कहीं अधिक है।

[हिन्दी]

मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लॉसमेकिंग पी.एस.यूज. 1997-98 में 104 थे।

[अनुवाद]

उनकी संख्या बढ़कर 111 हो गई। 1999-2000 में यह संख्या 116 हो गई और इन उपक्रमों का निवल घाटा 10904 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

[हिन्दी]

मैं बहुत आंकड़े आपको दे सकता हूँ। मैं स्टेट के फिगर्स भी दे सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं पर आकर सोचना चाहिए।

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

सफलता का कोई उप-पथ नहीं होता। डा. मनमोहन सिंह ने इसे अच्छे इरादे से ही शुरू किया होगा। किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए उन्होंने छोटा रास्ता पकड़ा।

[हिन्दी]

उसमें क्या हुआ? इसकी टोपी उसके सिर पर डाल दी। सोमनाथ जी बात करते थे,

[अनुवाद]

निश्चय ही, कभी हम वित्तीय क्षेत्र और आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. और अन्य संस्थाओं के कार्यनिष्पादन पर बात करनी पड़ेगी। हमें चर्चा करनी ही पड़ेगी।

[हिन्दी]

मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि उस समय एन.पी.एज. किसके राज में हुए? भूल जाइए, किसी के राज में भी हुए होंगे, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता की प्रॉबलम है। 23000 करोड़ रु. का एन.पी.एज. है।

[अनुवाद]

इसकी पूर्ति कैसे की जाये? इसे वापस कैसे लिया जाये? हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी।

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा स्पीकर साहब से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि

[अनुवाद]

हम सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के बारे में भी स्थिर और सकारात्मक सोच से एक खुली चर्चा और बहस करें।

[हिन्दी]

किसने यहां किया। वहां किया, 93000 करोड़ रुपये का पैसा किसको जाने वाला है। आईडीबीआई का 1450 करोड़, आईएफसीआई को 1000 करोड़। अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो किसकी क्रैडिबिलिटी बरबाद होगी?

[अनुवाद]

देने के लिए पास में पैसा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे बांडों में लगा दिया है।

[हिन्दी]

बॉन्ड में किसने पैसा लगाया? वह पैसा आईडीबीआई और आईएफसीआई नहीं देगी तो हिन्दुस्तान की सरकार की क्या प्रतिष्ठा रहेगी?

[अनुवाद]

उस समय, इस सरकार और

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ने यह नहीं कहा कि यह पहले की सरकार ने किया था, उनसे पैसा लेकर आओ।

[अनुवाद]

हम यह नहीं कह सकते।

[हिन्दी]

इसलिए अंत में, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि गणपति को विद्यापति भी कहते हैं, विद्या का देवता उसे कहा जाता है। हमें पता है कि वेदव्यास जी ने जब महाभारत लिखी थी तो गणपति उनके सामने बैठे थे। गणपति विद्यापति हैं और उन विद्यापति से हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। गणपति को यह भी कहा जाता है हमारी मराठी में-''तू सूख कर्ता, तू दुख हर्ता''। जो गणपति की आरती है-सुख कर्ता, दुख हर्ता, हम उससे प्रार्थना करते हैं कि तू सूख करता है, यानी तू आम आदमी को सुख देता है। तू दुख हर्ता यानी तू दुख ले लेता है। तू विघ्न हर्ता यानी हम पर आने वाले विघ्न तू ले ले। इस देश पर आने वाले विघ्न का तू हरण कर और भगवान गणपति का नाम हम किसी भी शुभ कार्य से पहले लेते हैं। गणपति का नाम लेकर हम काम प्रारंभ करते हैं, हम श्रीगणेशाय नमः करते हैं।

आइए, हम एक अच्छा वातावरण बनाएं और इस देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए श्रीगणेशाय नमः करें।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

डिसइनवैस्टमेंट पर चर्चा चल ही है, यह ठीक है कि उन कारखानों का डिसइनवैस्टमेंट हो जो कारखाने रिवाइव नहीं हो सकते, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से जान-बूझकर उन कारखानों को घाटे में दिखाया जा रहा है जिनको रिवाइव किया जा सकता था और वह कारखाने इसलिए घाटे में चले कि उनमें मिसमैनेजमेंट हुआ। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही रही

या उस समय की सरकारों ने उसमें लापरवाही बरती जिसकी वजह से वे कारखाने घाटे में चले गए।

सभापति महोदय, आज जब डिसइनवेस्टमेंट हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण में बदला जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं, कुछ न कुछ इसमें हेरा-फेरी चल रही है। अभी जैसा बताया जा रहा था और एक माननीय सांसद कह रहे थे कि पूरा का पूरा हिसाब, जो अपोजीशन मांगती है, वह एक बार में दे दिया जाएगा, लेकिन वह हिसाब कौन सा होगा, जो आम आदमी को मालूम है, जो जानकारी समाचार पत्रों से मिली है, वह हिसाब तो दे दिया जाएगा, लेकिन जो पैसा आपकी जेब में गया है, उसका हिसाब कौन देगा?

सभापति महोदय, दलाली दी और ली जाती है, या हेरा-फेरी होती है, पैसा खाया जाता है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, यह सब अभी तक इस देश की जनता ने सुना ही था, देखा नहीं। लेकिन आजादी के 53 वर्ष के पश्चात्, तहलका डॉट कॉम ने उजागर कर दिया कि किस तरह से इन्होंने पैसा खाया है। जिस समय बालको को बेचे जाने की चर्चा हुई, उस समय मैं भी सांसद था। कैसे बालको में पैसे की हेरा-फेरी हुई है, जितने में वह बिकना चाहिए था, उतना पैसा सरकार की तरफ से रखा ही नहीं गया और काफी कम पैसे में उसे बेच दिया गया। इसी प्रकार से मॉडर्न फूड्स कम्पनी को बेचने में घपला हुआ और अब एअर इंडिया और आई.टी.डी.सी. को बेचने की बात हो रही है। इससे मुझे लगता है कि सरकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, बल्कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है।

सभापति महोदय, जिस तरह से डिसइनवेस्टमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार 12 हजार करोड़ रुपए इसके माध्यम से प्राप्त करेगी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस धन को क्या वित्त मंत्रालय का जो वित्तीय घाटा है, उसको पूरा करने में लगाया जाएगा या कुछ इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए या जिस तरह से रूरल डिवेलपमंड के बारे में अभी रूरल डिवेलपमेंट मंत्री बता रहे थे, वहां इसको खर्च किया जाएगा? अभी कहा जा रहा था कि डिसइनवेस्टमेंट के जरिए जितना भी धन प्राप्त होगा उसे रूरल डिवेलपमेंट पर व्यय किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाए, तो अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है।

सभापति महोदय, आज आजादी के 52-53 साल के बाद भी गांवों की जो हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है। देश के गांवों में सड़कें नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यदि डिसइनवेस्टमेंट से मिला पैसा वहां खर्च किया जाए, तो देश के गांव बहुत तरक्की करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि डिसइनवेस्टमेंट का पैसा यदि वहां न लगे तो भी जो धन ग्रामीण विकास के लिए अभी दिया जा रहा है, उसमें यदि धांधली बंद कर दी जाए, उसमें जो कर्मचारी धांधली करके धन को बीच में हड़प जाते हैं, यदि वह रोक दिया जाए और सही ढंग से धन व्यय हो, तो मैं समझता हूं कि रूरल डिवेलपमेंट काफी हद तक हो सकता है।

सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा और सरकार ने भी कहा कि रोजगार के अवसर खत्म नहीं होंगे और इस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में यह भी लिखा था कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो हर साल एक करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके द्वारा डिसइनवेस्टमेंट किए जाने, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिए जाने और मल्टीनैशनल कंपनियों के यहां आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसर कम होंगे। हो सकता है प्रारंभ में ये कंपनियां लोगों को न निकालें, लेकिन बाद में रोजगार खत्म किए जाएंगे, यह सुनिश्चित है। यदि डिसइनवेस्टमेंट किया जाता है और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया जाता है, तो हर साल में रोजगार के अवसर कम होते जाएंगे। सरकार ने भी एक तरफ तो रोजगार प्रदान करने की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं कहा है कि 10 प्रतिशत सरकारी नौकरियां समाप्त की जाएगी। इस प्रकार एक तरफ सरकार 10 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है और प्राइवेट कम्पनियों को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कह रही है। सरकार के कार्यों को देखने से मुझे रोजगार बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

सभापति महोदय, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बालको में धांधली हुई या मॉडर्न फूड में धांधली हुई, उसी प्रकार से मुझे एअर इंडिया और आई.टी.डी.सी. के डिसइनवेस्टमेंट में कहीं न कहीं घपला नजर आ रहा है।

सरकार को पारदर्शिता अपनानी चाहिए और जिस तरह सदन और इस देश को गुमराह किया जा रहा है, वह न किया जाए। एक श्वेत पत्र जारी किया जाए और डिसइन्वैस्टमेंट में पारदर्शिता अपनाई जाए और ज्यादा से ज्यादा डिसइन्वैस्टमेंट से जो पैसा मिले, उसे रूरल डैवलपमेंट में खर्च किया जाए, चाहे वह शिक्षा और हैल्थ का फील्ड हो या सड़कों के बनाने का फील्ड हो।

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसने सदन के दोनों पक्षों का ध्यान आकर्षित किया है और बड़े विशिष्ट दृष्टिकोण सामने आए हैं। कुछ ही समय पहले जो लोग पक्ष में बात कर रहे थे, वे अब बिल्कुल ही उलट बात

[श्री प्रभात सामन्तराय]

कर रहे हैं और हम लोगों ने भी पहले जो बात कही थी, अब उससे हटकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिन सदस्यों ने दीर्घकाल पूर्व 1958 में इस सदन में अपनी बात रखी होगी। यदि वे जीवित हों और टेलीविजन पर यह सब देख रहे हों, तो वे निश्चय ही हम पर हँसते होंगे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सृजन करने के लिए इस सभा ने एक संकल्प पारित किया था। दुर्भाग्यवशत:, जब यह सब हुआ तो उस समय प्रतियोगिता का वातावरण नहीं था। एकाधिकार जैसी बात थी और राज्याधिकारगत सरकारी उपक्रम रखना एक आवश्यकता थी। किन्तु 1965 के बाद उनका प्रबंधन ठीक नहीं रहा। सरकार ने कभी उनकी खबर नहीं ली। इससे भारी घाटा होने लगा। 1991 में जब कांग्रेस सरकार ने इस देश की आर्थिक नीति में संरचनागत संशोधन शुरू किया तो उसने इस पर कतई चर्चा नहीं की। उसने कभी इस विषय पर यह बात भी नहीं की कि इस क्षेत्र में हम असफल क्यों रहे। आज, स्थिति यह है कि हम उस संपत्ति को बेच रहे हैं जिसे हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से अर्जित किया है; उन उपक्रमों के माध्यम से, जिनमें पिछले अनेक वर्षों से हमने निवेश किया है और सामाजिक क्षेत्रकों में आधार संरचना बनाई है। इस बिन्दु पर मेरी अपनी कुछ चिंताएं हैं। 1958 में ऐसा उत्साह और भावना रही होगी, जब कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सृजन करने के लिए तत्कालीन सभासदों ने संकल्प पारित किया और जब देश ने एक बृहत् आधार संरचना तैयार की। जब इन उपक्रमों के प्रबंधन में विफलता मिली, तो किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया या उंगली नहीं उठाई कि इस घाटे के जिम्मेदार कौन लोग हैं। इसका विचार भी नहीं किया गया कि क्या इन उपक्रमों को प्रबंधित करने वाले पेशेवर इस घाटे के जिम्मेदार हैं या अन्य कोई और। जनता पर ही इसे तय करने का भार छोड़ दिया गया। क्या वे व्यक्ति जो अब 26 प्रतिशत निवेश राशि लगाकर कार्यप्रबंधन कर रहे हैं-क्या वे उन कम्पनियों में सरकार के हितों को प्रधानता देते हैं? मुझे इस विषय में आशंका है। इन कम्पनियों में राज्य और केन्द्र सरकार के हितों की संरक्षण कैसे किया जायेगा?

एक बिन्दु पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूँगा। आप उस धनराशि की बात करते हैं जो विनिवेश से प्राप्त की गयी; और, देश के विकास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में वह राशि दे देने के बाद भी यदि सरकार की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हों-तो आपके पास बेचने को बचा क्या? उन वर्षों में भी हमें इसका अनुभव हुआ है और हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमने गलती कहाँ की; और हमें इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए थे। वे कौन लोग थे, जो इन सरकारी उपक्रमों के कुप्रबंधन के जिम्मेदार थे? कामगार या भारत की जनता? या कि नीति-निर्माता, जो पाँच साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं? या फिर वे पेशेवर व्यक्ति, जो लगातार इन सरकारी उपक्रमों का प्रबंधन चला रहे हैं? इस पहलू पर किसी ने भी प्रश्न नहीं किया। और अब वही लोग-करदाताओं के पैसे से अच्छी-खासी रकम जोड़ने के बाद हमें सलाह दे रहे हैं। वे हमें समझा रहे हैं कि यदि आप इसे बेच डालें और किसी निजी पार्टी या विदेशों को दे दें, तो हमारे पास एक बड़ी बढ़िया आधारसंरचना हो जायेगी और हम अपनी जनता को सामाजिक सुरक्षा दे पायेंगे।

कौन जानता है कि यह पैसा कहाँ जाता है? किसे पता है कि यह धनराशि सामाजिक क्षेत्र तक पहुँचती भी है या नहीं। किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं कि इससे अपेक्षित परिणाम आ भी रहे हैं या नहीं। मैं इस विस्तार में नहीं जाऊँगा कि गलती किसकी है। मैं केवल इस दृष्टि से सरकार को जता रहा हूँ कि वह यह देखने का प्रयास आखिर क्यों नहीं करती कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में क्या-क्या खामियाँ की गयी थीं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कितने अध्यक्षों या प्रबंध निदेशकों को उनकी गलती के लिए दण्डित किया गया? 1993 में, जबकि मैं राज्य सभा का सदस्य था, मैंने वहां भी यह प्रश्न उठाया था। उस समय, लगभग आधे सरकारी उपक्रमों में कोई प्रधान पदधारी नहीं था और सरकार मंत्रालय के नौकरशाहों से काम चला रही थी। किसी ने भी आरोप नहीं किया, क्योंकि वे उच्चासीन अधिकारी थे। वस्तुत: पिछले चालीस सालों से वही लोग देश चला रहे थे। जो लोग इस स्थिति का विश्लेषण करने बैठे हैं, वे समझ जायेंगे कि हम तो लुका-छिपी खेल रहे हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यह उन्हीं लोगों की गलती है। जिन्होंने इन लोगों को प्रशासन की कमान सौंपी।

महोदय, इस समय सरकार द्वारा विनिवेश के लिए सरकारी क्षेत्र के 58 उपक्रमों की पहचान की गई है। इनमें से 52 उपक्रमों का मामला विचार करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए विनिवेश आयोग के पास भेजा गया है। इन 52 उपक्रमों में से 49 उपक्रमों के आंकड़े मुझे मिल गये हैं। उनके सुरक्षित कोष में 1 लाख करोड़ रुपये हैं। उनका वार्षिक राजस्व 3,50,000 करोड़ रुपये है। सरकारी क्षेत्र से लाभांश के रूप में 2,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आज इन कंपनियों का बाजार मूल्य केवल 95,000 करोड़ रुपये है। इनके मूल्यांकन का तरीका क्या है? यह मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ मैंने महाजनों को देखा है, जो न्यायालय से आदेश मिलने के बाद उन लोगों की संपत्तियों को नीलाम करने लगते हैं, जिन्हें उन्होंने काफी कम राशि कर्ज दिया होता है। इन सरकारी उपक्रमों के सुरक्षित कोष में 1 लाख करोड़ रुपये है और उनसे 3,50,000 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व के रूप में मिलते हैं। मैं इसमें कुल कितना धन अंतर्ग्रस्त है उसका आकलन करने में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन उनकी कुल संपत्ति का आकलन केवल 95,000 करोड़ रुपये किया गया

है। केवल इतना ही? सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश के प्रमुख संगठन हुआ करते थे। रोजगार और सुरक्षा के लिए लोग उनकी ओर आदर की दृष्टि से देखा करते थे। अत: हमें उन्हें बहुत कम कीमत पर बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी भी समय है। हमें उन्हें जल्दी में क्यों बेचना चाहते हैं? हमें उनकी सही कीमत का आकलन क्यों नहीं करते है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्यों रुग्ण होने दिया जाता है। पिछले चार या पांच वर्षों से सरकार की ढुलमुल नीति के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रुग्ण हो गये हैं। इस प्रक्रिया में इसे लोगों को अति कम कीमत पर बेचा जा रहा है। नुकसान किसे हो रहा है? न तो आपको और न मुझे। अंतत: भारत के 100 करोड़ लोगों को इसका घाटा उठाना पड़ेगा। मैं उड़ीसा की लाभकारी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड है जिसे लघु रत्न माना जाता था। इसे एशिया का सबसे बड़ा डीएपी संयंत्र माना जाता था।

इसका मामला विनिवेश आयोग को भेजा गया था। विनिवेश आयोग ने कुछ सिफारिश की है। कहा गया था कि 51% शेयर का विनिवेश किया जाएगा। लेकिन सरकार के प्रस्ताव में 74% शेयर के विनिवेश की बात है। सरकार द्वारा ही वित्तीय पुनर्गठन न करके विनिवेश आयोग की सिफारिशों की अवहेलना की गई है। पुनर्गठन न करके हम बोली लगाने वालों की इच्छानुसार कीमत पर शेयर बेच रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इसमें हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। ये हमारी परिसंपत्तियां हैं। यह हमारी देनदारियां नहीं हैं। मंत्री महोदय इस लक्ष्य को हासिल करने की कोई अंतिम समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसमें कहा गया है कि उन्हें या तो लक्ष्य हासिल करना होगा या इस्तीफा देना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस हालत में नहीं बेचते तो देश डूब नहीं जायेगा। हमारा मानना है कि अगर आप देनदारियों को परिसंपत्तियों में बदल दें, तो हम आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आप सरकारी क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बहुत कम कीमतों पर नहीं बेचा जाना चाहिए। सरकार को इच्छित लक्ष्य हासिल करना चाहिए। जिन लोगों ने 1958 से देश की सेवा की है उन्हें बोझ नहीं माना जाना चाहिए बल्कि वे देश की परिसंपत्ति हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने तर्क सुनने पर ध्यान देने की अपील करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अरुण शौरी: सभापति महोदय, क्या मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकता हूं? श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एयर इंडिया के बारे में कैबिनेट सचिव द्वारा प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को लिखे तथा कथित पत्र को पढ़ा था। उनके द्वारा कही मुख्य बातों में एक यह भी थी। जो पत्र उन्होंने पढ़ा उसकी फोटोकापी उन्होंने मुझे भी देने की उदारता दिखाई। मैंने खुद उसे कैबिनेट सचिव को भेजा। उन्होंने मुझे सूचित किया और इस बात की पुष्टि की कि यह पत्र जाली है *...(व्यवधान)* मैंने अपने विभाग के सचिव को उन्हें फोन करने के लिए भेजा। कैबिनेट सचिव ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है। तब मैंने उस पत्र को यह कहते हुए अपने मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेजा कि इसे एक जिम्मेदार संसद सदस्य ने पढ़ा है। सदस्य ने कहा कि वे इसकी सत्यता सिद्ध करेंगे। उन्होंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने ऐसा कहा है। सचिव ने अभी हमें लिखकर भेजा है। कैबिनेट सचिव ने लिखित में पुष्टि की है कि पत्र जाली है। हमारे संयुक्त सचिव श्री अमिताभ भट्टाचार्य वापस लौट रहे हैं, वही कैबिनेट सचिव के पास पत्र लेकर गए थे। कैबिनेट सचिव इस आशय का पत्र फैक्स भी कर रहे हैं। जवाब देते समय इन मुद्दो को मैं उठाऊंगा। मुझे आशा है कि प्रेस में संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट करने वाले मित्र यह तथ्य सुनिश्चित कर लें कि कैबिनेट सचिव ने पढ़े जाने वाले पत्र के जाली होने की पुष्टि कर दी है और इस पत्र को इतने जिम्मेदार संसद सदस्य द्वारा पढ़ा गया था *...(व्यवधान)*

मेरा इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे लगता है कि यह मेरे बोलने का अवसर है, आपका नहीं *...(व्यवधान)* मैं स्रोत का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। लेकिन कैबिनेट सचिव ने स्वयं माननीय मंत्री से इस बात की पुष्टि की है *...(व्यवधान)* चूंकि कैबिनेट सचिव ने अभी इस बात की पुष्टि है कि पत्र जाली है, मैं माननीय मंत्री के लिहाज में इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरी यह भी मांग है कि पत्र पर कैबिनेट सचिव के हस्ताक्षर की जांच की जानी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इस बात की जांच की जाय कि हस्ताक्षर जाली हैं या असली *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: यह गंभीर मामला है। पूरी जांच होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अपने संसदीय जीवन में, मैं कभी ऐसे मामलों में संलिप्त नहीं रहा *...(व्यवधान)* जवाब देना मेरा अधिकार है। यह गंभीर आरोप है। महोदय जिन दो मामलों का जिक्र मैंने अपने भाषण में किया था, उन्हें मैं दोहराता हूँ। एक कैबिनेट सचिव के नोट से संबंधित है जिसे मैंने उद्धृत किया है। माननीय मंत्री महोदय मेरे पास आये और कहा कि वह इसकी जांच कराना चाहते हैं। मैंने तुरन्त उन्हें पत्र की प्रति दे दी। उन्होंने जांच कराई और अभी सभा में कहा कि केबिनेट सचिव ने पत्र के जाली होने की बात स्वीकार की है।

श्री अरुण शौरी: उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि पत्र जाली है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बिल्कुल ठीक है। मैं माननीय मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित कागजात की प्रति और भी दूंगा जिसका जिक्र मैंने अपने भाषण में किया था और जिसकी सत्यता की जांच अभी तक मैंने नहीं की है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय उसकी भी जांच करवाये और कल सभा को सूचित करें कि क्या वह भी जाली है। चूंकि कैबिनेट सचिव ने स्वयं मंत्री महोदय को सूचित किया है। मैं, मंत्री महोदय के शब्दों को उसी तरह स्वीकार करता हूं और इस संबंध में अपने आरोपों को वापस लेता हूँ, लेकिन चूंकि कैबिनेट सचिव के हस्ताक्षर का मामला है, मेरी मांग है कि माननीय अध्यक्ष महोदय इसकी जांच का पता लगाये कि क्या यह असली है या जाली है *...(व्यवधान)* महोदय, मैंने इसे प्रेस वालों को नहीं दिया है। इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि मैंने इसका उल्लेख संसद में किया है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने केवल कैबिनेट सचिव से ही सत्यता के बारे में नहीं पूछा है। मैंने अपने सचिव को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क करने के लिए भेजा, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा था कि उन्हें उन लोगों को पत्र भेजा गया है। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री महोदय ने कहा है कि हस्ताक्षर जाली है। यह गंभीर मामला है। अत: इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर हस्ताक्षर जाली हैं, तो इसकी जांच की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं उनसे सहमत हूँ और यह सुनिश्चित करूँगा कि इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करायी जाये। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं सहमत हूँ। इसकी सी.बी.आई. से जांच कराइये और वे बतायें कि हस्ताक्षर जाली हैं या नहीं *...(व्यवधान)* सबसे पहले मेरी मांग है कि पत्र की जांच का मामला सीबीआई को दिया जाय। मैं प्रवर्तन निदेशालय के कागजात की प्रति को भी माननीय मंत्री को दूंगा, जिसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में किया था *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं उस दस्तावेज को भी देखूंगा।

मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी की जुझारू क्षमता का आदर करता हूँ लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उन्हें इच्छुक पार्टियों से जानकारी मिल रही है। अब हमें पता लगा है कि पत्र जाली है। यह गंभीर मामला है क्योंकि इसमें भारत के कैबिनेट सचिव शामिल हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर भरोसा किया और कहा कि वे इसकी सत्यता की जांच के लिए तैयार हैं। वे किस सत्यता की पुष्टि करते? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पत्र को तुरन्त जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का अनुरोध करता हूँ। मैं माननीय मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के कागजात की प्रति भी दे दूंगा। वे उसे भी सीबीआई को सौंप सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी इसी जगह पर क्या आप तय कर लेंगे? चेयर का भी कुछ होता है।

...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया: सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय: आपका क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री किरीट सोमैया: कैबिनेट सैक्रेटरी के लैटर को कोट किया गया है। उसकी ऑथेंटिसिटी से संबंधित है। *...(व्यवधान)* यह रिकार्ड में से निकाल देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने सवाल उठाया, माननीय मंत्री जी ने कन्फर्म किया। फिर उन्होंने एलीगेशन वापस लिया और जांच करने को कहा, मामला खत्म हो गया। इसमें क्या यहां सदन में कुछ निश्चय होगा?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): माननीय सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरा अनुरोध यह है कि विनिवेश के गंभीर मुद्दे को किसी साधारण मुद्दे, वह भी किसी ऐसे पत्र के कारण दरकिनार कर देना उचित नहीं है जिसका सत्यापन किया जाना बाकी हो। इसके बजाए हम प्रमुख मुद्दे पर आते हैं। हम विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसाकि श्री किरीट सोमैया कहते रहे हैं, हम हर सत्र में इस मुद्दे पर किसी न किसी रूप में चर्चा करते रहे हैं। हम इस पर बार-बार चर्चा क्यों करते हैं? इस मुद्दे पर किसी

भी प्रकार की आम सहमति नहीं है। बार-बार आरोप-प्रत्यारोप लिये जाते हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने अपनी विनिवेश नीति स्पष्ट तौर पर घोषित नहीं की है और अभी भी सभी के मन में यही बात है। पूरा देश इस बारे में इसलिए चिंतित है कि जिन 49 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया जाना है, उनकी रक्षित निधि एक लाख करोड़ से अधिक है। हम इसके लिए क्यों चिंतित है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार को इन 49 इकाइयों से 3,50,000 करोड़ रुपए की आय और 2,000 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त होता है। हम इसके बारे में इसलिए चिंतित है क्योंकि इन इकाइयों में दस लाख लोगों को रोजगार मिलता है। क्या हम इस मुद्दे पर खामोश बैठे रहें? इन सब मूल्यों सहित इन कंपनियों का अनुमानित मूल्य 95,000 करोड़ रुपये से कुछ कम है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को बनाने में पचास वर्षों से भी अधिक समय लगा है और इनमें काफी संभावनाएं हैं। लेकिन, विपक्ष में होने पर भी पूरी तरह विनिवेश के खिलाफ नहीं हैं। हम इसका पूर्णरूपेण विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम विनिवेश के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अपनाए जा रहे तरीके के खिलाफ हैं।

विनिवेश के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। इसका पूरा एजेंडा इस विभाग ने तय किया है। पूरी सरकार विनिवेश, सिर्फ विनिवेश के हक में है। हम सभी सौदों में पारदर्शिता की मांग करते रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने सभी सरकारी दस्तावेजों और अपने उत्तर में दावा किया है कि इसमें पारदर्शिता बरती गई है। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जब विनिवेश के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है तो विनिवेश विभाग के लिए अलग स्थायी समिति क्यों नहीं गठित की गई है? यह मांग कई बार उठाई जा चुकी है। यहाँ तक कि विपक्ष की माननीय नेता ने भी प्रधान मंत्री महोदय को पत्र लिखकर विनिवेश विभाग के लिए अलग स्थायी समिति की मांग की थी। जब आप अपने सभी सौदों में पारदर्शिता का दावा करते हैं तो इस समिति के गठन से क्यों कतरा रहे हैं?

रात्रि 8.00 बजे

उन्होंने विनिवेश आयोग का विस्तार किया है। क्या इस आयोग का गठन पिछली सरकार ने किया, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया, या इसका गठन अब किया गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यदि वे इसे पारदर्शी कहते हैं तो इस आयोग को स्वायत्तता क्यों नहीं देते हैं? इसके विपरीत आयोग का कार्य सिर्फ सिफारिशें करना है और ये सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।

पहले भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया है। इसका उत्तर है 'नहीं'। माडर्न फूड्स और बाल्को के सौदों में दो ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो समिति की सिफारिशों के पूरी तरह खिलाफ थे। शुरू में उन्होंने कहा कि सिर्फ 40 प्रतिशत इक्विटी का ही विनिवेश किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने बाल्को में 51 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश का फैसला किया। सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कड़ी आलोचना की है।

श्री अरुण शौरी: नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मुझे समझ नहीं आता कि माननीय सदस्यगण कोरी प्रैस रिपोर्टों पर क्यों विश्वास कर लेते हैं। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि माडर्न फूड्स या बाल्को के मामले में हमें अभी तक नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से कोई अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसका क्या किया जाए?

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: यह सच है। प्रैस में ऐसी कई रिपोर्टें छपी हैं। माननीय मंत्री महोदय इन प्रैस रिपोर्टों का खंडन क्यों नहीं करते हैं?

श्री अरुण शौरी: ये रिपोर्टें प्रतिद्वंद्वी कारपोरेट घरानों की हैं। मैं उन्हें यह दिखाऊंगा। जब वे स्थायी समिति की रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैं उन्हें इन शब्दों के उद्गम और कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि के उदाहरणों के विषय में बताऊंगा।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: लेकिन यह सच है कि बाल्को, जिसका मूल्य कई सौ हजार करोड़ रुपए है, यों ही दे दिया गया है।

श्री अरुण शौरी: 7,00,000 करोड़ रुपए की यह राशि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी के कुल मूल्य से ढाई गुना अधिक है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: हम यही मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर अंत में दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी, बार-बार उठकर जवाब देना ठीक नहीं है। आप पाइंट्स नोट कर लें और अंत में सबका जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: हमारा मूल मुद्दा यही है। देश की बहुमूल्य संपत्ति को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया है, और

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

बाल्को, जहाँ प्रचुरतम अयस्क खान मौजूद है, को सिर्फ 550 करोड़ रुपये में बेच दिया गया।

हमारा मूल मुद्दा यह है कि लाखों-लाख रुपए के मूल्य वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है और उनका अनुमानित बाजार मूल्य सिर्फ 95,000 करोड़ रुपए आंका गया है। वर्ष 1990-91 से अब तक पिछली सरकार या वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? वर्ष 1991-92 से 2001-2002 तक के लिए अनुमानित लक्ष्य 66,300 करोड़ रुपये का था। इन्हें कितनी सफलता मिली? क्या ये इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके? इस लक्ष्य को बार-बार क्यों बदला जाता है? जहाँ इन्होंने दस वर्ष के लिए 66,300 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, वहीं ये लोग अब तक सिर्फ 19,184 करोड़ रुपए ही जुटा पाए हैं। इस प्रकार, लक्ष्य प्राप्ति में ये लोग असफल रहे हैं। महोदय, न तो ये लोग इस उपक्रम का कोई आकर्षक या उचित या वास्तविक मूल्य वसूल कर सके हैं और न ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं। फिर ये लोग लक्ष्य निर्धारित ही क्यों करते हैं?

हमें इस बात की आशंका है कि यह सब केवल बजट की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में यह घोषणा क्यों की कि इस वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। यदि इसका उद्देश्य बजट की कमी को पूरा करना नहीं है तो बजट में इसकी घोषणा क्यों की गई?

महोदय, हम इस बात को लेकर आशंकित हैं कि विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों का क्या किया जाएगा। विनिवेश से 18,000 करोड़ रुपये की राशि की प्राप्ति हुई। उसे किस प्रकार खर्च किया गया? क्या आपके पास इस संबंध में आंकड़े हैं? हमने मांग की थी कि आप एक कायिक निधि बनाएं और विनिवेश से जो भी प्राप्तियां हों, उन्हें इस निधि में जमा करा दें। आपका उद्देश्य सरकारी ऋण का भुगतान करना है। क्या सरकार इस ऋण के भुगतान के लिए सिर्फ विनिवेश पर निर्भर है? आपका कहना है कि इस धनराशि को सामाजिक क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है और प्राप्तियों को देश में कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। इस कार्य के लिए आपने कितनी राशि खर्च की है? इस बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आपका कहना है कि इस धन का उपयोग सरकारी क्षेत्र की मौजूदा इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के लिए किया जा रहा है? इन इकाइयों पर आपने कितनी राशि खर्च की है? यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि यह राशि संचित निधि में जमा करा दी गई है जहाँ से उसे देश में कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जाता है। हमारा मुद्दा यह नहीं है।

इस बारे में कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। आपका लक्ष्य 66,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन आप सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए ही जुटा पाए हैं, आप इसके कारण भी स्पष्ट नहीं कर सके हैं और आप कहते हैं कि यह राशि संचित निधि में जमा कर दी गई है।

महोदय, अब समस्या क्या है? पिछले वर्ष ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, आपने अधिक समय दे कर बहुत कृपा की। मुझे कुछ और भी मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने हैं। अंत में बोलने वाले वक्ताओं को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें श्री किरीट सोमैया और श्री वेंकैया नायडू द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब भी देना है। कृपया मुझे अपनी बात कहने के लिए कुछ और समय दें।

रात्रि 8.07 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

वर्ष 1989-90 से, पुरानी प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था के अंतिम वर्ष में विकास कार्य पर खर्च होने वाली केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद के 21 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत से भी कम हो गयी है। आज आप जिस धनराशि को खर्च कर रहे हैं वह सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 12 प्रतिशत है। यह कैसे कम कर दी गयी? आप कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों पर प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। ऐसा आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। यह तो एक आम बात बन गयी है। क्या आपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में कोई प्रशासनिक सुधार कार्य किया है? आप घाटे में क्यों चल रहे हैं? क्या हमें समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हमें सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के प्रबंधन की चिंता है? वास्तव में, हम एयर इंडिया जैसी कुछ गौरवशाली संस्थाओं का विनिवेश करने में भी जल्दीबाजी कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया जी भगवान गणपति की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि भगवान् गणपति इस सरकार को नहीं भूलेंगे।

मंत्री महोदय, यदि एयर इंडिया का विनिवेश किया जाता है तो आप देश भर में उनके बीच अलोकप्रिय हो जाएंगे जो व्यक्ति के रूप में आपकी प्रशंसा करते हैं। यह राष्ट्र का गौरव है। कल, प्रधानमंत्री जी तक के जाने के लिए आपको सिंगापुर एयरलाइन्स पर निर्भर होना पड़ेगा। यह व्यावसायिक प्रस्ताव नहीं है। आपदा

में और आपातकाल में यही वे संस्थाएं हैं जो जनता की सहायता करती हैं, और आप उनका विनिवेश करना चाहते हैं। क्या कारण है? आप इसके लिए जल्दी क्यों कर रहे हैं? यही हमारा प्रश्न है। मंत्रिमंडल के सचिव ने पत्र लिखा है अथवा वह जाली है यह अब एक अव्यावहारिक बात है। मुख्य विषय यह है कि एयर इंडिया जैसी राष्ट्रीय विमान सेवा जिसे प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था, उसी ने इस घाटे को गत वर्ष 29 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया। यदि प्रभावी सुधार किये जाएँ तो एयर इंडिया निश्चित रूप से फले-फूलेगा और यह लाभ अर्जित करने वाला उद्योग भी बन सकता है। आप इसके लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य बेहतर मूल्य प्राप्त करना है, तो हम एक या दो वर्षों तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते? अब जबकि केवल एक बोलीदाता है तो जल्दी करने का कारण है। इसके अतिरिक्त जब इस बात को लेकर भी विवाद है कि नियुक्त किये गये 'ग्लोबल एडवाइजर' पर सांठगांठ करने, संबंधित होने अथवा लिप्त होने का आरोप है।

तो, यही सब शंकाएं हैं। इस राष्ट्र के लोग आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आप एकमात्र बोलीदाता के साथ क्यों जल्दी कर रहे हैं?

सभापति महोदय: कृपया, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: ब्रिटिश एयरवेज क्यों बाहर निकल गया? अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनें क्यों इस बोली से बाहर हो गयीं? आपने समझौते में परिवर्तन किया है। इन्हीं सब रिपोर्टों और शंकाओं को हम सरकार के ध्यान में लाते हैं। जब इन्हीं सब मुद्दों पर एक संयुक्त संसदीय समिति की विशेष मांग की जाती है, यदि आप इन सभी सौदों में पारदर्शी होने की बात करते हैं तो क्या आप इस सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि आपके विभाग में होने वाले प्रत्येक सौदे को इस संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ कि यह आपकी अंतिम बात है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या आप इस संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है? लगभग तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपये का राजस्व है। इसलिए, हम यह मांग करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित प्रत्येक मामले, प्रत्येक निर्णय को पहले संसद की स्वीकृति मिले, इसके बाद ही आप मामले का निर्णय करें। मंत्रालयों के बीच भी कोई सर्वसम्मति नहीं है। जब आप मारुति उद्योग की बात करते हैं, तो आप पाते हैं कि भारी उद्योग मंत्री श्री मनोहर जोशी विनिवेश मंत्रालय द्वारा किये गये निर्णय के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। यह राजनीति हो सकती है। यही बात इंडियन एयरलाइन्स के साथ हुई।

सभापति महोदय: कृपया, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: कृपया, मुझे एक या दो मिनट का और समय दें।

हमारी आशंका है कि सभी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि एक समिति गठित की जाए और एक श्वेत पत्र लाया जाए। इसे संसदीय स्थायी समिति की संवीक्षा पर छोड़ दिया जाए।

श्री वेंकैया नायडू जी यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने ग्रामीण गरीब लोगों और अपने मंत्रालय के लिए जोरदार वकालत की। लेकिन दुर्भाग्यवश वह इस सभा को उत्तर नहीं दे सके कि यह सरकार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निजीकरण अथवा विनिवेश करने जा रही है अथवा नहीं। यदि वेंकैया नायडू जी यह निश्चयपूर्वक कह दें कि यह सरकार विशाखापत्तनम इस्पात उद्योग का विनिवेश करने वाली है तो मुझे खुशी होगी, मैं उनकी प्रशंसा करूँगा और मैं उनको आभारी रहूंगा। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह आराम की राजनीति है, यह अवसरवाद की राजनीति है। यदि वे विशाखापत्तनम में ऐसा करते हैं, तो वे अपनी नौकरियाँ खो देंगे। आज यह स्थिति है। जबकि तमिलनाडु में सेलम इस्पात संयंत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यह इस्पात संयंत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है।

सभापति महोदय: यह आपका आखिरी मुद्दा है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय,यही अकेला उद्योग है जो स्टेनलैस इस्पात बनाता है। यदि इसका भी विनिवेश कर दिया जाए और इसे गैर-सरकारी उद्यमियों के हाथों में सौंप दिया जाए तो सरकारी क्षेत्र में स्टैनलेस इस्पात बनाने वाला कोई उद्योग शेष ही नहीं रहेगा। जो भी इसकी बोली लगाएगा, एकाधिकार उसी का होगा। हम किसी चीज की मांग कर रहे हैं? हम 350 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की मांग कर रहे हैं। आखिरकार आप क्यों विनिवेश कर रहे हैं? दो वर्ष पूर्व, पुनरुद्धार हेतु सेलम इस्पात संयंत्र को 880 करोड़ रुपये 'हॉट-रोल्ड' मिल आरंभ करने के लिए दिए गए थे।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं केवल एक मिनट लूँगा।

अब, सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद विनिवेश करने का निर्णय किया है। क्या यही पारदर्शिता है? क्या आपकी यही कार्यप्रणाली है? उन्होंने 880 करोड़ रुपये खर्च करके निजी उद्यमियों के लाभ के लिए विनिवेश करने का निर्णय किया है।

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए और अपनी सीट पर बैठ जाएँ।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। महोदय, संपूर्ण तमिलनाडु विधान सभा इस प्रस्ताव को पारित करने में सर्वसम्मत थी कि इस उद्योग का विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। उसे सरकार के विचारार्थ भी भेजा गया था। लेकिन तत्कालीन सरकार जो वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक हिस्सा है। इस मुद्दे पर विचार करने में विफल रही और तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें अनुकूल उत्तर न मिल सका।

ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से मेरी यह प्रार्थना और मांग है कि सेलम इस्पात संयंत्र पूरे राज्य का एक गौरव है।

सभापति महोदय: आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएँ।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: यदि इसका विनिवेश किया गया, तो हमारा मंत्रालय से विश्वास उठ जायेगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएँ। आप 20 मिनट तक बोले हैं।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं-'सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश'। जब हम 'विनिवेश', शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं। हम विनिवेश क्यों करने जा रहे हैं? विभिन्न तरीके कौन-कौन से हैं? इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हैं? जब हम विनिवेश की पहल करें तो कौन-कौन सी पूर्व सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए।

55 वर्ष पहले, स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 में भारत के समक्ष उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के कारण वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति का संकल्प अस्तित्व में आया। इसके पश्चात् कमजोर औद्योगिक आधार और कमजोर बुनियादी सुविधाओं वाली कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक नीति को प्रभावित किया। गरीबी, आय की असमानता, गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन और प्रशिक्षित श्रम शक्ति के अभाव में देश इस चुनौती का सामना करने के लिए मज़बूर हुआ! इस प्रकार, तकनीकी दक्षता का अभाव और चुनौती स्वीकार करने की इच्छा का अभाव जैसे विभिन्न कारणों से निजी क्षेत्र उत्तरदायित्व वहन करने के लिए तैयार न था, इसलिए उस समय की सरकार को सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना पड़ा।

परमाणु ऊर्जा, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता थी ताकि बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों का देश पर एकाधिकार न हो जाए। महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, भेषज उद्योग का तथा आम खपत की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले उद्योगों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता थी। इन्हीं कारणों से सरकार को 2,30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि से सरकारी क्षेत्र के 240 से अधिक उद्यमों का विकास करना पड़ा। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के पास 4 लाख करोड़ रुपये की धनराशि निधि के स्रोत के रूप में उपलब्ध थी। वर्ष 1998-99 में उन्होंने लगभग इतनी ही धनराशि का उपयोग किया। सरकारी क्षेत्र के लगभग 75 उद्यम सेवा क्षेत्र में हैं जबकि 160 विनिर्माण क्षेत्र में हैं।

वर्ष 1951 में, सरकारी क्षेत्र के केवल पाँच उद्यम थे जिनमें 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। वर्ष 1999 में, सरकारी क्षेत्र के लगभग 240 उपक्रम कार्यरत थे जिनमें 2,30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। इनमें से सरकारी क्षेत्र के 126 उपक्रम लाभ अर्जित करने वाले हैं और 106 घाटे में चलने वाले हैं। इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो इनसे 2,715 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। यह कुल पूँजी निवेश पर एक प्रतिशत लाभ भी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों ने राष्ट्र को क्या दिया है? इन्होंने लाभांश ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी संबंधी फीस व्यावसायिक और परामर्श फीस; विक्रय कर, निगमित कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि के रूप में कुल मिलाकर 46,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यही यदि निजी क्षेत्र के उद्यम होते, तो इनसे इसका दस प्रतिशत भी नहीं आता। इसने रोजगार सृजन, विद्युत, कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, उर्वरक, धातु आदि के उत्पादन में योगदान दिया है।

1951 में जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बनाए गए थे, तो इन उद्यमों के प्रबंधक और कर्मचारी ऐसा महसूस कर रहे थे मानो वे

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार के नए नवेले दामाद हों। परिवार के दामाद भी एक आयु के पश्चात् दूल्हे का अवतार त्याग कर एक परिवार के सदस्य के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। किन्तु 40 वर्षों के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के प्रबंधक और कर्मचारी अपने को नए नवेले दुलहे के रूप में ही महसूस कर रहे हैं।

हम कई ऐसे कारण गिना सकते हैं जिनकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निजी प्रबंधन के लिए परिपक्वता की अवस्था में पहुँच चुके हैं। 24.7.1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में इस बात की कल्पना की गई थी कि इन उद्यमों के कार्यनिष्पादन और उनके अनुशासन में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिन्दें उद्यमों में सरकारी शेयरों का विनिवेश किया जाए। दिनांक 23.8.1996 को पारित एक संकल्प में सरकार द्वारा विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। देश में विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य बहुत अंधकारमय है। देश को 50,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की जरूरत है। इसके लिए लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए का निवेश किये जाने की आवश्यकता है। यह आज की तारीख में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उद्यमों में भारत सरकार के कुल निवेश से कहीं अधिक है।

हमारा विकासशील देश इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने बलबूते पर इतना बड़ा निवेश कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगभग 19 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से 2.27 लाख कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया है। इससे एक बार फिर भारी वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है। ये सभी बातें विनिवेश की आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता को दर्शाती हैं।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चन्द्रबाबू नायडू के कुशल मार्गदर्शन में, तेलगु देशम पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से विनिवेश का स्वागत करते हैं, बशर्ते कि वह विनिवेश सावधानी से किया जाए। परमाणु, ऊर्जा, रक्षा जैसे कोर सेक्टर को फिलहाल हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए। हम सभी बिन्दुओं पर विचार करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का समुचित और भरपूर पैकेज देने या जैसाकि प्रचारित है, ''स्वर्णिम बिदाई' देने का सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों को इन योजनाओं के कारण किसी परेशानी में नहीं रखा जाना चाहिए। विनिवेश प्रक्रिया अत्यंत ही सावधानी से शुरू की जानी चाहिए। ब्रांड इक्विटी पर विचार किया जाना चाहिए। परिसंपत्तियों की विशाल सूची को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दशकों पूर्व खरीदी या अर्जित की गई असली संपदा के मूल्य का वर्तमान परिदृश्य में फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल अनुकूल और सक्रिय साझीदार और सहयोग को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थानों के लिए डूबते ऋण का सृजन करने वाले जाने-माने चूककर्ताओं और कम्पनियों, अर्थात् जिन्होंने अपने हित में व्यक्तिगत संपत्ति का सृजन किया है, के हाथों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नहीं दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे उद्यमों को हमारे देश में व्यवसाय के इच्छुक ऐसे देशों के व्यावसायिक समूहों की जंजीर में नहीं जकड़ा जाना चाहिए जिनसे हमारे दोस्ताना संबंध नहीं रहे हैं। कर्मचारियों और राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। सरकार को इस प्रक्रिया में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश देने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए।

सरकार को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और प्रत्येक 3 से 6 महीने पर विनिवेश से पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करनी चाहिए। इससे अनुभव प्राप्त करना चाहिए, फूंक-फूंककर कदम रखने चाहिए और जब कभी भी जरूरत पड़े सुधारात्मक कदम उठाकर धीरे-धीरे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि सरकार माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री, माननीय योजना और विनिवेश मंत्री के उचित दिशा-निर्देश में और हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू जो हमारे नेता भी हैं, के समुचित सलाह से निश्चय ही देश के स्वर्णिम भविष्य की तलाश करेगी।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने विनिवेश पर बारंबार चर्चा की मांग करने के लिए हमारी हंसी उड़ानें की कोशिश की थी। शायद माननीय मंत्री भी ऐसा ही कहेंगे। वे पहले भी ऐसा ही कहते रहे हैं। किन्तु, मुझे अफसोस है कि जिस महत्वपूर्ण तथ्य पर हम उद्देश्यपूर्ण चर्चा की मांग कर रहे हैं उस पर सरकार की वैसी प्रतिक्रिया नहीं रही है जैसी कि किसी जिम्मेवार सरकार की होनी चाहिए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारत की जनता के खून पसीने से सींचकर बनाने में वर्षों लगे थे। आज ऐसा जान पड़ता है कि सरकार आधुनिक भारत के इन मंदिरों में सहज अरुचि का प्रदर्शन कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद कर इन्हें नष्ट करने की हर कोशिश की जा रही है।

मैंने सुना है कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने विनिवेश के बारे में अपने ढंग से विस्तार से बताया है ताकि उससे प्राप्त संसाधनों को सामाजिक क्षेत्र अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में लगाया जा सके।

किन्तु सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इसने उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक क्या किया है। मैं इस सरकार द्वारा लाए गए विनिवेश के दर्शन के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ।

[श्री पवन कुमार बंसल]

हमारी पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम विनिवेश का विरोध नहीं करते है, किन्तु जिस तरीके से यह पूरा काम किया जा रहा है, सरकार जिस ढंग से इस पर काम करने जा रही है उन पर हमें कुछ गंभीर आपत्तियां हैं।

महोदय मैं केवल वीएसएनएल अर्थात् विदेश संचार निगम लिमिटेड का उदाहरण देना चाहूंगा और अपने को इसी पर सीमित रखना चाहूंगा। 31.7.2000 के एक प्रश्न के जवाब में संचार मंत्री ने कहा था कि सरकार ने वीएसएनएल के निजीकरण का प्रस्ताव नहीं किया था। ऐसा 31.7.2000 को कहा गया था। उसके ठीक एक महीना बाद एक अन्य प्रश्न के जवाब में माननीय विनिवेश मंत्री श्री अरुण शौरी ने कहा था कि सरकार ने एमटीएनएल और वीएसएनएल के मामले में आगे विनिवेश करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। तत्पश्चात् 1.12.2000 को एक बार फिर माननीय मंत्री द्वारा इस सभा को बताया गया था:

> ''सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के प्रस्ताव का विचार एक निरंतर प्रक्रिया है। वीएसएनएल में सरकार के शेयरों को न्यूनतम स्तर तक कम करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।''

जहां तक मेरा विचार है, इसके बाद अचानक 1.2.2001 को मंत्रिमंडल वीएसएनएल के 26.97 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश का निर्णय लेता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सरकार के विरुद्ध मेरा यही आरोप है। सरकार यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कड़े अनुशासन में रखने का निर्णय लेती है, तो यह सुनिश्चित करना उसका कर्त्तव्य होता है कि अधिक से अधिक लाभ का अर्जन करने वाली अमुक कम्पनी को सामाजिक क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए जिसके बारे में सरकार बार-बार बात करती है।

लेकिन, दरअसल होता क्या है? महोदय, मैं एक बार फिर 20.11.2000 को इस सभा में दिए गए एक अन्य उत्तर को बताना चाहता हूँ। माननीय संचार मंत्री ने इस प्रश्न पर सहमति जताई थी कि दूरसंचार के क्षेत्र में त्वरित गति से सुधार का परिणाम यह हुआ है कि वीएसएनएल और एमटीएनएल के शेयरों की कीमत में 50 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। महोदय, सरकार द्वारा स्वीकारात्मक रूप से जो कारण बताए गए थे वे इस प्रकार हैं:

> ''गत छह महीनों के दौरान वीएसएनएल के शेयर मूल्य में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। शेयर मूल्य के, नीचे गिरने के मोटे तौर पर दो कारण हैं, पहला समग्र सेंसेक्स में गिरावट और दूसरा केबल कनेक्टिविटी सहित अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी पर वीएसएनएल के एकाधिकार को समय से पहले वापस किए जाने के मामले में सरकार द्वारा की गई कतिपय घोषणाएं।''

यही मूल बात है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार भी अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी पर वीएसएनएल के एकाधिकार को 31.3.2004 तक बनाए रखना था। अब इसके कारण क्या थे, सरकार से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं नहीं जानता कि किस बोली के तहत इसे दो वर्ष पहले ही वापस ले लिया गया। यहाँ सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि यह सरकार की इस घोषणा के कारण हुआ कि वीएसएनएल का शेयर मूल्य 50 प्रतिशत तक गिर गया है। जहाँ तक सरकार के रुख का सवाल है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है और सभा में भी देखने को मिला है, वह यह था कि सरकार ने वीएसएनएल में विनिवेश का प्रस्ताव नहीं किया था।

मेरा आरोप है कि दरअसल सरकार के दिमाग में विनिवेश की बात थी। सरकार ने इस निर्णय की जानकारी संसद को नहीं दी। दूसरी ओर कतिपय ऐसे निर्णय जानबूझ कर लिए गए जिनसे वीएसएनएल को काफी नुकसान पहुँचा है। अब आप वीएसएनएल को बेचेंगे, तो आपको इसका क्या मूल्य मिलेगा? भले ही इसमें आपका शेयर 26.97 प्रतिशत ही क्यों न हो। वर्ष 1997-99 में जब सरकार ने जीडीआर आदि के माध्यम से इस नवरत्वन का कुछ हद तक विनिवेश किया था, तो उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोनी में वीएसएनएल का एकाधिकार वर्ष 2004 तक रहेगा। अब, सरकार के व्यवहार करने का यही तरीका है? क्या यह वही चीज है जिसे इस सरकार ने उस अमेरिका से सीखी है जो उस पर कतिपय शर्तें लगाता है, किन्तु फिर अपनी ही वचनबद्धताओं से मुकर जाता है और दबाव देकर दूसरों को अपनी शर्तें मनवाने के लिए बाध्य करता है। क्या इस सरकार का अब यही काम है? कुछ वर्ष पहले जब इसने इक्विटी में कतिपय भागीदारी का अनुरोध किया गया था तो इसने सभी लोगों को विधिवत् आश्वासन दिया था। अब उन लोगों के साथ उसने क्या किया है। उसकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि मेरी सूचना सही है, तो जिन लोगों ने वीएसएनएल में पहले निवेश किया था; आज वे अपने को इस मामले में ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने वीएसएनएल के अधिकार को समय से पहले ही समाप्त करने का निर्णय कर लिया। जिसका नतीजा हुआ कि इसके शेयरों में भारी गिरावट आ गई है और सरकार अब इसे बेचने पर विचार कर रही है। सरकार के इसी रवैया पर हमें गंभीर आपत्ति है। सिर्फ यही नहीं एकाधिकार की समाप्ति को आगे बढ़ाने हेतु एक निर्णय लिया गया और तब विदेश संचार निगम (वीएसएनएल) ने सोचा कि ''अच्छा, हम विभिन्न क्षेत्रों में आने का प्रयास करें और इसलिए वीएसएनएल ने चौथे सेलुलर लाइसेंस के लिए आवेदन किया। यह विवेकपूर्ण निर्णय था। मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि पिछले कई वर्षों में वी एस एन एल ने अपने व्यावसायिक प्रबंधन कौशल के कारण बहुत अच्छा कार्य किया है।

1999 में जब कतिपय शेयर को घरेलू बाजार में बेचे गए थे तब खरीद के लिए सात गुना आमंत्रण आया था। यह लोगों की नजर में सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम की साख अथवा महत्व को दर्शाता है? वीएसएनएल पर अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन क्षेत्र में एकाधिकार की समाप्ति को पूर्वित करने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय थोपे जाने के बाद वीएसएनेल ने सेलुलर सेवाओं में आने का सोचा। हम यह जानकर भौचक्के रह गए कि सरकार ने वीएसएनएल को इस अनुपयुक्त और अंतर्विष्ट आधार पर आवेदन नहीं करने का आदेश दिया कि चूंकि वी एस एन एल में सरकार की इक्विटी और भारत संचार निगम लिमिटेड पहले से ही सेलुलर सेवाओं का संचालन कर रहा है इसलिए दो सरकारी कंपनियां मोबाइल सेवाओं में, एक ही क्षेत्र में बोली नहीं लगा सकती। यह एक बेतुका तर्क है। इसका ठोस परिणाम यह रहा कि वी एस एन एल बेकार हो रही है और यह विकास करने, प्रगति करने और अपनी परिसम्पत्ति में सुधार करने में अक्षम रही है। इसलिए जब इसकी नीलामी की बोली लगाई और मंत्रीजी ने ऐसा करने का निर्णय किया तो इसका परिणाम हमारे सामने है।

महोदय मेरा कहना है कि यदि सरकार सचमुच में विनिवेश करना चाहती है तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वे मामले को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं? क्या वे न्यूनतम संभाव्य मूल्य का संग्रह करने के इच्छुक हैं अथवा क्या उनकी सनक सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का विनाश करने की है जो पिछले कई वर्षों में तैयार किये गए हैं? सरकार के कार्य-संचालन को देखने पर हम सिर्फ इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनकी इस बारे में बहुत कम दिलचस्पी है कि वास्तव में विनिवेश से हमें क्या मिलेगा।

मैं दस्तावेजों को देख रहा था। अपने दस्तावेजों में उन्होंने कहा है कि ''यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि कंपनी लाभार्जन कर रही है अथवा नहीं?'' यह सरकार की सोच नहीं है। सरकार ने उन सभी कंपनियों का विनिवेश करने का निर्णय किया है। उनका यही कहना है। लोक सभा में सी पी आई (एम) पार्टी के माननीय नेता संचार मंत्रालय के कुछ निगमों और कंपनियों का उल्लेख कर रहे थे जो इन सभी कंपनियों को हुए सतत लाभ की धनराशि के बारे में था। हो सकता है कि उनका भी यही हश्र हो।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यदि आप कहें तो मैं बैठ जाऊँगा। वास्तव में मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है।

सभापति महोदय: ठीक है। आप जारी रखें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कम से कम समय लूँ।

सभापति महोदय: ठीक है, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इस चर्चा पर पहले दो वक्ताओं में प्रत्येक ने लगभग 50 मिनट का समय लिया है। मैंने कितना समय लिया है?

सभापति महोदय: मैं कह रहा हूँ आप अपनी बात जारी रखें।

श्री पवन कुमार बंसल: जो कुछ भी हो, अब मैं जारी नहीं रख पाऊँगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। लेकिन चर्चा के अंतिम दौर में वास्तव में मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं मात्र कुछेक मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

महोदय, सर्वप्रथम विनिवेश अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। यह उद्देश्य पाने का साधन है। वास्तविक उद्देश्य यह है कि क्या सरकार उस भारी वित्तीय उत्तरदायित्व से उबरने जा रही है। जिसे जबरदस्ती सरकारी उपक्रमों के संबंध में स्वीकार कर लिया गया है तथा जिसके कारण यह अनेक क्षेत्रों में अपने आरंभिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती है।

एक सरकार जो देश के सभी गांवों में नि:शुल्क आरंभिक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती; एक सरकार जो देश के सभी गांवों में पेय जल नहीं प्रदान कर सकती उस सरकार को साइकिल बनाने, होटलों को चलाने और एयर इंडिया के संचालन पर धन खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। यही मुख्य मुद्दा है।

महोदय, किसी ने उल्लेख किया है कि सरकारी क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। कुछ समय पहले मैंने अनुमान लगाया था कि भारत के संपूर्ण सरकारी उपक्रमों में छह लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। मैंने इसमें परिवहन कंपनियों के साथ-साथ विद्युत बोर्डों को भी शामिल किया है। हमारी अर्थव्यवस्था में यह बहुत बड़ी धनराशि है। अर्थव्यवस्था में सुधार के किसी भी प्रयास को सरकारी उपक्रमों की ओर केन्द्रित किया जाना चाहिए। मुझे खेद यह है कि विनिवेश को कभी-कभी समाप्ति के रूप में देखा जाता है। यदि संपूर्ण सरकारी उपक्रम पांच अथवा दस प्रतिशत की दर से भी लाभ देते तो सरकार की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था की स्थिति आज से ज्यादा बेहतर होती।

[डा. नीतिश सेनगुप्ता]

महोदय, हमें भूमंडलीकरण के अनुभव से अवश्य सीख लेनी चाहिए। विनिवेश अथवा मैं यह कहूँ कि सरकार द्वारा गैर महत्व वाले क्षेत्रों से धन वापसी ले कर उसे निजी क्षेत्र में निवेश करना एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो ब्राजील से बांग्लादेश और रूस तथा चीन से सेशल्स और मारीशस तक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में अग्रसर है। यह पूरे विश्व में घटित हो रहा है। भारत एक महत्वपूर्ण अपवाद रहा है जिसने इसका विरोध किया है?

महोदय, मुझे खेद यह है कि जब सीपीआई (एम) और कांग्रेस के हमारे मित्र सत्ता पक्ष में थे तब उन्होंने विनिवेश का विरोध नहीं किया। हम उस समय के सभी दस्तावेजों को देख सकते हैं। उन्होंने विनिवेश का समर्थन किया है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे विनिवेश के मुद्दे पर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास नहीं करें और विनिवेश को निष्पक्ष भाव से देखें और इसे एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हमने कांग्रेस में कभी भी विनिवेश का विरोध नहीं किया। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं सिर्फ ऐसे नीतिगत दस्तावेजों का उल्लेख कर रहा हूं जब सीपीआई (एम) और कांग्रेस सत्तारुढ़ थे और ये कागज उसके शासन में तैयार किये गए थे। सीपीआई (एम) पश्चिम बंगाल में विनिवेश करने का प्रयास क्यों कर रही है? वहां के ग्रेट इस्टर्न होटल का उदाहरण हमारे सामने है।

महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यदि किसी सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है तो कतिपय मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जो केवल सरकार ही कर सकती है और दूसरे नहीं कर सकते और बहुत सारी दूसरी अन्य बातें हैं जिसे दूसरों द्वारा निपटाने हेतु छोड़ा जा सकता है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण हो चुकी है।

महोदय, एयर इंडिया का उदाहरण दिया गया। यह कैसे संभव हुआ कि एक विशेष समय में एयर इंडिया लाभ अर्जन कर उड़ान भर रही थी और आज एयर इंडिया की तुलना में छोटे एयरलाइंस जैसे सिंगापुर एयरलाइन्स और थाई एयरलाइन्स एयर इंडिया से ज्यादा लाभ अर्जन कर उड़ान भर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि एयर इंडिया सरकारी उपक्रम है। एयर इंडिया को एक विमान प्राप्त करने के लिए पहले उन्हें नागर विमानन मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजना होता है, फिर वित्त मंत्रालय के पास और तब फिर योजना आयोग के पास। योजना आयोग में रहने के कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि योजना आयोग अपने पास उपलब्ध सीमित धनराशि के आधार पर एयर इंडिया और शहरी परिवहन प्रणाली के बीच आवश्यकताओं का निर्णय करती है और कहती है कि इस समय एयर इंडिया को विमान की आवश्यकता नहीं है और योजना आयोग शहरी परिवहन प्रणाली को धन राशि देगी। इसलिए एयर इंडिया सिंगापुर एयरलाइन्स अथवा थाई एयरलाइन्स की तुलना में पिटती है।

इसे सरकार की अर्धानता से बाहर निकालिए। सरकार की हिस्सेदारी को कम करके न्यूनतया 50 प्रतिशत से नीचे लाइए। फिर यह सरकारी कम्पनी नहीं रहेगी। तब फिर धनराशि की भी समस्या नहीं होगी। अंतर-राष्ट्रीय बाजार में कितने ही वित्तपोषक मिल जाएँगे, जो 'एयर इंडिया' में धन लगाने को तैयार होंगे और तब 'एअर इंडिया' बेहतर ढंग से प्रतिस्पर्धा में उत्तर सकेगी। जिन कम्पनियों का मैंने नाम लिया, उनका उदाहरण लीजिए-थाई, सिंगापुर और ताइबानीज एयरलाइन्स। ये सभी सरकारी कम्पनियाँ थीं। हम देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र को दिए जाने के बाद आज वे कितना बढ़िया कामकर रही हैं। 'ब्रिटिश एयरवेज' का क्या अनुभव रहा? तो, निजीकरण या विनिवेश कोई ऐसी चीज नहीं, जिसकी खिल्ली उड़ाकर उसे हँसी में टाल दिया जाए। यह अटल है और एक बार इस रास्ते पर जाकर पीछे नहीं लौटा जा सकता। कहा जा सकता है कि यदि सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन करना है, तो भविष्य में बड़े पैमाने पर विनिवेश या निजीकरण से किसी की तरह पीछे नहीं हटा जा सकता।

इसके बाद मैं आज की स्थितियों के बारे में कहना चाहूँगा। क्या ये स्थितियाँ विनिवेश के लिए ठीक हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। सबसे पहले तो सरकारी क्षेत्र की दशा सुधारी जानी चाहिए। नहीं तो, उनमें से बहुतों को तो खरीदेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि, आज पूंजी-बाजार की क्या स्थिति है? पिछले एक साल से पूंजी-बाजार में एक भी सार्वजनिक निर्गम नहीं आया। यह ऐसी बात है कि जो कभी सुनी ही नहीं। यह तबसे शुरू हुआ है, जबसे पूंजी-निर्गम पर नियंत्रण समाप्त किया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में आकर 90 के दशक में सरकार ने पूंजी-निर्गम पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया, जबकि यहीं एकमात्र ऐसा नियंत्रण था, जिसे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा था और इससे आम निवेशक के हितों की रक्षा हो रही थी। इससे आम निवेशक को निकाल बाहर कर दिया गया। मूल्यन को नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया। शेयरों के मूल्य-निर्धारण हेतु पूंजी-निर्गम मार्गनिर्देश जारी करने वाले नियंत्रक के स्थान पर स्वतंत्र-मूल्यन की अनुमति दे दी गयी। एकमात्र इसी बात को मैं परवर्ती समस्याओं का कारण मानता हूं। आम निवेशक को लोभी साहूकारों और बेईमानी कम्पनी प्रोमोटरों के जाल में फँसने के लिए छोड़ दिया गया। आम निवेशक को दूसरे के काम में पड़कर हानि उठानी पड़ी और उसने पूंजी-बाजार को छोड़ देने का फैसला

किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज पूंजी बाजार एकदम निश्चेष्ट है। जब प्राथमिक बाजार की दशा ही ऐसी हो, तो ग्राहक आयें कहाँ से? कौन है खरीदार? पिछले कई महीनों में द्वितीयक बाजार भी मृतवत् स्थिति में है। तरलता नाम की कोई चीज नहीं है। कोई खरीदता नहीं; कोई बेचता नहीं। हम एक विचित्र स्थिति मे हैं जहाँ हम विनिवेश करने का जितना बड़ा स्वप्न देखते हैं उतना ही वह असम्भव जान पड़ता है। स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं हैं।

सबसे पहले तो सरकारी क्षेत्र की दशा सुधारनी होगी। जहाँ यह दशा सुधरी है या एकांगी आधार पर ही धनार्जन किया जा रहा है, वहाँ विनिवेश सम्भव है। लेकिन तब भी, सरकार की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से कम कीजिए ताकि उन पर चस्पां 'सरकारी उद्यम' वाला लेबल हट सके जिसके अनुसार किसी भी बात के लिए सरकार की तरफ दौड़ना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र के तंत्र को पूर्णरूपेण तुलन-पत्रक तथा लाभहानि पत्रक के अनुशासन के अधीन कर दीजिए। घाटे में चल रही कम्पनियों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाये। एक बार उनकी दशा भी सुधार दी जाये, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्राहकों की कमी न रहेगी। अतएव, यह विनिवेश के बारे में बहुत गंभीर हो जाने का समय नहीं है।

दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक है। हमारी गतिविधियों से यह संदेश जाता रहा है कि जैसे हम औने-पौने दामों में ही बिक्री कर रहे हैं और सरकार सरकारी क्षेत्र से अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए व्यग्र है। ग्राहक बहुत चतुर आदमी होता है। यह क्यों होता है कि वे लोग आते हैं और चले भी जाते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि आखिर हार थक करके सरकार को उनके पास आना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार के प्रवक्ता थोड़ा शांत रहें, धैर्य रखे, स्थितियों पर गौर करें और मौज में आकर ही कोई घोषणा न करे-जैसा वी.एस.एन.एल. के प्रकरण में हुआ; श्री पवन कुमार बंसल ने जिसका अभी उल्लेख किया। बुनियादी बात यही है कि विनिवेश के लिए थोड़े और समय रुका जा सकता है। इस व्यय को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की दशा सुधारने में लगाया जाये।

ऐसे अनेक सरकारी उद्यम हैं जिनकी स्थिति चिंताजनक है; ऐसा अंशत: तो निवेश-संबंधी गलत निर्णयों की वजह से हुआ और अंशत: इसलिए कि सरकार ने हड़बड़ी में ऐसे अनेक निजी उद्यमों को ले लिया, जो पहले से ही रुग्ण स्थिति में थे। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बात की जा चुकी है। जी हाँ, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, बम्बई गये थे और वहाँ उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी कम्पनियां हड़ताल कर रही हैं, उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा रहा है। उस समय वित्त मंत्रालय से परामर्श तक नहीं किया गया। मैं 80 के दशक की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। वे सभी कम्पनियाँ सरकार के प्रबंधनाधीन अवश्य हो गयीं, लेकिन वे एक ऐसे ऐन मौके पर आयीं जबकि एकीकृत मिलों की आवश्यकता नहीं रह गई थी, चूंकि प्रौद्योगिकी बदल गई थी। हम मान सकते हैं कि प्रौद्योगिकी बदल गई थी और फिर सब कुछ 'भिवंडीवालों' यानी, विद्युतकरघों के माध्यम से होने लगा। एकीकृत मिलों की फिर और आवश्यकता नहीं रही। यह वह समय था जब, राजनैतिक बाध्यताओं के चलते, सरकार ने उन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया।

तब से हम केवल नकद घाटा भर पूरा कर पा रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें विविधीकृत करने के बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं।

अतएव, महोदय, पहली बात तो यही कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की दशा सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। विनिवेश के विषय में, मेरा अपना मानना यह है कि सरकार को अर्थक्षमताविहीन उद्यमों के अलावा, जिन्हें 'जैसा है, जहां है' आधार पर बेचा जा सकता है, और जिनकी किसी प्रकार के पुनरुद्धार की संभावना न हो और जो आने वाले समय में सरकार के गले की फांस बनने वाले हैं को लेकर अपनी हिस्सेदारी की समीक्षा करनी चाहिए, इनसे पूरी तरह हटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

इस मामले में रंगराजन समिति ने इस बाबत एक सुंदर सूत्र दिया कि किस प्रकार हिस्सेदारी को कम किया जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मैं यह अनुभव करता हूँ कि विनिवेश आयोग ने कुछ अधिक काम किया नहीं है। कुछ भी हो, जब मंत्रालय बना दिया गया है तो फिर विनिवेश आयोग की आवश्यकता ही क्या है? यह फिर बताता है कि राजनैतिक कारणों से ऐसा किया गया है। महोदय, आपके और मेरे बीच की बात है, श्री अरुण शौरी आज पिछले तीन दशकों से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। विनिवेश को विचार तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि विनिवेश मंत्रालय का सृजन सही निर्णय नहीं था। मैं समझता हूँ कि इसका फैसला वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए था। मेरा विचार है कि विनिवेश मंत्रालय इस मामले में ऐसा ही रहेगा; जैसे गाड़ी का पांचवां पहिया-जो कोई खास मदद नहीं दे सकता। ध्यान दें, ये सब लोग बहुत विश्वस्तरीय लोग हैं। किंतु मुझे यही लगता है कि विनिवेश करने का यह वही समय नहीं है। पूंजी बाजार वाले कारक को अधिक महत्व दिया जाता, तो ठीक होता।

महोदय, मेरी आखिरी बात शेयरों के मूल्यांकन के बारे में है। इन्हें सी.सी.आई. के मार्गनिदेशों को ही लाने की कोशिश करनी चाहिए। अट्टागत नकदी के प्रवाह के बारे में बार-बार उल्लेख

[डा. नीतिश सेनगुप्ता]

किया जा रहा है। मेरा अनुभव यह है कि मैंने कभी यह नहीं पाया कि शेयरों के मूल्यांकन में बट्टागत नकद-प्रवाह कोई साधारण मापदण्ड रहा हो। मुझे नहीं पता कि सरकार में इसे किसने चलाया। नब्बे के दशक में किसी समय यह पद्धति चलाई गई थी। लेकिन आज तक इसे पालित किया जा रहा है। आप सी.सी.आई. के मार्गनिर्देशों को ही वापस लायें।

अतएव, मेरा कहना यही है कि दीर्घावधिक परिदृश्य में विनिवेश अपरिहार्य है अवश्य, किन्तु यह समय उसके लिए सही नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की दशा को सुधारकर उन्हें ऐसी स्थिति में लाने पर अधिक विचार होना चाहिए जहाँ वे लाभार्जक और विक्रययोग्य बन सकें और आधार संरचना में सुधार किया जाना चाहिए; विशेषकर, पूंजी बाजार की स्थिति में।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, विनिवेश नीति पर अनेक बार बहस हो चुकी है। माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय कहेंगे कि बार-बार इस पर बहस हो रही है और बहुत से सवालों का हम उत्तर दे रहे हैं फिर भी लोग बहस से नहीं मान रहे हैं। अफरा-थपरी की हुई है कि जल्दी-जल्दी बेचो। पहले डिसइनवेस्टमेंट कमीशन था, उसे उन्होंने खत्म कर दिया था लेकिन फिर सुनते हैं कि डिसइंवेस्टमेंट कमीशन बना दिया है और दावा किया है कि इसलिए बनाया है ताकि जल्दी-जल्दी बेचें। पहले विनिवेशीकरण, निजीकरण, विदेशीकरण और फिर देश-बेचीकरण- यह सब क्या है, जिस पर बता रहे हैं। नाम इसका विनिवेशीकरण है लेकिन यह निजीकरण कर रहे हैं, फिर विदेशीकरण और फिर इसके बाद देश-बेचीकरण करेंगे। यह काम धंधा है और इस संबंध में हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठाया। पहले डिसइंवेस्टमेंट के खिलाफ हम बोले हैं तो कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने इसे शुरू किया। हम लोगों के जमाने को कह देते हैं कि यूनाइटिड फ्रंट में भी यह जारी था। मान लिया कि डिसइंवेस्टमेंट करने का विचार था और यह पहले से भी होता रहा है लेकिन क्या हमने सात-पांच में उन्हें बेच दिया? माननीय मंत्री जी की यह परिभाषा में है क्योंकि उन्होंने जवाब में कहा था कि सीएजी को दे देंगे। सीएजी को जांच के लिए दे देंगे और जांच में यदि घोटाला पाएंगे तो फिर हमारी सम्पत्ति कैसे लौटेगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री जी बड़े मशहूर पत्रकार रहे हैं और लिखा-पढ़ी में होशियार हैं। वह खोजी-पत्रकारिता के भी पक्षधर हैं।

तहलका की जांच के लिए वैंकटस्वामी कमीशन बना। उसकी टेप लीक हुई। इन्हीं के अखबारों में लिखा है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने सफाई में बयान दे दिया कि लीक रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे। कहा कि यह खराब चीज इस्तेमाल हुई है। माननीय मंत्री जी कहते हैं, खोजी पत्रकारिता में किसी चीज का इस्तेमाल करके, ठीक कहा जो पत्रकार रहे हैं। एक माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, ब्यान दे दिया कि खोजी पत्रकारिता पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह से दोहरा मापदंड चल रहा है, इस सरकार में ...*(व्यवधान)* जनसत्ता ग्रुप का है इंडियन एक्सप्रैस, एक हिन्दी में है और दूसरा अंग्रेजी में है। हिन्दी वाले में जो छपा है, सीएंडएजी ने भी माना कि माडर्न फूड के सौदे में घपला था। यह हैंडिंग है और नीचे सारी रिपोर्ट छपी है। कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं निकली है और सीएंडएजी की नहीं। अब आप पर हमारा आरोप है कि आप सीएंडएजी की रिपोर्ट को दबा दिए हैं ...*(व्यवधान)* आप जिस ग्रुप में थे, वह अखबर छापा है। हम कैसे इसको डिनाई करें। नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक, सीएंडएजी, की रिपोर्ट सरकार ने उजागर हो जाने दी, तो विनिवेश नीति की कलई खुल जाएगी। आपकी कलई उतार रहा है यह अखबार। जिस ग्रुप में आप थे। इसके अब कैसे कहें कि गलत है। इसमें एक-एक बात है। विनिवेश विभाग ने इन आपत्तियों पर जो जवाब दिए हैं, उन पर नजर डालने से साफ हो जाता है कि विनिवेश मामले में सरकार किसके हक में सोच रही है। इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट छापी हुई है। उसको दबाकर कहते हैं कि नहीं मिली। मतलब यह कि कहां-कहां घूमकर चिट्ठी गई, लेकिन कहते हैं कि हमको नहीं मिली। इसकी जांच होनी चाहिए। अखबारों में तो डिटेल्ड रिपोर्ट छपी है। खास करके जिस अखबार में, जिस ग्रुप में आप थे, उस वाले अखबार में लिखा है, उसको नहीं कह रहा हूं, छापा है। देर-सवेर होगी, आप इस स्थिति को कबूल करें, यदि सीएंडएजी की रिपोर्ट आ जाएगी कि माडर्न फूड में घपला हुआ है, तो आपको कौन दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपैरेंसी के नाम पर कह दिया है कि सीएंडएजी को दे दिया है। सीएंडएजी अगर आपको कसूरवार साबित कर दे कि घपला हुआ है, तो क्या इलाज होगा और आप उस समय दंड के क्या भागी होंगे ...*(व्यवधान)* जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर, श्रीमती जयंती घोष हैं। राष्ट्रीय सहारा में छापा है-लूट खसोट का नया तरीका है, विनिवेश। अर्थशास्त्री केप्रोफैसर साहब ने लिखा है ...*(व्यवधान)* आप तो पढ़े-लिखे होशियार है। पत्रकार हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, हम कभी कभी पूर्जा लेकर भाषण नहीं दिए हैं, लेकिन आज मन हुआ कि कल जो इंडियन एक्सप्रैस में छपा है और उस पर जो धूमधड़ाका हो रहा है, तहलका पर, मन हुआ कि सहारा लें। इसको बतायें कि क्या अखबार हैं और क्या ये लोग हैं तथा क्या ये लिखते हैं। अभी बोलेंगे, उस समय लिखते थे, अभी लिखते हैं, कौन बात सही है ...*(व्यवधान)* अखबार लिखता है और प्रोफैसर साहिबा लिखती हैं-यह कड़वा सच कहा जाए, तो निजीकरण के माध्यम से सरकार में बैठे लोग काली

कमाई कर रहे हैं। पहले बड़े टैन्डर्स, कोटा, परमिट के आवंटन में भ्रष्टाचार के जरिए धन कमाते थे, परन्तु उदारीकरण के बाद लाइसेंस, कोटा, परमिट राज खत्म हुआ, सरकार के बड़े अधिकारियों में खलबली मची और अब सरकारी उपक्रमों को सस्ते दामों में बेचकर काली कमाई करने का आसान रास्ता मिल गया है।

प्रो. साहिबा श्रीमती जयंती घोष, जो जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं उन्होंने लिखा है और मेरा कहना है कि जो गाइडलाइन्स हैं वे भगवान ने बनाई हैं या आपने बनाई हैं? आपने ऐसी गाइडलाइन्स बनाई हैं जो इन पूंजीपतियों और धनपतियों के फेवर में जाती हैं। ...*(व्यवधान)* जहां सरकार विक्रेता है और ये पूंजपति और धनपति क्रेता हैं। फिर कहते हैं कि बोली लगाएंगे। बोली लगाने में ठेकेदारी होती है और जो ये धनपति चाहते हैं ले लेते हैं। ...*(व्यवधान)* इन धनपतियों के आगे सरकार की कुछ चलती नहीं है और वे अपने फायदे के लिए सब कुछ सरकार से करा लेते हैं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: दूसरा मैं सीमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है? पहले ये धनपति उसको बंद करा देते हैं जिससे उसमें मंदी हो जाए और बाद में ये खरीद लें। इस तरह से ये सब बड़े-बड़े धनपति एक राय कर लेते हैं। अब अगर उनकी कम से कम बोली लगा देंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसने आपको अधिकार दिया है कि आप उसको सस्ते में बेचें। ...*(व्यवधान)* वह सब उन धनपतियों के हाथ में है वे जैसा चाहते हैं सरकार से करा लेते हैं। ...*(व्यवधान)* इन सब बातों पर सरकार की ओर से सफाई की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* ये तो राज्य सभा से आ गये। ये सब लोग मिलकर जो कहेंगे, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग हैं तो ...*(व्यवधान)* इनको बुद्धि वाला विभाग दे दिया, लेकिन कब पकड़े जायेंगे ...*(व्यवधान)* बाल्को मामला प्राइमा-फेसी देखने से लगता है कि मोटी-मोटी सम्पत्तियों को ये लोग बहुत कम दाम पर बिकवा रहे हैं, ...*(व्यवधान)* यह बात प्रो. साहिबा लिख रही हैं कि ये सब कम दाम में बिक रहा है।

दूसरा, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर हैं उनको खतरा है कि उनको निजीकरण के नाम पर निकाल दिया जाएगा। मारूति में 50-50 प्रतिशत की भागीदारी है। जो हैवी-इंडस्ट्री के मंत्री हैं वह सुजुकी के कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह ठीक है कि हड़ताल का राइट है लेकिन उसमें काम करने वाले 40 लोगों को निकाल दिया गया है और दस को बर्खास्त कर दिया गया है।

रात्रि 9.00 बजे

हमने इस बारे में सवाल उठाया था कि उन्हें काम से क्यों निकाला जा रहा है? मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये अपने ढंग से इसका डाइवर्शन कर रहे हैं। इससे वर्कर्स का अहित हो रहा है। इन दोनों चीजों पर सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं है। वह उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। हम इस पर घोर आपत्ति प्रकट करना चाहते हैं। डिसइनवैस्टमैंट नाम केवल धोखा देने के लिए है। यह निजीकरण है, विदेशीकरण है और देश बेचीकरण है। इनके साथी जो पुराने विचारक हैं, उन्होंने कहा कि देश बिक रहा है, अपराध हो रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है?

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, इसके पूर्व कि मैं विनिवेश के मुद्दे पर बोलूं, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की बात सुनने के बाद शेक्सपियर को उद्धृत करने के लिए बाध्य हो गया हूँ।

''नेवर डिड आई नो इट सो फुल वॉइस
इश्यूज फ्रोम सो इम्पटी ए हार्ट''

मैं समझता हूं ये उनके भाषण पर लागू होती है और संबंधित व्यक्ति पर नहीं।

नियम 193 और 184 के अंतर्गत काफी चर्चा के बाद जब मैं यहां विनिवेश पर बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि विपक्ष ने तरकस से अपने सारे तीर खो दिये हैं। यह तो केवल खीझ अथवा शब्दाडम्बर है। और आप यह बात तो मानेंगे ही कि विपक्ष के बहुत से नेता भारत के ''फिलोस्फिकल स्कूल ऑफ थॉट'' में से किसी एक सुन्दरतम स्कूल का अवलंबन लेने की कोशिश करते हैं और वह स्कूल ऑफ थॉट है ''न्याय वैशेषिक'' तो न्याय वैशेषिक का मतलब है कि तर्क और बहस सबसे ऊपर है लेकिन यहां इस बात का उल्लेख भी दिया जाये कि ऐसा लगता है कि जब किसी के पास तार्किक शक्ति अथवा तर्क अथवा बहस करने की शक्ति नहीं रहती है तो वह ''वितण्डा'' का सहारा लेता है। संस्कृत में ''वितण्डा'' का मतलब होता है कुतर्क, बिना तर्क या बिना किसी तथ्य के बहस करना। और विपक्षी सदस्यों ने पिछले तीन घंटों से ''वितण्डा'' का सहारा लिया है। ''वितण्डा'' का सहारा लेकर उन्होंने पारदर्शिता और मूल्यांकन पद्धतियों में दोष ढूंढने की कोशिश की है। यह कहते हुए मुझे दुख होता है कि श्री दासमुंशी ने उस जाली पत्र या उन जाली पत्रों पर गौर फरमाते हुए तथा उन्हें पढ़ते हुए जो नियमित मार्ग अथवा चैनलों के जरिये पारदर्शिता पर हमला करने का प्रयास

[श्री अनादि साहू]

किया है। जबकि ये सरकारी कामकाज के प्रयोग में लाये जाते हैं। ये पत्र ठीक ढंग से टंकिट भी नहीं थे।

इन पत्रों के संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें जोड़ी है। मुझे लगता है उन्हें मोतियाबिंद हो गया है, और जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने कहा है और जो कहा है उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। सी.बी.आई. नामक जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच कराएं और यदि जांच कराने के बाद दस्तावेज जाली पाये जायें, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मेरा तर्क स्वत: खारिज हो जाएगा और मैं व्यक्तिगत रूप से सभा के समक्ष माफी मागूँगा। लेकिन यदि जांच से यह साबित हो जाता है कि पत्र सही है, तो सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। बस।

मैं प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित दस्तावेजों पर भी कायम हूँ जैसा कि मैंने कहा है। मैं उसे मंत्री को भेजूंगा। यदि उन्हें लगता है कि यह गलत है तो वे इसकी जांच करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: महोदय, कृपा करके मुझे बोलने की अनुमति दें। उन्हें मेरे विचारों की अभिव्यक्ति में बाधा मत डालने दीजिए। मैं कह रहा था कि विपक्ष के सदस्यों का विचार अस्पष्ट है और यह अस्पष्ट इस मायने में है कि वे उन चीजों को और ढंग से देखते हैं जबकि वे उस तरह बिलकुल है ही नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार और कुशल मंत्री, श्री अरुण शौरी मोटर कार के अगले शीशे की तरह पारदर्शी हैं और विनिवेश प्रक्रिया तो बिल्कुल ही पारदर्शी है। मैं पारदर्शिता के संबंध में विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि समय ही इसको रोक पाएगा।

मुहैया कराई गई बुकलेट में तथा पहले दी गई बुकलेटों में भी इस बात का आभास मिला है कि मंत्री समूह, सचिव समूह और अन्य लोगों की राय पर विचार करके पारदर्शिता कैसे प्राप्त की जा सकी है। तो फिर जहां तक विनिवेश का संबंध है पारदर्शिता के बारे में किसी के दिमाग में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। परिसम्पत्ति मूल्यांकन पद्धति से संबंधित वितण्डा कोई दूसरा नहीं बल्कि श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा लाया गया है। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया उन कागजात पर नजर डालें जो पहले ही वितरित किये जा चुके हैं, परिसंपत्ति मूल्यांकन पद्धति शीर्षक के अंतर्गत यह कहा गया है:

> ''परिसम्पत्तियों के बेच दिये जाने अथवा ऐसी ही परिसम्पत्ति बनाये जाने के लिए अपेक्षित धनराशि से शेयरधारकों को प्राप्त होने वाली धनराशि का अनुमान लग जायेगा। लेकिन इस तरीके की गम्भीर खामियों के मद्देनजर किसी चालू फर्म के व्यापार मूल्यांकन के लिए यह तरीका बहुत ही कम प्रयोग में लाया जाता है।

मूल्यांकन पर विचार करते समय पूंजी बाजार के निवेश पर भी विचार करना होगा। मैंने अन्य तीन पद्धतियों की चर्चा नहीं की है क्योंकि उनमें ज्यादा समय लगेगा। मैं इसके विनिवेश वाले पहलू पर चर्चा करूंगा। मैं कतिपय तथ्य देने से पूर्व सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पत्ति की संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उस समय के कई राजनेताओं ने वर्ष 1965 में सोचा था कि चूंकि धन उपलब्ध नहीं है, चूंकि प्रौद्योगिकी विकसित नहीं है, चूंकि शुरुआती दौर बहुत लम्बी है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित हो जायेंगे। शुरुआत में पांच उपक्रम स्थापित हुए। ये पहली योजनावधि के दौरान स्थापित हुए। दूसरी योजनावधि में आठ उद्देश्य थे। आठ में से, तीसरा उद्देश्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निवेश पर लाभ अर्जित करें और इस तरह से विकास के लिए संसाधन सृजित करें। अन्य योजनाओं की चर्चा न करके मैं पांचवीं योजना की ही चर्चा करूंगा। पांचवीं योजना के दौरान प्रशासकों और योजना बनाने वालों के दिमाग में एक संदेह पैदा हो गया था। संदेह यह था कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अर्थक्षम हो सकते हैं और क्या निजी क्षेत्र को इसमें लाया जाये अथवा नहीं। इसलिए, उस समय योजना में विदेशी सहयोग लेने और साथ ही मौजूद देशी क्षमता के विकास के बारे में भी सोचा गया था और दोनों को एक ही पैकेज का हिस्सा समझा गया था। वर्ष 1980 में सरकारी क्षेत्र के बाहर सहयोग और भागीदारी की आवश्यकता महसूस की गई थी। अब, मैं आठवीं योजना पर आता हूँ। आठवीं योजना में यह पाया गया था कि संसाधन जुटाना एक बाधा है तो आप इस बात को तो मानेंगे ही कि 1991 से आज तक तैयार किए गए बजटों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन जुटाने के बारे में सोचा गया था। लेकिन पिछले आठ से नौ वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम वे कर मुक्त बांड जारी करने के बावजूद जो लोगों द्वारा नहीं खरीदे गए थे, केवल 47 प्रतिशत ही राजस्व जुटा पाए हैं। अंतराल को हमेशा बजटीय सहयोग से भरा गया था।

यहां मेरे दिमाग में एक कहावत कौंध रही है। वह यह है, ''गाय मारकर जूता दान।'' पीटर और पॉल ईसाई धर्म के बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति माने जाते थे। एक धर्मात्मा व्यक्ति को पैसा देने के लिए दूसरे धर्मात्मा व्यक्ति को लूटा जा रहा है। पिछले दस वर्षों में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए करदाताओं को लुटा जा रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ।

उदाहरण के लिए गत तीन वर्षों के बजट निष्पादन को लीजिए। ऋण माफ करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई। वर्ष 1998-99 में ऋण और पुनर्भुगतान के रूप में 572.99 करोड़ रुपये माफ किये गये।

1360.37 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया गया। दंडस्वरूप लाए गए ब्याज के रूप में 257.78 करोड़ रुपए माफ किए गए। 779 करोड़ रुपए के ऋणों के पुनर्भुगतान स्थगित करने की अनुमति प्रदान की गयी। कुल मिलाकर केवल एक वर्ष में 2970.65 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया, जो राजस्व के रूप में मिलना चाहिए था। मैं इसमें धन लगाये जाने की बात नहीं कर रहा हूं। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कहा है कि इसमें 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि लगायी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर इस धनराशि का उपयोग दूसरी तरह से किया गया होता तो इससे काफी लाभांश प्राप्त हो सकता था। सरकारी उपक्रमों ने मात्र 6.1% लाभांश अर्जित किया है, जबकि बैंकों में जमा इतनी धनराशि से 9.5% लाभांश अर्जित किया जा सकता था। इस प्रकार के सरकारी उपक्रमों को करदाताओं से प्राप्त धनराशि के द्वारा चलाने से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो सकती है। इसलिए धीरे-धीरे विनिवेश किया जाना आवश्यक है।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 240 है। इनमें से केवल 55 लाभप्रद हैं। जब आप नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को देखें तो पता लगेगा कि योजना बनाने वालों ने सोचा था कि विनिवेश से 10,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। लेकिन इससे कुछ नहीं मिला। मुश्किल से विनिवेश से 1500 करोड़ रुपए आये। हमें जो पत्र दिये गये हैं, उन्हें पढ़ने से आपको पता चलेगा कि सरकारी क्षेत्र के 127 उपक्रमों में कितना धन गंवाया जा रहा है। केवल एक वर्ष में 9274 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इतने घाटे और इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था कैसे जिन्दा रह सकती है? इसीलिए विनिवेश करना जरूरी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम घाटे में चलने वाली इकाईयों का विनिवेश क्यों न करे? बात यह है कि घाटे में चलने वाली इकाई की पतवार को कोई नहीं थामेगा। केवल लाभ कमाने वाले प्रतिष्ठानों का ही विनिवेश या निजीकरण किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि विनिवेश की बजाय निजीकरण अच्छा है। जैसा कि श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार ब्रेड क्यों बेचे या खाने की मेज क्यों ठीक करती फिरे? यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। उदारीकरण और सार्वभौमिकीकरण के साथ और कई चीजें भी आई हैं। इन क्षेत्रों में धन लगाने की बजाय हम उन चीजों को भी क्यों न देखें।

विनिवेश की आवश्यकता के बारे में क्यों सोचा गया? इस बारे में इसलिए सोचा गया क्योंकि हम इस धन को विकासात्मक कार्यों में लगाना चाहते थे जिसके बारे में इससे पहले अन्य माननीय सदस्यों ने भी साफ तौर पर संकेत दिया है। हम इससे प्राप्त धन से सड़क बनाना चाहते थे, स्वास्थ्य संबंधी आय करना चाहते थे और अन्य विकासात्मक कार्य करना चाहते थे, जैसा कि विनिवेश आयोग ने बहुत साफ तौर पर संकेत दिया है। मैं उन बातों पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। विनिवेश से प्राप्त धनराशि से विकास कार्य किये जायेंगे।

अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लेकिन पहले मैं विक्टोरिया युग के कवि वर्ड्सवर्थ की एक कविता के कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने कहा था कि एक अच्छी चीज से अन्य चीजों को सहायता मिल सकती है हालांकि उनका आशय विनिवेश से नहीं था। उन्होंने एक दृष्टान्त दिया है जिसमें कहा गया है:

"स्माल सर्विस इज ए ट्रू सर्विस व्हाइल इट लास्ट्स;
ऑफ हम्बलेस्ट फ्रैंड्स, ब्राइट क्रियेयर स्कार्न नॉट वन;
दि डेजी, बाइ दि शैडो इट कास्ट्स
प्रोडेक्ट्स दि लिंगरिंग ड्यू-ड्राप फॉम दि सन"

डेजी ओंस की बूदों की रक्षा करता है। आइये विनिवेश से प्राप्त धनराशि को विकासात्मक कार्यों में लगायें। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, सबसे पहले बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। समय कम होने के कारण, मैं आपके द्वारा घंटी बजाने से पहले ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सबसे पहले मेरा कहना है कि शायद अपने देश के अलावा देश और विश्व में कहीं भी सरकार में ऐसा विभाग नहीं है। सरकारी उपक्रमों को समाप्त करने के लिए इस विभाग को बनाया गया है। श्री अरुण जेटली के बाद श्री अरुण शौरी को यह काम दिया गया ताकि विनिवेश के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसका संभावित कारण शायद यह है कि सरकार विनिवेश प्रक्रिया को केवल सरकारी क्षेत्र बल्कि साझा उपक्रमों में भी शुरु करने के लिए अत्यन्त उत्सुक है, जो आप अब कर रहे हैं।

महोदय सरकारी उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश तेजी से किया जा रहा था लेकिन लगता है कि सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं थी। अब सरकार पूरी प्रक्रिया को और भी तेज करना चाहती है। हम सरकार की नीति का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि विनिवेश सरकारी उपक्रमों जिन्हें हजारों करोड़ों रुपये की लागत से

[श्री अजय चक्रवर्ती]

वर्षों में खड़ा किया गया था, के पूरे ढांचे को समाप्त करने का दूसरा नाम है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। निश्चित रूप से हमारे मित्र श्री अरुण शौरी निश्चित रूप से इस बात पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या सरकार अपने देश को विदेशी व्यावसायिक सहयोगियों और विदेशी व्यापारिक हितों को बेचने के लिए आतुर है।

महोदय, विनिवेश बहुत शालीन शब्द हो सकता है, लेकिन इसका आशय सरकारी उपक्रमों को समाप्त कर देना है। वे एक-एक करके सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र में तब्दील कर रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार की इस नीति के पूरी तरह खिलाफ हूँ। मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों से चौकन्ना रहने और सभी तरीकों से इसका प्रतिरोध करने का आग्रह करता हूँ ताकि वे विनिवेश की समूची प्रक्रिया को लागू न कर सकें और पूरे देश को विदेशी व्यापारिक हितों को न बेच सकें।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे शहर नासिक में रामजन्मोत्सव मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी वाले राम का नाम तो लेते हैं पर इन कार्यक्रमों में हाजिर नहीं होते हैं। हमारे लोग ही वहां हाजिर रहते हैं। वैसे ही किरीट सोमैया साहब ने गणपति का वर्णन किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु ठीक से देश चलाया जाए। गणपति का तो वर्णन किया, लेकिन उनके देखने के दांत और खाने के दांत अलग हैं, ऐसा नहीं है। दांत भी बड़े हैं और पेट भी बड़ा है। कान भी बड़े हैं मगर आँखे भी बहुत सूक्ष्म है। मेरी सरकार से विनती है कि इस विनिवेश के बारे में सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए।

महोदय, अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है। वहां टेलीफोन व्यवस्था का निजीकरण किया गया लेकिन वहां भी ग्रामीण इलाकों में वे सेवाएं अच्छी तरह से नहीं दे पाए। भारत में 30 प्रतिशत टेलीफोन सेवाओं का निजीकरण हो गया है लेकिन वे लोग भी ग्रामीण इलाकों में नहीं जाते। एस.टी.ए. की बसों का भी वही हाल है। वे लेट तो जाती ही हैं मगर ठीक से सेवा भी नहीं देतीं।

सभापति महोदय, प्राइवेट गाड़ी नहीं जाती है। प्राइवेट गाड़ी बीच में ही छोड़ देती है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के बारे में सरकार को अच्छी तरह से सोच कर ही प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए।

सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक रेलवे जंक्शन मारवाड़ है। उसके बारे में महाजन साहब को मालूम है। वहां 1100 वर्कर्स काम करते हैं। रेलवे ने कारखाने के कामगारों को अभी-अभी नोटिस दिया है कि रेलवे को यह कारखाना बन्द करना है। मैं बताना चाहता हूं कि इस कारखाने के कामगारों ने बहुत अच्छा काम किया जिसके कारण उन्हें पांच-पांच गोल्ड मैडल मिले, लेकिन रेलवे ने उन्हें काम से हटाने का नोटिस देकर उनकी हालत खराब कर दी है।

सभापति जी, जैसा अभी रघुवंश बाबू ने कहा कि यह प्राइवेटाइजेशन नहीं, उदारीकरण नहीं, यह तो बेचीकरण है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस बारे में सूक्ष्म नजर रखकर सोचना चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, आज हम लोग विनिवेश पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के तर्क सुनने के बाद मंत्री जी जवाब दे चुके हैं, लेकिन यह बहस आज भी जारी है। इसलिए कि आज जिस मोड़ पर हिन्दुस्तान खड़ा है, जिस मोड पर हम पहुंचे हैं, हिन्दुस्तान का जो समाज है, देश की जो जनता है, वह बड़े गौर से देख रही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।

मान्यवर, इस संसद ने और संविधान ने हिन्दुस्तान के आम आदमी से वायदा किया था कि उसकी आजादी को बरकरार रखेंगे, उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे और इसीलिए निर्णय किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण खड़े किए जाएंगे ताकि रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो सके और हम आत्मनिर्भर हो सके। आज जिस मोड पर हमारा देश खड़ा है, वहां हमें सोचना पड़ता है कि सेंट्रल हाल में जिन नेताओं की तस्वीरें लगी हैं, जिन नेताओं की कुरबानियों की कहानियां हम लोग पढ़ा करते हैं, क्या वे लोग गलत थे या उनका रास्ता गलत था या जिस रास्ते पर हम अब जा रहे हैं वह दिशा गलत है?

सभापति महोदय, अभी ग्रामीण विकास मंत्री बता रहे थे कि आज ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि ग्रामीण विकास के लिए हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए डिसइनवेस्टमेंट की जरूरत है। डिसइनवेस्टमेंट के बारे में आज एक आम सहमति बन चुकी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो कि संसाधनों का निर्माण इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है, इस उद्देश्य के लिए कितना पैसा खर्च किया जा सकेगा, जिसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिस चीज को लेकर हमने अपने रास्ते बदले हैं, अपने लक्ष्य बदले हैं, क्या उस पर अपना पैसा लगा पाएंगे?

सभापति महोदय, हमारे एक पूर्व प्रधान मंत्री थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि भारत सरकार के जितने भी एसैट्स हैं, संसाधन हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80 प्रतिशत भाग इस्टाब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है और जो विकास का उद्देश्य है, जो व्यवस्था का उद्देश्य है, उसके लिए जो उपलब्ध पैसा है, वह बहुत कम है, वह केवल 10 या 12 प्रतिशत रह जाता है। सोचने का सवाल है कि आज हमारे वित्त मंत्री जब बार-बार आर्थिक सुधार की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की बात करते हैं, तो यह एक बहुत आवश्यक सवाल पैदा होता है कि प्रशासनिक सुधारों पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती?

हमने संविधान के माध्यम से, संसद के माध्यम से जो लक्ष्य तय किए थे, आज वे लक्ष्य बदल दिए हैं। हमने अपनी कमजोरियों को एक नए तरीके से स्वीकार किया है। लेकिन वे चुनौतियां जो हमारे सामने थीं, आज भी वहीं की वहीं हैं। आज डिसइन्वैस्टमेंट के माध्यम से संसाधनों की रचना की जा रही है। सरकार एक बदहवास स्थिति में है, हिन्दुस्तान के अंदर या तो कर्ज ले रही है या उपक्रम बेच कर पैसा निकाल रही है। अमरीका ने भी कहा था कि यह एक ऐसा देव है जो सोया हुआ है, जिस दिन जागेगा, पूरी धरती के लिए चुनौती बन जाएगा। हमें लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है। हमारे पास संसाधन थे, हमारे पास मैनपावर है, हमारे पास भौतिक संसाधन थे, हमारे पास वैचारिक संसाधन भी थे, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज हम समय के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां राजनैतिक और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया जारी है, आदमी के आदमी से मतभेद है, इतने व्यापक स्तर पर मतभेद है कि पूरा समाज एक कम्पार्टमैंट में बंट गया है। जिन संसाधनों की रचना हम नवनिर्माण के लिए कर सकते थे, आज वे हमारी लायबिलिटी बन गए हैं। एक तरफ हम ही समाज को विभाजित करते हैं, दूसरी तरफ हम भी सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि गलती कहां हुई। निश्चित रूप से हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में संसाधनों की कमी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो व्यवस्था है, तंत्र है, डिलीवरी सिस्टम है, उसमें संवैधानिक उद्देश्यों को पूरे तौर पर डिलीवर नहीं किया गया है। आज पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिसके लिए हमारे मंत्री जी कह रहे थे, उसमें इन्वैस्ट करने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं उस बिन्दु पर आ रहा हूँ। बस मैं एक मिनट में समाप्त करूँगा।

[हिन्दी]

यह कहा जा रहा था कि जिन चीजों पर इन्वैस्टमेंट करने की जरूरत है, हम देख रहे हैं कि हमारा डिलीवरी सिस्टम, सरकारें आई हैं, गई हैं, हमारा जो तंत्र है, हमारे जो उद्देश्य थे, जिनसे हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे, उसे वह पूरे तौर पर डिलीवरी नहीं कर सका है।

मैंने इसी सदन में एक दिन माननीय वित्त मंत्री जी से कहा था कि पिछले पचास वर्षों में हमारा पूरा तंत्र, हमने जो लक्ष्य तय किए थे, वह डिलीवरी नहीं कर पाया है। आप सीमित समय में, आपने जो नए उद्देश्य तय किए हैं, उनको कैसे डिलीवरी कर सकेंगे, इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं, आपने डिसइन्वैस्टमैंट किया है, जो ट्रांसपेरैंसी अपेक्षित है, उस पर लोगों को शंका है। आज पूरे हिन्दुस्तान में यह संदेश जा रहा है कि किसी न किसी तरह से पिलफ्रेज हो रहा है, चोरी हो रही है और उस संबंध में कहीं न कहीं अखबारों में छप रहा है। आपने इस बात को बीच में टोका कि नहीं, वह सब गलत है, तो आपको यह भी कदम उठाना चाहिए कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो पत्रकारिता हो रही है, जो तथ्य सामने लाए जा रहे हैं, कम से कम वे तथ्य पूर्ण तथ्य रहें और उनसे समाज में किसी किस्म का धोखा न फैले। आज सच्चाई यह है कि पूरे समाज में दूरदराज तक यह संदेश पहुंच रहा है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन्स, जो हमारे हिन्दुस्तान की तकदीर बने हुए थे, की डिस्ट्रैस सेल हो रही है। एक संदेश जा रहा है, एक ऐप्रीहैनशन फैल रही है और आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उसकी सफाई दें। ...*(व्यवधान)* क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सब लोगों ने बातें कही हैं, मूल रूप से ट्रांसपेरेंसी पर इनसिस्ट किया है। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध है कि सौ प्रतिशत ट्रांसपेरैंसी गारंटी करें जिससे राष्ट्र में जो विपरीत संदेश जा रहा है, उसको संभाला जा सके। जैसे मैंने आपको बताया, ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है, ऐकाउंटेबिलिटी की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप उसे ऐचीव कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो उपक्रम आज घाटे में हैं, कल वे लाभ में होंगे और उसके बाद जैसे उचित समझेंगे, उनका डिस्पोजल कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मुझे निर्देश हुआ है कि बिल्कुल संक्षेप में बताएं। इसलिए जो कहा गया है, उन्हीं कुछ बिन्दुओं को मैं बता पाऊंगा। महोदय, प्रारंभ में आपने बहुत अच्छी बात बताई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): हम लोग आपको सुनने के लिए गम्भीरता से बैठे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैंने समझा कि आप रवि जी को सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री अरुण शौरी: आप जितनी देर कहेंगे, मैं तो सारे पाइंट्स को डील करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, मगर जैसा प्रमोद जी ने मुझे कहा कि पिछले डेढ़ साल में दो कम्पनियां डिसइन्वैस्टमेंट हुई हैं और यह नौवीं डिबेट है। इस दौरान पिछले बजट सैशन से आज तक

[अनुवाद]

हमने संसद में विनिवेश पर 529 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। दरअसल, मैं उन्हीं चीजों को बताना चाहूँगा जो इनमें कुछ शेष रह गई हैं।

महोदय, जो मामले उठाए गए हैं ये बहुत ही गंभीर हैं। मैं भी मानता हूँ कि इसमें प्रगति हुई है क्योंकि यदि आप चारों और निगाह डालें, तो आपको उपस्थिति से पता चल जाएगा। इतनी कम उपस्थिति से पता चलता है कि इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है और अब कोई नई बातें उभरकर सामने नहीं आ रही हैं। किन्तु इस समय, हमने एक और बात बताई है। मैं वहीं से इसे शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आज दोपहर बाद और शाम को जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उनमें अत्यंत सावधानी बरतने योग्य कहानी छुपी हुई है।

महोदय, मैं शुरुआत उस पत्र को पढ़कर करूँगा जो मुझे हमारे विभाग के सचिव से प्राप्त हुआ है। यह कैबिनेट सचिव से मिला पत्र है और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे मैं रिकार्ड में रखना चाहता हूँ। यह पत्र शीर्षनामा पर लिखा गया है। यह कैबिनेट सचिव का पत्र है। उसमें कहा गया है:

> ''मुझे एअर इंडिया के विनिवेश के मामले में 17.7.2001 को कैबिनेट सचिव के कार्यालय से प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को भेजे गए तथाकथित नोट की एक प्रति दिखाई गई है। यह सरासर जाली दस्तावेज है। कैबिनेट सचिवालय से इस विषय पर ऐसा कोई संवाद जारी नहीं किया गया है।''

महोदय, यह एक गंभीर मामला है, जैसा कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने ठीक कहा है। उनकी मंशा पर हममें से किसी को संदेह नहीं है। किसी ने उन पर साजिश रची है और इस साजिश की पूरी जांच के लिए मैं कल सुबह स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को लिखने जा रहा हूं क्योंकि जब भारत के कैबिनेट सचिव के पत्र जाली हो सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि यह एक गंभीर मामला है। किन्तु, मैं इस बात की भी पैरवी करना चाहूँगा *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप आधे मिनट का समय दे सकते हैं, बस आपके ही फायदे के लिए? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: कृपया मुझे पूरा करने दीजिए।

मैं माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी से उम्मीद करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि वे इस जालसाजी की जांच में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पूरा-पूरा सहयोग करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मैं इसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? महोदय, मैंने संसदीय प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियमों वाली पुस्तक का अध्ययन किया है जहाँ मैंने पाया है कि ऐसे मामलों में यह सभा की संपत्ति बन जाती है और इसे विशेषाधिकार समिति या अध्यक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए। कल मैं इस मामले पर अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और अध्यक्ष महोदय इसे या तो सीधा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज देंगे या विशेषाधिकार समिति को सौंप देंगे। मैं उस पुस्तक में इन चीजों का विस्तार से अध्ययन किया है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: अब चूँकि मेरे पास जाली दस्तावेज आया है, इसलिए एक मंत्री होने के नाते मैं इस पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता हूँ *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जिसे आप जाली बताने का दावा क़रते हैं, तो मैं भी यह दावा कर सकता हूँ कि वह जाली नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: तो फिर आप इसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को बताएं *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो में भी फाइल किया जा सकता है। दोनों चीजें साथ-साथ होंगी *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं आप सबों से यह अनुरोध करूंगा कि भविष्य में जब कभी भी हम लोगों के विरुद्ध इस तरह की कोई साजिश की जाती है तो कम से कम जो लिखा गया है उसे पढ़ें। यहाँ तक कि एक सरसरी निगाह डालने से भी यह पता चल जाता है कि वह साफ-साफ जाली था। देखिए यह शुरु कैसे होता है।

''ऐज इज वेल अवेयर, द प्रोसेस अव डिसइनवेस्टमेंट अब एअर इंडिया.....'' 'जैसाकि आप सबको विदित है'–क्या? इसमें कहा गया है: ''ऐज इज वेलअवेयर, द प्रोसेस अव डिसइनवेस्टमेंट अब एअर इंडिया हैज बीन फेसिंग न्यूमरस प्राब्लम्स।''

अगला वाक्य सुनिए। इसमें कहा गया है: ''इट इज बीलिव्ड एण्ड अबजव्वर्ड दैट व्हेयरएवर द गवर्नमेंट हैज ट्रायड टु अबजर्व....'' भारत का कैबिनेट सचिव ऐसा लिखने जा रहा है तो क्या यह भाषा की कमी है? कम-से-कम धुरंधर लेखक श्री प्रियरंजन दासमुंशी को तो इस पर आश्चर्य होना ही चाहिए।

यदि ..... कोई संख्या नहीं दी गई है *...(व्यवधान)* हाँ, जैसा कि मैंने आपसे उल्लेख किया था, इसके तथ्यों का पता लगाने के लिए मैं कल केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को लिखूँगा और सभा को और लोगों को रिपोर्ट करूँगा मैं तथ्यों .... का पता लगाने के लिए सदस्य से केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का पूरा सहयोग करने की अपील करता हूँ। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं सभा के स्थापित नियमों के अनुसार इस मामले को विशेषाधिकार समिति और अध्यक्ष को सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। मैं केवल मंत्री के दिशा-निर्देश पर निर्भर नहीं रह सकूँगा। मैं सभा के नियमों के दिशा-निर्देश पर निर्भर रहूँगा।

श्री अरुण शौरी: आपने इतना जोर दिया था कि *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इसे भेजूँगा। किन्तु, इसे विशेषाधिकार समिति और अध्यक्ष को ही भेजूंगा।

श्री अरुण शौरी: किन्तु, यह आप अपनी मर्जी से करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं सभा के नियमों का पालन करूँगा।

श्री अरुण शौरी: आपने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करने पर अधिक बल दिया था। इसलिए आपकी पार्टी के अनेक सांसद सीबीआई जांच के लिए शोर शराबा कर रहे थे। इसलिए, मैं सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: माननीय सदस्य ने सभा पटल पर कुछ रिकार्ड की बातें रखी हैं और आपने भी तथाकथित पत्र के कुछ अंशों को या पूरे पत्र को रखा है।

श्री अरुण शौरी: यह पूरा ही पत्र है।

श्री रूपचन्द पाल: आपने पूरी चिट्ठी रख दी है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है। प्रचलन यही है। आप बार-बार सी.बी.आई. को नहीं भेज सकते हैं। सरकार कुछ भी कर सकती है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे।

श्री अरुण शौरी: जालसाजी तो जालसाजी है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इस मामले को माननीय अध्यक्ष को भेजूँगा।

श्री प्रमोद महाजन: माननीय अध्यक्ष को कुछ भी विशेषाधिकार समिति को भेजने का अधिकार है। लेकिन इससे सरकार सी.बी.आई. के पास कुछ भेजने से नहीं रुकेगी। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: सरकार इसे कर सकती है *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: हम नहीं जानते कि कौन किसके विशेषाधिकार का दावा कर रहा है। मैं नहीं जानता कि कौन किसके विशेषाधिकार का दावा कर रहा है।

सभापति महोदय: इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल: चाहे कुछ भी हो *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: क्या हम अपनी ही चिट्ठियों को अपने ही विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को भेज रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप इस पर अभी चर्चा नहीं कर सकते *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस पर कोई नहीं वाद-विवाद कर सकता है। सरकार का मानना है कि चिट्ठी सही नहीं है। यह जाली है। मेरा मानना यह है कि चिट्ठी सही है। इसकी जांच होने दीजिए और विशेषाधिकार समिति को अपना निष्कर्ष देने दीजिए। मैंने रिकार्ड के आधार पर यह कहा था। यदि वह सदस्य जिसके द्वारा रिकार्ड उपयोग किया गया था वह सही नहीं है, तो मैं सभा के समक्ष माफी मांगने के लिए बाध्य हूँ। यदि सरकार मुझे सही पाती है तो सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। स्थिति यह है। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री प्रमोद महाजन: हम सरकार की तरफ से हैं। हमारी राय इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। यदि माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन

[श्री प्रमोद महाजन]

दासमुंशी, विशेषाधिकार समिति को कुछ भेजना चाहते हैं तो उनको ऐसा करने का अधिकार है और अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय लेंगे। जहां तक सरकार का संबंध है, हम इसे सी.बी.आई. को भेज देंगे।

सभापति महोदय: ठीक है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप 'फेरा' (एफ.ई.आर.ए.) उल्लंघन के मामले के लिए भी वही कर रहे हैं?

श्री अरुण शौरी: मैं आपके ध्यान में यही लाना चाहता था। दुर्भाग्यवश मुझे ऐसा लगा कि हमारे प्रत्येक वाद-विवाद में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की बात पूरी तरह से सही है। प्रेस में भी मैं अपने मित्रों को आगाह करता रहा हूँ कि कार्पोरेट के अंदर चल रही आपसी प्रतिद्वन्दिता के कारण विभिन्न हितों वाले विभिन्न घराने हमारे तथा अन्य व्यक्तियों की तरह आधी झूठ तथा पूरी झूठ को रखने के लिए प्रेस वालों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी के प्रति अपने अत्यधिक आदर की अपेक्षा किये बिना मैं निवेदन करता हूं कि इस संबंध में हम सभी को सावधान होना होगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले डेढ़ वर्षों में मेरे लिए क्या सबसे दु:खद स्थिति रही है क्योंकि मुझे एक कार्य सौंपा गया। अनिवासी भारतीय की परिभाषा पर मुझे एक पत्र मिलेगा। मुझे इस व्यक्ति का नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। यह हैं श्री अशोक हिन्दुजा, फिर समाचार पत्रों में इसी बात का उल्लेख करते हुए कई रचनाएं प्रकाशित हुई। फिर उसी पर एक विद्वान संसद सदस्य ने एक लेख लिखा। यह वही बात है। आपने एक रिपोर्ट उद्धृत की थी। मैं स्थायी समिति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको बता सकता हूँ कि संसद सदस्यों ने इस पर मुझे 26 प्रतिशत या 25 प्रतिशत तक लिखा है और आस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, ताइवान और यहां तक कि अमरीका ने भी क्या किया है। पत्र एक ही तरह के हैं। उदाहरण भी एक ही तरह के हैं। दुर्भाग्यवश, यह निराशाजनक बात है कि उन उदाहरणों और बिंदुओं को स्थायी समिति जैसे निकाय की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है।

यह सब वही बातें हैं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं फिक्की के अध्यक्ष द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र को अभी ही पढ़ दूंगा। उन्हीं देशों का उदाहरण देते हुए उसी क्रम में वही बिंदु उठाए गए हैं। यह फिक्की के तत्कालीन अध्यक्ष का पत्र था और मैंने इसे फिक्की की बैठक में पढ़कर सुनाया था। उन्होंने मुझे वहां व्याख्यान देने के लिए कहा था, सभी बड़े उद्योगपति वहां उपस्थित थे। मैंने कहा था, ''यह आपका पत्र है और यह प्रधानमंत्री के नाम एक संसद सदस्य का पत्र है। दोनों में उन्हीं बिंदुओं को उठाया गया है। यह संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाला दूसरा और तीसरा पत्र है। इसमें भी वही बात है, सभी चारों पत्रों में एक ही मुद्दे उठाए गए हैं। ''फिर फिक्की के अध्यक्ष ने मुझे बताया था लेकिन मैंने यह लिख डाला क्योंकि यह नागर विमानन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।'' उनकी नागर विमानन संबंधी एक उप-समिति है। नागर विमानन समिति का प्रमुख कौन है? यही तथाकथित जेट एयरवेज का मालिक है।

[हिन्दी]

''आप ही पीवे, आप पिलावे, आप फिरे मतवाला।'' और हम सब ऐसी ताकतों के इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं।

यह सब इसलिए है कि आपका इस सभा से लंबे अरसे तक लगाव रहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हमें कार्पोरेट संयंत्रों से सावधान रहना होगा। आपको सार्वजनिक जीवन में कार्पोरेट प्रभाव से बहुत सतर्क रहना होगा। मैंने इन पत्रों और रचनाओं का संग्रह किया है ताकि जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग कर सकूं।

दूसरी बात मैं फेरा उल्लंघन से जुड़े प्रश्न के संबंध में कहना चाहता हूँ। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इंडियन होटल कंपनी के संबंध में उठाए गए मुद्दों की बात की है। दरअसल, दिशा-निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है और मैं सभा को आश्वस्त करता हूँ कि इन दिशा-निर्देशों को सरकार में काफी मेहनत और आंतरिक विचार-विमर्श के बाद बनाया गया है जिससे बोलीकर्त्ताओं की संख्या कम न हो अथवा न घटे ताकि वे इतना कठोर न हो कि आप पूरे कार्पोरेट इंडिया को ही नकार दें। इसके साथ-साथ, उन कंपनियों को जिनको आप सरकारी क्षेत्र की कंपनियां नहीं मान सकते या जो बड़े अपराध में लिप्त हैं, विनिवेश प्रक्रिया में भागीदार न बनाया जाये। इसलिए, ऐसा संतुलन बनाए रखने के लिए काफी विचार-विमर्श और बातचीत के बाद ये दिशा-निर्देश बनाए गए थे।

जैसाकि मैंने आपको बताया कि बोलीदाताओं के मामले में, कृपया ध्यान दें कि इसमें कानूनी प्रक्रिया से बनी इकाई की बात महत्वपूर्ण है अत: यदि यह भारतीय होटल कम्पनी की बात है जिसकी न केवल जाँच की गई है बल्कि इसे दोषसिद्ध भी पाया गया। अत: उसकी बोली पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए मैं दिशा-निर्देश बार-बार पढ़ रहा था और उस समय मतभेद था और कहा-सुनी हुई थी। परन्तु उपबंध एकदम स्पष्ट है।

स्थापना को किसी अदालत द्वारा भी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। यदि श्री प्रियरंजन दासमुंशी या कोई अन्य यह साबित कर सके कि किसी बोलीदाता को किसी अदालत ने दोषसिद्ध पाया हो या 'सेबी' जैसे किसी विनियामक प्राधिकरण ने अभ्यारोपित किया हो, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं दिशानिर्देशों को ज्यों का त्यों लागू करूँगा।

मुझे आपके साथ जानकारी बांटने से परहेज नहीं है, मुझे इसके बारे में पहले भी कहने का अवसर मिला था जब वीडियोकॉन के मामले में झूठे आरोपों को सार्वजनिक किया गया था। कम्पनियों के मामले में हमारी रुचि तो यही है कि अधिकाधिक बोलीदाता हों। 'सेबी' ने अन्य कम्पनियों के साथ-साथ वीडियोकॉन को अपने शेयरों के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अभ्यारोपित किया था। मैं वीडियोकॉन को कोई सदा से तो नहीं जानता, किन्तु उन्होंने मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसे मैं 40 वर्षों से जानता था, और वह उनके लिए काम करता था। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो कालेज में मुझसे चार-पांच वर्ष वरिष्ठ थे। कम्पनी ने उन्हें मेरे पास भेजा। उन्होंने मुझे समझाया कि कम्पनी की दृष्टि से 'सेबी' द्वारा कम्पनी को अभ्यारोपित करना गलत था, अत: उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि मैं कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ तो यह माना जाएगा कि मैंने कम्पनी के दस्तावेजों की जांच कर ली है और इसके आधार पर ही निष्कर्षों पर पहुंचा हूं और इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। अत: उन्होंने अनुरोध किया कि कारण बताओ नोटिस जारी न किया जाए क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचेगा। मैंने कहा कि, देखिए 'मैं इन दिशानिर्देशों को आंखमूद करके लागू करूँगा। दिशा-निर्देश को ऐसे ही लागू किया जायेगा।

तब उन्होंने कहा कि यदि उन्हें दो या तीन दिन बाद जारी किया जाए तो वे पूरी प्रक्रिया से ही पीछे हट जाएंगे। वे प्रक्रिया से पीछे हट गए और वीडियोकॉन को केवल इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया क्योंकि वे प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं हैं और उन्हें नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी प्रक्रिया का हिस्सा है और अभ्यारोपित है, उसे हम कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर देंगे और उन पर दिशा-निर्देश लागू करेंगे। यदि इंडियन होटल्स के मामले में किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अभ्यारोपित करने या प्रतिकूल आदेश जारी होने या किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने की जानकारी हो तो हमारे ध्यान में लाएं तो हम सारी बात आपको बताएंगे।

तीसरे मुद्दे पर ए.आई.ए.डी.एम.के. के माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं। मैं केवल एक बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में कुछ गलतफहमी है। मैं नहीं चाहता कि इस संबंध में कोई भ्रम रहें। दरअसल यह तीन या चार चरणों से गुजरता है।

सभा में किए गए अपने वादे के अनुसार मैंने बालको विनिवेश के सौदे के सभी कागजात उन्हें सौंप दिए थे। वे किसी प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार, माडर्न फूड्स का सौदा काफी पहले हुआ था, लेकिन हमने माडर्न फूड्स के सभी कागजात भी उन्हें मुहैया करा दिए।

श्री रूपचन्द पाल: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने क्या टिप्पणियाँ की?

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं उसी को दोहराता हूँ जिसे मैं स्पष्ट कर चुका हूँ क्योंकि आप यहाँ उपस्थित नहीं थे। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और हमारे सम्माननीय मित्र उससे उद्धरण दे रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंध है, उन्होंने मंत्रालय को यह सूचना भेजी कि हमारा आरम्भिक निष्कर्ष यह है; आपका इस बारे में क्या कहना है? वह कई बार अपना मत बदल लेते हैं। कई बार मंत्रालय को, जो कुछ हुआ, उस पर और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाता है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से पहली बार हमें 12 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। हमने जवाब दिए। अब तीन टिप्पणियां रह गई हैं। हमने और भी जवाब भेजे हैं और मैंने तीन दिन पहले ही उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से बात की और उनसे अनुरोध किया कि रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप देने का कष्ट करें। यह अनुरोध मैंने इसलिए किया ताकि जब आपसे मिलूँ तो आपको तथ्यों से अवगत करा सकूँ। मैं आपको सही-सही जानकारी दूँगा। परन्तु, उनका कहना है कि-'नहीं, हमारी अपनी आन्तरिक प्रक्रिया है' और उन्होंने अभी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। उन्होंने हमें कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि सी एंड ए जी की रिपोर्ट को दबाया जाएगा। मैंने आपको कमिटमेंट दी है। मैंने सी एण्ड ए जी को कहा है, आप हमें भेजिए ही मत। आप सीधे पार्लियामेंट को भेजिए। सीधे पीपल को दीजिए, थ्रू प्रैस।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे सभा में पेश किया जाना होता है।

श्री अरुण शौरी: जी हाँ। यह सीधे सभा में ही आएगी।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: हम यह जानना चाहते हैं कि सी एण्ड ए जो की जिस रिपोर्ट का उद्धरण दिया गया है, रघुवंश प्रसाद जी द्वारा, वह सही है या गलत है?

श्री अरुण शौरी: गलत इस तरह से है कि वह बेचारा रिपोर्टर स्टेजेज नहीं जानता है या उसने उन्हें नजरअन्दाज किया है। ...*(व्यवधान)* श्री एल.के. झा, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सैक्रेटरी होते थे। बिहार के बहुत फेमस सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने कहा था–

[अनुवाद]

जिस खोजी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी अब वह आविष्कारी पत्रकारिता बन गई हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, हम अपनी गलती सुधारते हैं। बालको सौदे को अभ्यारोपित करते समय क्या 'सेबी' ने स्टरलाइट को भी अभ्यारोपित किया था? हम इस तथ्य पर जानकारी चाहते हैं?

श्री अरुण शौरी: यह अच्छा प्रश्न है। इस पर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब बाल्को के बारे में विचार-विमर्श हो रहा है था तो माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने भारत के महासालिसिटर का एक मत पढ़कर सुनाया था। यह संचार मंत्रालय में केबल की खरीद के सौदे के संबंध में था। हुआ यह था कि स्टरलाइट ने एक निश्चित मूल्य की निविदा दी थी। बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इतने कम मूल्य की निविदा नहीं देनी चाहिए। निविदाएं बंद होने के एक घंटे पूर्व उन्होंने कहा कि पहले के दस्तावेज में टाइप की गलती हो गई है और उन्होंने नया निविदा दस्तावेज जमा किया। उन्होंने अंकों में इस प्रकार का परिवर्तन किया जिस प्रकार 123 को बदल कर 223 कर दिया जाता है। संचार मंत्रालय ने कहा कि–'हम आपके पुराने कम मूल्य को ही मानेंगे।' इस पर विवाद हो गया। मंत्रालय ने इस मामले को भारत के महासालिसिटर के पास भेज दिया, जिन्होंने संचार मंत्रालय को उचित ठहराया।

उन्होंने कहा कि स्टरलाइट का कम मूल्य ही माना जाएगा और इस मामले मंत्रालय की यह बात उचित है कि स्टरलाइट को दिए गए क्रयादेश को वापिस लेकर उसे अन्य बोलीदाताओं में वितरित कर दिया जाएगा। महासालिसिटर का यह मत था। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने इसकी पुष्टि की; माननीय विधि मंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि महासालिसिटर का मत केवल उस सौदे पर ही लागू होता है।

श्री रूपचन्द पाल: क्या सरकार को बीपीएल और वीडियोकॉन के साथ-साथ स्टरलाइट पर 1989 में किए गए अभ्यारोपण और संलिप्तता की जानकारी नहीं थी?

श्री अरुण शौरी: महोदय, इस बारे में आप नहीं जानते। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ।

श्री रूपचन्द पाल: मुझे पता है। इस परियोजना की जांच के लिए मैं स्वयं वहाँ गया था।

श्री अरुण शौरी: 'सेबी' की ओर से यह दूसरा अभ्यारोपण हुआ है। ...*(व्यवधान)* और इस अभ्यारोपण के कारण स्टरलाइट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और यदि वह इस मामले में सरकार को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो दिशा निर्देश लागू किये जायेंगे और बी.पी.एल. और वीडियोकोन जैसी स्टरलाइट को आगे होने वाले सभी विनिवेश में भागीदारी करने से रोका जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: सरकार को इन सभी बातों की पूरी जानकारी थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से अभियोग पत्र के संबंध में जान-बूझकर विलंब किया गया था।

श्री अरुण शौरी: महोदय, पहली बार, मैंने इस अभियोग के बारे में सुना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह भी सच नहीं है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जेम्स, मोर्गन एंड स्टेन्ली को स्टॉक मार्केट घोटाले के संबंध में अभियोग पत्र दिया?

श्री अरुण शौरी: नहीं, इस बारे में हमें निश्चित रूप से जरा सी भी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने इसका जिक्र किया है और आप वास्तव में समाचार की एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह बात सही है या गलत?

श्री अरुण शौरी: मेरी जानकारी के अनुसार, निश्चित रूप से नहीं। लेकिन क्योंकि आपने समाचार पत्र की कोई रिपोर्ट पढ़ी है, इसलिए मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और इसका सत्यापन करूँगा।

अब, हमें केवल पिछली बार कही गयी बात का स्मरण करना है और यह देखना है कि कहा गया था और आज क्या कहा जा रहा है। महोदय, मॉडर्न फूड्स पर सभी प्रकार के आरोप लगाये

जा रहे हैं और आज स्थिति यह है। वर्ष 2000-2001 में, ब्रेड की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 2001 के प्रथम चार महीनों में, बिक्री गत वर्ष के प्रारंभिक चार महीनों की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक रही। कुल पारिश्रमिक बढ़ा दिया गया है और एक भी मजदूर की छंटनी नहीं की गयी है। पारिश्रमिक में चार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह प्रतिमाह प्रति कर्मचारी 1,600 रुपये तक बढ़ गया है। 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी लगाये जाने के अतिरिक्त, 29 करोड़ रुपये आधुनिकीकरण, उत्पाद और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के भुगतान के लिए विपणन विकास के लिए आबंटित किये गये हैं। महोदय, कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार में प्रचलित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की तुलना में अधिक उदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गयी है।

बी.आई.एफ.आर. का मामला तब सामने आया जब बाद में यह पता चला कि सरकारी क्षेत्र की इकाई के लिए 35 करोड़ रुपये की अल्प धनराशि का प्रावधान किया गया था। इसी के साथ, पिछले वर्ष 13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जिससे कंपनी का कुल मूल्य 50 प्रतिशत कम हो गया। अत:, जो कानून आपने पारित किया है उसके अंतर्गत कंपनी को मॉडर्न फूड्स का मामला बी.आई.एफ.आर. को सौंपना पड़ा।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मौलिक आलोचना मूल्यांकन संबंधी है।

श्री अरुण शौरी: मेरे मित्र, आपकी मूल आलोचना सदैव बदलती रहती है।

श्री रूपचन्द पाल: यह बात नहीं है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, अब आप कृपया ऐसे ही बैठे रहिये ...*(व्यवधान)* यदि आप दोपहर 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी हर बात का जवाब दूँगा ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं केवल इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर हूँ।

श्री अरुण शौरी: मजदूरों के प्रशिक्षण, संयंत्र के आधुनिकीकरण, और संयंत्र की सफाई और ऐसे ही कार्यों के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं।

इसी प्रकार, बाल्को का मामला भी हमारे देश के लिए बहुत दुखद घटना है। यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें, मैं वास्तव में यह अनुभव करता हूँ कि लोगों को पूर्णत: भ्रमित करके, न केवल उक्त कंपनी को बल्कि पूरे देश को 200 करोड़ रुपये का घाटा कराया है। कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। संयंत्र को फिर से चालू कर दिया गया है। चार सौ पॉट जम गये। सभी लाइनिंग्स को बदलना पड़ेगा। धमन-भट्टी जम गयी। इसी बीच, यह बात अब गुप्त नहीं है कि एक निजी कंपनी ने बाल्को के बंद होने से अत्यधिक लाभ अर्जित किया ...*(व्यवधान)*

महोदय, आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। यह बात सही नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप भी बोलते जा रहे हैं। आप सदन से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

सभापति महोदय: मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री अरुण शौरी: मेरे मित्र श्री सोमैया जी जैसाकि अभी कह रहे थे, यह वही व्यक्ति हैं जो उस समय बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे। उन्होंने बाद में कहा कि वह सरकारी क्षेत्र के 29 उपक्रमों का विनिवेश करने वाले हैं। उस समय, सभा में यह बात ही नहीं वरन् यह भी दोहराया गया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ''अरे! प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के एक अधिकारी, विनिवेश विभाग के एक अधिकारी हैं और राज्य सरकार के एक अधिकारी ने 100 करोड़ रुपये कमाये हैं।'' ...*(व्यवधान)* यह सब क्या है? यह असभ्य तरीका है। ...*(व्यवधान)*। मुख्य सतर्कता आयुक्त ने मुख्य मंत्री को पत्र में यह लिखा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को लागू करना उसका कार्य है और इसीलिए मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें नाम और प्रमाण भेजे जाने चाहिए। पत्र का न तो उत्तर दिया गया और न ही कोई पावती भेजी गई। अब वह व्यक्ति अभियोग के संबंध में बात नहीं कर रहा है वरन् इस बात को सभा में पुन: दोहराया गया।

महोदय, मेरी ही पार्टी के तीन सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 'शेयर धारक समझौता' में परिवर्तन किया गया है और एक जोरदार भाषण में ए.आई.ए.डी.एम.के. के एक सदस्य ने भी यही बात कही। आप पुन: इस बात पर ध्यान दें कि निगम के किसी प्रतिद्वंद्वी ने इस बयान प्रेस को दिया। वक्तव्य इन्हीं शब्दों में था, ''शेयरधारक समझौता में परिवर्तन किया गया है।'' इसके अलावा, ''छूट हुए एकमात्र बोलीदाता पर कृपा करने के लिए यह सब किया जा रहा है''-इन शब्दों का उपयोग भी किया गया। आपने यह भी कहा कि उनके बारे में यह भी कहा गया कि, ''आपको बाइलेटरल सात वर्षों तक के लिए दी जायेगी।''

अब मैं आपका ध्यान सभी बोलीदाताओं को भेजे गए प्रथम दस्तावेज की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसे 'सूचना ज्ञापन' कहा जाता है। इस ज्ञापन में पृष्ठ 46-47 पर आप यह पायेंगे कि

[श्री अरुण शौरी]

बाइलेटरल के इस प्रश्न का विवरण दिया गया है। यही पहला दस्तावेज है जो प्रत्येक बोलीदाता को भेजा गया था। निहितार्थ यह है कि, ''अब टाटा सिंगापुर पर कृपा करने के लिए कुछ कहा गया है अथवा सरकार उन्हें कोई सौदा करने के लिए प्रेरित कर रही है।'' इसके अनुसार–

> ''नागर विमानन नीति के प्रारूप के अंतर्गत एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारों को चालू स्तर पर सात वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।''

दूसरा, शेयरधारक समझौता के इस प्रश्न पर, पहली बार जो भेजा गया था उसका प्रारूप था, ''शेयर धारक समझौता प्रारूप''। मैंने सभी संसद सदस्यों को जो नीली पुस्तक दी है उसमें आप यह पायेंगे कि हमने पूरी प्रक्रिया दे रखी है। इसके अनुसार:

> ''परामर्शदाताओं द्वारा कानूनी परामर्शदाताओं की सहायता से शेयर खरीद समझौता प्रारूप और शेयरधारकों का समझौता भी तैयार किया जाता है और इन्हें भावी बोलीदाताओं को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रदान कर दिया जाता है।''
>
> फिर इसमें कहा गया है:
>
> ''भावी बोलीकर्त्ताओं से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर शेयर खरीद और शेयर होल्डर समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। विधि मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है तथा अंत में, विनिवेश संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है।''

जब बोलीकर्ता कैबिनेट समिति द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है।'' जब बोलीकर्त्ता आते हैं तो उन्हें 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध' नामक एक प्रपत्र दिया जाता है। इस 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध' प्रपत्र के पृष्ठ 8 पर कहा गया है:

> ''बोलीकर्त्ता 9 फरवरी या उससे पहले प्रारूप शेयरधारक—समझौते और प्रारूप शेयर खरीद समझौते के संबंध में आरंभिक लिखित टिप्पणियों के साथ उत्तर देना होता है। चुने गये बोलीकर्त्ता 12 अप्रैल या उससे पहले प्रारूप शेयरधारक समझौते और प्रारूप शेयर खरीद समझौते के संबंध में अतिरिक्त और अंतिम लिखित टिप्पणियों के साथ उत्तर देना होता है''
>
> फिर, छठवाँ चरण यह है:
>
> ''चुने गये बोलीकर्त्ताओं के लिए शेयरधारक समझौते तथा शेयर खरीद समझौते के अंतिम और गैर-विनिमय प्रारूप का परिचालन।

पृष्ठ 8 पर यह है। इसे पृष्ठ 20 पर दोहराया गया है।

रात्रि 10.00 बजे

पृष्ठ संख्या 25 पर भी इसे दोहराया गया है। तब भी, निगमित-क्षेत्र का एक प्रतिद्वंद्वी प्रैस में एक कहानी छपवाता है जिसे माननीय सदस्य मान लेते हैं और यहाँ उसे उगलते हैं। आपसे मैं कहे देता हूँ कि हम उद्योग-घरानों की प्रतिद्वंद्विता के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं।

महोदय, अगली बात जो मैं कहना चाहूँगा, वह यह है कि यह जताने के लिए काफी बागाडम्बर किया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र कितना बढ़िया क्षेत्र है। काश, यह ऐसा ही होता। 'एयर इंडिया' के विषय में 'भारत का गौरव' और 'भारत की शान' जैसे बड़े-बड़े शब्द कहे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि काश, 'एयर इंडिया' ऐसी होती। क्या माननीय सभासदों को मालूम है कि 'एयर इंडिया' पर कितना कर्जा बकाया है? कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने 'एयर इंडिया' को कभी कोई धनराशि नहीं प्रदान की। क्या आप जानते हैं कि 'एयर इंडिया' पर कितना कर्जा दिया है? यह 3,248 करोड़ रुपये के लगभग है। पिछले सात वर्षों में इस विमानसेवा ने अपने विस्तार और परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कोई ऋण नहीं लिया। वह कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लेती रही है, अर्थात्, ईंधन खरीदने और पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान करने के लिए ...*(व्यवधान)* इन कार्य-पूंजीगत ऋणों का ब्याज आज 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से भी अधिक बनता है। जो माननीय सदस्य 'एयर इंडिया' के बारे में बात कर रहे थे, उनका हृदय 'एयर इंडिया' के लिए व्यथित है। किन्तु, यह टिप्पणी हमारे समय में की गई है और उन्हें पता ही नहीं होगा कि 'एयर इंडिया' का संचित घाटा कितना है। हम माननीय सदस्यों से ही सुनते हैं। क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि 'एयर इंडिया' को संचित घाटा कितना है? यह 930 करोड़ रुपये है।

महोदय, एक सदस्य कह रहे थे।

[हिन्दी]

वर्कर्स का क्वश्चन है, रोजी-रोटी का क्वश्चन है।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहूँगा कि किस माननीय सदस्य ने 'एयर इंडिया' के एक कर्मचारी की औसत आय और परिलब्धियों के बारे में जानकारी लेने की तकलीफ उठाई है? यदि आपका हृदय उनके लिए व्यथित है तो कम से कम आपको इसका पता तो करना ही चाहिए था। 'एयर इंडिया' के एक कर्मचारी को औसतन प्रतिवर्ष सात लाख

रुपया प्राप्त होता है। इस तरह से 'एयर इंडिया' के एक कर्मचारी को प्रतिमाह औसतन 60,000 रुपये मिलते हैं ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बात कह लेने दें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या यह सही नहीं कि निवल घाटे की दर में कमी आ रही है? क्या आप और बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते?

श्री अरुण शौरी: काश! आपको मालूम होता कि वहाँ क्या हो रहा है। यदि मैं तथ्यों का खुलासा करना शुरू कर दूं तो आप मुझ पर 'एयर इंडिया' के अवमूल्यन का आरोप लगाने लगेंगे। क्या आपको पता है कि-जैसा हम अभी कह रहे हैं-'एयर इंडिया' के तुलन-पत्र को लेकर विवाद है? क्या आपने उसका पता किया? काफी मसक्कत के पश्चात् भावी बोलीकर्त्ताओं ने पाया तथा उनके लेखाकारों ने दर्शाया कि 832 करोड़ रुपये तक का न्यून प्रावधान किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको इसका पता लगाना चाहिए। चूंकि आपने इस तथ्य का खुलासा किया, तो यह तो निश्चित है कि कोई न कोई इसके लिए अवश्य जिम्मेदार है ...*(व्यवधान)* क्या आप चाहते हैं कि यह सभा उनके विरुद्ध कार्यवाही करे? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

किसी भी समय का हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कोई भी सरकार हो सकती है ...*(व्यवधान)* हमारे शासनकाल में भी हो सकता है, आपके में भी हो सकता है ...*(व्यवधान)* इन्होंने बड़ी गंभीर बात का खुलासा किया है।

श्री अरुण शौरी: मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ किन्तु आप उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहते। माननीय सदस्यों को सरकारी क्षेत्र की चिंता है। लेकिन हममें से कितनों ने पुस्तकालय तक जाने और वहाँ रखी सी. एण्ड ए.जी. को चार-खण्डों की रपट को देखने की जहमत उठाई है? आप सी. एण्ड ए.जी. रपट की बात करते रहते हैं। वह पुस्तकालय में उपलब्ध है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, वह इस तरह की बात नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* इनके संसद-सदस्य बनने के बहुत पहले, हममें से कोई व्यक्ति लोक लेखा समिति से सम्बद्ध रहे हैं ...*(व्यवधान)* ये सभा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* हम इनकी बात धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं मानें कि यह जो भी कह रहे हैं, वह सब सही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत: माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप सुनने का धैर्य रखिए। बीच-बीच में यूँ ही टोक रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मंत्री जी ने जो कहा, उसमें क्या गलत था? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मंत्री महोदय यह आरोप लगा रहे हैं कि संसद सदस्य पुस्तकालय नहीं जाते और अध्ययन नहीं करते। ...*(व्यवधान)* वह यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संसद् में वही एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मंत्री जी का तरीका ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री जी शुरू से ही ऐसा चाह रहे हैं कि हम बाहर चले जाएं। ...*(व्यवधान)* हम इसे संसद-सदस्यों का अपमान मानते हैं ...*(व्यवधान)* मंत्री के रवैये के विरोध में हम बाहर जा रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में शुरू में ही कहा था कि विपक्ष बहिर्गमन करना चाहता है ...*(व्यवधान)* ये लोग बिल्कुल वही कर रहे हैं।

रात्रि 10.06 बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री रूपचन्द पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मंत्री महोदय ने हमें सभा भवन से बाहर जाने के लिए बाध्य किया है। वह चाहते थे कि हम सभा भवन से बाहर चले जायें। मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण हैं। ऐसा लगता है कि वह विपक्ष के प्रश्नों की बौछार का सामना नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि उनकी नीयत यह है कि जब विपक्षी दल बाहर चले जायें तो वे जो कहना चाहें कह सके। श्री शौरी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है लेकिन उनसे ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत दुख है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

रात्रि 10.07 बजे

(इस समय श्री टी.एम. सेल्वागनपति सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि वे सभा भवन से बाहर चले जायेंगे और ठीक यही हुआ। जब भी चर्चा होती है, वे ऐसा ही करते हैं। भविष्यवाणी करना बहुत आसान है। इसके लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है।

महोदय, हालत यह है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को 361 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल 270 उपक्रमों के ही लेखे उपलब्ध कराये गये। 34 कंपनियों के लेखे तीन या अधिक वर्षों से उपलब्ध नहीं हैं। 29 कंपनियों में लाभ 500 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है। 20 कंपनियों में लगभग 300 करोड़ रुपये कम का घाटा दिखाया गया है। इस पूरे मामले में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के यही निष्कर्ष है। उन्हें अतिरिक्त भुगतान अपरिहार्य भुगतान और गैर उत्पादनकारी व्यय का पता चला है।

पुनर्संरचना और पुनरुद्धार की कोशिश के बारे में बहुत बातें हुई। मैं सरकारी क्षेत्र के 77 उपक्रमों का उदाहरण देना चाहता हूँ। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में मैं आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निष्कर्ष का ब्यौरा दूँगा और तब बताऊँगा कि ये 77 उपक्रम कौन से हैं। इन इकाइयों में 10,600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इन इकाइयों ने कितने लाभांश का भुगतान किया गया? 10,600 करोड़ रुपये पर 0.71 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया गया। कुल इतने ही लाभांश का भुगतान दिया गया। वर्ष 1998-99 के दौरान आय की दर 0.04% और वर्ष 1997-98 में 0.02% रही। यह पाया गया कि 65 कंपनियों में से केवल 15 कंपनियों ने ही अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया। 50 कंपनियों के लेखे विभिन्न अवधि के दौरान बकाये हैं। इनके लेखे 1 से लेकर 15 वर्ष से नहीं तैयार किये गये हैं। 12 निगमों में से केवल 1 निगम ने अपने लेखे को अंतिम रूप दिया है। व निगमों ने 1 से लेकर 19 वर्षों से अपने लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया है। इन मामलों में सरकारी क्षेत्र के 40 उपक्रमों के लेखों की जांच की गई और यह पाया गया कि उनमें से 25 ने अपने घाटों को कम करके दिखाया है और 8 ने अपने लाभ को बढ़ाकर दिखाया है। इन सरकारी क्षेत्र के 46 उपक्रमों की कुल प्रदत्त पूंजी 382 करोड़ रुपये थी और इन्हें 2078 करोड़ रुपये का कुल संचित घाटा हुआ।

महोदय, इन इकाइयों के पुनरुद्धार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैंने पिछली बार इस सभा में यह बताया था कि 23 पुनरुद्धार पैकेजों में 40,000 करोड़ रुपया डूब गया और उससे एक की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। श्री वेंकैया नायडू का यही तर्क था।

77 इकाइयों के मामले में 1973 में एक औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग का सृजन किया गया था।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय मंत्री जी, इसमें हम जानना चाहते हैं कि पुनरुद्धार करने के लिए इतना रुपया किस पीरियड में दिया गया।

श्री अरुण शौरी: पिछले दस सालों में दिया गया, सब सरकारों ने कोशिश की, 1973 में एक इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन डिपार्टमैन्ट बना, उन्होंने 20 सिक यूनिट्स के लिए पैकेजिज बनाये।

[अनुवाद]

18 इकाइयां अब भी रुग्ण हैं। उनकी प्रदत्त पूंजी 65 करोड़ रुपये थी और उन्हें कुल 703 करोड़ रुपये का संचित घाटा हुआ। पुनरुद्धार का यह हाल हुआ।

परिवहन निगम को महानगरों में प्रति किलोमीटर 10 रुपये का घाटा होता है। उत्तरी क्षेत्र में यह घाटा 7.73 रुपये प्रति किलोमीटर है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कंपनियां और निगम कौन से हैं? सभापति महोदय ये कंपनियां और निगम पश्चिम बंगाल सरकार की हैं। मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पश्चिम बंगाल संबंधी रिपोर्ट में दिये गये हैं।

अत: महोदय मुझे लगता है कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की यथार्थ स्थिति उससे कितनी अलग है जो हम अपने भाषणों में कहते रहते हैं। और इन तथ्यों के बारे में बार-बार कहा गया है। हमारी संसद को क्या हो गया है कि इन रिपोर्टों का किसी पर असर ही नहीं हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे विद्वान सदस्य हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स कार्पोरेशन के बारे में अभी प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने जो कहा उनकी बात मानूं या संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा गठित किये गये विशेषज्ञ निकाय की बात मानूँ? हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स उन कंपनियों में से एक थी, जिनका मामला संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा विनिवेश आयोग को सौंपा गया था। आई.टी.आई. एच.टी.एल. के बारे में अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है:

''इस कंपनी का आर्थिक भविष्य धुंधला है। एच.टी.एल. की स्थिति आई.टी.आई. के मुकाबले ज्यादा खराब है जिसका

कारण है आयातित संघटकों, अल्प मूल्यवर्धित और स्विच, ट्रांसमिशन, उपस्कर आदि उत्पादों पर कंपनी के अन्दर शोध और विकास का अभाव। नकदी की गंभीर समस्या के कारण कंपनी ऋण देनदारी को पूरा करने में असमर्थ है। अगले एक या दो वर्षों में कंपनी के नेटवर्थ में काफी कमी आने की संभावना है और कंपनी संभवत: बी.आई.एफ.आर. के दायरे में आ जायेगी।''

[हिन्दी]

तब से अब तक आप कहते हो कि हम जल्दी कर रहे हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ।

[अनुवाद]

महोदय, हालत इतना गंभीर है कि इस मामले में हर हफ्ते हो रही देरी से हम इन कंपनियों की मौत को ही बुलावा दे रहे हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा कही गई दो बातों का उत्तर देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे तथ्यों को देखें।

[हिन्दी]

आप कहते हो कि फॉरनेर्स खरीदना चाहते हैं, बिडर्स को दिया जा रहा है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी किसी ने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज बाहर क्यों चला गया, क्वान्टाज क्यों चला गया।

[अनुवाद]

मैं आपको बताता हूँ कि विमानन क्षेत्र का एक युगपुरुष जिसने एक कंपनी का भाषण दिया था बोलीदाताओं में से एक था। एयर इंडिया का जायजा लेने के बाद वह मुझसे मिले। उन्होंने कहा, ''मंत्री जी हम आपके सिरदर्द को अपने मत्थे लेना नहीं चाहते और उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

भारी उद्योग मंत्रालय ने हमारे पास 18 कंपनियों का प्रस्ताव भेजा था। उनमें से दो कंपनियों का प्रस्ताव वापस भेज दिया गया क्योंकि उस समय वे विनिवेश के दायरे में नहीं आते थे। डेढ़ साल की मेहनत के बाद शेष 16 मामलों में से हमें छह कंपनियों के प्रस्ताव को वापस भेजना पड़ा क्योंकि एक भी बोलीदाता उनके अधिग्रहण के लिए इच्छुक नहीं था। एयर इंडिया के मामले में हमने नौ बोलीदाताओं के साथ प्रक्रिया शुरू की और हमारे पास दो बोलीदाता बचे और फिर एक बोलीदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सी एम सी के मामले में हमने 19 बोलीदाताओं के साथ प्रक्रिया शुरू की। उनमें से हमारे पास पांच बचे; हिन्दुस्तान जिंक के मामले में हमने 9 बोलीदाताओं के साथ प्रक्रिया शुरु की और हमारे पास छह बचे, एच टी एल के मामले में, जिसका जिक्र श्री सोमनाथ चटर्जी कर रहे थे कि यह एक ज्वलंत उदाहरण है, छह बोलीदाता सामने आए और मात्र दो बचे, इंडियन एयरलाइन्स के मामले में छह बोलीदाता सामने आए और मात्र एक बचे हैं, 'नेपा' के मामले चार बोलीदाता सामने आए और अब 2 बचा है और मॉडर्न फुड्स के मामले में हमने दस बोलीदाताओं के साथ प्रक्रिया शुरू की और अंतत: भाग एक रह गए।

इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया स्थिति की वास्तविकता को समझें जो आज सामने है। मैं कई मुद्दों पर चर्चा कर सकता हूँ लेकिन वास्तव में समय नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं है क्योंकि उस पर अन्य अवसरों पर चर्चा की जा चुकी है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार लक्ष्यों के पीछे नहीं भाग रही है। महोदय, यह आपकी व्यक्तिगत चिन्ता थी और यह दूसरों की भी चिन्ता थी। वास्तव में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विनिवेश की धनराशि का उपयोग किया गया था और यह शुरुआती दौर में किया गया था जब नीतिगत बिक्री शुरू करने से पूर्व जुटाए गए 18000 करोड़ रुपए का उपयोग वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए किया गया था। इस प्रकार के विनिवेश ने कंपनियों के स्वरूप को नहीं बदला। इसने कंपनियों के प्रबंधन अथवा कार्य संस्कृति को नहीं बदला और वे कंपनियां रुग्ण से रुग्णतर होती चली गई और अब वे बन्द होने के कगार पर हैं।

इसलिए सरकार अभी भी यही मानती है कि कंपनियों को अच्छी हालत में लाने और उनके पुनरुद्धार हेतु विनिवेश ही एकमात्र उपाय है ताकि वे प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपना वर्चस्व बनाए रख सके। दूसरी बात, कामगारों, जिनका कल्याण प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, की नौकरियों की सुरक्षा के लिए यही एक उपाय है।

महोदय, मैं अन्य बातों का जवाब देता लेकिन अब रात्रि के 10.15 बज चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो कहा है वह काफी है। धन्यवाद।

सभापति महोदय: अब सभा कल 24 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 अगस्त, 2001/2 भाद्रपद, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.19.23/2001 (एन०)
280

© 2001 **प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरूवार, 23 अगस्त,2001/1 भाद्रपद ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
13	नीचे से 5	से ज्यादा नहीं	से ज्यादा मंत्री नहीं
256	नीचे से 11	4336	4636
290	18	गस	गैस
342	4	47	4712
394	नीचे 10	अपराह्न 12.04 बजे	अपराह्न 12.04½ बजे
470	21	डा.रघवंश प्रसाद सिंह	डा.रघुवंश प्रसाद सिंह